(केवल कार्यालय उपयोग हेतु)

सत्यमेव जयते

पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन

(Compendium of Instructions)

राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

2020

आमुख

भारत के संविधान के 73 वे संविधान संशोधन, 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। उक्त संविधान संशोधन की अनुपालना में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 पारित किया गया और इस अधिनियम के अन्तर्गत पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 पारित किया गया। उक्त संवैधानिक संशोधन एवं अधिनियम के अन्तर्गत 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया।

संविधान के अनुच्छेद 243K (Article 243K) एवं पंचायती राज अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने एवं निर्वाचनों का संचालन का अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित किया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पूर्व लगातार वर्ष 1994 से आम चुनाव एवं बीच में रिक्त होने वाले पदों पर उपचुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाये गये हैं। इन चुनावों के संचालन की प्रक्रिया को सरलीकृत करने एवं विधिक उपबंधों के समुचित पालन के लिए आयोग द्वारा समय–समय पर आदेश/निदेश जारी किये गये हैं। इन निदेशों में कुछ अस्थायी एवं कुछ स्थायी प्रकृति के हैं।

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए आवश्यक एवं महत्पूर्ण आदेशों/निदेशों का संकलन किया गया है। यह संकलन जिला निर्वाचन अधिकारियों सहित समस्त निर्वाचन प्राधिकारियों के लिए उपयोगी होगा। निर्वाचन कार्य में नियोजित प्राधिकारियों से अपेक्षा है कि इस संकलन का ठीक तरह से अध्ययन कर ले ताकि निर्वाचन में कोई असुविधा एवं त्रुटि नहीं हो।

जयपुर
दिनांक 03.01.2020

03/01/2020

(प्रेम सिंह मेहरा)
आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

D:\ Legal Letters Panchayat doc
27

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हेतु महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन

विषय – सूची

भाग–1 निर्वाचक नामावली बाबत्			
क्र.सं.	पत्रांक / दिनांक	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	2	3	4
1.	प.4(3)(1)रानिआ / 94 / 255 दिनांक 20.8.94	जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायतें) को पदाभिहित करने बाबत् आदेश।	5
2.	एफ.4(3)(1)पंचा / रानिआ / 14 / 3335 दिनांकः 01.10.2018	पंचायत समितियों के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को पदाभिहित करने बाबत् आदेश।	6–18
3.	एफ.4(3)(1)पंचा / रानिआ / 14 / 5392 दिनांकः 25.11.2019	नवसृजित पंचायत समितियों एवं आदेश क्रमांक 3335 दिनांक 1.10.18 में आंशिक संशोधन करते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को पदाभिहित करने हेतु आदेश।	19–22
4.	एफ.7(1)(2) / पंचा / रानिआ / 2019 / 4651 दिनांकः 04.11.19	पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2020 – निर्वाचक नामावलियों की तैयारी हेतु कार्यक्रम एवं दिशा–निर्देश।	23–43
5.	प.1(2)(1)नपा–पंचा / रानिआ / 14 / 5453 दिनांकः 27.11.2019	निर्वाचक नामावली की प्रति राजनैतिक दलों को निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु सा.आ. 128 / 2019	44
6.	प.6(1)(1)पंचा / रानिआ / 14–15 / 7656 जयपुर, दिनांकः 07.11.14	पंचायत चुनाव हेतु मतदाता सूची की कार्यकारी प्रतियॉ तैयार करने के संबंध में।	45–46
7.	एफ.6(1)(1)पंचा / रानिआ / 14–15 / 4906 दिनांकः 21.10.2014	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन होने के पश्चात् उसकी मतदाताओं की बिना फोटो वाली सूचियों की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करवाने बाबत।	47
8.	एफ.6(1)(1)पंचा / रानिआ / 14–15 / 5897 दिनांकः 07.08.2015	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन होने के पश्चात् उसकी मतदाताओं की बिना फोटो वाली सूचियों की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करवाने बाबत।	48
9.	एफ.7(1)(2) / पंचा / रानिआ / 2019 / 5520 दिनांकः 28.11.19	पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2020 – निर्वाचक नामावलियों की तैयारी – निर्वाचक नामावली की प्रतियों की संख्या के संबंध में।	49–50

भाग–2 मतदात केन्द्रों की स्थापना बाबत्			
10.	एफ.7(3)(1)पंचा / रानिआ / 13 / 1586 दिनांकः 10.05.2019	पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में।	52–60
भाग–3 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों हेतु			
11.	2019	आदर्श आचरण संहिता	62–67
12.	एफ.4(10)(1)नपा / रानिआ / 14 / 3004 दिनांकः 21.08.2019	नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के संबंध में।	68–71
13.	प.1(5)(70) / संस्था / रानिआ / 2019 / 3350 दिनांक : 12.09.2019	राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक – शिष्टाचार एवं सुविधाओं के संबंध में।	72–73
14.	F.4(2)(1)PE/SEC/94/ 404 Dt. 18.01.95	Divisional Commissioners authorized for general supervision on conduct of elections.	74
15.	प.4(2)(1)पंचा / रानिआ / 94 / 332 दिनांक 16.1.95	पर्यवेक्षकों के साथ नियुक्त मंत्रालयिक कर्मचारियों को निर्वाचन ड्यूटी पर माने जाने बाबत्।	75
16.	एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 14–15 / 1783 दिनांकः 01.05.2018	पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण बाबत् धारा 127 क (लो.प्र.अ. 1951) के अन्तर्गत आदेश।	76–80
17.	एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सांआ / रानिआ / 2014 / 5596 दिनांकः 02.12.2019	वाहनों, लाउडस्पीकरों, पोस्टरों, बैनरों आदि पर निर्बन्धन बाबत् (सां.आ.129 / 2019)	81–87
18.	एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 14–15 / 2750 दिनांकः 07.08.2019	पंचायती राज सस्थाओं के चुनावों के दौरान विडियोग्राफी करवाना।	88–91
19.	प.7(7)(14) पंचु / रानिआ / 99 / 6050 दिनांक : 26.01.2000	अधिस्वीकृत पत्रकारों को मतदान बूथ मतगणना केन्द्र आदि में प्रवेश देने बाबत्।	92
20.	एफ.7(1)(1) / पंचा / रानिआ / 19 / 6198 दिनांक 24.12.2019	पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2020 –स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हेतु।	93–96
21.	प.7(7)(14)रानिआ / पंचु / 99 / 7325 दिनांक : 7.1.2010	पत्रकारों को प्रवेश– मतदान बूथ एवं मतगणना केन्द पर फोटोग्राफी / विडियोग्राफी का निषेद्य।	97–98
22.	एफ.7(1)(1)पंचा / रानिआ / 2019 / 2292 दिनांकः 10.07.2019	निर्वाचन से जुडे अधिकारियों को गृह जिलों में / लम्बे समय तक पदस्थापन का निषेध	99–100
23.	एफ.1(4)(1)नपा / रानिआ / 2014 / 4578 दिनांक 01.11.2019	स्थानीय स्तर पर समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों की कटिंग अपलोड करने के संबंध में	101

भाग–4 रिटर्निंग अधिकारियों एवं मतदान दलों की नियुक्ति बाबत्			
24.	एफ.7(4)(1)पंचा / रानिआ / 14–15 / 2043 दिनांकः 13.06.2019	पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु मतदान दलों के गठन के संबंध में।	103–105
25.	प.7(7)(1)पंचा / रानिआ / 94 / 4432 दिनांक 31.12.99	जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर्स की नियुक्ति।	106–107
26.	एफ.7(4)(1)पंचा / रानिआ / 09 / 6105 दिनांकः 10.12.09	जिला प्रतापगढ़ के लिए रिटर्निंग अधिकारी की नुियक्ति करने के संबंध में।	108–
27.	एफ.7(4)(1)पंचा / रानिआ / 14 / 9667 दिनांकः 22.12.14	जिला परिषदों के प्रमुख एवं उपप्रमुख के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारी की नुियक्ति करने के संबंध में।	109
28.	एफ.7(4)(1)पंचा / रानिआ / 14–15 / 2048 दिनांकः 13.06.2019	जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति बाबत।	110–111
29.	एफ.7(4)(1)पंचा / रानिआ / 14–15 / 2251 दिनांकः 05.07.2019	जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति बाबत।	112
30.	एफ.1(2)(1)नपा–पंचा / सांआ / रानिआ / 14 / 1044 दिनांकः 23.01.15	25 या अधिक वार्डों वाले पंचायत सर्किलों के लिए नियुक्त मतदान अधिकारियों में से किसी एक को ए.आर.ओ. के रूप में नियुक्ति हेतु सां.आ. 108 / 2015	113
31.	प.4(2)(1) / पं. / रानिआ / 94 / 242 दिनांक 12.1.95	रिटर्निंग अधिकारियों की सहायता करने हेतु गणना सहायक नियुक्त करने हेतु सां.आ. 17 / 95	114
भाग–5 मतपत्र बाबत्			
32.	एफ.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ / रानिआ / 14 / 5761 दिनांक 05.12.2019	पंच एवं सरपंच पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र के प्ररूप के संबंध में सां.आ. 131 / 2019	116–122
33.	एफ.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ / रानिआ / 14 / 5755 दिनांक 05.12.2019	पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र के प्ररूप के संबंध में सां.आ. 132 / 2019	123–129
34.	एफ.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ / रानिआ / 14 / 5749 दिनांक 05.12.2019	पंचायत समिति के प्रधान एवं उप प्रधान एवं जिला परिषद के प्रमुख एवं उप प्रमुख पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र के प्ररूप के संबंध में सां.आ. 133 / 2019	130–136
35.	एफ.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ / रानिआ / 14 / 5742 दिनांक 05.12.2019	उप सरपंच पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र के प्ररूप के संबंध में सां.आ. 134 / 2019	137–140

36.	एफ.4(2) / पंचु / रानिआ / 94 / 6052 दिनांक 27.1.2000	मुद्रण के पश्चात् शेष, अधिशेष और रद्दी मतपत्रों के निस्तारण के संबंध में।	141
37.	एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 14–15 / 6340 दिनांकः 27.12.2019	मुद्रित मतपत्रों में से अधिशेष मतपत्रों, रद्दी मतपत्रों, कतरन, बुहारन के निस्तारण के संबंध में।	142
38.	एफ.4(2)(1) / पंचा / रानिआ / 94 / 465 दिनांक 27.10.94	मतपत्र को "प.रा.सं." शब्दों से स्टाम्पित करके अनुप्रमाणित करने बाबत् सां.आ. 08 / 1994 आदेश	143
39.	एफ. 3(53)पंचा / स्टोर / रानिआ / 2019 / 6104 दिनांक 17.12.2019	पंच व सरपंच चुनाव के मतपत्रों के मुद्रण के संबंध में (मतपेटी से चुनाव कराये जाने की स्थिति में)।	144–148
भाग–6 चुनाव चिह्न आवंटन			
40.	एफ.4(5)(1)पंचा / रानिआ / 19 / 1434 दिनांकः 26.04.2019	सरपंच एवं पंच निर्वाचन के लिये चुनाव चिन्हों को विनिर्दिष्ट करने बाबत् अधिसूचना।	150–151
41.	एफ.4(5)(1)पंचा / रानिआ / 19 / 5371 दिनांकः 25.11.2019	अधिसूचना क्रमांक 1434 के क्रम में संशोधित अधिसूचना	152
42.	एफ.4(5)(1)पंचा / रानिआ / 19 / 5672 दिनांकः 04.12.2019	अधिसूचना क्रमांक 1434 के क्रम में संशोधित अधिसूचना	153
43.	एफ.4(5)(1)पंचा / रानिआ / 19 / 1427 दिनांकः 26.04.2019	पंचायत समिति सदस्यों तथा जिला परिषद सदस्यों के लिए निर्वाचन प्रतीकों को और उनके आरक्षण, चयन, आवंटन हेतु अधिसूचना	154–162
44.	एफ.4(5)(1)पंचा / रानिआ / 19 / 3872 दिनांकः 07.10.2019	अधिसूचना क्रमांक 1427 में संशोधन हेतु अधिसूचना	163
45.	एफ.4(5)(1)पंचा / रानिआ / 19 / 1420 दिनांकः 26.04.2019	जिला परिषद के प्रमुख / उप प्रमुख के निर्वाचनों के लिए निर्वाचन प्रतीकों को और उनके आरक्षण, चयन, आवंटन	164–171
46.	एफ.4(5)(1)पंचा / रानिआ / 19 / 3864 दिनांकः 07.10.2019	अधिसूचना क्रमांक 1420 में संशोधन	172
47.	एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 2014 / 1670 दिनांक 20.04.2018	नोटा के परिवर्तित चिह्न के सां. आ. संख्या 110 / 2018	173
48.	एफ. 3(53)पंचा / स्टोर / रानिआ / 2014 / पार्ट–II 5848 दिनांक 10.12.2019	मतपत्र मुद्रण हेतु चुनाव चिन्ह भिजवाने के संबंध में।	174–193
भाग–7 मतदान प्रक्रिया के संबंध में			
49.	एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 5690 दिनांक 04.12.2019	मतदान दिवस को अभ्यर्थियों द्वारा मतदान बूथ स्थापित करने के संबंध में।	195
50.	एफ.1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ / रानिआ / 14 / 5776 दिनांक 05.12.2019	पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद् सदस्यों के निर्वाचन में निर्वाचन ड्यूटी पर अधिकारी के लिए डाक मत देने की रीति के संबंध में सां. आ. 135 / 2019	196–207
51.	प. 7(1)(1) / पंचा / रानिआ / 2014 /	जिला परिषद सदस्य एवं	208

	9533 दिनांकः 18.12.2014	पंचायत समिति सदस्य चुनाव हेतु निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के संबंध में।	
52.	प.4(1)(2)/पं./रानिआ/94/ 243 दिनांक 12.1.95	भूल से सुमेदन चिन्ह से स्टाम्पित न किए हुए या मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर न किए हुए मतपत्रों को नामंजूर किये जाने बाबत् सां.आ. 16/1995	209
53.	प.7(1)(4)/पं./रानिआ/94/ 1138 दिनांक 28.12.94	मतदान के पश्चात् मतपेटियों का संग्रहण परिवहन एवं सुरक्षित अभिरक्षा बाबत्।	210–211
54.	एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/2014 /559 दिनांकः 07.02.2019	वैकल्पिक दस्तावेज की सूची हेतु आदेश	212–213
55.	एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/2014 /4630 दिनांकः 02.11.2019	वैकल्पिक दस्तावेज की सूची हेतु आदेश (संशोधन)	214
56.	एफ.1(4)(1)नपा/रानिआ/2014/ 5493 दिनांकः 26.07.2015	अमिट स्याही लगाने के तरीके हेतु आदेश	215–217
57.	एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/14–15/2235 दिनांकः 25.06.2019	अमिट स्याही लगाने संबंधी प्रावधान	218–219
भाग–8			
लोक सूचना, नामांकन पत्रों की जाँच/प्राप्ति व वापसी के संबंध में			
58.	एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/14–15/6251 दिनांक : 26.12.2019	निर्वाचन की लोक सूचना/अधिसूचना जारी करने के संबंध में।	221–224
59.	प.2(8)लेखा/रानिआ/94/2178 दिनांक 20.06.2019	सरपंच चुनाव हेतु उम्मीदवारी वापिस लेने पर जमानत राशि लौटाने के संबंध में।	225–233
60.	एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/14–15/5936 दिनांकः 12.12.2019	अभ्यर्थी द्वारा नामांकन के समय सम्पत्ति का ब्यौरा, देयताओं आदि का विवरण प्रस्तुत करना।	234–247
61.	प.7(1)(8)/पंचा/रानिआ/09/ 9390 दिनांक 05.02.2010	पंच/सदस्य चुनाव के लिए दो से अधिक संतानों पर निर्योग्यता के संबंध में।	248
62.	एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/14–15/5702 दिनांक 05.12.2019	पंचायती राज संस्थाओं में पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हता बाबत।	249–250
भाग–9			
बूथ कैप्चरिंग/स्थगित मतदान/नए सिरे से मतदान			
63.	F.4(2)(1)SEC/94/659 Dt.25.1.95 (S.NO.18/95) Published in Gazette Dt. 2.2.95	Delegation of the powers of SEC under rule 48 (A), 48(B) and 49(A) to D.E.Os for the purpose of election of Panch and Sarpanchs.	252
भाग–10			
EVM से मतदान के संबंध में			
64.	एफ 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/ईवीएम /09/6318 दिनांकः–18.12.09	निविदत्त मतपत्र का प्रारूप विहित करने के संबंध में (सां. आ. 58/2009)	254
65.	एफ.1(2)(1)नपा–पंचा/सां.आ/रानिआ/ 14/ 5736 दिनांक 05.12.2019	जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच एवं पंच के निर्वाचन हेतु इलेक्ट्रोनिक मतदान	255–259

		मशीनों के मतदान यूनिट में प्रदर्शित किये जाने वाले मतपत्र के प्ररूप के संबंध में सां.आ. 130/2019	
66.	एफ 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/ईवीएम / 14/6049 दिनांकः–16.12.19	जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य चुनावों में ईवीएम प्रयुक्त होने पर मतगणना के संबंध में निर्देश।	260–273
67.	एफ 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/ईवीएम/09 /1873 दिनांकः–21.7.2010	ईवीएम मशीन को मुद्रा बंद करने के संबंध में।	274
68.	एफ 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/ईवीएम/09 /6306 दिनांकः–18.12.09	ईवीएम मशीन को मुद्रा बंद करने के संबंध में सां.आं 56/2009	275
69.	एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ /2014/1613 दिनांकः–13.05.2019	ईवीएम मशीन की डिजाईन के अनुमोदन के संबंध में सां.आ. 112/2019	276
70.	एफ.7(1)(1)EVM/पंचा/रानिआ/14/ 6046 दिनांकः–16.12.2019	इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनो के उपयोग के संबंध में।	277–294
71.	एफ 7(1)(3)/पंचा/रानिआ/14–15/ 6130 दिनांकः–18.12.19	ईवीएम पर प्रदर्शन हेतु मतपत्र एवं निविदत्त मतपत्रों के मुद्रण के दिशा–निर्देश	295–323
72.	प.3(76)स्टोर/रानिआ/एसडीएमएम/ 2019/2533 दिनांकः 23.07.2019	पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में मल्टीपोस्ट सिंगल वोट ईवीएम के उपयोग पर मतगणना उपरान्त एसडीएमएम को सीलबंद करने के संबंध में।	324–331
	भाग–11 मतगणना		
73.	एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/14–15/ 10008 दिनांकः–30.12.14	जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन मतपत्रों को मिलाया जाकर गणना किये जाने की प्रक्रिया संबंधी निर्देश।	333–355
74.	एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014–15/ 1301/30.01.2015	जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन मतपत्रों को मिलाया जाकर गणना किये जाने की प्रक्रिया संबंधी निर्देश–संशोधन।	356
	भाग–12 लेखा		
75.	एफ.2(8)रानिआ/लेखा/94/ 1109 दिनांक 28.12.94	फार्मों की बिक्री एवं निक्षेप राशि को जमा कराना।	358
76.	प.1(32)रानिआ/लेखा/बजट/2019–20 / 2930 दिनांक : 19.08.19	इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की प्रथम स्तरीय जाँच	359
77.	F.1(21)SEC/Acctt/2019-20 / 2939 Dated: 19-08-2019	Honorarium/Remuneration to officers /officials for preparation and revision of Municipal/Panchayat Electoral Rolls-2019-2020.	360
78.	F1(23)(2)SEC/Acctts/2019-20/ 2797 Dated: 09-08-2019	Procedure for settlement of hire and detention charges of the motor vehicles requisitioned for Municipal /Panchayat Election and Supply arrangements of P.O.L. for vehicles.	361–365
79.	F.1(20)(2)SEC/Acctt/O.R./2019-20/ 2599 Date: 29-07-2019	The rates for making outright payments and incurring expenditure	366–368
80.	F.1(27)SEC/Acctt/2019-20/2895	Regarding payment of	369

	Date: 19-08-2019	Honorarium to officers deputed for imparting training to staff deployed for conducting Municipal/ Panchayat General Elections, 2014-2015.	
81.	प.1(20)(2)रानिआ/लेखा/बजट/ 2019–20/ 3848 दिनांक : 07.10.19	Procedure of payment of T.A. claims of the staff engaged in the course of Elections of Municipalities & Panchayats including the Police, Home Guard and Forest Guard personnel (Except Law & Order) deputed in election duty during the Election days,	370–373
भाग–13 विविध			
82.	एफ. 4(2)(1)/पंचा/रानिआ/ 502 दिनांक 29.03.2011	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 191–193 के अन्तर्गत कार्यवाही बाबत्	375–376
83.	एफ.4(2)(1)/पं. एवं न.पा./रानिआ /94/61 दि. 9.4.10	अप्रयुक्त डाक मतपत्रों के पैकेट, वैध/अवैध या निरस्त डाक मतपत्रों के पैकेटों के संबंध में सां.आ. 66/2010	377–378
84.	एफ.4(2)(1)/पं./न.पा./रानिआ/ 94/64 दि. 9.4.10	निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों के व्ययन (निपटारें) के संबंध में सां.आ. 67/2010	379–380
85.	प.6(4)(1)/पं./रानिआ/94/ 1127 दिनांक 23.2.95	निर्वाचन संबंधी कागजातों की प्रतिलिपि देने के संबंध में स्पष्टीकरण।	381
86.	एफ.4(2)(1)/पं. एवं न.पा./रानिआ/ 94/955 दि. 2.2.95	दस्तावेजों का निरीक्षण और प्रमाणित प्रतिलिपि जारी करने संबंधी प्रक्रिया।	382–383
87.	एफ.7(7)(13)/पंचु/रानिआ/94/ 7112 दिनांक 08.01.2000	पंच/सरपंच चुनाव के नामांकनों की प्रतिलिपि जारी करना।	384
88.	प.7(1)(26)/पं.चु/रानिआ/ 95 / 2610 दिनांक 13.10.95	निर्वाचन कागज पत्रों के निस्तारण संबंधी सांविधिक आदेश 22/95	385–387
89.	एफ4(2)(1)/नपा/रानिआ/03/ 6491 दिनांकः–20.12.2009	निर्वाचन समाप्ति पर कागज पत्रों के पैकेट तैयार करना का सां.आ. 59/2009	388
90.	एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ /2014/4805 दिनांकः 25.06.2015	ईवीएम की सुरक्षा एवं इससे संबंधित कागजात को निपटारे हेतु सा.आ. 109/2015	389–390
91.	एफ.1(1)(1)नपा/रानिआ/94/ 134 दिनांक 18.2.99	स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछडा वर्ग के लिये आरक्षित अध्यक्षीय पद के लिये अनारक्षित वार्ड से निर्वाचित अन्य पिछडा वर्ग के सदस्य की पात्रता।	391
92.	एफ4(2)(1)/नपा/रानिआ/03/ 7127 दिनांकः–04.01.2010	मुद्रित फार्मो के विक्रय की दरों के संबंध में।	392
93.	F.4(1)(6)M/SEC/94/ 513 Dt. 7.11.94	Rates of sale price of lists of polling stations and printed forms.	393
94.	प.4(2)(1)/पंचा/रानिआ/94/ 6150 दिनांक. 29.1.2.2000	निर्वाचित अभ्यर्थी की प्रतिभूति राशि जप्त करने हेतु सा.आ. 40/2000	394
95.	एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/14–15/ 6211 दिनांकः–24.12.19	Person with Disabilities (PwDa) को मतदान में सहायता उपलब्ध करवाने के संबंध में।	395

पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव हेतु महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन

भाग–1
निर्वाचक नामावली बाबत्

राजस्थान सरकार
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांक: प. 4 (3) (1) रा.नि.आ./94/255 जयपुर, दिनांक 20 अगस्त, 1994

आदेश

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 119 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान राज्य सरकार के परामर्श से राज्य के सभी जिला कलेक्टर्स को संबंधित जिला क्षेत्रों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के रूप में एतद्द्वारा पदाभिहित/नाम निर्दिष्ट करता है।

आज्ञा से,
(बी.बी. महान्ति)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांक : प. 4 (3) (1) रा.नि.आ./94/255 दिनांक : 20 अगस्त, 1994

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख शासन सचिव एवं विकास आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त
4. समस्त कलेक्टर्स,
5. समस्त उपखण्ड अधिकारी (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी-पंचायत)

सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(Email- secrajasthan@gmail.com, Web.- rajsec.rajasthan.gov.in)

क्रमांकःएफ.4(3)(1)पंचा / रानिआ / 14 / 3335 दिनांकः 01.10.2018

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 119 के अनुसरण में जारी अपने पूर्व आदेशों को अतिक्रमित करते हुए निम्नांकित सारणी में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को राज्य सरकार के परामर्श से राज्य के समस्त जिलों की पंचायत समिति क्षेत्र के लिये उक्त धारा 119 की उप धारा–5 के अन्तर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उप धारा–6 के अन्तर्गत सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित एवं नाम निर्दिष्ट (Designate and Nominate) करता है :–

सारणी

क्र. सं.	जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	पीसांगन	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीसांगन	तहसीलदार, पीसांगन, पुष्कर, नसीराबाद एवं अजमेर
		श्रीनगर	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नसीराबाद	तहसीलदार, नसीराबाद एवं अजमेर
		जवाजा	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, ब्यावर	तहसीलदार, ब्यावर एवं टाटगढ़
		मसूदा	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मसूदा	तहसीलदार, मसूदा एवं विजयनगर
		भिनाय	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भिनाय	तहसीलदार, भिनाय नायब तहसीलदार, भिनाय
		केकड़ी	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, केकड़ी	तहसीलदार, केकड़ी एवं सावर
		अंराई	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगढ़	तहसीलदार, अंराई एवं सरवाड
		किशनगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़	तहसीलदार, किशनगढ़ एवं रूपनगढ़
		सरवाड़	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सरवाड़	तहसीलदार, सरवाड़ एवं टांटोटी
2.	अलवर	तिजारा	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तिजारा	तहसीलदार, तिजारा
		किशनगढ़बास	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगढ़बास	तहसीलदार, किशनगढ़बास
		कोटकासिम	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटकासिम	तहसीलदार, कोटकासिम
		मुण्डावर	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,मुण्डावर	तहसीलदार, मुण्डावर
		बहरोड़	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बहरोड़	तहसीलदार, बहरोड़

		नीमराणा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नीमराणाा	तहसीलदार, नीमराणा
		बानसूर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बानसूर	तहसीलदार, बानसूर
		थानागाजी	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी	तहसीलदार, थानागाजी
		रामगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रामगढ़	तहसीलदार, रामगढ़
		उमरैण	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर	तहसीलदार, अलवर
		राजगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,राजगढ़	तहसीलदार, राजगढ़
		रैणी	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रैणी	तहसीलदार, रैणी
		लक्ष्मणगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़	तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़
		कठूमर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कठूमर	तहसीलदार, कठूमर
3.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा	तहसीलदार, बांसवाड़ा
		तलवाड़ा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा	तहसीलदार, आंबपुरा
		छोटी सरवन	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, छोटी सरवन	तहसीलदार, छोटी सरवन
		घाटोल	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, घाटोल	तहसीलदार, घाटोल
		गढ़ी	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गढ़ी	तहसीलदार, गढ़ी
		अरथूना	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गढ़ी	तहसीलदार, गनोड़ा
		बागीदौरा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बागीदौरा	तहसीलदार, बागीदौरा
		गांगडतलाई	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बागीदौरा	तहसीलदार, गांगडतलाई
		आनन्दपुरी	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आनन्दपुरी	तहसीलदार, आनन्दपुरी
		कुशलगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कुशलगढ़	तहसीलदार, कुशलगढ़
		सज्जनगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सज्जनगढ़	तहसीलदार, सज्जनगढ़
4.	बारां	बारां	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां	तहसीलदार, बारां
		अन्ता	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अंता	तहसीलदार, अन्ता एवं मांगरोल
		छबड़ा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, छबड़ा	तहसीलदार, छबड़ा
		किशनगंज	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगंज	तहसीलदार, किशनगंज
		छीपाबडौद	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड	तहसीलदार, छीपाबडौद

			मजिस्ट्रेट, छीपाबडौद	
		शाहबाद	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, शाहबाद	तहसीलदार, शाहबाद
		अटरू	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अटरू	तहसीलदार, अटरू
5.	बाड़मेर	बाड़मेर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाड़मेर	तहसीलदार, बाड़मेर तहसीलदार भू.अ. बाडमेर
		रामसर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रामसर	तहसीलदार, रामसर नायब तहसीलदार, रामसर
		शिव	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, शिव	तहसीलदार, शिव नायब तहसीलदार, शिव
		गडरारोड़	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, शिव	तहसीलदार, गडरारोड़ नायब तहसीलदार, गडरारोड़
		चौहटन	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौहटन	तहसीलदार, चौहटन नायब तहसीलदार, चौहाटन
		सेडवा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सेडवा	तहसीलदार, सेडवा नायब तहसीलदार, सेडवा
		धनाऊ	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौहटन	तहसीलदार, धनाऊ
		धोरीमन्ना	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोरीमन्ना	तहसीलदार, धोरीमन्ना नायब तहसीलदार धोरीमन्ना
		गुडामालानी	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गुडामालानी	तहसीलदार, गुडामालानी नायब तहसीलदार, गुडामालानी
		सिणधरी	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिणधरी	तहसीलदार, सिणधरी नायब तहसीलदार, सिणधरी
		सिवाना	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिवाना	तहसीलदार, सिवाना नायब तहसीलदार, सिवाना
		समदड़ी	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिवाना	तहसीलदार, समदड़ी नायब तहसीलदार, समदड़ी
		बायतु	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बायतु	तहसीलदार, बायतु नायब तहसीलदार, बायतु
		गिडा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बायतु	तहसीलदार, गिडा नायब तहसीलदार, गिडा
		बालोतरा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बालोतरा	उप पंजीयक, जसोल उप तहसीलदार, जसोल नायब तहसीलदार, पचपदरा
		पाटौदी	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बालोतरा	उप तहसीलदार, पाटौदी
		कल्याणपुर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बालोतरा	तहसीलदार, पचपदरा उप तहसीलदार, कल्याणपुर
6.	भरतपुर	पहाड़ी	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पहाड़ी	तहसीलदार, पहाड़ी
		कामां	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, कामां	तहसीलदार, कामां
		नगर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, नगर	तहसीलदार, नगर
		डीग	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, डीग	तहसीलदार, डीग
		कुम्हेर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़	तहसीलदार, कुम्हेर

			मजिस्ट्रेट, कुम्हेर	
		सेवर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, भरतपुर	तहसीलदार, भतरपुर
		नदबई	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, नदबई	तहसीलदार, नदबई
		वैर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, वैर	तहसीलदार, वैर
		बयाना	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, बयाना	तहसीलदार, बयाना
		रूपवास	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, रूपवास	तहसीलदार, रूपवास
7.	भीलवाड़ा	आसीन्द	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, आसीन्द	तहसीलदार, आसीन्द एवं बदनोर
		हुरडा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा	तहसीलदार, हुरडा
		माण्डल	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, माण्डल	तहसीलदार, माण्डल एवं करेडा
		रायपुर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रायपुर	तहसीलदार, रायपुर
		सहाडा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, गंगापुर	तहसीलदार, सहाडा मु. गंगापुर
		सुवाणा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाडा	तहसीलदार, भीलवाडा तहसीलदार, हमीरगढ
		बनेडा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप ाण्ड मजिस्ट्रेट, बनेड़ा	तहसीलदार, बनेडा
		शाहपुरा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, शाहपुरा	तहसीलदार, शाहपुरा तहसीलदार, फूलियाकलां
		जहाजपुर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जहाजपुर	तहसीलदार, जहाजपुर
		कोटडी	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कोटड़ी	तहसीलदार, कोटडी
		माण्डलगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ़	तहसीलदार, माण्डलगढ
		बिजौलियां	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बिजौलियाकलां	तहसीलदार, बिजौलियाकलां
8.	बीकानेर	खाजूवाला	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, खाजूवाला	तहसीलदार, खाजूवाला
		बीकानेर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बीकानेर	तहसीलदार, भू–अभिलेख, बीकानेर
		लूनकरणसर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, लूनकरणसर	तहसीलदार, लूनकरणसर
		नोखा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नोखा	तहसीलदार, नोखा
		डूंगरगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगरगढ़	तहसीलदार, डूंगरगढ़
		कोलायत	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कोलायत	तहसीलदार, कोलायत
		पांचू	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पूगल	उप पंजीयक, नोखा

9.	बून्दी	बून्दी	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बून्दी	तहसीलदार, बून्दी
		नैनवां	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नैनवां	तहसीलदार, नैनवां
		केशोरायपाटन	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, केशोरायपाटन	तहसीलदार, केशोरायपाटन
		तालेडा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, तालेडा	तहसीलदार, तालेडा
		हिण्डोली	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, हिण्डोली	तहसीलदार, हिण्डोली
10.	चित्तौड़गढ़	राशमी	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, राशमी	तहसीलदार, राशमी
		भदेसर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भदेसर	तहसीलदार, भदेसर
		भूपालसागर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कपासन	तहसीलदार, भूपालसागर
		चित्तौड़गढ़	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़	तहसीलदार, चित्तौड़गढ़
		गंगरार	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, गंगरार	तहसीलदार, गंगरार
		कपासन	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कपासन	तहसीलदार, कपासन
		बेगूं	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बेगूं	तहसीलदार, बेगूं
		भैंसरोड़गढ़	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रावतभाटा	तहसीलदार, रावतभाटा
		निम्बाहेड़ा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, निम्बाहेड़ा	तहसीलदार, निम्बाहेड़ा
		बड़ीसादड़ी	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बड़ीसादड़ी	तहसीलदार, बड़ीसादड़ी
		डूंगला	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगला	तहसीलदार, डूंगला
11.	चूरू	राजगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, राजगढ़	तहसीलदार, राजगढ़
		तारानगर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, तारानगर	तहसीलदार, तारानगर
		सरदारशहर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सरदारशहर	तहसीलदार, सरदारशहर
		चूरू	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, चूरू	तहसीलदार, चूरू
		रतनगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, रतनगढ़	तहसीलदार, रतनगढ़
		सुजानगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़	तहसीलदार, सुजानगढ़
		बीदासर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बीदासर	तहसीलदार, बीदासर
12.	दौसा	बांदीकुई	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बांदीकुई	तहसीलदार, बसवा नायब तहसीलदार, बसवा एवं बांदीकुई

		महवा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, महवा	तहसीलदार, महवा एवं मण्डावर नायब तहसीलदार, महवा
		सिकराय	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सिकराय	तहसीलदार, सिकराय नायब तहसीलदार, सिकराय एवं सिकन्दरा
		दौसा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, दौसा	तहसीलदार, दौसा नायब तहसीलदार, दौसा एवं सैंथल
		लालसोट	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, लालसोट	तहसीलदार, लालसोट एवं रामगढ पचवारा नायब तहसीलदार लालसोट
		लवाण	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नांगल राजावतान	तहसीलदार, नांगल राजावतान एवं लवाण नायब तहसीलदार, नांगल राजावतान
13.	धौलपुर	धौलपुर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, धौलपुर	तहसीलदार, धौलपुर
		बाडी	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बाड़ी	तहसीलदार, बाड़ी नायब तहसीलदार, कंचनपुर
		बसेडी	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बसेडी	तहसीलदार, बसेडी एवं सरमथुरा
		राजाखेडा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, राजाखेडा	तहसीलदार, राजाखेडा नायब तहसीलदार, मनिया
		सैपऊ	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सैपऊ	तहसीलदार, सैपऊ नायब तहसीलदार, बसईनवाब
14.	डूँगरपुर	डूंगरपुर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर	तहसीलदार, डूंगरपुर
		दोवडा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगरपूर	तहसीलदार, डूंगरपुर
		आसपुर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, आसपुर	तहसीलदार, आसपुर
		साबला	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, आसपुर	तहसीलदार, साबला
		सागवाडा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सागवाडा	तहसीलदार, सागवाडा
		गलियाकोट	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सागवाडा	तहसीलदार, गलियाकोट
		सीमलवाडा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजि., सीमलवाडा	तहसीलदार, सीमलवाडा
		चिखली	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजि., सीमलवाडा	तहसीलदार, चिखली
		बिछीवाडा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बिछीवाड़ा	तहसीलदार, बिछीवाडा
		झोंथरी	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बिछीवाड़ा	तहसीलदार, झोंथरी
15.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़	तहसीलदार, हनुमानगढ़ उप पंजीयक, हनुमानगढ नायब तहसीलदार, हनुमानगढ
		पीलीबंगा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड	तहसीलदार, पीलीबंगा

			मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा	नायब तहसीलदार, पीलीबंगा
		संगरिया	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया	तहसीलदार, संगरिया नायब तहसीलदार, संगरिया
		रावतसर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रावतसर	तहसीलदार, रावतसर नायब तहसीलदार, रावतसर
		नोहर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नोहर	तहसीलदार, नोहर नायब तहसीलदार, नोहर
		भादरा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भादरा	तहसीलदार, भादरा नायब तहसीलदार, भादरा
		टिब्बी	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, टिब्बी	तहसीलदार, टिब्बी नायब तहसीलदार, टिब्बी
16.	जयपुर	कोटपूतली	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कोटपूतली	तहसीलदार, कोटपूतली
		विराटनगर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, विराटनगर	तहसीलदार, विराटनगर
		शाहपुरा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, शाहपुरा	तहसीलदार, शाहपुरा
		गोविन्दगढ	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चौमू	तहसीलदार, चौमू
		सांभर लेक	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सांभर	तहसीलदार, फुलेरा (मुख्यालय सांभर)
		दूदू	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, दूदू	तहसीलदार, दूदू
		झोटवाड़ा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर	तहसीलदार, जयपुर
		आमेर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, आमेर	तहसीलदार, आमेर
		जमवारामगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़	तहसीलदार, जमवारामगढ़
		बस्सी	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी	तहसीलदार, बस्सी
		सांगानेर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सांगानेर	तहसीलदार, सांगानेर
		चाकसू	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चाकसू	तहसीलदार, चाकसू
		फागी	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, फागी	तहसीलदार, फागी
		पावटा	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली	तहसीलदार, पावटा
		जालसू	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), आमेर मु0 जयपुर	नायब तहसीलदार, जालसू
17.	जैसलमेर	जैसलमेर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जैसलमेर	तहसीलदार, जैसलमेर नायब तहसीलदार, नोख
		सम मु. जैसलमेर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, फतेहगढ़	तहसीलदार, फतेहगढ़ एवं जैसलमेर
		सांकड़ा मु. पोकरण	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट उप खण्ड़ मजिस्ट्रेट, पोकरण	तहसीलदार, पोकरण एवं भनियाणा

18.	जालोर	आहोर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, आहोर	तहसीलदार, आहोर उपतहसीलदार, भाद्राजून
		जालौर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जालौर	तहसीलदार, जालौर एवं आहोर
		सायला	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सायला	तहसीलदार, सायला एवं जालोर
		भीनमाल	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भीनमाल	तहसीलदार, भीनमाल एवं बागोडा
		जसवन्तपुरा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जसवन्तपुरा	तहसीलदार, जसवन्तपुरा
		रानीवाडा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रानीवाडा	तहसीलदार, रानीवाड़ा
		सांचोर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सांचोर	तहसीलदार, सांचोर
		चितलवाना	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चितलवाना	तहसीलदार, चितलवाना
19.	झालावाड़	डग	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, गंगधार	तहसीलदार, गंगधार एवं डग
		झालरापाटन	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, झालावाड़	तहसीलदार, झालरापाटन एवं रायपुर
		खानपुर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, खानपुर	तहसीलदार, खानपुर
		मनोहरथाना	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मनोहरथाना	तहसीलदार, मनोहरथाना
		भवानीमण्डी	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भवानीमण्डी	तहसीलदार, पचपहाड़
		पिड़ावा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पिड़ावा	तहसीलदार, पिड़ावा एवं सुनेल
		अकलेरा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, अकलेरा	तहसीलदार, अकलेरा
		बकानी	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, असनावर	तहसीलदार, असनावर एवं बकानी
20.	झुन्झुनू	झुन्झुनू	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू	तहसीलदार, झुन्झुनू
		अलसीसर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मलसीसर	तहसीलदार, मलसीसर
		चिड़ावा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चिड़ावा	तहसीलदार, चिड़ावा
		सूरजगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सूरजगढ़	तहसीलदार, सूरजगढ़
		खेतड़ी	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, खेतड़ी	तहसीलदार, खेतड़ी
		उदयपुरवाटी	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी	तहसीलदार, उदयपुरवाटी
		नवलगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नवलगढ़	तहसीलदार, नवलगढ़
		बुहाना	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बुहाना	तहसीलदार, बुहाना
21.	जोधपुर	शेरगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड	तहसीलदार, शेरगढ

			मजिस्ट्रेट, शेरगढ	
		बालेसर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बालेसर	तहसीलदार, बालेसर
		फलौदी	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, फलौदी	तहसीलदार, फलौदी
		बाप	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बाप	तहसीलदार, बाप
		ओसियां	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, ओसियां	तहसीलदार, ओसियां
		भोपालगढ	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भोपालगढ़	तहसीलदार, भोपालगढ़
		बिलाड़ा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बिलाडा	तहसीलदार, बिलाडा
		मण्डोर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जोधपुर	तहसीलदार, जोधपुर
		लूणी	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, लूणी	तहसीलदार, लूणी
		बावड़ी	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बावड़ी	तहसीलदार, बावड़ी
		बापिणी	अति. जिला कलक्टर, फलौदी	तहसीलदार, बापणी
		पीपाड़ शहर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पीपाड़ शहर	तहसीलदार, पीपाड़ शहर
		देचु	अति. जिला कलक्टर, फलौदी	तहसीलदार, देचु
		लोहावट	अति. जिला कलक्टर, फलौदी	तहसीलदार, लोहावट
		सेखाला	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, शेरगढ़	तहसीलदार, बालेसर
		तिवंरी	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, ओसियां	तहसीलदार, तिवंरी
22.	करौली	टोडाभीम	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, टोडाभीम	तहसीलदार, टोडाभीम
		हिण्डौन	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, हिण्डौन	तहसीलदार, हिण्डौन
		करौली	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, करौली	तहसीलदार, करौली
		सपोटरा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सपोटरा	तहसीलदार, सपोटरा
		नादौती	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नादौती	तहसीलदार, नादौती
		मंडरायल	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मंडरायल	तहसीलदार, मंडरायल
23.	कोटा	लाडपुरा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा	तहसीलदार, लाड़पुरा
		सुल्तानपुर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद	तहसीलदार, दीगोद
		इटावा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, इटावा	तहसीलदार, पीपल्दा
		सांगोद	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सांगोद	तहसीलदार, सांगोद
		खैराबाद	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड	तहसीलदार, रामगंजमण्डी

			मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी	
24.	नागौर	लाडनूं	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, लाडनूं	तहसीलदार, लाडनूं
		डीडवाना	अति. जिला कलक्टर, डीडवाना	तहसीलदार, डीडवाना
		मौलासर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डीडवाना	उप तहसीलदार, मौलासर
		जायल	उप खण्ड अधिकारी एवं उ पखण्ड मजिस्ट्रेट, जायल	तहसीलदार, जायल
		नागौर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर	तहसीलदार, नागौर
		खींवसर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, खींवसर	तहसीलदार, खींवसर
		मेड़ता	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मेड़ता	तहसीलदार, मेड़ता
		डेगाना	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डेगाना	तहसीलदार, डेगाना
		मकराना	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मकराना	तहसीलदार, मकराना
		परबतसर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, परबतसर	तहसीलदार, परबतसर
		नावां	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नावां	तहसीलदार, नावां
		कुचामन सिटी	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कुचामन सिटी	तहसीलदार, कुचामन सिटी
		रियांबडी	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रियांबडी	तहसीलदार, रियांबडी
		मूण्डवा	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय),नागौर	तहसीलदार, मूण्डवा
25.	पाली	जैतारण	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जैतारण	तहसीलदार, जैतारण नायब तहसीलदार, जैतारण
		रायपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रायपुर	तहसीलदार, रायपुर नायब तहसीलदार, रायपुर
		सोजत	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	तहसीलदार, सोजत नायब तहसीलदार, सोजत
		मारवाड़ जंक्शन	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मारवाड़ जंक्शन	तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन नायब तहसीलदार मा.जं.
		रानी	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रानी	तहसीलदार, रानी नायब तहसीलदार, रानी
		देसूरी	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, देसूरी	तहसीलदार, देसूरी नायब तहसीलदार, देसूरी
		बाली	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बाली	तहसीलदार, बाली नायब तहसीलदार, बाली
		सुमेरपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर	तहसीलदार, सुमेरपुर नायब तहसीलदार, सुमेरपुर
		पाली	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पाली	तहसीलदार, पाली नायब तहसीलदार, पाली
		रोहट	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रोहट	तहसीलदार, रोहट नायब तहसीलदार, रोहट
26.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड	तहसीलदार, प्रतापगढ़

			मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़	
		अरनोद	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, अरनोद	तहसीलदार, अरनोद
		छोटीसादड़ी	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, छोटीसादड़ी	तहसीलदार, छोटीसादडी
		धरियावद	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, धरियावद	तहसीलदार, धरियावद
		पीपलखूंट	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पीपलखूंट	तहसीलदार, पीपलखूट
27.	राजसमन्द	राजसमंद	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द	तहसीलदार, राजसमन्द
		खमनोर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा	तहसीलदार, नाथद्वारा एवं खमनोर
		आमेट	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, आमेट	तहसीलदार, आमेट
		देवगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, देवगढ़	तहसीलदार, देवगढ़
		कुम्भलगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कुम्भलगढ़	तहसीलदार, कुम्भलगढ़ एवं गढ़बोर
		रेलमगरा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रेलमगरा	तहसीलदार, रेलमगरा
		भीम	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भीम	तहसीलदार, भीम
28.	सवाई माधोपुर	सवाईमाधोपुर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर	तहसीलदार, सवाई माधोपुर
		गंगापुर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, गंगापुर	तहसीलदार, गंगापुर एवं वजीरपुर
		बामनवास	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बामनवास	तहसीलदार, बामनवास नायब तहसीलदार, भांवरा
		बौंली	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बौंली	तहसीलदार, बौंली एवं मलारनाडूंगर
		खण्डार	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, खण्डार	तहसीलदार, खण्डार उप पंजीयक, सवाई माधोपुर
		चौथ का बरवाडा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चौथ का बरवाडा	तहसीलदार, चौथ का बरवाडा
29.	सीकर	फतेहपुर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, फतेहपुर	तहसीलदार, फतेहपुर
		लक्ष्मणगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़	तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़
		धोद	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, धोद	तहसीलदार, धोद
		पिपराली	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सीकर	तहसीलदार, सीकर
		दांतारामगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, दांतारामगढ़	तहसीलदार, दांतारामगढ़
		खण्डेला	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, खण्डेला	तहसीलदार, खण्डेला
		नीमकाथाना	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना	तहसीलदार, नीमकाथाना

		श्रीमाधोपुर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीमाधोपुर	तहसीलदार, श्रीमाधोपुर
		पाटन	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नीमकाथाना	तहसीलदार, पाटन
30.	सिरोही	सिरोही	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही	तहसीलदार, सिरोही नायब तहसीलदार, कालन्द्री
		शिवगंज	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, शिवगंज	तहसीलदार, शिवगंज नायब तहसीलदार, कैलाशनगर
		पिण्डवाडा	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पिण्डवाडा	तहसीलदार, पिण्डवाडा नायब तहसीलदार, भांवरी
		आबूरोड	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, आबूपर्वत	तहसीलदार, आबूरोड उप पंजीयक, आबूरोड
		रेवदर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रेवदर	तहसीलदार, रेवदर उप पंजीयक, मण्डार
31.	श्रीगंगानगर	सादुलशहर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजि. सादुलशहर	तहसीलदार, सादुलशहर एवं गंगानगर
		गंगानगर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजि. गंगानगर	तहसीलदार, गंगानगर उप पंजीयक, गंगानगर
		करणपुर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजि., करणपुर	तहसीलदार, करणपुर
		पदमपुर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजि., पदमपुर	तहसीलदार, पदमपुर
		सूरतगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजि., सूरतगढ़	तहसीलदार, सूरतगढ़ उप पंजीयक, सूरतगढ़
		रायसिंहनगर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजि., रायसिंहनगर	तहसीलदार, रायसिंहनगर
		अनूपगढ़	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजि., अनूपगढ़	तहसीलदार, अनूपगढ़ उप पंजीयक अनूपगढ़
		घड़साना	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजि., घड़साना	तहसीलदार, घड़साना, अनूपगढ़ एवं रावला
		विजयनगर	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उप खण्ड़ मजि., विजयनगर	तहसीलदार, विजयनगर
32.	टौंक	मालपुरा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मालपुरा	तहसीलदार, मालपुरा
		टोडारायसिंह	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, टोड़ारायसिंह	तहसीलदार, टोड़ारायसिंह
		देवली	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, देवली	तहसीलदार, देवली
		उनियारा मु. अलीगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, उनियारा	तहसीलदार, उनियारा़ मु0 अलीगढ़
		टोंक	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक	तहसीलदार, टोंक
		निवाई	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, निवाई	तहसीलदार, निवाई
33.	उदयपुर	गिर्वा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, गिर्वा	तहसीलदार, गिर्वा
		बडगांव	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बडगांव	तहसीलदार, बडगांव
		कुराबड	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड	तहसीलदार, गिर्वा

			मजिस्ट्रेट, गिर्वा	
		गोगुन्दा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, गोगुन्दा	तहसीलदार, गोगुन्दा
		सायरा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, गोगुन्दा	तहसीलदार, गोगुन्दा
		झाडोल	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, झाडोल	तहसीलदार, झाडोल
		फलासीया	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, झाडोल	तहसीलदार, झाडोल
		खेरवाडा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, खेरवाडा	तहसीलदार, खेरवाडा
		ऋषभदेव	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, ऋषभदेव	तहसीलदार, ऋषभदेव
		सलुम्बर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सलुम्बर	तहसीलदार, सलुम्बर
		झल्लारा	उप खण्ड अधिकरी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सलुम्बर	तहसीलदार, सलुम्बर
		लसाडिया	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, लसाडिया	तहसीलदार, लसाडिया
		सराडा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सराडा	तहसीलदार, सराडा
		सेमारी	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सराडा	तहसीलदार, सेमारी
		भीण्डर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट वल्लभनगर	तहसीलदार, वल्लभनगर
		मावली	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट मावली	तहसीलदार, मावली
		कोटडा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट कोटडा	तहसीलदार, कोटडा

आज्ञा से,

(चन्द्रशेखर मूथा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकःएफ.4(3)(1)पंचा/रानिआ/14/3336—3343 दिनांकः 01.10.2018

प्रतिलिपिः—

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, सचिव/उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), राजस्थान।
6. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी।
7. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान।
8. समस्त शाखायें, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
9. गार्ड फाईल।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकःएफ.4(3)(1)पंचा/रानिआ/14/5392 दिनांकः 25.11.2019

आदेश

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 119 की उप धारा 6 के उपबन्धों के अनुसरण में आयोग पूर्व आदेश क्रमांक एफ.4(3)(1)पंचा/रानिआ/14/3335 दिनांक 01.10.2018 में संशोधन करते हुये निम्न सारणी के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट राजस्थान राज्य के जिलो के लिए सारणी के स्तम्भ–3 में विनिर्दिष्ट पंचायत समिति क्षेत्र के लिये सारणी के स्तम्भ–4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को क्रमशः निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में पदाभिहित करता हैः–

सारणी

क्र. सं.	जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	अजमेर ग्रामीण	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुष्कर	तहसीलदार, अजमेर तहसीलदार, पुष्कर
2.	अलवर	मालाखेड़ा	तहसीलदार, मालाखेड़ा	नायब तहसीलदार, मालाखेड़ा
		गोविन्दगढ़	तहसीलदार, गोविन्दगढ़	नायब तहसीलदार, गोविन्दगढ़
3.	बांसवाड़ा	घाटोल	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, घाटोल	तहसीलदार, घाटोल तहसीलदार, गनोड़ा
		अरथूना	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गढ़ी	तहसीलदार, अरथूना
4.	बारां	मांगरोल	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मांगरोल	तहसीलदार, मांगरोल
5.	बाड़मेर	बाड़मेर ग्रामीण	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाड़मेर	तहसीलदार, बाड़मेर नायब तहसीलदार, बाड़मेर
		फागलिया	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सेड़वा	तहसीलदार, सेड़वा नायब तहसीलदार, सेड़वा
		आडेल	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गुड़ामलानी	तहसीलदार, गुड़ामालानी नायब तहसीलदार, गुड़ामालानी
		पायला कलां	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिणधरी	तहसीलदार, सिणधरी नायब तहसीलदार, सिणधरी
		बाड़मेर	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाड़मेर	तहसीलदार, बाड़मेर नायब तहसीलदार प्रथम, बाड़मेर
		बालोतरा	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बालोतरा	तहसीलदार, पचपदरा उप तहसीलदार, जसोल
		पाटोदी	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बालोतरा	तहसीलदार, पचपदरा उप तहसीलदार, पाटोदी
		धनाऊ	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चोहटन	तहसीलदार, धनाऊ नायब तहसीलदार, धनाऊ
6.	भरतपुर	भुसावर	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भुसावर	तहसीलदार, भुसावर नायब तहसीलदार, भुसावर
		उच्चैन	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रूपवास	तहसीलदार, उच्चैन नायब तहसीलदार, उच्चैन
7.	भीलवाड़ा	करेडा	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड	तहसीलदार, करेडा

			मजिस्ट्रेट, करेडा	
8.	बीकानेर	बज्जू खालसा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बज्जू	तहसीलदार, बज्जू
		पूगल	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पूगल	तहसीलदार, पूगल
		पांचू	सहायक कलक्टर (शहर), बीकानेर	उप पंजीयक, नोखा
9.	दौसा	बांदीकुई	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बांदीकुई	नायब तहसीलदार, बांदीकुई
		महवा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, महवा	तहसीलदार, महवा
				नायब तहसीलदार, महवा
				नायब तहसीलदार, मण्डावर
		सिकराय	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिकराय	नायब तहसीलदार, सिकराय
		दौसा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दौसा	तहसीलदार, दौसा
				नायब तहसीलदार, दौसा
				नायब तहसीलदार, सैंथल
		लालसोट	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लालसोट	तहसीलदार, लालसोट
				नायब तहसीलदार, लालसोट
		लवाण	तहसीलदार, लवाण	नायब तहसीलदार, लवाण
		रामगढ़ पचवारा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रामगढ़ पचवारा	तहसीलदार, रामगढ़ पचवारा
				नायब तहसीलदार, रामगढ़ पचवारा
		नांगल राजावतान	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नांगल राजावतान	तहसीलदार, नांगल राजावतान
				नायब तहसीलदार, नांगल राजावतान
		बसवा	तहसीलदार, बसवा	नायब तहसीलदार, बसवा
		बैजूपाड़ा	तहसीलदार, मण्डावर	नायब तहसीलदार, बैजूपाड़ा
				नायब तहसीलदार, बडियाल कलां
		सिकन्दरा	तहसीलदार, सिकराय	नायब तहसीलदार, सिकन्दरा
				नायब तहसीलदार, बहरावण्डा
10.	धौलपुर	सरमथुरा	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सरमथुरा	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सरमथुरा
11.	जयपुर	आंधी	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जमवारामगढ़	नायब तहसीलदार, आंधी
		तूंगा	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी	नायब तहसीलदार, तूंगा
		माधोराजपुरा	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, फागी	नायब तहसीलदार, माधोराजपुरा
		मौजमाबाद	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), दूदू	तहसीलदार, मौजमाबाद
		किशनगढ़–रेनवाल	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांभर	तहसीलदार, किशनगढ़–रेनवाल
		जोबनेर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दक्षिण जयपुर	नायब तहसीलदार, फुलेरा मु. सांभर
		जालसू	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड	नायब तहसीलदार, जालसू

			मजिस्ट्रेट, उत्तर जयपुर	
		सांगानेर	उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, द्वितीय सांगानेर	तहसीलदार, सांगानेर
12.	जैसलमेर	जैसलमेर	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जैसलमेर	तहसीलदार, जैसलमेर नायब तहसीलदार, जैसलमेर
		मोहनगढ़	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जैसलमेर	तहसीलदार, जैसलमेर नायब तहसीलदार, जैसलमेर
		नाचना	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पोकरण	तहसीलदार, पोकरण नायब तहसीलदार, नोख
		सम	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, फतेहगढ़	तहसीलदार, फतेहगढ़ तहसीलदार, जैसलमेर नायब तहसीलदार, सम
		फतेहगढ़	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, फतेहगढ़	तहसीलदार, फतेहगढ़ नायब तहसीलदार, फतेहगढ़
		सांकड़ा	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पोकरण	तहसीलदार, पोकरण नायब तहसीलदार, पोकरण
		भणियाणा	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, भणियाणा	तहसीलदार, भणियाणा नायब तहसीलदार, भणियाणा
13.	जालोर	सरनाऊ	सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), सांचोर	तहसीलदार, सांचोर तहसीलदार, रानीवाडा
14.	झुंझुनू	सिंघाना	तसीलदार, बुहाना	नायब तहसीलदार, सिंघाना
		बुहाना	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बुहाना	नायब तहसीलदार, बुहाना
15.	जोधपुर	धवा	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लूणी	तहसीलदार, लूणी
		घंटियाली	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाप	तहसीलदार, बाप
		चामू	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बालेसर	तहसीलदार, सेखाला
		आऊ	अतिरिक्त कलक्टर, फलौदी	तहसीलदार, बापिणी
		केरू	उप खण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जोधपुर	तहसीलदार, जोधपुर
16.	करौली	श्रीमहावीरजी	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हिण्डौन	तहसीलदार, हिण्डौन
		मासलपुर	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, करौली	तहसीलदार, मासलपुर
17.	प्रतापगढ़	सुहागपुरा	उपखण्ड अधिकारी, पीपलखूंट	तहसीलदार, पीपलखूंट
		दलोट	उपखण्ड अधिकारी, अरनोद	तहसीलदार, अरनोद
18.	राजसमंद	देलवाड़ा	उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा	तहसीलदार, नाथद्वारा नायब तहसीलदार, देलवाड़ा
19.	सवाई माधोपुर	मलारनाडूंगर	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मलारनाडूंगर	तहसीलदार, मलारनाडूंगर
20.	सीकर	पलसाना	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दांतारामगढ़	नायब तहसीलदार, पलसाना
		नेछवा	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़	नायब तहसीलदार, नेछवा
		अजीतगढ़	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीमाधोपुर	नायब तहसीलदार, अजीतगढ़

21.	टोंक	पीपलू	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीपलू	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पीपलू
22.	उदयपुर	नयागांव	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खेरवाडा	तहसीलदार, खेरवाडा
		वल्लभनगर	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर	तहसीलदार, वल्लभनगर
		भीण्डर	उपखण्ड़ अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर	तहसीलदार, भीण्डर

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः एफ.4(3)(1)पंचा/रानिआ/14/5393—99 दिनांकः 25.11.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, सचिव/उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
5. संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), राजस्थान।
6. संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी।
7. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

चुनाव / अत्यावश्यक
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) इन निर्देशों को अधीनस्थ अधिकारियों को भेजने से पूर्व स्वयं भी पढे।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकःएफ. 7(1)(2) / पंचा / रानिआ / 2019 / 4651 दिनांकः 04.11.2019

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत) (कलक्टर) राजस्थान।

विषयः— पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2020 — निर्वाचक नामावलियों की तैयारी हेतु कार्यक्रम एवं दिशा—निर्देश।

महोदय,

राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव माह जनवरी—फरवरी, 2020 में होने हैं। आम चुनावों से पूर्व मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18 एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अध्याय—3 के नियम 11 से 22 के अनुसार करवाया जाना है। उक्त प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम पंचायत के वार्ड, पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों तथा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की वार्ड / निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता सूचियॉ तैयार की जायेंगी। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 119 (5) के अंतर्गत निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के द्वारा तैयार, पुनरीक्षित, उपान्तरित, आदिनांकित और प्रकाशित की जाएगी। प्रत्येक पंचायत समिति के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों तथा उनकी सहायतार्थ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों की नियुक्ति आयोग के आदेश संख्या एफ. 4(3)(1) / पंचा / रानिआ / 14 / 3335 दिनांक 01.10.2018 **(परिशिष्ट—1)** से की जा चुकी है।

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 11 एवं 19(1) के अन्तर्गत आयोग द्वारा आगामी आम चुनावों हेतु मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण **अर्हता तिथि 01.01.2020** के संदर्भ में करवाया जाएगा। **यहां यह स्पष्ट करना भी समीचीन है कि पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव वर्ष 2020 में होने है, ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति दिनांक 01.01.2020 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें मताधिकार प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। इस हेतु मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् दावों व आपत्तियों की अवधि के दौरान ऐसे मतदाताओं को चिह्नित कर उनके नाम जोडने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किए जाए, जिनकी आयु दिनांक 01.01.2020 को 18 वर्ष हो रही है।**

मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण हेतु संदर्भ तिथि 01.01.2019 के आधार पर तैयार करवाई गई विधानसभा की मतदाता सूची, जिसका अंतिम प्रकाशन लोकसभा चुनाव, 2019 से पूर्व किया गया है, के डेटाबेस के आधार पर तैयार कराकर उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक रूप से सत्यापित निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन कर आगे की कार्यवाही संपादित की जाएगी।

धारा 18(1) के प्रावधानों के अनुसार निम्न तीन प्रकार की मतदाता सूचियां तैयार की जानी हैं:—

1. ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची।
2. पंचायत समिति के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची।
3. जिला परिषद के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची।

ग्राम पंचायत के वार्डवार तैयार की गई मतदाता सूची के आधार पर पंचायत समिति तथा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियां तैयार की जायेंगी। इसका तात्पर्य यह है कि **पंचायत समिति / जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम पंचायत के जो वार्ड आते हैं, उन सभी संबंधित ग्राम पंचायतों के वार्डो की मतदाता सूची को संकलित कर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची तैयार मान ली जावेगी।** अतः पंचायत समिति / जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पृथक से मतदाता सूचियों की तैयारी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उक्त मतदाता सूचियों का प्रकाशन पृथक—पृथक किया जाना है।

A- विधान सभा की मतदाता सूची के डेटाबेस के आधार पर पंचायत की वार्डवार फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया :–

1. आयोग स्तर पर नियुक्त स्टेट लेवल एजेन्सी (SLA) राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एडं इन्स्ट्रूमेंन्ट्स लिमिटेड **(रील) द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर (e-suchi), जो** url- esuchi.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, **के माध्यम से विधानसभा की अद्यतन मतदाता सूचियों** के डेटाबेस को ग्राम पंचायत के वार्डो के रूप में विभाजित किया जाएगा। इस विभाजन की प्रक्रिया के लिए **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से** कुछ सूचनाओं की आवश्यकता होगी। **उक्त सूचनाएं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रगणकों के माध्यम से तैयार करवाएगें।** इन सूचनाओं के संकलन के लिए **प्रपत्र ए–1 (परिशिष्ट–2) तैयार किया** गया हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र ए–1 की आवश्यकतानुसार फोटो प्रति काम में ली जा सकती हैं।

2. विधानसभा के भागों का ग्राम पंचायत के वार्डों में विभाजन करने के लिए प्रपत्र ए-1 को निम्नानुसार भरा जाना है :–
   - प्रपत्र में ऊपर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद एवं जिले का नाम लिखा जाएगा।
   - कॉलम नं. 1 क्रम संख्या से संबंधित है।
   - कॉलम नं. 2 में आपकी ग्राम पंचायत जिस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है, उस विधानसभा क्षेत्र की संख्या अंकित की जाएगी।
   - कॉलम नं. 3 में जिस ग्राम पंचायत से संबंधित यह प्रपत्र है, उससे संबंधित कॉलम संख्या 2 में अंकित विधानसभा क्षेत्र की भाग संख्या अंकित की जाएगी।
   - कॉलम नं. 4 एवं 5 में कॉलम नं 3 में अंकित विधानसभा भाग संख्या के मतदाताओं की क्रम संख्या (कहॉ से कहॉ तक) अंकित की जाऐगी। यह उस वार्ड के लिए होगा, जिसके लिए यह प्रपत्र भरा जा रहा है।
   - कॉलम नं. 6 में कॉलम नं. 4 एवं 5 में अंकित मतदाता ग्राम पंचायत के जिस वार्ड से संबंधित हैं, उस वार्ड की संख्या अंकित की जाएगी।
   - कॉलम नं. 7 में कॉलम नं. 4 एवं 5 के कुल मतदाताओं की गणना स्वतः ही हो जाएगी, जिसमें विलोपित मतदाताओं की संख्या सम्मिलित नहीं होगी।

3. विधानसभा डेटाबेस को पंचायत के वार्डवार विभक्त करने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 05.08.2019 से 08.08.2019 तक आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं प्रत्येक जिले से दो मास्टर ट्रेनर (Master Trainers) को भी प्रशिक्षित किया गया है। यदि जिले में विभक्तिकरण की प्रक्रिया में कोई कठिनाई महसूस होती है तो उसके निवारण के लिए मास्टर ट्रेनर (Master Trainer) की सेवाएं ली जा सकती है।

4. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूचनाओं के संकलन/डेटा विभाजन के लिए एवं मतदाता सूची संबंधी आगामी समस्त तैयारी हेतु प्रगणकों की सहायता ली जाएगी। आयोग के पत्रांक 3635/27.09.2019 के द्वारा दिनांक 04.10.2019 तक प्रगणकों की नियुक्ति किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे। निर्देशों की पालना में आप द्वारा प्रगणकों की नियुक्ति की जा चुकी होगी।

5. **नियुक्त किए गए प्रगणकों को विधानसभा निर्वाचक नामावली के डेटाबेस को विभक्त करने के लिए एक संक्षिप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था उनकी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् की जाए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ईआरओ कार्यालय के सूचना सहायक, ग्राम सचिव एवं पंचायत समिति के संबंधित कार्मिकों को भी सम्मिलित किया जाए ताकि परिसीमन से संबंधित किसी प्रकार का कोई संदेह हो तो उसमें उनकी सहायता ली जा सके।** प्रशिक्षण में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रगणकों को प्रपत्र ए–1 में सूचना तैयार करने एवं सूचना सहायकों को ई–सूची (e-suchi) पर उक्त सूचना को अपलोड करने की प्रक्रिया से भली–भांति अवगत कराया जाए।

6. प्रगणकों को समुचित रूप से प्रशिक्षित करने के बाद ही सूचना संकलन एवं डेटा विभाजन का वास्तविक कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिए। यह कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पंचायत समिति मुख्यालय पर ही सभी प्रगणकों को एक ही स्थान पर एकत्रित कर करवाया जाए ताकि यदि किसी विधानसभा की निर्वाचक नामावली के भाग में एक से अधिक वार्डो के मतदाता सम्मिलित हो तो प्रगणक उनके बारे में एक दूसरे को जानकारी देकर उन्हें ग्राम पंचायत के लिए अलग–अलग

वार्डो में विभाजित कर लें। **यह ध्यान रखा जाए कि पंचायत के किसी वार्ड में उसी वार्ड के मतदाता सम्मिलित रहें अन्य वार्डो के मतदाता नहीं।**

7. प्रपत्र ए–1 में सूचना संकलित/डेटा विभाजित करने की प्रक्रिया में प्रगणकों को विधानसभा की **दिनांक 01.01.2019 की** अर्हता तिथि के आधार पर तैयार अद्यतन मतदाता सूची, वार्डो का नवीनतम सीमाकंन (परिसीमन) के आदेश की प्रति तथा वार्ड के नक्शे की आवश्यकता रहेगी। उक्त समस्त दस्तावेज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रगणकों को उपलब्ध करवाएं जाएगें।

8. परिसीमन आदेश में जो सीमाएं अंकित हैं और उससे यह पता नहीं चले कि कौन–कौन सी बस्ती/कॉलोनी/मौहल्ला उस वार्ड में हैं तथा वार्ड के नक्शे में भी यह पूरी तरह अंकित नहीं हो तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत की वर्तमान मतदाता सूची को संदर्भ के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है, चूंकि 2019 में राज्य सरकार द्वारा नए सिरे से वार्डो का गठन/परिसीमन किया गया है, इसलिए संभव है कि पूर्व के वार्ड अब उसी रूप में नहीं रहें, किन्तु जिन पंचायतों में परिसीमन/पुनर्गठन नहीं हुआ है, वहां वर्तमान मतदाता सूची संबंधित वार्ड की सीमाओं एवं मतदाताओं की पहचान के लिए उपयोगी होगी। अतः इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इनका उपयोग समझदारी से किया जाए।

9. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखे कि पंचायत चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए **भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 01.01.2019 की अर्हता तिथि के संदर्भ में तैयार विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिसका अंतिम प्रकाशन लोक सभा आम चुनाव, 2019 के पूर्व किया गया है, का उपयोग किया जाए।**

10. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं प्रगणक सर्वप्रथम विधानसभा की मतदाता सूची के किस भाग में किस–किस वार्ड के मतदाता सम्मिलित हैं, ये पता लगाया जाए। साथ ही मौके पर जाकर वार्ड की सीमाओं के आधार पर उस वार्ड में सम्मिलित मतदाताओं का पता लगाया जाए। यदि इस कार्य में किसी तरह की कठिनाई महसूस हो तो सचिव ग्राम पंचायत व अन्य कर्मचारियों की सहायता ली जा सकेगी।

11. पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में आयोग द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश पत्रांक 1586 दिनांक 10.05.2019 के द्वारा जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के बिन्दु संख्या–3 के अनुसार एक मतदान बूथ पर सामान्यतः 1100 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए। पंचायत के एक वार्ड में औसतन 300–400 मतदाता होते है, अतः स्पष्ट है कि एक बूथ पर एक से अधिक वार्डो के मतदाता मत डाल सकते है। इसलिए यह ध्यान रखा जाए कि चूंकि पंचायत चुनाव में वार्ड ही निर्वाचन क्षेत्र होता है, अतः पूरा–पूरा वार्ड एक ही बूथ पर रहेगा, अर्थात् एक वार्ड को पृथक–पृथक बूथों में विभाजित नहीं किया जाएगा। इससे यदि किसी मतदान केन्द्र पर 1100 से कुछ अधिक मतदाता हो जाते हैं, तो उस पर विचार नहीं किया जाए।

12. मतदाता सूची में मतदान बूथ का क्रमांक अंकित किया जाता है। उक्त आदेश दिनांक 10.05.2019 के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार मतदान बूथों की क्रम संख्या पंचायत समितिवार आवंटित की जाएगी। अतः मतदान बूथ की क्रम संख्या आवंटित करते समय यह ध्यान रखा जाऐ कि यह क्रम संख्या 1 से शुरू होकर पूरे पंचायत समिति क्षेत्र के लिए लगातार होगी। जैसा कि उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 6 में उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।

13. प्रपत्र ए–1 को तैयार करने से लेकर प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने तक की तिथियां निम्नानुसार रहेंगीः–

क.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	प्रपत्र ए–1 को तैयार करने की अंतिम तिथि	18.11.2019
2.	प्रपत्र ए–1 को ई–सूची पर अपलोड करने की अंतिम तिथि	21.11.2019
3.	प्रपत्र ए–1 को ई–सूची पर Process करने की अंतिम तिथि	23.11.2019
4.	चैकलिस्ट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	26.11.2019
5.	चैकलिस्ट को Verify करने की अंतिम तिथि	30.11.2019
6.	संशोधित प्रपत्र–1 को तैयार/अपलोड करने की अंतिम तिथि (यदि आवश्यक हुआ तो)	31.11.2019
7.	संशोधित प्रपत्र–1 को Process करने की अंतिम तिथि	

8.	प्रपत्र ए–1 को Freez करने की अंतिम तिथि	
9.	प्रारूप मतदाता सूची को डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	03.12.2019

14. प्रगणकों द्वारा प्रपत्र ए–1 दिनांक 18.11.2019 तक तैयार करवाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी स्वयं की देख–रेख में ई–सूची (**URL https://www.esuchi.rajasthan.gov.in) पर Excel Sheet (.CSV format) में दिनांक 21.11.2019 तक अपलोड करवाएगें।** उक्त लिंक पर सूचनाओं को अपलोड करने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को आवंटित यूजरनेम (Username) एवं पासवर्ड (Password) का उपयोग किया जाएगा। स्टेट लेवल एजेन्सी रील द्वारा प्रपत्र–ए–1 की सूचनाओं को अपलोड करने संबंधी प्रक्रिया हेतु तैयार किए निर्देश **परिशिष्ट–3** पर उपलब्ध है।

15. उक्त सूचनाओं के अपलोड करने के पश्चात् पंचायत की वार्डवार फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से यह जांच भी कर ली जावें कि **मतदाता सूची के मुख्य पृष्ठ पर अंकित वार्ड के परिसीमन का विवरण सही है, इसमें अन्य वार्डो का कोई स्थान सम्मिलित नहीं हैं एवं इस वार्ड का कोई भी स्थान छूटा नहीं है।** यदि किसी स्थान का सम्मिलित नहीं होना अथवा छूटा होना पाया जाता है तो सॉफ्टवयेर ई–सूची में यह सुविधा है कि आप अपने स्तर पर इसमें संशोधन कर सकते है।

16. उक्तानुसार तैयार मतदाता सूची (Check List) का **प्रिंट लेकर संबंधित प्रगणकों** द्वारा मौके पर जाकर प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया जाएगा एवं यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाता सूची वार्ड के परिसीमन के अनुसार ही है। **भौतिक सत्यापन का कार्य दिनांक 30.11.2019 तक पूर्ण कर लिया जाए।** यदि भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि विधानसभा की मतदाता सूची में अंकित किसी मतदाता का नाम पंचायत के संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में नहीं है अथवा किसी अन्य वार्ड के मतदाताओं का नाम सम्मिलित हो गया हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपके द्वारा तैयार किया गया प्रपत्र ए–1 त्रुटिपूर्ण है। अतः ऐसी त्रुटियों को शुद्व करने के लिए संबंधित वार्ड के लिए **संशोधित प्रपत्र ए–1 तैयार कर पुनः ई–सूची (e-suchi) पर सूचना अपलोड कर** संशोधित प्रारूप मतदाता सूची तैयार कर लेवें। संशोधित प्रपत्र ए–1 तैयार कर अपलोड करने, प्रासेस कर Freez करने एवं प्रारूप मतदाता सूची को डाउनलोड करने हेतु तिथियां पैरा 13 के अनुसार रहेंगी। ये सभी कार्य दिनांक 03.12.2019 तक आवश्यक रूप से पूर्ण किए जाने हैं, ताकि दिनांक 04.12.2019 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जा सके।

17. भौतिक सत्यापन के दौरान यदि ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं जिनका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है तो प्रगणकों द्वारा ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार कर मौके पर ही उनको **मतदाता सूची में नाम जुडवाने के लिए प्रेरित किया जाए।** दावों व आपत्तियों के समय यदि उन व्यक्तियों द्वारा नाम जुडवाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनके भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं रहेगी।

18. उक्त कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जाएगा। पर्यवेक्षण में अन्य कार्यों के अतिरिक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रगणक द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के कार्य का कम से कम क्रमशः **5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत नमूना जांच (Sample Testing)** की जाएगी।

19. मतदाता सूचियों के भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण होने के बाद संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा **परिशिष्ट–4** पर उपलब्ध प्रारूप में एक प्रमाण पत्र **जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर सहित** आयोग को **दिनांक 04.12.2019 तक** आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाएगा।

B. मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन एवं इसके बाद की तिथियां निम्नानुसार रहेगीः—

— :: निर्वाचक नामावली हेतु पुनरीक्षण कार्यक्रम :: —

क्र.सं.	कार्य विवरण	अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	04.12.2019 (बुधवार) को
2.	निर्वाचक नामावलियों का वार्डों / मतदान केन्द्रों पर पठन	07.12.2019 को
3.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	13.12.2019 (शुक्रवार) को
4.	विशेष अभियान की तिथियॉं	07.12.2019 एवं 08.12.2019
5.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि	20.12.2019 (शुक्रवार) तक
6.	पूरक सूचियों की तैयारी	29.12.2019 (रविवार) तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	03.01.2020 (शुक्रवार) को

C. सामान्य निर्देश :—

1. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा—18(2) के प्रावधानों के अनुसार उस व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सकता है, जिसने अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा जो संबंधित वार्ड का सामान्य तौर पर निवासी हो। सामान्य तौर पर निवासी के संबंध में स्पष्टीकरण अधिनियम की धारा—18(2) में दिये हुये हैं। निर्वाचक नामावलियों को दिनांक 01.01.2020 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार किया जाना है। अतः जिस व्यक्ति की आयु दिनांक 01.01.2020 को 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई हो, वह व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने का पात्र नहीं होगा।

2. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18(5) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का नाम पंचायती राज संस्थाओं में किसी एक से अधिक वार्ड की निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं किया जा सकता है तथा धारा 18(6) के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार सम्मिलित नहीं हो सकता है। यह सम्भव है कि पंचायत क्षेत्र से **संबंधित विधानसभा** निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति का नाम त्रुटिवश एक से अधिक बार सम्मिलित हो गया हो। ऐसे व्यक्ति का नाम उसी एक स्थान पर रहने दिया जावे, जहां के लिए वह पात्र है, तथा शेष स्थानों से उसका नाम काट दिया जाए। **किसी ऐसे व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित नहीं किया जाए, जो भारतीय नागरिक नहीं है।**

3. किन्नर (Transgender) एवं लिंग रूपान्तरक (Sex Changer) मतदाता अपने आप को स्त्री अथवा पुरूष के रूप में प्रकट नहीं करना चाहें तो वे अपना लिंग 'थर्ड जेंडर' के रूप में वर्णित कर सकते हैं। उक्त प्रकार के मतदाताओं द्वारा चाहे जाने पर उनके लिंग के कॉलम में 'थर्ड जेंडर' अंकित किया जाए।

4. प्रारूप मतदाता सूचियों में मतदान केन्द्र / बूथ के विवरण का भी अंकन किया जाता है, अतः प्रारूप मतदाता सूचियों के तैयार होने से पूर्व ही मतदान केन्द्र / बूथों का भी निर्धारण कर लिये जाये। मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में **आयोग ने परिपत्र संख्या एफ 7(3)(1)पंचा / रानिआ / 13 / 1586 दिनांक 10.05.2019 से मापदण्ड निर्धारित कर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रेषित कर दिए गए हैं।** नियम 30 के परन्तुक के अनुसार मतदान केन्द्र के लिए चयनित स्थान सामान्यतः उस पंचायत मुख्यालय के बाहर का स्थान नहीं होगा, जिसके लिए निर्वाचन कराया जाना है। अतः मतदान बूथों के चयन के समय यह ध्यान रखा जाए कि मतदान बूथ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही हो। मतदान केन्द्रों / बूथों का विवरण निर्धारित प्रपत्र में मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के तुरन्त पश्चात् आयोग को आवश्यक रूप से प्रेषित किया जावे।

5. राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 12 के अनुसार मुद्रित सूचियों से तीन प्रकार की मतदाता सूचियों का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशन अलग—अलग किया जायेगा। सूची के साथ प्रकाशित होने वाला नोटिस (**परिशिष्ट—5**) संलग्न है। ग्राम पंचायतों के वार्डों की मतदाता सूची का प्रकाशन, पंचायत कार्यालय तथा संबंधित वार्ड में 2 सहज दृश्य स्थानों पर किया जायेगा। पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का प्रकाशन, पंचायत समिति कार्यालय तथा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में 2 सहज दृश्य स्थानों पर किया जायेगा। इसी प्रकार जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों

की मतदाता सूची का प्रकाशन, जिला परिषद कार्यालय तथा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में 2 सहज दृश्य स्थानों पर किया जायेगा।

6. निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत यह भी प्रावधान है कि मतदाता सूची निःशुल्क निरीक्षणार्थ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कार्यालय में भी उपलब्ध कराई जावे। अतः दावे/आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि पर्यन्त मतदाता सूची निरीक्षणार्थ उक्त कार्यालयों में रखी जावे।

7. दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 से 13 दिसम्बर, 2019 तक दावे व आपत्तियॉ प्रस्तुत करने की अवधि निर्धारित है। दावे व आपत्तियॉ प्ररूप I, II & III में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उक्त अवधि में प्रस्तुत किए जाने हैं। मतदान केन्द्रों के लिये पदाभिहित अधिकारियों की नियुक्ति भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से मतदान केन्द्रों पर उक्त अवधि में दावे और आपत्तियॉ प्राप्त कर सकेंगे। प्रगणकों को भी पदाभिहित अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

8. प्रारूप मतदाता सूची की प्रति सभी पदाभिहित अधिकारियों को उपलब्ध करवाकर 07.12.2019 को जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत के वार्डो में सभायें आयोजित कर संबंधित वार्ड की निर्वाचक नामावलियों का पठन किया जायेगा। मतदाता सूची निरीक्षण के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगी, ताकि मतदाता इन निर्वाचक नामावलियों का अवलोकन कर या सुनकर नामावली की किसी प्रविष्टि के विवरण के संबंध में यदि कोई दावा/आपत्ति है, तो मतदान केन्दों पर विशेष अभियान तिथियों में अथवा 04 दिसम्बर, 2019 से 13 दिसम्बर, 2019 के तक किसी भी दिवस में आवेदन पत्र भरकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहीत अधिकारियों को या सीधे ही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में दे सकें। अतः यह सुनिश्चित करलें कि अभियान तिथियों को पदाभिहित अधिकारियों के पास पर्याप्त मात्रा में प्ररूप I, II & III उपलब्ध रहें। आवेदन पत्र निःशुल्क उपलब्ध करवाये जायेंगे। पठन–पाठन के उक्त कार्यक्रम में पंचायतों के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी भी आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे व क्षेत्र के लोगों को कार्यक्रम की जानकारी देंगे।

9. मतदान केन्द्रों पर दावे व आपत्तियॉ प्रस्तुत करने के लिए विशेष अभियान तिथियॉ दिनांक 07.12.2019 एवं 08.12.2019 निर्धारित की गई है। **इन दिनों पदाभिहित अधिकारी पूरे दिवस को प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक अपने–अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर दावे आपत्तियों के आवेदन प्राप्त करेंगे। शेष दिनों में आधा दिवस मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक उपस्थित रहेंगे।**

10. नियम 12(2) के अनुसार दावे व आपत्तियां प्रस्तुत करने का समय 10 दिन निर्धारित है और इन्हें प्ररूप I, II & III में प्रस्तुत किया जावेगा। दावे व आपत्तियां डाक द्वारा भी भेजी जा सकती हैं। यह प्रारूप राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 में विहित है। प्राप्त दावों व आपत्तियों की गहन जांच की जाकर उनका निस्तारण किया जायेगा। **दावों व आपत्ति हेतु मतदाताओं को समुचित मात्रा में प्ररूप निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जावे। यदि मुद्रित प्ररूप उपलब्ध नहीं हो तो फोटोप्रति अथवा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र उसी पेशानी में स्वीकार किये जा सकेंगे।**

11. प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का विवरण संलग्न प्रपत्र–3, 4, और 5 (**परिशिष्ट–6, 7 एवं 8**) में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दो प्रतियों में प्रतिदिन तैयार किया जाएगा तथा उसकी प्रति कार्यालय के सूचना पट्ट पर तीन दिन तक प्रदर्शित की जावेगी।

12. दावे व आपत्तियां सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भी प्राप्त की जा सकती हैं। इस प्रकार प्राप्त दावे व आपत्तियों के बारे में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी उपरोक्त प्रपत्रों में सूचना, 2 प्रतियों में तैयार करवाकर एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा। इन प्रपत्रों में सुनवाई की तारीख समय और स्थान वही अंकित किया जावेगा जो कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निश्चित किया गया है। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्राप्त दावे व आपत्तियों को उचित टिप्पणी के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास उसी दिन भेजेगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस प्रकार प्राप्त प्रकरणों की भी नोटिस बोर्ड पर निर्धारित प्रपत्र 3, 4 व 5 में सूची तैयार कर प्रदर्शित करेगा।

13. दावों व आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम–14 में बतायी गयी है। इसके अलावा नियम–15 व नियम–16 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को स्वविवेक से कार्य करने की प्रक्रिया भी बतायी गयी है। साथ ही किसी मतदाता के

संबंध में आपको सूचना प्राप्त होती है कि, उसकी मृत्यु हो गई है अथवा उसके द्वारा उस वार्ड में अपना निवास स्थान छोड़ दिया गया है तो उक्त मतदाता का नाम, संदर्भित नियमों का पालन करते हुए, विलोपन सूची में अंकित कर दिया जाएगा। मृत मतदाताओं को चिह्नित करने के लिए पंचायत कार्यालय में उपलब्ध जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर से मृत व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रगणकों को भी निर्देश प्रदान किए जाएं कि वे भौतिक सत्यापन के दौरान मृत मतदाताओं की भी पहचान कर लेवें।

14. यदि किन्हीं दो या अधिक मतदाताओं के नाम व अन्य विवरण की समरूपता के आधार पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि दोनों प्रविष्टि एक ही व्यक्ति से संबंधित है तो वह प्रारूप प्रकाशन के बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्वविवेक का उपयोग कर उक्त मतदाता का नाम एक स्थान पर, जहां के लिए वह पात्र हैं, रखते हुए शेष स्थानों से विलोपित किए जाने के लिए नियमानुसार कार्यवाही करेगा।

15. दावों व आपत्तियों के निस्तारण एवं स्वविवेक से नाम जोड़े या हटाये जाने संबंधी प्रकरणों को निर्णित करने के पश्चात् ई–सूची पर प्रविष्टियों की फीडिंग कर वार्डवार फोटोयुक्त पूरक सूची तैयार की जायेगी। अंतिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावली का लेजर प्रिंट (Hardcopy) लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा नियम–17 के प्रावधानों के अनुसार संलग्न प्रारूप (**परिशिष्ट–9**) में निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जावेगा।

16. **आयोग द्वारा इस बार नाम जोडने, हटाने एवं संशोधित किए जाने हेतु दावे व आपत्तियां ऑनलाईन भी प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गई है।** आवेदकों द्वारा भरे गए ऑनलाईन दावें व आपत्तियां प्राप्त करने एवं उनके निस्तारण की प्रक्रिया से समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को आयोग द्वारा **दिनांक 05.08.2019 से 08.08.2019 को आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम** में अवगत करा दिया गया था। ई–सूची ऑपरेशन मैन्युअल में भी ऑनलाईन दावें व आपत्तियां प्राप्त करने एवं उनके निस्तारण की प्रक्रिया बिन्दुवार अंकित की गई है। उक्त **ऑपरेशन मैन्युअल ई–सूची पर डाउनलोड सैक्शन में भी उपलब्ध है।**

17. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के लिए आयोग की वेबसाईट www.sec.rajasthan.gov.in पर होम पेज पर उपलब्ध विकल्प Important Link में चौथे नम्बर पर उपलब्ध विकल्प Online Claim & Objection का चयन करना है। इस विकल्प के चयन के बाद तीन विकल्प (Addition, Deletion and Updation) दर्शित होगें। आवेदक अपनी आवश्यकतानुसार विकल्प का चयन करेगा। विकल्प के चयन के पश्चात् चयन किए गए विकल्प से संबंधित सूचनाएं भरने एवं वांछित दस्तावेजों के अपलोड करने के पश्चात् भरी गई सूचना को 'Save' करना होगा। सूचनाएं 'Save' करने के पश्चात् आवेदक को स्क्रीन पर निम्नानुसार एक संदेश दिखाई देगा :–

> "संबंधित बीएलओ (प्रगणक) सत्यापन और हस्ताक्षर के लिए जल्द ही आपसे संपर्क करेगा ऑनलाईन अवेदन केवल तभी मान्य होगा जब आप सत्यापन के दौरान ऑनलाईन आवेदन पर हस्ताक्षर करेगें"

इस संदेश के नीचे 'Submit' का विकल्प उपलब्ध होगा। आवेदक जैसे ही 'Submit' के विकल्प पर क्लिक करेगा, उसका आवेदन पत्र संबंधित ईआरओ के पास चला जाएगा, जो उसे Claim & Objection सेक्शन के अंतिम विकल्प 'On line Form' में नजर आएगा।

ऑनलाईन प्राप्त होने वाले दावों व आपत्तियों के प्रिंट लेने हेतु ई–सूची पर उपलब्ध 'Download' सेक्शन में 'e-suchi PDF Factory' विकल्प के चयन करने के बाद दर्शित होने वाले तीन विकल्पों में से तीसरे विकल्प 'Download on line form for PRI' का चयन करने के बाद वांछित आवेदन को डाउनलोड करके उनका प्रिंट लिया जा सकता है।

उक्तानुसार आवेदनों का प्रिंट लेने के पश्चात् संबंधित प्रगणक द्वारा उसका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन के दौरान आवेदन पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर अंकित कराने के बाद प्रगणक द्वारा अपनी टिप्पणी सहित आवेदन पत्र ईआरओ कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएगें। इस प्रकार प्रगणक से प्राप्त दावों व आपत्तियों को ईआरओ द्वारा जांच कर स्वीकृत/अस्वीकृत किया जा सकेगा। ऐसे आवेदनों को ऑफ लाईन प्राप्त आवेदनों के अनुसार ही रिकार्ड में रखा जाएगा। ऑनलाईन प्राप्त होने वाले आवेदनों को स्वीकार किए जाने की स्थिति में ऐसे मतदाताओं के नाम जोडने/हटाने एवं संशोधन किए जाने हेतु पिंक पेड के माध्यम से प्रविष्टि किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

ऑनलाईन प्राप्त होने वाले प्रकरणों का भौतिक सत्यापन एवं प्रगणक की टिप्पणी सहित प्राप्त आवेदन पर ईआरओ द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने के पश्चात् इनका निस्तारण ई–सूची के माध्यम से ऑन लाईन ही किया जाना है। इस हेतु ई–सूची पर प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

1. ई–सूची पर लॉगिन करने के पश्चात् 'Claim & Objection' सेक्शन के अंतिम विकल्प 'On line Form' के विकल्प का चयन करने पर स्क्रीन पर एक Window खुलेगी।
2. इस Window में वार्ड संख्या के चयन करने बाद वार्ड संख्या के नीचे तीन विकल्प 'Application for claim for Addition', 'Application for Objection-Delete' एवं 'Application for Detail correction Updation' दिखाई देगें। इन विकल्पों के सामने ही Pending, Accept एवं Reject किए गए आवेदनों की संख्या भी दिखाई देगी।
3. इसके नीचे इस window में ईआरओ को प्राप्त समस्त आवेदनों की सूची अंकित होगी। इस सूची के कॉलम संख्या–7 में आवेदनों के Status में 'Pending' लिखा हुआ Dropdown दिखाई देगा।
4. Dropdown को click करने पर 'Approve' एवं 'Reject' का विकल्प आएगा। 'Approve' विकल्प का चयन करने पर निर्वाचक नामावली में नाम स्वतः ही जुड/हट/संशोधित हो जाएगा अथवा 'Reject' विकल्प का चयन करने पर दावा खारिज हो जाएगा।
5. इस प्रकार ऑनलाईन प्राप्त होने वाले दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

18. आवेदक द्वारा नाम जोडने/हटाने एवं संशोधित किए जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रदान की गई उक्त सुविधा का स्थानीय स्तर पर पूर्ण एवं पर्याप्त प्रचार–प्रसार किए जाए ताकि मतदाता उक्त सुविधा का उपयोग कर सके।

19. निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् संबंधित रिकार्ड अर्थात प्रारूप निर्वाचक नामावलियां, दावों/आपत्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उन पर दिया गया निर्णय और अंतिम रूप से तैयार की गई निर्वाचक नामावलियों की प्रमाणित प्रति संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा नियम–22 के प्रावधानों के अनुसार उसके कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।

20. नियम 22 (2) के प्रावधानों के अनुसार किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र की नामावली की एक पूर्ण प्रति, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित हो, जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में भी उस नामावली का अगला गहन पुनरीक्षण पूरा होने तक रखी जावेगी।

21. मतदाताओं के वार्डवार आंकड़े निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के कार्यालय में एक पत्रावली/रजिस्टर खोलकर उसमें संधारित किए जाएगें। इस पत्रावली/रजिस्टर में मतदाताओं की कुल संख्या (स्त्री/पुरूष एवं अन्य), प्राप्त दावों एवं आपत्तियों के विवरण, दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण में स्वीकृत/अस्वीकृत किए गए प्रकरणों की संख्या, स्वविवेक से जोडे/हटाए गए मतदाताओं की संख्या (स्त्री/पुरूष एवं अन्य), अंकित की जाकर मय गोश्वारे के संकलित किये जायेंगे।

22. निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के पश्चात उक्त पत्रावली/रजिस्टर में संकलित आकड़ों के आधार पर सांख्यिकी सूचना के <u>स्टेटमेंट संख्या–1</u> <u>(परिशिष्ट–10)</u> में सूचना तैयार करवाकर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी। इन आंकड़ों से यह पता चलेगा कि, हाल में हुई लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची की तुलना में मतदाताओं में कितनी वृद्धि और कमी हुई हैं। असाधारण (Unusal) परिवर्तन की जांच जिला निर्वाचन अधिकारी व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी स्वयं भी करें ताकि मतदाता सूची में कोई गलती ना रहें। यह सुनिश्चित किया जाए कि, मतदाता सूची में पात्र व्यक्ति का नाम जुड़ने से रह नहीं जाए व अपात्र का नाम जुडा/सम्मिलित नहीं रहे।

23. मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के समय भी त्रुटियॉं रह जाने की संभावना रहती है। जिला निर्वाचन अधिकारी यह व्यापक प्रचार–प्रसार करवायें कि, **यदि अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों में किन्ही पात्र व्यक्तियों के नाम रह गये हों या गलत शामिल हो गये हों या कोई अशुद्धि रह गयी हो तो, उसका उपचार नियमों में विहित प्ररूप I या II या III में आवेदन पत्र/आपत्तियॉं प्रस्तुत कर किया जा सकता है।** इस संबंध में प्रक्रिया नियम 20 में बतायी गई है। अंतिम प्रकाशित

मतदाता सूचियों के निरंतर अद्यतन (Continuous updation) हेतु नियम 20 में पर्याप्त प्रावधान हैं। नियम 20 के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्वविवेक से या प्रार्थना पत्र के आधार पर नाम जोड़ने/हटाने/अंतरण करने की कार्यवाही एक विहित प्रक्रिया के अधीन की जा सकती है। नियम 20 के अंतर्गत निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया में नाम जोड़ने, हटाने, अंतरण करने या शुद्ध करने की कार्यवाही पंचायत चुनावों के लिए नियम 23 या 58 के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने की तिथि तक की जा सकती हैं। **चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथि से मतदान समाप्ति तक मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस प्रकार जोड़े गये, हटाये गये या शुद्ध किये गये नामों की सूची पूरक–2 के नाम से बनायी जायेगी।**

24. राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1994 के नियम 17(3) के क्रम में निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन तथा अंतिम प्रकाशन के समय नामावलियों का एक–एक सैट हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

25. कार्यक्रम का विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान की तिथियों व कार्यक्रम को समाचार पत्रों में समाचारों के माध्यम से तथा इस आशय की सूचना हेतु पम्फलेट वितरित करवाकर प्रचार/प्रसार किया जाए। इसके अतिरिक्त विद्यालयों के प्रार्थना सभाओं में विद्यार्थियों को कार्यक्रम की तिथियों सहित पूर्ण जानकारी देने हेतु शाला प्रधानों को निर्देशित किया जाए ताकि विद्यार्थी अपने परिवारजनों को अवगत करा सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अपने–अपने स्तर पर राजनैतिक दलों/स्वयं सेवी संस्थाओं की बैठक आयोजित कर उन्हें मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण के कार्य से जोड़ें ताकि सभी योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकें।

26. निर्वाचन को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए मतदाता सूचियों का शुद्ध एवं अद्यतन होना आवश्यक है। प्रत्येक योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में सही विवरण के साथ अंकित हो। इसका दायित्व प्रगणक से शुरू होकर जिला निर्वाचन अधिकारी तक का है। इस हेतु मतदाता सूची के तैयारी के हर स्तर पर पूर्ण सावधानी एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के यह निर्देश हैं कि, **जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के स्तर से मतदाता सूचियों का निकटता एवं गहनता से पर्यवेक्षण किया जाए।**

27. निर्वाचनों के समय मतदाता सूची में नाम नहीं होने, यहां तक कि कहीं–कहीं महत्वपूर्ण व्यक्तियों (VIP) के नाम तथा एक बड़े क्षेत्र यथा मौहल्ला, गली के मतदाताओं के नाम गायब हो जाने की शिकायतें मिलती हैं। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद बहुतायत में मतदाताओं द्वारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कुछ समय पूर्व हुई विधानसभा व लोकसभा चुनावों हेतु किया गया होता है। इसके लिए मतदाता सूची तैयार करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया से विभिन्न स्तर पर अपने दायित्वों का सजगता से निर्वहन करने एवं उचित पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए।

28. मतदाता सूची तैयारी, प्रारूप प्रकाशन व अंतिम प्रकाशन में स्टेशनरी व आवश्यक सामग्री क्रय हेतु प्रारंभिक बजट का आवंटन यथा समय कर दिया जाएगा।

निर्वाचक नामावली तैयार करने की उक्त प्रक्रिया में यदि किसी तरह की कोई कठिनाई महसूस होती है तो उसके निराकरण के लिए आयोग कार्यालय एवं SLA के निम्नलिखित कार्मिकों/प्रतिनिधियों से सम्पर्क किया जा सकता है:–

क्र. सं.	नाम एवं पद	मोबाईल नम्बर	विशेष विवरण
1.	श्री अशोक कुमार जैन, उप सचिव, SEC	9414046720, 9829413131	निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए
2.	श्री संजय खण्डेलवाल, वरिष्ठ सहायक, SEC	9636121562, 8005926047	
3.	श्रीमती अनिता भोला, प्रोग्रामर, SEC	7976326853, 9460727078	विधानसभा डेटाबेस के विभाजन एवं सॉफ्टवेयर संचालन संबंधी प्रक्रिया के लिए
4.	श्री एल. एल. सुथार, प्रतिनिधि SLA	7727011733	
5.	श्री ललित बंसल, प्रतिनिधि SLA	9784016187	
6.	श्री सुरेन्द्र सिंह, प्रतिनिधि SLA	7339839007	
7.	श्री हिमांशु चौधरी, SLA	7014758543	

निर्वाचक नामावली के कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां – एक नजर में

क्र. सं.	कार्य / गतिविधि का विवरण	निर्धारित तिथि
1.	निर्वाचक नामावली के गहन पुनरीक्षण हेतु अर्हता तिथि	01.01.2020
2.	प्रपत्र ए–1 तैयार करने की अंतिम तिथि	18.11.2019
3.	प्रपत्र ए–1 e-suchi पर अपलोड किए जाने की अंतिम तिथि	21.11.2019
4.	प्रपत्र ए–1 को e-suchi पर Process किए जाने की अंतिम तिथि	23.11.2019
5.	चैकलिस्ट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	26.11.2019
6.	मतदाताओं के भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि	30.11.2019
7.	प्रारूप मतदाता सूची के सही होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रेषित करने की तिथि	04.12.2019
8.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन की तिथि	04.12.2019
9.	निर्वाचक नामावलियों का वार्ड़ों / मतदान केन्द्रों पर पठन हेतु तिथि	07.12.2019
10.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	13.12.2019
11.	विशेष अभियान की तिथियॉ	07 एवं 08 दिसम्बर, 19
12.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अंतिम तिथि	20.12.2019
13.	पूरक सूचियों की तैयारी	29.12.2019
14.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन की तिथि	03.01.2020

निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के विधिक प्रावधानों एवं आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

आयोग समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों से अपेक्षा करता है कि, अपने कार्य को उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार समय पर सम्पन्न करेंगे। मतदाता सूचियों में नाम छूटने या गलत नाम जुडने की व्यापक शिकायतें प्राप्त होती हैं तो आयोग राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18–बी के अन्तर्गत संबंधित दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु बाध्य होगा। इस धारा के प्रावधान को जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के ध्यान में लाए।

संलग्नः उपरोक्तानुसार परिशिष्ट 1 से 10

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः एफ 7(1)(2)पंचा / रानिआ / 2019 / 4652–60 दिनांकः 04.11.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राज., जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
5. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को आमजन में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
6. उप सचिव / सहायक सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
7. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
8. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ...।
9. उप प्रबंधक, REIL जयपुर।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

परिशिष्ट – 1

क्रम संख्या 2 (पृष्ठ संख्या 6–18) पर उपलब्ध है।

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

Draft Electoral Roll Control Chart

Name of Gram Panchayat:

Name of Panchayat Samiti:

Name of Zila Parishad:

FORMAT - A1

Please use this temaplate to create electoral rolls. Please enter values in english. Please do not change or make copies of this template. Please start filling the template from Sr. No. 1

version 1.2

1	2	3	4	5	6	7
			Voter			
Sr. No.	Assembly Constituency No.	Assembly Part No.	From	To	Ward No.	Total
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						

ग्राम पंचायत में वार्ड वाइज मतदाता सूची तैयार करने के लिए सोफ्टवेयर संचालन हेतु दिशा निर्देश

क्र.स.	स्टेप		विवरण
1	स्टेप-1	लॉग इन	Browser पर जाकर https://www.esuchi.rajasthan.gov .in टाइप करे | लॉग इन पासवर्ड डालकर लॉग इन करे |
2	स्टेप-2	पंचायत समिति का चयन करना	Change Preferences फॉर्म में जाकर जिला और पंचायत समिति का चयन कर Done बटन पर क्लिक करे |
3	स्टेप-3	ग्राम पंचायत का नाम निर्धारित करना	Set Name for Election फार्म को ओपन कर ग्राम पंचायत का नाम हिंदी में दर्ज करे |
4	स्टेप-4	मतदान केंद्र का नाम निर्धारित करना	Polling Station Detail फार्म को ओपन कर मतदान केंद्र मास्टर सूची की डाटा एंट्री/सत्यापन कर लेवे |
5	स्टेप-5	ग्राम पंचायत के वार्ड निर्धारित करना	Ward Create/Edit More.. फार्म को ओपन कर ग्राम पंचायत के वार्ड की मास्टर सूची की डाटा एंट्री/सत्यापन कर लेवे | कृपया वार्ड के परिसीमन के अनुसार विवरण का इंद्राज होना सुनिश्चित करे यह मतदाता सूची के मुख्य पृष्ठ पर प्रिंट होगा|
ड्राफ्ट मतदाता सूची की पीडीएँफ़ फाइल तैयार करना			
6	स्टेप-6	Format-A1 तैयार कर अपलोड करना	Draft Voter List->Upload A/A1 document फार्म को ओपन कर ग्राम पंचायत को चुनकर Format-A1 (पूर्व में Format-C1 अंकित था) की Excel (.CSV format) अपलोड करे | Format-A1 की Excel फाइल Download Section से डाउनलोड की जा सकती है |
7	स्टेप-7	Draft Voter List सत्यापन करना	Draft Voter List-> View Draft Voter List & Remaining Voter Summary के माध्यम से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सत्यापन के लिए देख सकते है | डाउनलोड सेक्शन से eSuchi PDF Factory Software डाउनलोड कर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की चेकलिस्ट PDF फाइल डाउनलोड सत्यापन के लिए की जा सकती है | इस समय डाऊनलोड की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मे चेकलिस्ट शब्द प्रिंट होगा|
8	स्टेप-8	ग्राम पंचायत को फ्रीज करना	Draft Voter List->freeze draft ward summary फार्म ओपन कर ग्राम पंचायत का चयन करे | चेकबॉक्स को चेक करने के बाद Freeze draft roll बटन पर क्लिक कर ड्राफ्ट रोल फ्रीज करे |
9	स्टेप-9	ग्राम पंचायत का कम्पलीशन सर्टिफिकेट कन्फर्मेशन	Draft Voter List->Draft roll completion certificate फार्म ओपन कर ग्राम पंचायत का चयन करे |चेकबॉक्स को चेक करने के बाद confirm बटन पर क्लिक कर ड्राफ्ट रोल वेरीफाई करे |
10	स्टेप-10	ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की पीडीएँफ़ फाइल डाउनलोड करना	डाउनलोड सेक्शन से eSuchi PDF Factory Software डाउनलोड करे | ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की PDF फाइल (With Photo, Without Photo) डाउनलोड करे | इस समय डाऊनलोड की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मे चेकलिस्ट शब्द प्रिंट नही होगा |
11	स्टेप-11	ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की पीडीएँफ़ फाइल वेब साईट पर अपलोड करना ।	डाऊनलोड की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को पूर्ण रूप से चेक करने के बाद eSuchi PDF Factory Software मे उपलब्ध अपलोड सेक्शन मे जाकर पीडीएँफ़ फ़ाइल को अपलोड करे। Note : यह सुनिश्चित कर ले की पीडीएँफ़ फ़ाइल का नाम वही है जो की डाउनलोफ़ के समय था, नाम ने बदलाव करने पर पीडीएँफ़ फाइल अपलोड नही होगी ।
12	स्टेप-12	मतदाता का Section Address सही करना	अगर जरूरत है तो मतदाता सूची में प्रिंट होने वाले Section Address में बदलाव Setup->Update/Delete Address फार्म ओपन कर किया जा सकता है |

ग्राम पंचायत में वार्ड वाइज मतदाता सूची तैयार करने के लिए सोफ्टवेयर संचालन हेतु दिशा निर्देश

क्र.स.	स्टेप		विवरण
Supplement /Final मतदाता सूची की पीडीएँफ़ फाइल तैयार करना			
13	स्टेप-13	Format-B1 तैयार कर अपलोड करना	अगर मतदाता को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने की जरूरत है तो Format-B1 (पूर्व में Format-E1 अंकित था) की Excel (.CSV format) तैयार कर अपलोड करे। अपलोड के पश्चात Format-B1 को process कर लेवे। Format-B1 की Excel फाइल Download Section से डाउनलोड की जा सकती है। NOTE : FORMAT-B1 मे मतदाता की क्रम संख्या DRAFT VOTER LIST की क्रम सख्या होगी। ECI वोटर लिस्ट की क्रम संख्या FORMAT-B1 मे उपयोग नही करे।
14	स्टेप-14	नए मतदाता को जोड़ना / संशोधन करना	अगर नए मतदाता को जोड़ने की जरूरत है तो Claim-Objection -> Add New Voter का फार्म ओपन कर जोड़ लेवे। अगर नए मतदाता में संशोध की जरूरत है तो Claim-Objection ->search/modify new voter का फार्म ओपन कर संशोधन कर लेवे।
15	स्टेप-15	फाइनल वोटर लिस्ट मतदाता में संशोधन /डिलीट करना	अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मतदाता में संशोधन /डिलीट की जरूरत है तो Claim-Objection ->update delete voter का फार्म ओपन कर संशोधन /डिलीट कर लेवे।
16	स्टेप-16	Accept/Reject ऑनलाइन एप्लिकेशन	eSuchi PDF factory से ऑनलाइन एप्लिकेशन को डाउनलोड करने के पश्चात Field verification होने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत Claim-Objection -> online Forms मे जाकर ऑनलाइन एप्लिकेशन को Accept/Reject करे। Accept होने पर एप्लिकेशन के मतदाता सप्लिमेंट/फ़ाइनल मतदाता सूची मे जुड़ जाएंगे।
17	स्टेप-17	ग्राम पंचायत को फ्रीज करना	Final Voter List->freeze final roll ward summary फार्म ओपन कर ग्राम पंचायत का चयन करे।चेकबॉक्स को चेक करने के बाद Freeze final roll बटन पर क्लिक कर फाइनल रोल फ्रीज करे।
18	स्टेप-18	ग्राम पंचायत का कम्पलीशन सर्टिफिकेट कन्फर्मेशन	Final Voter List->Final roll completion certificate फार्म ओपन कर ग्राम पंचायत का चयन करे।चेकबॉक्स को चेक करने के बाद confirm बटन पर क्लिक कर final रोल वेरीफाई करे।
19	स्टेप-19	फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट की पीडीएँफ़ फाइल डाउनलोड करना	डाउनलोड सेक्शन से eSuchi PDF Factory Software डाउनलोड करे। लॉग इन कर फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट की PDF फाइल (With Photo, Without Photo) डाउनलोड करे। इस समय डाऊनलोड की गई फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट मे चेकलिस्ट शब्द प्रिंट नही होगा।
20	स्टेप-20	फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट की पीडीएँफ़ फ़ाइल वेब साईट पर अपलोड करना।	फाइनल/सप्लीमेंट वोटर लिस्ट को पूर्ण रूप से चेक करने के बाद eSuchi PDF Factory Software मे उपलब्ध अपलोड सेक्शन मे जाकर पीडीएँफ़ फ़ाइल को अपलोड करे। Note : यह सुनिश्चित कर ले की पीडीएँफ़ फ़ाइल का नाम वही है जो की डाउनलोफ़ के समय था, नाम मे बदलाव करने पर पीडीएँफ़ फाइल अपलोड नही होगी।
21	स्टेप-21	मतदाता का Section Address सही करना	अगर जरूरत है तो मतदाता सूची में प्रिंट होने वाले Section Address में बदलाव Setup->Update/Delete Address फार्म ओपन कर किया जा सकता है।

कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

पंचायत समिति .... जिला ....

प्रमाण – पत्र

मैं .... , निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पंचायत समिति .... प्रमाणित करता हूँ कि पंचायत समिति .... में सम्मिलित समस्त ग्राम पंचायतों के समस्त वार्डो की तैयार कराई गई प्रारूप मतदाता सूची इनके परिसीमन के अनुसार सही है। प्रारूप मतदाता सूची में अंकित सभी मतदाताओं का भौतिक सत्यापन प्रगणकों द्वारा किया गया है। मेरे स्वयं के द्वारा .... प्रतिशत एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा .... प्रतिशत भौतिक सत्यापन के कार्य की नमूना जॉच कर ली गई है।

(अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर)
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
न.पा. / न.प. / न.नि. ....

प्रतिहस्ताक्षर

(अधिकारी का नाम)
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)
जिला ....

परिशिष्ट– 5

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ....(स्थान)

निर्वाचक नामावली के प्रारूप के प्रकाशन की सूचना

(पंचायत सर्किल के वार्डों / पंचायत समिति / जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्र)

जिला परिषद्.../पंचायत समिति../

पंचायत सर्किल ....

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अन्तर्गत तैयार की गई उक्त पंचायत सर्किल के वार्ड संख्यांक .. ../पंचायत समिति /जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक ....की मतदाता सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

यदि कोई व्यक्ति इस सूची में नाम जुडाना चाहे, या इस सूची में सम्मिलित किसी नाम पर आपत्ति करना चाहे या विद्यमान प्रविष्ठियों के किसी विवरण मे संशोधन करवाना चाहे तो वह इस प्रकाशन की तारीख से दिनांक...................को 3 बजे दोपहर तक लिखित आवेदन निर्धारित प्ररूप में दावें/आपत्ति निम्न हस्ताक्षरकर्ता अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है।

ऐसे दावों व आपत्तियों की सुनवाई तारीख ....को................बजे निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में या . ...(स्थान) पर होगी।

यह सूची निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय एवं पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् के कार्यालय में कार्यालय समय में निःशुल्क निरीक्षण की जा सकती है।

स्थान : ....

तारीख :..

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

हस्ताक्षर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

प्रपत्र–3

मतदाता सूची में नाम सम्मलित करने के लिए प्रारूप–1 में प्राप्त आवेदनों (दावों) की सूची

प्राप्ति की तारीख	क्रम संख्यांक	दावेदार का नाम	पिता / पति / माता का नाम	निवास स्थान का पता	जिस वार्ड के लिये दावा प्रस्तुत किया गया		सुनवाई की तारीख, समय और स्थान *
					पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8

* निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निश्चित सुनवाई की तारीख, समय व स्थान।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

प्रपत्र–4

मतदाता सूची में नामों को सम्मिलित करने के विरूद्ध आक्षेप करने के लिये प्रारूप–2 में प्राप्त आवेदनों की सूची

प्राप्ति की तारीख	क्रम संख्यांक	आक्षेपकर्ता का विवरण		आक्षेपित व्यक्ति का ब्यौरा					सुनवाई की तारीख, समय और स्थान *
		नाम	पता	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	क्रम संख्या	पूरा नाम	पिता / पति / माता का नाम	
1	2	3		4	5	6	7	8	9

* निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निश्चित सुनवाई की तारीख, समय व स्थान।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

प्रपत्र–5

मतदाता सूची में प्रविष्टियों की विशिष्टियों को सही करने के लिए प्रारूप–3 में प्राप्त आवेदनों की सूची

प्राप्ति की तारीख	क्रम संख्या	आपत्तिकर्ता निर्वाचक का पूरा नाम	प्रविष्टि का विवरण			आपत्ति की प्रकृति	सुनवाई की तारीख, समय और स्थान *
			पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	क्रम संख्या मतदाता सूची		
1	2	3	4	5	6	7	8

* निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निश्चित सुनवाई की तारीख, समय व स्थान।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी..(स्थान)

निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन की सूचना

(पंचायत सर्किल के वार्डों / पंचायत समिति / जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्र)

जिला परिषद्../पंचायत समिति../ पंचायत सर्किल..

एतद्द्वारा लोक साधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त पंचायत सर्किल के वार्ड संख्यांक ..../पंचायत समिति /जिला परिषद् के निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक ....की मतदाता सूची के प्रारूप में किये गये संशोधनो की सूची राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के उपबन्धो के अनुसार तैयार हो गई है और उक्त सूची की एक प्रति संशोधनों की उक्त सूची सहित प्रकाशित कर दी गई है और मेरे कार्यालय/पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

स्थान : ....

तारीख :...

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(नाम एवं मोहर)

परिशिष्ट–10

STATEMENT NO. 1

PANCHAYAT GENERAL ELECTIONS, 2015

STATEMENT SHOWING DRAFT VOTERS, CLAIMS AND OBJECTIONS, DISPOSAL THEREOF AND FINAL VOTERS

NAME OF DISTRICT :- NAME OF PANCHAYAT SAMITI :-

NAME OF GRAM PANC-HAYAT	NO. OF VOTERS IN THE WARD IN UPDATED ASSEMBLEY VOTER LIST			NO. OF VOTERS IN DRAFT PUBLICATION			CLAIMS AND OBJECTIONS									SUO-MOTO ADDITIONS AND DELETIONS OF NAMES BYE ERO.		VOTERS AT FINAL PUBLICATION			% INCREA-SES IN FINAL VOTERS LIST (COL. N0.19) AS COM-PARED TO (COL. 2)
	TOTAL	MALE	FEMALE	TOTAL	MALE	FEMALE	RECEIVED			DISPOSAL						ADDITIONS	DELETIONS	TOTAL	MALE	FEMALE	
							CLAIMS	OBJECTION FOR DELETION	OBJECTION FOR CORRECTIONS IN AN ENTRY	CLAIMS		OBJECTION FOR DELETIONS		OBJECTION FOR CORRECTIONS							
										ACCEPTED	REJECTED	ACCEPTED	REJECTED	ACCEPTED	REJECTED						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
TOTAL																					

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 5453 दिनांक : 27.11.2019

आदेश

सां. आ. 128 / 2019 – राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 17 के उप नियम (3) के प्रावधानों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए ऐसे विशेष या साधारण निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए अंतिम रूप से यथा प्रकाशित नामावली की एक प्रति संशोधनों सहित, यदि कोई हो तो, की सूची के साथ उस प्रत्येक राजनैतिक दल को निःशुल्क कराई जाएगी जो निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन राज्य में मान्यता प्राप्त है।

उक्त नियम 17(3) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों हेतु तैयार की जाने वाली निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अन्तर्गत राज्य में मान्यता प्राप्त समस्त राजनैतिक दलों को निम्नानुसार उपलब्ध कराई जाएगी :–

1. प्रारूप निर्वाचक नामावलियों (Draft Electoral Rolls) की केवल सॉफ्ट कॉपी (फोटो रहित) ही उपलब्ध कराई जाए।
2. अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावलियों की एक प्रति हार्डकॉपी (फोटोयुक्त) में उपलब्ध कराई जाए।
3. अंतिम प्रकाशन के पश्चात् यदि कोई पूरक / संशोधन सूचियां तैयार की जाती है, तो ऐसी पूरक / संशोधन सूचियों की फोटोयुक्त एक प्रति भी हार्डकॉपी में उपलब्ध कराई जाए।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 5454–57 दिनांकः 27.11.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित हैः–

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर), राजस्थान।
2. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में तत्काल प्रकाशनार्थ।
3. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को ई–मेल एवं वेबसाईट पर प्रदर्शित करने एवं राजपत्र में प्रकाशन के लिए ई–गजट पर अपलोड करने हेतु।
4. स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ.6(1)(1)पंचा/रानिआ/2014–15/7656 जयपुर, दिनांकः 7.11.14

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत) (कलक्टर) राजस्थान।

विषयः– पंचायत चुनाव हेतु मतदाता सूची की कार्यकारी प्रतियॉ तैयार करने के संबंध में।

महोदय,

पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों हेतु निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन हो जाने के बाद प्रत्येक मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावलियों की प्रत्येक पंचायत क्षेत्र की वार्डवार 12 कार्यकारी कापियॉ (working copies) तैयार करानी है, जिनका उपयोग निम्न प्रकार किया जावेगा :–

1. 7 प्रतियॉ में से 1 प्रति रिटर्निंग अधिकारी के पास रहेगी, जो कि, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने और उनकी संवीक्षा करते समय काम में आवेगी एवं 6 प्रतियॉ संबंधित मतदान बूथ पर निम्न प्रकार से उपयोग में ली जावेंगी :–

   (i) एक प्रति सहायक मतदान अधिकारी–प्रथम, जो कि उसे मतदाता की पहचान के उपयोग में लेगा।

   (ii) दो प्रति सहायक मतदान अधिकारी–द्वितीय को – (पंच एवं सरपंच चुनाव के संदर्भ में)

   (iii) दो प्रति सहायक मतदान अधिकारी–द्वितीय को – (जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के संदर्भ में)

   (iv) एक प्रति मतदान अधिकारी को (प्रतिक्षेपित मतदाताओं, निविदत्त मतों आदि के निस्तारण के लिए)

2. एक प्रति पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी को।

3. एक प्रति पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए नियुक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी को।

4. एक प्रति जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी को।

5. एक प्रति जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिए नियुक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी को।

6. एक प्रति कार्यालय उपयोग के लिए

प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची की कार्यकारी प्रति बनाने के लिए आपको निम्नांकित कार्यवाही करानी हैः–

1. प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची से संबंधित संशोधनों की अनुपूरक सूचियों के अनुसार समस्त प्रतियों में हटाये जाने वाले नाम काट दिये जावें, परन्तु मतदाताओं की क्रम संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जावे यानि मुद्रित संख्या की शुद्धि नहीं की जावे और उनके स्थान पर नये संख्यांक प्रतिस्थापित नहीं किये जावें।
2. प्रविष्टि की गई विशिष्टियों से संबंधित शुद्धियों की अनुपूरक सूचियों के अनुसार प्रविष्टियों को शुद्ध कर लिखा जावे।
3. जिन मतदाताओं के लिए वार्ड बनाया गया है उसके क्षेत्र से संबंधित मतदाता सूची के सुसंगत भाग उसकी प्रत्येक संशोधनों की अनुपूरक सूचियों (यदि कोई हो) सहित समस्त प्रकार से पूर्ण हो।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

4. पुरूष, महिला, अन्य और कुल मतदाताओं की संख्या की गणना करके अंकित किया जावे।

5. राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 23 के अधीन सार्वजनिक नोटिस जारी होने की तारीख से पूर्व नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार कोई नाम सम्मिलित करने या प्रविष्टि को संशोधित करने, अंतरित करने या हटा दिये जाने बाबत यदि कोई आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दिया जाता है अथवा नियम 21 के अंतर्गत अपील के निर्णय में कोई आदेश दिया जाता है, तो उसके अनुरूप अंकन समस्त कार्यकारी प्रतियों में हो जाना सुनिश्चित किया जावे। **लेकिन नियम 23 के अधीन सार्वजनिक नोटिस जारी होने की तिथि से निर्वाचन की समाप्ति तक कोई परिवर्तन नहीं किया जावे।**

6. वार्ड की प्रत्येक कार्यकारी मतदाता सूची में प्रत्येक पृष्ठ पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर की छाप अंकित होनी चाहिए। इस प्रकार हस्ताक्षरित मतदाता सूची ही प्रमाणित कार्यकारी प्रति होगी। इसके समस्त पृष्ठ, मूल प्रति के अनुसार क्रम संख्या–1 के अनुक्रम में संख्यांकित हों।

7. प्रत्येक मतदान केन्द्र की निर्वाचक नामावली के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निम्नांकित प्रमाण पत्र (जिस पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम की सील अंकित होगी) संलग्न किया जाएगा :–

> ''प्रमाणित किया जाता है कि, उक्त मतदान केन्द्र की कार्यकारी मतदाता सूची मेरी देखरेख में सही–सही तैयार की है, जिसमें पूरक सूची में दर्शित विलोपन होने वाले नामों पर ''विलोपित'' (deleted) अंकित कर दिया गया है। क्रम संख्या नहीं बदली गई है तथा शुद्ध होने वाली प्रविष्टियों को शुद्ध कर दिया गया है।''

भवदीय,

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ.6(1)(1)पंचा/रानिआ/2014–15/4906 जयपुर, दिनांकः 21.10.2014

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग अपने पूर्व आदेश क्रमांक एफ. 4(1)(6)एम/एसईसी/94/431 दिनांक 24.10.94 को अधिक्रमित करते हुए आदेश प्रदान करता है कि, पंचायत एवं नगरपालिका की निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन होने के पश्चात् उसकी मतदाताओं की बिना फोटो वाली सूचियों की सॉफ्ट कॉपी (सी.डी. में पी.डी.एफ. के रूप में) एवं हार्ड कॉपी (फोटो प्रति के रूप में) अमान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनैतिक दल/एनजीओ/आमजन को उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार दरें निर्धारित की जाती हैं। उक्त के आवेदन करने पर उन्हें निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर मतदाता सूचियों की प्रति उपलब्ध करवायी जा सकती है :–

1.	मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी (In Compact Disk) (मतदाताओं की फोटो बिना) (In PDF formate)	–	रू. 100/– प्रति सी.डी.
2.	मतदाता सूची की हार्ड कॉपी (In Photo Copy) (मतदाताओं की फोटो बिना)	–	रू. 2/– प्रति पृष्ठ एक तरफ
3.	मतदाता सूची की हार्ड कॉपी (In Photo Copy) (मतदाताओं की फोटो बिना)	–	रू. 4/– प्रति पृष्ठ दोनों तरफ

ये दरें वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी. सं. 331400619 दिनांक 10.10.2014 द्वारा दी गई सहमति के अनुसार है।

भवदीय,

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ.6(1)(1)पंचा/रानिआ/2014–15/5897 जयपुर, दिनांकः 07.08.2015

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग अपने पूर्व आदेश क्रमांक एफ. 6(1)(1)पंचा/रानिआ/2014–15/4906 दिनांक 21.10.2014 में पंचायत एवं नगरपालिका की निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन होने के पश्चात् नामावली की मतदाताओं के बिना फोटो वाली सूचियों की सॉफ्ट कॉपी (सी.डी. में पी.डी.एफ. के रूप में) एवं हार्ड कॉपी (फोटो प्रति के रूप में) गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनैतिक दल/एनजीओ/आमजन को उपलब्ध कराने हेतु दरें निर्धारित की गई थी।

आयोग द्वारा फोटो सहित मतदाताओं की निर्वाचक नामावली तैयार करवायी गई है जिसकी दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।

1. मतदाता सूची की हार्ड कॉपी (In Photo Copy) (मतदाताओं की फोटो सहित) – रू. 2/– प्रति पृष्ठ एक तरफ
2. मतदाता सूची की हार्ड कॉपी (In Photo Copy) (मतदाताओं की फोटो सहित) – रू. 4/– प्रति पृष्ठ दोनों तरफ

आवेदन करने पर आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर मतदाता सूचियों की प्रति उपलब्ध करवायी जा सकती है।

ये दरें वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी. सं. 331500557 दिनांक 5.8.2015 द्वारा दी गई सहमति के अनुसार है।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार जैन)
सचिव

क्रमांकः एफ.6(1)(1)पंचा/रानिआ/2014/ दिनांकः

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सहायक, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज0, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित (व्यय–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज0 जयपुर।
7. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका/पंचायत)।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव/निजी सहायक, सचिव/उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
12. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
13. कम्प्यूटर शाखा को आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने तथा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई–मेल करने हेतु।
14. समस्त शाखाएं, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

(धारा सिंह मीणा)
सहायक सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(9)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकःएफ. 7(1)(2)/पंचा/रानिआ/2019/5520 दिनांकः 28.11.2019

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत) (कलक्टर) राजस्थान।

विषयः– पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2020 – निर्वाचक नामावलियों की तैयारी– निर्वाचक नामावली की प्रतियों की संख्या के संबंध में।
संदर्भः– आयोग का पत्रांक 4651 दिनांक 04.11.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव हेतु निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश प्रदान किए गए थे। उक्त पत्र के बिन्दु संख्या सी–24 में यह निर्देश प्रदान किए गए थे कि निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के समय निर्वाचक नामावलियों के एक–एक सैट हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए।

राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 17(3) के अनुसरण में निर्वाचक नामावलियों की प्रति राज्य में मान्यता प्राप्त दलों को उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश दिनांक 5453/ 27.11.19 (सां. आ. 128/2019) के द्वारा निर्देश प्रदान किए गए है। इसके अतिरिक्त नियम–12 के अन्तर्गत निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद, जैसी भी स्थिति हो, के कार्यालय के अतिरिक्त इन संस्थाओं के वार्डो/निर्वाचन क्षेत्रों के एक या दो सहज दृश्य स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी। नियम 12(3) के अनुसार प्रारूप निर्वाचक नामावलियां संबंधित पंचायतीराज संस्थाओं एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों में आमजन के लिए निःशुल्क निरीक्षण हेतु भी उपलब्ध रखी जानी है।

इन उक्त नियमों के अनुसरण एव आयोग के पूर्व आदेशों के क्रम में निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि आगामी पंचायतीराज संस्थाओं के लिए तैयार की जा रही निर्वाचक नामावली के निम्नानुसार सैट तैयार किए जाएः–

क्रम संख्या	विवरण	सैट (प्रतियों) की संख्या
प्रारूप निर्वाचक नामावलियां		
1.	प्रगणक को बूथ पर पठन व निरीक्षण के लिए	1
2.	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय हेतु	1
3.	पंचायतीराज संस्था के कार्यालय हेतु 1. ग्राम पंचायत कार्यालय के लिए 2. पंचायत समिति कार्यालय के लिए 3. जिला परिषद कार्यालय के लिए	3
4.	वार्डो/निर्वाचन क्षेत्रों में एक सहज दृश्य स्थान पर 1. ग्राम पंचायत के वार्ड में 2. पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र में	3

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

	3. जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र में	
	कुल संख्या	**8**
नोट – निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को फोटो रहित मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई जाए।		
अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावलियां पूरक/संशोधन सूची सहित		
1.	राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए (प्रत्येक दल के लिए एक प्रति)	9
2.	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय हेतु	1
3.	1. ग्राम पंचायत कार्यालय के लिए 2. पंचायत समिति कार्यालय के लिए 3. जिला परिषद कार्यालय के लिए	3
	कुल संख्या	**13**

उक्तानुसार निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां तैयार करने हेतु एक सैट लेजर प्रिंटर से तैयार करवा लिया जाए। नामावलियों की अन्य प्रतियां तैयार करने हेतु आप अपनी सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए आप इनकी फोटो प्रतियां करवा लेवे अथवा प्रैस से मुदण कराया जा सकता है। इस हेतु लेखा नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही संपादित की जाए।

निर्वाचक नामावलियों को कार्यकारी प्रति तैयार करने हेतु आयोग के पत्रांक 7656 दि. 07.11.2014 के द्वारा निर्देश जारी किए हुए है। कार्यकारी प्रतियां तैयार करते समय उक्त पत्र में अंकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकःएफ. 7(1)(2)/पंचा/रानिआ/2019/5521–22 दिनांकः 28.11.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राजस्थान मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
2. समस्त कार्यालय ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद, राजस्थान मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

भाग—2
मतदात केन्द्रों की स्थापना बाबत् ()

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.7(3)(1)पंचा / रानिआ / 13 / 1586 जयपुर, दिनांकः 10.05.2019

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत)(कलक्टर) राजस्थान।

विषयः– पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में राजस्थान पंचायत (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 30 में प्रावधान वर्णित है, जो निम्नानुसार हैः–

> ''**30. Polling Stations and Polling Booths.-** (1) If a poll is to be held in any ward, the Returning Officer subject to any general or special order of the District Election Officer (Panchayats) shall select a suitable place for a polling station :
>
> Provided that the place so selected shall not ordinarily be outside the place of the headquarters of the Panchayat to which the election is to be held.
>
> (2) The Returning Officer subject to any general or special order of the District Election Officer (Panchayats) may establish in each polling station as many polling booths as he may consider necessary and where more booths than one are so established, he shall direct that the electors of the ward commencing from and ending with specific serial numbers on the voters list thereof, or electors of more than one ward shall be admitted to cast their votes in a particular booth.
>
> (3) A notice announcing the place of polling station shall be published at the office of Panchayat or if there is no office of Panchayat at the place selected for polling station at least a day before the elections are held.''

उक्त नियम 30 के उप नियम (1) के अनुसार यदि किसी वार्ड में मतदान कराना हो तो रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के साधारण या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए मतदान केन्द्र के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करेगा, परन्तु ऐसा चयनित स्थान सामान्यतः उस पंचायत मुख्यालय से बाहर का स्थान नहीं होगा, जिसके लिए निर्वाचन कराया जाना है।

उप नियम (2) के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के किसी साधारण या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक मतदान केन्द्र में उतने मतदान बूथ स्थापित कर सकेगा, जितने वह आवश्यक समझे और जहाँ इस प्रकार एक से अधिक बूथ स्थापित किए जाने हैं, वहाँ वह निदेश देगा कि विनिर्दिष्ट क्रम संख्याकों से प्रारंभ और समाप्त होने वाले वार्ड के उसकी मतदाता सूची के

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

निर्वाचकों को या **एक से अधिक वार्ड के निर्वाचकों को बूथ–विशेष** में अपने–अपने मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

इसी तरह उप नियम (3) के अनुसार मतदान केन्द्र के स्थान की घोषणा संबंधी एक नोटिस पंचायत कार्यालय पर, या यदि पंचायत कार्यालय नहीं है तो मतदान केन्द्र के लिए चयनित स्थान पर, निर्वाचन होने से कम से कम एक दिन पूर्व, प्रकाशित किया जाएगा।

पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में आयोग द्वारा **पूर्व में जारी पत्र कमांक 5001 दिनांक 27.10.2014 को अधिक्रमित करते हुए** भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतदान केन्द्रों/बूथों की स्थापना करने करने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी करता है :–

1. मतदान केन्द्र/बूथ पंचायत मुख्यालय पर ही स्थापित किए जाएं ताकि रिटर्निंग अधिकारी/ मतदान अधिकारी मतदान का प्रभावी रूप से अधीक्षण कर सकें तथा मतपेटियों/इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता नहीं रहें। यदि किसी मतदान केन्द्र के संबंध में पिछले आमचुनाव/उपचुनाव में कोई शिकायत प्राप्त हुई हो या निर्वाचन अधिकारियों के ध्यान में कोई कमी आई हो, तो अब मतदान केन्द्र के चयन करते समय उसे भी ध्यान में रखा जावें।

2. चूंकि निर्वाचक नामावली में मतदान केन्द्रों/बूथों का नाम भी अंकित होगा, अतः मतदान केन्द्रों/बूथों का चयन निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन से पूर्व ही कर लिया जावे।

3. निर्वाचक नामावली ग्राम पंचायत के वार्डवार तैयार की जाएगी। सामान्यतः एक मतदान बूथ में 1100 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए।

4. पंचायत मुख्यालय पर एक से अधिक भवनों में बूथ स्थापित किये जा सकते हैं, किन्तु एक वार्ड एक ही जगह रहेगा। एक ही भवन में एक से अधिक बूथ होने की स्थिति में मतदान केन्द्र/बूथ का पूर्ण विवरण यथा भवन का दाहिना भाग/बायाँ भाग/कमरा नंबर, इत्यादि अंकित किया जावें। यथासंभव समस्त बूथ एक भवन में स्थापित किये जावें, परन्तु यदि यह संभव न हो तो विभिन्न भवनों में बूथ स्थापित किये जा सकते हैं परन्तु ऐसा भवन उसी ग्राम में स्थित हो एवं यथासंभव सभी भवन पास–पास हों।

5. एक से अधिक बूथ स्थापित करने पर वार्डों की सघनता (Compactness) खण्डित न हो। प्रत्येक वार्ड अपने आप में एक निर्वाचन क्षेत्र होता है। अतः सम्पूर्ण वार्ड एक ही बूथ पर रहेगा, अलग–अलग बूथों में विभाजित नहीं होगा।

6. मतदान बूथों की क्रम संख्या पंचायत समितिवार आवंटित की जाए। उदाहरणार्थ यदि किसी पंचायत समिति में 25 ग्राम पंचायत सम्मिलित है एवं इन समस्त ग्राम पंचायतों में कुल 300 वार्ड है, तो उस पंचायत समिति के लिए मतदान बूथों की संख्या 1 से प्रारम्भ होकर 300 पर समाप्त होगी।

7. जहाँ कोई ग्राम पंचायत एक से अधिक पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित हो, तो ऐसे मामलों में पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित होने वाली ग्राम पंचायत के वार्ड/वार्डो के लिए पंचायत मुख्यालय पर पृथक मतदान बूथ स्थापित किए जायेंगे, चाहे मतदाताओं की संख्या कितनी ही कम हो। उदाहरणार्थ यदि किसी ग्राम पंचायत में कुल 9 वार्ड हैं एवं उसके वार्ड संख्या 1 से 8 पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10 में है एवं वार्ड संख्या 9 उस पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11 में है, तो उस ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 9 के लिए पृथक मतदान बूथ की स्थापना की जाएगी, चाहे उस वार्ड में मतदाताओं की संख्या कितनी भी कम हो।

8. मतदान केन्द्र पक्के सरकारी, अर्द्ध–सरकारी व सार्वजनिक भवनों में स्थापित किए जाए। किन्तु यदि किन्हीं कारणों से निजी भवन में कोई मतदान केन्द्र स्थापित करना पडे तो ऐसे व्यक्ति या संस्था के मकान में मतदान केन्द्र स्थापित नहीं किये जाऐं, जो किसी राजनीतिक दल अथवा चुनाव लडने वाले उम्मीदवार से संबद्ध हो। चूंकि मतदान केन्द्रों का चयन चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

होने से काफी पहले ही कर लिया जायेगा, इसलिए तत्समय यदि चयनित मतदान केन्द्र किसी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार से किसी भी रूप में संबंधित पाया जाता है, तो उसे **आयोग की सहमति प्राप्त कर तुरन्त परिवर्तित किया जाये।**

9. किसी धार्मिक महत्व के स्थल, पूजा स्थल, अस्पताल, पुलिस थाना भवन पर मतदान केन्द्र स्थापित नहीं किए जाए।

10. मतदान केन्द्र विद्यालय में स्थापित किए जाने पर इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि मतदान कक्ष विद्यालय का स्टोर या कार्यालय कक्ष नहीं हो। जहां तक संभव हो सके शिक्षण कक्षों को ही मतदान केन्द्र के रूप में काम में लेवें। **पिछले आम चुनाव के पश्चात् राज्य एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विद्यालय में नए कक्षों का निर्माण कराया गया है। इन्हें मतदान केन्द्रों के रूप में प्राथमिकता देवें।**

11. मतदान केन्द्र पर सुस्पष्ट रूप से **पीले रंग की पृष्ठभूमि पर काले रंग से आयताकार आकृति, जिसकी नाप 1.5′ X 1′ हो, में मतदान बूथ का क्रमांक एवं विवरण तथा उस बूथ में सम्मिलित वार्ड संख्याक पेन्ट कराया जाना** भी सुनिश्चित करें। इस हेतु नमूना परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

12. मतदान केन्द्र पर अधिक भीड–भाड से बचने के लिए यथासंभव एक भवन में चार से अधिक बूथ स्थापित नहीं किए जाऐं।

13. मतदाता सूचियों का प्रारूप/अंतिम प्रकाशन मुद्रित प्रतियों से होने के कारण मतदान केन्द्र का नाम एवं बूथ का विवरण मय बूथ संख्या मतदाता सूचियों के साथ ही मुद्रित होगें। यह संभव है कि आप द्वारा चयनित मतदान केन्द्रों/बूथों में मतदाता सूचियों के प्रारूप/अंतिम प्रकाशन के पश्चात कोई परिवर्तन हो जाये तो ऐसी स्थिति में आप मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की मुद्रित प्रतियों में मतदान केन्द्र की संख्या एवं नाम में शुद्धि हेतु रबड की मोहर का प्रयोग कर सकते हैं। मतदान केन्द्रों के स्थान में **इस प्रकार किये जाने वाले परिवर्तन से पूर्व प्रत्येक मामले में राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति आवश्यक होगी।**

14. एक मतदान केन्द्र के प्रत्येक बूथ में एक या एक से अधिक वार्डो के मतदाता मत डाल सकते हैं। चूंकि पंचायत चुनाव में वार्ड ही निर्वाचन क्षेत्र होता है एवं एक वार्ड में औसतन 300–400 मतदाता होते है। बिन्दु संख्या–3 में अंकित निर्देशों के अनुसार एक मतदान केन्द्र पर 1100 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए। अतः स्पष्ट है कि एक बूथ पर एक से अधिक वार्डो के मतदाता मत डाल सकते हैं।

15. मतदान केन्द्र के भवन का चयन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि वहां मतदाताओं के प्रवेश एवं निकासी के लिये पर्याप्त स्थान हो। जहां तक संभव हो मतदान केन्द्र के रूप में ऐसे भवनों का चयन किया जाना चाहिए जिसमें कमरों में प्रवेश एवं निकास के लिए पृथक–पृथक दरवाजे हो। साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि मतदान बूथ में हवा एवं रोशनी की पर्याप्त सुविधा हो।

16. नियम 30(3) के अनुसार मतदान केन्द्रों के स्थान की घोषणा संबंधी एक नोटिस पंचायत कार्यालय पर, या यदि पंचायत कार्यालय नहीं है तो मतदान केन्द्र पर निर्वाचन होने से कम से कम एक दिन पूर्व, प्रकाशित किया जाया जाना है। नियमों में मतदान केन्द्र के स्थान के प्रकाशन हेतु नोटिस के लिए कोई प्ररूप विहित नहीं है। अतः इस हेतु आयोग द्वारा नोटिस का प्ररूप विहित किया गया है, जो परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। कृपया नियम 30(3) के अनुसार आयोग द्वारा विहित नोटिस के प्ररूप में मतदान केन्द्रों के लिए स्थानों का प्रकाशन किया जाना सुनिश्चित करें।

17. मतदान केन्द्रों की सूची का व्यापक प्रचार–प्रसार स्थानीय समाचार–पत्रों के माध्यम से कराया जायें।

18. मतदान केन्द्रों/बूथों की सूची के प्रकाशन के तुरन्त पश्चात् जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य तथा सरपंच का चुनाव लडने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को संबंधित मतदाता सूची की एक प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेंगी।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

19. पंचायत समितिवार मतदान केन्द्रों/बूथों की सूची संलग्न प्रपत्र–1 में एवं मतदान केन्द्रों का विवरण संलग्न प्रपत्र–2 में तैयार कर राज्य निर्वाचन आयोग को निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन के तुरन्त पश्चात् प्रेषित किया जाए।

20. प्रत्येक आम/उपचुनाव से पूर्व चयनित मतदान केन्द्र का भौतिक सत्यापन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से करवाया जाए तथा यह देखा जाए कि मतदान केन्द्र भवन की ईमारत जर्जर अवस्था में तो नहीं हैं, उक्त भवन में निशक्तजन हेतु स्थाई रैम्प हैं अथवा नहीं। यदि स्थाई रैम्प मतदान केन्द्र में नहीं बना हुआ है तो अस्थाई रैम्प की व्यवस्था की जावें। यह भी देखा जाये मतदान केन्द्र मतदान हेतु पूर्ण सुरक्षित हैं अथवा नहीं यथा चारदीवारी बनी हुई हैं। मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन का कार्य निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन से पूर्व ही पूर्ण कर लिया जाए। मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र–3 में तैयार कर मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की दिनांक को ही आयोग को प्रेषित की जाए।

21. मतदान केन्द्रों की सूची के प्रकाशन के पश्चात् यदि किसी भी कारण से **मतदान केन्द्र/बूथ को परिवर्तित किया जाना आवश्यक हो तो आयोग की अनुमति के पश्चात् ही मतदान केन्द्र/बूथ परिवर्तित किए जायें।** इस हेतु संलग्न प्रपत्र–4 में नवीन मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव अनुमोदन हेतु आयोग को प्रेषित किए जाए।

आज्ञा से,

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.7(3)(1)पंचा/रानिआ/13/1587–1590 जयपुर, दिनांकः10.05.2019

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
3. कम्प्यूटर शाखा को समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई–मेल करने तथा आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. लेखा/स्टोर/सांख्यिकी शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

<u>प्रपत्र – 1</u>

पंचायतीराज संस्थाओं के लिए मतदान केन्द्रों की सूची का विवरण

पंचायत समिति का नाम : ....

ग्राम पंचायत का नाम : ....

क. सं.	मतदान केन्द्र का विवरण (स्थान, भवन आदि)	मतदान केन्द्र में सम्मिलित बूथों का विवरण मय संख्या	मतदान बूथ में सम्मिलित वार्डो का विवरण मय वार्ड संख्यांक	बूथवार मतदाताओं की कुल संख्या	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
(कलक्टर) ....

<u>प्रपत्र – 2</u>

<u>पंचायतीराज संस्थाओं के मतदान केन्द्रों का विवरण</u>

जिले का नाम : ....

क. सं.	पंचायत समिति का नाम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	मतदान केन्द्रों की संख्या	मतदान बूथों की संख्या	वार्डो की कुल संख्या	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
(कलक्टर) ....

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

प्रपत्र – 4

पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्रों/बूथों की सूची के प्रकाशन के पश्चात् उनमें परिवर्तन हेतु प्रस्ताव का विवरण

क्र. सं.	मतदान केन्द्र का विवरण (क्रमांक, नाम एवं पता	वार्डो की संख्यां	बूथों की संख्या	मतदाताओं की कुल संख्या	स्थान परिवर्तन हेतु प्रस्तावित मतदान केन्द्र/बूथ का विवरण (क्रमांक, नाम एवं पता)	मतदान केन्द्र/बूथ में परिवर्तन का कारण
1	2	3		4	5	6

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
(कलक्टर) ....

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), ... द्वारा प्रेषित उक्तानुसार परिवर्तित मतदान केन्द्रों/बूथों का अनुमोदन किया जाता हैं।

आज्ञा से,
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु मतदान कन्द्रों की सूची प्रकाशित करने हेतु नोटिस

राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 30(3) के अन्तर्गत जिला परिषद ...., पंचायत समिति ...., ग्राम पंचायत .... हेतु जिला परिषद/पंचायत समिति/सरपंच/पंच के निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्रों की सूची सर्वसाधारण की जानकारी हेतु एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती हैः–

क्र. सं.	मतदान केन्द्र का नाम एवं पता	मतदान केन्द्र में स्थित बूथों के क्रमांक एवं नाम	मतदान बूथ में सम्मिलित वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र संख्या का विवरण		
			ग्राम पंचायत का वार्ड संख्यांक	पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक	जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक
1	2	3	4	5	6

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
(कलक्टर) ....

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

प्रपत्र–3

पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट

जिले का नाम .... ग्राम पंचायत का नाम ....
....

पंचायत समिति का नाम .... विधानसभा क्षेत्र का नाम एवं संख्या ....

पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक .... जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक ....

क्र. सं.	मतदान केन्द्र / भवन का नाम एवं पता	भवन की विशिष्टियां (सरकारी / अर्द्धसरकारी / प्राईवेट)	बूथों की संख्या	मतदान केन्द्र में सम्मिलित मतदाताओं की कुल संख्या	मतदान केन्द्र की भौतिक स्थिति यथा भवन की स्थिति	मतदान केन्द्र का क्षेत्रफल	मतदान केन्द्र में स्थापित बूथों की संख्या	मतदान केन्द्र तक पहुंचने हेतु रोड की स्थिति (मतदान केन्द्र तक चलकर पहुंचने हेतु कितनी दूरी तय करनी होगी)	क्या मतदान केन्द्र / भवन के चारो ओर चार दीवारी हैं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

क्या मतदान केन्द्र में निम्न सुविधाए उपलब्ध हैं					क्या मतदान बूथ में निम्न सुविधाए उपलब्ध हैं (प्रत्येक बूथ का विवरण अंकित करें)					
पेयजल	शौचालय / मुत्रालय	शेड	रैम्प स्थाई हैं अथवा अस्थायी	क्या मतदान केन्द्र में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध हैं	हवा एवं प्रकाश की स्थिति	फर्नीचर	प्रवेश एवं निकास हेतु पृथक दरवाजें	स्त्री / पुरूष मतदाता हेतु पृथक–पृथक लाईन हेतु स्थान उपलब्ध हैं या नहीं	क्या छत का पंखा लगा हुआ एवं चालू स्थिति में हैं	खिडकिया / दरवाजें टूटे हुए हैं या ठीक स्थिति में हैं
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

प्रति हस्ताक्षर

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)
नाम, पदनाम एवं मोहर सहित

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

मतदान बूथ का क्रमांक एवं विवरण : मतदान बूथ में सम्मिलित वार्ड संख्याक :	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

भाग—3
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों हेतु

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(11)

राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिये आदर्श आचरण संहिता

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर
2019
द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर

राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिये आदर्श आचरण संहिता

(I) सामान्य आचरण –

1. किसी भी दल या उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय व जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुँचे या उनमें विद्वेष व तनाव पैदा हो।

2. **जब अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाये, तब उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पूर्ववत छवि और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिये, जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओ या कार्यकत्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो। दलों या उनके कार्यकत्ताओं के बारे में ऐसे आरोपों के आधार पर आलोचना नहीं की जानी चाहिये जिनकी सत्यता साबित नहीं हुई है या तोड मरोडकर कही गयी बातों पर आधारित है।**

3. मत प्राप्त करने के लिये धार्मिक, साम्प्रदायिक या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये तथा चुनाव प्रचार के लिये किसी पूजा–स्थल जैसे कि मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरजाघर आदि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये।

4. किसी भी दल और उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध माना गया है, जैसे कि मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर पूरी होने वाली 48 घन्टे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभा करना, किसी चुनाव सभा में गडबडी करना या विघ्न डालना, मतदान केन्द्र व मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि के अन्दर मत संयाचना (Convassing) करना, मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिये वाहनों का उपयोग करना, मतदान केन्द्र में या उसके आस–पास विच्छृंखल (Disorderly Conduct) आचरण करना, मतदान की कार्यवाही में बाधा डालना, मतदाताओं को रिश्वत देना, तथा मतदाताओं का प्रतिरूपण करना आदि।

5. दलों या उम्मीदवारों को चाहिये कि वे अन्य व्यक्ति के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिये उनके निवास पर प्रदर्शन आयोजित करने या धरना देने जैसे तरीकों का सहारा नहीं लेवें तथा इस बात का प्रयास करें कि प्रत्येक व्यक्ति के शांन्तिपूर्ण और विघ्न रहित घरेलू जिन्दगी के अधिकार (Right of peaceful and undisturbed home-life), का वे आदर करें, चाहे वे उसके राजनीतिक विचारों या क्रिया कलापों के कितने ही विरूद्ध क्यों न हों।

6. किसी दल या उम्मीदवार को किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का चुनाव प्रतीक लगाने, ध्वज लगाने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने, बैनर लगाने आदि के लिये बिना अनुमति के उपयोग नहीं करना चाहिये और न ही ऐसा करने की अनुमति अपने समर्थको (Followers) को देनी चाहिये।

7. मतदान के दिन और इससे एक दिन पूर्व की अवधि में किसी दल या किसी उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा न तो शराब खरीदी जाये और न ही उसे किसी को पेश किया जाये और न ही वितरित की जाये। प्रत्येक दल व उम्मीदवार को अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा करने से रोकना चाहिये।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

8. किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन–अभिकर्ता नियुक्त नहीं करना चाहिये जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी है और न ही उन्हें अपने चुनाव प्रचार संबंधी कोई कार्य में शामिल करना चाहिये।

(II) सभाएं –

1. दलों और उम्मीदवारों को चाहिये कि वे और उनके समर्थक अन्य दलों या उम्मीदवारों द्वारा आयोजित सभाओं व जुलूसों में बाधा उत्पन्न नहीं करें, और न ही अन्य दलों अथवा उम्मीदवारों द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं में मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रश्न पूछकर या अपने अथवा अपने दल के पर्चे वितरित कर कोई विघ्न पैदा करना चाहिये। दलों व अभ्यर्थियों द्वारा उन स्थानों से होकर अपना जुलूस नहीं ले जाना चाहिये जहाँ पर दूसरे दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा सभा की जा रही है। किसी दूसरे दल अथवा अभ्यर्थी के द्वारा लगाये गये पोस्टर भी नहीं हटाने चाहिये।

2. दल या अभ्यर्थी को चुनाव प्रचार के लिये सभा करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि जहाँ पर उनके द्वारा सभा करने का प्रस्ताव है, वहाँ कोई निर्बन्धात्मक या प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू तो नहीं हैं और यदि ऐसे आदेश लागू हों तो उनका कडाई के साथ पालन करना चाहिये। यदि ऐसे आदेशों से कोई छूट अपेक्षित है तो उसके लिये यथासमय संबंधित सक्षम अधिकारी को आवेदन करना चाहिये और छूट प्राप्त कर लेनी चाहिये।

3. दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना देनी चाहिये ताकि वे यातायात नियंत्रित करने और शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक इंतजाम कर सके। यदि अपेक्षित हो तो संबंधित सक्षम अधिकारी से उसकी अनुमति भी लेनी चाहिये।

4. दल या अभ्यर्थी को चाहिये कि वे अपनी किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाऊड–स्पीकरों के प्रयोग या अन्य किसी सुविधा के लिये अनुमति प्राप्त करना चाहे तो संबंधित सक्षम अधिकारी के पास पर्याप्त समय पहले ही आवेदन करें और ऐसी अनुमति प्राप्त करें। लाऊड–स्पीकरों के उपयोग की अनुमति यदि अपेक्षित है तो बिना अनुमति लाऊड–स्पीकरों का प्रयोग नहीं करना चाहिये और सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने के पश्चात् भी लाऊड–स्पीकरों को ऊँची आवाज में कदापि नहीं बजायें।

5. किसी दल या अभ्यर्थी के द्वारा सभा आयोजित करने पर यदि ऐसी सभा में कोई विघ्न डाले या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करे तो सभा के आयोजकों को चाहिये कि विघ्न डालने वाले और अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिये ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करे। आयोजकों को स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये।

(III) जुलूस –

1. दल या अभ्यर्थी को चाहिये कि वे पहले ही यह तय कर लें कि जुलूस किस समय और किस स्थान से शुरू होकर किस समय और किस स्थान पर समाप्त होगा तथा किस मार्ग से होकर जायेगा। कार्यक्रम में बाद में सामान्यतः कोई फेर बदल नहीं करना चाहिये।

2. जुलूस के आयोजकों को चाहिये कि वे जूलूस के कार्यक्रम के बारे में स्थानीय पुलिस को पर्याप्त समय पूर्व सूचित कर दें, ताकि आवश्यक इंतजाम हो सके।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

3. जुलूस का आयोजन करने से पूर्व यह आवश्यक रूप से पता कर लेना चाहिये कि जुलूस के निकालने के संबंध में कोई प्रतिबन्धात्मक आदेश तो लागू नहीं है और जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसे प्रतिबन्धात्मक आदेशों से विशेष रूप से छूट न दे दी जावे तब तक उन निर्बन्धनों का पालन करना चाहिये। जुलूस के आयोजन के समय यातायात नियमों का भी पालन करना चाहिये। जुलूस की व्यवस्था ऐसी करनी चाहिये जिससे यातायात में रूकावट न हो और यातायात का जमाव नहीं हो। जुलूस को सडक के एक ओर रखना चाहिये तथा पुलिस के निर्देश व सलाह का पालन करना चाहिये।

4. यदि दो या दो से अधिक राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों ने लगभग उसी समय पर उसी रास्ते से या उसके भाग से जुलूस निकालने का प्रस्ताव किया है तो, आयोजकों को चाहिये कि वे समय से पूर्व आपस में सम्पर्क स्थापित करें और ऐसी योजना बनायें कि जिससे जुलूसो में टकराव न हो एवं यातायात मे बाधा न पहुँचे। स्थानीय पुलिस की सहायता संतोषजनक इंतजाम करने के लिये सदा उपलब्ध होगी। इस प्रयोजन के लिये दलों को यथाशीघ्र पुलिस से सम्पर्क स्थापित करना होगा।

5. दल या अभ्यर्थी को उनके द्वारा आयोजित जुलूसों में किसी व्यक्ति को कोई ऐसी वस्तु लेकर चलने की अनुमति नहीं देनी चाहिये जिसका कि उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग हो सके।

6. किसी दल या अभ्यर्थी को अन्य दल के सदस्यों या उनके नेताओं या अन्य अभ्यर्थी के पुतले लेकर चलने, उनको किसी सार्वजनिक स्थान पर जलाने का कार्य नहीं करना चाहिये और न ही ऐसे प्रदर्शनों का समर्थन करना चाहिये।

(IV) मतदान दिवस –

सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को चाहिये कि वे –

1. यह सुनिश्चित करने के लिये कि मतदान निष्पक्ष, शान्तिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से हो और मतदाताओं को पूरी स्वतंत्रता हो कि वे बिना किसी परेशानी या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, निर्वाचन कर्तव्य पर लगे हुये अधिकारियों के साथ सहयोग करें।

2. अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बिल्ले या पहचान पत्र दें।

3. ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि मतदाताओं को उनके द्वारा दी गई पहचान पर्चियाँ सादे सफेद कागज पर होंगी और उन पर कोई प्रतीक, अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम नहीं होगा।

4. मतदान के दिन और उसके पूर्व के 48 घंटों के दौरान किसी को शराब पेश या वितरित न करें।

5. मतदान केन्द्रों के निकट लगाये गये कैम्पों के नजदीक अनावश्यक भीड इकट्ठी न होने दें जिससे दलों और अभ्यर्थियों के कार्यकर्ताओं और शुभचिन्तकों में आपस में मुकाबला और तनाव न होने पावे।

6. यह सुनिशिचित करें कि अभ्यर्थियों के कैम्प साधारण हों उन पर टैंट नहीं लगाये जायें, उन पर कोई पोस्टर, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित न की जाये। कैम्पों में खाद्य पदार्थ पेश न किये जायें और भीड न लगाई जाए।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

7. मतदान के दिन वाहन चलाने पर लगाये जाने वाले निर्बन्धनों का पालन करने में प्राधिकारियों के साथ सहयोग करें और वाहनों के लिये परमिट प्राप्त कर लें और उन्हें उन वाहनों पर ऐसे लगा दें जिससे साफ–साफ दिखाई देते रहें।

8. मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में अपना कैम्प किसी भी स्थिति में नहीं लगावें।

9. मतदान केन्द्र व इसकी 100 मीटर परिधि में किसी मतदाता से मत संयाचना (Convassing) नहीं करें और न ही अपने कार्यकर्ताओं को करने दें।

10. वाहन का परमिट सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर लेने के बाद भी ऐसे वाहन में स्वयं अभ्यर्थी व उसके परिवारजन अथवा निर्वाचन एजेंट व उसके परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य किसी मतदाता को नहीं बिठायें।

11. अपने कार्यकर्ताओं को किसी भी वाहन से अन्य ऐसे मतदाताओं को जो उनके स्वयं के परिवारजन नहीं हैं, मतदान केन्द्रों तक लाने व वहाँ से ले जाने का कार्य करने से पूर्णतः रोकें।

12. मतदाताओं का प्रतिरूपण अर्थात गलत नाम से मत डालने का प्रयास नहीं करें।

(V) मतदान केन्द्र –

मतदाताओं के सिवाय कोई भी व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये विधिमान्य पास के बिना मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेगा।

(VI) पर्यवेक्षक –

राज्य निर्वाचन आयोग पर्यवेक्षक नियुक्त कर रहा है। यदि निर्वाचनों के संचालन के संबंध में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो तो वे उसकी सूचना पर्यवेक्षक को दे सकते हैं।

(VII) सत्ताधारी दल –

सत्ताधारी दल को, चाहे वह केन्द्र में हो या राज्य में हो, यह सुनिश्चित करना चाहिये कि यह शिकायत करने का कोई मौका न दिया जाये कि उस दल ने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनों के लिये अपने सरकारी पद का प्रयोग किया है, और विशेष रूप से –

(1) (क) मंत्रियों को अपने शासकीय दौरों को निर्वाचन क्षेत्रो में निर्वाचन से संबंधित प्रचार कार्य के साथ नहीं जोडना चाहिये और निर्वाचन के दौरान प्रचार करते हुये शासकीय मशीनरी अथवा कार्मिकों का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

(ख) सरकारी विमानों, गाडियों सहित सरकारी वाहनों, मशीनरी और कार्मिकों का सत्ताधारी दल के हित को बढावा देने के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(2) सत्ताधारी दल को चाहिये कि वह सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान इत्यादि पर निर्वाचन सभाएं आयोजित करने और निर्वाचन के संबंध में हवाई उडानों के लिये हैलिपैड के इस्तेमाल करने के लिये अपना एकाधिकार न जमाएं । ऐसे स्थानों का प्रयोग दूसरे दलों और अभ्यर्थियों को भी उन्हीं शर्तों पर करने दिया जाए जिन शर्तों पर सत्ताधारी दल उनका प्रयोग करता है।

(3) सत्ताधारी दल या उसके अभ्यर्थियों का विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों पर एकाधिकार नहीं होगा और ऐसे आवासों का प्रयोग निष्पक्ष तरीके से करने के लिये अन्य दलों और अभ्यर्थियों को भी अनुमति दी जायेगी लेकिन कोई भी दल या अभ्यर्थी ऐसे आवासों का व इनके साथ संलग्न परिसरों का प्रचार कार्यालय के रूप में या निर्वाचन प्रोपेगंडा के लिये कोई सार्वजनिक सभा करने की दृष्टि से प्रयोग नहीं करेगा या प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(4) निर्वाचन अवधि के दौरान, राजनैतिक समाचारों तथा प्रचार की पक्षपातपूर्ण ख्याति के लिये सरकारी खर्चे से समाचार पत्रों में या अन्य माध्यमों से ऐसे विज्ञापनों का जारी किया जाना, तथा सरकारी जन–माध्यमों का दुरूपयोग कर्तव्यनिष्ठ होकर बिल्कुल बन्द रहना चाहिये जिनमें सत्ताधारी दल के हितों को अग्रसर करने की दृष्टि से उनकी उपलब्धियाँ दिखाई गई हों।

(5) मंत्रियों और अन्य प्राधिकारियों को उस समय से जब से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किये जाते हैं, विवेकाधीन निधि में से अनुदानों/अदायगियों की स्वीकृति नहीं देनी चाहिये।

(6) मन्त्री और अन्य प्राधिकारी, उस समय से जब से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन–कार्यक्रम घोषित किये जाते हैं :–

(क) किसी भी रूप में कोई भी वित्तीय मंजूरी या वचन देने की घोषणा नहीं करेंगे, अथवा

(ख) किसी प्रकार की परियोजनाओं अथवा स्कीमों के लिये आधार शिलाएं आदि नहीं रखेंगे, या

(ग) सडकों के निर्माण का कोई वचन नहीं देंगे, पीने के पानी की सुविधायें नहीं देंगे, आदि या

(घ) शासन, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कोई भी तदर्थ नियुक्ति न की जाये जिससे सत्ताधारी दल के हित में मतदाता प्रभावित हो।

(7) केन्द्रीय या राज्य सरकार के मन्त्री, अभ्यर्थी या मतदाता अथवा प्राधिकृत अभिकर्ता की अपनी हैसियत को छोडकर किसी भी मतदान केन्द्र या गणना स्थल में प्रवेश न करें।

(8) मन्त्रियों और अन्य प्राधिकारियों को उस समय से जब से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया जाता है, निर्वाचन संबंधी कार्यो से जुडे हुये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण नहीं करने चाहिये।

टिप्पणी – राज्य निर्वाचन आयोग कोई भी निर्वाचन की तारीख की घोषणा करेगा जो ऐसे निर्वाचनों के बारे में जारी होने वाली अधिसूचना की तारीख से सामान्यतः तीन सप्ताह से अधिक नहीं होगी।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(12)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमाकः एफ4(10)(1)न.पा./रा.नि.आ./14/3004 दिनांकः–21.08.2019

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय जयपुर, जोधपुर।
3. समस्त महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
5. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।

विषयः–नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के संबंध में।

महोदय,

स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक मतदाता अपने मत का उपयोग स्वतंत्र व निर्भीक होकर कर सके। इस हेतु राज्य की कानून एवं व्यवस्था मशीनरी को चुनाव संबंधित अपराधों की रोकथाम व नियन्त्रण हेतु प्रभावी कदम उठाने की महत्ती आवश्यकता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 K व 243 ZA द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में निहित शक्तियों के अन्तर्गत आयोग ने समय–समय पर नगरपालिकाओं व पंचायतीराज संस्थाओं की चुनाव प्रकिया के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु दिशा–निर्देश जारी किए हुए हैं। इन समस्त निर्देशों को संकलित करते हुए पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 3230–32–33 दिनांक 8.8.2014 को अधिक्रमित करते हुए निम्न निर्देश जारी किए जाते हैः–

1. नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने की दृष्टि से आयोग जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों से यह अपेक्षा करता है कि आवश्यक कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए विशेष तौर पर निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :

1.1 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कर चुनाव के दौरान आचार संहिता के पालन व कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया जावे।

1.2 प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में **संवेदनशील (Vulnerable) एवं क्रिटीकल मतदान केन्द्रों** की पहचान जिला मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक एवं रिटर्निंग अधिकारी के परामर्श से तैयार करें–

- **संवेदनशील मतदान केन्द्र** में ऐसे क्षेत्रों के मतदान केन्द्र आऐंगे, जहॉ कमजोर वर्गो व मतदाताओं को मतदान देने से रोके जाने की संभावना हो। ऐसे भय व प्रताडना से ग्रस्त क्षेत्रों में Vulnerable परिवार और मतदाताओं की पहचान की जाए एवं जिला प्रशासन ऐसे मतदाताओं को निर्भिक होकर मतदान करने हेतु आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।
- **क्रिटीकल मतदान केन्द्र** में ऐसे मतदान केन्द्रों को शामिल किया जाए, जिनमें–
  - (अ) जहॉ गत आम चुनाव में 90% से अधिक मतदान हुआ हो और 75% से अधिक मत किसी एक अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये हों,
  - (ब) गत आम चुनावों में हिंसा, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग आदि की घटनाऐं हुई हो अथवा गड़बड़ी के कारण पुनर्मतदान हुआ हो,
  - (स) जहॉ पर धार्मिक, जातिगत अथवा आर्थिक–सामाजिक असमानता के आधार पर हिंसा/गड़बड़ी होन की संभावना हो
  - (द) जहॉ बड़ी संख्या में आदतन अपराधी/असामाजिक तत्व रहते हों

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

ऐसे संवेदनशील (Vulnerable) एवं क्रिटिकल मतदान केन्द्रों के क्षेत्रों में पूर्व में घटी घटनाओं तथा ऐसी घटनाओं में लिप्त व्यक्तियों का गहन विश्लेषण कर ऐसी रणनीति तैयार कर अमल में लाई जावें कि इन क्षेत्रों में चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक सम्पन्न हों।

1.3 निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नहीं किए जाएं।

1.4 चुनाव कार्यक्रम के घोषित होते ही आग्नेय शस्त्रों एवं धारदार हथियारों को धारण कर आने जाने को प्रतिबंधित किया जाए।

1.5 चुनाव घोषणा होते ही असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जाकर उनकी गतिविधियों संबंधी नियमित सूचना की व्यवस्था की जावे। हिस्ट्री शीटर व आदतन अपराधियों पर विशेष ध्यान दिया जावे व पुलिस द्वारा नियमानुसार उनकी गतिविधियां नियन्त्रित की जावे और जहां भी आवश्यक समझा जाए बिना विलम्ब कानूनी कार्यवाही की जावे ताकि चुनाव शांतिपूर्ण हों।

1.6 मतदान दिवस पर ट्रकों, लारियों तथा अन्य यातायात के साधनों को चुनाव क्षेत्र में नियंत्रित किया जाए।

1.7 उन क्षेत्रों में, जहां असामाजिक तत्वों द्वारा अवैद्य शस्त्र तथा गोला बारूद बनाने, बेचने या उपयोग में लेने की संभावनाएं हों, अभियान चलाया जाए व तत्संबंधी प्रभावी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। इस संबंध में की गई कार्यवाही का उल्लेख LOR में यथास्थान किया जावे।

1.8 राज्य के कई क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों व अन्य कमजोर वर्गो को स्वतंत्र व निर्भीक होकर मतदान नहीं करने दिए जाने की घटनाएं पूर्व के कई चुनावों में सामने आई हैं तथा यह भी देखा गया है कि कई व्यक्तियों के विरूद्व अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के अन्तर्गत एक से अधिक मुकदमें दर्ज हैं। ऐसे क्षेत्रों व व्यक्तियों को विशेष रूप से चिन्हित कर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जावे ताकि चुनाव हेतु भयमुक्त वातावरण तैयार हो सके।

1.9 मतदान समाप्ति से 48 घण्टों से पूर्व से तथा मतगणना दिवस को शराब के उपयोग एवं बिक्री को प्रतिबंधित किया जाए।

1.10 मतदान की घोषण के पश्चात नामनिर्देशन पत्र वापिस लिये जाने की तिथि से ही समस्त वाहनों की जॉच के लिए अभियान चलाया जाए साथ ही मतदान दिवस के चार दिन पूर्व से उक्त अभियान को और अधिक सघन कर दिया जाये ताकि असामाजिक तत्वों द्वारा चुनाव क्षेत्रों में हथियार, गोला–बारूद, मादक पदार्थो की तस्करी व अवैद्य धन के परिवहन का प्रभावी ढ़ंग से रोका जा सके।

1.11 चुनाव रैली में तीन से अधिक वाहनों को निकलने की अनुमति नहीं दी जाए तथा यदि अधिक वाहनों के साथ कोई चुनाव रैली निकाली जाती है तो उसे रोका जाए।

1.12 निर्वाचन के दौरान चुनाव कर्तव्यों हेतु नियुक्त किए गए कार्मिकों के साथ यदि दुर्व्यवहार किया जाता है अथवा उन्हें धमकी दी जाती हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया बाधित होने के साथ निर्वाचन कर्तव्यों हेतु नियुक्त कार्मिकों के आत्मविश्वास में कमी आती है तो **उनके विरूद्ध राज्य कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कराया जाये। आयोग ऐसी घटनाओं को गम्भीरता से लेता है।** अतः निर्वाचन के दौरान ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जावे। यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा तुरन्त प्रभावी कार्यवाही कर आयोग को अवगत करायेंगे।

1.13 अनुज्ञापत्र धारियों के शस्त्र जमा कराये जाने के संबंध में चुनाव के दौरानएक जॉच समिति (screening committee) गठित की जायेगी, जो जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक से मिलकर बनेगी तथा महानगर क्षेत्र में पुलिस आयुक्त एवं उपायुक्त से मिलकर बनेगी, जो कि चुनाव की घोषणा से अपना कार्य प्रारम्भ करेगी। जॉच कमेटी द्वारा निम्नलिखित श्रेणी के अनुज्ञापत्र धारियों के शस्त्र जमा करने संबंधी प्रकरण कमेटी के समक्ष रखे जाकर गुणावगुण के आधार पर चिन्हित अनुज्ञापत्र धारियों के अनुज्ञा पत्र जमा कराने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा–

i) जो जमानत पर छूटे हुए हों,
ii) जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक रही हो, एवं
iii) जो किसी निर्वाचन के दौरान या अन्य किसी समय दंगा–फसाद में सम्मिलित रहे हों।
iv) जिनके विरूद्व कमजोर तबके के लोग डराने–धमकाने की शिकायत करें।
v) जिनके विरूद्व आम लोगों को डराने–धमकाने की प्रबल संभावना हो।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

उक्त बिन्दु उदाहरण मात्र हैं, इनके अतिरिक्त चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी विधि के प्रावधानों के अनुसार जिन अनुज्ञापत्र धारियों के शस्त्र जमा करना आवश्यक समझे, कर सकते हैं। चुनाव समाप्ति के 7 दिवस के अंदर शस्त्र (यदि अन्य कारण से सस्पेन्ड ना हो) अनुज्ञापत्र धारी को वापिस कर दिया जाए।

1.14 मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र के आसपास निषिद्ध क्षेत्र के भीतर चुनाव प्रचार की रोकथाम एवं मतगणना के समय मतगणना केन्द्र पर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए आयोग के निर्देश हैं कि मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को छोडकर किसी भी अन्य व्यक्ति को कोर्डलैस फोन, वायरलैस सैट, इलेक्ट्रोनिक गजेट्स इत्यादि को लाने व उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह किसी भी व्यक्ति के मतगणना स्थल पर प्रवेश को नियंत्रित करने वाली सीमा या सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी क्षेत्र के भीतर इस तरह के उपकरणों को लाने व उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए उसे इस तरह के साधनों के साथ पाया जाता है तो सुरक्षा प्रभारी अधिकारियों द्वारा उन साधनों को जब्त कर लिया जाएगा। मतगणना समाप्ति तथा चुनाव परिणामों की घोषणा हो जाने के पश्चात् ऐसे जब्त साधन संबंधित व्यक्ति को लौटा दिए जाएंगे।

2. यह निर्देश सामान्य (indicative) हैं, Comprehensive नहीं। अतः कानून व्यवस्था से संबंधित अधिकारी वे समस्त कदम उठाऐंगे जिससे चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण हों।
3. इन निर्देशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संभागीय आयुक्त व महानिरीक्षक/आयुक्त पुलिस का होगा। वे अपने–अपने संभाग में जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक की नियमित मीटिंग कर इन निर्देशों की पालना की समीक्षा करेंगे व जिला प्रशासन को उचित दिशा–निर्देश प्रदान करेंगे। इन समीक्षा बैठकों में उपरोक्त समस्त बिन्दुओं की बिन्दुवार समीक्षा की जावेगी। बैठक के कार्यवाही विवरण की एक प्रति आयोग को भी प्रेषित की जावे। यह अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ होने से समाप्त होने तक प्रत्येक जिले की कम से कम दो समीक्षा बैठके आयोजित की जायें।
4. आयोग के स्तर पर कानून व्यवस्था की निरंतर समीक्षा की जावेगी। इस हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक सप्ताह संलग्न प्रपत्र LOR-I में जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त पुलिस से सूचना प्राप्त कर अपनी समीक्षा टिप्पणी सहित माह की 7, 14, 21 व 28 तारीख को आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करेंगे। यह सूचना चुनाव घोषणा होने की तिथि से चुनाव की समाप्ति तक भेजी जाएंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी उक्त LOR में अपनी टिप्पणी अंकित कर यह सुनिश्चित करेंगे कि यह सूचना निर्धारित तिथि को सांय 6.00 बजे तक अपलोड कर दी जाये। साथ ही LOR की एक प्रति जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त पुलिस की हस्ताक्षरित प्रति पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी मय हस्ताक्षर आयोग को ई–मेल के माध्यम से भी तत्समय भिजवाने की व्यवस्था करेंगे।

संलग्न : फॉर्म LOR- I

आज्ञा से,

(शुचि त्यागी)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव

क्रमाकः एफ4(10)(1)न.पा./रा.नि.आ./14/3005–3010 दिनांक :–21.08.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अधिकारीगण, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को संबंधित को ई–मेल करने एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. समस्त शाखाएं, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
6. गार्ड फाईल।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

Form LOR-I

Weekly Law & Order Report for Districts for Electoral Events
MUNICIPAL/PANCHAYAT ELECTIONS, ……………………(Year)

To
1) District Election Officer (District Magistrate)

1) Start Date of these reports ……………………..……….. (DD/MM/YY)
2) Report for ………………… ……………………..……….. (DD/MM/YY)

Name of Police District :

Sr. No.	Item		Reporting Week	Cumulative from Start Date upto and Including Reporting Day
1	No. of Unlicensed arms/explosive seized			
	(a) Arms	(I) Fire arms		
		(II) Weapons (other than fire arms)		
	(b)	(1) Cartidges		
		(2) Explosives (in Kgs)		
		(3) Others, if any		
2	No. of illicit arms manufacturing centres raided and seizures made			
3	Licensed Arms (Para 1.13 of the instructions)	issued		
		Deposited		
		Impounded		
		Cancelled		
4	(a) No. of cases put up under praventive section of CrPC			
	(b) No. of persons bound down under preventive sections of CrPC			
5	Execution of non-bailable warrants	a) Executed		
		b) Pending		
6	No. of incidents of violence related to poll campaign etc.			
	(a) Total killed			
	(b) Total injured			
	(c) Damage to property (in Rs. Lakhs)			
	(d) No. of cases Registered			
	(e) No. of Accused Persons arrested			
7	(a) No. of incidents occurred under Atrocities Act 1989 during election			
	(b) No. of FIR's Registered			
	(c) No. of Accused Persons Arrested			
	(d) No. of Persons against whom action taken as per para 1.7 of the instructions			
8	Information regarding Vulnerable and sensitive areas			
	(a) No. of Villages/Mohalla identified as Vulnerables			
	(b) No. of persons identified as probable source of trouble			
	(c) Of which preventive action taken against			
9	Seized Liquor	Estimated value (in Rs.)		
			Name & Signature of SP	
	Comments by District Magistrate			
			Name & Signature of DM	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(13)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः– प. 1(5)(70)/संस्था/रानिआ/2019/**3350** दिनांकः–**12.09.2019**

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषयः–राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक– शिष्टाचार एवं सुविधाओं के संबंध में।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भारत संविधान के अनुच्छेद 243के और 243जेडए के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत राज्य में स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाती है ताकि स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सके तथा सुचारू, कुशल और प्रभावी तरीके से चुनावों के संचालन का प्रबंधन हो सके। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन की संवैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में राज्य निर्वाचन आयोग की सहायतार्थ पर्यवेक्षकों को लगाया और नियुक्त किया जाता है। पर्यवेक्षक राज्य निर्वाचन आयोग की आंख और कान हैं। वे विश्वसनीय और स्वतंत्र स्त्रोत के रूप में फील्ड की सूचनाओं से राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत कराते हैं और उनकी वरिष्ठता एवं लम्बे प्रशासनिक अनुभव का उपयोग स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव प्राधिकारियों के कार्य का उचित पर्यवेक्षण में किया जाता है।

इसलिए, जिला प्रशासन और चुनावी गतिविधियों से संबंधित सभी कार्मिकों को उनसे आदरपूर्ण व्यवहार एवं शिष्टाचार से पेश आने हेतु निर्देशित किया जाता है।

पर्यवक्षकों के लिए निम्नानुसार सुविधा/व्यवस्था उपलब्ध करावें :–

1. उनके कार्यक्रम के अनुसार उनकी अगवानी और प्रस्थान व्यवस्था का ध्यान रखें।
2. जैसा कि सभी पर्यवेक्षक राज्य कैडर (IAS एवं RAS) से होंगे, इसलिएवे अपने राजकीय वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। फिर भी आवश्यकतानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षक को विश्वसनीय और भरोसेमन्द परिवहन दिया जाना चाहिए, जिससे उन्हें नगरपालिका/पंचायतीराज संस्थाओं में जहॉ भी आवश्यक हो, पहुंचने में सुविधा रहे।
3. पर्यवेक्षक के सर्किट हाऊस में ठहरने की व्यवस्था, स्थानीय परिवहन और सुरक्षा की व्यवस्था जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी। इन व्यवस्थाओं में पीएसओ, वाहन चालक, सचिवीय सहायता, संपर्क अधिकारी (liasion officer) आदि शामिल होंगे। बोर्डिंग और लॉजिंग का खर्च संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा अपने दैनिक भत्ते से वहन किया जाएगा। टीए/डीए का भुगतान पर्यवेक्षक द्वारा उनके विभाग/कार्यालय से लिया जाएगा।
4. पर्यवेक्षक के आगमन से लेकर उनके मूल स्थान तक लौटने, विशेषकर उन्हें आवंटित स्थानीय

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

निकाय/पंचायती राज संस्थाओं में उनके ठहरने और भ्रमण के दौरान उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाये।

5. सूचना की उपलब्धता– जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक पर्यवेक्षक को एक फोल्डर में निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करायेंगे–
   (i) नगरपालिका/पंचायत समिति का नक्शा।
   (ii) क्रिटीकल मतदान केन्द्र एवं व्लनरेबल (vulnerable) क्षेत्र के साथ–साथ मतदान केन्द्रों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची।
   (iii) प्रत्येक नगरपालिका/पंचायती राज वार्डवार संस्थाओं के मतदाताओं की संख्या।
   (iv) मतदान केन्द्रों, पुलिस स्टेशनों, सिविल और पुलिस अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं चुनाव से जुड़े अन्य अधिकारियों की सूची मय टेलीफोन व मोबाईल नं.।
   (v) जिले की चुनाव योजना से संबंधित एक बुकलेट एवं अन्य ऐसे दस्तावेज जो आवश्यक हो।
   (vi) मतगणना केन्द्र एवं मतगणना से संबंधित समस्त आवश्यक सूचनाऐं।

6. पर्यवेक्षकों को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान नहीं किया जायेगा।
7. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षकों को सर्किट हाऊस या इनके ठहरने के किसी अन्य स्थान पर टेलीफोन की सुविधा प्रदान की जायेगी। जहॉ एक ही परिसर में एक से अधिक पर्यवेक्षक ठहरे हुए हों वहॉ केवल एक फैक्स मशीन व एसटीडी सुविधा वाली टेलीफोन लाईन पर्याप्त होगी।
8. मतगणना केन्द्रों में पर्यवेक्षकों कोमतगणना केन्द्र में एक एसटीडी टेलीफोन व फैक्स की सुविधा के साथ एक अलग टेबल उपलब्ध करायी जायेगी। एसटीडी टेलीफोन व फैक्स का उपयोग पर्यवेक्षक एवं रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।
9. जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षकों के ठहरने के स्थानऔर टेलीफोन नंबर, उनकी व यात्रा की तारीख का विधिवत प्रचार किया जाना चाहिए, ताकि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, उम्मीदवार आदि उनसे चुनाव संबंधी शिकायतों या सूचनाओं के साथ मिल सके।
10. जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षकों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक स्टेशनरी उपलब्ध करायी जायेगी।

(शुचि त्यागी)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थानजयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

RAJASTHAN STATE ELECTION COMMISSION

No. F.4 (2) (1) P./SEC/94/404 Jaipur, Dated 18 Jan., 95

ORDER

The Commission hereby authorises all the Divisional Commissioners for general supervision on conduct of Panchayat Elections within their respective Jurisdiction. The Divisional Commissioner and the Officer/Official put for their assisstance shall be treated on election duty and will be entitled to enter into polling stations and counting centres.

(Dinesh Kumar)
Chief Electoral Officer & Secy.
State Election Commission, Raj.,
Jaipur

No. F.4 (2) (1) P./SEC/94/404 Jaipur, Dated 18 Jan., 95

Copy to the following for information and necessary action to:-

1. All Divisional Commissioners.
2. All District Election Officers.
3. P.S. to Commr., S.E.C., Rajasthan, Jaipur.
4. P.A. to Secretary, S.E.C., Rajasthan Jaipur.
5. Deputy Secretary, I/II, S.E.C., Rajasthan, Jaipur.
6. Asstt. Secretary, I/II, S.E.C., Rajasthan, Jaipur.
7. A.O./P.R.O./S.E.O., Rajasthan, Jaipur.
8. Guard file.

Deputy Secretary,
State Election Commission
Rajasthan, Jaipur

(15)

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांक : एफ. 4 (2) (1) पंचा/रानिआ/94/332 जयपुर, दिनांक : 16.1.95

आदेश

पंचायती राज़ संस्थाओं के चुनावों के पर्यवेक्षण के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है जो राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी माने गये है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों के साथ नियुक्त किये गये मंत्रालयिक कर्मचारी भी पर्यवेक्षकों की सहायतार्थ निर्वाचन ड्यूटी पर माने जायेंगे। अत: पर्यवेक्षकों एवं उनकी सहायतार्थ नियुक्त मंत्रालयिक कर्मचारी निर्वाचन ड्यूटी पर पदारूढ़ होने के फलस्वरूप मतदान केन्द्र एवं मतगणना स्थान में प्रवेश करने के लिए अधिकृत हैं।

(दिनेश कुमार)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर

क्रमांक : एफ. 4 (2) (1) पंचा/रानिआ/94 जयपुर, दिनांक : 16.1.95

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित हैं:-

1. समस्त पर्यवेक्षक।
2. समस्त संभागीय आयुक्त।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी।
4. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त।
5. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग।
6. उप सचिव, प्रथम/द्वितीय, राज्य निर्वाचन आयोग।
7. सहायक सचिव, प्रथम/द्वितीय राज्य निर्वाचन आयोग।
8. जनसम्पर्क अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग।
9. रक्षित पत्रावली।

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

(16)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 1783 जयपुर, दिनांकः 01.05.2018

आदेश

विषय : पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण।

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 28 एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 22 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127–क के प्रावधान नगर पालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में भी लागू माने गये हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127–क के प्रावधान निम्न प्रकार हैं :–

''127 क. पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निर्बन्धन :–

(1) कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हों, मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रित या प्रकाशित कराएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को :–

(क) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा, और न मुद्रित करायेगा। जिसमें वह उसके प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक को परिदत कर देता है; तथा

(ख) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा, और न मुद्रित कराएगा, जिसमें कि मुद्रक घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के सहित –

(i) उस दशा में जिसमें कि वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है, मुख्य निर्वाचन ऑफिसर को, तथा

(ii) किसी अन्य दशा में उस जिले के, जिसमें कि वह मुद्रित की जाती हैं, जिला मजिस्ट्रेट को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर भेज देता है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए –

(क) दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियां बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया की बाबत जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियां बनाने से भिन्न है, यह समझा जायेगा कि वह मुद्रण है, और ''मुद्रक'' पद का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा; तथा

(ख) ''निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर'' से किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को सम्प्रवर्तित या प्रतिकूलतः प्रभावित करने के प्रयोजन के लिये वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज जो निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, किन्तु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, समय, स्थान और अन्य विशिष्टिओं को केवल आख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं को चर्या संबंधी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर इसके अन्तर्गत नहीं आता।

(4) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा।''

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

निर्वाचनों के समय यह पाया जाता है कि बड़ी संख्या में ऐसे दस्तावेजों को मुद्रित, प्रकाशित, परिचालित किया जाता है, जिनके संबंध में ऊपर उल्लिखित विधि की अपेक्षाओं का अनुसरण नहीं किया जाता है। मुद्रणालयों द्वारा संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को धारा 127—क की अपेक्षानुसार प्रकाशक से प्राप्त घोषणा पत्र के साथ मुद्रित दस्तावेजों को यदा—कदा ही भेजा जाता है। निर्वाचन पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुख पृष्ठ पर धारा 127—क (1) के उपबंध के अनुसार उसके मुद्रक (Printer) और या प्रकाशक (Publisher) के नाम और पते प्रायः मुद्रित नहीं किये जाते।

उक्त धारा—127—क के अन्तर्गत निर्वाचन पुस्तिकाओं, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण इस दृष्टि से आरोपित किए गए हैं कि ऐसे दस्तावेजों के प्रकाशकों (Publishers) और मुद्रकों (Printers) की पहचान स्थापित हो सके, जिससे कि यदि ऐसे दस्तावेज में कोई ऐसी विषय वस्तु हो जो विधि विरूद्ध (अवैध) हो, क्षतिकारक या आपत्तिजनक हो (यथा धर्म, प्रजाति, जाति समुदाय या भाषा के आधार पर अपील, या किसी विपक्षी इत्यादि के चरित्र हनन की सामग्री) तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक दण्डात्मक या निरोधक कार्यवाही की जा सके।

अतः ऊपर उल्लिखित विषय और कानून के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन और अनुसरण किये जाने के आशय से राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद—243—K एवं 243—ZA के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों हेतु जारी आदेश क्रमांक प.7(1)(28)पं.चु./रानिआ/99/4364 दिनांक 22.12.2000 को अधिक्रमित करते हुए नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी करता हैः—

(i) जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं के साधारण या किसी उप निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित किया जायेगा, वैसे ही संबंधित जिला मजिस्ट्रेट निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा किये जाने के तीन दिन के भीतर अपने जिले के सभी मुद्रणालयों को—
   (क) उक्त धारा 127—क की अपेक्षाओं को इंगित करते हुए और विशेष रूप से यह निर्देश देते हुए लिखेगा कि उनके द्वारा मुद्रित किसी निर्वाचन पुस्तिकाओं, पोस्टरों या ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रकीय हाशिये में स्पष्ट रूप से उसके मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम एवं पता अंकित किया जाए,
   (ख) उक्त धारा 127—क की उप धारा (2) के अधीन अपेक्षित प्रकाशक से प्राप्त किये गये घोषणा—पत्र और मुद्रित सामग्री की प्रतियां (प्रत्येक ऐसी मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ) मुद्रित किये जाने के तीन दिन के भीतर भेजने के लिए मुद्रकों (Printers) को लिखेगा,
   (ग) यह लिखेगा कि धारा 127—क के प्रावधानों और राज्य निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों का किसी प्रकार से उल्लंघन/अतिक्रमण को गम्भीरता पूर्वक लिया जाएगा और उपर्युक्त मामलों में राज्य के सुसंगत नियमों के अधीन मुद्रणालयों के अनुज्ञा पत्रों को समाप्त किये जाने सहित अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

(ii) जिला मजिस्ट्रेट जयपुर, जयपुर शहर में स्थित मुद्रणालयों के संबंध में भी समान रूप से कार्यवाही करेगा।

(iii) निर्वाचन पुस्तिकाओं, पोस्टरों, आदि के मुद्रण के कार्य को लेने से पूर्व प्रत्येक मुद्रक धारा 127—क की उपधारा (2) की शर्तों के अनुसार आयोग द्वारा विहित ''परिशिष्ट—क'' (प्रति संलग्न) में प्रकाशक (Publisher) से हस्ताक्षरित घोषणा—पत्र प्राप्त कर लेगा। यह घोषणा पत्र दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित भी किया जायेगा जो प्रकाशक (Publisher) को व्यक्तिगत रूप से जानते हों। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (राज्य निर्वाचन आयोग) या जिला मजिस्ट्रेट (जैसी भी स्थिति हो) को उसे प्रेषित करते समय, मुद्रक (Printer) द्वारा भी उसे प्रमाणित किया जाएगा।

(iv) जैसा ऊपर निर्देश दिया गया है, मुद्रक (Printer) द्वारा प्रकाशक (Publisher) के घोषणा—पत्र के साथ मुद्रित सामग्री की चार (4) प्रतियां उसके मुद्रित किये जाने के तीन दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। ऐसी मुद्रित सामग्री और घोषणा—पत्र के साथ आयोग द्वारा विहित ''परिशिष्ट—ख'' (प्रति संलग्न) में मुद्रित दस्तावेजों की प्रतियों की संख्या और ऐसे कार्य के लिये ली गयी कीमत से संबंधित सूचना भी

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

मुद्रक (Printer) द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। मुद्रक (Printer) द्वारा प्रत्येक निर्वाचन पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के संबंध में ऐसी सूचना प्रत्येक ऐसे दस्तावेज के मुद्रण के तीन के भीतर सामूहिक रूप से नहीं अपितु अलग–अलग प्रस्तुत की जायेगी।

(v) किसी मुद्रणालय से पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के प्राप्त होने के तत्काल पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट इस बात की जांच करेगा कि प्रकाशकों (Publishers) और मुद्रकों (Printers) ने कानून की और ऊपर दिये गये आयोग के निर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है या नहीं। इसके अतिरिक्त कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान/नोटिस बोर्ड पर उसकी एक प्रति प्रदर्शित करवाएगा, जिससे कि सभी राजनीतिक दल, प्रत्याशी और दिलचस्पी रखने वाले अन्य व्यक्ति इस बात की जांच कर सकें कि ऐसे दस्तावेजों से संबंधित कानून की अपेक्षाओं का सम्यक अनुपालन हुआ है या नहीं और इस प्रकार से वे ऐसे अन्य निर्वाचन पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मामलों की जिनके संबंध में ऊपर दिये गये कानून की अपेक्षाओं का उल्लंघन हुआ हैं, संबंधित प्राधिकारियों के संज्ञान में ला सकने में सक्षम होंगे।

(vi) जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वारा जयपुर शहर के मुद्रणालयों से प्राप्त पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदिकी 4 प्रतियों मे से दो प्रतियां राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय को भेजी जायेगी।

(vii) धारा 127–क के प्रावधानों के और आयोग के उक्त निर्देशों के अतिक्रमण/उल्लंघन में प्रकाशित किन्हीं पैम्फलेटों, पोस्टर आदि का मामला यदि जिला मजिस्ट्रेट के संज्ञान में आता है या लाया जाता है तो सम्यक जांच उपरान्त दोषी व्यक्तियों के विरूद्व सक्षम न्यायालय में परिबाद प्रस्तुत कर कार्यवाही की जावें।

राज्य निर्वाचन आयोग सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को एतद्द्वारा यह सूचित करता है कि उपर्युक्त विषय पर कानून एवं आयोग के निर्देशों के उल्लंघन को गम्भीरता से लिया जायेगा और दोषियों के विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से

(चन्द्रशेखर मूथा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक : एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014–15/1784–92 जयपुर, दिनांक : 01.05.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सहायक आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. आयुक्त एवं सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. निजी सहायक, सचिव/उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, राजस्थान, जयपुर।
9. नगरपालिका/कम्प्यूटर/लेखा/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

परिशिष्ट–क

निर्वाचन पोस्टर, पर्चे इत्यादि छापने हेतु प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का प्रारूप

(राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 28 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127–क देखे)

मैं..(नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी/ श्री...(नाम) निवासी ....(पूर्ण पता) एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं...(नाम) ... . (निर्वाचन पोस्टरों, पर्चो–आदि मुद्रित सामग्री का विवरण) का प्रकाशक हूं जो .... (छापेखाने का नाम) द्वारा छापे जा रहे हैं।

स्थान ....

दिनांक..

पूरा पता...

....

प्रकाशक के हस्ताक्षर

अनुप्रमाणित

(ऐसा व्यक्ति जिसे प्रकाशक व्यक्तिगत रूप से जानता हो)

1. हस्ताक्षर
(नाम तथा पता)

2. हस्ताक्षर
(नाम तथा पता)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

परिशिष्ट–ख

मुद्रक द्वारा निर्वाचन पोस्टर, पर्चे इत्यादि छापने हेतु प्रस्तुत की जाने वाली सूचना का प्रारूप

1. मुद्रक का नाम व पता ....
2. प्रकाशक का नाम व पता ....
3. प्रकाशक के मुद्रण आदेश की तिथि ....
4. प्रकाशन की घोषणा की तिथि ....
5. निर्वाचन पोस्टर पर्चे इत्यादि के बारे में संक्षिप्त विवरण ....
6. उपर वर्णित दस्तावेज की मुद्रित प्रतियों की संख्या ....
7. मुद्रण की तिथि ....
8. उपर वर्णित दस्तावेजों के संबंध में प्रकाशक से वसूल किया गया मुद्रण प्रभार (कागज की कीमत सहित) ..

   ....

स्थान :

तिथि :

मुद्रक के हस्ताक्षर मय सील

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 5596 दिनांक : 02.12.2019

अधिसूचना

सां. आ. 129 / 2019 – भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट (Article 243K) के अंतर्गत पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है।

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 22क (section 22A) की उप–धारा (1) यह उपबंध है कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होती है, समाप्त होने वाली निर्वाचन की कालावधि के दौरान किसी भी अभ्यर्थी या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा यानों (Vehicle) या ध्वनि विस्तारकों के उपयोग या कट आउटों, होर्डिंगों, पोस्टरों और बैनरों के प्रदर्शन पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा।

पंचायतीराज संस्थाओं के पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ट (Article 243K) एवं पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 22(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आयोग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(2)(1) नपा–पंचा / सांआ / रानिआ / 2014 / 9847 दिनांक 24.12.2014 (सां. आ. 105 / 2014) को अधिक्रमित करते हुये निम्न आदेश जारी करता हैः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भः–** (i) इस आदेश का नाम राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन में वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग तथा पोस्टरों, बैनरों आदि के प्रदर्शन पर प्रतिबंध) आदेश, 2019 है;

   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर है तथा यह पंचायतीराज संस्थाओं के पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन के संबंध में लागू होगा, और

   (iii) यह तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

2. **परिभाषाऐंः–** (1) आदेश में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

   (i) ''निर्वाचन'' से पंचायतीराज संस्थाओं के पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के लिए ''साधारण निर्वाचन'' और ''उप निर्वाचन'' अभिप्रेत है;
   (ii) ''प्ररूप क'', ''प्ररूप ख'' एवं ''प्ररूप ग'' से इस आदेश से संलग्न ''प्ररूप क'', ''प्ररूप ख'' एवं ''प्ररूप ग'' अभिप्रेत है;
   (iii) ''खण्ड'' से इस आदेश के पैरा का ''खण्ड'' अभिप्रेत है;
   (iv) ''नियम'' से राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के ''नियम'' अभिप्रेत है;

   (2) जो शब्द और पद इस आदेश में प्रयुक्त किये गये हैं किन्तु परिभाषित नहीं किये गये हैं और राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 अथवा राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 में परिभाषित हैं, उनके वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम और नियम में क्रमशः समनुदिष्ट हैं।

3. **कतिपय प्रकार के वाहनों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा–** अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से निर्वाचन समाप्ति तक चुनाव प्रचार या चुनाव संबंधी यात्रा (Campaigning or election related travel) के लिऐ निम्नांकित वाहनों का उपयोग पूर्णतः निषिद्व रहेगाः–

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(i) बस (ii) ट्रक (iii) मिनी बस (iv) मेटाडोर एवं (v) पशुचालित किसी भी प्रकार का वाहन यथा तांगा, ऊँटगाडी, बैलगाड़ी आदि।

4. कतिपय प्रकार के वाहनों के उपयोग को नियंत्रित करना– उक्त वर्णित वाहनों से भिन्न अन्य किसी वाहन का उपयोग निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगाः

(1) जिला परिषद सदस्य के चुनाव में अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम तीन वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा;

(2) पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम दो वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा;

(3) सरपंच पद के चुनाव में अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम एक वाहन का उपयोग किया जा सकेगा;

(4) उक्त उप खण्ड (1) (2), या (3) के अंतर्गत वाहन का उपयोग करने से पूर्व अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा वाहन संख्या एवं उसका प्रकार तथा वाहन चालक के नाम व पते की लिखित सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी (सरपंच के मामले में उपखण्ड अधिकारी) को कम से कम 24 घंटे पूर्व देनी होगी; उक्त सूचना के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वाहन उपयोग की अनुमति लिखित में प्ररूप ''ख'' में जारी की जायेगी, जो अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किये जाने वाले वाहन पर प्रदर्शित (Display) की जायेगी।

(5) किसी भी निर्वाचन में उक्त उप खण्ड (1), (2) अथवा (3), जैसी भी स्थिति हो, में बताये गये वाहनों सहित 3 से अधिक वाहनों की रैली या काफिला नहीं निकाला जायेगा। मतदान समाप्ति के लिये निर्धारित समय के 48 घण्टे पूर्व की अवधि में ऐसी रेली या काफिला निकाला जाना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

(6) उक्त उप खण्ड (1), (2) एवं (3) के अन्तर्गत मतदान दिवस को वाहन के उपयोग के लिए लिखित अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से लेनी होगी। यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 133 सपठित धारा 123(5) के उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी अनुमति रिटर्निंग अधिकारी/ उपखण्ड अधिकारी द्वारा बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी।

स्पष्टीकरणः– इस पैरा के प्रयोजन के लिए वाहन से अभिप्रेत जीप, कार, तिपहिया टैम्पों, आदि है।

5. लाऊड स्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंधः– लाऊड स्पीकरों का उपयोग निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा–

(1) अभ्यर्थी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए स्थापित चुनाव कार्यालय पर लाऊड स्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा;

(2) मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घण्टे की अवधि में लाऊड स्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।(3) अस्पताल, स्कूल एवं धार्मिक स्थल से 100 मीटर की परिधि में लाऊड स्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

(4) प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक लाऊड स्पीकर के उपयोग क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट या अन्य सक्षम प्राधिकारी की प्ररूप ''ग'' में लिखित अनुमति के उपरान्त ही उपयोग किया जा सकेगा। ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन में यह स्पष्टतः अंकित करना आवश्यक होगा कि लाऊड स्पीकर के उपयोग कब, किस प्रकार और किस स्थान पर किया जाना है।

6. कट–आऊटों, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन का निषेधः– (1) निर्वाचन में सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल द्वारा कट आऊट, होर्डिंग्स, पोस्टर या बैनर आदि निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन प्रदर्शित किये जा सकेंगे।

(1) पोस्टरों का मुद्रण कराते समय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127–क के उपबंधों की पालना करनी होगी;

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(2) कट आऊट, होर्डिंग्स, पोस्टर या बैनर के प्रदर्शन के लिए यदि वे सार्वजनिक स्थल पर लगाये जाते है तो संबंधित स्थानीय प्राधिकारी या इस निमित्त विधि द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति लेनी होगी;

(3) जहां प्रचार सामग्री या विज्ञापनों के प्रदर्शन के संबंध में स्थानीय विधि में कोई प्रावधान नहीं हो तो वहां किसी निजी संपत्ति पर केवल ऐसी प्रचार सामग्री जो आसानी से हटायी जा सके, यथा झण्डियां, बैनर, आदि लगायी जा सकेगी लेकिन ऐसी प्रचार सामग्री लगाने से पूर्व संबंधित संपत्ति के स्वामी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी;

(4) किसी भी मतदान बूथ के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में कट आऊट, होर्डिंग्स, पोस्टर या बैनर नहीं लगाये जायेंगें;

परन्तु मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा लगाये जाने वाले निर्वाचन बूथों पर एक बैनर लगाया जा सकता है जिसका आकार 2x5 फीट से अधिक नहीं होगा। इस बैनर पर किसी राजनैतिक दल के नेता या अभ्यर्थी का चित्र/फोटो या चुनाव चिह्न या नारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

(5) आमसभा/जुलूस/रैली आदि के लिए अधिकारिता रखने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होगी।

7. **अधिकतम चुनाव खर्च सीमा एवं इस आदेश का उल्लंघन :—** (1) पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव हेतु धारा 22क (Section 22A) के अन्तर्गत उपर उल्लेखित मदों के लिए किए जाने वाले खर्च की अधिकतम सीमा नीचे दी गई तालिका में अंकितानुसार होगी ;

क. सं.	पद का नाम	अधिकतम खर्च सीमा
1.	जिला परिषद सदस्य के लिए	रूपये 1,50,000/—
2.	पंचायत समिति सदस्य के लिए	रूपये 75,000/—
3.	सरपंच के लिए	रूपये 50,000/—

(2) चुनाव खर्च का लेखा संलग्न प्ररूप ''क'' में परिणामों की घोषणा के 15 दिवस के अन्दर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर) या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी /प्राधिकृत अधिकारी प्राप्त लेखा जोखा को जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तीन दिन तक प्रदर्शित करेगा। इसके आगामी सात दिवस में कोई भी व्यक्ति उक्त प्ररूप ''क'' में दर्शित खर्चे के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) उक्त आदेश द्वारा अधिरोपित प्रतिबंध के उल्लघंन की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष की जा सकेगी। ऐसा अधिकारी या तो स्वयं जांच कर सकेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारी, जो तहसीलदार स्तर से निम्न श्रेणी का नहीं होगा, से जांच करा सकेगा। शिकायत में अंकित तथ्यों के साबित पाए जाने पर समुचित कार्यवाही के लिए प्रकरण क्षेत्राधिकार रखने वाले उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।

(8) **प्रतिबंधों के उल्लंघन पर न्यायालय में शिकायत प्रस्तुत करनाः—** (1) राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 22क (Section 22A) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उपखण्ड अधिकारी को, जिसकी स्थानीय अधिकारिता में इस आदेश का उल्लघंन हुआ हैं, ऐसे उल्लघंन के संबंध में सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

(2) उपखण्ड अधिकारी, खण्ड 7 के अनुसार प्राप्त रिपोर्ट पर सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करेगा। ऐसे परिवाद तथा की गई जांच की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भी तीन दिन के भीतर भेजेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(3) उक्त उप खण्ड (1) में प्रस्तुत प्रकरण में पारित निर्णय की प्राप्ति पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा उसकी प्रति 15 दिवस के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भेजी जाएगी।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः एफ. 1(2)(1) पंचा/सा.आ./रानिआ/14/5597—5601 दिनांक : 02.12.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः—

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर), राजस्थान।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
3. अधीक्षक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय को राजपत्र विशेषांक 6(ग) में प्रकाशन हेतु।
4. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु, ई—गजट पर अपलोड करने, संबंधित को ई—मेल करने एवं आयोग की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. लेखा/कम्प्यूटर/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

<u>प्ररूप–क</u>

<u>अभ्यर्थी द्वारा किए गए चुनाव खर्च का विवरण</u>

जिला परिषद् सदस्य/पंचायत समिति सदस्य/सरपंच* .... के लिए निर्वाचन

1. वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र संख्या
2. अभ्यर्थी का नाम
3. अभ्यर्थी के पिता का नाम
4. अभ्यर्थी का पता

क.सं.	खर्च की प्रकृति एवं अन्य विवरण				खर्च की गई राशि (रूपयों में)
1	वाहन (नाम एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर सहित)		अवधि दिवस में	दर	
	(i)				
	(ii)				
	(iii)				
2	लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर। (फर्म का नाम एवं पता)		अवधि दिवस में	दर	
3	पोस्टर, बैनर, हैण्डविल पम्फलेट, कट–आउट, होर्डिंग्स (मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम एवं पता)				
4	अन्य व्यय (पूर्ण विवरण सहित)				
कुल राशि					

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मैं सत्य निष्ठा से प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण मेरी निजी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य है और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

---

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

<u>प्ररूप–ख</u>

रिटर्निंग अधिकारी जिला परिषद/पंचायत समिति ....

उपखण्ड अधिकारी ....(सरपंच के मामले में)

<u>चुनाव हेतु वाहन के उपयोग की अनुमति</u>

श्री/श्रीमती .... जो नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम .... के वार्ड संख्या .... के लिए स्वतंत्र/..पार्टी के अभ्यर्थी है को उनके आवेदन पर निम्न वाहन/वाहनों के चुनाव प्रचार में उपयोग की अनुमति नीचे दी गई शर्तों पर दी जाती है–

वाहन का विवरण

क्रम संख्या	वाहन की श्रेणी (LMV/Three wheeler/two wheeler)	रजिस्ट्रेशन नं. एवं चेसिस नं.	वाहन का प्रकार (e.g. Innova, Dzire, Bolero etc)	तारीख जिनके लिए अनुमति प्रदान की गई।
1				
2				
3				

1. आदर्श आचार संहिता का पालन किया जावे।
2. यातायात नियमों/सडक सुरक्षा नियमों/मोटर वाहन अधिनियम एवं अन्य तत्समय प्रभावी अधिनियम/नियम/दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
3. राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम एवं राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशों की अक्षरशः पालना की जायेगी।
4. वाहन में तय क्षमता से अधिक व्यक्तियों को नहीं बिठाया जावे।
5. मूल स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज वाहन के साथ रखे जावें।
6. वाहन में अनुमत/निर्धारित डेसीवल से अधिक ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग नहीं किया जावे।
7. वाहन की अनुमति का प्रयोग अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा ही किया जा सकेगा।
8. तीन से अधिक वाहनों का काफिला नहीं चलेगा।
9. अभ्यर्थी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए स्थापित चुनाव कार्यालय पर लाऊड स्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा;
10. मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घण्टे की अवधि में लाऊड स्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
11. लाऊड स्पीकर यदि वाहन पर लगाया गया है तो वाहन रात्रि विश्राम संबंधित वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र/ग्राम पंचायत में ही करेगा।

रिटर्निंग अधिकारी जिला परिषद/

पंचायत समिति ....

उपखण्ड अधिकारी ....

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

प्ररूप–ग

रिटर्निंग अधिकारी जिला परिषद/पंचायत समिति ....
उपखण्ड अधिकारी ....

चुनाव हेतु लाउडस्पीकर/माईक के उपयोग की अनुमति

श्री/श्रीमती .... जो जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत .... के वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... के लिए स्वतंत्र/..पार्टी के अभ्यर्थी है को उनके आवेदन पर **लाउडस्पीकर/माईक/ध्वनि विस्तारक यंत्र** के चुनाव प्रचार में उपयोग की अनुमति निम्न स्थान/स्थानों या वाहन/वाहनों के लिए नीचे दी गई शर्तों पर दी जाती है–

वाहन का विवरण

क्रम संख्या	वाहन की श्रेणी (LMV/Three wheeler/two wheeler)	रजिस्ट्रेशन नं. एवं चेसिस नं.	वाहन का प्रकार (e.g. Innova, Dzire, Bolero etc)	तारीख जिनके लिए अनुमति प्रदान की गई।
1				
2				

स्थान/भवन का विवरण

क्रम संख्या	भवन स्वामी का नाम	स्थान/भवन का पता	वाहन का प्रकार यथा रिहायसी/गैर रिहायसी	तारीख जिनके लिए अनुमति प्रदान की गई।
1				
2				

1. आदर्श आचार संहिता एवं धारा 144 की पालन की जावे।
2. यातायात नियमों/सडक सुरक्षा नियमों/मोटर वाहन अधिनियम एवं अन्य तत्समय प्रभावी अधिनियम/नियम/दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
3. राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम एवं राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशों की अक्षरशः पालना की जायेगी।
4. मूल स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज स्थान/भवन/वाहन पर रखे जावें।
5. अनुमत/निर्धारित डेसीवल से अधिक ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग नहीं किया जावे।
6. अनुमति का प्रयोग अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा ही किया जा सकेगा।
7. किसी की धार्मिक भावना का ठेस पहुचाने आशय से वक्तव्य नहीं दिये जावें।
8. लाउडस्पीकर/माईक/ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग निम्न स्थलों से 100 मीटर की परिधि में नहीं किया जाये–
   - **(i)** अस्पताल, नर्सिंग होम, टेलीफोन एक्सचेंज भवन।
   - **(ii)** छात्रावास जो राज्य सरकार, विश्वविद्यालय या स्थानीय अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त हों।
9. लाउडस्पीकर/माईक/ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग स्वीकृत अवधि तक ही किया जोगा तथा लाउडस्पीकर/माईक/ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बॉक्सुमा स्पीकर द्वारा धीमी आवाज में किया जावे।
10. रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर/माईक/ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।

रिटर्निंग अधिकारी जिला परिषद/

पंचायत समिति ....

उपखण्ड अधिकारी ....

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(18)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक : प 7(1)(3) पंचा/रानिआ/14–15/2750 दिनांक : 07.08.2019

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत) (कलक्टर), राजस्थान।

विषयः–पंचायती राज सस्थाओं के निर्वाचनों में विडियोग्राफी करवाने के सबंध में।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियत्रंण की सभी शक्तियां आयोग में निहित है। अतः स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग का संवैधानिक दायित्व है।

पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से समय–समय पर जारी किए गए विभिन्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने एवं निर्वाचन से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण घटनाओं की व्यापक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सारगर्भित जानकारी संकलित करने के लिए विडियोग्राफी कराई जानी आवश्यक है ताकि निर्वाचनों को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत समिति) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के निर्देशन में निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान वीडियोग्राफी कराई जाएगी। जिन गतिविधियों की वीडियोग्राफी कराई जानी है उनका विवरण निम्नानुसार हैः–

A – ऐसी गतिविधियां जिनकी वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से कराई जानी हैंः–

1. ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच।
2. मतदान के लिए ईवीएम तैयार करने एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखने संबंधी प्रक्रिया।
3. ऐसे मतदान बूथ जिनका गत चुनावों में बूथ कैपचरिंग/झगडा/दंगा आदि का पूर्व इतिहास रहा हो एवं जिन्हें वल्नरेबल (Vulnerable) एवं क्रिटीकल (Critical) बूथों घोषित किया गया हो।
4. मतदान के दौरान चुनाव संबंधित हिंसा/उपद्रव/पत्थरबाजी/आगजनी आदि की घटनाएं।
5. उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को डराने/धमकाने/लुभाने संबंधी गतिविधियां।
6. पर्यवेक्षक द्वारा निर्देशित किसी गतिविधि।
7. जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए सम्पूर्ण मतगणना प्रक्रिया।
8. यदि किसी भी पद का परिणाम अभिनिश्चित करने के लिए लॉट प्रक्रिया अपनाई जाती हैं, तो सम्पूर्ण लॉट प्रक्रिया।
9. मल्टी पोस्ट सिंगल वोट मशीनों के एसडीएमएम को सील एवं संग्रहण करने संबंधी प्रक्रिया।
10. ऐसे अन्य गतिविधियां जो राजनैतिक दलो अथवा चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च को प्रदर्शित करतीं हो। जैसे बडे–बडे 'कट आउट'/होर्डिंग, बैनर इत्यादि।

B –ऐसी गतिविधियां जिनकी वीडियोग्राफी जिला निर्वाचन अधिकारी/उपजिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी अपने स्वविवेक के आधार पर कराने का निर्णय ले सकते हैंः–

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

निर्वाचन के दौरान स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियां ऐसी हो सकती हैं जिनकी वीडियोग्राफी कराने का निर्णय संबंधित अधिकारियों द्वारा तत्समय ही लिया जा सकता है :—

1. चुनाव प्रचार हेतु की जाने वाली ऐसी सभाएं जिन्हें किसी राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय जनप्रतिनिधियों द्वारा संबोधित किया जा रहा हो एवं उनमें आचार संहिता अथवा निर्वाचन विधि के उल्ल्घंन की शिकायत हो।
2. राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों द्वारा मतदान केन्द्र के सौ मीटर के अन्दर मत याचना संबंधी गतिविधियां।
3. ऐसी अन्य कोई गतिविधियां जिनमें आचार संहिता अथवा निर्वाचन विधि का उल्ल्घंन हो रहा हो।
4. अन्य ऐसी कोई गतिविधियां जिनकी वीडियोग्राफी कराना जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी अथवा मौके पर उपस्थिति पुलिस अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाए।

C – पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों के दौरान निर्वाचन संबंधी गतिविधियों की वीडियोग्राफी हेतु नियोजित किए गए वीडियोग्राफर निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन रहेगें :—

1. विडियोग्राफर का किसी राजनैतिक दल से सम्बद्ध नहीं होना चाहिए।
2. ऐसे वीडियोग्राफर की सेवाएं नहीं ली जाएं जिसका कोई अभिन्न मित्र या रिश्तेदार चुनाव लड रहा हो।
3. वीडियोग्राफर निर्वाचन अवधि के दौरान अपनी सेवाएं किसी राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार को उपलब्ध नहीं कराएगा।
4. विडियोग्राफर राजनैतिक दलों/कार्यकर्ताओं का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेगा।
5. विडियोग्राफर रिटर्निंग अधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित चुनाव से सम्बन्धित अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेगा।
6. विडियोग्राफर को कार्य सुपुर्द करने से पूर्व उन घटनाओं के बारे में स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि उसे किन घटनाओं की विडियोग्राफी करनी है। यदि वीडियोग्राफर द्वारा उसे दिए गए निर्देशों से बाहर जाकर वीडियोग्राफी की जाती है तो ऐसी अवांछित रिकार्डिंग के लिए भुगतान नहीं किया जाए।
7. वीडियोग्राफर द्वारा निम्न प्रारूप में एक लॉग बुक का संधारण कर प्रत्येक रिकार्डिंग का इन्द्राज किया जाएगा। वीडियोग्राफी का कार्य समाप्त होने के पश्चात् वीडियोग्राफर द्वारा लॉग बुक को रिटर्निंग अधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा।

जिले का नाम			पंचायत समिति का नाम		
दिनांक	समय	वीडियोग्राफी के स्थान का विवरण	रिकार्ड की गई घटना का विवरण	रिकार्डिंग का कुल समय	जिस अधिकारी के निर्देशन में वीडियोग्राफी कराई गई, उस अधिकारी का नाम एवं पद

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

1	2	3	4	5	6

8. रिकार्डिंग से पूर्व वीडियोग्राफर द्वारा वीडियो कैमरे में समय एवं दिनांक सेट किया जाएगा एवं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रिकार्डिंग में समय एवं दिनांक डिस्पले हो रहा है।

9. वीडियोग्राफर एवं चुनाव से संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया जाए कि वीडियोग्राफी की गोपनीयता व सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि रिकार्डिग के साथ किसी तरह की छेडछाड न हो और न ही इस तक किसी अनाधिकृत व्यक्तियों की पंहुच हो।

D – रिकार्ड की गई गतिविधियों की निगरानी :–

रिटर्निंग अधिकारी ऐसी समस्त रिकार्डिंग का नियमित अवलोकन कर यह सुनिश्चित करेगें कि ऐसी सभाओं/गतिविधियों के आयोजकों/नेताओं/ वक्ताओं/संभागीयों द्वारा किसी भी प्रकार से चुनाव नियमों या आदर्श आचार संहिता या वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग तथा पोस्टर, बैनरों आदि के प्रदर्शन पर प्रतिबंध हेतु आयोग द्वारा लागू किए गए प्रतिबन्धों का उल्लंघन तो नहीं किया गया है। यदि किसी मामले में आचार संहिता अथवा आयोग द्वारा अधिरोपित प्रतिबंधों का उल्ल्धंन पाया जाता है तो ऐसे समस्त प्रकरणों में रिटर्निग अधिकारी तुरन्त कार्यवाही करेगें।

E – रिकार्ड की गई सीडी/डीवीडी के रिकार्ड का संधारण :–

ऐसी समस्त रिकार्डिंग एवं अभिलेख जो इन आदेशों की पालना में तैयार किए गए हैं, चुनाव के अभिलेख का अंश माने जाएगे और इन्हें पूर्ण सावधानी एवं सुरक्षा के साथ तब तक संग्रहित रखा जाएगा जब तक कि इन्हें आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, जैसी कि अन्य अभिलेखों के बारे में निर्धारित है के अनुसार नष्ट नहीं किया जाता है। ऐसे समस्त अभिलेख, अन्य चुनाव सम्बन्धी अभिलेखों की भॉति ही सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में रखे जाएंगें। ऐसे समस्त सीडी/डीवीडी की रिकार्डिग को दिनांक व स्थान तथा रिकार्ड की गई घटना के संक्षिप्त विवरण को दर्शित करते हुये रिकार्ड में रखा जायेगा।

F – रिकार्ड की गई सीडी/डीवीडी के रिकार्ड का संधारण :–

यदि राजैनतिक दलों अथवा चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों से रिकार्डिंग के अवलोकन एवं उनकी प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन प्राप्त होते रहते है तो ऐसे आवेदनों के निस्तारण हेतु समान मापदण्ड अपनाते हुए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाए :–

1. रिकार्डिंग के निरीक्षण हेतु लिखित में प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर ऐसे आवेदक को रिकार्डिंग निरीक्षण के लिए 25/– प्रति घंटा का शुल्क लिया जाएगा। ''अत्यावश्यक निरीक्षण'' के लिए यही शुल्क 50/– प्रति घंटा होगा। साधारण निरीक्षण आवेदन की दिनांक के पश्चातवर्ती दिवस या बाद के किसी दिन करवाया जाएगा परन्तु ''अत्यावश्यक निरीक्षण'' की स्थिति में उसी दिन निरीक्षण करवाया जाएगा।

2. यदि किसी आवेदक द्वारा रिकार्डिंग की सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जाता है तो :–

(क) आवेदक को रिकार्डिंग की प्रमाणित प्रति 25/–रूपये के आवेदन शुल्क एवं स्थानीय स्तर पर निर्धारित व्यय, लेकर दी जा सकेगी। ऐसे प्रत्येक आवेदक को निरीक्षण करने एवं प्रति प्राप्त करने के अपने अधिकार को साबित करना होगा एवं यह भी स्पष्ट रूप

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

से दर्शाना होगा कि आवेदक का उस रिकार्डिंग में किस प्रकार से समुचित हित निहित है।

(ख) सरकारी उपयोग हेतु निरीक्षण या प्रति प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। रिकार्डिग से किसी प्रकार की छेड–छाड या नुकसान नहीं हो, इस के लिए प्रभावी सर्तकता रखी जाएगी एवं रिकार्डिंग का एकाधिक व्यक्तियों द्वारा सामुहिक निरीक्षण भी वर्जित रहेगा।

3. किसी रिकार्डिंग की विषय वस्तु के बारे में किसी प्रकार की प्रमाणिकता या सत्यापन नहीं दिया जाएगा बल्कि ''जैसी है, जहां है'' के आधार पर उपलब्ध करवायी जाऐगी।

आज्ञा से,

(शुचि त्यागी)
सचिव

क्रमांकः– प 7(1)(3) पंचा/रानिआ/14–15/2751–2755 दिनांक : 07.08. 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत समिति) मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
4. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई–मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

लेखा/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(19)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांक : एफ. 7(7)(14) पं.चु./रानिआ/99/6050 जयपुर, दिनांक : 26.1.2000

आदेश

पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संचालन के अन्तर्गत मतदान के दिन मतदान बूथों में और मतगणना के दौरान मतगणना केन्द्रों में पत्रकारों के प्रवेश की अनुमति के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ट के अन्तर्गत इसमें, विहित शक्तियों के प्रयोग में चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता रखने की दृष्टि से निम्नलिखित निर्देश जारी करता है :-

(1) अधिस्वीकृत पत्रकारों को प्रवेश के लिए अधिकार पत्र जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा जिला जनसम्पर्क अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर या अन्यथा स्वयं की संतुष्टि पर दिये जावेंगे। जिला जनसम्पर्क अधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रवेश के अधिकार पत्र जारी करने के लिए उनके द्वारा की गई अनुशंसा में पत्रकारों की संख्या यथोचित मात्रा में हो।

(2) अधिकार पत्र धारी पत्रकार मतदान बूथ में रिटर्निंग अधिकारी तथा मतदान अधिकारी के निर्देशानुसार ही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तथा पंचायत मतगणना स्थल पर उपस्थित नहीं रह सकेंगे।

(3) जिला मुख्यालय पर मतगणना केन्द्र पर पत्रकारों के लिए एक कमरा या कक्ष पृथक से आरक्षित कर उन्हें वहां सभी जानकारी प्रदत्त की जावे और वास्तविक मतगणना का अवलोकन किसी वरिष्ठ अधिकारी के साथ करवाया जावे स्वतंत्र रूप से नहीं कराया जाये। दूरदर्शन टीम आदि के साथ भी जिम्मेदार अधिकारी रहें।

(4) जिला निर्वाचन अधिकारी अधिकार पत्र जारी करने की शक्ति किसी अन्य अधिकारी को प्रदत्त नहीं करेंगे और यह ध्यान रखेंगे कि स्थानीय/राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के मीडिया के प्रतिनिधियों को अधिकार पत्र देते समय उचित प्रतिनिधित्व देवें एवं नियंत्रित मात्रा में अधिकार पत्र जारी किये जावें।

(5) मतदान बूथ और मतगणना स्थल पर मतों की गोपनीयता रखी जायेगी।

(तपेश पवार)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प. 7 (7) (14)/पं.चु./ रानिआ./99/6050 जयपुर, दिनांक : 26.1.2000

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. शासन सचिव, राजस्थान सरकार, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, जनसंपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायतें) (कलक्टर्स) राजस्थान।
7. समस्त जिला जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
8. निजी सचिव, आयुक्त, रानिआ, जयपुर।
9. निजी सहायक, सचिव/उपसचिव, रानिआ, जयपुर।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

(20)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकःएफ. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2019/6198 दिनांकः 24.12.2019

समस्त जिला निर्वाचन अधिकार
(कलक्टर) (पंचायत), राजस्थान।

विषयः– पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2020
संदर्भः– आयोग के पत्रांक 6726 दिनांक 24.12.2009 एवं 6708 दिनांक 23.12.2009

महोदय,

पंचायत आम चुनाव, 2010 के दौरान संदर्भित पत्रांक 6726 दिनांक 24.12.2009 मतदान एवं मतगणना केन्द्रों पर मोबाईल फोन के प्रतिबंध के संबंध में एवं पत्रांक 6708 दिनांक 23.12.2009 मतदान एवं मतगणना केन्द्रों पर मौजूदा मंत्री/सांसद/एमएलए एवं सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध के संबंध मे जारी किए गए थे। उक्त दोनों पत्रों के द्वारा जारी किए गए निर्देश आगामी पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव में भी यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू रहेंगे।

अतः उक्त पत्रों की प्रति संलग्न कर लेख है कि आगामी आम चुनावों के उक्त पत्रों में अंकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांक एफ.7(7)(14)पंचा/रानिआ/99/6726 जयपुर दिनांकः 24.12.09

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत) (कलेक्टर)

विषयः पंचायती राज संस्थाओं के लिए आम चुनाव–2010– मतदान केन्द्र एवं मतगणना केन्द्रों पर मोबाईल फोन के उपयोग पर प्रतिबन्ध।

महोदय,

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 22 के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130 एवं 131 के प्रावधान पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भी लागू होते हैं। उक्त धारा 130 के अनुसार मतदान केन्द्र में और उसके आस पास 100 मीटर की परिधि में मत संयाचना को निषिद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त धारा 131 के अन्तर्गत मतदान केन्द्रों एवं उसके निकट विच्छृंखल आचरण भी निषिद्ध किया गया है।

मतदान केन्द्र में और उसके आस पास मोबाईल फोन/सैलूलर फोन के उपयोग से कानून व्यवस्था के साथ साथ मतदान की व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है एवं धारा 130 एवं 131 के प्रावधानों का उल्लंघन भी हो सकता है।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग मतदान दिवस को मतदान केन्द्र/बूथ में एवं उसके 100 मीटर परिधि क्षेत्र में सुचारू मतदान की व्यवस्था बनाये रखने हेतु यह निर्देश देता है कि कोई भी व्यक्ति मतदान बूथ में और उसके 100 मीटर परिधि क्षेत्र में मोबाईल फोन/सैलूलर फोन न तो ले जायेगा और न उसका उपयोग करेगा। यदि कोई व्यक्ति मतदान बूथ में और उसके 100 मीटर परिधि क्षेत्र में मोबाईल फोन/सैलूलर फोन ले जाता है तो उसे उस क्षेत्र में तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा अपने पास रख लिया जायेगा जिसे उस व्यक्ति को उस क्षेत्र के बाहर जाने के बाद लौटाया जायेगा।

मतगणना केन्द्रों पर भी मोबाईल/सैलूलर फोन के किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ताओं के द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग करने से मतदान बूथ की व्यवस्था एवं मतगणना कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है और इनके मतदान बूथ के भीतर उपयोग से मतपत्र की गोपनीयता भी समाप्त हो सकती है। अतः राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मोबाईल/सैलूलर फोन के उपयोग को मतगणना केन्द्रों पर भी निषिद्ध किया जाता है।

इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट, या पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी या सहायक मतदान अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी या पर्यवेक्षक के द्वारा अपने निर्वाचन कर्त्तव्यों के निर्वहन में मोबाईल फोन/सैलूलर फोन के उपयोग पर प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे लेकिन वे अपना मोबाईल फोन मतदान के दौरान मतदान केन्द्र/मतदान बूथ मे साईलेन्ट (Silent) मोड में रखेगें।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

D:\SEC on hire (NP)\Panchayat\F7(7)(14) Panch 09.doc
Created on 12/24/2009 12:39:00 PM
1

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

2nd Floor, Development Block, Secretariat, Jaipur- 302005

No. F. 7(1)(17)/Pancha/SEC/09/6708 Dated: 23.12.09

To,

1. All The District Election Officers (Panchayats)
   (Collector)

2. All Returning Officers (Panchayats)

Subject:- Panchayat General Election, 2009- Counting agents- Prohibition against entry of Minister/MP/MLA, or the person with security cover into Counting Centre.

Sir,

Section 134(B)(1) of the Representation of the People Act, 1951 provides that no person, other than the Returning Officer, the Presiding Officer, any Police Officer and any other person appointed to maintain peace and order, at a polling station who is on duty at polling station, shall, on a polling day, go armed with arms, as defined in the Arms Act 1959, of any kind within the neighborhood of a polling station. Provisions of section 134B of the Act of 1951 apply mutatis mutandis in the elections of Panchatyati Raj Institutions also. Movement of persons carrying arms in the Constituency and particularly in the vicinity of the polling station on the date of poll will not only intimidate and overawe the electors, polling staff and the general public but can also lead to violence and law and order problems by misuse or accidental use of such fire arms disturbing seriously the conduct of free, fair and peaceful poll.

2. A tendency has been observed on the part of some candidates to appoint a sitting Minister/M.P/M.L.A as their Election/Polling/Counting Agents. These persons generally have security cover provided to them by the State/Security Agencies. On several occasions in the past, requests had been received by the Returning Officers from the above category of persons that they are willing to relinquish the security cover provided to them in order to enable them to act as Election/Polling/Counting agents. The aspect that a recipient of such security cannot be allowed to deliberately jeopardize his own security which has been provided to him by the State/Security agencies on the basis of threat perception to him should be kept in view by all the Returning Officers/Presiding Officers/Polling Officers at the time of approving the appointments of Election/Polling/Counting Agents.

3. It has been observed that if an MP, MLA or a sitting Minister acts as an agent of a candidate that would not be desirable from the point of view maintaining the level playing field during an election apart from their security being compromised.

4. It has also been observed that a large number of employees of local authorities are deployed on election duty. Therefore, a Chairperson of Municipality/Zila Parishad/ Panchayat Samiti acting as agent for a candidate will be improper and would be contrary to the spirit of level playing field.

5. The State Election Commission, keeping in view all the relevant factors in the regard, has decided that henceforth no sitting Minister either of Union Government or of a State Government,

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

sitting Member of Parliament, sitting Member of Legislative Assembly or Chairperson of Municipal Corporation/Council/ Board or Pramukh of Zila Parishad or Pradhan of Panchayat Samiti or any other person having security cover provided by the State (both Union and State Governments) will be allowed to act as an Election Agent, Polling Agent or Counting Agent of any candidate during an election. Also any person having security cover will not be allowed to surrender his security cover to act as such agent of a candidate during an election.

This may be brought to the notice of all concerned for compliance by the candidates while they appoint such agent to watch their interest during an election.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully

(R.K.Jain)
Secretary,
State Election Commission,
Rajasthan, Jaipur

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

चुनाव अति आवश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांक–प.7(7)(14)रानिआ/पंचु/99/7325 दिनांक : 7.1.2010

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत) (कलक्टर)

विषय :– पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव– पत्रकारों को प्रवेश– मतदान बूथ एवं मतगणना केन्द पर फोटोग्राफी/विडियोग्राफी का निषेद्य।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपने पूर्व आदेश क्रमांक–प.7(7)(14)रानिआ/पंचु/ 99/6050, दिनांक 26.01.2000 के द्वारा मतदान केन्द्रों एवं मतगणना केन्द्रों पर अधिस्वीकृत पत्रकारों को प्रवेश देने के लिये जिला जनसंपर्क अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर या अन्यथा स्वयं की सन्तुष्टि पर जिला निर्वाचन अधिकारियों को अधिकृत किया गया था।

आयोग के उक्त आदेश के क्रम में अब यह निर्देश दिये जाते हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला जनसम्पर्क अधिकारी की अनुशंषा पर अधिस्वीकृत पत्रकार व अन्य मीडियाकर्मी को स्वयं की संतुष्टि पर मतदान केन्द्रों व मतगणना स्थलों के लिए प्रवेश पत्र जारी कर सकेगें। प्रवेश पत्र निम्नांकित शर्तो के अधीन रहेगें:–

1. उक्त आदेश में पंचायत मुख्यालय के मतगणना स्थल पर अधिकार पत्र धारित पत्रकारों/फोटोंग्राफरों को उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी गई हैं।

2. अधिकार पत्र धारी पत्रकार जब मतदान बूथ के अन्दर जाये तो किसी प्रकार की फोटोग्राफी अथवा विडियोग्राफी नहीं करेंगे और न ही मोबाईल फोन ले जा सकेंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 131 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत मतदान अधिकारी को यह अधिकार है कि वह उक्त निर्देशों की पालना नहीं करने वाले किसी मीडियाकर्मी को मतदान केन्द्र के भवन में प्रवेश नहीं करने दें और भवन से बाहर जाने के लिये निर्देशित कर दे, भले ही ऐसे मीडियाकर्मी के पास प्रवेश हेतु अधिकार पत्र जारी किया हुआ हो।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

3. जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना के समय मतगणना कक्ष के भीतर अधिकार पत्र धारी कोई भी पत्रकार/कैमरा टीम को विडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी करने की अनुमति नहीं दी जाये और न ही उन्हें मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति दी जाये।

4. जिला मुख्यालय पर पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों की मतगणना हेतु बनाये गये मतगणना केन्द्र पर पत्रकारों के लिये एक पृथक कक्ष आरक्षित कर उन्हें वहॉं सभी जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाये और जब अधिकार पत्र धारी कोई पत्रकार वास्तविक मतगणना का अवलोकन मतगणना कक्ष में जाकर करना चाहे तो उसे बिना किसी कैमरे या मोबाईल फोन के मतगणना कक्ष में प्रवेश करने दिया जाये लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी ऐसे समय मतगणना कक्ष में उनके साथ रहें ताकि मतों की गोपनीयता एवं मतगणना की व्यवस्था पर किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो।

5. मतगणना कक्ष में रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को भी यह अधिकार है कि वह मतों की गोपनीयता बनाये रखने हेतु और मतगणना की सुचारू व्यवस्था हेतु ऐसे किसी भी मीडियाकर्मी को मतगणना कक्ष में प्रवेश होने से रोक देवें जो उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करता हो भले ही उसके पास प्रवेश हेतु अधिकार पत्र जारी किया हुआ हो।

6. मतगणना स्थल पर (पं0स0/जि0प0सदस्य चुनाव हेतु) एक समाचार पत्र के लिए एक पत्रकार एवं एक फोटोग्राफर के लिए ही प्रवेश पत्र जारी किए जायें।

7. प्रवेश पत्र जिन पत्रकारों/मीडिया कर्मियों को जारी किये जाये उनके नामों की अनुशंषा विवरण सहित जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 15.01.2010 तक प्राप्त हो जायें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित को अवगत कराया जाये और अधिस्वीकृत पत्रकारों को मतदान केन्द्र/मतगणना केन्द्र में प्रवेश के लिये अधिकार पत्र जारी करते समय उक्त शर्तों का उल्लेख भी किया जाये।

भवदीय,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(22)

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
मउंपस.`मबतंर/तंरेंजींदण्हवअण्पद चैण्ध्।ग 0141.2227280ए 2227072

क्रमांकः एफ 7(1)(1)पंचा/रानिआ/2019/2292 दिनांकः– 10.07.2019

<u>आदेश</u>

राज्य में माह जनवरी–फरवरी, 2020 में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव सम्पन्न कराये जायेंगे।

संविधान के अनुच्छेद 243ा के अनुसार राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूचियाँ तैयार करने तथा चुनावों के संचालन पर पर्यवेक्षण, नियंत्रण, निर्देशन की शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने का है। इन निर्वाचनों के संचालन में सरकारी कार्मिकों, विशेषकर संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर, असामाजिक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही, अवैध गतिविधियों की रोकथाम एवं कानून–व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व पुलिस प्रशासन का है ताकि निर्वाचनों के दौरान मतदाता बिना किसी दबाव के निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इस प्रकार की कार्यवाही में पुलिस अधिकारीगण रेंज पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, उपपुलिस अधीक्षक (वृताधिकारी), थानाधिकारी तथा उपनिरीक्षक की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।

निर्वाचनों के दौरान उपरोक्त वर्णित अधिकारियों की अपने क्षेत्र में भूमिका निष्पक्ष एवं असंदिग्ध होना आवश्यक है। अतः समग्र परिस्थितियों का आंकलन कर राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 243ज्ञ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित आदेश जारी करता है–

माह जनवरी–फरवरी, 2020 में राज्य में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के **आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के दिन से निर्वाचन समाप्ति तक,**

() संभागीय आयुक्त, रेंज पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर, उपपुलिस अधीक्षक (वृताधिकारी) तथा तहसीलदार अपने गृह जिले में पदस्थापित नहीं रहें,

(इ) उपरोक्त खण्ड () में वर्णित अधिकारी दिनांक 15.02.2020 को कट ऑफ डेट मानते हुए गतचार वर्षों में तीन वर्ष से अधिक की अवधि में उसी जिले में पदस्थापित नहीं रहे,

(ब) थानाधिकारी, नायब तहसीलदार एवं पुलिस उपनिरीक्षक उस पंचायत समिति क्षेत्र में पदस्थापित नहीं रहे जो उनका गृह पंचायत समिति क्षेत्र है, तथा

(क) दिनांक 15.02.2020 को कट ऑफ डेट मानते हुए कोई थानाधिकारी, पुलिस उपनिरीक्षक एवं नायब तहसीलदार उसी पंचायत समिति क्षेत्र मे, जहां चुनाव होना है, गत चार वर्षों में तीन वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रहें।

(म) खण्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति उस पंचायत समिति क्षेत्र में पदस्थापित नहीं रहें जो उनका गृह पंचायत समिति क्षेत्र है। साथ ही दिनांक 15.02.2020 को कट ऑफ डेट मानते हुए उक्त अधिकारी उसी पंचायत समिति क्षेत्र मे, जहां चुनाव होना है, गत चार वर्षों में तीन वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रहें।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

उपरोक्त मापदण्ड के विपरीत यदि कोई अधिकारी पदस्थापित है तो उसे वर्तमान पद से स्थानान्तरित करने की कार्यवाही समय रहते दिनांक 15.11.2019 तक संपन्न कर ली जायें।

मतदाता सूची की तैयारी से जुड़े अधिकारियों (उपखण्ड़ अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार इत्यादि) का स्थानांतरण पंचायत आम चुनाव वर्ष, 2020 की **मतदाता सूची का कार्य प्रारम्भ होने से पूर्ण होने (अंतिम प्रकाशन) तक आयोग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जाये** तथा यदि ऐसा कोई स्थानांतरण मतदाता सूची का कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कर दिया गया है तो उसकी क्रियान्विति मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक स्थगित रखी जावे।

इसके साथ ही चुनाव से सीधे तौर पर जुड़े किसी भी पद पर ऐसे कार्मिक का पदस्थापन नहीं करे जिसके विरूद्ध गत चुनावों में भारत निर्वाचन आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संबंधी लापरवाही के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये हों।

चुनाव की घोषणा होने के पश्चात निर्वाचन से किसी भी रूप से जुड़े हुए किसी भी कार्मिक का स्थानांन्तरण नहीं किया जाये किन्तु विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जाना आवश्यक हो अथवा किसी मामले में राज्य सरकार उपरोक्त मापदण्ड में शिथिलता चाहे तो ऐसे मामले **राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति** हेतु पूर्ण विवरण के साथ भेजे जायें।

आज्ञा से,

(शुचि त्यागी)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः एफ 7(1)(1)पंचा/रानिआ/2019/2293–2303 दिनांकः– 10.07.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. निजी सहायक, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर।
9. संभागीय आयुक्त, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर।
10. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), राजस्थान।
11. गार्ड फाईल।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(23)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमाकः एफ 1(4)(1)नपा/रानिआ/14/4578 दिनांक : 01.11.2019

आदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K एवं 243ZA के अनुसार राज्य में नगरपालिकाओं एवं पंचायतीराज संस्थाओं की मतदाता सूची की तैयारी तथा इनके चुनावों के संचालन पर पर्यवेक्षण, नियत्रंण, निर्देशन की शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं। इन संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रयोजन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराना है। इस क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग यह निर्देश प्रदान करता है कि मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् से लेकर चुनाव प्रकिया समाप्ति तक प्रतिदिन जिलों में स्थानीय स्तर पर समाचार पत्रों में नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव से संबंधित समाचारों का संकलन हेतु जिला जन सम्पर्क अधिकारी के प्रभार में एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। इस प्रकोष्ठ द्वारा संबंधित समाचारों का संकलन कर इन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग की वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा।

आयोग स्तर पर जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा प्रतिदिन जिलों से इस प्रकार प्राप्त समाचारों का विश्लेषण कर, ऐसे समाचार, जो निर्वाचनों के सफल संचालन तथा स्वंतत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के उद्देश्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाली घटनाओं एवं तथ्यों से संबंधित हों, को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग के ध्यान में लाया जाएगा।

इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमाकः एफ 1(4)(1)नपा/रानिआ/14/4579–86 दिनांक : 01.11.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सहायक, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति जन सम्पर्क अधिकारी को उपलब्ध करा पालना सुनिश्चित करावें।
5. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सूचना आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक प्रबंध करने हेतु।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
7. पंचायत शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
8. गार्ड फाईल।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

भाग–4
रिटर्निंग अधिकारियों एवं मतदान दलों की नियुक्ति बाबत्

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.7(4)(1)पंचा / रानिआ / 14–15 / 2043 दिनांकः 13.06.2019

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत) (कलक्टर) राजस्थान।

विषय :– पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु मतदान दलों के गठन के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 23(2) के उपबन्धों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिये रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। नियम 23(3) के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा रिटर्निंग आफिसर की अनुपस्थिति में किसी एक मतदान अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है। नियम 23(2) एवं (3) के प्रावधान निम्नानुसार हैं :–

"**23. Notification of election.-** (2) The District Election Officer (Panchayats) shall appoint a person by name or by virtue of his office to act as Returning Officer for each Panchayat circle.

(3) The District Election Officer (Panchayats) may also authorise one of the Polling Officer appointed for booths of each Panchayat circle or any other officer to act as Returning Officer in the event of the Returning Officer being unavoidably prevented from performing his functions."

इसी क्रम में नियम 31 के उपबन्धों के अनुसार मतदान अधिकारियों, सहायक मतदान अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करने का दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी का रखा गया है। नियम 31 के प्रावधान निम्नानुसार हैंः–

"**31. Polling Officer and other staff.-** (1) For each polling booth the Officer nominated by the District Election Officer (Panchayats) shall appoint, by name or by virtue of office, as many persons to act as Polling Officer/Assistant Polling Officer and such other staff as he thinks necessary to assist each Polling Officer and Returning Officer: Provided that if a Polling Officer or any other member of the staff is absent from polling station or polling booth the Returning Officer may appoint any person to act in place of such absentee and inform the District Election Officer (Panchayats) accordingly: Provided further that no person who has been employed by or on behalf of or has been otherwise working for a candidate in or about the election, shall be appointed as Polling Officer or a member of the staff.

(2) The Polling Officer and other staff appointed under sub-rule (1) shall perform such duties and exercise such powers as are imposed and conferred on them by these rules or as are entrusted to them by the Returning Officer.

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

Explanation:- The Polling Officer in Panchayat election shall function as Presiding Officer of a polling booth."

चूँकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में अधीक्षण, निर्देशन एवं नियन्त्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं, अतः संविधान के अनुच्छेद 243ट में प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त आयोग को समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों हेतु मतदान दलों के गठन के संबंध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 5214 दिनांक 30.10.2014 को अधिक्रमित करते हुए इस संबंध में यह निर्देश जारी करता हैं कि :–

1. प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिये एक रिटर्निंग अधिकारी होगा।

2. प्रत्येक मतदान बूथ के लिये 5 व्यक्तियों का एक मतदान दल होगा। मतदान दल में एक मतदान अधिकारी और 4 सहायक मतदान अधिकारी होंगें।

3. जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच एवं पंच का निर्वाचन एक साथ होने पर एक ही दल द्वारा उक्त चारों पदों के लिए मतदान कार्य संपन्न कराया जाएगा। पंचायत सर्किल के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उस पंचायत के सभी मतदान दलों के लिए पर्यवेक्षण का कार्य किया जाएगा।

4. जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य एवं पंच/सरपंच का निर्वाचन पृथक–पृथक चरणों में होने पर जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य एवं पंच/सरपंच के लिए पृथक–पृथक मतदान दलों को नियुक्त किया जाएगा। कार्मिकों का अभाव होने पर पूर्ववर्ती चरणों के लिए मतदान दलों में नियुक्त कार्मिकों को पश्चात्वर्ती चरणों के लिए मतदान दलों में नियुक्त किया जा सकता है।

5. जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा किसी पंचायत सर्किल के वार्डों की संख्या 20 से अधिक होने की स्थिति में प्रत्येक अतिरिक्त 15 वार्डो के लिए उस पंचायत सर्किल हेतु नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी की सहायता के लिए उस पंचायत सर्किल के बूथों के लिए नियुक्त किये गये मतदान अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी को सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

6. रिटर्निंग अधिकारी के अपरिहार्य रूप से उसके कृत्यों के निर्वहन से निवारित हो जाने की दशा में, उस पंचायत वृत्त के लिए नियुक्त किये गये मतदान अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी प्राधिकृत कर सकेगा।

7. रिटर्निंग ऑफिसर मतदान अधिकारी से उच्चतर पद का अधिकारी होगा। मतदान अधिकारी विधानसभा/लोकसभा चुनाव के लिये नियुक्त पीठासीन अधिकारी के समान स्तर का होगा। मतदान दलों के लिए मतदान अधिकारी जहाँ तक सम्भव हो राजपत्रित अधिकारियों को ही लगाया जाए, लेकिन यदि राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध नहीं हो तो सुपरवाईजरी स्टाफ को भी मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

8. मतदान दल में 4 सहायक मतदान अधिकारियों में एक सहायक मतदान अधिकारी के पद पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्तर का कार्मिक नियुक्त किया जाएगा।

9. मतदान दल में ऐसा कोई अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त न किया जाए जो उस पंचायत समिति का निवासी/पदस्थ हो, जिसके अंतर्गत वह मतदान केन्द्र/बूथ आता हो। पंचायत समिति के अधीनस्थ अध्यापकों को अन्य पंचायत समिति क्षेत्र में मतदान दलों में लगाया जा सकता है।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

10. मतदान दलों के गठन से पूर्व सभी शासकीय एवं अर्द्व–शासकीय विभागों / कार्यालयों / संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की अद्यतन सूचियॉ तैयार की जाए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के दृष्टिकोण से आवश्यक हैं कि विभिन्न शासकीय एवं अर्द्व–शासकीय विभागों / कार्यालयों / संस्थानों के अधिकारियों / कर्मचारियों को समुचित रूप से मिलाया जाकर (Mix-up) मतदान दलों में नियुक्त किया जाए।

11. रिटर्निंग अधिकारी एवं मतदान दलों को दो बार प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रथम प्रशिक्षण रिटर्निंग अधिकारी, मतदान अधिकारी एवं एक सहायक मतदान अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि को एवं द्वितीय प्रशिक्षण रिटर्निंग अधिकारी एवं मतदान दल के समस्त सदस्यों को मतदान दल की रवानगी के दिन दिया जायेगा।

12. मतदान दल में कार्मिकों की नियुक्ति उनके मूल पद / वेतनमान / स्तर के अनुरूप ही की जाए। चुनाव ड्यूटी लगाते समय कार्मिकों की वरिष्ठता का ध्यान रखा जाए एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी कनिष्ठ अधिकारी / कार्मिक के अधिनस्थ किसी वरिष्ठ अधिकारी / कार्मिक को नहीं लगाया जाए।

13. किसी भी मतदान केन्द्र पर आपातकाल से निपटने एवं पुर्नमतदान हेतु आरक्षित मतदान दलों की संख्या 10% रखी जाए।

14. निम्नलिखित की ड्यूटी मतदान दल में नहीं लगाई जाएः–

1. केन्द्र सरकार एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं के कार्मिक।
2. ऐसे कार्मिक जो किसी उम्मीदवार से संबद्व हों।
3. अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित कार्मिक।
4. यथा संभव दिव्यांग कार्मिकों को मतदान दलों में नहीं लगाया जाए।
5. यथा संभव महिला कार्मिकों को मतदान दलों में नहीं लगाया जाए। पर्दानशीन महिला मतदाताओं की पहचान हेतु पीठासीन अधिकारी स्थानीय महिला कार्मिक का सहयोग ले सकते हैं।

आज्ञा से,

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.7(4)(1)पंचा / रानिआ / 14–15 / 2044–2047 दिनांकः 13.06.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सहायक, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव / उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई–मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. लेखा / स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(25)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांक : एफ. 7(4)(1) पंचायत/रानिआ/99/4432 जयपुर, दिनांक : 31.12.1999

आदेश

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 58 (3) के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग अपने पूर्व आदेश क्रमांक-एफ. 7 (4) (1) पंचायत/रानिआ/94/1173, दिनांक 23.12.94 जो समय-समय पर संशोधित हुआ है, के अधिक्रमण में निम्नांकित सारणी के स्तम्भ-2 में अंकित जिला परिषदों के सदस्यों के निर्वाचन हेतु स्तम्भ-3 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करता है :-

सारणी

क्र.सं.	नाम जिला परिषद	रिटर्निंग अधिकारी
1	2	3
1.	अजमेर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर
2.	अलवर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर*
3.	भरतपुर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर
4.	बीकानेर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर
5.	बाड़मेर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
6.	बूंदी	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी
7.	बारां	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां
8.	बांसवाड़ा	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा
9.	चूरू	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरू
10.	चित्तौड़गढ़	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़
11.	दौसा	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
12.	धौलपुर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर
13.	डूंगरपुर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर
14.	हनुमानगढ़	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़
15.	जयपुर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
16.	झुंझुनूं	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं
17.	जोधपुर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
18.	जैसलमेर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर
19.	जालौर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जालौर
20.	झालावाड़	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़
21.	कोटा	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

*यथा संशोधित

1.	2.	3.
22.	करौली	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली
23.	नागौर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
24.	पाली	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पाली
25.	राजसमंद	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद
26.	सीकर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
27.	सवाईमाधोपुर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर
28.	गंगानगर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, गंगानगर
29.	सिरोही	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही
30.	टोंक	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
31.	भीलवाड़ा	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
32.	उदयपुर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

आज्ञा से,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. 7 (4) (1) पंचायत/रानिआ/99/4432 जयपुर, दिनांक : 31.12.1999

प्रतिलिपि :-

1. विकास आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान सरकार।
4. निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायतें) (कलेक्टर) राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी, जिला परिषद सदस्य चुनाव।
7. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान, जयपुर।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

(26)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ.7(4)(1)पंचा/रानिआ/09/6105 दिनांकः 10.12.09

आदेश

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 58(3) के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग अपने पूर्व आदेश क्रमांक एफ 7(4)(1)पंचायत/रानिआ/99/4432 दिनांक 31.12.1999 के क्रम में निम्नाकिंत सारणी के स्तम्भ–2 में अंकित जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन हेतु स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करता है :–

सारणी

क0सं0	जिला परिषद का नाम	रिटर्निंग अधिकारी
1	2	3
1	प्रतापगढ़	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

–ह0–
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(27)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकःएफ.7(4)(1)पंचा/रानिआ/2014/9667 दिनांकः22.12.14

आदेश

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 62 के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग अपने पूर्व प्रसारित आदेशों अधिक्रमण करते हुए निम्नांकित सारणी के स्तम्भ–2 में अंकित जिला परिषदों के प्रमुख एवं उपप्रमुख के निर्वाचन हेतु स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करता हैः–

सारणी

क0सं0	जिला परिषद का नाम	रिटर्निंग अधिकारी
1	2	3
1	अजमेर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर
2	अलवर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर
3	बारां	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां
4	बांसवाड़ा	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा
5	बाड़मेर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
6	भरतपुर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर
7	भीलवाड़ा	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
8	बीकानेर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर
9	बून्दी	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी
10	चित्तौड़गढ़	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़
11	चूरू	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चुरू
12	दौसा	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
13	धौलपुर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर
14	डूंगरपुर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर
15	हनुमानगढ़	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़
16	जयपुर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
17	जैसलमेर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर
18	जालौर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जालौर
19	झालावाड़	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़
20	झुंझुनूं	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनूं
21	जोधपुर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
22	करौली	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली
23	कोटा	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा
24	नागौर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
25	पाली	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पाली
26	प्रतापगढ़	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़
27	राजसमंद	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द
28	सवाईमाधोपुर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर
29	सीकर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
30	श्रीगंगानगर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
31	सिरोही	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही
32	टोंक	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
33	उदयपुर	जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकःएफ 7(4)(1)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 2048 दिनांकः 13.06.2019

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत),(कलक्टर), राजस्थान।

विषयः–पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम–58(3) में जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति करने संबंधी शक्तियां आयोग में निहित है। नियम–58(3) के प्रावधान निम्नानुसार है :–

> ''**58.Election of members of Panchayat Samiti/Zila Parishad.-** (3)The Commission shall appoint Returning Officer for election of members of the Zila Parishad and also Assistant Returning Officers to assist him.''

उक्त प्रावधानों के अनुसरण में आयोग द्वारा आदेश क्रमांक 4432 दिनांक 31.12.1999 के द्वारा 32 जिलों एवं आदेश क्रमांक 6105 / 10.12.2009 के द्वारा प्रतापगढ जिले के लिए संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को उनके जिले से संबंधित जिला परिषद के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया हुआ है। रिटर्निंग अधिकारी की सहायतार्थ सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं।

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 58(2) के प्रावधानों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रत्येक पंचायत समिति के लिए, उसके सदस्यों के निर्वाचन हेतु एक रिटर्निग अधिकारी और उसकी सहायता के लिए सहायक रिटर्निग अधिकारी नियुक्त करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। नियम 58(2) के प्रावधान निम्नानुसार हैं :–

> **"58. Election of members of Panchayat Samiti/Zila Parishad.-** (2) The District Election Officer (Panchayats) shall appoint a Returning Officer for each Panchayat Samiti for election of its members and may also appoint Assistant Returning Officer to assist him."

अतः जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन हेतु नियम 58(3) के अनुसरण में रिटर्निंग अधिकारी की सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन हेतु नियम

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

58(2) के अनुसरण में एवं संविधान के अनुच्छेद 243ट में प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त आयोग को समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों) के निर्वाचनों हेतु रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित निर्देश प्रदान किए जाते हैं :—

1. जिला परिषद सदस्य के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा। अतः सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव भिजवाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए।
2. पंचायत समिति सदस्य के लिए रिटर्निंग अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा।
3. पंचायत समिति सदस्य के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी तहसीलदार/नायब तहसीलदार होगा।

आज्ञा से,

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकःएफ 7(4)(1)पंचा/रानिआ/2014–15/2251 दिनांकः 05.07.2019

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत),(कलक्टर), राजस्थान।

विषयः–पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में।

संदर्भः–आयोग का पत्रांक 2048 दिनांक 13.06.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के निर्वाचनों हेतु रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में निर्देश प्रदान किए गए थे।

इन निर्देशों के बिन्दु संख्या–1 में जिला परिषद सदस्यों के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्तावों में भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के नाम नामित किए जाने संबंधी निर्देश प्रदान किए गए थे। इसी प्रकार बिन्दु संख्या–2 में पंचायत समिति सदस्यों के लिए रिटर्निंग अधिकारी के पद पर भी भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को ही नियुक्त करने संबंधी निर्देश प्रदान किए गए थे।

इसी क्रम में आयोग द्वारा निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि परिवीक्षाकाल में चल रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पद के लिए नामित/नियुक्त नहीं किया जाए।

आज्ञा से,

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(30)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 1044 जयपुर, दिनांक : 23.1.2015

अधिसूचना

सां.आ. 108 / 2015– यतः राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 23 के उप नियम (2) एवं (3) के उपबन्धों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) प्रत्येक पंचायत सर्किल के पंचों और सरपंच के निर्वाचन के लिए किसी व्यक्ति को नाम से और उसके पदाभिधान से रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा और रिटर्निंग अधिकारी के अपरिहार्य रूप से उसके कृत्यों के निर्वहन से निवारित हो जाने की दशा में, उस पंचायत सर्किल के लिए नियुक्त किये गये मतदान अधिकारियों में से किसी एक को रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए भी प्राधिकृत कर सकेगा;

यतः उपरोक्त निर्वाचनों में रिटर्निंग अधिकारी की सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करने हेत कोई प्रावधान नहीं है,

यतः कई पंचायत सर्किलों में बहुत अधिक संख्या में वार्ड हैं और एक अकेले व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन निश्चित समय सीमा में करना कठिन होगा और उसकी सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करना वांछित है।

इसी प्रकार नियम 70 (1) में प्रावधान दिया गया है कि, सरपंच के पद का निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी प्ररूप 10 में दो प्रतियों में लिखित किसी पत्र द्वारा दो से अनधिक गणन अभिकर्ताओं को नियुक्त कर सकेगा। जबकि जिन पंचायत सर्किलों में बहुत अधिक संख्या में वार्ड हैं व जिनके सरपंच चुनाव की मतगणना कई मतगणना कक्षों में करवाई जाती है, उनमें दो गणन अभिकर्ताओं द्वारा सम्यक रूप से अपना दायित्व निर्वहन किया जाना कठिन होगा।

अतः पूर्वोक्त नियमों के नियम 91–क द्वारा कठिनाइयों के निराकरण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में आयोग अपने सां.आ. 15 / 1995 दिनांक 12.1.1995 (आदेश क्रमांक 241 दिनांक 12.1.95) को अतिक्रमित करते हुए एतद्द्वारा निर्दिष्ट करता है कि, जिन पंचायत सर्किलों के वार्डों की संख्या 20 या अधिक है, उनमें नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी की सहायता के लिए उस पंचायत सर्किल के बूथों के लिए नियुक्त किये गये मतदान अधिकारियों में से प्रत्येक अतिरिक्त 15 वार्ड्स के लिए एक अधिकारी को सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा तथा सरपंच पद के अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 2 से अधिक गणना अभिकर्ताओं की संख्या को जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा आवश्यकतानुसार अनुमत किया जा सकेगा।

आज्ञा से,

ह0 / –
(सत्यप्रकाश बसवाला)
सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(31)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

जयपुर, दिनांक : 12.1.95

आदेश

सां.आ. 17/95 यतः राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 49 के उप-नियम (4) में उपबन्धित है कि मतदान अधिकारी और सहायक मतदान अधिकारियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के सिवाय, जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी इस कार्य में उसकी सहायता करने के लिये अनुज्ञा दे, मतों की गणना के समय किसी भी अन्य व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

यतः उपरोक्त नियम 49 के उपबन्ध नियम 58 के उप-नियम (5) के अनुसार पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन पर आवश्यक परिवर्तनों सहित, यथाशक्य लागू किये गये हैं, परन्तु नियमों में पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन से सम्बन्धित मतगणना के लिये रिटर्निंग अधिकारी की सहायता के लिये गणना पर्यवेक्षकों एवम् गणना सहायकों की नियुक्ति करने के लिये कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है, जिसके अभाव में गणना पर्यवेक्षकों और गणना सहायकों को नियुक्त करने के लिये कठिनाई है,

अतः पूर्वोक्त नियमों के नियम 91-क द्वारा कठिनाईयों के निराकरण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में आयोग निर्दिष्ट करता है कि मतों की गणना में रिटर्निंग अधिकारियों की सहायता करने हेतु गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक के रूप में सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियुक्ति की जावेगी और उन्हें मतों की गणना के समय उपस्थित रहने के लिये नियम 48 की उप-धारा (4) के उपबन्धों के अधीन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रवेश दिया जावेगा।

(दिनेश कुमार)
सचिव, एवं मुख्य निर्वाचक अधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : प. 4 (2) (1) पं.चु./रानिआ/94/242 दिनांक : 12 जनवरी, 95

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित हैः-

1. विकास आयुक्त एवम् प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त,
3. विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर)
5. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, जिला परिषद सदस्य चुनाव जरिये जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर)
6. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, पंचायत समिति सदस्य चुनाव जरिये जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर)
7. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त,
8. निजी सहायक, मु.नि.अ. एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग
9. उप सचिव, प्रथम/द्वितीय, राज्य निर्वाचन आयोग,
10. सहायक सचिव, प्रथम/द्वितीय, राज्य निर्वाचन आयोग,
11. जन सम्पर्क अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग,

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

भाग–5
मतपत्र बाबत्

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/5761 दिनांक : 05.12.2019

आदेश

सा.आ.131/2019 राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 29(4) के प्रावधानों के अनुसार मतपत्र ऐसे प्ररूप में होगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे। उक्त नियम में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आयोग द्वारा आदेश क्रमांक 9490 दिनांक 17.12.2014 (सां. आ. 99/2014) के द्वारा **पंच एवं सरपंच** पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्ररूप विहित किया हुआ है।

आयोग अपने उक्त आदेश क्रमांक 9490 दिनांक 17.12.2014 को अधिक्रमित करते हुए पंच एवं सरपंच पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्ररूप निम्नांकित रूप से विहित करता हैः–

1. मतपत्र की चौडाई 4 इंच होगी।
2. पंच एवं सरपंच चुनाव हेतु प्रत्येक मतपत्र के ऊपरी भाग में 2.5 से.मी. की जगह होगी, जिसमें क्रमानुसार निम्नांकित विशिष्टियां/विवरण अंकित होगाः–
   (क) ऊपरी भाग पर काली सीमा रेखा (Border Line) होगी।
   (ख) बॉयीं ओर मतपत्र का क्रमांक होगा।
   (ग) सरपंच पद हेतु मतपत्र के ऊपरी भाग के दायीं ओर पंचायत सर्किल का नाम एवं इसके नीचे निर्वाचन की विशिष्टियां, साधारण निर्वाचन अथवा उप निर्वाचन सांकेतिक शब्दों में एवं इसके साथ ही चुनाव का वर्ष अंकित किया जाएगा। उदाहरणार्थ साधारण निर्वाचन, 2020 के लिए ''सा.नि./2020'' एवं उप निर्वाचन, 2020 के लिए ''उ.नि./2020''
   (घ) पंच पद हेतु मतपत्र के ऊपरी भाग के दायीं ओर पंचायत सर्किल का नाम, वार्ड संख्या एवं निर्वाचन की विशिष्टियां, साधारण निर्वाचन अथवा उप निर्वाचन सांकेतिक शब्दों में एवं इसके साथ ही चुनाव का वर्ष उक्त उपबिन्दु (ग) में अंकित उदाहरण के अनुसार एक के नीचे एक अंकित किया जाएगा।
   (ड) ऊपरी भाग को मतपत्र से पृथक करने हेतु काली सीमा रेखा (Border Line) होगी।
3. निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) सहित समस्त पैनलों को छायादार (Shaded) पट्टी से पृथक किया जाएगा। प्रत्येक छायादार पट्टी की ऊँचाई 1.25 से.मी. होगी। प्रथम छायादार (Shaded) पट्टी में मतपत्र पर निर्वाचन की विशिष्टियॉ यथा पंच चुनाव अथवा सरपंच चुनाव अंकित होगा।
4. निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) के लिए प्रत्येक पैनल की ऊँचाई 2.5 से.मी. होगी।
5. पैनलों में अभ्यर्थियों के नाम एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) बायीं ओर तथा इनके लिए निर्धारित प्रतीक दायीं ओर अंकित होंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

6. अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) के सम्मुख उनके लिए निर्धारित प्रतीक का आकार 3.5 X 2.0 से.मी. (चौडाई X ऊँचाई) से अधिक नहीं होगा।

7. मतपत्र के निचले हिस्से में भी एक काली सीमा रेखा (Border Line) होगी।

8. मतपत्र पर विशिष्टियॉ हिन्दी में देवनागरी लिपि में होंगी।

9. किसी निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 9 तक होने पर मतपत्र एक स्तम्भ में होगा। निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 9 से अधिक किन्तु 18 तक होने की स्थिति में मतपत्र दो स्तम्भों में होगा। इस स्थिति में निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित विषम में होने पर मतपत्र के दाहिने/अंतिम स्तम्भ का अंतिम पैनल पूर्णतया छायादार (Shaded) होगा।

   उदाहरणः– 1. यदि नोटा सहित चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 12 है, तो मतपत्र दो स्तम्भों में मुद्रित होगा। प्रथम स्तम्भ में पहले 6 अभ्यर्थियों के नाम एवं द्वितीय स्तम्भ में शेष 5 अभ्यर्थी एवं इसके पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा। इस स्थिति में कोई भी पैनल रिक्त नहीं होगा।

   उदाहरण :– 2. यदि चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 13 है, तो मतपत्र दो स्तम्भों में मुद्रित होगा। प्रथम स्तम्भ में पहले 7 अभ्यर्थियों के नाम एवं द्वितीय स्तम्भ में शेष 5 अभ्यर्थियों के नाम एवं इसके पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा। दोनों स्तम्भों का आकार समान रखने के लिए अंतिम पैनल छायादार (Shaded) होगा।

10. किसी निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 18 से अधिक होने की स्थिति में मतपत्र तीन स्तम्भों में होगा एवं यही प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। मतपत्र के तीन या इससे अधिक स्तम्भों में होने की स्थिति में अंतिम स्तम्भ को छोडकर पूर्व के सभी स्तम्भों में अंकित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या समान होगी। अंतिम स्तम्भ में नोटा के पश्चात् एक से अधिक पैनल रिक्त रह सकते है। ऐसे रिक्त पैनल पूर्णतया छायादार (Shaded) होगें।

    उदाहरण :– 1. यदि नोटा सहित चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 20 है, तो मतपत्र तीन स्तम्भों में मुद्रित होगा। प्रथम स्तम्भ में पहले 7 अभ्यर्थियों के नाम, द्वितीय स्तम्भ में अगले 7 अभ्यर्थियों के नाम एवं तृतीय स्तम्भ में शेष 5 अभ्यर्थी एवं इसके पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा। अंतिम पैनल छायादार (Shaded) होगा।

    उदाहरण :– 2. यदि नोटा सहित चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 27 है, तो मतपत्र तीन स्तम्भों में मुद्रित होगा। प्रथम स्तम्भ में पहले 9 अभ्यर्थियों के नाम, द्वितीय स्तम्भ में अगले 9 अभ्यर्थियों के नाम एवं तृतीय स्तम्भ में शेष 8 अभ्यर्थी के नाम के पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा। इस स्थिति में कोई भी पैनल रिक्त नहीं होगा।

    उदाहरण :– 3. यदि नोटा सहित चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 22 है, तो मतपत्र तीन स्तम्भों में मुद्रित होगा। प्रथम स्तम्भ में पहले 8 अभ्यर्थियों के नाम, द्वितीय स्तम्भ में अगले 8 अभ्यर्थियों के नाम एवं तृतीय स्तम्भ में शेष 5 अभ्यर्थी के नाम के पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा। इस स्थिति में अंतिम दो पैनल छायादार (Shaded) होगें।

11. मतपत्र के दो या अधिक स्तम्भों में होने पर प्रत्येक स्तम्भ की चौडाई 4 इंच होगी।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

12.मतपत्र दो अथवा दो से अधिक स्तम्भों में होने की स्थिति में दो स्तम्भों के मध्य 1 से.मी. मोटाई की छायादार खडी लाईन प्रथम पैनल से उस स्तम्भ के अंतिम पैनल तक अंकित होगी। निर्वाचन की विशिष्टियॉ बिन्दु संख्या–2 में प्रदान किए गए निर्देशानुसार ही मतपत्र के स्तम्भों के ऊपरी भाग में अंकित की जानी है।

13.निर्वाचन में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के नाम हिन्दी वर्णानुक्रम में निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार एक दूसरे के नीचे यथास्थिति प्रथम स्तम्भ, दूसरे, तीसरे आदि स्तम्भों में अंकित किए जाएंगे। अंतिम अभ्यर्थी के बाद नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा।

14.पंच के लिए मतपत्र गुलाबी कागज पर एवं सरपंच के लिए मतपत्र सफेद कागज पर होगा।

15.मतपत्र एक एवं दो स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में पंच के लिए नमूना मतपत्र क्रमशः **परिशिष्ट–1** एवं **परिशिष्ट–2** पर एवं सरपंच के लिए नमूना मतपत्र क्रमशः **परिशिष्ट–3** एवं **परिशिष्ट–4** पर उपलब्ध है।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 5762–66 दिनांकः 05.12.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ शासन सचिव एवं निर्देशक, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर), राजस्थान।
4. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में तत्काल प्रकाशनार्थ।
5. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को ई–मेल एवं वेबसाईट पर प्रदर्शित करने एवं राजपत्र में प्रकाशन के लिए ई–गजट पर अपलोड करने हेतु।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

पंच निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना
(मतपत्र एक स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

पंचायत सर्किल का नाम ....
वार्ड संख्या ....
सा. नि. / 20..........

No. 0659562

मनोज कुमार

पंच चुनाव

मनोज कुमार

मनोज कुमार 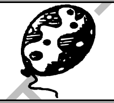

मनोज कुमार

मनोज कुमार

मनोज कुमार 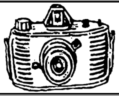

मनोज कुमार 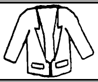

मनोज कुमार 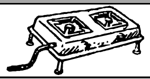

नोटा (इनमें से कोई नहीं)

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

पंच निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना
(मतपत्र दो स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

पंचायत सर्किल का नाम ....
वार्ड संख्या ....
सा. नि. / 20..........

No. 0659562

मनोज कुमार	मनोज कुमार
पंच चुनाव	
मनोज कुमार	मनोज कुमार
मनोज कुमार	मनोज कुमार 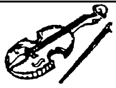
मनोज कुमार	मनोज कुमार 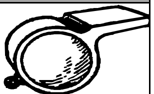
मनोज कुमार 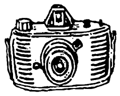	मनोज कुमार 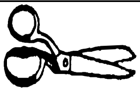
मनोज कुमार	नोटा (इनमें से कोई नहीं)
मनोज कुमार 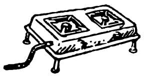	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

परिशिष्ट–3

सरपंच निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना
(मतपत्र एक स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

पंचायत सर्किल का नाम .... सा. नि. / 20.......... No. 0659562	
मनोज कुमार	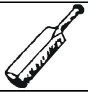
सरपंच चुनाव	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	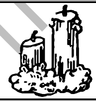
मनोज कुमार	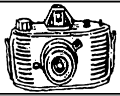
मनोज कुमार	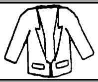
मनोज कुमार	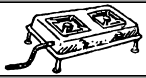
नोटा (इनमें से कोई नहीं)	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

सरपंच निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना
(मतपत्र दो स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

पंचायत सर्किल का नाम ....
सा. नि./20........

No. 0659562

मनोज कुमार		मनोज कुमार	
सरपंच चुनाव			
मनोज कुमार		मनोज कुमार	
मनोज कुमार		मनोज कुमार	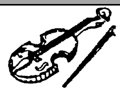
मनोज कुमार		मनोज कुमार	
मनोज कुमार	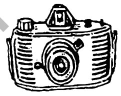	मनोज कुमार	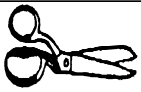
मनोज कुमार		नोटा (इनमें से कोई नहीं)	

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(33)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/5755 दिनांक : 05.12.2019

आदेश

सा.आ. 132/2019 राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 29(4) के प्रावधानों के अनुसार मतपत्र ऐसे प्ररूप में होगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे। उक्त नियम में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आयोग द्वारा आदेश क्रमांक 9496 दिनांक 17.12.2014 (सां. आ. 100/2014) के द्वारा पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्ररूप विहित किया हुआ है।

आयोग अपने उक्त आदेश क्रमांक 9496 दिनांक 17.12.2014 को अधिक्रमित करते हुए पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्ररूप निम्नांकित रूप से विहित करता है:–

1. मतपत्र की चौडाई 4 इंच होगी।
2. पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य चुनाव हेतु प्रत्येक मतपत्र के ऊपरी भाग में 2.5 से.मी. की जगह होगी, जिसमें क्रमानुसार निम्नांकित विशिष्टियां/विवरण अंकित होगाः–
   (क) ऊपरी भाग पर काली सीमा रेखा (Border Line) होगी।
   (ख) बॉयीं ओर मतपत्र का क्रमांक होगा।
   (ग) पंचायत समिति सदस्य पद हेतु मतपत्र के ऊपरी भाग के दाईं ओर पंचायत समिति का नाम, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं निर्वाचन की विशिष्टियां, साधारण निर्वाचन अथवा उप निर्वाचन सांकेतिक शब्दों में उदाहरणार्थ साधारण निर्वाचन, 2020 के लिए ''सा.नि./20........'' एवं उप निर्वाचन, 2020 के लिए ''उ.नि./20......'' एवं चुनाव का वर्ष, एक के नीचे एक अंकित किया जाएगा।
   (घ) जिला परिषद सदस्य पद हेतु मतपत्र के ऊपरी भाग के दाईं ओर जिला परिषद का नाम, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं निर्वाचन की विशिष्टियां, साधारण निर्वाचन अथवा उप निर्वाचन के लिए सांकेतिक शब्दों में एवं चुनाव का वर्ष उपरोक्त उपबिन्दु (ग) के अनुसार एक के नीचे एक अंकित किया जाएगा।
   (ड) ऊपरी भाग को मतपत्र से पृथक करने हेतु काली सीमा रेखा (Border Line) होगी।
3. निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) सहित समस्त पैनलों को छायादार (Shaded) पट्टी से पृथक किया जाएगा। प्रत्येक छायादार पट्टी की ऊँचाई 1.25 से.मी. होगी। प्रथम छायादार (Shaded) पट्टी में मतपत्र पर निर्वाचन की विशिष्टियॉ यथा पंचायत समिति सदस्य चुनाव अथवा जिला परिषद सदस्य चुनाव अंकित होगा।
4. निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) के लिए प्रत्येक पैनल की ऊँचाई 2.5 से.मी. होगी।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

5. पैनलों में अभ्यर्थियों के नाम एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) बायीं ओर तथा इनके लिए निर्धारित प्रतीक दायीं ओर अंकित होंगे।

6. अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) के सम्मुख उनके लिए निर्धारित प्रतीक का आकार 3.5 x 2.0 से.मी. (चौडाई x ऊँचाई) से अधिक नहीं होगा।

7. मतपत्र के निचले हिस्से में भी एक काली सीमा रेखा (Border Line) होगी।

8. मतपत्र पर विशिष्टियॉ हिन्दी में देवनागरी लिपि में होंगी।

9. किसी निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 9 तक होने पर मतपत्र एक स्तम्भ में होगा। निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 9 से अधिक किन्तु 18 तक होने की स्थिति में मतपत्र दो स्तम्भों में होगा। इस स्थिति में निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित विषम में होने पर मतपत्र के दाहिने/अंतिम स्तम्भ का अंतिम पैनल पूर्णतया छायादार (Shaded) होगा।

   उदाहरण :– 1. यदि नोटा सहित चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 12 है, तो मतपत्र दो स्तम्भों में मुद्रित होगा। प्रथम स्तम्भ में पहले 6 अभ्यर्थियों के नाम एवं द्वितीय स्तम्भ में शेष 5 अभ्यर्थी एवं इसके पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा। इस स्थिति में कोई भी पैनल रिक्त नहीं होगा।

   उदाहरण :– 2. यदि चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 13 है, तो मतपत्र दो स्तम्भों में मुद्रित होगा। प्रथम स्तम्भ में पहले 7 अभ्यर्थियों के नाम एवं द्वितीय स्तम्भ में शेष 5 अभ्यर्थियों के नाम एवं इसके पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा। दोनों स्तम्भों का आकार समान रखने के लिए अंतिम पैनल छायादार (Shaded) होगा।

10. किसी निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 18 से अधिक होने की स्थिति में मतपत्र तीन स्तम्भों में होगा एवं यही प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। मतपत्र के तीन या इससे अधिक स्तम्भों में होने की स्थिति में अंतिम स्तम्भ को छोडकर पूर्व के सभी स्तम्भों में अंकित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या समान होगी। अंतिम स्तम्भ में नोटा के पश्चात् एक से अधिक पैनल रिक्त रह सकते है। ऐसे रिक्त पैनल पूर्णतया छायादार (Shaded) होगें।

    उदाहरण :– 1. यदि नोटा सहित चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 20 है, तो मतपत्र तीन स्तम्भों में मुद्रित होगा। प्रथम स्तम्भ में पहले 7 अभ्यर्थियों के नाम, द्वितीय स्तम्भ में अगले 7 अभ्यर्थियों के नाम एवं तृतीय स्तम्भ में शेष 5 अभ्यर्थी एवं इसके पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा। अंतिम पैनल छायादार (Shaded) होगा।

    उदाहरण :– 2. यदि नोटा सहित चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 27 है, तो मतपत्र तीन स्तम्भों में मुद्रित होगा। प्रथम स्तम्भ में पहले 9 अभ्यर्थियों के नाम, द्वितीय स्तम्भ में अगले 9 अभ्यर्थियों के नाम एवं तृतीय स्तम्भ में शेष 8 अभ्यर्थी के नाम के पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा। इस स्थिति में कोई भी पैनल रिक्त नहीं होगा।

    उदाहरण :– 3. यदि नोटा सहित चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 22 है, तो मतपत्र तीन स्तम्भों में मुद्रित होगा। प्रथम स्तम्भ में पहले 8 अभ्यर्थियों के नाम, द्वितीय स्तम्भ में अगले 8 अभ्यर्थियों के नाम एवं तृतीय स्तम्भ में शेष 5 अभ्यर्थी के नाम के पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा। इस स्थिति में अंतिम दो पैनल छायादार (Shaded) होगें।

11. मतपत्र के दो या अधिक स्तम्भों में होने पर प्रत्येक स्तम्भ की चौडाई 4 इंच होगी।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

12.मतपत्र दो अथवा दो से अधिक स्तम्भों में होने की स्थिति में दो स्तम्भों के मध्य 1 से.मी. मोटाई की छायादार खडी लाईन प्रथम पैनल से उस स्तम्भ के अंतिम पैनल तक अंकित होगी। निर्वाचन की विशिष्टियॉ बिन्दु संख्या–2 में प्रदान किए गए निर्देशानुसार ही मतपत्र के स्तम्भों के ऊपरी भाग में अंकित की जानी है।

13.निर्वाचन में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के नाम हिन्दी वर्णानुक्रम में निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार एक दूसरे के नीचे यथास्थिति प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि स्तम्भों में अंकित किए जाएंगे। अंतिम अभ्यर्थी के बाद नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा।

14.पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन के लिए मतपत्र नीले कागज पर एवं जिला परिषद सदस्य निर्वाचन के लिए मतपत्र पीले कागज पर होगा।

15.मतपत्र एक एवं दो स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में पंचायत समिति सदस्य के लिए नमूना मतपत्र क्रमशः **परिशिष्ट–1** एवं **परिशिष्ट–2** पर एवं जिला परिषद सदस्य के लिए नमूना मतपत्र क्रमशः **परिशिष्ट–3** एवं **परिशिष्ट–4** पर उपलब्ध है।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 5756–60 दिनांक :– 05.12.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर), राजस्थान।
4. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में तत्काल प्रकाशनार्थ।
5. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को ई–मेल एवं वेबसाईट पर प्रदर्शित करने एवं राजपत्र में प्रकाशन के लिए ई–गजट पर अपलोड करने हेतु।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

परिशिष्ट–1

पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना
(मतपत्र एक स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

पंचायत समिति का नाम ....
निर्वाचन क्षेत्र संख्या ....
सा. नि. / 20..........
No. 0659562

मनोज कुमार	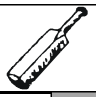
पंचायत समिति सदस्य चुनाव	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	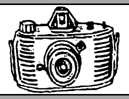
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	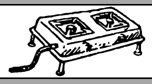
नोटा (इनमें से कोई नहीं)	

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना
(मतपत्र दो स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

पंचायत समिति का नाम ....
निर्वाचन क्षेत्र संख्या ....
सा. नि. / 20........

No. 0659562

मनोज कुमार 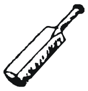	मनोज कुमार
पंचायत समिति सदस्य चुनाव	
मनोज कुमार	मनोज कुमार
मनोज कुमार	मनोज कुमार 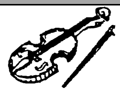
मनोज कुमार	मनोज कुमार 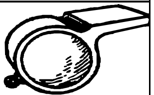
मनोज कुमार 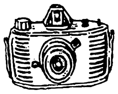	मनोज कुमार 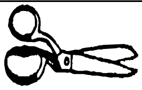
मनोज कुमार	नोटा (इनमें से कोई नहीं)
मनोज कुमार 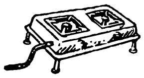	

परिशिष्ट–3

जिला परिषद सदस्य निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना
(मतपत्र एक स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

जिला परिषद का नाम ....
निर्वाचन क्षेत्र संख्या ....
सा. नि. / 20........

No. 0659562

मनोज कुमार	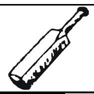
जिला परिषद सदस्य चुनाव	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	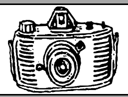
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	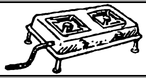
नोटा (इनमें से कोई नहीं)	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

जिला परिषद सदस्य निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना
(मतपत्र दो स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

जिला परिषद का नाम ....
निर्वाचन क्षेत्र संख्या ....
सा. नि./20........

No. 0659562

मनोज कुमार		मनोज कुमार	
जिला परिषद सदस्य चुनाव			
मनोज कुमार		मनोज कुमार	
मनोज कुमार		मनोज कुमार	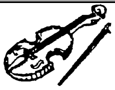
मनोज कुमार		मनोज कुमार	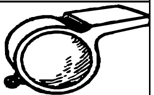
मनोज कुमार	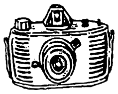	मनोज कुमार	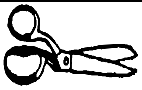
मनोज कुमार		नोटा (इनमें से कोई नहीं)	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(34)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/5749 दिनांक : 05.12.2019

आदेश

सा.आ. 133/2019 राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 59(12) के उपबन्ध (क) के प्रावधानों के अनुसार मतपत्र ऐसे प्ररूप में होगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे। उक्त नियम में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आयोग द्वारा आदेश क्रमांक 9500 दिनांक 17.12.2014 (सां. आ. 101/2014) के द्वारा **पंचायत समिति के प्रधान एवं उप प्रधान एवं जिला परिषद के प्रमुख एवं उप प्रमुख** पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्ररूप विहित किया हुआ है।

आयोग अपने उक्त आदेश क्रमांक 9500 दिनांक 17.12.2014 (सां. आ. 101/2014) को अधिक्रमित करते हुए पंचायत समिति के प्रधान एवं उप प्रधान एवं जिला परिषद के प्रमुख एवं उप प्रमुख पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्ररूप निम्नांकित रूप से विहित करता हैः–

1. मतपत्र की चौडाई 4 इंच होगी।
2. पंचायत समिति के प्रधान एवं उप प्रधान एवं जिला परिषद के प्रमुख एवं उप प्रमुख पदों के चुनाव हेतु प्रत्येक मतपत्र के ऊपरी भाग में 2.5 से.मी. की जगह होगी, जिसमें क्रमानुसार निम्नांकित विशिष्टियां/विवरण अंकित होगाः–
   (क) ऊपरी भाग पर काली सीमा रेखा (Border Line) होगी।
   (ख) बॉयीं ओर मतपत्र का क्रमांक होगा।
   (ग) पंचायत समिति के प्रधान एवं उप प्रधान के लिए 'प्रधान पद का निर्वाचन' अथवा 'उप प्रधान पद का निर्वाचन', पंचायत समिति का नाम, निर्वाचन की विशिष्टियॉ यथा साधारण निर्वाचन अथवा उप निर्वाचन सांकेतिक शब्दों में एवं चुनाव का वर्ष, उदाहरणार्थ साधारण निर्वाचन, 2020 के लिए ''सा.नि./20.......'' एवं उप निर्वाचन, 2020 के लिए ''उ.नि./20.......'' अंकित किया जाएगा। उक्त विवरण/विशिष्टियॉ बिन्दु संख्या (क) में वर्णित काली सीमा रेखा (Border Line) के नीचे दायीं ओर एक के नीचे एक अंकित होगी।
   (घ) जिला परिषद के प्रमुख एवं उप प्रमुख के लिए 'प्रमुख पद का निर्वाचन' अथवा 'उप प्रमुख पद का निर्वाचन', जिला परिषद का नाम, निर्वाचन की विशिष्टियॉ यथा साधारण निर्वाचन अथवा उप निर्वाचन सांकेतिक शब्दों में एवं चुनाव का वर्ष एक के नीचे एक उप बिन्दु (ग) के अनुसार अंकित किया जाएगा।
   (ङ) ऊपरी भाग को मतपत्र से पृथक करने हेतु काली सीमा रेखा (Border Line) होगी।
3. निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) सहित समस्त पैनलों को छायादार (Shaded) पट्टी से पृथक किया जाएगा। प्रत्येक छायादार पट्टी की ऊँचाई 1.25 से.मी. होगी।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

4. निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) के लिए प्रत्येक पैनल की ऊँचाई 2.5 से.मी. होगी।

5. पैनलों में अभ्यर्थियों के नाम एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) बायीं ओर तथा इनके लिए निर्धारित प्रतीक दायीं ओर अंकित होंगे।

6. अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) के सम्मुख उनके लिए निर्धारित प्रतीक का आकार 3.5 x 2.0 से.मी. (चौडाई x ऊँचाई) से अधिक नहीं होगा।

7. मतपत्र के निचले हिस्से में भी एक काली सीमा रेखा (Border Line) होगी।

8. मतपत्र पर विशिष्टियॉ हिन्दी में देवनागरी लिपि में होंगी।

9. किसी निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 9 तक होने पर मतपत्र एक स्तम्भ में होगा। निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 9 से अधिक किन्तु 18 तक होने की स्थिति में मतपत्र दो स्तम्भों में होगा। इस स्थिति में निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित विषम में होने पर मतपत्र के दाहिने/अंतिम स्तम्भ का अंतिम पैनल पूर्णतया छायादार (Shaded) होगा।

उदाहरण :– 1. यदि नोटा सहित चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 12 है, तो मतपत्र दो स्तम्भों में मुद्रित होगा। प्रथम स्तम्भ में पहले 6 अभ्यर्थियों के नाम एवं द्वितीय स्तम्भ में शेष 5 अभ्यर्थी एवं इसके पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा। इस स्थिति में कोई भी पैनल रिक्त नहीं होगा।

उदाहरण :– 2. यदि चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 13 है, तो मतपत्र दो स्तम्भों में मुद्रित होगा। प्रथम स्तम्भ में पहले 7 अभ्यर्थियों के नाम एवं द्वितीय स्तम्भ में शेष 5 अभ्यर्थियों के नाम एवं इसके पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा। दोनों स्तम्भों का आकार समान रखने के लिए अंतिम पैनल छायादार (Shaded) होगा।

10. किसी निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 18 से अधिक होने की स्थिति में मतपत्र तीन स्तम्भों में होगा एवं यही प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। मतपत्र के तीन या इससे अधिक स्तम्भों में होने की स्थिति में अंतिम स्तम्भ को छोडकर पूर्व के सभी स्तम्भों में अंकित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या समान होगी। अंतिम स्तम्भ में नोटा के पश्चात् एक से अधिक पैनल रिक्त रह सकते है। ऐसे रिक्त पैनल पूर्णतया छायादार (Shaded) होगें।

उदाहरण :– 1. यदि नोटा सहित चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 20 है, तो मतपत्र तीन स्तम्भों में मुद्रित होगा। प्रथम स्तम्भ में पहले 7 अभ्यर्थियों के नाम, द्वितीय स्तम्भ में अगले 7 अभ्यर्थियों के नाम एवं तृतीय स्तम्भ में शेष 5 अभ्यर्थी एवं इसके पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा। अंतिम पैनल छायादार (Shaded) होगा।

उदाहरण :– 2. यदि नोटा सहित चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 27 है, तो मतपत्र तीन स्तम्भों में मुद्रित होगा। प्रथम स्तम्भ में पहले 9 अभ्यर्थियों के नाम, द्वितीय स्तम्भ में अगले 9 अभ्यर्थियों के नाम एवं तृतीय स्तम्भ में शेष 8 अभ्यर्थी के नाम के पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा। इस स्थिति में कोई भी पैनल रिक्त नहीं होगा।

उदाहरण :– 3 यदि नोटा सहित चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 22 है, तो मतपत्र तीन स्तम्भों में मुद्रित होगा। प्रथम स्तम्भ में पहले 8 अभ्यर्थियों के नाम, द्वितीय स्तम्भ में अगले 8

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

अभ्यर्थियों के नाम एवं तृतीय स्तम्भ में शेष 5 अभ्यर्थी के नाम के पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा। इस स्थिति में अंतिम दो पैनल छायादार (Shaded) होगें।

11. मतपत्र के दो या अधिक स्तम्भों में होने पर प्रत्येक स्तम्भ की चौडाई 4 इंच होगी।

12. **मतपत्र दो अथवा दो से अधिक स्तम्भों में होने की स्थिति में दो स्तम्भों के मध्य 1 से.मी. मोटाई की छायादार खडी लाईन प्रथम पैनल से उस स्तम्भ के अंतिम पैनल तक अंकित होगी।**

13. निर्वाचन में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के नाम हिन्दी वर्णानुक्रम में निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार एक दूसरे के नीचे यथास्थिति प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि स्तम्भों में अंकित किए जाएंगे। अंतिम अभ्यर्थी के बाद नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा।

14. मतपत्र एक स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में पंचायत समिति के प्रधान एवं उप प्रधान के लिए नमूना मतपत्र क्रमशः **परिशिष्ट–1** एवं **परिशिष्ट–2** पर एवं जिला परिषद के प्रमुख एवं उप प्रमुख के लिए नमूना मतपत्र क्रमशः **परिशिष्ट–3** एवं **परिशिष्ट–4** पर उपलब्ध है।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/5750–54 दिनांक :– 05.12.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ शासन सचिव एवं निर्देशक, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर), राजस्थान।
4. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में तत्काल प्रकाशनार्थ।
5. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को ई–मेल एवं वेबसाईट पर प्रदर्शित करने एवं राजपत्र में प्रकाशन के लिए ई–गजट पर अपलोड करने हेतु।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

पंचायत समिति के प्रधान निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना
(मतपत्र एक स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

प्रधान पद का निर्वाचन
पंचायत समिति का नाम ....
सा. नि./20........

No. 0659562

मनोज कुमार	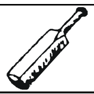
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	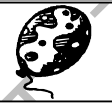
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	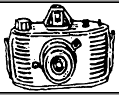
मनोज कुमार	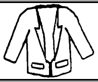
मनोज कुमार	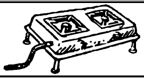
नोटा (इनमें से कोई नहीं)	

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

पंचायत समिति के उप प्रधान निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना
(मतपत्र एक स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

उप प्रधान पद का निर्वाचन पंचायत समिति का नाम .... सा. नि./20...... No. 0659562	
मनोज कुमार	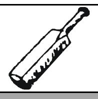
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	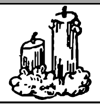
मनोज कुमार	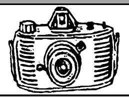
मनोज कुमार	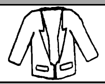
मनोज कुमार	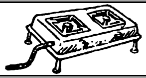
नोटा (इनमें से कोई नहीं)	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

जिला परिषद के प्रमुख निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना
(मतपत्र एक स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

	प्रमुख पद का निर्वाचन जिला परिषद का नाम .... सा. नि./20.....
No. 0659562	
मनोज कुमार	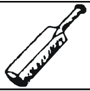
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	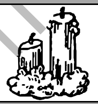
मनोज कुमार	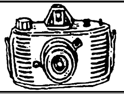
मनोज कुमार	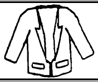
मनोज कुमार	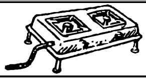
नोटा (इनमें से कोई नहीं)	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

जिला परिषद के उप प्रमुख निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना (मतपत्र एक स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

उप प्रमुख पद का निर्वाचन जिला परिषद का नाम .... सा. नि./20....... No. 0659562	
मनोज कुमार	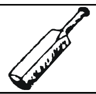
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	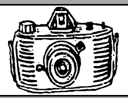
मनोज कुमार	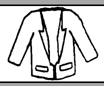
मनोज कुमार	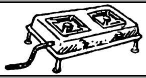
नोटा (इनमें से कोई नहीं)	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(35)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/5742 दिनांक : 05.12.2019

आदेश

सा.आ. 134/2019 राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 66(7) एवं 59 (9) के प्रावधानों के अनुसार मतपत्र ऐसे प्ररूप में होगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे। उक्त नियम में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आयोग द्वारा आदेश क्रमांक 9504 दिनांक 17.12.2014 (सां. आ. 102/2014) के द्वारा उप सरपंच पदों के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्ररूप विहित किया हुआ है।

आयोग अपने उक्त आदेश क्रमांक 9504 दिनांक 17.12.2014 को अधिक्रमित करते हुए उप सरपंच पद के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्ररूप निम्नांकित रूप से विहित करता हैः–

1. मतपत्र की चौडाई 4 इंच होगी।
2. उप सरपंच चुनाव हेतु प्रत्येक मतपत्र के ऊपरी भाग में 2.5 से.मी. की जगह होगी, जिसमें क्रमानुसार निम्नांकित विशिष्टियां/विवरण अंकित होगाः–
   (क) ऊपरी भाग पर काली सीमा रेखा (Border Line) होगी।
   (ख) बॉयीं ओर मतपत्र का क्रमांक होगा।
   (ग) उप सरपंच पद हेतु मतपत्र के ऊपरी भाग के दायीं ओर पंचायत सर्किल का नाम अंकित किया जाएगा। इसके नीचे निर्वाचन की विशिष्टियॉ यथा साधारण निर्वाचन अथवा उप निर्वाचन सांकेतिक शब्दों में एवं चुनाव का वर्ष उदाहरणार्थ साधारण निर्वाचन, 2020 के लिए ''सा.नि./ 20.......'' एवं उप निर्वाचन, 2020 के लिए ''उ.नि./20......'' अंकित किया जाएगा।
   (घ) ऊपरी भाग को मतपत्र से पृथक करने हेतु काली सीमा रेखा (Border Line) होगी।
3. निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) सहित समस्त पैनलों को छायादार (Shaded) पट्टी से पृथक किया जाएगा। प्रत्येक छायादार पट्टी की ऊँचाई 1.25 से.मी. होगी। प्रथम छायादार (Shaded) पट्टी में मतपत्र पर निर्वाचन की विशिष्टियॉ उप सरपंच चुनाव अंकित होगा।
4. निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) के लिए प्रत्येक पैनल की ऊँचाई 2.5 से.मी. होगी।
5. पैनलों में अभ्यर्थियों के नाम एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) बायीं ओर तथा इनके लिए निर्धारित प्रतीक दायीं ओर अंकित होंगे।
6. अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) के सम्मुख उनके लिए निर्धारित प्रतीक का आकार 3.5 x 2.0 से.मी. (चौडाई x ऊँचाई) से अधिक नहीं होगा।
7. मतपत्र के निचले हिस्से में भी एक काली सीमा रेखा (Border Line) होगी।
8. मतपत्र पर विशिष्टियॉ हिन्दी में देवनागरी लिपि में होंगी।
9. किसी निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 9 तक होने पर मतपत्र एक स्तम्भ में होगा। निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 9 से अधिक किन्तु 18 तक होने की स्थिति में मतपत्र दो स्तम्भों में होगा। इस स्थिति में निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित विषम में होने पर मतपत्र के दाहिने/अंतिम स्तम्भ का अंतिम पैनल पूर्णतया छायादार (Shaded) होगा।

   उदाहरण :– 1. यदि नोटा सहित चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 12 है, तो मतपत्र दो स्तम्भों में मुद्रित होगा। प्रथम स्तम्भ में पहले 6 अभ्यर्थियों के नाम एवं द्वितीय स्तम्भ में शेष 5 अभ्यर्थी एवं इसके पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा। इस स्थिति में कोई भी पैनल रिक्त नहीं होगा।

   उदाहरण :– 2. यदि चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 13 है, तो मतपत्र दो स्तम्भों में मुद्रित होगा। प्रथम स्तम्भ में पहले 7 अभ्यर्थियों के नाम एवं द्वितीय स्तम्भ में शेष 5 अभ्यर्थियों के नाम एवं इसके पश्चात्

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा। दोनों स्तम्भों का आकार समान रखने के लिए अंतिम पैनल छायादार (Shaded) होगा।

10. किसी निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 18 से अधिक होने की स्थिति में मतपत्र तीन स्तम्भों में होगा एवं यही प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। मतपत्र के तीन या इससे अधिक स्तम्भों में होने की स्थिति में अंतिम स्तम्भ को छोडकर पूर्व के सभी स्तम्भों में अंकित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या समान होगी। अंतिम स्तम्भ में नोटा के पश्चात् एक से अधिक पैनल रिक्त रह सकते है। ऐसे रिक्त पैनल पूर्णतया छायादार (Shaded) होगें।

    उदाहरण :– 1. यदि नोटा सहित चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 20 है, तो मतपत्र तीन स्तम्भों में मुद्रित होगा। प्रथम स्तम्भ में पहले 7 अभ्यर्थियों के नाम, द्वितीय स्तम्भ में अगले 7 अभ्यर्थियों के नाम एवं तृतीय स्तम्भ में शेष 5 अभ्यर्थी एवं इसके पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा। अंतिम पैनल छायादार (Shaded) होगा।

    उदाहरण :– 2. यदि नोटा सहित चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 27 है, तो मतपत्र तीन स्तम्भों में मुद्रित होगा। प्रथम स्तम्भ में पहले 9 अभ्यर्थियों के नाम, द्वितीय स्तम्भ में अगले 9 अभ्यर्थियों के नाम एवं तृतीय स्तम्भ में शेष 8 अभ्यर्थी के नाम के पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा। इस स्थिति में कोई भी पैनल रिक्त नहीं होगा।

    उदाहरण :– 3 यदि नोटा सहित चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 22 है, तो मतपत्र तीन स्तम्भों में मुद्रित होगा। प्रथम स्तम्भ में पहले 8 अभ्यर्थियों के नाम, द्वितीय स्तम्भ में अगले 8 अभ्यर्थियों के नाम एवं तृतीय स्तम्भ में शेष 5 अभ्यर्थी के नाम के पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा। इस स्थिति में अंतिम दो पैनल छायादार (Shaded) होगें।

11. मतपत्र के दो या अधिक स्तम्भों में होने पर प्रत्येक स्तम्भ की चौडाई 4 इंच होगी।
12. मतपत्र दो अथवा दो से अधिक स्तम्भों में होने की स्थिति में दो स्तम्भों के मध्य 1 से.मी. मोटाई की छायादार खडी लाईन प्रथम पैनल से उस स्तम्भ के अंतिम पैनल तक अंकित होगी। निर्वाचन की विशिष्टियॉ बिन्दु संख्या–2 में प्रदान किए गए निर्देशानुसार ही मतपत्र के स्तम्भों के ऊपरी भाग में अंकित की जानी है।
13. निर्वाचन में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के नाम हिन्दी वर्णानुक्रम में निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार एक दूसरे के नीचे यथास्थिति प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि स्तम्भों में अंकित किए जाएंगे। अंतिम अभ्यर्थी के बाद नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा।
14. मतपत्र एक एवं दो स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में उप सरपंच के लिए नमूना मतपत्र क्रमशः **परिशिष्ट–1** एवं **परिशिष्ट–2** पर उपलब्ध है।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 5743–48 दिनांक : 05.12.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ शासन सचिव एवं निर्देशक, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर), राजस्थान।
4. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में तत्काल प्रकाशनार्थ।
5. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को ई–मेल एवं वेबसाईट पर प्रदर्शित करने एवं राजपत्र में प्रकाशन के लिए ई–गजट पर अपलोड करने हेतु।
6. स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

उप सरपंच निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना
(मतपत्र एक स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

पंचायत सर्किल का नाम .... सा.नि. / 20....... No. 0659562	
मनोज कुमार	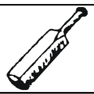
उप सरपंच चुनाव	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	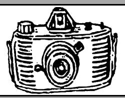
मनोज कुमार	
मनोज कुमार	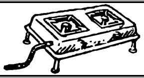
नोटा (इनमें से कोई नहीं)	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

उप सरपंच निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना
(मतपत्र दो स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

पंचायत सर्किल का नाम ....

सा.नि. / 20.......

No. 0659562

मनोज कुमार		मनोज कुमार	
उप सरपंच चुनाव			
मनोज कुमार		मनोज कुमार	
मनोज कुमार		मनोज कुमार	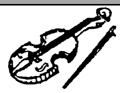
मनोज कुमार		मनोज कुमार	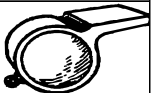
मनोज कुमार	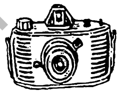	मनोज कुमार	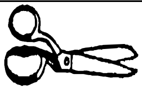
मनोज कुमार		नोटा (इनमें से कोई नहीं)	
मनोज कुमार	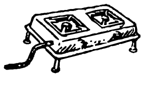		

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(36)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांक : एफ. 4(2)(1) पं.चु./रानिआ/94/6052 जयपुर, दिनांक : 27.1.2000

आदेश

पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिये मतपत्रों का मुद्रण निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, द्वारा कराया जायेगा। मुद्रणालय में मतपत्रों के मुद्रण के पश्चात् शेष अधिशेष और रद्दी मतपत्रों के निस्तारण के बाबत निम्नलिखित निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये जाते हैं :-

1. जैसे ही पंचायती राज संस्था में मतदान समाप्त हो जाये और यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में किसी मतदान केन्द्र पर मतदान के स्थगन या नये सिरे से मतदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुद्रणालयों पर अधिशेष मतपत्रों को छोटे-छोटे टुकड़ों में किया जाकर फर्श की बुहारन और अन्य रद्दी मतपत्रों को जलाकर नष्ट किये जाने का कार्य स्वयं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय की उपस्थिति में किया जाये।

2. अधिशेष और रद्दी मतपत्र को जलाकर नष्ट किये जाने वाले और अपनी उपस्थिति में नष्ट किये जाने वाले अधिशेष और रद्दी मतपत्रों की संख्या/परिमाप के बारे में प्रमाण-पत्र अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जायेगा।

3. परिणाम की घोषणा होने के बाद यथाशीघ्र और किसी भी दशा में उसके 10 दिन के भीतर अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा यह प्रमाणित करते हुए किसी निर्वाचन के लिये मुद्रित कराये गये समस्त अधिशेष और रद्दी मतपत्र बताई गई रीति से नष्ट कर दिया गया है, एक रिपोर्ट आयोग को भेजी जायेगी।

आज्ञा से,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. 4(2)(1) पं.चु./रानिआ/94/6052 जयपुर, दिनांक : 27.1.2000

प्रतिलिपि :-

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायते) (कलक्टर)
2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, विभाग।
3. अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर एवं अलवर।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 6340 दिनांकः 27.12.2019

आदेश

पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए मतपत्रों के मुद्रण का कार्य राजकीय मुद्रणालय के अतिरिक्त निजी मुद्रणालयों से भी कराया जाता है। इन मुद्रणालयों में मतपत्रों के मुद्रण के पश्चात् अधिशेष और रद्दी मतपत्रों के निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अतः मतपत्रों के मुद्रण के पश्चात् अधिशेष और रद्दी मतपत्रों को नष्ट (Disposed) करने के संबंध में आयोग द्वारा निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए जाते हैंः–

1. पंचायतीराज संस्थाओं में मतदान समाप्त हो जाने एवं यह सुनिश्चित कर लिया जाने के पश्चात् कि किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्रों में किसी भी मतदान बूथ पर मतदान के स्थगन या नए सिरे से मतदान करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं, मुद्रणालयों पर अधिशेष एवं रद्दी मतपत्रों के छोटे–छोटे टुकडे किए जाकर फर्श की बुहारन को श्रेडिंग (Shredding) करवाकर लुगदी बनाने के प्रयोजन से विक्रय किया जाए। श्रेडिंग करते समय पूर्ण सतर्कता बरती जाए एवं यह ध्यान रखा जाए कि कोई मतपत्र या उसकी कतरन अप्राधिकृत व्यक्ति के हाथों में नही पड जाए।

2. राजकीय मुद्रणालय से मतपत्रों के मुद्रण की स्थिति में उक्तानुसार श्रेडिंग का कार्य अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय के स्वयं की उपस्थिति में एवं निजी मुद्रणालय से मुद्रण की स्थिति में यह कार्य संबंधित रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी के देख–रेख में संपन्न किया जाकर उक्त आशय का प्रमाण पत्र राज्य निर्वाचन आयोग को परिणामों की घोषणा के पश्चात् 15 दिवस में प्रेषित किया जाए।

3. उक्तानुसार मतपत्रों के रद्दी के विक्रय हेतु संबंधित अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय अथवा रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाएगी एवं रद्दी को अधिकतम मूल्य पर विक्रय कर प्राप्त धनराशि को निम्नांकित बजट मद में जमा कराकर आयोग को सूचित किया जाएगा।

   0515 – अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
   101 – पंचायतीराज अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्तियां
   (1) – पंचायत चुनाव की प्राप्तियां

आज्ञा से

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 6341–43 दिनांक : 27.12.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), राजस्थान।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी, मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान
3. समस्त अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(38)

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

जयपुर, दिनांक : 27.10.94

आदेश

सां.आ. 8/94- राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 39 के उप-नियम (1) में उपबन्धित है कि प्रत्येक मतपत्र, निर्वाचक को जारी किये जाने के पूर्व ऐसी रीति से अनुप्रमाणित किया जायेगा जो आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जावें। अत: राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निर्दिष्ट करता है कि उपरोक्त नियमों के अध्याय 4,5 व 6 के प्रावधानों के अनुसार पंच, सरपंच एवम् पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन हेतु निर्वाचकों को मतपत्र जारी करने से पूर्व प्रत्येक मतपत्र को, उसकी पीठ पर सुभेदक चिह्न के रूप में रबर की मुहर, जिस पर एक वर्गाकार आयतन के अन्दर हिन्दी में पं.रा.सं. अंकित किया हुआ होगा, से स्टाम्पित करके और मतदान अधिकारी द्वारा अपने पूरे हस्ताक्षर करके अनुप्रमाणित किया जायेगा।

आज्ञा से,
(बी.बी. महान्ति)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ. 4 (2) (1) पंचा/रानिआ/94/465 जयपुर, दिनांक : 27.10.94

प्रतिलिपि निम्नांकित को :-

1. समस्त संभागीय आयुक्त ....
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत (कलेक्टर) ....
3. समस्त उपखण्ड अधिकारी ....
4. समस्त अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग ....

उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड सचिवालय,जयपुर)

क्रमांकः– एफ. 3(53)पंचा / स्टोर / रानिआ / 2019 / 6104 दिनांकः 17.12.2019

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
समस्त राजस्थान।

विषयः– पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020– पंच व सरपंच चुनाव के मतपत्रों के मुद्रण के संबंध में (मतपेटी से चुनाव कराये जाने की स्थिति में)।

संदर्भः– आयोग का आदेश क्रमांक 1687 दिनांक 20.05.2019

महोदय,

राजस्थान राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव 2020 हेतु पंच व सरपंच के मतपत्र तथा जिलापरिषद् व पंचायत समिति सदस्यों के मतपत्रों का मुद्रण कार्य निविदायें आमंत्रित कर निजी मुद्रणालय के माध्यम से करवाये जाने हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को सन्दर्भित पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं में चार पदों के लिये प्रत्यक्ष चुनाव होंगे यानि जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच एवं पंच। इन चारों पदों में से प्रत्येक पद के लिये मतपत्र भिन्न– भिन्न रंग के कागज पर मुद्रित होंगे। **जिला परिषद् सदस्य के मतपत्र पीले रंग के कागज पर, पंचायत समिति सदस्य के मतपत्र नीले रंग के कागज पर, सरपंच पद के मतपत्र सफेद रंग के कागज पर तथा पंच पद के मतपत्र गुलाबी रंग के कागज पर मुद्रित होंगे।**

मुद्रित होने वाले मतपत्रों की वास्तविक संख्या जिला निर्वाचन अधिकारी अपने स्तर पर ही निर्धारित करेंगे, जो मतदाताओं की संख्या व मतदान केन्द्रों की संख्या पर आधारित होगी। आयोग के निर्णय अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के आमचनुाव 2020 मे पंचायत समिति सदस्य / जिलापरिषद सदस्य / सरपंच पद का निर्वाचन उपलब्धता के अनुसार ई.वी.एम. के माध्यम से होगा।

आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पंच एवं सरपंच के नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान की तिथि से कुछ दिन पूर्व ही प्राप्त कर लिये जायेंगे एवं रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रारूप–5 में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी को तत्समय ही उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त सूची के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम व उनको आवंटित प्रतीक सहित मतपत्र मुद्रित करवाये जायेंगे। चूंकि इस प्रक्रिया में मतपत्र मुद्रण हेतु 3–4 दिन का समय ही उपलबध होगा, इसलिये उपलब्ध समय का विशेष ध्यान रखते हुये मतपत्र मुद्रण का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचनों में मतदाताओं को नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प भी उपलब्ध करवाने के प्रावधान नियमों में किये हुये हैं। पंच, सरपंच के मतपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अन्तिम अभ्यर्थी के बाद नोटा (इनमें से कोई नहीं) एवं इसके लिये निर्धारित प्रतीक अंकित किया जायेगा।

उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये सरपंच / पंच के **निर्वाचनों में जहाँ मतपेटी का उपयोग किया जायेगा**, मतपत्र मुद्रण हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं:–

पंच / सरपंच चुनाव हेतु विनिर्दिष्ट प्रतीक चिन्हः–

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

पंच/सरपंच चुनाव के अभ्यार्थियों को आवंटित किये जाने वाले चुनाव चिन्हों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक 1434 दिनांक 26.04.2019 (परिशिष्ठ–1) द्वारा विर्निदिष्ट किया गया है। इसके बाद क्रमशः दो संशोधित अधिसूचनायें क्रमांक 5371 दिनांक 25.11.2019 (परिशिष्ठ–2) एवं क्रमांक 5672 दिनांक 04.12.2019 (परिशिष्ठ–3) इस संबंध में जारी की गई है। इन अधिसूचनाओं में सरपंच पद हेतु 39 मुक्त प्रतीक है एवं पंच पद हेतु 40 मुक्त प्रतीक निर्धारित किये गये है।

सरपंच पद के निर्वाचन हेतु मतपत्र

सरपंच पद के निर्वाचनों के लिये आयोग द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार चुनाव चिन्ह निम्नानुसार निर्धारित हैः–

क्रं. सं.	चुनाव चिन्ह	क्रं. सं.	चुनाव चिन्ह	क्रं. सं.	चुनाव चिन्ह	क्रं. सं.	चुनाव चिन्ह
1	बल्ला	11	कप और प्लेट	21	डीजल पम्प	31	कैंची
2	अलमारी	12	चारपाई	22	केतली	32	गैस सिलेण्डर
3	गुब्बारा	13	फुटबॉल	23	हारमोनियम	33	कुआँ
4	ब्रुश	14	लैटर बॉक्स	24	स्टूल	34	सिलाई की मशीन
5	बिजली का खम्भा	15	अंगूठी	25	मेज	35	डोली
6	कैमरा	16	माचिस की डिब्बी	26	आरी	36	ब्रीफकेस
7	कोट	17	वायलिन	27	टेलीविजन	37	प्रेस
8	गैस का चूल्हा	18	छड़ी	28	सीटी	38	टेलीफोन
9	बल्लेबाज	19	बाल्टी	29	ट्रैक्टर चलाता किसान	39	ऑटो–रिक्शा
10	काँच का गिलास	20	बैटरी टार्च	30	प्रैशर कुकर		

सरपंच पद के चुनाव चिन्हो की अधिसूचना क्रमांक 1434 दिनांक 26.04.2019 में 40 चुनाव चिन्ह अंकित है। क्रमांक 40 पर अंकित चुनाव चिन्ह बोतल को अधिसूचना क्रमांक 5371 दिनांक 25.11.2019 के द्वारा विलोपित किया गया है।

सरपंच पद के चुनावों में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रारूप (प्रारूप–5) आयोग स्तर से आपको उपलब्ध करवाया जायेगा। उक्त प्रारूप–5 में 20 (क्रम संख्या 1 से 20 तक) चुनाव चिन्ह मुद्रित होंगे। यदि किसी पंचायत विशेष मे इन निर्वाचनों में 20 से अधिक चुनाव चिन्हो की आवश्यकता होती है तो जिला निर्वाचन अधिकारी प्रारूप–5 की अतिरिक्त प्रति जिसमें क्रम से चुनाव चिन्हो की सूची में उपलब्ध क्रम संख्या 21 से शुरू कर आगे के चुनाव चिन्ह मुद्रित करवाकर रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।

पंच पद के निर्वाचन हेतु मतपत्र

पंच पद के निर्वाचनों के लिये आयोग द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार चुनाव चिन्ह निम्नानुसार निर्धारित हैः–

क्रं. सं.	चुनाव चिन्ह	क्रं. सं.	चुनाव चिन्ह	क्रं. सं.	चुनाव चिन्ह	क्रं. सं.	चुनाव चिन्ह
1	ट्रक	11	टायर	21	सोफा	31	रोड रोलर
2	हाथ गाड़ी	12	मोतियों का हार	22	हैलीकॉप्टर	32	शटर
3	चिमटा	13	चाबी	23	हेलमेट	33	चाय छलनी
4	चूंड़ियाँ	14	अंगूर	24	लिफाफा	34	पानी का जहाज
5	फव्वारा	15	तरबूज	25	पैट्रोल पम्प	35	ब्लैक बोर्ड

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

6	बक्शा	16	ऊन व सिलाई	26	कम्प्यूटर	36	कान की बालिया
7	तुरहा बजाता आदमी	17	ट्यूब लाईट	27	डिश एंटिना	37	फोन चार्जर
8	ईटें	18	दूरबीन	28	गले की टाई	38	लैपटॉप
9	कडाही	19	माईक	29	झूला	39	रेफ्रिजरेटर
10	बाँसुरी	20	मिक्सी	30	टी.वी. रिमोट	40	साबुनदानी

पंच पद के चुनाव चिन्हो की अधिसूचना क्रमांक 1434 दिनांक 26.04.2019 में क्रम संख्या 2 पर हाथ घड़ी चुनाव चिन्ह अंकित है, जिसे आयोग की अधिसूचना क्रमांक 5672 दिनांक 04.12.2019 के द्वारा हाथ घड़ी के स्थान पर हाथ गाडी प्रतिस्थापित किया गया है।

पंच पद के चुनावों में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रारूप (प्रारूप–5) आयोग स्तर से आपको उपलब्ध करवाया जायेगा। उक्त प्रारूप–5 में 10 (क्रम संख्या 1 से 10 तक) चुनाव चिन्ह मुद्रित होंगे। यदि किसी पंचायत विशेष मे इन निर्वाचनों में 10 से अधिक चुनाव चिन्हों की आवश्यकता होती है तो जिला निर्वाचन अधिकारी प्रारूप–5 की अतिरिक्त प्रति जिसमें क्रम से चुनाव चिन्हों की सूची में उपलब्ध क्रम संख्या 11 से शुरू कर आगे के चुनाव चिन्ह मुद्रित करवाकर रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।

पंच/सरपंच मतपत्रों का प्रारूपः–

पंच/सरपंच पद के निर्वाचन हेतु मतपत्र का प्रारूप राज्य निर्वाचन आयोग के सांविधिक आदेश सं. प.1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ.रानिआ/14/5761 दिनांक 05.12.2019 (परिशिष्ठ–4) के द्वारा निर्धारित किया गया है, उक्त आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार मतपत्र तैयार करवाया जायेगा।

निविदत्त मतपत्रः–

निविदत्त मतपत्र साधारण मतपत्र ही होगा, किन्तु अन्तर केवल इतना होगा कि इस मतपत्र की पीठ पर स्वयं मतदान अधिकारी द्वारा निविदत्त मतपत्र लिखा जाकर नीचे हस्ताक्षर किये जायेंगें। इस मतपत्र का उपयोग सरपंच तथा पंच जैसी भी स्थिति हो, के मतपत्र में सबसे अन्तिम क्रमांक से शुरू होगा। इस तरह निविदत्त मतपत्र अलग से मुद्रित कराये जाने की आवश्यकता नही है।

सिम्बल ब्लॉक्सः–

वर्तमान में निजी मुद्रणालयों द्वारा मुद्रण कार्य ऑफसेट प्रिन्टिंग पद्धति से किया जाता हैं। जिसमें चुनाव चिन्ह कम्प्यूटर के माध्यम से स्केन किये जाने के उपरान्त कार्य में लिये जाते है, इसमें सिम्बल ब्लॉक की आवश्यकता नही रहती है। अतः मतपत्र मुद्रण करवाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि चुनाव प्रतीक की स्केनिंग के समय चुनाव चिन्हों में कोई अन्तर नही आये। चुनाव चिन्हों के नमूनों की `वजि ब्बचल आपको आयोग के पत्रांक 5848 दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से भिजवायी जा चुकी है तथा आयोग की वेबसाईट पर भी उक्त चुनाव चिन्ह उपलब्ध है।

मतपत्रों पर नम्बरिंगः–

मतपत्रों पर नम्बरिंग टाईप हाई नम्बरिंग मशीनों द्वारा किया जावेगा, जो 6 डिजिट में होगा। चूंकि इन निर्वाचनों में सरपंच पद के लिये सम्पूर्ण पंचायत क्षेत्र एवं पंच पद के लिये वार्ड ही निर्वाचन क्षेत्र होता है, इसलिये सरपंच पद के निर्वाचनों के मामलों में प्रत्येक पंचायत के लिये मतपत्रों पर क्रम संख्या 000001 से प्रारम्भ होकर अन्त तक जावेगी। इसी प्रकार पंच पद के निर्वाचनों के मामलों में प्रत्येक वार्ड के मतपत्र 000001 से प्रारम्भ होंगे। इन मतपत्रों में काउन्टर फाइल नहीं होती है, केवल मतपत्र पर आयोग के

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

सांविधिक आदेश सं. प.1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ.रानिआ/14/5761 दिनांक 05.12.2019 (परिशिष्ठ–4) में दिये गये निर्देशों के अनुरूप एक ही जगह नम्बर अंकित किया जायेगा।

मुद्रणालय से मुद्रित मतपत्रों के प्राप्त होने पर मतपत्रों की जांच की जानी चाहिये। मुद्रणालय द्वारा प्रदाय किये गये मतपत्रों की संख्या और आपके पास वास्तविक गणना करने पर पाई गई संख्या में कोई मतपत्र किसी भी रीति से त्रुटिपूर्ण या गलत नम्बरिंग का पाया जाता है या किसी मतपत्र की क्रम संख्या गायब है तो, इस आशय के लिये संधारित रजिस्टर में स्पष्ट रूप से नोट किया जाना चाहिए और आपके कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए।

बाईंडिंगः–

सरपंच पद के मतपत्रों को 100–100 की मात्रा में स्टिचिंग मशीन से स्टिच किया जाकर उनका एक बण्डल बनाया जावेगा तथा 1000 मतपत्रों यानी 100–100 के 10 बण्डलों को मिला कर एक जगह पैक किया जावेगा। **पैकिंग पेपर उसी रंग का होगा जिस रंग का मतपत्र है।** प्रत्येक बण्डल के उपर एक पैकिंग स्लिप लगेगी, जिसमें निम्न विशिष्टियाँ होगीः–

सरपंच मतपत्र

जिले का नाम..पंचायत समिति का नाम.............................

पंचायत सर्किल का नाम .... क्रम संख्या.................से ....तक

हस्ताक्षर चैकर/पैकर

पंच पद के मतपत्रों को 100–100 की मात्रा में स्टिचिंग मशीन से स्टिच किया जाकर उनका एक बण्डल बनाया जावेगा तथा प्रत्येक वार्ड के लिये मतपत्रों का बण्डल एक जगह पैक किया जावेगा। पैकिंग पेपर उसी रंग का होगा जिस रंग का मतपत्र है। प्रत्येक बण्डल के उपर एक पैकिंग स्लिप लगेगी, जिसमें निम्न विशिष्टियाँ होगीः–

पंच मतपत्र

जिले का नाम..पंचायत समिति का नाम.............................

पंचायत सर्किल का नाम .... वार्ड संख्या..

क्रम संख्या.................से ....तक

हस्ताक्षर चैकर/पैकर

मुद्रणालय से कोषागार तक या मतपत्र रखे जाने की जगह तक परिवहन के दौरान एवं मतदान के लिये प्रयोजन आने तक सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त प्रबन्ध किये जावे।

मतपत्रों का नमूना व मात्राः–

मतपत्र में चुनाव प्रतीक दायें हाथ की तरफ तथा नाम बायें हाथ की तरफ मुद्रित होंगे। सरपंच मतपत्र एवं पंच मतपत्र का एक–एक नमूना क्रमशः परिशिष्ठ–5,6,7,8 पर संलग्न किया जा रहा है। मतपत्र मतदाताओं की संख्या के अनुसार मुद्रित करवाये जायेंगे। सरपंच के मामलों में अगले 100 (अर्थात 5712 मतदाता होने पर 5800 मुद्रित होंगे) तथा पंच पद के मतपत्र मामलें में अगले 10 (अर्थात 291 मतदाता होने पर 300 मुद्रित होंगे) की संख्या में मुद्रित करवाये जायेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मुद्रण की मात्रा में आवश्यता के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकेगा।

कागज की व्यवस्था

मतपत्रों का मुद्रण निजी मुद्रणालयों के माध्यम से जिला स्तर पर करवाया जायेगा। इन मतपत्रों के मुद्रण हेतु कागज आप अपने जिले से संबंधित राजकीय मुद्रणालय से प्राप्त कर सकेंगें। जिसके लिये

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग को कागज की व्यवस्था हेतु निर्देशित कर दिया गया है। कागज प्राप्त करने हेतु आप भी अपने स्तर यथासमय निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से सम्पर्क करेंगे।

मुद्रण की अवधिः–

मतपत्रों का मुद्रण प्रारम्भ होने से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा नियुक्त प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रूफ अनुमोदित किया जायेगा एवं इस आशय का प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रभारी अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत करना होगा कि मतपत्र प्रारूप–5 में उपलब्ध करायी गयी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार सही मुद्रित हुये हैं। मुद्रण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। मतपत्रों का मुद्रण करवाने के पश्चात इनको मतदान दलों को सुपुर्द करने तक जिला स्तर पर सुरक्षित अभिरक्षा मे रखा जायेगा।

मुद्रणालयों पर सुरक्षा व्यवस्थाः–

चूंकि मुद्रण निजी मुद्रणालयों पर होना है, अतः मतपत्रों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता होगी। मुद्रण कार्य के दौरान मुद्रणालयों पर पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था रखी जावे तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मुद्रण कार्य के दौरान मुद्रणालय में प्रवेश न कर पाये तथा मतपत्र, किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति की पंहुच में नहीं जाये। मतपत्रों के मुद्रण कार्य के समय मुद्रणालय में अन्य कोई मुद्रण कार्य नही होगा, यह भी सुनिश्चित किया जावे।

मतपत्र के मुद्रण एवं सुरक्षा हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी दायित्वाधीन होंगे।

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ. 3(53)पंचा/स्टोर/रानिआ/2019/6105–08 दिनांकः 17.12.2019

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख शासन सचिव, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि जिला निर्वाचन अधिकारी को जिले से संबंधित राजकीय मुद्रणालयों से कागज की आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें।
3. अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय जयपुर, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, को पालनार्थ।
4. पंचायत/लेखा शाखा, रानिआ, राजस्थान,जयपुर।

(अशोक कुमार जैन)
उपसचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

भाग–6
चुनाव चिह्न आवंटन

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

संख्या 4(5)(1)पंचा/रानिआ/19/1434 दिनांकः 26.04.2019

अधिसूचना

राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 29 के उपनियम (3) तथा सपठित नियम 56 के उपबन्धों के अंतर्गत पंच एवं सरपंच के निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट निर्वाचन प्रतीकों में से एक प्रतीक आंवटित किया जायेगा।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग पंच एवं सरपंच के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी को एक निर्वाचन प्रतीक आंवटित करने के प्रयोजनार्थ इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 7(1)(7)पंचा/ रानिआ/09/वा.IV/3174 दिनांक 06.08.2014 को अधिक्रमित करते हुए निम्नलिखित **सारणी–1 में वर्णित निर्वाचन प्रतीकों को पंच एवं सारणी–2 में वर्णित निर्वाचन प्रतीकों को सरपंच** के निर्वाचन के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करता है :–

सारणी–1
पंच के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रतीकों की सूची

क.सं.	मुक्त प्रतीक	क.सं.	मुक्त प्रतीक
1.	2.	1.	2.
1.	ट्रक	21.	सोफा
2.	हाथ घडी	22.	हैलीकॉप्टर
3.	चिमटा	23.	हेलमेट
4.	चूंडियाँ	24.	लिफाफा
5.	फव्वारा	25.	पैट्रोल पम्प
6.	बक्शा	26.	कम्प्यूटर
7.	तुरहा बजाता आदमी	27.	डिश एंटिना
8.	ईटें	28.	गले की टाई
9.	कडाही	29.	झूला
10.	बाँसुरी	30.	टी. वी. रिमोट
11.	टायर	31.	रोड रोलर
12.	मोतियों का हार	32.	शटर
13.	चाबी	33.	चाय छलनी
14.	अंगूर	34.	पानी का जहाज
15.	तरबूज	35.	ब्लैक बोर्ड
16.	ऊन व सिलाई	36.	कान की बालिया
17.	ट्यूब लाईट	37.	फोन चार्जर
18.	दूरबीन	38.	लैपटॉप
19.	माईक	39.	रेफ्रिजरेटर
20.	मिक्सी	40.	साबुनदानी

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

सारणी–2

सरपंच के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रतीकों की सूची

क.सं.	मुक्त प्रतीक	क.सं.	मुक्त प्रतीक
1.	2.	1.	2.
1.	बल्ला	21.	डीजल पम्प
2.	अलमारी	22.	केतली
3.	गुब्बारा	23.	हारमोनियम
4.	ब्रुश	24.	स्टूल
5.	बिजली का खम्भा	25.	मेज
6.	कैमरा	26.	आरी
7.	कोट	27.	टेलीविजन
8.	गैस का चूल्हा	28.	सीटी
9.	बल्लेबाज	29.	ट्रैक्टर चलाता किसान
10.	काँच का गिलास	30.	प्रेशर कुकर
11.	कप और प्लेट	31.	कैंची
12.	चारपाई	32.	गैस सिलेण्डर
13.	फुटबॉल	33.	कुआँ
14.	लैटर बॉक्स	34.	सिलाई की मशीन
15.	अंगूठी	35.	डोली
16.	माचिस की डिब्बी	36.	ब्रीफकेस
17.	वायलिन	37.	प्रेस
18.	छड़ी	38.	टेलीफोन
19.	बाल्टी	39.	ऑटो–रिक्शा
20.	बैटरी टार्च	40.	बोतल

आज्ञा से,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

संख्या 4(5)(1)पंचा/रानिआ/19/ 1435–1439 दिनांकः 26.04.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर), राजस्थान।
4. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई–मेल करने, आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने एवं राजपत्र के भाग 6(ग) में प्रकाशन हेतु ई–गजट पर अपलोड करने हेतु।
5. स्टोरशाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था कर उन्हें संबंधित मुद्रणालयों को आपूर्ति करने हेतु।

उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः प.4(5)(1)पंचा/रानिआ/19/5371 दिनांक : 25.11.2019

संशोधित अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के पंच एवं सरपंच के निर्वाचन प्रतीकों के आरक्षण एवं आवंटन के लिए जारी अधिसूचना संख्या प. 4(5)(1)पंचा/रानिआ/19/1434 दिनांक 26.04.2019 द्वारा निर्वाचन प्रतीक विहित किये गये हैं।

उक्त अधिसूचना में सरपंच पद के निर्वाचन हेतु प्रतीकों की सारणी–2 की विद्यमान क्रम संख्या–40 एवं उसकी प्रविष्टि 'बोतल' को विलोपित किया जाएगा।

आदेश से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः प.4(5)(1)पंचा/रानिआ/19/5372–77 दिनांक : 25.11.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर), राजस्थान।
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई–मेल करने, आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने एवं राजपत्र के भाग 6(ग) में प्रकाशन हेतु ई–गजट पर अपलोड करने हेतु।
6. स्टोरशाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः प.4(5)(1)पंचा/रानिआ/19/5672 दिनांक : 04.12.2019

संशोधित अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के पंच एवं सरपंच के निर्वाचन हेतु प्रतीकों के आरक्षण एवं आवंटन के लिए अधिसूचना संख्या प. 4(5)(1)पंचा/रानिआ/19/1434 दिनांक 26.04.2019 जारी की गई है।

उक्त अधिसूचना में पंच पद के निर्वाचन हेतु प्रतीकों की सारणी–1 की विद्यमान क्रम संख्या–2 पर अंकित प्रविष्टि 'हाथ घड़ी' के स्थान पर प्रविष्ठि **'हाथ गाड़ी'** प्रतिस्थापित की जाएगी।

आदेश से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः प.4(5)(1)पंचा/रानिआ/19/5673–79 दिनांक : 04.12.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर), राजस्थान।
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. अधीक्षक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय को राजपत्र विशेषांक 6(ग) में प्रकाशन हेतु।
6. स्टोरशाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227407, 2227280, 2227072)

संख्या 4(5)(1)पंचा/रानिआ/19/1427 दिनांकः 26.04.2019

अधिसूचना

राजस्थान राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के लिए सभी निर्वाचनों में अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण की शक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है,

और जिला परिषद सदस्यों तथा पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचनों के शुद्ध एवं सुचारू संचालन के लिए निर्वाचन प्रतीकों को और उनके आरक्षण, चयन, आवंटन एवं तत्संबंधी विषयों को विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता है,

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 58 के उपनियम (6) के खण्ड (क) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त आयोग को समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय–समय पर यथा संशोधित अपनी पूर्व अधिसूचना क्रमांक संख्या 7(1)(7)पंचा/रानिआ/2009/वा.IV/4725 दिनांक 14.10.2014 एवं अधिसूचना क्रमांक संख्या 7(1)(7)पंचा/रानिआ/2009/वा.IV/3384 दिनांक 16.11.2016 को अधिक्रमित करते हुए निम्न आदेश जारी करता हैः–

1. <u>संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भः</u>– (i) इस आदेश का नाम राजस्थान जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन प्रतीक (सूची और आवंटन) आदेश, 2019 है,

   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है तथा यह जिला परिषद एव पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में लागू होगा, और

   (iii) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. <u>परिभाषाए</u> :– इस आदेश में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

   (i) "सविरोध निर्वाचन" से जिला परिषद अथवा पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऐसा निर्वाचन अभिप्रेत है जिसमें मतदान होता है;

   (ii) "निर्वाचन" से जिला परिषद अथवा पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र के लिए "साधारण निर्वाचन" और " उप निर्वाचन" अभिप्रेत है;

   (iii) "प्ररूप क" से इस आदेश के संलग्न प्ररूप "क" अभिप्रेत है;

   (iv) "प्ररूप ख" से इस आदेश के संलग्न प्ररूप "ख" अभिप्रेत है;

   (v) "खण्ड" से इस आदेश का खण्ड अभिप्रेत है;

   (vi) "दल" से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अभिप्रेत है;

   (vii) "मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन राजस्थान राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अभिप्रेत है;

   (viii) "नियम" से राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 अभिप्रेत है;

   (ix) "उप–खण्ड " से उस खण्ड का उप–खण्ड अभिप्रेत है जिसमें यह शब्द आता है;

   (x) "सारणी–1" से इस आदेश के संलग्न सारणी–1 अभिप्रेत है;

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(xi) "सारणी–2" से इस आदेश के सलंग्न सारणी–2 अभिप्रेत है;

(xii) "सारणी–3" से इस आदेश के सलंग्न सारणी–3 अभिप्रेत है;

(xiii) "निर्वाचन क्षेत्र" से किसी जिला परिषद अथवा पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र अभिप्रेत है; और

(xiv) जो शब्द और पद इस आदेश में प्रयुक्त किये गये है किन्तु परिभाषित नहीं किये गये है और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 अथवा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में परिभाषित है, उनके वही अर्थ होंगे, जो उक्त अधिनियम और नियम में क्रमशः समनुदिष्ट किए गये हैं।

3. <u>निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन</u> :– निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को इस आदेश के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक सविरोध निर्वाचन में एक प्रतीक आंवटित किया जायेगा तथा किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन में भिन्न–भिन्न अभ्यर्थियों को भिन्न–भिन्न प्रतीक आवंटित कियें जायेंगे।

4. <u>निर्वाचन प्रतीकों का वर्गीकरण</u> :– (i) इस आदेश के प्रयोजन के लिए प्रतीक, या तो आरक्षित है अथवा मुक्त।

(ii) पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिये निर्वाचन में आरक्षित प्रतीक वह प्रतीक है जो सारणी–1 के स्तंभ 2 में वर्णित दल के लिए, उस दल के सम्मुख स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(iii) पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन में मुक्त प्रतीक ऐसा प्रतीक है जो आरक्षित प्रतीक से भिन्न है और जिसे सारणी–2 के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(iv) जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन में मुक्त प्रतीक ऐसा प्रतीक है जो आरक्षित प्रतीक से भिन्न है और जिसे सारणी–3 के स्तम्भ–2 में विर्निदिष्ट किया गया है।

5. <u>दलों के अभ्यर्थियों द्वारा प्रतीकों का चयन तथा उनका आवंटन</u> :–

(i) सारणी–1 के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट आरक्षित प्रतीक उसके सम्मुख स्तम्भ 2 में वर्णित दल द्वारा किसी निर्वाचन में खड़े किये गये अभ्यर्थी को ही आवंटित किया जायेगा, अन्य अभ्यर्थी को नहीं।

(ii) सारणी–1 के स्तम्भ 2 में वर्णित दल द्वारा किसी निर्वाचन में खड़े किये गये अभ्यर्थी को उस दल के सम्मुख स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट प्रतीक ही आवंटित किया जायेगा, कोई अन्य प्रतीक नहीं।

6. <u>कोई अभ्यर्थी किसी दल द्वारा खड़ा किया गया कब माना जायेगा</u> :– कोई अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया तभी माना जायेगा, जबकि :–

(क) उस अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्र में इस आशय की घोषणा की हो,

(ख) संबंधित राजनैतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष/मुखिया अथवा इनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा **प्ररूप 'ख'** में इस आशय की लिखित सूचना **नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के अन्तिम दिनांक को 3 बजे अपरान्ह तक** रिटर्निंग अधिकारी को प्रदत्त कर दी गई हो,

(ग) यदि राजनैतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष द्वारा नियम 58 के उपनियम (5) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत किया है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को पत्र प्रेषित किया हो तो प्राधिकृत व्यक्ति के नमूने के हस्ताक्षर **प्ररूप 'क'** में रिटर्निंग अधिकारी को **नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख को अपरान्ह 3.00 बजे तक** उपलब्ध करा दिये गये हों, और

(घ) **प्ररूप 'क' और प्ररूप 'ख'** पूर्वोक्त पदाधिकारी अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा केवल स्याही से हस्ताक्षरित किये गये हों।

स्पष्टीकरण–1 इस खण्ड के उप खण्ड (ख) एवं (ग) में किसी राजनैतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष से अभिप्रेत दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष और जहाँ दल की राज्य इकाई का अध्यक्ष पद नहीं है, वहाँ सचिव से है।

स्पष्टीकरण–2 राजनैतिक दलों द्वारा उनके दल की राज्य ईकाई के अध्यक्ष एवं जहाँ अध्यक्ष का पद नहीं होकर सचिव का पद है, वहाँ सचिव के नमूने के हस्ताक्षर निर्वाचन की लोकसूचना जारी होने की तिथि से पूर्व आयोग को उपलब्ध कराए जायेंगे। आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

द्वारा उक्त नमूने के हस्ताक्षर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्फत प्रेषित किए जायेंगे।

स्पष्टीकरण–3 प्ररूप 'क' और, यथास्थिति, प्ररूप 'ख' पर यदि दल के किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुलिपि (Facsimile) हस्ताक्षर या रबड स्टाम्पों के हस्ताक्षर है तो उन्हें नहीं माना जायेगा तथा फैक्स/ई–मेल/ व्हाट्सअप इत्यादि द्वारा प्रेषित कोई प्ररूप भी स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. <u>दल द्वारा खड़ा किया गया प्रतिस्थानी अभ्यर्थी (**Substitute Candidate**)</u> :–

(क) प्ररूप 'ख' के स्तम्भ 6 में वर्णित प्रतिस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) जिसका नाम–निर्देशन पत्र संवीक्षा में खारिज नहीं किया गया हो एवं उसके द्वारा अभ्यर्थिता वापस नहीं ली गई हो, को उस दल द्वारा खड़ा किया गया तभी माना जायेगा जबकि उस दल के मुख्य अनुमोदित उम्मीदवार के नामनिर्देशन–पत्र को नियम–27 के अन्तर्गत संवीक्षा में रद्द कर दिया गया हो या जिसने अपनी अभ्यर्थिता नियम–28 के अन्तर्गत वापस ले ली हो।

(ख) ऐसी स्थिति में जहाँ दल के मुख्य अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम–निर्देशन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है और वह अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है, यदि प्ररूप 'ख' के स्तम्भ 6 में वर्णित प्रतिस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) का कोई नामनिर्देशन–पत्र स्वीकार कर लिया जाता है तथा ऐसा प्रतिस्थानी उम्मीदवार भी अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है तो ऐसे प्रतिस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) को दल द्वारा खड़ा किया गया नहीं माना जायेगा और उसे मुक्त प्रतीक अधोलिखित खण्ड 12 के अनुसार आवंटित किया जावेगा।

8. <u>दल द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थी को प्रतिस्थापित किया जाना</u> :– यदि किसी दल द्वारा पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त करते हुये अन्य अभ्यर्थी को अनुमोदित किया गया है तो अन्य अभ्यर्थी को ही दल का अनुमोदित अभ्यर्थी माना जायेगा।

परन्तु दल द्वारा पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त करते हुये अन्य अभ्यर्थी का मनोनयन तभी माना जायेगा जबकि प्ररूप 'ख' में यह स्पष्ट उल्लेख हो कि पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त कर दिया गया है और प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप 'ख' इस आदेश के खण्ड 6 में बतायी गयी समयावधि के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो गया हो।

परन्तु यह और कि यदि किसी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के लिये एक से अधिक प्ररूप 'ख' भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों का मनोनयन वर्णित करते हुये रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त होते हैं और दल यह बताने में असफल रहता है कि पूर्ववर्ती प्ररूप 'ख' वापिस ले लिया गया है या ले लिये गये हैं, तो रिटर्निंग अधिकारी केवल ऐसे एक अभ्यर्थी को ही उक्त दल द्वारा खड़ा किया हुआ मानेगा जिसका नाम निर्देशन पत्र सबसे पहले प्राप्त हुआ है और शेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के लिये यह माना जायेगा कि वे दल द्वारा खड़े नहीं किये गये हैं।

9. <u>दल द्वारा एक निर्वाचन क्षेत्र के लिये एक से अधिक अभ्यर्थियों के मनोनयन पर निषेध</u> :– यदि किसी दल द्वारा एक ही निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के लिए और प्ररूप 'ख' में एक नोटिस द्वारा, स्तम्भ 6 में वर्णित उम्मीदवार से भिन्न, एक से अधिक अभ्यर्थियों को अनुमोदित किया जाता है तो कोई भी अभ्यर्थी उस दल द्वारा खड़ा किया हुआ नहीं माना जायेगा, लेकिन यदि दल ने प्ररूप 'ख' में किसी पश्चातवर्ती नोटिस से पूर्ववर्ती सभी अभ्यर्थियों का मनोनयन निरस्त कर एक पद के लिए एक ही अभ्यर्थी का मनोनयन खण्ड 6 के अनुसार कर दिया है तो पश्चातवर्ती नोटिस में अनुमोदित अभ्यर्थी को दल द्वारा खड़ा किया गया माना जावेगा।

10. <u>विनिर्दिष्ट प्रतीकों से भिन्न प्रतीकों के चयन व आवंटन पर निषेध</u> :– जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े नहीं किये गये हों, उन्हें पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन में संलग्न सारणी–2 के स्तम्भ 2 तथा जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन में संलग्न सारणी–3 के स्तंभ–2 में विनिर्दिष्ट मुक्त प्रतीकों में से ही निर्वाचन प्रतीक आवंटित किये जावेंगे। अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीक आवंटित करते समय उनके द्वारा नामनिर्देशन–पत्र में उल्लिखित रूचि को ध्यान में रखा जावेगा। कोई भी अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट निर्वाचन प्रतीकों के

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

अतिरिक्त अन्य किसी प्रतीक की मांग नहीं कर सकता है और यदि उसके द्वारा अपने नामनिर्देशन–पत्र में किसी अन्य प्रतीक का उल्लेख किया गया हो तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा।

11. <u>प्रथम नाम निर्देशन–पत्र में चुने गये प्रतीकों पर विचार किया जाना</u> :– अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम नामनिर्देशन–पत्र में दर्शाये गये प्रतीकों पर ही विचार किया जायेगा, भले ही वह नामनिर्देशन–पत्र संवीक्षा के दौरान खारिज ही क्यों न हो गया हो। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत बाद के किसी नामनिर्देशन–पत्र में उल्लिखित (Mentioned) प्रतीकों को विचार में नहीं लिया जावेगा;

परन्तु किसी दल द्वारा खड़े किये अभ्यर्थी के प्रकरण में ऐसे नामनिर्देशन पत्र, जिसमे अभ्यर्थी ने स्वयं को उस दल द्वारा खड़ा किया जाने की घोषणा की हो, में दर्शाये गये दल के आरक्षित प्रतीक पर विचार किया जायेगा, भले ही ऐसा नाम निर्देशन पत्र प्रथम नहीं हो;

परन्तु यह और कि यदि किसी अभ्यर्थी ने अपने भिन्न–भिन्न नामनिर्देशन पत्रों में भिन्न–भिन्न दलों द्वारा स्वयं को खड़ा किया गया होने की घोषणा इस अधिसूचना के खण्ड 6(क) के अन्तर्गत की है तो ऐसे नाम निर्देशन पत्र, जिसमें दर्शाये गये दल ने खण्ड 6 के अन्तर्गत नोटिस द्वारा अभ्यर्थी का मनोनयन किया है, पर विचार किया जावेगा और यदि अभ्यर्थी का एक से अधिक दलों ने खण्ड 6 के अंतर्गत नोटिस द्वारा मनोनयन किया है तो ऐसे नामनिर्देशन पत्रों में पश्चात्वर्ती नाम निर्देशन पत्र में की गयी घोषणा पर ही विचार किया जावेगा तथा पूर्ववर्ती नामनिर्देशन पत्रों में की गयी घोषणाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–1. यदि अभ्यर्थी ने प्रथम नाम निर्देशन पत्र में स्वयं को किसी दल द्वारा खड़ा किये जाने की घोषणा की है, साथ ही मुक्त निर्वाचन प्रतीकों का भी चयन किया है और अभ्यर्थी को दल द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तब उक्त प्रथम नाम निर्देशन में दर्शाये गये मुक्त प्रतीकों पर ही विचार किया जायेगा।

2. ऐसे मामले में जहाँ अभ्यर्थी ने किसी दल द्वारा खडे किये जाने की उम्मीद में प्रथम नाम निर्देशन पत्र में स्वयं को दल द्वारा खड़ा किया जाना घोषित किया है, लेकिन निर्वाचन प्रतीकों का चयन नहीं किया है और दल ने उसे अनुमोदित नहीं किया है तो द्वितीय नाम निर्देशन पत्र में उल्लेखित निर्वाचन प्रतीक के आवंटन के प्रयोजनार्थ प्रथम माना जायेगा। यदि द्वितीय और तृतीय नाम निर्देशन पत्र भी इसी प्रकार दल द्वारा खड़े किये जाने की घोषणा करते हुए प्रस्तुत किये गये हैं और प्रतीकों का चयन नहीं किया गया है तो चतुर्थ नाम निर्देशन पत्र में दर्शाये गये प्रतीकों पर विचार किया जायेगा। यदि किसी भी नाम निर्देशन पत्र में प्रतीकों का चयन नहीं किया गया है तो खण्ड 12 के अन्तर्गत मुक्त प्रतीक आवंटित किये जायेगे।

12. <u>अन्य अभ्यर्थियों (निर्दलीय अभ्यर्थियों) को प्रतीकों का आवंटन</u> :– ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें किसी दल ने खड़ा नहीं किया है, उनके प्रथम नामनिर्देशन पत्र में अंकित प्राथमिकता क्रम के आधार पर सारणी–2 (पंचायत समिति सदस्य के लिए) सारणी–3 (जिला परिषद सदस्य के लिए) में से निम्नानुसार मुक्त निर्वाचन प्रतीक आवंटित किये जायेंगे :–

(क) यदि रूचि में प्रथम वरीयता पर उल्लिखित प्रतीक को एक ही अभ्यर्थी द्वारा चाहा गया है तो वह उसी उम्मीदवार को आवंटित कर दिया जायेगा,

(ख) यदि एक ही प्रतीक को एक से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी रूचि में प्रथम वरियता पर रखा है तो मुक्त प्रतीक के आवंटन का निर्णय 'लॉट' (Lot) द्वारा किया जायेगा। जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉट (Lot) निकले उसे ही वह प्रतीक आवंटित किया जायेगा। लॉट (Lot) निकालने की कार्यवाही उपस्थित अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के समक्ष की जाएगी,

(ग) रूचि में प्रथम वरीयता पर उल्लिखित प्रतीकों का आवंटन हो जाने पर, शेष बचे अभ्यर्थियों को उनकी रूचि में द्वितीय वरीयता पर उल्लिखित प्रतीकों का आवंटन उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(घ) तत्पश्चात् शेष रहे अभ्यर्थियों को उनकी रूचि में तृतीय वरीयता पर उल्लिखित निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन उपरोक्तानुसार ही किया जायेगा, और

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(ड.) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वरीयता के सभी निर्वाचन प्रतीक आवंटित हो जाने के पश्चात् यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा रह जाता है, जिसे अपनी रूचि का (तीन में से) कोई प्रतीक आवंटित न हुआ हो या जिसने कोई रूचि नहीं दी हो तो उसे पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन में सारणी–2 के स्तम्भ 2 तथा जिला परिषद सदस्य निर्वाचन में सारणी–3 के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट मुक्त निर्वाचन प्रतीकों में से क्रम में सबसे ऊपर वाला वह प्रतीक आवंटित किया जायेगा जो किसी को आवंटित नहीं किया गया है। प्रतीकों का क्रमवार इस प्रकार का आवंटन, अभ्यर्थियों को हिन्दी वर्णक्रमानुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में, उनके नामों के अनुसार (एक के बाद एक) किया जायेगा।

13. **निर्वाचन प्रतीको के आवंटन में रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय एवं उनका पुनरीक्षण** :– रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रतीक का आवंटन, सिवाय वहाँ के अंतिम होगा, जहां राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किए गए किन्हीं भी निर्देशों से असंगत हो, ऐसे मामलों में राज्य निर्वाचन आयोग आवंटन को ऐसी रीति से पुनरीक्षित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

14. <u>अनुदेश तथा निदेश निकालने की आयोग की शक्ति</u> :– राज्य निर्वाचन आयोग,–

(क) इस आदेश के उपबन्धों में से किसी का स्पष्टीकरण करने के लिए;

(ख) किसी ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए, जो किन्हीं ऐसे उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो; तथा

(ग) प्रतीकों के आरक्षण तथा आवंटन के किसी मामले के संबंध में जिसके लिए इस आदेश में कोई उपबन्ध नहीं है या उपबन्ध अपर्याप्त है, तथा जिसके लिए निर्वाचनों के निर्बाध तथा व्यवस्थित संचालन के लिए आयोग की राय में उपबन्ध करना आवश्यक है, अनुदेश तथा निदेश निकाल सकेगा।

सारणी–1
(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल व आरक्षित प्रतीक)

क.सं.	मान्यता प्राप्त दल जिसके लिये आरक्षित है	आरक्षित प्रतीक
1.	2.	3.
1.	ऑल इण्डिया तृणमूल कॉंग्रेस	पुष्प और तृण
2.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
3.	भारतीय जनता पार्टी	कमल
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	बाल और हँसिया
5.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट)	हथौड़ा, हँसिया और सितारा
6	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस	हाथ
7.	नेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी	घड़ी

सारणी–2
(पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन के लिये मुक्त प्रतीकों की सूची)

क.सं.	मुक्त प्रतीक	क.सं.	मुक्त प्रतीक
1.	2.	1.	2.
1.	बल्ला	11.	डीजल पम्प
2.	अलमारी	12.	केतली
3.	गुब्बारा	13.	हारमोनियम
4.	ब्रुश	14.	स्टूल
5.	बिजली का खंभा	15.	मेज
6.	कैमरा	16.	फुटबॉल
7.	कोट	17.	टेलीविजन
8.	गैस का चूल्हा	18.	सीटी
9.	बल्लेबाज	19.	माचिस की डिब्बी
10.	कॉंच का गिलास	20.	प्रैशर कुकर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

सारणी–3
(जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिये मुक्त प्रतीकों की सूची)

क्र.सं.	मुक्त प्रतीक	क्र.सं.	मुक्त प्रतीक
1.	2.	1.	2.
1.	कप और प्लेट	11.	कैंची
2.	चारपाई	12.	गैस सिलेण्डर
3.	आरी	13.	कुआँ
4.	लैटर बॉक्स	14.	सिलाई की मशीन
5.	अंगूठी	15.	डोली
6.	ट्रैक्टर चलाता किसान	16.	ब्रीफकेस
7.	वायलिन	17.	प्रेस
8.	छड़ी	18.	टेलीफोन
9.	बाल्टी	19.	ऑटो–रिक्शा
10.	बैटरी टार्च	20.	बोतल

प्ररूप – 'क'
राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों के नामों की सूचना के लिये प्राधिकृत व्यक्तियों के संबंध में सूचना

(देखिए अधिसूचना संख्या एफ4(5)(1)पंचा/रानिआ/2019/1427 दिनांक 26.04.2019 का खण्ड 6)

प्रेषिति–

रिटर्निंग अधिकारी,

....

* जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य चुनाव

विषयः– **जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन – उम्मीदवारों के नामों की सूचना देने के लिये व्यक्तियों का प्राधिकृत किया जाना।**

महोदय,

अधिसूचना संख्या एफ एफ 4(5)(1)पंचा/रानिआ/2019/1427 दिनांक 26.04.2019 के खण्ड (6) के अनुसरण में, मैं, इसके द्वारा संसूचित करता/करती हूँ कि ऊपर उद्धृत निर्वाचन में दल द्वारा खड़े किये जाने के लिये प्रस्तावित उम्मीदवारों के नामों की सूचना देने के लिये ....(दल का नाम) जो निर्चाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अंतर्गत राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है, द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया है :–

सूचना भेजने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	दल में धारित पद का नाम	* जिला परिषद/पंचायत समिति का नाम और निर्वाचन *क्षेत्र/क्षेत्रों का क्रम संख्याक *जिसके/जिनके संबंध में उसे प्राधिकृत किया गया है
1.	2.	3.

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

2. इस प्रकार प्राधिकृत ऊपर उल्लिखित *व्यक्ति / व्यक्तियों के हस्ताक्षरों के नमूने नीचे दिये गये हैं :–

1. श्री .... के हस्ताक्षरों के नमूने

(1) .... (2) .... (3) ....

2. श्री .... के हस्ताक्षरों के नमूने

(1) .... (2) .... (3) ....

भवदीय,

स्थानः ....

दिनांक ....

अध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं नाम
दल का नाम एवं दल की मोहर सहित

नोट :– 1. यह प्ररूप नाम निर्देशन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को 3.00 बजे अपरान्ह तक रिटर्निंग अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

2. प्ररूप उपर्युक्त पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये। किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुकृति हस्ताक्षर या रबड़ स्टाम्प के हस्ताक्षरों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. फैक्स / ई–मेल / व्हाट्सअप इत्यादि से भेजा गया प्ररूप मान्य नहीं होगा।

---

* जो लागू नहीं हो उसे काट दीजिये

प्ररूप–'ख'

राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खडे किये गये
उम्मीदवारों के नामों के बारे में सूचना

(देखिए अधिसूचना संख्या एफ 4(5)(1)पंचा / रानिआ / 2019 / 1427 दिनांक 26.04.2019 का खण्ड 6)

प्रेषितिः–

रिटर्निंग अधिकारी,

....

* जिला परिषद / पंचायत समिति सदस्य चुनाव

विषयः– **जिला परिषद / पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार खड़े करना।**

महोदय,

अधिसूचना संख्या एफ4(5)(1)पंचा / रानिआ / 2019 / 1427 दिनांक 26.04.2019 के अनुसरण में .... (दल का नाम) जो निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अंतर्गत राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है, ने निम्नलिखित व्यक्तियों को ऊपर उद्धृत निर्वाचन में अपने उम्मीदवारों के रूप में उनके सामने बताये गये वार्ड से खड़ा किया है । मैं उक्त दल की ओर से एत्द्द्वारा सूचना देता हूँ कि वह व्यक्ति जिसका विवरण नीचे :–

1. (i) स्तम्भ 3 से 5 में दिया गया है उक्त दल का अनुमोदित अभ्यर्थी है, और

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(ii) वह व्यक्ति जिसका विवरण नीचे अंकित सारणी के स्तम्भ 6 से 8 में वर्णित है, दल का प्रतिस्थानी अभ्यर्थी है, जो अनुमोदित अभ्यर्थी के नाम निर्देशन–पत्र की संवीक्षा में खारिज किये जाने अथवा उसके अभ्यर्थिता वापस लने पर उसका स्थान लेगा, यदि प्रतिस्थानी अभ्यर्थी अभी भी निर्चाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है :–

*पंचायत समिति / जिला परिषद का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का क्रम संख्याक	अनुमोदित उम्मीदवार का नाम	अनुमोदित उम्मीदवार के *पिता / पति का नाम	अनुमोदित उम्मीदवार का डाक का पता	प्रतिस्थानी उम्मीदवार का नाम (जो अनुमोदित उम्मीदवार के नामनिर्देशन– पत्र को संवीक्षा में रद्द कर दिये जाने / अभ्यर्थिता वापस लेने पर उसका स्थान लेगा यदि प्रतिस्थानी अभ्यर्थी अभी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है)	प्रतिस्थानी उम्मीदवार के *पिता / पति का नाम	प्रतिस्थानी उम्मीदवार का डाक का पता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

2. प्ररूप 'ख' में दल के अनुमोदित अभ्यर्थी के रूप में श्री / श्रीमती / सुश्री .... के पक्ष में पहले दी गई सूचना एत्दद्वारा विखंडित की जाती है।

3. प्ररूप 'ख' में दल के प्रतिस्थानी अभ्यर्थी के रूप में श्री / श्रीमती / सुश्री .... के पक्ष में पहले दी गई सूचना एत्दद्वारा विखंडित की जाती है।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी जिसके नाम का ऊपर उल्लेख किया गया है, इस राजनैतिक दल का एक सदस्य है उसका नाम, इस दल के सदस्यों की नामावली में विधिवत् शामिल है।

भवदीय,

स्थानः ....

दिनांकः ....

अध्यक्ष / दल के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम
एवं हस्ताक्षर व दल का नाम दल की मोहर सहित

नोटः– 1. यह प्ररूप नाम निर्देशन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को 3.00 बजे अपरान्ह तक रिटर्निंग अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

2. प्ररूप उपर्युक्त पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये। किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुकृति हस्ताक्षर या रबड़ स्टाम्प के हस्ताक्षरों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. फैक्स / ई–मेल / व्हाट्सअप इत्यादि से भेजा गया प्ररूप मान्य नहीं माना होगा।

---

* जो लागू नही हो उसे काट दीजिये।

आज्ञा से,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

संख्या 4(5)(1)पंचा / रानिआ / 19 / 1428—1433 दिनांकः 26.04.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित हैः—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर), राजस्थान।
4. अध्यक्ष / सचिव समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई—मेल करने, आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने एवं राजपत्र के भाग 6(ग) में प्रकाशन हेतु ई—गजट पर अपलोड करने हेतु।
6. स्टोरशाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था कर उन्हें संबंधित मुद्रणालयों को आपूर्ति करने हेतु।

उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः प.4(5)(1)पंचा / रानिआ / 19 / 3872 दिनांक : 07.10.2019

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में निर्वाचन प्रतीकों के आरक्षण एवं आवंटन हेतु जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए जारी अधिसूचना संख्या प. 4(5)(1)पंचा / रानिआ / 19 / 1427 दिनांक 26.04.2019 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता हैं अर्थात :–

1. उक्त अधिसूचना की विद्यमान सारणी–1 (मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल व आरक्षित प्रतीक) के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जायेगी :–

सारणी–1
(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल व आरक्षित प्रतीक)

क.सं.	मान्यता प्राप्त दल	आरक्षित प्रतीक
1.	2.	3.
A- राष्ट्रीय दल		
1.	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस	पुष्प और तृण
2.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
3.	भारतीय जनता पार्टी	कमल
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	बाल और हँसिया
5.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)	हथौड़ा, हँसिया और सितारा
6.	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस	हाथ
7.	नेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी	घड़ी
8.	नेशनल पीपुल्स पार्टी	किताब
B- राज्यीय दल (राजस्थान राज्य के लिए)		
1.	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	बोतल

2. उक्त अधिसूचना क्रमांक 1427 दि. 26.04.19 की विद्यमान सारणी–3 में जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन हेतु अंकित मुक्त प्रतीकों की सूची में क्रम संख्या–20 एवं उसकी प्रविष्टि 'बोतल' को विलोपित किया जायेगा।

आदेश से,
(अशोक कुमार जैन)
सचिव

क्रमांकः प.4(5)(1)पंचा / रानिआ / 19 / 3873–79 दिनांक : 07.10.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर), राजस्थान।
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. अध्यक्ष / सचिव समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई–मेल करने, आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने एवं राजपत्र के भाग 6(ग) में प्रकाशन हेतु ई–गजट पर अपलोड करने हेतु।
7. स्टोरशाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था कर उन्हें संबंधित मुद्रणालयों को आपूर्ति करने हेतु।

(अशोक कुमार जैन)
सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227407, 2227280, 2227072)

संख्या 4(5)(1)पंचा/रानिआ/19/1420 दिनांकः 26.04.2019

अधिसूचना

राजस्थान राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के लिए सभी निर्वाचनों में अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण की शक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है,

और जिला परिषद के प्रमुख/उप प्रमुख तथा पंचायत समिति के प्रधान/उप प्रधान के निर्वाचनों के शुद्ध एवं सुचारू संचालन के लिए निर्वाचन प्रतीकों को और उनके आरक्षण, चयन, आवंटन एवं तत्संबंधी विषयों को विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता है,

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 59 के उपनियम (10) के खण्ड (क) तथा नियम 61 एवं 62 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त आयोग को समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी पूर्व अधिसूचना क्रमांक संख्या 7(1)(7)पंचा/रानिआ/2009/वा. IV/4735 दिनांक 14.10.2014 एवं अधिसूचना क्रमांक संख्या 7(1)(7)पंचा/रानिआ/2009/वा. IV/3384 दिनांक 16.11.2016 को अधिक्रमित करते हुए निम्न आदेश जारी करता हैः–

1. <u>संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भः</u>– (i) इस आदेश का नाम राजस्थान जिला परिषद प्रमुख/उप प्रमुख तथा पंचायत समिति प्रधान/उप प्रधान निर्वाचन प्रतीक (सूची और आवंटन) आदेश, 2019 है,
   - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है तथा यह जिला परिषद के प्रमुख/उप प्रमुख तथा पंचायत समिति के प्रधान/उप प्रधान के निर्वाचन के संबंध में लागू होगा, और
   - (iii) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. <u>परिभाषाऐं</u> :– इस आदेश में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –
   - (i) ''सविरोध निर्वाचन'' से जिला परिषद के प्रमुख एवं उप प्रमुख तथा पंचायत समिति के प्रधान एवं उप प्रधान के लिए ऐसा निर्वाचन अभिप्रेत है जिसमें मतदान होता है;
   - (ii) "निर्वाचन" से जिला परिषद के प्रमुख एवं उप प्रमुख तथा पंचायत समिति के प्रधान एवं उप प्रधान के लिए "साधारण निर्वाचन" और "उप निर्वाचन" अभिप्रेत है;
   - (iii) "प्ररूप क" से इस आदेश के संलग्न प्ररूप "क" अभिप्रेत है;
   - (iv) "प्ररूप ख" से इस आदेश के संलग्न प्ररूप "ख" अभिप्रेत है;
   - (v) "खण्ड" से इस आदेश का खण्ड अभिप्रेत है;
   - (vi) "दल" से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अभिप्रेत है;
   - (vii) "मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन राजस्थान राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अभिप्रेत है;
   - (viii) "नियम" से राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 अभिप्रेत है;
   - (ix) "उप–खण्ड" से उस खण्ड का उप–खण्ड अभिप्रेत है जिसमें यह शब्द आता है;
   - (x) "सारणी–1" से इस आदेश के संलग्न सारणी–1 अभिप्रेत है;
   - (xi) "सारणी–2" से इस आदेश के सलंग्न सारणी–2 अभिप्रेत है;

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(xii) "पद" से किसी जिला परिषद के प्रमुख एवं उप प्रमुख तथा पंचायत समिति के प्रधान एवं उप प्रधान अभिप्रेत है; और

(xiii) जो शब्द और पद इस आदेश में प्रयुक्त किये गये है किन्तु परिभाषित नहीं किये गये है और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 अथवा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में परिभाषित है, उनके वही अर्थ होंगे, जो उक्त अधिनियम और नियम में क्रमशः समनुदिष्ट किए गये हैं।

3. <u>निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन</u> :– निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों को इस आदेश के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक सविरोध निर्वाचन में एक प्रतीक आंवटित किया जायेगा तथा किसी पद के निर्वाचन में भिन्न–भिन्न अभ्यर्थियों को भिन्न–भिन्न प्रतीक आवंटित किये जायेंगे।

4. <u>निर्वाचन प्रतीकों का वर्गीकरण</u> :– (i) इस आदेश के प्रयोजन के लिए प्रतीक, या तो आरक्षित है अथवा मुक्त।

(ii) आरक्षित प्रतीक वह प्रतीक है जो सारणी–1 के स्तंभ 2 में वर्णित दल के लिए, उस दल के सम्मुख स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(iii) मुक्त प्रतीक ऐसा प्रतीक है जो आरक्षित प्रतीक से भिन्न है और जिसे सारणी–2 के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

5. <u>दलों के अभ्यर्थियों द्वारा प्रतीकों का चयन तथा उनका आवंटन</u> :–

(i) सारणी–1 के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट आरक्षित प्रतीक उसके सम्मुख स्तम्भ 2 में वर्णित दल द्वारा किसी निर्वाचन में खड़े किये गये अभ्यर्थी को ही आवंटित किया जायेगा, अन्य अभ्यर्थी को नहीं।

(ii) सारणी–1 के स्तम्भ 2 में वर्णित दल द्वारा किसी निर्वाचन में खड़े किये गये अभ्यर्थी को उस दल के सम्मुख स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट प्रतीक ही आवंटित किया जायेगा, कोई अन्य प्रतीक नहीं।

6. <u>कोई अभ्यर्थी किसी दल द्वारा खड़ा किया गया कब माना जायेगा</u> :– कोई अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खडा किया गया तभी माना जायेगा, जबकि :–

(क) उस अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्र में इस आशय की घोषणा की हो,

(ख) संबंधित राजनैतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष/मुखिया अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा **प्ररूप 'ख'** में इस आशय की लिखित सूचना **अभ्यर्थिता वापिस लेने के लिये नियम 59 के उप नियम (3) के अन्तर्गत आयोग द्वारा निर्धारित तिथि और समय से पूर्व** रिटर्निंग अधिकारी को प्रदत्त कर दी गई हो,

(ग) यदि राजनैतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष द्वारा नियम 59 के उपनियम (10) के खण्ड (ख) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत किया है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को पत्र प्रेषित किया हो तो प्राधिकृत व्यक्ति के नमूने के हस्ताक्षर **प्ररूप 'क'** में रिटर्निंग अधिकारी को **अभ्यर्थिता वापिस लेने के लिये निर्धारित तिथि व समय से पूर्व** उपलब्ध करा दिये गये हों, और

(घ) **प्ररूप 'क' और प्ररूप 'ख'** पूर्वोक्त पदाधिकारी अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा केवल स्याही से हस्ताक्षरित किये गये हों।

स्पष्टीकरण–1 इस खण्ड के उप खण्ड (ख) एवं (ग) में किसी राजनैतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष से अभिप्रेत, दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष और जहाँ दल की राज्य इकाई का अध्यक्ष पद नहीं है, वहाँ सचिव से है।

स्पष्टीकरण–2 राजनैतिक दलों द्वारा उनके दल की राज्य ईकाई के अध्यक्ष एवं जहाँ अध्यक्ष का पद नहीं होकर सचिव का पद है, वहाँ सचिव के नमूने के हस्ताक्षर निर्वाचन की लोकसूचना जारी होने की तिथि से पूर्व आयोग को उपलब्ध कराए जायेंगे। आयोग द्वारा उक्त नमूने के हस्ताक्षर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्फत प्रेषित किए जायेंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

स्पष्टीकरण–3 प्ररूप 'क' और, यथास्थिति, प्ररूप 'ख' पर यदि दल के किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुलिपि (Facsimile) हस्ताक्षर या रबड स्टाम्पों के हस्ताक्षर है तो उन्हें नहीं माना जायेगा तथा फैक्स/ई–मेल/व्हाट्सअप इत्यादि द्वारा प्रेषित कोई प्ररूप भी स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. <u>दल द्वारा खड़ा किया गया प्रतिस्थानी अभ्यर्थी (**Substitute Candidate**)</u> :–

(क) प्ररूप 'ख' के स्तम्भ 6 में वर्णित प्रतिस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate), जिसका नाम–निर्देशन पत्र संवीक्षा में खारिज नहीं हुआ हो एवं उसने अभ्यर्थिता वापस नहीं ली हो, को उस दल द्वारा खड़ा तभी माना जावेगा जबकि उस दल के मुख्य अनुमोदित उम्मीदवार के नामनिर्देशन–पत्र, को नियम–59 के उप नियम (5) के अन्तर्गत संवीक्षा में रद्द कर दिया गया हो या जिसने अपनी अभ्यर्थिता नियम–59 के उप नियम (7) के अन्तर्गत वापस ले ली हो।

(ख) ऐसी स्थिति में जहाँ दल के मुख्य अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम–निर्देशन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है और वह अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है, यदि प्ररूप 'ख' के स्तम्भ 6 में वर्णित प्रतिस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) का कोई नामनिर्देशन–पत्र भी स्वीकार कर लिया जाता है तथा ऐसा प्रतिस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) भी अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है तो ऐसे प्रतिस्थानी उम्मीदवार को दल द्वारा खड़ा किया गया नहीं माना जायेगा और उसे मुक्त प्रतीक अधोलिखित खण्ड–12 के अनुसार आवंटित किया जावेगा।

8. <u>दल द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थी को प्रतिस्थापित किया जाना</u> :– यदि किसी दल द्वारा पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त करते हुये अन्य अभ्यर्थी को अनुमोदित किया गया है तो अन्य अभ्यर्थी को ही दल का अनुमोदित अभ्यर्थी माना जावेगा।

परन्तु दल द्वारा पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त करते हुये अन्य अभ्यर्थी का मनोनयन तभी माना जायेगा जबकि प्ररूप 'ख' में यह स्पष्ट उल्लेख हो कि पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त कर दिया गया है और प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप 'ख' इस आदेश के खण्ड 6 में बतायी गयी समयावधि के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो गया हो।

परन्तु यह और कि यदि किसी एक ही निर्वाचन के लिये एक से अधिक प्ररूप 'ख' भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों का मनोनयन वर्णित करते हुये रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त होते हैं और दल यह बताने में असफल रहता है कि पूर्ववर्ती प्ररूप 'ख' वापिस ले लिया गया है या ले लिये गये हैं, तो रिटर्निंग अधिकारी केवल ऐसे एक अभ्यर्थी को ही उक्त दल द्वारा खड़ा किया हुआ मानेगा जिसका नाम निर्देशन पत्र सबसे पहले प्राप्त हुआ है और शेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के लिये यह माना जायेगा कि वे दल द्वारा खड़े नहीं किये गये हैं।

9. <u>दल द्वारा एक पद के लिये एक से अधिक अभ्यर्थियों के मनोनयन पर निषेध</u> :– यदि किसी दल द्वारा एक ही निर्वाचन के लिए प्ररूप 'ख' में एक नोटिस द्वारा, स्तम्भ 6 में वर्णित उम्मीदवार से भिन्न, एक से अधिक अभ्यर्थियों को अनुमोदित किया जाता है तो कोई भी अभ्यर्थी उस दल द्वारा खड़ा किया हुआ नहीं माना जायेगा, लेकिन यदि दल ने प्ररूप 'ख' में किसी पश्चातवर्ती नोटिस से पूर्ववर्ती सभी अभ्यर्थियों का मनोनयन निरस्त कर एक पद के लिए एक ही अभ्यर्थी का मनोनयन खण्ड 6 के अनुसार कर दिया है तो पश्चातवर्ती नोटिस में अनुमोदित अभ्यर्थी को दल द्वारा खड़ा किया गया माना जावेगा।

10. <u>विनिर्दिष्ट प्रतीकों से भिन्न प्रतीकों के चयन व आवंटन पर निषेध</u> :– जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े नहीं किये गये हों, उन्हें संलग्न सारणी–2 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट मुक्त प्रतीकों में से ही निर्वाचन प्रतीक आवंटित किये जावेंगे। अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीक आवंटित करते समय उनके द्वारा नामनिर्देशन–पत्र में उल्लिखित रूचि को ध्यान में रखा जावेगा। कोई भी अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट निर्वाचन प्रतीकों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतीक की मांग नहीं कर सकता है और यदि उसके द्वारा अपने नामनिर्देशन–पत्र में किसी अन्य प्रतीक का उल्लेख किया गया हो तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

11. <u>प्रथम नाम निर्देशन–पत्र में चुने गये प्रतीकों पर विचार किया जाना</u> :– अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम नामनिर्देशन–पत्र में दर्शाये गये प्रतीकों पर ही विचार किया जायेगा, भले ही वह नाम–निर्देशन पत्र संवीक्षा के दौरान खारिज ही क्यों न हो गया हो। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत बाद के किसी नाम–निर्देशन पत्र में उल्लिखित (Mentioned) प्रतीकों को विचार में नहीं लिया जावेगा;

परन्तु किसी दल द्वारा खड़े किये अभ्यर्थी के प्रकरण में ऐसे नामनिर्देशन पत्र, जिसमें अभ्यर्थी ने स्वयं को उस दल द्वारा खड़ा किया जाने की घोषणा की हो, में दर्शाये गये दल के आरक्षित प्रतीक पर विचार किया जायेगा, भले ही ऐसा नाम निर्देशन पत्र प्रथम नहीं हो;

परन्तु यह और कि यदि किसी अभ्यर्थी ने अपने भिन्न–भिन्न नामनिर्देशन पत्रों में भिन्न–भिन्न दलों द्वारा स्वयं को खड़ा किया गया होने की घोषणा खण्ड 6(क) के अन्तर्गत की है तो ऐसे नाम निर्देशन पत्र, जिसमें दर्शाये गये दल ने इस अधिसूचना के खण्ड 6 के अन्तर्गत नोटिस द्वारा अभ्यर्थी का मनोनयन किया है, पर विचार किया जावेगा और यदि अभ्यर्थी का एक से अधिक दलों ने खण्ड 6 के अंतर्गत नोटिस द्वारा मनोनयन किया है तो ऐसे नामनिर्देशन पत्रों में पश्चात्वर्ती नाम निर्देशन पत्र में की गयी घोषणा पर ही विचार किया जावेगा तथा पूर्ववर्ती नामनिर्देशन पत्रों में की गयी घोषणाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण– 1. यदि अभ्यर्थी ने प्रथम नाम निर्देशन पत्र में स्वयं को किसी दल द्वारा खड़ा किये जाने की घोषणा की है, साथ ही मुक्त निर्वाचन प्रतीकों का भी चयन किया है और अभ्यर्थी को दल द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तब उक्त प्रथम नाम निर्देशन पत्र में दर्शाये गये मुक्त प्रतीकों पर ही विचार किया जायेगा।

2. ऐसे मामले में जहाँ अभ्यर्थी ने किसी दल द्वारा खडे किये जाने की उम्मीद में प्रथम नाम निर्देशन पत्र में स्वयं को दल द्वारा खड़ा किया जाना घोषित किया है, लेकिन निर्वाचन प्रतीकों का चयन नहीं किया है और दल ने उसे अनुमोदित नहीं किया है तो द्वितीय नाम निर्देशन पत्र में उल्लिखित निर्वाचन प्रतीक के आवंटन के प्रयोजनार्थ प्रथम माना जायेगा। यदि द्वितीय और तृतीय नाम निर्देशन पत्र भी इसी प्रकार दल द्वारा खड़े किये जाने की घोषणा करते हुए प्रस्तुत किये गये हैं और प्रतीकों का चयन नहीं किया गया है तो चतुर्थ नाम निर्देशन पत्र में दर्शाये गये प्रतीकों पर विचार किया जायेगा। यदि किसी भी नाम निर्देशन पत्र में प्रतीकों का चयन नहीं किया गया है तो खण्ड 12 के अन्तर्गत मुक्त प्रतीक आवंटित किये जायेंगे।

12. <u>अन्य अभ्यर्थियों (निर्दलीय अभ्यर्थियों) को प्रतीकों का आवंटन</u> :– ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें किसी दल ने खड़ा नहीं किया है, उनके प्रथम नाम–निर्देशन पत्र में अंकित प्राथमिकता क्रम के आधार पर सारणी–2 में से निम्नानुसार मुक्त निर्वाचन प्रतीक आवंटित किये जायेंगे :–

(क) यदि रूचि में प्रथम वरीयता पर उल्लिखित प्रतीक को एक ही अभ्यर्थी द्वारा चाहा गया है तो वह उसी उम्मीदवार को आवंटित कर दिया जायेगा,

(ख) यदि एक ही प्रतीक को एक से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी रूचि में प्रथम वरियता पर रखा है तो मुक्त प्रतीक के आवंटन का निर्णय 'लॉट' (Lot) द्वारा किया जायेगा। जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉट (Lot) निकले उसे ही वह प्रतीक आवंटित किया जायेगा। लॉट (Lot) निकालने की कार्यवाही उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के समक्ष की जाएगी,

(ग) रूचि में प्रथम वरीयता पर उल्लिखित प्रतीकों का आवंटन हो जाने पर, शेष बचे अभ्यर्थियों को उनकी रूचि में द्वितीय वरीयता पर उल्लिखित प्रतीकों का आवंटन उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(घ) तत्पश्चात् शेष रहे अभ्यर्थियों को उनकी रूचि में तृतीय वरीयता पर उल्लिखित निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन उपरोक्तानुसार ही किया जायेगा, और

(ड.) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वरीयता के सभी निर्वाचन प्रतीक आवंटित हो जाने के पश्चात् यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा रह जाता है, जिसे अपनी रूचि का (तीन में से) कोई प्रतीक आवंटित न हुआ हो या जिसने कोई रूचि नहीं दी हो तो उसे सारणी–2 के स्तम्भ 2 में विनिदिष्ट मुक्त निर्वाचन प्रतीकों में से क्रम में सबसे

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

ऊपर वाला वह प्रतीक आवंटित किया जायेगा जो किसी को आवंटित नहीं किया गया है। प्रतीकों का क्रमवार इस प्रकार का आवंटन, अभ्यर्थियों को हिन्दी वर्णक्रमानुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में, उनके नामों के अनुसार (एक के बाद एक) किया जायेगा।

13. <u>अनुदेश तथा निदेश निकालने की आयोग की शक्ति</u> :– राज्य निर्वाचन आयोग,–

(क) इस आदेश के उपबन्धों में से किसी का स्पष्टीकरण करने के लिये,

(ख) किसी ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए, जो किन्हीं ऐसे उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो; तथा

(ग) प्रतीकों के आरक्षण तथा आवंटन के किसी मामले के संबंध में जिसके लिए इस आदेश में कोई उपबन्ध नहीं है या उपबन्ध अपर्याप्त है, तथा जिसके लिए निर्वाचनों के निर्बाध तथा व्यवस्थित संचालन के लिए आयोग की राय में उपबन्ध करना आवश्यक है, अनुदेश तथा निदेश जारी कर सकेगा।

सारणी–1
(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल व आरक्षित प्रतीक)

क.सं.	मान्यता प्राप्त दल जिसके लिये आरक्षित है	आरक्षित प्रतीक
1.	2.	3.
1.	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस	पुष्प और तृण
2.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
3.	भारतीय जनता पार्टी	कमल
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	बाल और हँसिया
5.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट)	हथौड़ा, हँसिया और सितारा
6.	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ
7.	नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी	घड़ी

सारणी–2
(जिला परिषद के प्रमुख/उप प्रमुख एवं पंचायत समिति के प्रधान/उप प्रधान के निर्वाचन के लिये मुक्त प्रतीकों की सूची)

क.सं.	मुक्त प्रतीक	क.सं.	मुक्त प्रतीक
1.	2.	1.	2.
1.	बल्ला	11.	डीजल पम्प
2.	अलमारी	12.	केतली
3.	गुब्बारा	13.	हारमोनियम
4.	ब्रुश	14.	स्टूल
5.	बिजली का खंभा	15.	मेज
6.	कैमरा	16.	फुटबॉल
7.	कोट	17.	टेलीविजन
8.	गैस का चूल्हा	18.	सीटी
9.	बल्लेबाज	19.	माचिस की डिब्बी
10.	काँच का गिलास	20.	प्रैशर कुकर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

प्ररूप – 'क'

राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खडे किये गये उम्मीदवारों के नामों की सूचना के लिये प्राधिकृत व्यक्तियों के संबंध में सूचना

(देखिए अधिसूचना संख्या एफ 4(5)(1)पंचा/रानिआ/2019/1420 दिनांक 26.04.2019 का खण्ड 6)

प्रेषिति–:

रिटर्निंग अधिकारी,

....

*जिला परिषद के प्रमुख/उप प्रमुख तथा पंचायत समिति के प्रधान/उप प्रधान का चुनाव

विषयः– जिला परिषद के प्रमुख/उप प्रमुख तथा पंचायत समिति के प्रधान/उप प्रधान के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन – उम्मीदवारों के नामों की सूचना देने के लिये व्यक्तियों का प्राधिकृत किया जाना।

महोदय,

अधिसूचना संख्या एफ. 4(5)(1)/पंचा/रानिआ/2019/1420 दिनांक 26.04.2019 के खण्ड (6) के अनुसरण में, मैं, इसके द्वारा संसूचित करता/करती हूँ कि ऊपर उद्धृत निर्वाचन में दल द्वारा खडे किये जाने के लिये प्रस्तावित उम्मीदवारों के नामों की सूचना देने के लिये .... (दल का नाम) जो निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अंतर्गत राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है, द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया है :–

सूचना भेजने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	दल में धारित पद का नाम	* जिला परिषद/पंचायत समितिका नाम और पद का नाम जिसके संबंध में उसे प्राधिकृत किया गया है
1.	2.	3.

2. इस प्रकार प्राधिकृत ऊपर उल्लिखित *व्यक्ति/व्यक्तियों के हस्ताक्षरों के नमूने नीचे दिये गये हैं :–

1. श्री .... के हस्ताक्षरों के नमूने

   (1) .... (2) .... (3) ....

2. श्री .... के हस्ताक्षरों के नमूने

   (1) .... (2) .... (3) ....

..

भवदीय,

स्थानः ....
दिनांक ....

अध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं नाम
दल का नाम एवं दल की मोहर सहित

नोटः– 1. यह प्ररूप अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए निर्धारित दिन और समय से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

2. प्ररूप उपर्युक्त पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये। किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुकृति हस्ताक्षर या रबड़ स्टाम्प के हस्ताक्षरों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. फैक्स/ई–मेल/व्हाट्सअप इत्यादि से भेजा गया प्ररूप मान्य नहीं होगा।

---

* जो लागू नही हो उसे काट दीजिये

प्ररूप–'ख'

राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खडे किये गये
उम्मीदवारों के नामों के बारे में सूचना

(देखिए अधिसूचना संख्या एफ 4(5)(1)पंचा/रानिआ/2019/1420 दिनांक 26.04.2019 का खण्ड 6)

प्रेषितिः–

रिटर्निग अधिकारी,

....

* जिला परिषद के प्रमुख/उप प्रमुख तथा पंचायत समिति के प्रधान/उप प्रधान का चुनाव

विषयः– जिला परिषद के प्रमुख/उप प्रमुख तथा पंचायत समिति के प्रधान/उप प्रधान के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार खड़े करना।

महोदय,

अधिसूचना संख्या एफ. 4(5)(1)पंचा/रानिआ/2019/1420 दिनांक 26.04.2019 के अनुसरण में .... (दल का नाम) जो निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अंतर्गत राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है, ने निम्नलिखित व्यक्तियों को ऊपर वर्णित निर्वाचन में अपने उम्मीदवारों के रूप में उनके सामने बताये गये पद के निर्वाचन के लिए खड़ा किया है। मैं उक्त दल की ओर से एत्दद्वारा सूचना देता हूँ कि वह व्यक्ति जिसका विवरण नीचे

1. (i) स्तम्भ 3 से 5 में दिया गया है, उक्त दल का अनुमोदित अभ्यर्थी है, और

   (ii) वह व्यक्ति जिसका विवरण नीचे स्तम्भ 6 से 8 में वर्णित है, दल का प्रतिस्थानी अभ्यर्थी है, जो अनुमोदित अभ्यर्थी के नाम निर्देशन–पत्र को संवीक्षा में खारिज किये जाने अथवा अभ्यर्थिता वापस लेने पर उसका स्थान लेगा, यदि प्रतिस्थानी अभ्यर्थी अभी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है।

*पंचायत समिति/ जिला परिषद का नाम	पद का नाम *प्रधान/ उपप्रधान / प्रमुख/ उपप्रमुख	अनुमोदित उम्मीदवार का नाम	अनुमोदित उम्मीदवार के *पिता/ पति का नाम	अनुमोदित उम्मीदवार का डाक का पता	प्रतिस्थानी उम्मीदवार का नाम (जो अनुमोदित उम्मीदवार के नाम–निर्देशन पत्र को संवीक्षा में रद्द कर दिये जाने अथवा अभ्यर्थिता वापस लेने पर उसका स्थान लेगा, यदि प्रतिस्थानी अभ्यर्थी अभी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है)	प्रतिस्थानी उम्मीदवार के *पिता/ पति का नाम	प्रतिस्थानी उम्मीदवार का डाक का पता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

2. प्ररूप 'ख' में दल के अनुमोदित अभ्यर्थी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री .... के पक्ष में पहले दी गई सूचना एतद्द्वारा विखंडित की जाती है।

3. प्ररूप 'ख' में दल के प्रतिस्थानी अभ्यर्थी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री .... के पक्ष में पहले दी गई सूचना एतद्द्वारा विखंडित की जाती है।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी जिसके नाम का ऊपर उल्लेख किया गया है, इस राजनैतिक दल का एक सदस्य है उसका नाम, इस दल के सदस्यों की नामावली में विधिवत् शामिल है।

भवदीय,

स्थानः ....

दिनांकः ....

अध्यक्ष/दल के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम
एवं हस्ताक्षर व दल का नाम व दल की मोहर

नोटः— 1. यह प्ररूप अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए निर्धारित दिन और समय से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
2. प्ररूप उपर्युक्त पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये। किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुकृति हस्ताक्षर या रबड़ स्टाम्प के हस्ताक्षरों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. फैक्स/ई—मेल/व्हाट्सअप इत्यादि से भेजा गया प्ररूप मान्य नहीं होगा।

---

* जो लागू नही हो उसे काट दीजिये

आज्ञा से,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

संख्या 4(5)(1)पंचा/रानिआ/19/1421—1426 दिनांकः 26.04.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित हैः—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर), राजस्थान।
4. अध्यक्ष/सचिव समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई—मेल करने, आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने एवं राजपत्र के भाग 6(ग) में प्रकाशन हेतु ई—गजट पर अपलोड करने हेतु।
6. स्टोरशाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था कर उन्हें संबंधित मुद्रणालयों को आपूर्ति करने हेतु।

उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः प.4(5)(1)पंचा / रानिआ / 19 / 3864 दिनांक : 07.10.2019

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में निर्वाचन प्रतीकों के आरक्षण एवं आवंटन हेतु जिला प्रमुख / उपप्रमुख एवं प्रधान / उपप्रधान के लिए जारी अधिसूचना संख्या प. 4(5)(1)पंचा / रानिआ / 19 / 1420 दिनांक 26.04.2019 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता हैं अर्थात :–

उक्त अधिसूचना की विद्यमान सारणी–1 (मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल व आरक्षित प्रतीक) के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जायेगी :–

सारणी–1
(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल व आरक्षित प्रतीक)

क.सं.	मान्यता प्राप्त दल	आरक्षित प्रतीक
1.	2.	3.
A- राष्ट्रीय दल		
1.	ऑल इण्डिया तृणमूल कॉंग्रेस	पुष्प और तृण
2.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
3.	भारतीय जनता पार्टी	कमल
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	बाल और हँसिया
5.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)	हथौड़ा, हँसिया और सितारा
6.	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस	हाथ
7.	नेशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी	घड़ी
8.	नेशनल पीपुल्स पार्टी	किताब
B- राज्यीय दल (राजस्थान राज्य के लिए)		
1.	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	बोतल

आदेश से,

(अशोक कुमार जैन)
सचिव

क्रमांकः प.4(5)(1)पंचा / रानिआ / 19 / 3865–71 दिनांक : 07.10.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:–

7. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर), राजस्थान।
10. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
11. अध्यक्ष / सचिव समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान, जयपुर।
12. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई–मेल करने, आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने एवं राजपत्र के भाग 6(ग) में प्रकाशन हेतु ई–गजट पर अपलोड करने हेतु।
13. स्टोरशाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था कर उन्हें संबंधित मुद्रणालयों को आपूर्ति करने हेतु।

(अशोक कुमार जैन)
सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(47)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1670 दिनांकः 20.04.2018

आदेश

सां.आ. 110/2018– आयोग के आदेश क्रमांक 4030/16.09.2014 (सां. आ. 96/2014) एवं 8129/17.11.2014 (सा. आ. 98/2014) के माध्यम से क्रमशः नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) का चिन्ह एवं इसकी विशिष्टियां निर्धारित की गई थी।

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा अपने पत्र दिनांक 18.09.2015 के माध्यम से 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) के चिन्ह एवं शब्दावली को परिवर्तित कर दिया गया है। चुनावों में एकरूपता बनाए रखने एवं मतदाताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग अपने उक्त आदेशों के द्वारा विहित किए गए 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) के चिन्ह एवं उसकी शब्दावली को एतद् द्वारा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार परिवर्तित करता हैः–

नोटा (इनमें से कोई नहीं)

आयोग द्वारा जारी ऐसे समस्त आदेश जिनमें 'नोटा' (उपरोक्त में से कोई नहीं) का संदर्भ दिया गया है, उन्हें उक्तानुसार संशोधित माना जाए।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से,

(चन्द्रशेखर मूथा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1671–1676 दिनांकः 20.04.2018

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव/उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान।
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को राजपत्र के विशेषांक के भाग 6 (ग) में प्रकाशित करावें।
6. लेखा शाखा/स्टोर शाखा/कम्प्यूटर शाखा राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः– एफ 3(53)पंचा/स्टोर/रानिआ/2014/पार्ट–II/5848 दिनांकः–10.12.2019

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,राज0,जयपुर।

प्रेषिति,

जिला निर्वाचन अधिकारी
समस्त राजस्थान।

विषयः– मतपत्र मुद्रण हेतु चुनाव चिन्ह भिजवाने के संबंध में।

महोदय,

पंचायती राज संस्थाओं के आमचुनाव 2020 में जिला परिषद् सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, पंच एवं सरपंच पद के निर्वाचन में उपयोग होने वाले मतपत्रों के मुद्रण हेतु चुनाव चिन्हों की सॉफ्टकॉपी पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त चुनाव चिन्ह आयोग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल एवं उनके आरक्षित प्रतीक

क्र.स.	मान्यता प्राप्त दल का नाम	आरक्षित प्रतीक	चुनाव चिन्ह
1	ऑल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस	पुष्प और तृण	
2	बहुजन समाज पार्टी	हाथी	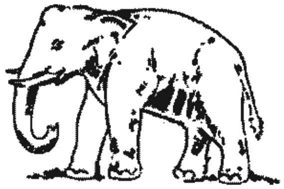
3	भारतीय जनता पार्टी	कमल	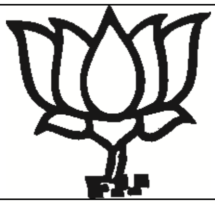
4	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया	बाल और हँसिया	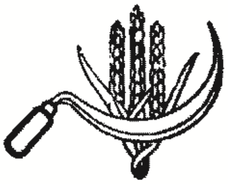
5	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्ससिस्ट)	हथौड़ा, हँसिया और सितारा	
6	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	हाथ	
7	नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	घड़ी	

8	नेशनल पीपुल्स पार्टी	किताब	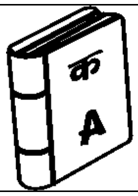

राज्यीय दल (राजस्थान राज्य के लिये)

क्र. स.	मान्यता प्राप्त दल का नाम	आरक्षित प्रतीक	चुनाव चिन्ह
1	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	बोतल	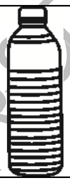

नोटा (इनमें से कोई नही)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

जिला परिषद् के प्रमुख/उपप्रमुख एवं पंचायत समिति के प्रधान/उपप्रधान के निर्वाचन के लिए मुक्त प्रतीको की सूची

क्र.स.	मुक्त प्रतीक का नाम	चुनाव चिन्ह
1	बल्ला	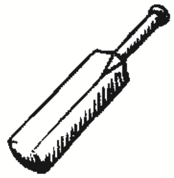
2	अलमारी	
3	गुब्बारा	
4	ब्रुश	
5	बिजली का खंभा	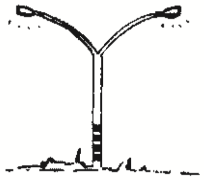
6	कैमरा	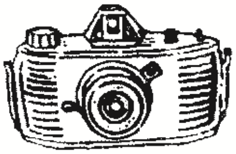
7	कोट	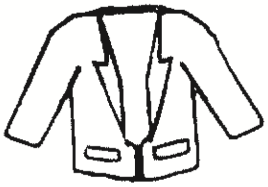
8	गैस का चूल्हा	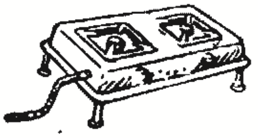

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

9	बल्लेबाज	
10	काँच का गिलास	
11	डीजल पम्प	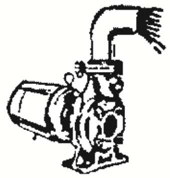
12	केतली	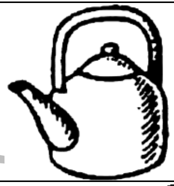
13	हारमोनियम	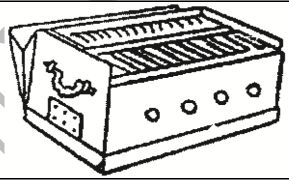
14	स्टूल	
15	मेज	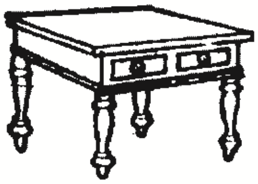
16	फुटबॉल	
17	टेलीविजन	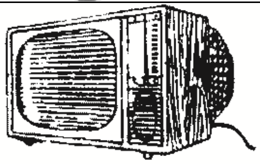

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

18	सीटी	
19	माचिस की डिब्बी	
20	प्रेशर कूकर	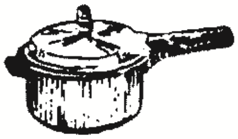

पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन के लिए मुक्त प्रतीको की सूची

क्र.स.	मुक्त प्रतीक का नाम	चुनाव चिन्ह
1	बल्ला	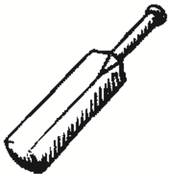
2	अलमारी	
3	गुब्बारा	
4	ब्रुश	
5	बिजली का खंभा	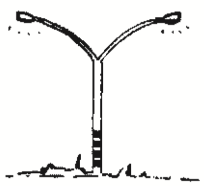

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

6	कैमरा	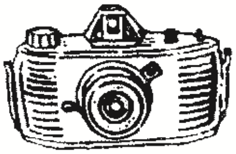
7	कोट	
8	गैस का चूल्हा	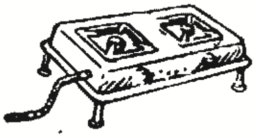
9	बल्लेबाज	
10	काँच का गिलास	
11	डीजल पम्प	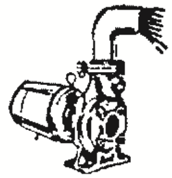
12	केतली	
13	हारमोनियम	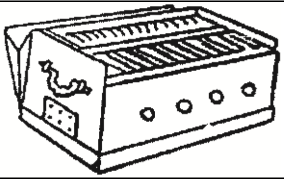
14	स्टूल	

राज्य निर्वाचन आ , राजस्थान

15	मेज	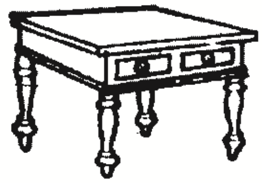
16	फुटबॉल	
17	टेलीविजन	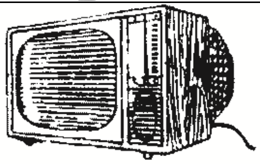
18	सीटी	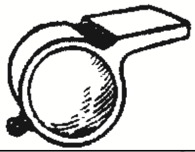
19	माचिस की डिब्बी	
20	प्रेशर कूकर	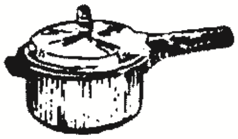

जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिए मुक्त प्रतीको की सूची

क्र.स.	मुक्त प्रतीक का नाम	चुनाव चिन्ह
1	कप और प्लेट	
2	चारपाई	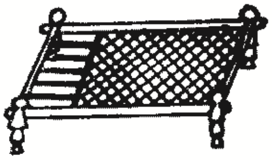

3	आरी	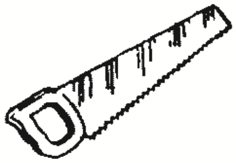
4	लेटर बॉक्स	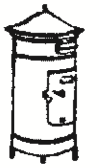
5	अंगूठी	
6	ट्रेक्टर चलाता किसान	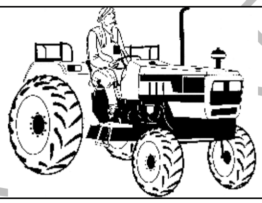
7	वायलिन	
8	छड़ी	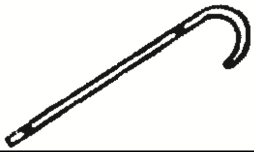
9	बाल्टी	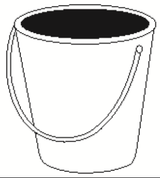
10	बैटरी टार्च	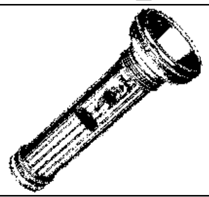
11	कैंची	

12	गैस सिलेण्डर	
13	कुँआ	
14	सिलाई की मशीन	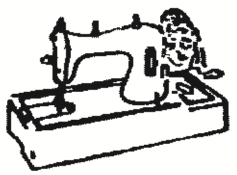
15	डोली	
16	ब्रीफकेस	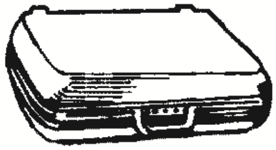
17	प्रेस	
18	टेलीफोन	
19	ऑटोरिक्शा	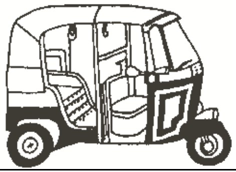

सरपंच के निर्वाचन हेतु मुक्त प्रतीको की सूची

क्र.स.	मुक्त प्रतीक का नाम	चुनाव चिन्ह
1	बल्ला	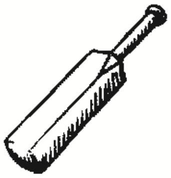
2	अलमारी	
3	गुब्बारा	
4	ब्रुश	
5	बिजली का खंभा	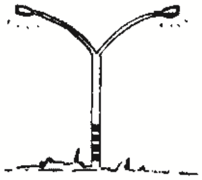
6	कैमरा	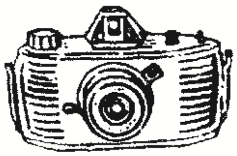
7	कोट	
8	गैस का चूल्हा	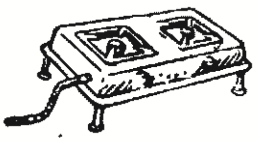

9	बल्लेबाज	
10	काँच का गिलास	
11	कप और प्लेट	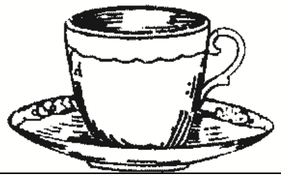
12	चारपाई	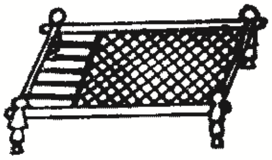
13	फुटबॉल	
14	लेटर बाक्स	
15	अंगूठी	
16	माचिस की डिब्बी	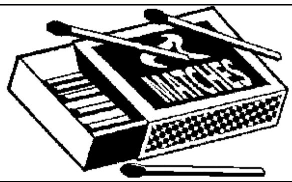
17	वायलिन	

18	छड़ी	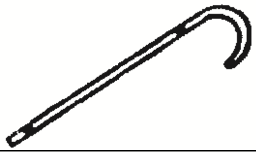
19	बाल्टी	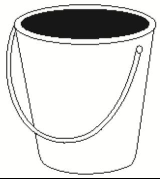
20	बैटरी टार्च	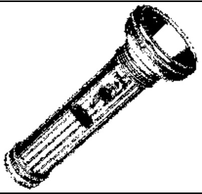
21	डीजल पम्प	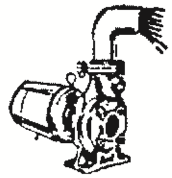
22	केतली	
23	हारमोनियम	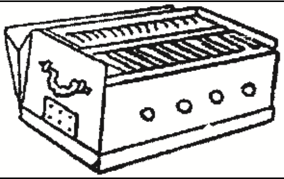
24	स्टूल	
25	मेज	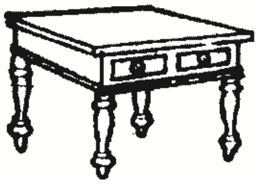
26	आरी	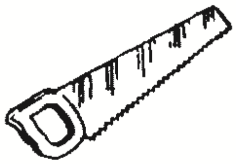

27	टेलीविजन	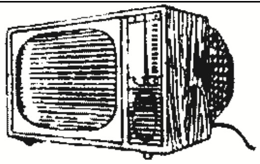
28	सीटी	
29	ट्रेक्टर चलाता किसान	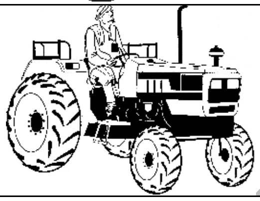
30	प्रेशर कूकर	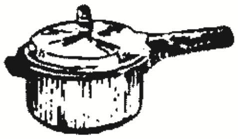
31	कैंची	
32	गैस सिलेण्डर	
33	कुँआ	
34	सिलाई की मशीन	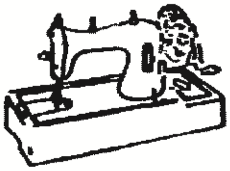
35	डोली	
36	ब्रीफकेस	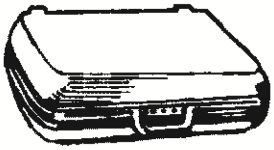

37	प्रेस	
38	टेलीफोन	
39	ऑटोरिक्शा	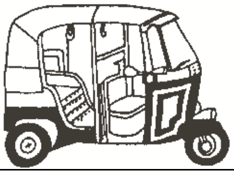

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

पंच के निर्वाचन हेतु मुक्त प्रतीको की सूची

क्र.स.	मुक्त प्रतीक का नाम	चुनाव चिन्ह
1	ट्रक	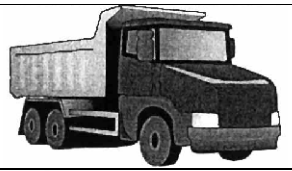
2	हाथ गाडी	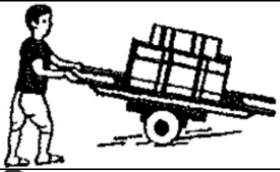
3	चिमटा	
4	चूडियाँ	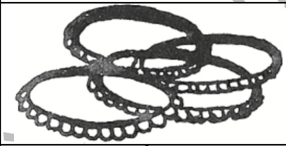
5	फव्वारा	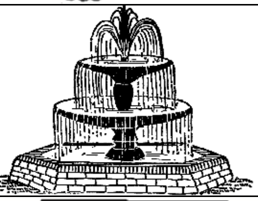
6	बक्शा	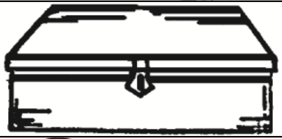
7	तुरहा बजाता आदमी	
8	ईंटे	
9	कड़ाही	

10	बांसूरी	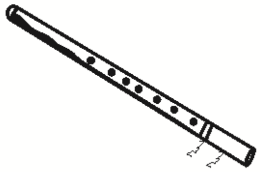
11	टायर	
12	मोतियों का हार	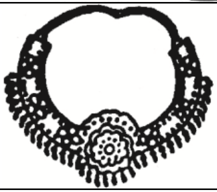
13	चाबी	
14	अंगुर	
15	तरबूज	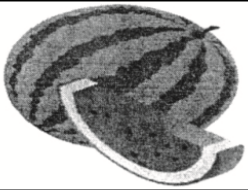
16	ऊन व सिलाई	
17	ट्यूबलाईट	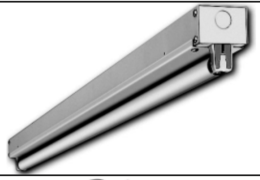
18	दूरबीन	

19	माईक	
20	मिक्सी	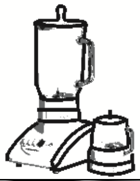
21	सोफा	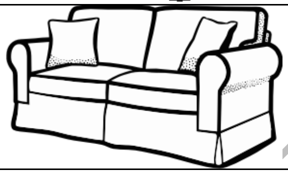
22	हेलीकॉप्टर	
23	हेलमेट	
24	लिफाफा	
25	पेट्रोल पम्प	
26	कम्प्यूटर	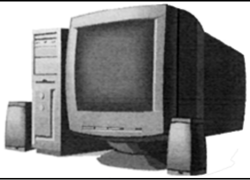
27	डिश एंटिना	

28	गले की टाई	
29	झूला	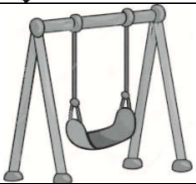
30	टी.वी. रिमोट	
31	रोड़ रोलर	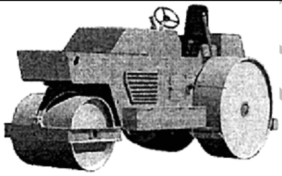
32	शटर	
33	चाय छलनी	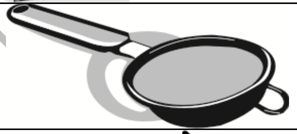
34	पानी का जहाज	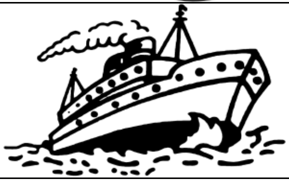
35	ब्लैक बोर्ड	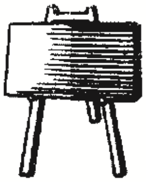
36	कान की बालियाँ	
37	फोन चार्जर	

38	लैपटॉप	
39	रेफ्रिजरेटर	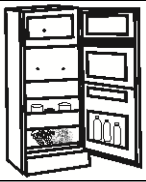
40	साबुनदानी	

नोटा (इनमें से कोई नही)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

भाग—7
मतदान प्रक्रिया के संबंध में

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 5690 दिनांक : 04.12.2019

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत) (कलेक्टर) राजस्थान।

विषयः– पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचनों में अभ्यर्थियों द्वारा मतदान दिवस को मतदान बूथ स्थापित करने के संबंध में।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सां.आ. / रानिआ / 14 / 5596 दिनांक 02.12.2019 की पैरा 6 के खण्ड–4 में यह उपबन्धित किया गया है कि किसी भी मतदान बूथ के भवन के 200 मीटर परिधी क्षेत्र में किसी भी निर्वाचन में सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता की तस्वीर अथवा चुनाव चिन्ह अथवा नारे दर्शाते हुये पोस्टर या बैनर नहीं लगाये जायेंगे तथा उक्त पैरा के परन्तुक में यह उपबन्धित है कि मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा लगाये जाने वाले निर्वाचन बूथों पर एक बैनर लगाया जा सकता है, जिसका आकार 2 X 5 फिट से अधिक नहीं होगा।

अतः मतदान दिवस को मतदान केन्द्र के भवन के 200 मीटर परिधीय क्षेत्र में आयोग द्वारा प्रतिबन्धित किये गये पोस्टर या बैनर नहीं लगाये जा सके, इस प्रयोजनार्थ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्देश दिये जाते हैं कि कोई भी अभ्यर्थी मतदान के दिन मतदान केन्द्र के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में अपना निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं करेगा।

अभ्यर्थियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले ऐसे निर्वाचन बूथों हेतु निम्नांकित प्रतिबन्ध लागू रहेंगे :–

(1) अभ्यर्थी के द्वारा अधिकतम एक मेज एवं दो कुर्सियाँ लगाई जा सकेंगी और ऐसे बूथ पर छाया के लिए 'छाता' या 'त्रिपाल' लगाया जा सकता है लेकिन साईडों में 'कनात' या 'टेन्ट' लगाने की अनुमति नहीं होगी।

(2) ऐसे निर्वाचन बूथ का उपयोग अभ्यार्थी द्वारा केवल मतदाता पहचान पर्ची का वितरण करने के लिए ही किया जायेगा। मतदाता पहचान पर्चियों पर किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी का नाम या चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होगा। मतदाता पहचान पर्चियों पर मतदाता का नाम, मतदाता सूची का क्रमांक, वार्ड सं. एवं मतदान केन्द्र का नाम ही अंकित हो सकेगा। अन्य किसी भी प्रकार का लेख उस पर अंकित नहीं होगा।

(3) ऐसे निर्वाचन बूथों पर भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जायेगी और ऐसे किसी व्यक्ति को वहाँ खड़ा होने की अनुमति नहीं दी जायेगी जिसने कि अपना मत दे दिया हो।

(4) ऐसे निर्वाचन बूथों पर किसी मतदाता को अपनी इच्छा से मत देने से रोकने के लिये उपयोग में नहीं लिया जायेगा और ना ही अन्य अभ्यर्थियों के बूथों से आने वाले मतदाताओं के आने जाने में बाधा पहुँचायी जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों की पालना नहीं करने पर अभ्यर्थी के निर्वाचन बूथ को हटाया जायेगा एवं आयोग की उपरोक्त अधिसूचना के प्रावधानों सहित अन्य सुसंगत कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 5776 दिनांक : 05.12.2019

आदेश

सां. आ. 135 / 2019 – राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 के द्वितीय परंतुक में यह प्रावधान किया गया है कि निर्वाचन ड्यूटी पर अधिकारी उस रीति से डाक द्वारा मत देने के हकदार होंगे जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जावे। नियम 35 के स्पष्टीकरण–2 के अनुसार ''निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाता'' से कोई मतदान अभिकर्ता, कोई मतदान अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी या अन्य लोक सेवक, जो किसी पंचायती राज संस्था में मतदाता है और उसके निर्वाचन ड्यूटी पर होने के कारण मतदान केन्द्र, जहां वह मत देने का हकदार है, पर मतदान करने में असमर्थ है, अभिप्रेत है। उक्त परिभाषा में अधिग्रहित किए गए वाहनों के चालक, खलासी आदि सम्मिलित नहीं है। नियम 35 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा आदेश क्रमांक 6165 दिनांक 11.12.2009 (सां. आ. 54 / 2009) जारी किया हुआ है।

उक्त नियम 35 के द्वितीय परन्तुक के प्रावधानों के अनुसरण में पूर्व आदेश क्रमांक 6165 दिनांक 11.12.2009 (सां. आ. 54 / 2009) को अधिक्रमित करते हुए **पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद् सदस्यों** के निर्वाचन में निर्वाचन ड्यूटी पर अधिकारी के लिए डाक मत देने की रीति राज्य निर्वाचन आयोग निम्न प्रकार विनिर्दिष्ट करता है :–

1. **निर्वाचक द्वारा सूचनाः–** (1) कोई भी निर्वाचक, जो निर्वाचन ड्यूटी पर है नियम 58 के अधीन मतदान के लिये नियत तारीख से कम से कम 7 दिन या इससे कम ऐसी अवधि जिसकी रिटर्निंग अधिकारी अनुमति देवे, पूर्व किसी भी दिवस को डाक मतपत्र द्वारा मत देने के अपने आशय की एक लिखित सूचना, संलग्न प्ररूप–1 में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को दे सकेगा।

   (2) पूर्वोक्त प्ररूप–1 में ऐसी प्रत्येक सूचना में, निर्वाचक का नाम, उसका पता तथा पंचायत समिति का नाम, जिला परिषद / पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या, पंचायत का नाम, वार्ड संख्या, निर्वाचक की क्रम संख्या और उसके मतदान ड्यूटी की विशिष्टियाँ विनिर्दिष्ट की जायेंगी।

   (3) प्ररूप–1 में सूचना निर्वाचक द्वारा जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को पृथक–पृथक प्रेषित की जायेगी। यदि रिटर्निंग अधिकारी को समाधान हो जाये कि वह व्यक्ति जिसने पूर्वोक्त उपखण्ड (1) के अधीन सूचना दी है, निर्वाचन ड्यूटी पर है तथा वह निर्वाचन में मत देने का हकदार है तो वह ऐसे व्यक्ति का मत डाक के माध्यम से प्राप्त करने का प्रबन्ध करेगा।

2. **डाक मतपत्र का प्ररूप :–** निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाता के लिये डाक मतपत्र उसी तरह का होगा जैसा मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त होने वाले नियम 29 के अधीन आयोग द्वारा विहित साधारण मतपत्र का होता है, सिवाय इस बात के कि मतपत्र के पृष्ठ भाग पर शब्द 'डाक मतपत्र' मुद्रांकित किया जायेगा। यानि डाक मतपत्र के प्रयोजन के लिए सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के लिये मुद्रित हुये कुल मतपत्रों में से अपेक्षित संख्या के अतिरिक्त मुद्रित अन्तिम क्रम संख्या वाले मतपत्रों को काम में लिया जावेगा और उनके पृष्ठ भाग पर रबड की मुद्रा से 'डाक मतपत्र' मुद्रांकित कर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित भी किया जावेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

3. **डाक मतपत्रों का जारी किया जानाः–**

(1) रिटर्निंग अधिकारी, मत देने के हकदार ऐसे प्रत्येक मतदाता को, यथा साध्य शीघ्रता से डाक से मतपत्र भेजने या उसे ऐसे मतदाता को स्वयं को परिदत्त करवाने हेतु कार्यवाही करेगा। चुनाव कार्य में नियोजित किए गए कार्मिको द्वारा डाक मतपत्र हेतु यथा समय आवेदन किया जा सके और उन्हें यथा समय डाक मतपत्र जारी किया जा सके, इसके लिए यह उचित होगा कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रथम प्रशिक्षण के दौरान ही कार्मिको को डाक मतपत्र हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराकर उन्हें वापस प्राप्त करने की व्यवस्था कर ली जाए। इस हेतु प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण स्थल पर हैल्प डैस्क की व्यवस्था की जाए, जहां डाक मतपत्र हेतु आवेदन पत्र एवं अन्य जानकारी उपलब्ध हो सके। साथ ही एक सीह्रड बॉक्स की व्यवस्था भी की जाए, ताकि ऐसे कार्मिक मतपत्र में अपना मत अभिलिखित करने हेतु आवश्यक पूर्तियों के उपरान्त डाक मतपत्र के लिफाफों को इस प्रकार उपलब्ध करायें गए बॉक्स में डाल सके।

(2) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा डाक मतपत्र भेजने से पूर्व संलग्न प्ररूप–2 में एक रजिस्टर में निर्वाचक की मतदाता सूची की प्रविष्टियों का विवरण यथा पंचायत समिति का नाम, पंचायत समिति या यथा स्थिति, जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या, पंचायत का नाम, वार्ड संख्या एवं उस मतदाता की क्रम संख्या अभिलिखित की जायेगी और मतदाता को जारी किये गये मतपत्र का क्रमांक व निर्वाचन क्षेत्र संख्या भी रजिस्टर में अंकित किया जायेगा। मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में सम्बन्धित मतदाता के नाम के सामने शब्द 'डाक मतपत्र' (P.B.) यह उपदर्शित करने के लिये अंकित किया जाये कि उस मतदाता को डाक मतपत्र जारी कर दिया गया है किन्तु मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में उस मतदाता को जारी किए गए मतपत्र की क्रम संख्या अभिलिखित नहीं की जायेगी।

(3) जारी किये गये डाक मतपत्रों के क्रम संख्यांक के विवरण वाले रजिस्टर को रिटर्निंग अधिकारी अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(4) रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचक को मतपत्र के साथ–साथ निम्नलिखित सामग्री भी भेजेगा :–

(क) निर्वाचक द्वारा घोषणा, संलग्न प्ररूप–3 के अनुसार,
(ख) छोटा लिफाफा – 'क', संलग्न प्ररूप–4 के अनुसार,
(ग) बडा लिफाफा – 'ख', संलग्न प्ररूप–5 के अनुसार, तथा
(घ) निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिये अनुदेश, संलग्न प्ररूप–6 के अनुसार।

(5) प्रत्येक अधिकारी, जिसकी देखरेख में या जिसकी मार्फत कोई डाक मतपत्र भेजा जाये, यह सुनिश्चित करेगा कि वह प्रेषिति को अविलम्ब व्यक्तिशः परिदत्त कर दिया गया है।

(6) यदि रिटर्निंग अधिकारी मतपत्र को डाक द्वारा प्रेषित करता है तो उक्त उप पैरा (4) में वर्णित मतपत्र व अन्य सामग्री को एक बडे लिफाफे में रख कर समुचित डाक टिकिट के साथ प्रेषित करेगा।

(7) लिफाफा 'ख' पर भी समुचित डाक टिकट रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लगाये जायेगें।

(8) अगर ऐसे किसी मतदाता, जिसे डाक मतपत्र जारी किया जा चुका है, की निर्वाचन ड्यूटी निरस्त कर दी जाती है, तब भी वह मतदाता डाक मतपत्र से ही मतदान करेगा, अपने निर्धारित केन्द्र में व्यक्तिशः मतदान नहीं कर सकेगा।

(9) रिटर्निंग अधिकारी यथा संभव प्रशिक्षण सत्र में ही डाक मतपत्र निर्वाचक को व्यक्तिशः परिदत्त करेगा।

(10) निर्वाचन के दौरान सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए बडी मात्रा में पुलिसकर्मियों को नियोजित किया जाता है। चुनाव कार्य में नियोजित पुलिसकर्मियों द्वारा डाक मतपत्र हेतु यथा समय आवेदन किया जा सके और उन्हें यथा समय डाक मतपत्र जारी किया जा सके, इसके लिए यह उचित होगा कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पुलिस आयुक्त/जिला पुलिस अधीक्षक को पर्याप्त मात्रा में डाक मतपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध करा दिया जाए ताकि पुलिस आयुक्त/जिला पुलिस

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

अधीक्षक कार्यालय द्वारा ऐसे पुलिसकर्मियों को डाक मतपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र चुनाव ड्यूटी आदेश के साथ ही उपलब्ध करा सकें। जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पुलिस आयुक्त/जिला पुलिस अधीक्षको को यह निर्देश भी प्रदान किए जा सकते हैं कि चुनाव कार्य में नियोजित पुलिसकर्मियों से आवेदन संकलित कर जिला निर्वाचन कार्यालय/रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय को सुपुर्द कर दिए जायें। जिला निर्वाचन कार्यालय में प्राप्त ऐसे आवेदनों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को यथाशीघ्र भिजवा दिया जाए। इस प्रकार यथा समय प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर आवश्यक जांच के पश्चात् डाक मतपत्र के हकदार पुलिसकर्मियों को भी मतदान दलों की रवानगी के समय मतपत्र व्यक्तिशः सुपुर्द कर दिए जाए। ऐसे पुलिसकर्मियों द्वारा डाक मतपत्र पर मतदान संबंधी कार्यवाही कर रिटर्निंग अधिकारी को मतदान दलों की रवानगी के स्थल पर सुपुर्द किया जा सकेगा और इसके लिए वहीं व्यवस्था लागू रहेगी जो चुनाव/मतदान कार्य में नियोजित अन्य कार्मिकों के लिए इस पत्र में बताई गई है।

(11) डाक मतपत्र द्वारा मत देने के हकदार ऐसे समस्त निर्वाचकों को मतपत्र जारी कर दिये जाने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी मतपत्रों के जारी करने के सम्बन्ध में उपयोग में लाये गये मतपत्रों के क्रम संख्यांक के ब्यौरे अंकित किये हुये प्ररूप–2 के रजिस्टर को एक पैकेट में मुहरबंद कर देगा, जिस पर उसकी विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण, जिला परिषद या यथा स्थिति, पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक और वह तारीख जिस दिन वह इसे मुहरबंद करें, अभिलिखित करेगा। उक्त मुहरबंद पैकेट को वह अन्य मुहरबंद निर्वाचन अभिलेख के साथ सुरक्षित अभिरक्षा में रखवा देगा।

4. **डाक मतपत्र पर मत का अभिलेखनः–** कोई निर्वाचक, जिसे डाक मतपत्र प्राप्त हो गया है और जो मत देना चाहता है, संलग्न प्ररूप–6 में 'निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिये अनुदेश' में विहित अनुदेशों के अनुसार मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात् उसे 'छोटा लिफाफा–क' में सुरक्षित रखकर बन्द कर देगा। उक्त छोटे लिफाफे के साथ 'निर्वाचक द्वारा घोषणा', जिस पर निर्वाचक के हस्ताक्षर किसी राजपत्रित अधिकारी या मतदान अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी, द्वारा अनुप्रमाणित हो, को बडे लिफाफा 'ख' में बन्द करके रिटर्निंग अधिकारी को भेजेगा।

5. **डाक मतपत्र लौटानाः–** (1) डाक मत पत्रों को निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाता रिटर्निंग अधिकारी को डाक से अथवा अन्य रीति से प्रेषित कर सकेगा ताकि वह रिटर्निंग अधिकारी के पास मतगणना प्रारंभ करने के लिए नियत समय से पहले पहुंच जाये।

(2) किन्तु डाक मत पत्रों को रिटर्निंग अधिकारी को परिदत्त करने की व्यवस्था को सुगम बनाने की दृष्टि से रिटर्निंग अधिकारी को चाहिये कि वह अपने कार्यालय में तथा मतदान दलों की रवानगी स्थल तथा मतदान दलों की वापसी पर मतदान सामग्री संग्रहण स्थल पर एक सील्ड बॉक्स प्रत्येक पंचायत समिति एवं जिला परिषद के लिए अलग–अलग पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखें जिससे निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाता डाक मतपत्र को लिफाफे में बंद कर उक्त सील्ड बॉक्स में डाल सकें। इस प्रकार रखे गये बॉक्स को प्रतिदिन सांयकाल रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा खोला जाकर प्राप्त डाक मतपत्रों को इस हेतु रखे गये रजिस्टर, जिसका प्ररूप–7 संलग्न हैं, में दर्ज किया जायेगा और मतों की गणना तक उन्हे सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा।

6. **डाक मतपत्रों का पुनः जारी किया जानाः–** (1) किसी मतदाता द्वारा उसे भेजे गए डाक–मतपत्र एवं अन्य सामग्रियां यदि किसी कारणवश अपरिदत्त लौटा दिए गए हों तो उसके द्वारा पुनः अनुरोध किए जाने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे मतदाता को उसे डाक प्रेषण प्रमाण पत्र के अधीन स्वयं निर्वाचक को परिदत्त कर सकेगा या परिदत्त करा सकेगा।

(2) यदि किसी निर्वाचक ने असावधानी से डाक मतपत्र या अन्य कागजपत्रों में से किसी को ऐसी रीति से उपयोग किया है कि वे उपयोग में लाने योग्य नहीं रहते हैं एवं रिटर्निंग अधिकारी का समाधान इस असावधानी के बारे में हो जाता है तो निर्वाचक द्वारा लौटाए गए खराब मतपत्र एवं कागजपत्रों के बदले मतपत्र एवं कागजपत्रों का एक दूसरा सैट निर्वाचक को जारी कर दिया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(3) रिटर्निंग अधिकारी ऐसे लौटाए गए खराब मतपत्र एवं कागजपत्रों को रद्द करेगा और निर्वाचन की विशिष्टियों और रद्द किए गए मतपत्रों के क्रम संख्यांकों को उस पर टिप्पण कर उन्हें पृथक पैकेट में रखेगा।

7. **डाक द्वारा प्राप्त मतों की गणनाः–** (1) मतगणना में वे ही डाक मतपत्र शामिल किये जावेगे जो मतगणना प्रारम्भ करने के लिये निश्चित समय तक रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो गए हों।

(2) मतगणना प्रारम्भ करने के निमित्त नियत समय के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त प्ररूप–5 के लिफाफे (लिफाफा–ख) को खोला नहीं जायेगा और ऐसे किसी लिफाफे में अन्तर्विष्ट किसी मत की गणना नहीं की जायेगी।

(3) उपरोक्त उप पैरा (1) में मतगणना प्रारम्भ करने के लिये नियत समय तक प्राप्त सभी लिफाफों, (लिफाफा–ख) को एक–एक करके खोला जायेगा और जैसे ही हर एक लिफाफे को खोला जाए, रिटर्निंग अधिकारी प्रथमतः उसमें अन्तर्विष्ट प्ररूप में की गई घोषणा की संवीक्षा करेगा।

(4) यदि उक्त घोषणा नहीं पायी जाती है या उसे सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित नहीं किया गया है अन्यथा सारतः त्रृटिपूर्ण है या यदि उसमें यथा प्रविष्ट मतपत्र का क्रम संख्यांक प्ररूप–4 के लिफाफे (लिफाफा–क) पर पृष्ठांकित क्रम संख्यांक से भिन्न है तो उस लिफाफे (लिफाफा–क) को खोला नहीं जायेगा और उस पर समुचित पृष्ठांकन करने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी उसमें अन्तर्विष्ट मतपत्र को प्रतिक्षेपित (नामंजूर) कर देगा।

(5) ऐसे पृष्ठांकित हर एक लिफाफे (लिफाफा–क) और उसके साथ प्राप्त प्ररूप–3 में निर्वाचक की घोषणा को पुनः लिफाफे–ख में रखा जाएगा और ऐसे सभी लिफाफे एक पृथक पैकेट में रखे जायेंगे जिन्हें मुद्राबन्द किया जायेगा और जिस पर पंचायत समिति या यथास्थिति जिला परिषद का नाम एवं इसके निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या, गणना की तारीख और उसकी अन्तर्वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित किया जायेगा।

(6) रिटर्निंग अधिकारी तत्पश्चात् प्ररूप–3 में की गयी उन सभी घोषणाओं को, जो उसने सही पायी हैं, पृथक पैकेट में रखेगा जिसे प्ररूप–4 के किसी लिफाफे को (लिफाफा–क) खोलने के पहले मुद्राबन्द किया जायेगा और जिस पर उपरोक्त उप पैरा–5 में निर्दिष्ट विशिष्टियां अभिलिखित की जाएगी।

(7) प्ररूप–4 में उन लिफाफों को, (लिफाफा–क) जिनके मामले में उपरोक्त उप पैरा–6 के अन्तर्गत कार्यवाही कर ली गई है, एक–एक करके खोला जाएगा और रिटर्निंग अधिकारी हर एक मतपत्र की संवीक्षा करेगा और उस पर अभिलिखित मत की विधिमान्यता का विनिश्चय करेगा।

(8) उपरोक्त उप पैरा–7 के अन्तर्गत संवीक्षा में डाक मतपत्र को प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा–

(क) यदि उस पर कोई चिन्ह (मत को अभिलिखित करने के लिये चिन्ह से भिन्न) या लेख है जिससे निर्वाचक की पहचान हो; या

(ख) यदि उस पर कोई मत अभिलिखित नहीं है; या

(ग) यदि उस पर मत एक से अधिक अभ्यर्थियों अथवा किसी एक अभ्यर्थी तथा 'नोटा' (इनमें से कोई नहीं) के पक्ष में दिए गए हैं;

(घ) यदि वह बनावटी मतपत्र है; या

(ङ) यदि वह ऐसे रूप में क्षत या विकृत हो गया है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती है; या

(च) यदि उसे उस लिफाफे में रखकर नहीं लौटाया गया है जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचक को उसके साथ भेजा गया था।

(छ) यदि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह मतपत्र पर ऐसी रीति से लगा है कि यह तय करना संभव नहीं हो कि सन्देहपूर्ण हो जाती है कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

स्पष्टीकरण I – कोई डाक मतपत्र इस कारण नामंजूर नहीं किया जायेगा कि उस पर अभिलिखित करने वाला चिन्ह निर्धारित उपकरण से अन्यथा लगाया गया है। किसी भी अभ्यर्थी के लिये मतपत्र में निर्दिष्ट स्थान में, जिसे मतदाता अपना मत अभिलिखित करना चाहता है, **बालपैन या स्याही से ''X'' (क्रॉस) का अंकन पर्याप्त होगा।**

स्पष्टीकरण II – डाक मतपत्र पर अभिलिखित मत को केवल इस आधार पर कि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह अस्पष्ट है या एक से अधिक बार लगाया गया है, प्रतिक्षेपित नहीं किया जाएगा यदि यह आशय कि मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी अथवा 'नोटा' (इनमें से कोई नहीं) के लिए है, मतपत्र चिन्हित किए जाने के ढंग से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है।

(9) रिटर्निंग अधिकारी उन सभी विधिमान्य मतों की, जो डाक मतपत्र द्वारा हर एक अभ्यर्थी अथवा 'नोटा' (इनमें से कोई नहीं) के पक्ष में दिए गए हैं, गणना करेगा और इस प्रकार गणना करके अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये कुल विधि मान्य मतों में जोडकरं परिणाम पत्र में अभिलिखित करेगा और उन्हें सुनायेगा।

(10) तदुपरांत सभी विधिमान्य मतपत्रों और सभी प्रतिक्षेपित मतपत्रों के पृथक–पृथक बंडल बनाए जाएंगे और उन्हें एक साथ एक पैकेट में रखा जाएगा जिसे रिटर्निंग ऑफिसर की और ऐसे अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्त्ताओं या गणन अभिकर्ताओं की, जो इस पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहें, मुद्राओं से मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित किया जाएगा। ऐसे मुद्राबंद पैकेटों पर पंचायत समिति या यथास्थिति, जिला परिषद का नाम एवं सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, गणना की तारीख और उनकी अन्तर्वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित किया जाएगा।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 5777–78 दिनांक : 05.12.2019

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. समस्त सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी,(पंचायत)(कलेक्टर)
2. समस्त रिटर्निग अधिकारी जिला परिषद / पंचायत समिति।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

प्ररूप–1

डाक मतपत्र हेतु
रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन–पत्र

प्रेषितिः

रिटर्निंग अधिकारी
पंचायत समिति/जिला परिषद* ....(नाम)
सदस्य निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक ....

महोदय,

मैं ....पंचायत समिति/जिला परिषद* .... के सदस्य के लिये निर्वाचन क्षेत्र संख्या .... के होने वाले निर्वाचन में अपना मत डाक द्वारा देना चाहता हूँ।

मेरा नाम पंचायत समिति .... व जिला परिषद .... के सदस्य निर्वाचन क्षेत्र सं. .... में समाविष्ठ ग्राम पंचायत .... के वार्ड सं. .... की निर्वाचक नामावली के क्रम संख्या .... पर प्रविष्ट है।

मुझे मतपत्र इस पते पर भेजा जावे।

पताः– भवदीय

....
....
....

स्थान................................
दिनांक.............................

नोट– जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचक हेतु डाक मत पत्र प्राप्त करने के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावे।

---

* जो लागू ना हो उसे काट दीजिये।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

प्ररूप–2

जिला परिषद / पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन में डाक मतपत्र जारी करने का रजिस्टर

जिला परिषद / पंचायत समिति* ....

क्र. स.	मतदाता का नाम एवं मतदान ड्यूटी का विवरण	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	मतदाता की क्रम संख्या	निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक	जारी किये गये मतपत्र का क्रमांक	जारी करने की दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

* जो लागू ना हो उसे काट दीजिये।

निर्वाचक द्वारा घोषणा

जिला परिषद/पंचायत समिति* ....
सदस्य निर्वाचन क्षेत्र .... के लिये निर्वाचन

मैं, इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं वही निर्वाचक हूँ जिसे उपर्युक्त निर्वाचन के लिये कम संख्या .... वाला डाक मतपत्र जारी किया गया है।

निर्वाचक के हस्ताक्षर
पता

तारीख

हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन

उपर्युक्त पर श्री .... (निर्वाचक) द्वारा, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ/जिनकी पहचान श्री .... (पहचान कर्ता) ने की है, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ मेरे समाधान पर्यन्त मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये हैं।

पहचानकर्ता, यदि कोई हो, के हस्ताक्षर

पता

अनुप्रमाणित करने वाले (राजपत्रित अधिकारी/मतदान अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी)अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम
पता
तारीख

---

* जो लागू ना हो उसे काट दीजिये।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

प्ररूप–4

छोटा लिफाफा – क

(मतगणना से पूर्व नहीं खोला जाए)

पंचायत समिति/जिला परिषद* .... सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र सं. .... के लिये निर्वाचन

डाक मतपत्र

मतपत्र की कम संख्याक....................

---

*जो लागू ना हो उसे काट देवें।

प्ररूप–5

बडा लिफाफा – ख

मतगणना से पूर्व नहीं खोला जाना है

निर्वाचन/अविलम्ब
डाक मतपत्र

पंचायत समिति/जिला परिषद* .... सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र सं. .... के लिये निर्वाचन

प्रेषितिः–
रिटर्निंग अधिकारी
....
....
(पूरा पता लिखें)

---

*जो लागू ना हो उसे काट देवें।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

पंचायत समिति / जिला परिषद* ....
सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र सं.............................. के लिये निर्वाचन

निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिये अनुदेश

इसके साथ भेजे गये मतपत्र पर जिन व्यक्तियों के नाम छपे हैं वे उक्त निर्वाचन में उम्मीदवार हैं। यदि आप मत देना चाहते हैं तो आपको अपना मत नीचे भाग 1 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अभिलिखित करना चाहिये तथा इसके बाद भाग–2 में विस्तृत रूप से दिये गये अनुदेशों का अनुसरण करना चाहिये।

भाग–1

(क) पंचायत समिति एवं जिला परिषद से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मामले में एक है अतः पंचायत समिति या यथा स्थिति जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र के लिये आपको केवल एक मत देना है।

(ख) आपको 'नोटा' (इनमें से कोई नहीं) सहित एक से अधिक उम्मीदवारों को एक साथ मत नहीं देना चाहिये। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका मत अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(ग) अपना मत, उस उम्मीदवार अथवा 'नोटा' (इनमें से कोई नहीं) के नाम के सामने जिसे आप मत देना चाहते हैं ''X'' का स्पष्ट चिन्ह लगाकर अभिलिखित करें। यदि चिन्ह इस प्रकार लगाया गया है जिससे यह शंका हो गयी कि 'नोटा' (इनमें से कोई नहीं) सहित किसी अभ्यर्थी को आपने मत दिया है तो आपका मत अविधिमान्य हो जायेगा।

(घ) चिन्ह इस प्रकार लगाया जाय जिससे स्पष्ट रूप से तथा निःसन्देह यह पता चल जाये कि आपने 'नोटा' (इनमें से कोई नहीं) सहित किस उम्मीदवार को मत दिया है। यदि आपने चिन्ह इस प्रकार लगाया है जिससे यह बात संदिग्ध हो जाय कि आपने 'नोटा' (इनमें से कोई नहीं) सहित किस उम्मीदवार को मत दिया है, तो वह मत अविधिमान्य हो जायेगा।

(ङ.) आपका मत गुप्त है। आपको मत–पत्र पर अपने हस्ताक्षर नहीं करने चाहिये या इस पर अन्य ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं लगाना चाहिये जो आपकी पहचान को प्रकट करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मत–पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

भाग–II

(क) मत–पत्र पर, अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात्, इस मत–पत्र को इसके साथ साथ भेजे गये एक छोटे लिफाफे में जिस पर ''**क**' अंकित है, रख दीजिये। लिफाफे को बन्द कर दें तथा इस पर मुहर लगाकर या अन्यथा सुरक्षित कर लें।

(ख) इसके पश्चात्, आपको इसके साथ भेजे प्ररूप में एक घोषणा पर भी किसी ऐसे अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने हैं जो आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करने के लिये सक्षम हैं। ऐसा अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी या मतदान दल का मतदान अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी अधिकारी होना चाहिये। इस घोषणा को ऐसे किसी भी अधिकारी के पास ले जायें तथा आपकी पहचान के बारे में उसका समाधान हो जाने के पश्चात उसके समक्ष इस पर हस्ताक्षर करें। वह अधिकारी आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करेगा तथा आपको घोषणा वापिस कर देगा। आपको अपना मत–पत्र अनुप्रमाणित करने वाले अधिकारी को नहीं दिखाना चाहिये और न ही उससे यह कहें कि आपने किस प्रकार का मत दिया है।

(ग) मद (ख) अनुसार आपकी घोषणा पर हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात् तथा आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित हो जाने के पश्चात् प्ररूप में की गई घोषणा तथा छोटे लिफाफे को, जिस पर 'क' अंकित है, तथा जिसमें मतपत्र रखे गये हैं, एक बडे लिफाफे में, जिस पर 'ख' अंकित है, रख दीजिये। बडे लिफाफे को बन्द करने के पश्चात् इसे रजिस्ट्रीकृत डाक या किसी संदेशवाहक द्वारा, रिटर्निंग ऑफिसर के पास भेज दीजिये।

(घ) आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि यह लिफाफा रिटर्निंग ऑफिसर के पास ....(तारीख) को .... बजे से पूर्व पहुॅंच जाये

(ड.) कृपया नोट करें कि –

(1) यदि आप अपनी घोषणा को विनिर्दिष्ट रीति से अनुप्रमाणित करवाने में असफल रहते हैं तो आपका मत–पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा,
और

(2) यदि आपका लिफाफा रिटर्निंग ऑफिसर के पास .... (तारीख) को .... बजे के पश्चात् पहुॅंचता है तो आपके मत की गणना नहीं की जायेगी।

---

* निर्वाचन की समुचित विशिष्टियां अंकित करें।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

डाक मतपत्र प्राप्ति का रजिस्टर

पंचायत समिति/जिला परिषद्* .... सदस्य निर्वाचन हेतु

क्र.सं.	प्राप्ति का दिनांक	प्राप्त डाक मतपत्र		विशेष विवरण
		निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक	मतपत्रों की संख्या	
1	2	3	4	5

*जो लागू ना हो उसे काट देवें।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः– प. 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/2014/9533 दिनांकः–18.12.14

प्रेषक–

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति–

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर पंचायत) राजस्थान।

विषयः– जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव हेतु निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के संबंध में।

महोदय,

कुछ जिलों से यह जानकारी चाही गई है कि, जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव हेतु निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में तैयार करनी है या केवल हिन्दी में ही तैयार करनी है।

चूंकि मतपत्रों का मुद्रण केवल हिन्दी में ही होता है। अतः स्पष्ट किया जाता है कि, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को अंग्रेजी में तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल हिन्दी में ही तैयार होगी। सांख्यिकीय सूचना निर्धारित प्रपत्रों में अंग्रेजी में भेजी जावे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की हस्तलिखित सूची तैयार करने की भी आवश्यकता नहीं है।

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(52)

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

जयपुर, दिनांक : 12 जनवरी, 95

आदेश

सां.आ. 16/95 यत: राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 39 के उप-नियम (1) में उपबन्धित है कि प्रत्येक मतपत्र, निर्वाचक को जारी किये जाने के पूर्व ऐसी रीति से अनुप्रमाणित किया जायेगा जो आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जावे;

और यत: उपरोक्त नियम 35 के उप-नियम (1) के अधीन जारी आयोग के आदेश सा.आ. (8)/94, जो कि क्रमांक : एफ. 4 (1) (2) पंचा/रानिआ/94/465 दिनांक 27.10.94 से भेजा गया है, के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है कि उपरोक्त नियमों के अध्याय 4, 5 व 6 के प्रावधानों के अनुसार पंच, सरपंच, एवम् पंचायत समिति/ जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन हेतु निर्वाचकों को मतपत्र जारी करने से पूर्व प्रत्येक मतपत्र को उसकी पीठ पर सुभेदक चिह्न के रूप में रबर की मुहर, जिस पर एक वर्गाकार आयतन के अन्दर हिन्दी में ''पं.रा.सं.'' अंकित किया हुआ होगा, से स्टाम्पित करके और मतदान अधिकारी द्वारा अपने पूरे हस्ताक्षर करके अनुप्रमाणित किया जायेगा;

और यत: उपरोक्त नियमों में ऐसा कोई उपबन्ध विद्यमान नहीं है कि मतों की गणना के समय यदि ऐसे मतपत्र पाये जावें कि जो आयोग के पूर्वोक्त आदेश (सां.आ. 8/94) दिनांक 27.10.94 द्वारा निर्दिष्ट रीति के अनुसार अनुमप्रमाणित किये हुए नहीं हों तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे संदिग्ध मतपत्रों के लिए किस प्रकार विनिश्चिय करें और उनके समक्ष कठिनाई उत्पन्न होगी;

अत: पूर्वोक्त नियमों के नियम 91-क द्वारा कठिनाईयों के निराकरण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में आयोग एतद्द्वारा निर्दिष्ट करता है कि मतों की गणना में जो मतपत्र आयोग के पूर्वोक्त आदेश सां.आ. 8/94 द्वारा निर्दिष्ट रीति से यानी उसकी पीठ पर सुभेदक चिन्ह के रूप में रबर की मुहर से वर्गाकार आयतन के अन्दर ''प.रा.सं.'' से स्टाम्पित न किये हुए हों और जिन पर मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर न हो तो उन्हें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामंजूर कर दिया जावेगा, परन्तु यदि रिटर्निंग अधिकारी को यह समाधान हो जाये कि यह चूक मतदान अधिकारी या सहायक मतदान अधिकारी द्वारा की गई किसी भूल या विफल रहने के कारण हुई है तो ऐसे मतपत्रों को नामंजूर नहीं किया जावेगा।

(दिनेश कुमार)
मुख्य निर्वाचक अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : प. 4 (1) (2) पं.चु./रानिआ/94/243 जयपुर, दिनांक : 12 जनवरी, 95

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:-

1. विकास आयुक्त एवम् प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त।
3. विशिष्ठ शासन सचिव एवम् निदेशक, ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर्स) कृपया इस आदेश की जानकारी पंच एवम् सरपंच निर्वाचन के लिये नियुक्त किये जाने वाले रिटर्निंग अधिकारियों और मतदान दलों को उनके प्रशिक्षण के समय कराई जावे और उनको जो मार्गनिर्देशिका की पुस्तक दी जावे उसमें इस आदेश की साइक्लोस्टाइल की प्रति नत्थी की जावे।
5. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, जिला परिषद् सदस्य चुनाव मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर)।
6. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, पंचायत समिति सदस्य चुनाव- मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर)।
7. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सहायक, मुख्य निर्वाचक अधिकारी एवं सचिव, रा.नि.आ., जयपुर।
9. उप सचिव-प्रथम/द्वितीय, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
10. सहायक सचिव, प्रथम/द्वितीय, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
11. जन सम्पर्क अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

(53)

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांक : प. 7 (1) (4) पंचा/रानिआ/94/1138 जयपुर, दिनांक : 28.12.94

प्रेषक:-

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

प्रेषित:-

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
(कलेक्टर), जिला ....

विषय:- षष्ठ पंचायत आम चुनाव-मतदान के पश्चात् मतपेटियों के संग्रहण, परिवहन एवं सुरक्षित अभिरक्षा के सम्बन्ध में।

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 58 (5) के सहपठित नियम 49 के उपबन्धों के अनुसार पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा मतगणना हेतु चयनित स्थान व निश्चित तारीख व समय की सूचना समस्त अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को देनी हैं। अत: यह आवश्यक है कि मतगणना के लिए स्थान का चयन, मतपेटियों के संग्रहण व परिवहन की व्यवस्था, मत गणना हेतु चयनित स्थान के निकटस्थ ही मुहरबंद मतपेटियों की संग्रहण की व्यवस्था, मतगणना प्रारम्भ होने से पूर्व उनकी सुरक्षित अभिरक्षा की व्यवस्था, आदि के बारे में आप रिटर्निंग अधिकारियों और जिले के पुलिस अधिकारियों से विचार विमर्श करके समस्त आवश्यक प्रबन्ध अभी से सुनिश्चित करलें। रिटर्निंग अधिकारी मतपत्रों से भरी मतपेटियों के संग्रहण हेतु निश्चित स्थान व कमरों, संग्रहण हेतु निश्चित तारीख व समय, मतगणना हेतु चयनित स्थान, निश्चित तारीख व समय की सूचना समस्त अभ्यर्थियों को कम से कम 3 दिवस पूर्व और यदि सम्भव हो तो अभ्यर्थिता वापिस लेने के समय के बाद प्रतीकों के आवंटन के साथ ही लिखित में दे दें। मतपेटियों के संग्रहण एवं मतगणना स्थान का चयन जिला मुख्यालय पर किया जावेगा।

आपको चाहिये कि मतदान समाप्त होने के तुरन्त पश्चात मतदान केन्द्रों/बूथों से मतपत्रों से भरी मतपेटियों तथा अन्य निर्वाचन कागजात संबंधी पैकिटों का संग्रहण यथा सम्भव शीघ्र करवायें। मतदान दलों का कार्यक्रम और मार्ग विवरण अभी तैयार करलें। मतदान दलों के कार्यक्रम और मार्ग विवरण के बारे में अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को काफी समय पहले सूचित करना होगा, जिससे अभ्यर्थी, यदि वे ऐसा चाहे तो ऐसे मतदान दलों के साथ अपने अभिकर्ताओं को भेजने की व्यवस्था कर सकें। किन्तु अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं को अपने परिवहन के लिए स्वयं व्यवस्था करनी चाहिये और उन्हें किसी दशा में, उन वाहनों में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये जिनमें मतपेटियां और अन्य निर्वाचन सामग्री तथा मतदान दलों के व्यक्ति ले जाये जातें हों।

मतगणना हेतु चयनित स्थान के पास मतपेटियों व निर्वाचन अभिलेख के संग्रहण के लिये मतदान के दिन काऊन्टर बनाने होंगे। मतदान दलों द्वारा काऊन्टर नं. 1 पर प्रत्येक मतदान केन्द्र/बूथ पर काम में लाई गई मतपत्रों से भरी मुहरबंद मतपेटी/मतपेटियां और निम्नांकित लिफाफों के पैकिट जमा करवाये जावेंगे:-

(1) मतपत्र लेखा (पंचायत समिति सदस्य चुनाव) .... पी-30
(2) मतपत्र लेखा (जिला परिषद सदस्य चुनाव) .... पी-31
(3) पिंकपेपर सील एकाउन्ट (बूथवाइज) .... पी-32
(जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य चुनाव)

अन्य मुहरबंद अथवा मुहरबंद नहीं किये गये लिफाफे/पैकिट काउंटर नं. 2 पर जमा कराये जायेंगे और अन्य निर्वाचन सामग्री काउंटर नं. 3 पर जमा कराई जावेगी।

इन मतपेटियों और लिफाफों को सुरक्षित रूप से कमरों में उसी प्रकार रखा जावेगा जिस प्रकार लोक सभा व विधान सभा चुनावों के समय रखा जाता है और उसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था यानी पुलिस गार्ड और समुचित प्रकाश की व्यवस्था की जानी है। जिन कमरों में मतपेटियों का संग्रहण किया जावेगा वे चारों तरफ से बन्द होने चाहिये, जिनमें कोई भी वस्तु न तो अन्दर प्रविष्ठ कराई जा सके और न बाहर निकाली जा सके। इन कमरों में अन्दर पंचायत समिति के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये स्थान निश्चित करके अलग-अलगे

मतदान केन्द्र से प्राप्त मतपेटियों को रखने के लिये पहले से ही फर्श पर पंचायत या मतदान केन्द्र/बूथवार चौकोर विनिर्दिष्ट भाग नियत कर दिये जाने चाहिये। यह व्यवस्था पंचायत या मतदान केन्द्रों/बूथों की क्रम संख्या के अनुसार होना चाहिये। एक पंचायत या मतदान केन्द्र/बूथ से प्राप्त सभी मतपेटियों को अनिवार्य रूप से उसी चौकोर संभाग में एक स्थान पर रखा जाना चाहिये। प्रत्येक मतदान केन्द्र/बूथ के मतपत्र लेखों के लिफाफे (पी-30 व पी-31) और पिंक पेपर सील का लिफाफा (पी-32), उस मतदान केन्द्र/बूथ से आई मतपेटी या मतपेटियों के ऊपर रख दिया जाना चाहिये। मतपेटियो को रखते समय पेटियों की पंक्तियों के बीच आने जाने के लिये पर्याप्त स्थान छोड़ दिया जाना चाहिये। क्योंकि मतपेटियां मतदान केन्द्र/बूथ के क्रमवार नहीं आवेगी और उन्हें उनके क्रम संख्यानुसार आवंटित चौखाने में रखना होगा जिसमें रखी हुई मतपेटियों को खिसकाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिये। एक पंचायत समिति के समस्त मतदान केन्द्रों/बूथों से प्राप्त होने वाली मतपेटियां यथा संभव एक ही कमरे में संग्रहण की जानी चाहिये। यदि एक कमरे में ही दो पंचायत समितियों के निर्वाचन क्षेत्रों की मतपेटियां संग्रहण कराई जावे तो उनके मध्य ऐसी विभाजन व्यवस्था होनी चाहिये कि उनके एक दूसरे में मिल जाने का कोई अंदेशा नहीं रहे। यदि किसी मतदान केन्द्र/बूथ पर से पंचायत समिति या जिला परिषद, यथा स्थिति, के 2 निर्वाचन क्षेत्रों की अलग-अलग मतपेटियां प्राप्त हो तो उन्हें उस मतदान केन्द्र/बूथ के लिये आवंटित चौखाने में एक दूसरे से अलग करके रखावें और उनसे सम्बन्धित मतपत्र लेखों के लिफाफे भी उनके ऊपर अलग-अलग रखावें।

यदि कोई अभ्यर्थी चाहे तो उसे उस स्थान पर जहां मतपेटियां रखी गई हो, निगरानी रखने के लिये कोई अभिकर्ता तैनात करने की अनुज्ञा दी जानी चाहिये और उसे उस भवन के दरवाजे व खिड़कियों पर जिसमें मतपेटियां रखी गई हो, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लगाई गई मुहर के अतिरिक्त अपनी निजी मुहर लगाने की अनुमति दी जानी चाहिये।

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि सभी मतपेटियां प्राप्त हो जाने और उन्हें यथा स्थान पर रख दिये जाने तथा कमरे का ताला बन्द कर दिये जाने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति को गणना के लिये नियत दिन के नियत समय तक उस कमरे में जाने की अनुमति नहीं दी जावे। यदि इस अन्तराल के दौरान किसी कारणवश कमरा खोलना आवश्यक हो तो रिटर्निंग अधिकारी को समस्त अभ्यर्थियों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को बुला लेने के लिये नोटिस देना चाहिये और यदि कोई उनमें से उपस्थित होता है तो उनकी उपस्थिति में कमरा खोलना चाहिये और जिस प्रयोजन के लिये कमरा खोला जावे उसका पूरा हो जाने के पश्चात तत्काल अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दरवाजों और खिड़कियों को पुनः मुहरबंद कर देना चाहिये व अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं को भी उनकी मुहर लगाने की अनुमति देनी चाहिये। इस प्रकार कमरा खोलने सम्बन्धित विवरण के लिये कार्यवाही विवरण तैयार करना चाहिये जिस पर यथा-स्थिति अभ्यर्थियों अथवा उनसे अधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर कराये जाने चाहिये। साथ ही इस कमरे के लिये जिसमें मतपेटियां रखी गई है एक "लॉग बुक" (परिशिष्ट-1 में) संधारित की जानी चाहिये, जिसमें समुचित प्रविष्टियां की जानी चाहिये, जिनमें कमरे में प्रवेश करने वाले व्यक्ति, प्रवेश करने का प्रयोजन, प्रवेश का समय, बाहर निकलने का समय, रक्षकों के हस्ताक्षर, आदि का पूर्ण विवरण अंकित होगा। ये कमरे रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी के सीधे नियंत्रण में रहेंगे।

मतगणना के दिन मुहरबंद मतपेटियों वाला कमरा अभ्यर्थियों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाना चाहिये। कमरा खोलने बाबत कार्यवाही विवरण तैयार कर उस पर उपस्थित अभ्यर्थियों अथवा निर्वाचन अभिकर्ताओं/अधिकृत व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराये जाने चाहिये। इस कमरे से मतगणना हाल पर गणन-मेजों तक मुहरबंद मतपेटियों का परिवहन किसी जिम्मेदार अधिकारी के नियंत्रण में कराया जाना चाहिए। इस वितरण अधिकारी का यह दायित्व होगा, कि वह अपने सहयोगी कार्मिकों को निर्देशित करेगा कि एक गणन मेज पर एक समय में एक मतदान केन्द्र/बूथ पर प्रयोग में लाई गई समस्त मतपेटियों को पहुंचावे और ध्यान रखें कि मतपेटियों की थैली पर लगी मुहरें और "एड्रेस टेग" सुरक्षित रहें। मतपेटियों के खाली होते ही उन्हे वहां से हटवायें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

क्रमांक : प. 7 (1) (4) पंचा/रानिआ/94/1138 — जयपुर, दिनांक : 29.12.94

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. समस्त संभागीय आयुक्त, ...
2. समस्त पुलिस अधीक्षक, ...
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य चुनाव (..............................) जरिये जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), (कलेक्टर), जिला ....

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थानं, जयपुर।

(54)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 559 दिनांक : 07.02.2019

आदेश

यतः राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 37 में यह उपबंधित है कि किसी निर्वाचक को मतपत्र परिदत्त करने से ठीक पूर्व मतदान अधिकारी मतदाता सूची में उस निर्वाचक से सम्बंधित प्रविष्टियों के संदर्भ में से निर्वाचक की पहचान के बारे मे स्वयं का समाधान करेगा, और

यतः राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 40 में यह उपबंधित है कि किसी मतदाता को कोई मतपत्र दिये जाने के पूर्व किसी भी समय पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी, यदि उसके पास मतदाता की पहचान या ऐसे मतदान केन्द्र पर मत देने के उसके अधिकार के बारे में सन्देह करने का कारण हो तो स्वप्रेरणा से, और यदि किसी अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो, मतदाता से ऐसे प्रश्न पूछकर जो वह आवश्यक समझे, अपना यह समाधान कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति वही मतदाता है, जिससे ऐसी प्रविष्टि सम्बंधित है, और

यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार निर्वाचक नामावली तैयार कर निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाताओं के लिए मतदाता पहचान पत्र जारी किया जाता है। इस प्रक्रिया में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकतम मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं एवं नव पंजीकृत मतदाताओं के लिए यह प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली विधानसभा निर्वाचक नामावली के डेटाबेस को वार्डवार विभक्त कर तैयार की जाती है, जिससे विधानसभा की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में स्वतः ही पंजीकृत हो जाते है। अतः राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में अंकित मतदाताओं के पास भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध होता है, जो मतदान के समय मतदाता की पहचान के लिए प्राथमिक मान्य दस्तावेज है।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, भारत के संविधान के अनुंच्छेद 243 K एवं अनुच्छेद 243 ZA के साथ पठित राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (2) और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 11(1) के उपबंधो के अधीन प्रदत शक्तियों एवं इस निमित्त इसे सशक्त करने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने पूर्व आदेश सख्या 3131 दिनांक 10.09.2009, 4796 दिनांक 09.11. 2009 एवं 494 दिनांक 11.02.2014 को अतिक्रमित करते हुए यह निर्देश देता है कि राज्य की किसी भी नगरपालिका अथवा पंचायतीराज संस्थाओं में चुनाव हेतु मतदान के उद्देश्य से मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नांकित वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजो में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :–

1. आधार कार्ड।
2. पासपोर्ट।
3. ड्राइविगं लाइसेन्स।
4. आयकर पहचान–पत्र (पी.ए.एन.)।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

5. मनरेगा जॉब कार्ड।
6. सांसदों, विधान सभा/परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र।
7. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।
8. श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।
9. फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण–पत्र /वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन ओदश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।
10. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।
11. सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण–पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।
12. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)

निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि नगरपालिका के संदर्भ में वह तिथि है जिस दिन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाये और पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में वह तिथि है जिस दिन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किया जाये।

परिवार के मुखिया को जारी उपर्युक्त दर्शाए गए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र सहित पहचान के वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर केवल परिवार के मुखिया को अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों की पहचान करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते सभी सदस्य उसके साथ आएं तथा परिवार के मुखिया द्वारा उनकी पहचान स्थापित हो सके।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार जैन)
सचिव

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/**560–567** दिनांक 07.02.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त एवं सचिव, पंचायतीराज विभाग, राज., जयपुर।
5. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर), राजस्थान।
6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सॉफ्ट कॉपी के साथ राजस्थान राजपत्र विशेषांक में तत्काल प्रकाशनार्थ।
7. अध्यक्ष/सचिव समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को ई–मेल एवं वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
9. समस्त शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ.1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/2014/4630 दिनांकः 02.11.2019

संशोधित आदेश

विषयः– मतदाताओं की पहचान स्थापित करने लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में।

सदर्भः– आयोग का पत्र क्रमांक एफ 1 (2)(1) नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/2014/559 दिनांक 07.02.2019

उपर्युक्त विषयान्र्तत आयोग के सदर्भित आदेश दिनांक 07.02.2019 द्वारा मतदाताओं की पहचान स्थापित करने लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में निदेश दिये गये हैं।

उक्त आदेश में वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची के क्रम संख्या 6 की विद्यमान प्रविष्टि ''6. सांसदों, विधान सभा/परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र।'' के स्थान पर प्रविष्टि ''6. सांसदों एवं विधान सभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र।'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
सचिव

क्रमांक : एफ.1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/2014/4631–39 दिनांकः 02.11.2019

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. विशिष्ट शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), राजस्थान।
6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को साफ्ट कॉपी के साथ राजस्थान राजपत्र विशेषांक में तत्काल प्रकाशनार्थ।
7. अध्यक्ष/सचिव समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान जयपुर।
8. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को ई–मेल एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
9. समस्त शाखा राज्य निर्वाचन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(56)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः– प.1(4)(1)/नपा/रानिआ/2014/5493 दिनांक : 26.07.2015

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) राजस्थान।

विषयः– निर्वाचकों की अंगुली पर अमिट स्याही लगाना–तत्संबंधी।
संदर्भः– भारत निर्वाचन आयोग का पत्र दिनांक 23.03.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदर्भित पत्र के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग को निर्वाचनों के दौरान अमिट स्याही को अनुचित रूप से लगाने के बारे में रिपोर्ट्स प्राप्त होने एवं उन रिपोर्ट्स पर विचार करने के पश्चात् इस आशय के निर्देश समस्त मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी करते हुए प्रति समस्त राज्य निर्वाचन आयोगों को प्रेषित की गई है कि अमिट स्याही को बाईं तर्जनी के नाखून के आखिरी सिरे से प्रथम जोड के नीचे तक अमिट स्याही के साथ उपलब्ध कराए जाने वाले ब्रश की सहायता से मतदाता की अंगुली पर लगाई जाएगी। स्याही लगाने हेतु एक आरेख भी पत्र के दर्शाया गया है।

इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग भी यह उचित समझता है कि एक मतदाता के मतदान करने के पश्चात् उसके द्वारा दोबारा फर्जी मतदान को रोकने के लिए यह सुझाव उचित है। अतः भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर राज्य निर्वायन आयोग द्वारा निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि आगामी समस्त नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में मतदाता के बाईं तर्जनी के नाखून के आखिरी सिरे से प्रथम जोड के नीचे तक संलग्न पत्र के आरेख में दर्शितानुसार अमिट स्याही लगाई जाए।

मतदान दलों के प्रशिक्षण के दौरान उक्त निर्देश को भली–भांति प्रसारित किया जाए।

(अशोक कुमार जैन)
सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 54/2/2015-ईएमएस

दिनांक: 23 मार्च, 2015

सेवा में

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय : **निर्वाचकों की अंगुली पर अमिट स्याही लगाना-तत्संबंधी।**

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हाल ही के पिछले निर्वाचनों के दौरान, अमिट स्याही को अनुचित रूप से लगाने के बारे में आयोग को कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। आयोग द्वारा इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया है और आयोग ने यह निदेश दिया है कि सभी भावी निर्वाचनों के दौरान, निम्नलिखित का कड़ाई से पालन किया जाए :-

1. अमिट स्याही **बाईं तर्जनी के नाखून के आखिरी सिरे से प्रथम जोड़ के नीचे तक** ब्रश (मै. मैसूर पेन्ट्स एण्ड वार्निश लिमिटेड द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला) की सहायता से मतदाता की अंगुली पर लगाई जाएगी जैसाकि नीचे आरेख में दर्शाया गया है।

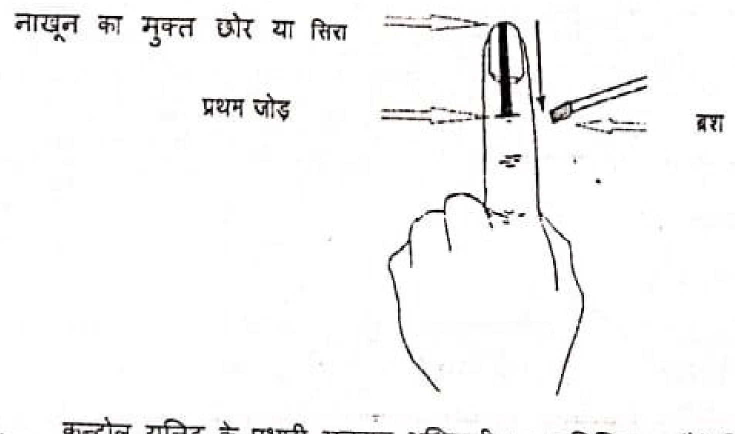

2.. कन्ट्रोल यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी **यह सुनिश्चित करेंगे कि** कन्ट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाने से पहले, **निर्वाचकों की अंगुली पर अमिट स्याही का निशान पूरी तरह से लगा हो।**

इस अनुदेश की एक प्रति सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को भेजी जाए। प्रशिक्षणों के दौरान इस अनुदेश को सभी पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों के सख्त अनुपालन के लिए उनके संज्ञान में लाया जाए। मतदान ड्यूटी पर जाते समय पीठासीन अधिकारी को दी गई किट में भी इस अनुदेश की एक प्रति रखी जाएगी।

भवदीय,

(मधुसूदन गुप्ता)
अवर सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. प्रबंधक निदेशक, मैसूर पेन्ट्स एण्ड वार्निश लिमिटेड, न्यू बन्नीमंतप एक्सटेंशन मैसूर-570015, कर्नाटक को इस अनुरोध सहित कि अमिट स्याही के साथ-साथ ब्रशों की आपूर्ति भी सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को तत्काल प्रभाव से की जानी सुनिश्चित करें।

2. सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के राज्य निर्वाचन आयुक्तों को उनकी सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु।

(57)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014–15/2235 जयपुर, दिनांकः 25.06.2019

:: आदेश ::

राजस्थान पंचायती राज. (निर्वाचन) नियम, 1994 नियम–38 में मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी अंगुली में अमिट स्याही लगाने संबंधी प्रावधान अंकित है। नियम–38 के प्रावधान निम्नानुसार हैंः–

> **38. Safeguard against impersonation.-** (1) Every voter about whose identity the Returning Officer or the Polling Officer, as the case may be is satisfied shall allow his left hand fore-finger to be inspected by the Returning Officer or the Polling Officer, and cause an indelible ink mark to be put on it.
>
> Explanation.- Any reference in this rule to the left hand fore-finger of a voter shall, in the case where voter has his left hand fore-finger missing be construed as a reference to any other finger of his left hand and shall in the case where all the fingers of his left hand are missing be construed as reference to the fore-finger or any other finger of his right hand, and shall in the case where all his fingers of both the hands are missing be construed as a reference to such extremity of his left or right arm as he possesses.

आयोग द्वारा यह अनुभव किया गया है कि पंचायतीराज संस्थाओं में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य तथा पंच एवं सरपंच के निर्वाचन पृथक–पृथक चरणों में होने पर पश्चात्वर्ती चरण में होने वाले निर्वाचन तथा लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन के पश्चात् होने वाले पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन में मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी अंगुली पर अमिट स्याही का निशान दृष्टव्य (Visible) रहने की स्थिति में मतदान अधिकारियों के समक्ष मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही लगाने में व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न होती है।

अतः आयोग राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 91–क (कठिनाइयों का निराकरण) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी करता हैं :–

1. **पंचायतीराज संस्थाओं में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य तथा पंच एवं सरपंच के निर्वाचन हेतु मतदान पृथक–पृथक दिवसों में होने पर** पूर्ववर्ती निर्वाचन हेतु अंकित किया गया अमिट स्याही का निशान दृष्टव्य (Visible) रहने की स्थिति में पश्चात्वर्ती निर्वाचन में अमिट स्याही का निशान मतदाता के दायें हाथ की तर्जनी अंगुली (Right Hand Fore-Finger) पर अंकित किया जाएगा।

2. लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन के तुरन्त पश्चात् होने वाले पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन में लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन हेतु अंकित किया गया अमिट स्याही का निशान दृष्टव्य (Visible) रहने की स्थिति में अमिट स्याही का निशान मतदाता के दायें हाथ की तर्जनी अंगुली (Right Hand Fore-Finger) पर अंकित किया जाएगा। (लोकसभा एवं विधानसभा के

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

किसी निर्वाचन में पुनर्मतदान के तुरन्त पश्चात् यदि पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन होते हैं तो ऐसी स्थिति में अमिट स्याही लगाने हेतु पृथक से निर्देश जारी किए जाएगें।)

3. पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के दौरान पुनर्मतदान (Re-poll) की स्थिति में जिन पदों के लिए पहले निर्वाचन हुआ था, वहां अमिट स्याही का निशान मतदाता के बायें हाथ की मध्यमा अंगुली (Left Hand Middle-Finger) पर अंकित किया जाएगा तथा जिन पदों पर बाद में निर्वाचन हुआ था, वहां अमिट स्याही का निशान मतदाता के दायें हाथ की मध्यमा अंगुली (Right Hand Middle-Finger) पर अंकित किया जावेगा।

   स्पष्टीकरण :— जिन निर्वाचनों में अमिट स्याही का निशान बायें हाथ की तर्जनी अंगुली पर लगाया गया है, उन निर्वाचन के पुनर्मतदान में अमिट स्याही का निशान उसी (बायें) हाथ की मध्यमा अंगुली (Left Hand Middle-Finger) पर अंकित किया जावेगा। इसी तरह जिन निर्वाचनों में अमिट स्याही का निशान दायें हाथ की तर्जनी अंगुली पर लगाया गया है, उन निर्वाचन के पुनर्मतदान में अमिट स्याही का निशान उसी (दायें) हाथ की मध्यमा अंगुली (Right Hand Middle-Finger) पर अंकित किया जावेगा।

4. पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव के दौरान पुनर्मतदान (Re-poll) की स्थिति में अमिट स्याही का निशान मतदाता के बायें हाथ की मध्यमा अंगुली (Left Hand Middle-Finger) पर अंकित किया जाएगा।

5. उक्त निर्देशों की क्रियान्विति में यदि किसी मतदाता के किसी हाथ की संबंधित अंगुली नहीं हो, तो वहां अमिट स्याही का निशान अंकित किए जाने हेतु नियम—38 के स्पष्टीकरण के अनुसार कार्यवाही संपादित की जाएगी।

आज्ञा से,

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 2014—15 / 2236—2240 दिनांकः 25.06.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त एवं सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत), राजस्थान।
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, जिला परिषद तथा पंचायत समिति सदस्य / पंच एवं सरपंच मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग को ई—मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग
राज., जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

भाग–8
लोक सूचना, नामांकन पत्रों की जाँच/प्राप्ति व वापसी के संबंध में

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014–15/6251 दिनांक : 26.12.2019

आदेश

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 23 में वार्ड पंच के निर्वाचन, नियम 56 सपठित नियम 23 के अन्तर्गत सरपंच पद के निर्वाचन के लिए एवं नियम 58(1) के अंतर्गत पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लोक सूचना जारी किये जाने का प्रावधान है। इन नियमों में उक्त लोक सूचना का कोई प्ररूप विहित नहीं किया जाने से अतः आयोग के पत्रांक प. 6(1)(5)पंचायत/रानिआ/94/ 1144 दिनांक 20.12.94 एवं प. 7(1)(1)पंचा /रानिआ/94/6069 दिनांक 8.12.2009 द्वारा लोक सूचना का प्ररूप विहित कर समुचित निर्देश प्रदान किए गए थे।

उक्त निर्देशों में समय के अनुकूल परिवर्तन अपेक्षित है। अतः आदेश क्रमांक 1144 दिनांक 20.12.94 एवं 6069 दिनांक 8.12.2009 को अधिक्रमित किया जाकर नियम 91क में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न निर्देश प्रदान किए जाते हैं–

1. पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 23, नियम 56 एवं नियम 58 में लोक सूचना के लिए प्ररूप विहित नहीं किये गये हैं। इस व्यहारिक कठिनाई के निराकरण एवं प्ररूप की एकरूपता रखने के लिए आयोग द्वारा मॉडल प्ररूप निर्धारित कर आदेश के साथ प्रेषित किए जा रहे हैं।

2. आयोग के चुनाव कार्यक्रम के अनुसार मॉडल प्ररूप के अनुरूप नियम 23, 56 एवं 58 के अन्तर्गत अपेक्षित लोक सूचना प्रत्येक पंचायत सर्कल, पंचायत समिति एवं जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जारी की जाए। जारी की गई लोक सूचना की एक–एक प्रति कार्यालय अभिलेख में आवश्यक रूप से रखी जाए।

3. यह उल्लेखनीय है कि नियम 2 के अन्तर्गत दी गई रिटर्निंग अधिकारी की परिभाषा में सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी शामिल है। अतः जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्यों के मामलों में नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, उनकी संवीक्षा, नाम वापसी एवं चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य रिटर्निंग अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी के साथ मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा भी संपादित किया जा सकेगा किन्तु संवीक्षा में अंतिम निर्णय रिटर्निंग अधिकारी का होगा।

4. पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन में नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति का स्थान यथा–संभव पंचायत समिति मुख्यालय पर ही रखा जावे।

5. लोक सूचना में नियम 23 द्वारा द्वारा अपेक्षित सूचना यथा वह स्थान जहाँ नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाएंगे, संवीक्षा के लिए नियत तारीख एवं स्थान नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की तारीख/समय एवं मतदान की तिथि एवं समय की सूचना अंकित की जाये।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

6. निर्वाचन की इन लोक सूचनाओं का राजपत्र में प्रकाशन नहीं कराया जाना है लेकिन आमजन को चुनाव की सूचना मिल सके इस हेतु संबंधित चुनाव क्षेत्र में इनका समुचित प्रकाशन किया जाना है। प्रकाशन के लिए लोकसूचना की प्रतियाँ संबंधित क्षेत्र में निम्नांकित स्थानों पर चुनाव कार्यक्रम में नियत तारीख पर चस्पा की जानी है।
   (i) जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) कार्यालय के सूचना पट् पर
   (ii) जिला परिषद सदस्य चुनाव में जिला परिषद के सूचना पट् पर
   (iii) पंचायत समिति के सदस्य चुनाव में पंचायत समिति के सूचना पट् पर
   (iv) पंच एवं सरपंच के चुनाव में पंचायत के सूचना पट् पर
   (v) पंचायत के प्रत्येक वार्ड में एक सहज दृश्य स्थान पर
   (vi) जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में इनके निर्वाचन क्षेत्र के कम से कम दो सहज दृश्य स्थान पर
   (vii) अन्य स्थान जहाँ आप उचित समझें।

7. संलग्न प्ररूपों में, पदों एवं सीटों के आरक्षण का विवरण तथा नियम 58 के अंतर्गत जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन हेतु जारी की जाने वाली अधिसूचना में नाम निर्देशन पत्रों को सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जाने का अंकन भी किया जावे।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार कुल दो।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014—15/6252—54 दिनांक : 26.12.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु —

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी।
3. कम्प्यूटर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग को समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई—मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

निर्वाचन की लोक सूचना

पंच एवं सरपंच के लिए

(नियम 23 एवं 56)

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि :–

(1) पंचायत समिति............................... की पंचायत सर्किल .... के पंचों का निर्वाचन कराया जाना है,

एवं

पंचायत समिति............................... की पंचायत सर्किल .... के सरपंच का निर्वाचन कराया जाना है

(2) अतः निम्नांकित रूप से अवधारित समय अनुसूची के अनुसार अपने–अपने वार्डों से प्रत्येक से एक पंच का निर्वाचन और इसके साथ साथ पंचायत के सरपंच का निर्वाचन करने की अपेक्षा की जाती है,

(3) नाम निर्देशन–पत्र रिटर्निंग अधिकारी को अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिशः दिनांक .... को .... बजे से .... बजे तक के मध्य पंचायत मुख्यालय .... (नाम) पर परिदत्त किए जा सकेंगे,

(4) नाम निर्देशन–पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान और समय पर अभिप्राप्त किए जा सकेंगे,

(5) नाम निर्देशन–पत्र संवीक्षा के लिए दिनांक .... को .... (स्थान का नाम) पर .... बजे लिए जाएेंगे,

(6) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिशः रिटर्निंग अधिकारी को दिनांक .... को ... . (स्थान का नाम) .... बजे से पूर्व परिदत्त की जा सकेगी,

(7) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में दिनांक .... को .... बजे से .... बजे के मध्य पंचायत मुख्यालय/... (यदि मतदान बूथ पंचायत मुख्यालय से भिन्न किसी ग्राम में स्थापित किया गया हो तो उसका नाम) पर निश्चित मतदान बूथों पर मतदान होगा।

(8) पंचायत सर्किल के पंचों की सीटों एवं सरपंच के पद की आरक्षण की स्थिति संलग्न स्टेटमेंट में वर्णित है।

स्थान ....

तारीख ....

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
(कलक्टर) ....

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

<u>निर्वाचन की सूचना</u>

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए

(नियम 58)

एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि :–

(1) जिला .... में पंचायत समिति .... के समस्त निर्वाचन क्षेत्रों और जिला परिषद .... के उन निर्वाचन क्षेत्रों, जो पूर्वोक्त पंचायत समिति के क्षेत्र में समाविष्ट हैं, के मतदाताओं से निम्नांकित समय अनुसूची के अनुसार, यथास्थिति, पंचायत समिति के समस्त निर्वाचन क्षेत्रों और जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक से एक सदस्य का निर्वाचन करने की अपेक्षा की जाती है,

(2) नामनिर्देशन–पत्र

(क) पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए तदर्थ नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी (..............................) को .... (स्थान का नाम) या सहायक रिटर्निंग अधिकारी (..) को .... (स्थान का नाम) पर दिनांक .... तक किसी भी कार्य दिवस को 11.00 बजे पूर्वाह्न और 3.00 बजे अपराह्न के मध्य अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिशः परिदत्त किए जा सकेंगे, और

(ख) जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के लिए तदर्थ नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी (..............................) को .... (स्थान का नाम) या सहायक रिटर्निंग अधिकारी (...................................) को .... (स्थान का नाम) पर दिनांक .... तक किसी भी कार्य दिवस को 11.00 बजे पूर्वाह्न और 3.00 बजे अपराह्न के मध्य अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिशः परिदत्त किए जा सकेंगे, और

(3) नाम निर्देशन–पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान और समयों पर अभिप्राप्त किए जा सकेंगे,

(4) नाम निर्देशन–पत्र संवीक्षा के लिए, यथास्थिति, पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित तदर्थ नियुक्त पूर्वोक्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा .... (स्थान का नाम) पर और जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित तदर्थ नियुक्त पूर्वोक्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा .... (स्थान का नाम) पर दिनांक .... को .... बजे लिए जाएंगे,

(5) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना, यथास्थिति, पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित अभ्यर्थी द्वारा तदर्थ नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी को .... (स्थान का नाम) पर और जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित अभ्यर्थी द्वारा तदर्थ नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी को .... (स्थान का नाम) पर दिनांक .... को 3.00 बजे अपराह्न से पूर्व परिदत्त की जा सकेगी,

(6) यदि आवश्यक हुआ (निर्वाचन लड़े जाने की दशा में) तो दिनांक .... को .... बजे पूर्वाह्न और .... बजे सांय के मध्य प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट पंचायत या पंचायतों के मुख्यालयों और .... (पंचायत मुख्यालय से भिन्न यदि कोई स्थान रखे गये हों तो उनके नाम) पर निश्चित मतदान बूथों पर मतदान होगा,

(7) मतों की गणना दिनांक .... को .... बजे पूर्वाह्न से .... (स्थान का नाम) पर की जाएगी।

(8) सीटों के आरक्षण की स्थिति संलग्न स्टेटमेंट में वर्णित है।

स्थान ....

तारीख ....

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)

(कलक्टर) ....

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प.2(8)लेखा/रानिआ/94/2178 दिनांक : 20.06.2019

परिपत्र

विषयः– पंचायती राज संस्थाओं के आम/उप चुनावों में अभ्यर्थियों की जब्त जमानत/अवितरित राशि का लेखा संधारण एवं राजकोष में जमा कराने के संबंध में।

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 56 एवं 58 में चुनाव में वैध मतों के 1/6 से कम मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की जमानत राशि जब्त करने संबंधी प्रावधान है। जबकि कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है, कि उक्त जब्त जमानत राशि लम्बे समय तक राजकोष में जमा नहीं करायी जाती।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–1 के नियम 6 के अनुसार राज्य सरकार की बकाया या अभिरक्षा के रूप में प्राप्त धनराशियां राज्य की संचित निधि अथवा लोक लेखा में जमा करायी जायेगी। प्राप्त राशि को समय पर राजकोष में जमा नहीं कराना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त लम्बे समय तक राजकीय जमाओं को राजकोष में जमा नहीं कराने से ऐसे धन के दुरूपयोग होने के साथ गबन की संभावना भी बनी रहती है।

अतः उक्त प्रकरण में समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांकः प.2(8)लेखा/रानिआ/94/1415 दिनांक 05.04.2018 का अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

1 सरपंच चुनाव हेतुः–

(i) सरपंच के चुनाव में अभ्यर्थिता वापस लेने (नाम निर्देशन पत्र वापस लेने) तथा जिन अभ्यर्थियों ने कुल वैध मतों के 1/6 से अधिक मत प्राप्त किये है, उनकी जमानत राशि अभ्यर्थी के आवेदन करने पर चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात लौटायी जायेगी। (प्रपत्र–1)

(ii) सरपंच पद का परिणाम घोषित होने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों, जिनके द्वारा वैध मतों के 1/6 से कम मत प्राप्त किये है, उनकी जमानत जब्त करने के आदेश प्रपत्र–2 में जारी करेगा।

(iii) जब्त तथा अवितरित राशि का लेखा रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) द्वारा प्रपत्र–3 में दो प्रतियों में तैयार किया जाकर यात्रा भत्ता प्रकोष्ठ में जमा कराया जायेगा, जिसमें से द्वितीय प्रति पर प्राप्ति रसीद यात्रा प्रकोष्ठ द्वारा दी जायेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(iv) चुनाव ड्यूटी के लिए नियोजित लेखा कर्मी जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी पदनाम से आदेश जारी करें उसका दायित्व होगा कि सरपंच के निर्वाचन हेतु नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी के चुनाव ड्यूटी से मुक्त होने से पूर्व प्रपत्र–1,2,3 मय लिफाफा संख्या पी–42 में सूचना प्राप्त की जाये।

(v) यात्रा प्रकोष्ठ से प्राप्त जमानत राशि का लेखा मय नगद धनराशि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित उपखण्ड अधिकारी (पंचायत समिति रिटर्निंग अधिकारी) को भिजवाया जायेगा। सरपंच के चुनाव की जमानत राशि का लेखा उपखण्ड अधिकारी कार्यालय (पंचायत समिति रिटर्निंग अधिकारी) में संधारित किया जायेगा।

(vi) वे अभ्यर्थी जिनकी अवितरित राशि है वे 15 दिवस के अन्दर उपखण्ड कार्यालय से जमानत राशि वापस प्राप्त कर सकेंगे (प्रपत्र–1) 15 दिवस में जमानत राशि की मांग नहीं करने पर इस राशि को अवितरित मानते हुए संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा जरिये चालान संबंधित बजट मद में राजकोष में जमा करायेगा। प्रपत्र 3(अ)

2 पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों के चुनाव हेतुः–

(i) पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद सदस्य के चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी संबंधित उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार एवं जिला कलक्टर / अतिरिक्त जिला कलक्टर होते है। पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की जमानत राशि का लेखा उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में तथा जिला परिषद सदस्य की जमानत राशि का लेखा जिला कलक्टर कार्यालय में संधारित किया जायेगा।

(ii) जमानत राशि के लौटाने की प्रक्रिया उक्तानुसार ही होगी अर्थात चुनाव में अभ्यार्थिया वापस लेने (नाम निर्देशन पत्र वापस लेने) तथा जिन अभ्यर्थियों ने कुल वैध मत के 1/6 से अधिक मत प्राप्त किये है, उनकी जमानत राशि अभ्यर्थी के आवेदन करने पर चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात् लौटायी जायेगी। (प्रपत्र–1)

(iii) पंचायत समिति / जिला परिषद सदस्यों के पद का परिणाम घोषित होने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत समिति / जिला परिषद) कुल वैध मतों के 1/6 से कम मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की जमानत राशि जब्त करने के आदेश प्रपत्र–2 में जारी करेंगे।

(iv) वे अभ्यर्थी जिनकी अवितरित राशि है, वे 15 दिवस के अन्दर रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय (उपखण्ड अधिकारी / जिला कलक्टर) से जमानत राशि वापस प्राप्त कर सकेंगे। (प्रपत्र–1) 15 दिवस में जमानत राशि की मांग नहीं करने पर इस राशि को अवितरित मानते हुए अगले 15 दिवस में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी / जिला कलक्टर) जरिये चालान संबंधित बजट मद में राजकोष में जमा करायेंगे। (प्रपत्र–4 / प्रपत्र–5)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(v) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त जिले का लेखा संधारण कर संकलित सूचना प्रपत्र–6 में 30 दिवस में राज्य निर्वाचन आयोग में प्रेषित की जायेगी तथा उक्त लेखों की जाँच अंकेक्षण के दौरान की जायेगी।

3 पंचायत चुनाव हेतु प्राप्त जब्त जमानत राशि को निम्नानुसार मद में जमा कराया जायेगाः–

0515 – अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

101 – पंचायतराज अधिनियमों में अन्तर्गत प्राप्तियां

01 – पंचायत चुनाव प्राप्तियां

4 पंचायत चुनाव में प्राप्त अवितरित जमानत राशि निम्नानुसार मद में जमा कराया जायेगाः–

8443 – सिविल जमा

00 –

103 –

00 –

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प.2(8)लेखा/रानिआ/94/2179–84 दिनांक : 20.06.2019

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. निजी सहायक, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. नगर पालिका/पंचायत चुनाव शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

प्रपत्र–1

सरपंच/पंचायत समिति सदस्यों/जिला परिषद सदस्यों द्वारा चुनाव में नाम वापस लेने अथवा कुल वैध मतों के 1/6 से कम मत प्राप्त करने की स्थिति में जमानत राशि लौटाने के आवेदन का प्रारूप

सेवा में,

रिटर्निंग अधिकारी,
ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद ....
जिला ....

विषयः– जमानत राशि लौटाने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत ..../पंचायत समिति सदस्य ..../जिला परिषद सदस्य .... पद के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया था जिसके साथ जमानत राशि रू. ..../– जरिये रसीद संख्या.........../दिनांक .... जमा करायी गयी थी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मेरी जमा जमानत राशि लौटाने का श्रम करावें, क्योंकि –

1. मैंने नाम निर्देशन पत्र नियत तिथि से पहले वापस ले लिया है।

या

2. मैंने डाले गये कुल वैध मतों के 1/6 मतों से अधिक मत प्राप्त किये है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
नाम ....
ग्राम पंचायत सरपंच/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्य ....

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी की जमानत राशि क्रम संख्या ...... में वर्णित कारण से लौटाने योग्य है।

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी से ली जाने वाली रसीद का प्रारूप

मेरे द्वारा जमा कराई गई जमानत राशि ..../– रसीद संख्या .... के पेटे आज दिनांक .... को प्राप्त कर ली गई है।

(भुगतान प्रमाणित)

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम ....

हस्ताक्षर अभ्यर्थी
नाम ....

....

नोटः– मूल रसीद प्राप्त कर संलग्न की जावें।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

<u>प्रपत्र–2</u>

पंचायत का नाम........................ पंचायत समिति...................... जिला ....

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जमानत राशि जब्त करने संबंधी प्रपत्र का प्रारूप

<u>आदेश</u>

राजस्थान पंचायत राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 56 एवं 58 के अन्तर्गत सरपंच/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्य के चुनाव में निम्नलिखित अभ्यर्थियों, को निर्वाचन क्षेत्र में डाले गये कुल वैध मतों के 1/6 से कम मत प्राप्त करने के कारण उनकी जमानत राशि जब्त की जाती है।

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	श्रेणी ";ब्"जए व्ठब्ए ळमदणए महिलाद्ध	रसीद संख्या एवं दिनांक	जमानत राशि	जब्त राशि

हस्ताक्षर
रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत)/
रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत समिति)/
रिटर्निंग अधिकारी (जिला परिषद)
नाम ....

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

<u>प्रपत्र–3</u>

पंचायत रिटर्निंग अधिकारी द्वारा यात्रा भत्ता प्रकोष्ठ में जमा कराया जाने वाला जब्त एवं अवितरित राशि के विवरण का प्रारूप

पंचायत का नाम .... पंचायत समिति का नाम .... जिला ....

सरपंच पद के चुनावों में प्राप्त जमानत राशि के विवरण का प्रारूप

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	श्रेणी ¹;ब्ए ै̃जए व्ठब्ए ळमदणए महिला½	जमानत राशि	रसीद संख्या एवं दिनांक	मौके पर लौटायी जमानत राशि का विवरण	जमा किये जाने वाली नकद जमानत राशि का विवरण		6, 7 व 8 का योग
						जब्ती योग्य जमानत राशि	अवितरित जमानत राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
योग								

कुल जमा योग्य राशि रू. ..../– अक्षरे राशि रू. .... मात्र।

रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) के हस्ताक्षर
नाम......................
ग्राम पंचायत ....

<u>प्रपत्र–3 (अ)</u>

पंचायत समिति........................... जिला ....

रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत समिति) द्वारा सरपंच चुनाव संबंधी राजकोष में जमा योग्य जब्त तथा अवितरित राशि के विवरण का प्रारूप

<u>आदेश</u>

राजस्थान पंचायत राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 56 के अन्तर्गत पंचायत समिति सदस्यों एवं सरपंच के चुनाव में जब्त अमानत राशि एवं अवितरित जमानत राशि का विवरण।

क्र.सं.	रिटर्निंग अधिकारी ग्राम पंचायत	प्रपत्र–3 में आर.ओ. पंचायत द्वारा जमा करायी गयी राशि	आर.ओ. पंचायत समिति / एस.डी.एम. द्वारा वितरित राशि	शेष जमा योग्य राशि

कुल जमा योग्य राशि रू. ..../– अक्षरे राशि रू. .... मात्र।

हस्ताक्षर
रिटर्निंग अधिकारी
पंचायत समिति...............

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

<u>प्रपत्र–4</u>

पंचायत समिति........................... जिला ....

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जब्त तथा अवितरित जमानत राशि के विवरण का प्रारूप

<u>आदेश</u>

राजस्थान पंचायत राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 58 के अन्तर्गत पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में जब्त अमानत राशि एवं अवितरित जमानत राशि का विवरण।

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	श्रेणी ॅ;बए ॅजए व्छबए ळमदणए महिलाद्ध	जमानत राशि	रसीद संख्या एवं दिनांक	जमानत राशि का विवरण		6 व 7 का योग
					जब्ती योग्य जमानत राशि	अवितरित जमानत राशि का विवरण	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							

कुल जमा योग्य राशि रू. ..../– अक्षरे राशि रू. .... मात्र।

हस्ताक्षर
रिटर्निंग अधिकारी
पंचायत समिति...............

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

प्रपत्र–5

जिला परिषद .... जिला ....

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अवितरित जमानत राशि के विवरण का प्रारूप

आदेश

राजस्थान पंचायत राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 58 के अन्तर्गत जिला परिषद सदस्य के चुनाव में जब्त अमानत राशि एवं अवितरित जमानत राशि का विवरण।

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	श्रेणी ॅ;बएॅजए व्ठबए ळमदणए महिलाद्ध	जमानत राशि	रसीद संख्या एवं दिनांक	जमानत राशि का विवरण		6 व 7 का योग
					जब्ती योग्य जमानत राशि	अवितरित जमानत राशि का विवरण	
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

कुल जमा योग्य राशि रू. ..../– अक्षरे राशि रू. .... मात्र।

हस्ताक्षर
रिटर्निंग अधिकारी
जिला परिषद ....
जिला ....

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

प्रपत्र–6

जिले का नाम ....

पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में प्राप्त जमानत राशि जमा कराने का संकलित विवरण

क्र. सं.	पंचायतीराज संस्था के पद का नाम	जमानत राशि का विवरण				4 व 6 का योग	चालान नं. / दिनांक
		जब्ती योग्य जमानत राशि		अवितरित जमानत राशि			
		अभ्यर्थियों की संख्या	राशि	अभ्यर्थियों की संख्या	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सरपंच						
2	पंचायत समिति सदस्य						
3	जिला परिषद सदस्य						
योग							

कुल राशि रू. ..../– अक्षरे राशि रू. .... मात्र।

हस्ताक्षर
जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला ....

क्रमांक : दिनांक :

प्रतिलिपिः– सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर (राजस्थान) को सूचनार्थ प्रेषित है।

हस्ताक्षर
जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला ....

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(60)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 5936 दिनांक : 12.12.2019

आदेश

1. पंचायतीराज संस्थाओं के समस्त निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K (Article 243K) के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है;

2. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं. 7178 / 2002 संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफोर्मस् और अन्य में पारित आदेश दि. 2 मई, 2002 एवं रिट याचिका सं. 490 / 2002, 509 / 2002 और 515 / 2002 में पारित निर्णय दिनांक 13 मार्च, 2003 की अनुपालना में भारत निर्वाचन आयोग, ने संसद या राज्य विधानसभा का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी से उसके नामनिर्देशन पत्र के आवश्यक भाग के रूप में **शपथित शपथ–पत्र** के माध्यम से कतिपय सूचना मांगने के लिए निदिष्ट किया गया।

3. माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त दोनों निर्णय संसद और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में **मतदाताओं को सूचना का अधिकार** सुनिश्चित करने के संदर्भ में दिये गये थे। राज्य निर्वाचन आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णयों को पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचनों में भी लागू किये जाने का निर्णय लिया है।

4. राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K (Article 243K) तथा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 2009 की धारा 17 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने पूर्व आदेशों को अधिक्रमित करते हुए निम्नलिखित निदेश देता है कि:–

   (i) **जिला परिषद / पंचायत समिति, के सदस्य** का निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी एक शपथ पत्र इस आदेश के **उपाबंध I-A** में तथा **सरपंच पद** के पद के निर्वाचन में **उपाबंध I-B** में दिये गये प्ररूप में 50 / – रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (Non Judicial stamp paper) पर नामनिर्देशन–पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा।

   (ii) उक्त शपथ पत्र न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या माननीय उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर या किसी नोटरी पब्लिक के **समक्ष सम्यक् रूप से शपथित होना चाहिए।**

   (iii) किसी भी अभ्यर्थी द्वारा शपथपत्र का न दिया जाना इस आदेश का अतिक्रमण माना जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी का नामनिर्देशन पत्र रिटर्निंग आफिसर द्वारा संवीक्षा करते समय नामंजूर करने योग्य होगा।

   (iv) शपथ पत्र में कोई कॉलम खाली नहीं छोडा जाये। यदि किसी मद (item) के संबंध में कोई सूचना नहीं है तो, ''शून्य'' या ''लागू नहीं होता'' उल्लिखित किया जाना चाहिए। शपथ पत्र के कालम खाली पाये जाने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मीमो (स्मरण पत्र) जारी किया जायेगा इसके बाद भी अभ्यर्थी द्वारा कमी पूर्ति नहीं की जाती है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Writ Petition (civil) No. 121/2008 Resurgence India vs. Election Commission of India & Anr. में पारित निर्णय दिनांक 13.09.2013 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी का नामनिर्देशन पत्र रिटर्निंग आफिसर द्वारा संवीक्षा करते समय नामंजूर करने योग्य होगा।

   (v) प्रत्येक अभ्यर्थी के शपथपत्र की फोटो प्रति रिटर्निंग आफिसर द्वारा अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी और उसकी प्रतियां अन्य समस्त अभ्यर्थियों एवं प्रिण्ट और

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को माँगे जाने पर नियमानुसार उपलब्ध कराई जावेगी।

(vi) यदि कोई अन्य अभ्यर्थी पैरा (i) में उल्लिखित पदों के निर्वाचनों के मामले में शपथपत्र के माध्यम से, प्रतिकूल सूचना देता है तो ऐसे शपथपत्र का भी ऊपर निर्दिष्ट रीति से प्रदर्शित किया जायेगा; और

(vii) रिटर्निंग अधिकारी शपथपत्र में दी गयी जानकारी की शुद्धता का सत्यापन नहीं करेगा और नामनिर्देशन पत्र को इस आधार पर अस्वीकार नहीं करेगा कि उसकी राय में दी गयी सूचना गलत है।

5. समस्त रिटर्निंग आफिसर यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोग द्वारा इस आदेश में विहित किये गये शपथपत्र की प्रतियां अभ्यर्थियों को नामनिर्देशन पत्र के भाग के रूप में नामनिर्देशन पत्रों के प्रारूपों के साथ दी जायें।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
सचिव

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014–15/5937–40 दिनांक : 12.12.2019

प्रतिलिपिः–

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत) राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) को मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी सूचनार्थ प्रेषित है।
3. स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को संबंधित को ई–मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

उपाबंध I-A

(शपथ पत्र)

जिला परिषद / पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ–पत्र।

1. नाम जिला परिषद / पंचायत समिति* ....
2. जिला परिषद / पंचायत समिति* सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या ....

मैं, ... पुत्र / पुत्री / पत्नी .... आयु .... वर्ष, जो ....(डाक का पूरा पता लिखें) का की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ / करती हूँ:–

(1) (क) मैं .... (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी हूँ।

या

(ख) मैं एक स्वतन्त्र अभ्यर्थी के रूप मे चुनाव लड़ रहा हूँ।

(2) मेरा नाम ग्राम पंचायत .... के वार्ड संख्या ....की मतदाता सूची के क्रम सं. .... पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा / मेरे संपर्क दूरभाष

(क) निवास ....

(ख) मोबाइल नं. ....

(4) आय–कर विवरणी फाईल करने की स्थिति :

क्र.सं.	नाम	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है।
1.	स्वयं	
2.	पति या पत्नी	
3.	आश्रित–1	
4.	आश्रित–2	
5.	आश्रित–3	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(5) मैं किसी लंबित मामले में पांच वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध का अभियुक्त हूँ, जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा आरोप विरचित कर दिये गये है/नहीं हूँ

(यदि अभिसाक्षी के विरूद्ध ऐसा कोई आपराधिक मामला (मामले) लंबित है तो वह निम्न सूचना भरेगा।)

मेरे विरूद्ध पांच वर्ष या अधिक अवधि के कारावास के दण्डनीय निम्न मामले लंबित है जिनमें न्यायालय द्वारा आरोप विरचित कर दिये गये हैं।

(क)	संबंधित पुलिस थाना/ जिला/राज्य के विवरण सहित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. (FIR No.)	
(ख)	संबंधित अधिनियम की धारा और जिस अपराध आरोप लगाया गया है का संक्षिप्त विवरण	
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला सं. (Case No.) और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख (Date of Order taking cognizance)	
(घ)	न्यायालय जिसके द्वारा आरोप विरचित किये गये हैं।	
(ङ)	आरोप विरचित किये जाने की तारीख	
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाहियां सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गई हैं।	

(6) मुझे आपराधिक मामले में दोषसिद्ध किया गया है/नहीं किया गया है।

यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध किया गया है तो वह निम्न सूचना देगा।

मुझे नीचे वर्णित मामलों में दोषसिद्ध किया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दण्डादेश दिया गया हैं।

(क)	मामले का विवरण, संबंधित अधिनियम की धारा और अपराध का विवरण जिसके लिए दोष सिद्ध किया गया हैं।	
(ख)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और आदेश की तारीख/माह/वर्ष	
(ग)	अधिरोपित दण्ड	
(घ)	क्या दोषसिद्धी के आदेश के विरूद्ध कोई अपील फाईल की गई है। यदि हाँ तो अपील का विवरण एवं वर्तमान स्थिति	

टिप्पणः

1. ब्यौरे स्पष्ट रूप से एवं सुपाठ्य अक्षरों में भरे जाने चाहिए।
2. प्रत्येक मद (item) के सामने विभिन्न कॉलमों के अधीन प्रत्येक मामले (case) के ब्यौरे पृथक रूप से दिये जाए।
3. ब्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिये जाने चाहिए, अर्थात नवीनतम मामलों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।
4. यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त शीट जोडी जा सकती है।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(7) यह कि मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की चल और अचल सम्पत्ति आदि **(Movable and immovable property etc.)** के ब्यौरे नीचे देता हूँ:

अ. चल सम्पत्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में सम्पत्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनियोग की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिये जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – ''आश्रित'' से अभ्यर्थी के पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी अभिप्रेत है, जिसके आय के पृथक साधन नहीं है और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित हैं।

टिप्पण 5 – प्रत्येक विनियोग के संबंध में रकम सहित ब्यौरे अलग–अलग दिए जाने हैं।

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	नकद					
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकिग वित्तीय कम्पनियों और सहकारी सोसाईटियों के पास सभी तरह की जमा का विवरण और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम					
(iii)	कंपनियों के बंधपत्रों, ऋणपत्रों/शेयरों तथा यूनिट/म्युचल फण्ड और अन्य विनियोग का विवरण और रकम					
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनियोग के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनियोग और रकम					
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम					
(vi)	मोटर वाहन/वायुयान/ याच/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)					
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (बजन और मूल्य के ब्यौरे)					
(viii)	कोई अन्य सम्पत्ति जैसे कि दावों/हित का मूल्य					
(ix)	कुल सकल मूल्य					

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

ब. अचल सम्पत्तियों के ब्यौरे –

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में सम्पत्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 1 – प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्ररूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (Location)					
	क्षेत्र (एकड़/हैक्टेयर में कुल माप)					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (Location)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(iii)	वाणिज्यिक भवन – अवस्थिति और पता (Location and address)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(iv)	आवासीय भवन/संस्थानिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित) – अवस्थिति और पता (Location and address)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)					
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (V) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य					

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देयताओं /देय राशि (Liabilities/dues) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:–

(टिप्पणः कृपया बैंक, संस्था, निकाय (entity) या व्यष्टिक (individual) के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष रकम के ब्यौरों का अलग–अलग विवरण दें)

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था ऋण या देय राशि बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति					
	उपर वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों (individual), निकाय (entity) ऋण या देय राशि नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति					
	कोई अन्य देयता (any other Liabilities)					
	देयताओं का सकल योग					
(ii)	सरकारी शोध्यः (Government dues) सरकारी आवास से संबंधित विभागों का बकाया					
	जलदाय विभाग का बकाया					
	विद्युत विभाग का बकाया					
	विकास प्राधिकरण सहित शहरी निकाय/हाउसिंग बोर्ड/पंचायतीराज संस्थाओं का बकाया					
	कोई अन्य बकाया					

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे : (Details of profession or occupation)

(क) स्वयं ....

(ख) पति या पत्नी ....

(10) आय के स्रोत के ब्यौरे – (Details of sources of income)

(क) स्वयं ....

(ख) पति या पत्नी ....

(ग) आश्रितों के ....

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(11) **समुचित सरकार, पंचायतीराज संस्थाओं और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाए–**

(क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे ....

(ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे ....

(ग) आश्रितों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे ....

(घ) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबद्ध है, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे ....

(ङ) भागीदारी फार्मो द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौर, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार हैं ....

(च) प्राईवेट कम्पनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों का हिस्सा (share) है ....

(12) **मेरी शैक्षिक योग्यता नीचे दिए अनुसार हैः–**

....

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठयक्रम पूर्ण विवरण का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुऐ विद्यालय/महाविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय–वस्तु मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है।

आज तारीख .... को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

टिप्पण : 1. शपथपत्र नाम–निर्देशन पत्र से साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2. शपथपत्र पर किसी न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3. सभी कॉलम भरे जाने चाहिए और कोई कॉलम खाली नहीं छोडा जाये। यदि किसी मद (item) के संबंध में उपलब्ध कराने के लिए कोई सूचना नहीं है तो, ''शून्य'' या ''लागू नहीं होता'' उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4. शपथपत्र या तो टंकित (typed) या सुपाठ्य रूप से साफ–साफ (legibly and neatly) लिखा होना चाहिए।

टिप्पण : 5. शपथपत्र 50/–रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (Non Judicial Stamp Paper) पर दिया जायेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

उपाबंध I-B

(शपथ पत्र)

सरपंच के चुनाव के लिए नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ–पत्र।

ग्राम पंचायत ....

मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... आयु .... वर्ष, जो ....(डाक का पूरा पता लिखें) का की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:–

(1) मैं ....उक्त ग्राम पंचायत के सरपंच पद का चुनाव लड़ रहा हूँ।

(2) मेरा नाम ग्राम पंचायत .... के वार्ड संख्या ....की मतदाता सूची के क्रम सं. .... पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे संपर्क दूरभाष

(क) निवास ....

(ख) मोबाइल नं. ....

(4) आय–कर विवरणी फाईल करने की स्थिति :

क्र.सं.	नाम	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है।
1.	स्वयं	
2.	पति या पत्नी	
3.	आश्रित–1	
4.	आश्रित–2	
5.	आश्रित–3	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(5) मैं किसी लंबित मामले में पांच वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध का अभियुक्त हूँ, जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा आरोप विरचित कर दिये गये है/नहीं हूँ

(यदि अभिसाक्षी के विरूद्ध ऐसा कोई आपराधिक मामला (मामले) लंबित है तो वह निम्न सूचना भरेगा।)

मेरे विरूद्ध पांच वर्ष या अधिक अवधि के कारावास के दण्डनीय निम्न मामले लंबित है जिनमें न्यायालय द्वारा आरोप विरचित कर दिये गये हैं।

(क)	संबंधित पुलिस थाना/ जिला/राज्य के विवरण सहित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. (FIR No.)	
(ख)	संबंधित अधिनियम की धारा और जिस अपराध आरोप लगाया गया है का संक्षिप्त विवरण	
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला सं. (Case No.) और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख (Date of Order taking cognizance)	
(घ)	न्यायालय जिसके द्वारा आरोप विरचित किये गये हैं।	
(ङ)	आरोप विरचित किये जाने की तारीख	
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाहियां सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गई हैं।	

(6) मुझे आपराधिक मामले में दोषसिद्ध किया गया है/नहीं किया गया है।

यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार दोषिसिद्ध किया गया है तो वह निम्न सूचना देगा।

मुझे नीचे वर्णित मामलों में दोषसिद्ध किया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दण्डादेश दिया गया हैं।

(क)	मामले का विवरण, संबंधित अधिनियम की धारा और अपराध का विवरण जिसके लिए दोष सिद्ध किया गया हैं।	
(ख)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और आदेश की तारीख/माह/वर्ष	
(ग)	अधिरोपित दण्ड	
(घ)	क्या दोषसिद्धी के आदेश के विरूद्ध कोई अपील फाईल की गई है। यदि हाँ तो अपील का विवरण एवं वर्तमान स्थिति	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

टिप्पणः

5. ब्यौरे स्पष्ट रूप से एवं सुपाठ्य अक्षरों में भरे जाने चाहिए।
6. प्रत्येक मद (item) के सामने विभिन्न कॉलमों के अधीन प्रत्येक मामले (case) के ब्यौरे पृथक रूप से दिये जाए।
7. ब्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिये जाने चाहिए, अर्थात नवीनतम मामलों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।
8. यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त शीट जोडी जा सकती है।

(7) यह कि मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की चल और अचल सम्पत्ति आदि **(Movable and immovable property etc.)** के ब्यौरे नीचे देता हूँ:

अ. चल सम्पत्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में सम्पत्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनियोग की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिये जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – ''आश्रित'' से अभ्यर्थी के पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी अभिप्रेत है, जिसके आय के पृथक साधन नहीं है और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित हैं।

टिप्पण 5 – प्रत्येक विनियोग के संबंध में रकम सहित ब्यौरे अलग–अलग दिए जाने हैं।

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	नकद					
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकिग वित्तीय कम्पनियों और सहकारी सोसाईटियों के पास सभी तरह की जमा का विवरण और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम					
(iii)	कंपनियों के बंधपत्रों, ऋणपत्रों/शेयरों तथा यूनिट /म्युचल फण्ड और अन्य विनियोग का विवरण और रकम					
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनियोग के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनियोग और रकम					
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम					
(vi)	मोटर वाहन/वायुयान/ याच/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)					
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (बजन और मूल्य के ब्यौरे)					
(viii)	कोई अन्य सम्पत्ति जैसे कि दावों/हित का मूल्य					
(ix)	कुल सकल मूल्य					

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

ब. अचल सम्पत्तियों के ब्यौरे –

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में सम्पत्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 1 – प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्ररूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (Location)					
	क्षेत्र (एकड़/हैक्टेयर में कुल माप)					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (Location)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(iii)	वाणिज्यिक भवन – अवस्थिति और पता (Location and address)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(iv)	आवासीय भवन/संस्थानिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित) – अवस्थिति और पता (Location and address)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)					
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (V) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य					

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देयताओं /देय राशि (Liabilities/dues) के ब्यौरे नीचे देता हूँ:–

(टिप्पणः कृपया बैंक, संस्था, निकाय (entity) या व्यष्टिक (individual) के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समक्ष रकम के ब्यौरों का अलग–अलग विवरण दें)

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था ऋण या देय राशि बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति					
	उपर वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों (individual), निकाय (entity) ऋण या देय राशि नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति					
	कोई अन्य देयता (any other Liabilities)					
	देयताओं का सकल योग					
(ii)	सरकारी शोध्यः (Government dues) सरकारी आवास से संबंधित विभागों का बकाया					
	जलदाय विभाग का बकाया					
	विद्युत विभाग का बकाया					
	विकास प्राधिकरण सहित शहरी निकाय/हाउसिंग बोर्ड/पंचायतीराज संस्थाओं का बकाया					
	कोई अन्य बकाया					

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे : (Details of profession or occupation)

(क) स्वयं ....

(ख) पति या पत्नी ....

(10) आय के स्रोत के ब्यौरे – (Details of sources of income)

(क) स्वयं ....

(ख) पति या पत्नी ....

(ग) आश्रितों के ....

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(11) **समुचित सरकार, पंचायतीराज संस्थाओं और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाए–**

(क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे ....

(ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे ....

(ग) आश्रितों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे ....

(घ) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबद्ध है, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे ....

(ङ) भागीदारी फार्मो द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौर, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार हैं ....

(च) प्राईवेट कम्पनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों का हिस्सा (share) है ....

(12) **मेरी शैक्षिक योग्यता नीचे दिए अनुसार है:–**

....

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठयक्रम पूर्ण विवरण का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुऐ विद्यालय/महाविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय–वस्तु मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है।

आज तारीख .... को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

टिप्पण : 1. शपथपत्र नाम–निर्देशन पत्र से साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2. शपथपत्र पर किसी न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण : 3. सभी कॉलम भरे जाने चाहिए और कोई कॉलम खाली नहीं छोडा जाये। यदि किसी मद (item) के संबंध में उपलब्ध कराने के लिए कोई सूचना नहीं है तो, ''शून्य'' या ''लागू नहीं होता'' उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4. शपथपत्र या तो टंकित (typed) या सुपाठ्य रूप से साफ–साफ (legibly and neatly) लिखा होना चाहिए।

टिप्पण : 5. शपथपत्र 50/–रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (Non Judicial Stamp Paper) पर दिया जायेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(61)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर –302005)

परिपत्र

क्रमांकः–F7(1)( )पंचा./रानिआ/09/9390 दिनांकः– 5 फरवरी, 2010

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत) कलेक्टर ....

विषयः– पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पंच या सदस्य निर्वाचन हेतु दो से अधिक संतानो पर निर्योग्यता के संबंध में।

....

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 (L) में वर्णित दो से अधिक संतान संबंधी निर्योग्यता के प्रावधानो के अन्तर्गत एक व्यक्ति के दो या अधिक सन्तान के बाद दूसरी पत्नि से एक और सन्तान उत्पन्न होने पर दूसरी पत्नि चुनाव लडने के लिये पात्र है अथवा नही? इस प्रश्न पर विधि विभाग की राय प्राप्त हुयी है जो इस प्रकार है :–

"It reveals that the lady who is a candidate for the panchayat election has given birth to a child. So she has only one legitimate child. The step son/ step daughter cannot be taken into consideration in respect of above disqualification having more than two children.

In view of the above, provision of Section 19 (L) of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, in respect of disqualification of having more than two children is not attracted."

अतः सूचनार्थ प्रेषित है।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग
राज., जयपुर

F:\SEC on hire (NP)\Legl\HLA.doc
Created on 10/13/2009 8:22:00 AM
334

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 5702 दिनांकः 05.12.2019

आदेश

पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 में किसी पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हताएं दी हुई है। इस धारा की खण्ड (थ) (Clause q) के प्रावधानों के अनुसार चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों के घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना चाहिए एवं उसके परिवार का कोई भी सदस्य का खुले में शौच के लिए नहीं जाना चाहिए। उक्त धारा 19(थ) के प्रावधान निम्नानुसार हैः–

19. किसी पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हताऐः–(Clause q) घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय रखता हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाता होः''

इस खण्ड के लिए स्पष्टीकरण–II इस प्रकार हैः–

(i) ''स्वच्छ शौचालय'' से तीन दीवारों, एक दरवाजे और छत से घिरी हुई कोई जल–बंध (Water sealed) शौचालय प्रणाली या व्यवस्था अभिप्रेत है; और

(ii) ''परिवार के सदस्य'' से ऐसे व्यक्ति का / की पति / पत्नी, बच्चे और ऐसे व्यक्ति के साथ निवास कर रहे उसके माता–पिता अभिप्रेत हैं।

राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 25(1) एवं 58(6) के अनुसार नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी की दोष–सिद्वी, संतान संबंधी एवं लम्बित आपराधिक प्रकरणों की सूचना प्ररूप 4–घ में लिए जाने के तो प्रावधान है, किन्तु अधिनियम की धारा 19(थ) के द्वारा अधिरोपित उक्त योग्यता की जांच हेतु अधिनियम / नियमों मे कोई व्यवस्था नहीं है। अतः राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 91–A में प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त समस्या के निराकरण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यशील स्वच्छ शौचालय के संबंध में अंडरटेकिंग / घोषणा का प्रारूप निर्धारित किया गया है, जो पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

इस सबंध में आयोग द्वारा निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि पंचायतीराज संस्थाओं के समस्त निर्वाचनों में **नाम निर्देशन पत्रों के साथ संलग्न प्रारूप में कार्यशील स्वच्छ शौचालय संबंधी घोषणा** संलग्न प्रारूप में अभ्यर्थी से ली जाए। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त प्रारूप में अंडरटेकिंग / घोषणा नहीं दी जाती है, तो उसको इस आशय का मीमो दिया जावे कि, संवीक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त घोषणा प्रस्तुत कर देवें और इसके पश्चात् भी यदि उक्तानुसार अंडरटेकिंग / घोषणा प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो उसका नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार करने योग्य होगा।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः– प. 7(1)(3) / पंचा / रानिआ / 2014 / 5703–04 दिनांक : 05.12.2019

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचायत), राजस्थान।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करने के लिए कार्यशील स्वच्छ शौचालय के संबंध में घोषणा/अंडरटेकिंग

(देखें धारा 19(थ)राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994)

मैं.. पुत्र/पुत्री/पत्नी* श्री .... निवासी .... ने जिला परिषद/पंचायत समिति* .... के निर्वाचन क्षेत्र*.............................. के सदस्य अथवा ग्राम पंचायत .... के सरपंच/पंच वार्ड संख्याक* .... के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन–पत्र प्रस्तुत किया है, मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं कि :–

(1) मेरे घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय है, जो तीन दीवारों, एक दरवाजा और छत से घिरा हुआ है। इसमें जल–बन्ध (वाटर सील्ड) शौचालय प्रणाली या व्यवस्था है।

(2) मेरे परिवार का कोई भी सदस्य (पति/पत्नी*, बच्चे एवं साथ निवास कर रहे माता/पिता) खुले में शौच के लिए नहीं जाते हैं।

दिनांक .... **हस्ताक्षर अभ्यर्थी**

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूं कि मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उपरोक्त तथ्य सही हैं।

साक्षी के हस्ताक्षर **हस्ताक्षर अभ्यर्थी**
(नाम व पता सहित)

दिनांक :
स्थानः

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

भाग—9

बूथ कैप्चरिंग / स्थगित मतदान / नए सिरे से मतदान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(63)

RAJASTHAN STATE ELECTION COMMISSION

NO.F.4 (2) (1) P.E/SEC/94/659 Dated 25 January, 1995

NOTIFICATION

S.O. 18/95 In exercise of the powers conferred by rule 48 (C) and 49 (B) of the Rajasthan Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 and all other powers enabling it in this behalf the State Election Commission hereby delegates the powers vested in it under rules 48 (A), 48 (B) and 49 (A) to all the District Election Officer (Panchayats) (Collectors) for the purposes of election of Panchas and Sarpanchas of Panchayat Circles in their respective Jurisdiction.

BY ORDER,
(DINESH KUMAR)
SECRETARY & CHIEF ELECTORAL OFFICER
STATE ELECTION COMMISSION, RAJ., JAIPUR

NO.F.4 (2) (1) P.E/SEC/94/659 Dated 25 January, 1995

Copy forwarded for information and necessary action to the:-

1. Superintendent, Government Central Press, Jaipur for publication in the Rajasthan Rajpatra extra-ordinary par-IV (C) immediately and provide 500 printed copies to the Commission at the earliest.
2. Principal Secretary to the Government & Development Commissioner, Rural Development & Panchayati Raj Department, Rajasthan, Jaipur.
3. All Divisional Commissioners.
4. Special Secretary to the Government & Director, Rural Development & Panchayati Raj Department, Rajasthan, Jaipur.
5. All District Election Officers (Panchayats) (Collectors). Please inform all concerned in this behalf and brought out it repeatedly in the training classes of the Returning Officers and Polling Parties of the Election of Panchas and Sarpanchas of Panchayat Circles.
6. All Sub-Divisional Officers.
7. P.S. to Commissioner, State Election Commission, Jaipur.
8. P.A. to Secretary, State Election Commission, Raj., Jaipur.
9. All officer to State Election Commission, Raj., Jaipur.

DEPUTY SECRETARY
STATE ELECTION COMMISSION
RAJASTHAN, JAIPUR.

भाग—10
EVM से मतदान के संबंध में

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/ईवीएम/09/6318 जयपुर, दिनांक :18 दिसम्बर 09

आदेश

सां.आ. संख्या–58/09 जिन निर्वाचनों में मत इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीनों से डाले और रिकार्ड किये जायेंगे उनके संबंध में राजस्थान पंचायती राज. (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 44–क के उपनियम (1) के उपबन्धों के अनुसार निविदत्त मतपत्र ऐसी डिजाईन का होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे। अतः राज्य निर्वाचन आयोग उक्त नियम 44–क के उपबन्धों के अनुसरण में एतत्द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि निविदत्त मतपत्र उसी मतपत्र की डिजाईन में होगा जो इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन के मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने के लिए विहित किया हुआ है तथा उसकी पीठ पर "निविदत्त मतपत्र" स्टाम्पित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(आर. के. जैन)
सचिव

क्रमांकः एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/ईवीएम/09/6319–21 जयपुर, दिनांक : 18-12-09

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज. विभाग, राज., जयपुर।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत (कलेक्टर) राजस्थान को भेजकर निवेदन है कि उक्त ओदश की प्रति समस्त रिटर्निंग अधिकारी को भी कृपया उपलब्ध करावें।
3. समस्त शाखायें, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

(आर. के. पारीक)
उप सचिव

D:\SEC on hire (NP)\Panchayat\F7(1)(1)panch EVM 09.doc
Created on 16/12/2009 13:23:00
5

(65)

राज्य निर्वाचन आयोग,राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.1(2)(1)/नपा–पंचा/सां.आ./रानिआ/14/5736 दिनांक : 05.12.2019

आदेश

सा.आ. 130/2019 – राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 अध्याय–4क के उपबन्धों के अनुसार मतों को इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीनों द्वारा निर्धारित रीति से डाले और रिकार्ड किये जाने के प्रावधान विहित किए हुए हैं। उक्त नियमों के नियम 33–ख के खण्ड (क) के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों और उनके चिन्हों को अन्तर्विष्ट करने वाला मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान यूनिट में लगाया जायेगा। चूंकि उक्त नियमों के नियम 39–क के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक मतपत्र ऐसे प्ररूप में होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जावे। उक्त नियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा आदेश क्रमांक 9508 दिनांक 17.12.2014 (सांविधिक आदेश संख्या 103/2014) ऐसे मतपत्र हेतु प्ररूप विहित किया हुआ है।

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 39–क (1) के उपबन्धों के अनुसरण में आयोग द्वारा, आदेश क्रमांक 9508 दिनांक 17.12.2014 (सांविधिक आदेश संख्या 103/2014) को अधिक्रमित करते हुए, **जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच एवं पंच के निर्वाचन हेतु** मतदान यूनिट मे प्रदर्शित किये जाने वाले मतपत्र का प्ररूप निम्न प्रकार विहित करता है :–

A. इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड़ (ECIL) द्वारा निर्मित मल्टी पोस्ट सिंगल वोट मशीनों हेतु सामान्य जानकारी :–

- **ECIL** द्वारा मल्टी पोस्ट सिंगल वोट इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (**EVM**) जो राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के लिए निर्मित की गई है। इन मशीनों का रंग गुलाबी होगा जो किसी अन्य राज्य को आवंटित नहीं किया जायेगा एवं इन मशीनों पर **SEC Rajasthan** अंकित होगा।
- इन मशीनों के द्वारा एक ही कन्ट्रोल यूनिट (**CU**) से एक से अधिक पदों के लिए निर्वाचन कराया जा सकता है, किन्तु एक पद के लिए निर्वाचन में इन मशीनों को सिंगल पोस्ट सिंगल वोट मशीनों की तरह उपयोग में लाया जा सकता है।
- एक कन्ट्रोल यूनिट (**CU**) के साथ अधिकतम चार बैलेट यूनिट (**BU**) जोड़ी जा सकती हैं।
- ईवीएम की बैलेट यूनिट (**BU**) पर कुल 16 पैनल अंकित है किन्तु चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों (नोटा सहित) के लिए 15 पैनल ही उपयोग में लेने है। बैलेट यूनिट (**BU**) के अंतिम पैनल में **End Button** स्थापित हैं, जो ईवीएम में निर्वाचन से संबंधित **Setting** को **Save** करने के उपयोग में लाया जायेगा। किसी भी निर्वाचन में एक से अधिक बैलेट यूनिट (**BU**) का उपयोग होने की स्थिति में भी निर्वाचन संबंधी **Setting** के लिए प्रथम बैलैट यूनिट (**BU**) का **End Button** ही उपयोग में आएगा अन्य बैलेट यूनिट (**BU**) का नहीं।
- एक पद के लिए निर्वाचन होने की स्थिति में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (**EVM**) में निर्वाचन संबंधी **Setting** के बाद मतदान के लिए उपयोग में लाई जा रही बैलेट यूनिट/यूनिटों (**BU**) के **End Button** को बन्द (**Mask**) रखा जायेगा।
- दो पदों का निर्वाचन एक साथ होने की स्थिति में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (**EVM**) में निर्वाचन संबंधी **Setting** के बाद मतदान के लिए यदि एक से अधिक बैलेट यूनिटें (**BU's**) उपयोग में लाई

जा रहीं हैं तो अंतिम बैलेट यूनिट (BU) को छोडकर शेष सभी बैलेट यूनिटों के अंतिम End Button को बन्द (Mask) रखा जायेगा।

ECIL द्वारा निर्मित उक्त मल्टी पोस्ट सिंगल वोट इलेक्ट्रोनिक्स वोटिंग मशीनों के लिए मतपत्र का प्रारूप निम्न प्रकार विहित किया जाता हैः–

1. मतपत्र की कुल लम्बाई 458 मिलीमीटर होगी और उसकी चौड़ाई 138 मिलीमीटर होगी।
2. मतपत्र के ऊपर 12.7 मिलीमीटर ऊंचाई में और 138 मिलीमीटर चौड़ाई में खाली जगह होगी।
3. उक्त मद संख्या–2 में वर्णित मतपत्र के ऊपर खाली जगह के ठीक नीचे दो मिलीमीटर की आर–पार मोटी लाईन होगी।
4. उक्त मद संख्या–3 में वर्णित लाईन के नीचे प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम तथा उसे आवंटित प्रतीक प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए पृथक पैनल में मुद्रित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नाम के नीचे नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक भी पृथक पैनल में मुद्रित होगा।
5. निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी का पैनल 25.4 एम.एम. ऊंचाई में और 138 एम.एम. चौड़ाई के आकार में होगा।
6. अभ्यर्थियों के पैनल एक दूसरे से दो एम.एम. मोटी लाईन से पृथक किये जायेंगे। तथा अंतिम अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प का पैनल भी एक दूसरे से दो एम.एम. मोटी लाईन से पृथक किया जायेगा।
7. मतपत्र का क्रम संख्यांक, निर्वाचन की विशिष्टयां तथा शीट नम्बर मतपत्र के बायीं ओर एक आड़े कॉलम (Vertical Coulmn) में मुद्रित किये जायेंगे और ऐसे आडे कॉलम को अभ्यर्थियों के नाम व नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प तथा चिन्हों वाले पैनल से एक मोटी लाईन से पृथक किया जायेगा।
8. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र में उसी क्रम में आयेंगे जिस क्रम में वे चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में वर्णित हैं। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प उपलब्ध होगा।
9. जहाँ चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) 15 या इससे कम है, वहाँ अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र की एक शीट पर व्यवस्थित किये जायेंगे अर्थात् मतपत्र एक ही शीट में मुद्रित होगा। अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) 15 से कम होने की स्थिति में नोटा के पैनल से नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।
10. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 15 से अधिक एवं नोटा सहित 30 या इससे कम है तो मतपत्र दो शीटों में मुद्रित होगा। प्रथम शीट पर 1 से 15 तक के अभ्यर्थी व्यवस्थित किये जायेगें और द्वितीय शीट पर 16 से 30 तक के अभ्यर्थी (नोटा सहित) व्यवस्थित किये जायेगें। अभ्यर्थियों की संख्या 30 से कम होने की स्थिति में द्वितीय शीट में अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

    उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थियों की संख्या 25 है तो 1 से 15 तक के अभ्यर्थी प्रथम शीट पर एवं 16 से 25 तक के अभ्यर्थी द्वितीय शीट पर एवं 25 वें अभ्यर्थी के बाद नोटा का विकल्प दिया जायेगा। नोटा के बाद का स्थान खाली रखा जायेगा।

11. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 30 से अधिक एवं नोटा सहित 45 या इससे कम है तो मतपत्र तीन शीटों में मुद्रित होगा। प्रथम शीट पर 1 से 15 तक के अभ्यर्थी, द्वितीय शीट पर 16 से 30 तक के अभ्यर्थी एवं तृतीय शीट पर 31 से 45 तक के अभ्यर्थी (नोटा सहित) व्यवस्थित किये जायेगें। अभ्यर्थियों की संख्या

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

45 से कम होने की स्थिति में तृतीय शीट में अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थियों की संख्या 40 है तो 1 से 15 तक के अभ्यर्थी प्रथम शीट पर, 16 से 30 तक के अभ्यर्थी द्वितीय शीट पर एवं 31 से 40 तक के अभ्यर्थी तृतीय शीट पर एवं 40 के बाद नोटा का विकल्प दिया जायेगा। नोटा के बाद का स्थान खाली रखा जायेगा।

12. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 45 से अधिक एवं नोटा सहित 60 या इससे कम है तो मतपत्र चार शीटों में मुद्रित होगा। प्रथम शीट पर 1 से 15 तक के अभ्यर्थी, द्वितीय शीट पर 16 से 30 तक के अभ्यर्थी, तृतीय शीट पर 31 से 45 तक के अभ्यर्थी एवं चतुर्थ शीट पर 46 से 60 तक के अभ्यर्थी नोटा सहित व्यवस्थित किए जाएगें। अभ्यर्थियों की संख्या 60 से कम होने की स्थिति में चतुर्थ शीट पर अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

    उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थियों की संख्या 55 है तो 1 से 15 तक के अभ्यर्थी प्रथम शीट पर, 16 से 30 तक के अभ्यर्थी द्वितीय शीट पर, 30 से 45 तक के अभ्यर्थी तृतीय शीट पर एवं 46 से 55 तक के अभ्यर्थी चतुर्थ शीट पर एवं 55 के बाद नोटा का विकल्प दिया जायेगा। नोटा के बाद का स्थान खाली रखा जायेगा।

13. यदि किन्ही स्थितियों में अभ्यर्थियों की संख्या 15/30/45 है (नोटा सम्मिलित नहीं), तो मतपत्र क्रमशः दो/तीन/चार शीटों में मुद्रित होगा एवं द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ शीट पर सिर्फ नोटा का विकल्प ही अंकित किया जाएगा। नोटा से नीचे के सभी पैनल खाली रहेगें।
14. यदि मतपत्र की एक से अधिक शीट होती है वहाँ मद संख्या 7 में वर्णित आड़े कॉलम, जिसमें कि मतपत्र का क्रम संख्यांक और निर्वाचन की विशिष्टयां अंकित करने के लिये स्थान छोड़ा गया है, में ही शीट की क्रम संख्यांक दर्शित करते हुए शब्द व अंक मोटे अक्षरों में यथा शीट नम्बर–1, शीट नम्बर–2 आदि मुद्रित किया जायेगा।
15. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प हिन्दी में देवनागरी लिपि में लिखे जायेंगे। निर्वाचन की विशिष्टयां और शीट नम्बर भी हिन्दी में देवनागिरी लिपि में रखे जायेंगे।
16. अभ्यर्थियों के लिये निर्दिष्ट पैनल में बाँई ओर क्रम संख्या के साथ अभ्यर्थियों का नाम मुद्रित होगा तथा पैनल में दाईं ओर उन्हें आवंटित निर्वाचन प्रतीक मुद्रित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नीचे नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प बांई ओर तथा उसके लिए निर्धारित प्रतीक दांई ओर होगा।
17. मतपत्र पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए नीले, जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन के लिए पीले, सरपंच के निर्वाचन के लिए सफेद एवं पंच के निर्वाचन के लिए गुलाबी रंग के कागज पर मुद्रित होगा।

B. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL) एवं इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड़ (ECIL) द्वारा निर्मित अन्य मॉडल की मशीनों हेतु

1. मतपत्र की कुल लम्बाई 461.5 मिलीमीटर होगी और उसकी चौड़ाई 138 मिलीमीटर होगी।
2. मतपत्र के ऊपर 7.50 मिलीमीटर ऊंचाई में और 138 मिलीमीटर चौड़ाई में खाली जगह होगी।
3. उक्त मद संख्या–2 में वर्णित मतपत्र के ऊपर खाली जगह के ठीक नीचे एक मिलीमीटर की आर–पार मोटी लाईन होगी।
4. उक्त मद संख्या–3 में वर्णित लाईन के नीचे प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम तथा उसे आवंटित प्रतीक प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए पृथक पैनल में मुद्रित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नाम

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

के नीचे नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक भी पृथक पैनल में मुद्रित होगा।

5. प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का पैनल 27.5 एम.एम. ऊंचाई में और 138 एम.एम. चौड़ाई के आकार में होगा।

6. अभ्यर्थियों के पैनल एक दूसरे से एक एम.एम. मोटी लाईन से पृथक किये जायेंगे। तथा अंतिम अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प का पैनल भी एक दूसरे से 1 एम.एम. मोटी लाईन से पृथक किया जायेगा।

7. मतपत्र का क्रम संख्यांक, निर्वाचन की विशिष्टयां तथा शीट नम्बर मतपत्र के बायीं ओर एक आड़े कॉलम (Vertical Coulmn) में मुद्रित किये जायेंगे और ऐसे आडे कॉलम को अभ्यर्थियों के नाम व नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प तथा चिन्हों वाले पैनल से एक मोटी लाईन से पृथक किया जायेगा।

8. चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र में उसी क्रम में आयेंगे जिस क्रम में वे चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में वर्णित हैं। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प उपलब्ध होगा।

9. जहाँ चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) 16 या इससे कम है, वहाँ अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र की एक शीट पर व्यवस्थित किये जायेंगे अर्थात् मतपत्र एक ही शीट में मुद्रित होगा। अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) 16 से कम होने की स्थिति में नोटा के पैनल से नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

10. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 16 से अधिक एवं नोटा सहित 32 या इससे कम है तो मतपत्र दो शीटों में मुद्रित होगा। प्रथम शीट पर 1 से 16 तक के अभ्यर्थी व्यवस्थित किये जायेगें और द्वितीय शीट पर 17 से 32 तक के अभ्यर्थी (नोटा सहित) व्यवस्थित किये जायेगें। अभ्यर्थियों की संख्या 32 से कम होने की स्थिति में द्वितीय शीट में अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

    उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थियों की संख्या 25 है तो 1 से 16 तक के अभ्यर्थी प्रथम शीट पर एवं 17 से 25 तक के अभ्यर्थी द्वितीय शीट पर एवं 25 वें अभ्यर्थी के बाद नोटा का विकल्प दिया जायेगा। नोटा के बाद का स्थान खाली रखा जायेगा।

11. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 32 से अधिक एवं नोटा सहित 48 या इससे कम है तो मतपत्र तीन शीटों में मुद्रित होगा। प्रथम शीट पर 1 से 16 तक के अभ्यर्थी, द्वितीय शीट पर 17 से 32 तक के अभ्यर्थी एवं तृतीय शीट पर 33 से 48 तक के अभ्यर्थी (नोटा सहित) व्यवस्थित किये जायेगें। अभ्यर्थियों की संख्या 48 से कम होने की स्थिति में तृतीय शीट में अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

    उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थियों की संख्या 40 है तो 1 से 16 तक के अभ्यर्थी प्रथम शीट पर, 17 से 32 तक के अभ्यर्थी द्वितीय शीट पर एवं 33 से 40 तक के अभ्यर्थी तृतीय शीट पर एवं 40 के बाद नोटा का विकल्प दिया जायेगा। नोटा के बाद का स्थान खाली रखा जायेगा।

12. यदि अभ्यर्थियों की संख्या 48 से अधिक एवं नोटा सहित 64 या इससे कम है तो मतपत्र चार शीटों में मुद्रित होगा। प्रथम शीट पर 1 से 16 तक के अभ्यर्थी, द्वितीय शीट पर 17 से 32 तक के अभ्यर्थी, तृतीय शीट पर 33 से 48 तक के अभ्यर्थी एवं चतुर्थ शीट पर 49 से 64 नोटा सहित तक के अभ्यर्थी व्यवस्थित किए जाएगें। अभ्यर्थियों की संख्या 64 से कम होने की स्थिति में चतुर्थ शीट पर अंतिम अभ्यर्थी के नीचे अंकित नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के पैनल के नीचे का स्थान खाली रखा जायेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

उदाहरणार्थ यदि अभ्यर्थियों की संख्या 55 है तो 1 से 16 तक के अभ्यर्थी प्रथम शीट पर, 17 से 32 तक के अभ्यर्थी द्वितीय शीट पर, 33 से 48 तक के अभ्यर्थी तृतीय शीट पर एवं 49 से 55 तक के अभ्यर्थी चतुर्थ शीट पर एवं 55 के बाद नोटा का विकल्प दिया जायेगा। नोटा के बाद का स्थान खाली रखा जायेगा।

13. यदि किन्ही स्थितियों में अभ्यर्थियों की संख्या 16/32/48 है (नोटा सम्मिलित नहीं), तो मतपत्र क्रमशः दो/तीन/चार शीटों में मुद्रित होगा एवं द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ शीट पर सिर्फ नोटा का विकल्प ही अंकित किया जाएगा। नोटा से नीचे के सभी पैनल खाली रहेगें।

14. यदि मतपत्र की एक से अधिक शीट होती है वहाँ मद संख्या 7 में वर्णित आड़े कॉलम, जिसमें कि मतपत्र का क्रम संख्यांक और निर्वाचन की विशिष्टयां अंकित करने के लिये स्थान छोड़ा गया है, में ही शीट की क्रम संख्यांक दर्शित करते हुए शब्द व अंक मोटे अक्षरों में यथा शीट नम्बर–1, शीट नम्बर–2 आदि मुद्रित किया जायेगा।

15. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) हेतु विकल्प हिन्दी में देवनागरी लिपि में लिखे जायेंगे। निर्वाचन की विशिष्टयां और शीट नम्बर भी हिन्दी में देवनागिरी लिपि में लिखे जायेंगे।

16. अभ्यर्थियों के लिये निर्दिष्ट पैनल में बाँई ओर क्रम संख्या के साथ अभ्यर्थियों का नाम मुद्रित होगा तथा पैनल में दाईं ओर उन्हें आवंटित निर्वाचन प्रतीक मुद्रित होगा। इसी प्रकार अंतिम अभ्यर्थी के नीचे नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प बांई ओर तथा उसके लिए निर्धारित प्रतीक दांई ओर होगा।

18. मतपत्र पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए नीले, जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन के लिए पीले, सरपंच के निर्वाचन के लिए सफेद एवं पंच के निर्वाचन के लिए गुलाबी रंग के कागज पर मुद्रित होगा।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः एफ.1(2)(1)/नपा–पंचा/सां.आ./रानिआ/14/5737–41 दिनांक : 05.12.2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, राजस्थान मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
3. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।
4. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु ई–गजट पर अपलोड करने/समस्त संबंधितों को ई–मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
5. लेखा/कम्प्यूटर/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.7(1)(1)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 6049 दिनांक : 16.12.2019

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषयः–पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के निर्वाचनों में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों से मतदान की स्थिति में मतगणना हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अध्याय IV के नियम 49 में पंच पद की मतगणना से संबंधित उपबंध दिए गए है तथा इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों से मतगणना हेतु अध्याय IV–क के नियम 49–डी में पंच पद के चुनाव के लिए प्रावधान विहित किए हुए है। पंच पद के उक्त प्रावधान नियम 58(5) के अन्तर्गत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू किए गए है।

पंचायतीराज संस्थाओं में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचनों में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों से मतदान होने की स्थिति में उक्त प्रावधानों की पालना एवं मतगणना कार्य के सफल संचालन के लिए आयोग द्वारा निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं:–

1. **सामान्य किन्तु ध्यान देने योग्य बिन्दु :–**
   1. मतगणना निर्वाचन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है, इसलिए आपको मतगणना का कार्य अत्यधिक सर्तकता से करना है।
   2. वोटिग मशीन से मतदान होने पर मतगणना मतदान केन्द्रवार (बूथवार) होती है। मतगणना दोष–रहित हो और निर्वाचन के परिणाम के बारे में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता के मन में कोई भ्रम नहीं रहे, इसके लिये प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और व्यवस्था सही रखी जाये।
   3. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL) एवं इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) की सिंगल पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम (M-2, MK-4, MK-5 Model) से निर्वाचन की स्थिति में दोनों पदों के लिए कन्ट्रोल एवं बैलेट यूनिटें पृथक–पृथक होगीं। अतः मतगणना कार्य पृथक–पृथक कक्षों में कराया जाएग। वहीं इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) ईवीएम से निर्वाचन होने पर कन्ट्रोल यूनिट एक ही होगी, अतः ऐसी स्थिति में अध्यक्षीय एवं सदस्य दोनों पदों के लिए मतगणना कार्य एक ही कक्ष में कराया जाएगा।
   4. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL) एवं इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) की सिंगल पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम (M-2, MK-4, MK-5 Model) से निर्वाचन की स्थिति में जिला परिषद् सदस्य के लिये प्रयोग की गई कन्ट्रोल यूनिट एवं उसके कैरिंग बक्से पर **पीला** स्टिकर लगा होगा व पंचायत समिति सदस्य चुनाव वाली यूनिट पर **नीले** रंग का स्टीकर लगा होगा। इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) ईवीएम से जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य दोनों पदों के लिए निर्वाचन होने की स्थिति में कन्ट्रोल यूनिट एक ही होगी, इसलिए उक्त कन्ट्रोल यूनिट पर स्टीकर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु यदि उक्त कन्ट्रोल यूनिट सिर्फ जिला परिषद सदस्य अथवा पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन अर्थात् एक ही पद हेतु उपयोग में लाई जाती है तो सिंगल

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम की तरह इन कन्ट्रोल यूनिटों पर भी यथा स्थिति स्टीकर लगायें जाएगें।

2. **कानूनी प्रावधानः—**

1. ऐसे निर्वाचनों, जहॉ मतदान मशीने प्रयुक्त की जाती है, में मशीनों के परिवहन व सुरक्षित अभिरक्षा तथा मतगणना सम्बन्धी कानूनी प्रावधान राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 49—क, 51, 54, 55—क, 47—घ, 49—ग, 49—घ, 50—क, 52—क एवं 53—क में बताये गये है। नियम 58 के अनुसार पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य के चुनाव में उक्त नियम यथाशक्य परिवर्तनों के साथ लागू किए गये है। निर्वाचन अभिकर्ता तथा गणन अभिकर्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अध्याय—10 में बताये गये हैं। निर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाने संबंधी प्रावधान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 24 एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 75 एवं 76 में बताये गये है। इसके अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्रों की गणना के लिये आदेश क्रमांक 5776 दिनांक 05.12.2019 (सां. आ. 135/2019) के अनुसार रीति विहित की है।
2. उक्त कानूनी प्रावधानों में मतगणना के समय और स्थान, गणना के लिये नियत स्थान में प्रवेश, डाक मतपत्रों की गणना, मतदान मशीनों की संवीक्षा और निरीक्षण, मतदान की गोपनीयता को बनाये रखने, लगातार गणना, नये मतदान के पश्चात गणना के पुनरारम्भ, मतों की पुनर्गणना, निर्वाचन के परिणाम की घोषणा और निर्वाचित अभ्यर्थी को शपथ दिलाने, मतदान मशीनों में रिकार्ड किये गये मतों की वास्तविक गणना करने और गणना के पश्चात् मशीनों एवं निर्वाचन कागजात को सील करने के लिए भी प्रक्रिया बताई गई है।

3. **मतगणना की तारीख, स्थान और समयः—**

1. आयोग के द्वारा घोषित मतगणना कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, मतगणना की तारीख और समय रिटर्निंग अधिकारी को नियम 49—घ के अन्तर्गत नियत करनी है।
2. मतों की गणना जिला मुख्यालय पर ही की जायेगी, जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के दिशा निर्देश पर रिटर्निंग अधिकारी को स्थान निर्धारित करना है।
3. मतों की गणना, यथासंभव एक ही भवन में की जाये। जिन जिलों में पंचायत समिति/जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र तथा मतदान बूथ अधिक है, वहां जिला निर्वाचन अधिकारी दो भवनों का भी चयन कर सकते है, लेकिन प्रयास यह रहे कि भवन पास—पास हो। जिला परिषद् सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना पृथक—पृथक हॉल/कक्ष में की जाये। यदि हॉल बडा है तो उसे एक से अधिक कक्षों में अस्थाई पार्टीसन से विभाजित कर एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना भी की जा सकती है। यथासंभव प्रत्येक कक्ष का प्रभारी उपलब्धता के अनुसार पृथक सहायक रिटर्निंग अधिकारी हो।
4. गणना की तारीख, समय और स्थान के संबंध में आपको प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित में सूचना देनी होगी। यह सूचना प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को मतदान की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पूर्व दी जानी चाहिये। यदि किसी अपरिहार्य कारण से इस प्रकार नियत तथा अभ्यर्थियों को सूचित की गयी तारीख या समय या स्थान में परिवर्तन होता है तो आपको ऐसे परिवर्तन की सूचना पुनः प्रत्येक अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित में देनी चाहिए।
5. यह आवश्यक है कि मतगणना हॉल पर्याप्त बडे हो जिसमें आपके लिए कार्मिकों, अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए पर्याप्त स्थान हो। वहां पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। मतों की गणना अस्थायी ढाचें में नहीं की जानी चाहिए। मतगणना भवन के परिसर में सुरक्षा की दोहरी व पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि परिसर में भीड—भाड भी न हो।

4. **गणना करने हेतु टेबिलों की संख्या और उनकी व्यवस्थाः—**

1. जिला परिषद् सदस्य व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की मतगणना पृथक—पृथक कक्ष/हॉल में होगी, यह दृष्टिगत रखते हुये पहले से ही यह निश्चय कर लें कि आप प्रत्येक गणना स्थान पर कितनी गणना मेजें रखना चाहते हैं, क्योंकि इसी बात पर निर्भर करेगा कि आपको कितने गणना

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

पर्यवेक्षकों और कितने गणना सहायकों की नियुक्ति करनी होगी और प्रत्येक अभ्यर्थी कितने गणन अभिकर्ता नियुक्त करने का हकदार होगा।

2. जहां एक कक्ष में एक से अधिक टेबिल लगायी जायें वहां टेबिलों को क्रम संख्यांकित किया जाये। टेबिलों के मध्य गणन पर्यवेक्षकों, गणन सहायकों, अभ्यर्थियों/ऐजेन्टों को बैठने के लिए पर्याप्त स्थान छोडा जाना चाहिए।
3. एक कक्ष में एक साथ एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की गणना की जा सकेगी। लेकिन एक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना पूरी होने के बाद ही संबंधित टेबिलों पर अन्य निर्वाचन क्षेत्र की गणना का कार्य लिया जाये किन्तु यदि आप एक साथ एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए गणना कार्य करना चाहे तो आप यह सुनिश्चित कर लेवें कि मतगणना स्थल पर इस हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो एवं मतगणना कार्य की गोपनीयता बनी रहें। जिस समय जिस निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना हो रही हो, उस दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थियों/एजेण्टों को ही मतगणना कक्ष में रहने दिया जाये, और जिन निर्वाचन क्षेत्रों को मतगणना में लिया जाना शेष है, उनके अभ्यर्थियों/एजेण्टों को मतगणना केन्द्र के भवन में ही एक नियत कक्ष में इन्तजार करने हेतु कहा जाये।

5. गणन पर्यवेक्षक/गणन सहायक एवं रिटर्निंग अधिकारी के सहायकः–

1. रिटर्निंग अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर गणन पर्यवेक्षक व गणन सहायक नियुक्त करेगा। एक टेबिल पर एक गणन–पर्यवेक्षक और एक गणन सहायक नियुक्त करना है।
2. गणन पर्यवेक्षक राजपत्रित या समकक्ष अधिकारियों को नियुक्त किया जाए जो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों या राज्य सरकार के अधीनस्थ निगमों, मण्डलों, संस्थानों के भी हो सकते है। गणन सहायक भले ही राजपत्रित स्तर के न हो, लेकिन यथासंभव पर्यवेक्षकीय पदों (Supervisory Post) पर कार्यरत कर्मचारियों के स्तर के हो। किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी से जुडे हुये व्यक्ति गणन पर्यवेक्षक या गणन सहायक नियुक्त नहीं किए जाएं। गणन पर्यवेक्षक व गणन सहायक निष्पक्ष व कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी/अधिकारी होने चाहिए। गणन पर्यवेक्षकों व सहायकों (रिजर्व स्टाफ सहित) को भली–भॉति प्रशिक्षण दिया जाना भी आवश्यक है।
3. गणन पर्यवेक्षकों एवं गणन सहायकों के अतिरिक्त रिटर्निंग अधिकारी इवीएम/एसडीएमएम (यदि मल्टी पोस्ट सिंगल वोट मशीने उपयोग में ली गई हैं) व अन्य निर्वाचन संबंधी कागजात को सील करने, के लिये भी सहायकों की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमोदन से करेगा।

6. गणन अभिकर्ताओं की संख्या व उनकी नियुक्तिः–

1. नियम 70 के अनुसार अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतगणना के समय उसकी ओर से उपस्थित रहने के लिये गणन अभिकर्ता प्ररूप–10 में नियुक्त कर सकता है। गणन अभिकर्ताओं की संख्या गणना के लिये लगायी गयी टेबिलों, जिसमें रिटर्निंग अधिकारी की टेबिल भी शामिल है, की संख्या से अधिक नहीं होगी तथा एक रीलीफ (Relief) ऐजेन्ट भी नियुक्त हो सकता है। एक अभ्यर्थी प्ररूप–10 में एक पत्र पर एक से अधिक अभिकर्ताओं की नियुक्ति भी कर सकता है। अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता जिन व्यक्तियों को गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करें तो ऐसे नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के हस्ताक्षर ऐसी नियुक्ति की सहमति के रूप में होने आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर गणन अभिकर्ता की सहमति के रूप में नहीं हो तो उसकी नियुक्ति मान्य नहीं होगी।
2. मतगणना केन्द्रों पर मतगणना अभिकर्ताओं को निर्धारित प्ररूप में उनके नियुक्ति पत्रों व बैजों की जांच उपरान्त ही प्रवेश करने दिया जाये। नियुक्ति पत्रों एवं बैजों पर मतगणना अभिकर्ताओं का स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित एवं अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रमाणित फोटो होना आवश्यक है। ये नियुक्ति पत्र मय दो फोटो के अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के द्वारा मतगणना के दिन से कम से कम दो दिन पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत होना आवश्यक है। उक्त दोनों फोटो भी अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।
3. उक्त नियुक्ति पत्र की दो प्रतियों में से एक प्रति फोटो लगाकर रिटर्निंग अधिकारी उसी समय संबंधित अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता को लौटा देवे। साथ ही दूसरी फोटो का उपयोग करते हुये

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

मतगणना अभिकर्ता के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा फोटो युक्त बैज भी जारी किया जायेगा। फोटो युक्त बैज में टेबल क्रमांक व अभ्यर्थी का नाम व निर्वाचन का विवरण तथा निर्वाचन क्षेत्र संख्या भी अंकित हो। उक्त अनुमोदित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र एवं फोटो युक्त बैज के आधार पर ही मतगणना केन्द्र में प्रवेश करने दिया जावे।

4. मतगणना के प्रारम्भ होने से कम से कम आधा घण्टा पूर्व गणन अभिकर्ता प्ररूप–10 की घोषणा पढकर उस पर रिटर्निंग अधिकारी या नियम 58 के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी को प्रस्तुत करेगा एवं उसके समक्ष उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा।
5. गणन अभिकर्ताओं, संबंधित अभ्यर्थियों एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं को यह स्पष्ट रूप से बता दिया जाये कि गणना कार्य के बीच में गणना कक्ष से बाहर जाने नहीं दिया जायेगा और यदि बाहर जाता है तो उसे पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा ताकि मतगणना हाल में व्यवस्था बनी रहें एवं गोपनीयता भंग नहीं हो।
6. गणन अभिकर्ताओं को दिये जाने वाले समस्त बैजों का इन्द्राज पृथक रजिस्टर में भी किया जायेगा। बैजों को क्रम संख्यांक दिये जायेगें तथा बैजों पर रिटर्निंग अधिकारी की सील भी लगाई जायेगी। मतगणना के दिन, मतगणना केन्द्र के भवन में बिना बैज व बिना नियुक्ति पत्र के गणन अभिकर्ताओं को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
7. अभ्यर्थी एवं उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी फोटो युक्त बैज दिये जायेंगे।
8. गणन अभिकर्ताओं के लिये की गई उपरोक्त व्यवस्था के बारे में संबंधित राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय पूर्व, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सूचित किया जायेगा। अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी रिटर्निंग अधिकारी उपरोक्त व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम–49 घ के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचना के साथ ही अवगत कराये।
9. जिला स्तर पर राजनीतिक दलों को उपरोक्त व्यवस्था के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी भी सूचित करेंगे।
10. गणन अभिकर्ता गणना कक्ष में आवंटित की गई टेबिल पर ही बैठ सकेगा अन्यत्र नहीं। मात्र अभ्यर्थी व उसके निर्वाचन अभिकर्ता को किसी भी टेबिल पर जाने का अधिकार होगा।
11. मतगणना कक्ष में जिस निर्वाचन क्षेत्र या जिन निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना हो रही है, इनसे संबंधित अभ्यर्थियों व अभिकर्ताओं को ही गणना हाल में तत्समय रहने दें, शेष को किसी अन्य कक्ष में इन्तजार करने हेतु उनके बैठने की व्यवस्था भी की जाये।

7. गणना मेजों पर अपेक्षित लेखन सामग्रीः–

प्रत्येक मतगणना मेज पर निम्नलिखित लेखन सामग्री की व्यवस्था करेंः–

1. एक नीली स्याही का बाल–पाइंट पेन,
2. सीलों को तोडकर खोलने के लिए चाकू या ब्लेड,
3. प्ररूप 14 के भाग 1 में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा,
   (इस प्ररूप के भाग 2 में गणना पर्यवेक्षक द्वारा गणना का परिणाम लिखा जायेगा)
4. कागज की दो शीट।

8. गणना कक्ष में अनुशासनः–

गणना कक्ष में धुम्रपान करना पूर्णतः वर्जित रहेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतगणना के दौरान रिटर्निग अधिकारी के विधि सम्मत् निर्देशों का पालन नहीं करता है या अवचार करता है तो उसे मतगणना कक्ष से बाहर निकाल दिया जायेगा, जिसके लिये मतगणनाकक्ष के बाहर मौजूद पुलिस अधिकारी की मदद ली जा सकती है। रिटर्निंग अधिकारी को यह आश्वस्त होना है कि मतगणना के दौरान सुव्यवस्था और अनुशासन मतगणना के दौरान बना रहे।

9. मतों की गोपनीयता बनाये रखनाः–

मतगणना के दौरान प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता या ऐसा व्यक्ति जो मतगणना या उनके अभिलेखन से संबंधित कोई कार्य करता है उसे मतों की

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

गोपनीयता बनाए रखनी होगी। धारा 128 लोक–प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जो इन चुनावों में भी लागू है, के प्रावधानों के बारे में मतगणना प्रारम्भ करने से पूर्व मतगणना कक्ष में सभी उपस्थित व्यक्तियों को समझा दिया जाना चाहिये।

10. मतगणना स्थल में प्रवेशः–

1. नियम 58 के सपठित नियम 68, 70 एवं नियम 49 घ के उप नियम–(4) के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी मात्र निम्न 4 प्रकार के व्यक्तियों को ही मतगणना स्थल में आने की अनुमति देगाः–
   (क) मतदान अधिकारी एवं सहायक मतदान अधिकारी (जो पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन की मतगणना में गणना–पर्यवेक्षक व गणना सहायक है।)
   (ख) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति
   (ग) निर्वाचन के संबंध में ड्यूटी पर तैनात लोक–सेवक
   (घ) अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता और प्रति गणन मेज पर एक गणन अभिकर्ता।
2. मतगणना केन्द्र पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी व अधिकारी को, कानून व्यवस्था से संबंधित या अन्य ऐसे ही किसी उद्देश्य के लिये, रिटर्निंग अधिकारी गणना कक्ष में बुला सकता है। सामान्य स्थिति में पुलिस कर्मचारी व अधिकारियों को गणना कक्ष में नहीं आने देना चाहिये, क्योंकि किसी अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल द्वारा ऐसी शिकायत की जा सकती है कि गणना–कक्ष में अनावश्यक रूप से पुलिस का दिखावा किया गया है।
3. मंत्रीगण, सांसद, विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष/सभापति/मेयर, प्रधान/जिला प्रमुख या सुरक्षा कवर प्राप्त कोई अन्य व्यक्ति किसी अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं हो सकते हैं। अतः मतगणना केन्द्र पर इनमें से किसी को, यदि वह अभ्यर्थी नहीं है तो, प्रवेश नहीं दिया जा सकता।
5. गणना–कक्ष में व्यक्तियों की आवाजाही सुचारू–रूप से रखी जाये ताकि भीड–भाड नहीं हो और किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो।

11. डाक द्वारा प्राप्त मतों की गणनाः–

1. डाक मतपत्रों की गणना सर्वप्रथम की जानी है। जिस कक्ष में निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना की जावे, उसी में डाक मतपत्रों को गणना में पहले लिया जावे, लेकिन यह ध्यान रखे कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मशीनों की मतगणना पूरी होने के पूर्व ही उस निर्वाचन क्षेत्र के डाक मतपत्रों की गणना का कार्य पूर्ण हो जाये।
2. मतगणना प्रारम्भ होने के लिये नियत समय के पश्चात प्राप्त डाक मतपत्र का कोई लिफाफा नहीं खोला जाना चाहिए। उन्हें बिना खोले ही अस्वीकार कर देना चाहिए और अलग से लिफाफे में रखकर सील कर देना चाहिए तथा उस पर समुचित विवरण भी लिख देना चाहिए। समयावधि पश्चात प्राप्त ऐसे अस्वीकार किये गये डाक मतपत्र को परिणाम पत्र प्ररूप–7 में दर्ज नहीं होंगे।
3. राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 में निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त स्टाफ को डाक मतपत्र जारी करने का प्रावधान है। उक्त नियम 35 के उपबंधों के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसे डाक मतपत्रों की गणना करने की रीति और उनको प्रतिक्षेपित करने के संबंध में रीति विहित करते हुये अपने आदेश क्रमांक 5776 दिनांक 05.12.2019 (सां. आ. 135/2019) से निर्देश जारी किये हैं।
4. इसके पश्चात विधिमान्य मतों की गणना की जानी चाहिए और प्रत्येक अभ्यर्थी तथा नोटा के पक्ष में दिये गये मतों को गिना जाकर प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा को डाक मतपत्रों के रूप में प्राप्त कुल मतों की गणना की जानी चाहिए और अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए उन्हे सुनाया जाना चाहिये। मशीनों में रिकार्ड किये गये अभ्यर्थीवार मतों में डाक मतपत्रों के रूप में अभ्यर्थीवार वैद्यमतों को जोड कर गणना के परिणाम को प्ररूप 7 में दिये गये परिणाम पत्र में उपयुक्त स्थान पर प्रविष्ट किया जाना चाहिए।
5. तत्पश्चात सभी विधिमान्य डाक मतपत्रों और सभी अस्वीकृत डाक मतपत्रों के प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक बण्डल एक साथ पैकेट में रख दिया जाना चाहिए और उस पैकेट को रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी की मुहर से और ऐसे अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

गणन अभिकर्ताओं की मुहरों से, जो उस पर लगाना चाहे, मुहरबन्द कर देना चाहिए तथा पहचान के लिए सभी विवरण जैसे जिला परिषद् या पंचायत समिति का नाम, निर्वाचन क्षेत्र संख्या, गणना की तारीख और उसमें रखी गई वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित कर दिया जाना चाहिए।

मतदान मशीनों में रिकार्ड किये गये मतों की गणना

12 नियंत्रण यूनिटों की संवीक्षा और निरीक्षणः–

1. नियम 49–ग के प्रावधानों के अनुसार गिनती से पूर्व नियंत्रण यूनिटों की संवीक्षा व निरीक्षण किया जायेगा तथा अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं को भी इनकी सीलें देखने की अनुमति होगी।
2. गणना–टेबिल पर नियंत्रण यूनिटों का वितरण मतदान बूथों के क्रमानुसार किया जाना चाहिए। अर्थात् मतदान बूथ संख्या एक में प्रयुक्त नियंत्रण यूनिट को गणना टेबल संख्या 1 को दी जानी चाहिए, मतदान केन्द्र संख्या 2 की गणना टेबल संख्या 2 को दी जानी चाहिए, और इसी प्रकार आगे भी दी जानी चाहिए। किन्तु यदि किसी पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र में मतदान बूथों की संख्या कम हो तो ऐसी स्थिति में यदि रिटर्निंग अधिकारी उपयुक्त समझे तो एक ही टेबल पर क्रमिक रूप से किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के बूथों में प्रयोग में लाई गई मशीनों के मतों की गणना की जा सकेगी। ऐसे वितरण का लेखा रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी अपने पास भी रखे और इसका चार्ट मतगणना कक्षों के बोर्ड पर भी रखे।
3. गणना के समय, उस मतदान बूथ, जिस पर नियंत्रण यूनिट प्रयुक्त की गयी है, के मतदान परिणाम को सुनिश्चित करने के लिए मतदान मशीन की केवल नियंत्रण यूनिट ही अपेक्षित है, बैलेट यूनिट अपेक्षित नहीं है। फिर भी, मतदान बूथों से प्राप्त बैलेट यूनिटें संग्रहण केन्द्र पर निर्वाचन क्षेत्रवार और मतदान बूथवार नियंत्रण यूनिटों के साथ रखी जानी चाहिए, बैलेट यूनिट को गणना हाल में केवल तब ही ले जाया जाना चाहिए जब किसी भी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की मांग पर या अन्यथा किसी भी विशेष मामले में इसका निरीक्षण आवश्यक हो जाये, किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की MK-V मॉडल की ईवीएम में परिणाम की जानकारी के लिए कन्ट्रोल यूनिट के साथ बैलेट यूनिट को कनेक्ट किया जाना आवश्यक है।
4. किसी मतदान बूथ पर प्रयुक्त की गयी नियंत्रण यूनिट के साथ प्ररूप 14 में अभिलिखित उस मतदान केन्द्र से संबंधित मतों का सुसंगत लेखा भी गणना–टेबल पर दिया जाना चाहिए। साथ ही पीठासीन अधिकारी की घोषणा भी दी जानी चाहिए।

13. नियंत्रण यूनिटों के कैरिंग बक्सों का खोला जानाः–

1. पीठासीन अधिकारियों द्वारा, नियंत्रण यूनिटें मतदान केन्द्रों से उनके कैरिंग बक्सों में सम्यक रूप से रखी हुई और सीलबंद रूप से प्राप्त हुई होगी।
2. कैरिंग बक्सों पर 3 X 6 से.मी. आकार के पीले स्टीकर या नीले स्टीकर लगे होंगे ताकि यह पहचान रहे कि मशीन जिला परिषद सदस्य चुनाव की है या पंचायत समिति सदस्य चुनाव की। प्रत्येक कैरिंग बक्सा ज्योंही गणना टेबल पर लाया जाये उस पर मतदान बूथ में पीठासीन अधिकार के द्वारा लगायी गयी सील की जांच की जाये। यदि किसी कैरिंग बक्से की सील किसी मामले में अविकल (Intact) न भी पायी जाये तो भी उसमें रखी गयी नियंत्रण यूनिट में कोई भी गडबड होने की संभावना नहीं है, यदि उस यूनिट पर लगी हुई सील और विशेषतः उस पर लगी स्ट्रिप सील व पिंक सील अविकल (Intact) हो।
3. कैरिंग बक्सों की सीले हटा दीजिए। नियंत्रण यूनिट को बाहर निकाल लें और उसे गणना टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा उस पर लगी स्ट्रीप सील, स्पेशल टैग व पिंक पेपर सीलों के निरीक्षण और जांच के लिए गणना टेबल पर रख दें।

14. नियंत्रण यूनिट पर लगी सीलों और पहचान चिन्हों की जांचः–

प्रत्येक नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या की जांच कर लें और अपना इस बारे में समाधान कर ले कि यह वही नियंत्रण यूनिट है जो आपके द्वारा पीठासीन अधिकारी को उस मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए दी गयी थी तथा नियंत्रण यूनिट के कैण्डीडेट सैट सैक्शन की सील वही है जो आपके द्वारा उस मतदान केन्द्र को मशीन दिये जाने के पूर्व लगायी गयी हो। पीठासीन अधिकारी द्वारा भी मतदान केन्द्र पर स्ट्रिप सील

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

लगायी गई है और स्पेशल टैग पर सील लगायी गयी है। यदि इन सीलों में से कोई सील क्षतिग्रस्त हो तब भी नियंत्रण यूनिट में कोई भी गडबड होने की संभावना नहीं है, बशर्ते परिणाम अनुभाग के भीतरी कवर पर लगायी गई पिंक पेपर सील अविकल (Intact) हो।

15. नियंत्रण यूनिटों पर सीलों का निरीक्षणः–

किसी भी कन्ट्रोल यूनिट में रिकार्ड किये गये मतों की गणना किये जाने से पूर्व, गणना टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या उनके गणन अभिकर्ताओं को ऐसी पेपर सीलें और अन्य ऐसी महत्वपूर्ण सीलें, जो कैरिंग बक्सों और नियंत्रण यूनिट पर लगायी गयी हो, का निरीक्षण करने दिया जायेगा और उन्हें स्वयं का समाधान करने दिया जायेगा कि सीले अविकल (intact) है। आप स्वयं का भी समाधान करेंगे कि किसी भी मतदान मशीन के साथ गडबड नहीं की गयी है। यदि आपका समाधान हो जाता है कि किसी मतदान मशीन में वास्तव में कोई गडबड की गयी है, तो आप उस मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों की गणना नहीं करेंगे और पैरा 22 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का, जो भी उस मतदान केन्द्र के संबंध में लागू होती हो, जहां कि वह मशीन प्रयुक्त की गई थी, अनुसरण करेंगे।

16. पेपर सील के क्रम संख्यांक का मिलानः–

1. परिणाम अनुभाग के बाहरी कवर को खोलने पर आपको पीठासीन अधिकारी की सील से सीलबंद किया हुआ भीतरी कवर दिखायी देगा। उक्त सील की भी जांच कर लें। यदि मुहर क्षतिग्रस्त भी हो तो भी, नियंत्रण यूनिट में कोई भी गडबड होने की संभावना नहीं है बशर्ते कि पिंक पेपर सील अविकल हो और उससे छेडछाड नहीं की गई हो। परिणाम अनुभाग के भीतरी कवर में दो पेपर सील होगी। पेपर सील पर क्रम संख्यांक का उस क्रम संख्या से मिलान कर लिया जाना चाहिए जो पीठासीन अधिकारी द्वारा प्ररूप 14 के भाग I में मद सं. 9 पर तैयार किये गये पेपर सील लेखा में दी गयी हो। गणना टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों को या उनके अभिकर्ताओं को भी पेपर सील के ऐसे क्रम संख्यांक का मिलान करने दें।
2. यदि नियंत्रण यूनिट में प्रयुक्त पेपर सील के क्रम संख्यांक का पेपर–सील लेखे में पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा दर्शित क्रम संख्यांक से मिलान नहीं होता है तो, फिर यह हो सकता है कि पेपर सील लेखे में कोई भूल हो या प्रथम दृष्टया यह इस सन्देह कारण होगा कि मतदान मशीन से छेडछाड की गयी है। इस प्रश्न का विनिश्चय पीठासीन अधिकारी द्वारा लौटायी गयी अप्रयुक्त पेपर सीलों के क्रम संख्याकों की और मतदान केन्द्रों में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा की गयी शिकायतों और अन्य सुसंगत परिस्थितियों की जांच करके करें। यदि आप इसे लिपिकीय भूल का मामला पाये, तो उस अंसगति को नजर अन्दाज कर दें।

17. गडबडी पाये जाने पर नियंत्रण यूनिटों को अलग रखा जानाः–

यदि आपका समाधान हो जाये कि मतदान मशीन में गडबडी की गयी है, या मतदान मशीन वह नहीं है जो मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए दी गयी थी, तो मशीन को अलग रख दिया जाये और उसमें रिकार्ड किये गये मतों की गणना नहीं की जाये। आपको ऐसे मामले की रिपोर्ट आयोग को करनी चाहिए। सम्पूर्ण गणना को स्थगित करना आवश्यक नहीं है।

18. परिणाम सुनिश्चित करनाः–

1. मतों की गणना के लिए, निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए :–
   - (i.) पीछे के कम्पार्टमेन्ट में लगे हुए पावर स्विच को दबाकर ऑन स्थिति में लाये और नियंत्रण यूनिट को ऑन करें। नियंत्रण यूनिट को ऑन करने पर प्रदर्शन अनुभाग में हरी बत्ती चमकने लगेगी।
   - (ii.) परिणाम–अनुभाग के भीतरी कवर के उपरी छिद्र के नीचे लगे परिणाम बटन के उपर पेपर–सील को निकाल दे।
   - (iii.) परिणाम–1 बटन को दबा दे।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(iv.) परिणाम–1 बटन को इस प्रकार दबाये जाने से, मतदान केन्द्र पर प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या नियंत्रण यूनिट के पैनल में एक–एक कर स्वतः ही प्रदर्शित हो जायेगी।

(v.) उपर्युक्त परिणाम को प्ररूप 14 मतगणना का परिणाम के भाग II में यथादर्शित अभ्यर्थीवार (नोटा सहित) नोट कर लें।

2. यदि आवश्यक हो, अभ्यर्थियों और/उनके अभिकर्ताओं को उपर्युक्त परिणाम नोट करने देने के लिए परिणाम– I बटन को फिर से दबायें।
3. परिणाम के नोट कर लिये जाने के पश्चात् परिणाम–अनुभाग के कवर को बन्द कर दें और नियंत्रण यूनिट को ''स्विच ऑफ'' कर दें।
4. अपग्रेडेड पोस्ट 2006 MK-V की EVM के संबंध में नियन्त्रण यूनिट में परिणाम निर्धारित करने के लिए उससे संबंधित बैलेट यूनिट को नियन्त्रण यूनिट से जोड़ना होगा। शेष प्रक्रिया यथावत रहेगी।

19. इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) ईवीएम से निर्वाचन होने की स्थिति में मतगणना करने हेतु निर्देश

ECIL द्वारा निर्मित मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) ईवीएम से दोनों पदों का निर्वाचन एक साथ होने की स्थिति में भी परिणामों की गणना के लिए कन्ट्रोल यूनिट की ही आवश्यकता होगी। उक्त मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) ईवीएम से परिणाम प्राप्त करने संबंधी विस्तृत प्रक्रिया ECIL द्वारा निर्मित मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) ईवीएम के संचालन हेतु पुस्तिका के अध्याय–6 में बताई गई है। रिटर्निंग अधिकारी मतगणना से पूर्व उक्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें।

उक्त MPSV ईवीएम से निर्वाचन होने की स्थिति में मतगणना के लिए की जाने व्यवस्था हेतु निम्नलिखित निर्देश प्रदान किए जाते है :–

1. एक ही कन्ट्रोल यूनिट में दोनों पदों के लिए परिणाम प्रदर्शित होने के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतगणना एक ही कक्ष में कराई जाएगी।
2. परिणाम प्रदर्शित करते समय इन मशीनों में Under Vote & Unfinished Voter की संख्या भी प्रदर्शित होगी। Under Vote का अर्थ है कि मतदाता द्वारा किसी उम्मीदवार को मत नहीं दिया जाकर END बटन का उपयोग किया गया है अर्थात् मतदाता द्वारा या तो किसी भी पद के लिए मत नहीं दिया गया है या दो में से किसी एक पद के लिए मत देने के बाद END बटन का उपयोग किया गया है। Under Vote की स्थिति में किसी पद के लिए डाले गए मतों की संख्या मत डालने आए मतदाताओं की संख्या से कम होगी एवं इनका अन्तर ही Under Vote की संख्या में प्रदर्शित होगा।

   Unfinished Voters का अर्थ ऐसे मतदाताओं से है जिन्होंने दो में से किसी एक ही पद के लिए मत दिया एवं END बटन का उपयोग नहीं किया एवं मतदान बूथ को छोडकर चला गया तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसी स्थिति में अगले मतदाता को मताधिकार हेतु कन्ट्रोल यूनिट को ऑफ करके फिर से ऑन किया गया है। Unfinished Voters द्वारा नहीं दिए गए मत Under Vote की श्रेणी में भी सम्मिलित होगें।

   यहां यह ध्यातव्य है कि यदि कोई मतदाता एक पद के लिए मत देने के बाद मतदान केन्द्र छोडकर चला गया है एवं पीठासीन अधिकारी को मतदान चालू रखने के लिए कन्ट्रोल यूनिट को ऑफ करके फिर से ऑन किया गया है, तो ऐसी स्थिति में जिस पद के लिए मतदाता के द्वारा मत नहीं दिया गया है, वह उस पद के लिए Under Vote की श्रेणी में होगा।
3. जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव की मतगणना साथ–साथ होने के कारण **एक अतिरिक्त गणना सहायक की आवश्यकता होगी।** परिणाम प्राप्त करने हेतु ईवीएम की कन्ट्रोल यूनिट को बीच में रखा जाए एवं एक तरफ पंचायत समिति सदस्य का परिणाम का डाटा एवं दूसरी तरफ जिला परिषद सदस्य के परिणाम का डाटा एकत्रित करने हेतु गणना सहायकों के लिए बैठने की व्यवस्था की जाए।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

4. मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) ईवीएम में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य दोनों पदों के लिए परिणाम एक ही नियंत्रट यूनिट में प्रदर्शित होगा। ईवीएम के उपयोग के संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार पहले पद पर जिला परिषद एवं द्वितीय पद पर पंचायत समिति सदस्य के लिए ईवीएम को सैट करना है। अतः परिणामों के प्रदर्शन के समय पहले जिला परिषद सदस्य का परिणाम प्रदर्शित होगा, इसके बाद पंचायत समिति सदस्य का परिणाम प्रदर्शित होगा।
5. जिला परिषद सदस्य के लिए नियुक्त अभ्यर्थियों के गणना अभिकर्ताओं को जिला परिषद सदस्य के परिणाम हेतु डाटा एकत्रित कर रहे गणना सहायकों की तरफ एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए नियुक्त अभ्यर्थियों के गणना अभिकर्ताओं को सदस्य पद के परिणाम हेतु डाटा एकत्रित कर रहे गणना सहायकों की तरफ बैठने की व्यवस्था की जाए।
6. गणना मेजों पर मतगणना हेतु अपेक्षित लेखन सामग्री की व्यस्था भी दोनों पदों के अनुसार कर ली जाए।
7. अन्य निर्देश बिन्दु संख्या 12 से 19 में अंकितानुसार यथास्थिति लागू रहेगें।

20. प्ररूप 14, भाग II- (गणना का परिणाम) का पूरा किया जाना :–

1. ज्योंही प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा को प्राप्त मत नियंत्रण यूनिट के प्रदर्शन पैनलों पर दिखाये जायें, वैसे ही गणना पर्यवेक्षक को ऐसे मतों की संख्या को प्रत्येक अभ्यर्थीवार पृथक से प्ररूप 14 के भाग II गणना का परिणाम में अभिलिखित कर लेना चाहिए। उसे उक्त प्ररूप 14 के भाग II में यह भी नोट कर लेना चाहिए कि क्या उस भाग में यथादर्शित मतों की कुल संख्या उस प्ररूप के भाग I की मद 5 के समाने दर्शायी गयी मतों की कुल संख्या से मिलती है या इन दोनों योगों के बीच कोई फर्क नजर आया है। उस प्ररूप को सभी प्रकार से पूर्ण कर लेने के पश्चात गणना पर्यवेक्षकों को इस पर हस्ताक्षर करने चाहिए। उस गणना–टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर उस पर करवाने चाहिए।
2. गणना पर्यवेक्षक द्वारा प्रारूप 14 के भाग II को सम्यक् रूप से भरे जाने और हस्ताक्षर किये जाने और उस पर अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लिये जाने के पश्चात्, उसे उस प्ररूप को रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को सौंप देना चाहिए। रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी स्वयं का यह समाधान कर लेने के पश्चात कि प्ररूप समुचित ढंग से भरा और सभी प्रकार से पूर्ण किया गया है, स्वयं भी हस्ताक्षर करेगा। ऐसे हस्ताक्षरित किये हुये उक्त प्ररूप को अन्तिम परिणाम पत्र (प्ररूप–7) तैयार कर रहे अधिकारी को सौंप देना चाहिए।

21. अंतिम परिणाम पत्र की तैयारी :–

1. अंतिम परिणाम पत्र (प्ररूप–7) की पूर्ति मशीनों में रिकार्ड किये गये मतों की गणना तथा डाक मतपत्रों की गणना के पश्चात की जायेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा को मशीनों में रिकार्ड किये गये नोटा सहित अभ्यर्थीवार मतों व डाक मतपत्रों में पाये गये नोटा सहित अभ्यर्थीवार विधि मान्य मतों को जोडकर प्ररूप–7 की पूर्ति की जायेगी।
2. यदि राज्य निर्वाचन आयोग आयोग ने किसी भी मतदान केन्द्र में किसी नये मतदान का निर्देश दिया है तो परिणाम पत्र में नये मतदान के सम्बन्ध में ही गणना के परिणाम को सम्मिलित किया जाना चाहिए। कुल योग तब तक नहीं लगाया जाना चाहिए जब तक कि परिणाम पत्र में ऐसे नये मतदान के सम्बन्ध में गणना का परिणाम सम्मिलित नहीं कर लिया गया हो।
3. कुल योग की सत्यता की जांच कर लेवें क्योंकि किसी भी तरह का गलत योग मतदान के परिणाम को और परिणाम की घोषणा को, जो कि इस प्ररूप के आधार पर की जानी है, तात्विक रूप से प्रभावित करेगा। उस प्ररूप के किसी भी फर्क को आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जायेगा और कठोर अनुशासनिक कार्यवाही का कारण बनेगा।
4. निविदत्त मतपत्र (Tentered Vote) के लिफाफे नहीं खोले जायेंगे और ना ही निविदत्त मतों की गणना की जायेगी।
5. सामान्यतया मतदान मशीन द्वारा रिकार्ड किया गया प्रत्येक मत एक विधि मान्य मत है और उसकी विधिमान्यता के विषय में या अन्यथा कोई विवाद नहीं उठेगा। अधिक से अधिक यह हो सकता है कि

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

कुछ अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता किसी विशेष मतदान केन्द्र पर उस समय मतदान के परिणाम को सम्यक् रूप में लिख नहीं पाये हो जब नियंत्रण यूनिट में वह सूचना दिखायी गयी थी। यदि पुर्नसत्यापन की आवश्यकता उत्पन्न हो, तो ऐसा परिणाम–बटन को दबाकर किया जा सकेगा, जिस पर उस मतदान केन्द्र के मतदान का परिणाम नियंत्रण यूनिट के उस प्रदर्शन पैनलों पर पुनः दिखायी देगा।

6. मतगणना में किसी भ्रांति के पूर्णतया निवारण हो जाने और गणना पूरी हो जाने पर प्ररूप 7 में अंतिम परिणाम–पत्र तैयार कर लिया जाये, तब आपको अन्तिम परिणाम पत्र में यथा प्रविष्ठ प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों की कुल संख्या घोषित कर देनी चाहिए और परिणाम घोषित कर देना चाहिए।

22. गणना का स्थगनः–

1. यदि आपको नियम 49–क के अन्तर्गत किसी अपरिहार्य कारण से गणना को उसके पूर्ण होने से पूर्व ही निलंबित या स्थगित करना पडे तो सभी मतदान मशीनों और निर्वाचन से संबंधित सभी अन्य कागज पत्रों को सील बंद कर दें। प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता यदि मतदान मशीन और पैकेट आदि, जिनमें निर्वाचन के कागज पत्र रखे हुए हो, पर अपनी सील लगाना चाहे तो आप उसे ऐसा करने की अनुमति दे।
2. सभी सील बंद मतदान मशीनों और पैकेट आदि एक पृथक कमरे में रखे जायें और कमरे को आपकी सील और अभ्यर्थियों की सील से सीलबंद और सुरक्षित दिया जाए। ऐसे कमरों पर आपके तालों के साथ–साथ अभ्यर्थी भी अपने ताले लगा सकते है।

23. गणना के पूर्ण होने के पूर्व मतदान मशीन के विनष्ट हो जाने, उसको हानि पहुंचाये जाने आदि की दशा में अनुसरण की जानी वाली प्रक्रियाः–

नियम 48–ख एवं 49–क के अन्तर्गत आयोग सभी महत्वपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मतों की गणना रोक दिये जाने का निर्देश देने और यदि आवश्यक हो तो नवीन मतदान कराये जाने का आदेश देने के लिए सक्षम है। यदि मतों की गणना के पूर्ण होने के पूर्व रिटर्निंग अधिकारी द्वारा यह रिपोर्ट की जाये कि किसी मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त की गयी मतदान मशीनः–

(i.) उसकी पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से विधि विरूद्ध निकाल ली गयी है, या
(ii.) घटनावश या साशय विनष्ट हो गयी है या कर दी गयी है या खो गयी है या खो दी गयी है, या
(iii.) उसको उस सीमा तक नुकसान पहुंचाया गया है या उसमें गडबड कर दी गयी है कि उस मतदान केन्द्र के मतदान के परिणाम को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता। या,
(iv.) वोटिंग मशीन में मतदान या मतगणना के दौरान तकनीकी खराबी आ गयी हो,
(v.) मतदान केन्द्र पर मतदान प्रक्रिया दूषित हो गयी हो, या
(vi.) बूथ कैप्चरिंग के कारण मतदान केन्द्र का परिणाम विनिश्चित नहीं किया जा सकता हो,

तो आपको ऐसे सभी तथ्यों की रिपोर्ट आयोग को तुरन्त करनी चाहिए और उस मतदान केन्द्र के मतों की गणना के सम्बन्ध में आयोग के निर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए

24. पुनः मतदान के पश्चात गणनाः–

यदि किसी मतदान केन्द्र पर मतदान दुबारा करवाया गया है तो उस मतदान में रिकार्ड किये गये मतों की गणना के लिए तारीख, समय और स्थान नियत करना चाहिए और इसकी लिखित सूचना प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को दी जानी चाहिए। आपको इस गणना में भी उपर बतायी गयी विस्तृत कार्यविधि का ही, जहां तक कि वह लागू हो, पालन करना चाहिए।

25. परिणामों की घोषणाः–

मतों की गणना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के परिणामों की प्ररूप–7 में विवरण तैयार करेगा और यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अन्यथा निर्देशित नहीं किया गया है तो परिणाम घोषित किये जायेगें। उस अभ्यर्थी को जिसे अधिकतम संख्या में विधिमान्य मत प्राप्त हुये है, उसे निर्वाचित घोषित किया जायेगा। यदि मतों की गणना के पश्चात किन्ही अभ्यर्थियों के बीच में मतों की

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

समानता पायी जाय और केवल एक मत को जोडने से ही अभ्यर्थियों में से किसी को भी निर्वाचित घोषित किये जाने का हक मिलता है तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में तत्काल लाटरी निकाले जाने की कार्यवाही करेगा तथा इसका कार्यवाही विवरण बनाया जावेगा, जिस पर उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन/गणन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी यदि वे करें तो कराये जायेंगे। कार्यवाही विवरण को अन्य कागजात के साथ पृथक लिफाफे में रख कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा। अंतिम परिणाम–पत्र (प्ररूप–7) में ऐसे अभ्यर्थियों जिनके पक्ष में लॉट निकला है, के सामने डाले गये मतों के आगे यथानुकूल प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी। **लॉटरी निकाले जाने की सम्पूर्ण प्रकिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।**

26. निर्वाचन का प्रमाण–पत्रः–

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचित घोषित किये गये अभ्यर्थी को आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूप में निर्वाचन का प्रमाण–पत्र दिया जायेगा। निर्वाचित घोषित किये गये अभ्यर्थी को निर्वाचन का प्रमाण–पत्र देने पर ऐसे अभ्यर्थी से प्राप्ति रसीद भी प्राप्त की जाये और उसके विधिवत हस्ताक्षर भी लिए जायें। राज्य निर्वाचन आयोग को, परिणाम घोषित करने पर नीचे के पैरा 27 में वर्णित सामग्री/कागजात भेजे जायें।

27. निर्वाचक के परिणाम के बाद तैयार किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :–

1. अंतिम परिणाम–पत्र (प्ररूप–7)
2. सारणी–क में जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्यों की सूची;
3. सारणी–ख में पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों की सूची;
4. सारणी–क एवं सारणी–ख की सॉफ्ट कापी (CD)

उपरोक्त कागजात (क्र. सं. 1, 2 व 3) पर रिटर्निंग अधिकारी का नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए, तारीख एवं स्थान अंकित होना चाहिए एवं रिटर्निंग अधिकारी की मोहर भी लगी हुई होनी चाहिए।

28. गणना के पश्चात मतदान मशीनों को पुनः सीलबंद करनाः–

1. 1. किसी नियंत्रण यूनिट में अभिलिखित मतदान के अभ्यर्थीवार परिणाम अभिनिश्चत कर लिये जाने और प्ररूप 14 के भाग II ''गणना का परिणाम'' में और प्ररूप 7 में अंतिम परिणाम–पत्र में प्रविष्ट कर दिये जाने के पश्चात, नियंत्रण यूनिट को नियम 52–क के अधीन रिटर्निंग अधिकारी की सील से और ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं, जो उस पर अपनी सील लगाना चाहें, की सीलों से पुनः सीलबंद किया जाना चाहिए। तथापि, पुनः सीलबंद ऐसी रीति से किया जाना चाहिए कि नियंत्रण यूनिट में रिकार्ड किये गये मतदान का परिणाम मिट नहीं जाये और यूनिट ऐसे परिणाम की स्मृति को बनाये रख सके। इस विषय में आयोग का सांविधिक आदेश सं. 56/09 दिनांक 18.12.09 (पत्र क्रमांक 6306 दिनांक 18.12.09) के द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना की जाये।

   यहां यह उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित मल्टी पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम को सील नहीं किया जाना है। इन मशीनों मे प्रयुक्त किए गए सिक्योर डिचेबल मेमोरी मॉड्यूल (SDMM) को ही आयोग द्वारा पत्रांक 2537 दिनांक 23.07.2019 के अनुसार सील किया जाएगा।

2.नियंत्रण यूनिट को पूर्वोक्त रूप में पुनः सील बंद निम्नलिखित रीति से किया जाना चाहिएः–

(i) सील को हटाकर नियंत्रण यूनिट के कैंडिडेट सैट सेक्शन की बैटरी को हटा दें। बैटरी को हटाये जाने के बाद में कैंडिडेट सेक्शन का कवर पुनः सीलबंद किया जाना चाहिए।
<u>कृपया ध्यान दीजियेः–</u> **बैटरी का हटाया जाना आवश्यक है जिससे कि यह समय बीतने के साथ–साथ फूल नहीं जाये और मशीन को क्षति नहीं पहुचें। तथापि, बैटरी को हटाये जाने से नियंत्रण यूनिट में रिकार्ड किये गये मतदान का परिणाम मिटता नहीं है, क्योंकि नियंत्रण यूनिट अपनी स्मृति को बनाये रखेगी चाहे बैटरी हटा दी जाये।**

(ii) परिणाम–सेक्शन के बाहरी कवर को बन्द कर दें और इसे पुनः सील कर दें।

(iii) इस प्रकार पुनः सीलबंद की गयी नियंत्रण यूनिट को उसके कैरिंग बक्से में रखें।

(iv) कैरिंग बक्से को पुनः सीलबंद कर दे।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(v) कैरिंग बक्से के हेंडल पर एड्रेस टेग को दृढतापूर्वक लगा दें, जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया गया होः—
   (क) पंचायत समिति/जिला परिषद् का नाम
   (ख) निर्वाचन क्षेत्र संख्या
   (ग) उस मतदान बूथ की क्र.सं. व नाम, जहां नियंत्रण यूनिट प्रयुक्त की गयी है।
   (घ) नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या,
   (ङ) मतदान की तारीख,
   (च) गणना की तारीख।

(vi) आप अपनी सील के साथ—साथ अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को, यदि वे ऐसा चाहे, उनकी सीलें लगाने की अनुमति दें।

(vii) **इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित मल्टीपोस्ट सिंगल वोट (MPSV) मशीनों से मतदान होने की स्थिति में मतगणना कार्य पूर्ण होन के बाद इन ईवीएम को सील नहीं किया जाएगा।** इन मशीनों की कन्ट्रोल यूनिट में लगे हुए एसडीएमएम (Secure detechable Memory Module) को निकालकर उसे ही सील किया जाना है। एसडीएमएम को सील करने के संबंध में आयोग द्वारा पत्रांक 2537 दिनांक 23.07.2019 के द्वारा दिशा—निर्देश प्रदान किए हुए हैं। **एसडीएमएम को सील करने के पश्चात् उक्त मल्टीपोस्ट सिंगल वोट (MPSV) ईवीएम को आगामी मतदान के लिए नवीन एसडीएमएम (SDMM) प्रयुक्त कर पुनः उपयोग में लिया जा सकेगा।**

3. बैलेट यूनिटों को भी पूर्वोक्त सांविधिक आदेश संख्या 6306 दिनांक 18.12.09 (सां.आ. 56/09) के अनुसार सील किया जावे।
4. इस प्रकार पुनः सीलबंद की गई नियंत्रण यूनिटों व बैलेट यूनिटों को सुरक्षित भण्डारण के लिए विशेष रूप से तैयार किये गये बडे बक्सों में रखा जाना चाहिए।
5. मतदान यूनिटों को साधारणतया, गणना के समय खोले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसी मतदान यूनिट को निरीक्षण या गणना के समय सत्यापन के लिए इसके कैरिंग बक्से से बाहर निकाला जाता है तो इसे ऐसे निरीक्षण या सत्यापन के पश्चात इसके कैरिंग बक्से में वापस रख कर सीलबंद कर दिया जाना चाहिए।
6. सुरक्षित भण्डारण के लिए मतदान यूनिटों को भी विशेष रूप से तेयार किये गये बडे बक्सों में रखा जाना चाहिए। इस प्रकार निर्वाचन में प्रयुक्त सभी नियंत्रण यूनिटें ओर मतदान यूनिटें भंडारण स्थल पर ले जाये जाने के लिए तैयार की जावे।

29. सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य निर्वाचन कागजात को सील बंद करनाः—

1. मतदान मशीनों एवं कई अन्य महत्वपूर्ण निर्वाचन संबंधी कागजात है जिनका सीलबंद किया जाना और सुरक्षित किया जाना तथा भंडारण किया जाना अपेक्षित है। नियम 53—क के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट निर्वाचन संबंधी कागजपत्रों के पैकेट तथा आयोग के सांविधिक सं. आदेश 59/09 दिनांक 20.12.09 (पत्रांक 6491 दिनांक 20.12.09) के द्वारा विनिर्दिष्ट कागज पत्रों के पैकेट किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा न तो खोले जायेंगे और न उनकी अन्तर्वस्तु का निरीक्षण किया जायेगा और न ही वे वस्तुए उसके समक्ष पेश की जायेगी। इस प्रकार इन कागज पत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी। जहां मतदान मशीने प्रयुक्त की गयी है, वहां ये कागजपत्र निम्नलिखित हैः—

   (i) प्ररूप 12 में मतदाता रजिस्टरों के पैकेट,
   (ii) अप्रयुक्त डाक मतपत्रों के पैकेट,
   (iii) प्रयुक्त डाक मतपत्रों के, चाहे वे विधिमान्य हो या प्रतिक्षेपित, पैकेट (उन पैकेटों को सम्मिलित करते हुए जिनमें विलम्ब से प्राप्त डाक मतपत्र वाले लिफाफे भी है),
   (iv) अप्रयुक्त मतदाता पर्चियों के पैकेट

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(v) प्रयुक्त और अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों के पैकेट,
(vi) अप्रयुक्त (अधिशेष) मतपत्रों (मतदान यूनिटों पर प्रदर्शित करने के लिए और निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयोग करने के लिए मुद्रित) के पैकेट,
(vii) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियों के पैकेट, और
(viii) निर्वाचकों द्वारा की गई घोषणाओं और उनके हस्ताक्षरों के अनुप्रमाणन के पैकेट।

2. उपर्युक्त मद (iii) और (viii) पर बताये गये कागज पत्रों के पैकेट गणना के समय ही बना लिए जायेगें ऐसे पैकेट आपके द्वारा मतों की गणना की समाप्ति के तुरन्त पश्चात आपकी सील से सीलबन्द कर दिये जायेंगे। यह सील उन सीलों के, यदि कोई हो, अतिरिक्त होगी जो इन पैकेटों पर किन्ही अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणन अभिकर्ताओं, जो उन पर अपनी सील लगाना चाहें, द्वारा लगायी जायेगी। आपको वहां उपस्थित अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं को बता देना चाहिए कि इन पैकेटों पर वे अपनी सील अवश्य लगायें और ऐसा करना उनके अपने ही हित में है ताकि किसी पैकेट में कोई गडबडी न की जा सके।

3. ऊपर उप पैरा 1 की मद संख्या (i), (iv) (v) और (vii) में बताये गये कागजपत्रों के सभी पैकेट मतदान केन्द्रों के पीठासीन अधिकारियों से सम्यक रूप से सीलबन्द पैकेटों में प्राप्त किये जायेंगे। चूंकि मतगणना के समय इन पैकेटों की किसी प्रयोजन के लिए आवश्यकता नहीं होती है, अतः इनमें से प्रत्येक को निर्वाचन कागजपत्र प्राप्त करने के स्थान पर प्राप्त करने के तुरन्त बाद सीलबंद कर दिया जाना चाहिए और लोहे के संदूक में रख दिया जाना चाहिए।

4. इन पैकेटों को वस्तुतः सीलबंद करने के कार्य से पर्यवेक्षण के लिए आपकों एक उत्तरदायी प्रभारी अधिकारी लगाना चाहिए अन्यथा, निर्वाचन के महत्त्वपूर्ण कागजपत्रों के इधर–उधर हो जाने की संभावना है, जिसका परिणाम यह होगा कि यदि और जब कोई सक्षम न्यायालय इन कागजपत्रों को पेश करने का आदेश देगा तब जटिलतायें और गडबडी पैदा हो जायेगी।

5. लोहे के प्रत्येक संदूक में दो ताले लगाये जाये और प्रत्येक ताला सीलबंद कर दिया जाये।

30. कार्यवाहियों का लेखबद्ध किया जानाः–

1. मतों की गणना के पश्चात गणना स्थल पर ही मतदान मशीनों और निर्वाचन के कागजपत्रों को सीलबंद कर दिये जाने के पश्चात आपको निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए कार्यवाही लेखबद्ध करनी चाहिए–
   (i.) गणना हॉल में उपस्थित अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं का पूर्ण विवरण,
   (ii.) यह तथ्य कि उनसे मतदान मशीनों और निर्वाचन के पैकेटों पर, यदि वे ऐसा चाहे, अपनी सीलें लगाने को, कहा गया था, और
   (iii.) उन व्यक्तियों का विवरण, जिन्होने मतदान मशीनों और पैकेटों पर अपनी सीलें लगायी थी और उन व्यक्तियों का विवरण, जिन्होने ऐसा करने से इन्कार कर दिया था।
2. उक्तानुसार संपादित कार्यवाही के लिए कार्यवाही विवरण तैयार कर उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए और उस पर ऐसे अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं के जो उपस्थित हो और हस्ताक्षर करना चाहें, हस्ताक्षर करवाने चाहिये। कार्यवाहियों को एक लिफाफे में, रखा जाना चाहिए और सीलबंद किया जाना चाहिये। सीलबंद लिफाफे को निर्वाचन के कागजपत्रों के पैकेटों के साथ रखा जाना चाहिए।

31. निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन अभिलेखों की सुरक्षित अभिरक्षाः–

1. निर्वाचन के परिणाम की घोषणा कर दिये जाने के पश्चात तुरन्त उसी दिन समस्त मतदान मशीनों और उपर्युक्त उल्लिखित पैकेटों को अन्तर्विष्ट करने वाले सील बंद संदूक को सरकारी कोषागार/उपकोषागार या ईवीएम के सुरक्षित भण्डारण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत किए गए स्थानों पर दो तालों के अन्दर जिला निर्वाचन अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा। प्रत्येक संदूक के ताले की चाबी कोषागार अधिकारी को या कोषागार संहिता के अधीन प्राधिकृत कोषागार/उपकोषागार के किसी अन्य अधिकारी के सुपुर्द कर दी जानी चाहिए और प्रत्येक संदूक के दूसरे ताले की चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा या इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने पास रखी जानी चाहिए।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

2. मतों की गणना आरंभ होने से पूर्व जिस कमरें में ईवीएम एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों को रखा गया हैं, उस कमरे के बाहर तैनात सशस्त्र पुलिस रक्षक दल को गणना की समाप्ति हो जाने के पश्चात ही हटा नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि मतदान मशीनों और निर्वाचन अभिलेख कोषागार/उपकोषागार को भेज नहीं दिये जाते। जहां तक संभव हो, उसी रक्षक दल को इन कागज पत्रों के परिवहन के दौरान भी उसकी सुरक्षा के लिए तैनात किया जाना चाहिए। इस तथ्य का उस रक्षक दल द्वारा रखी जाने वाली लॉग बुक में उल्लेख कर दिया जाना चाहिए।

3. उक्त सीलबंद मशीनों एवं निर्वाचन कागज पत्रों का निस्तारण उस रीति से किया जा सकेगा जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियम 53—ख के अंतर्गत जारी किये जाने वाले आदेश में विहीत की जाये।

32. विविधः—

1. नियम 49, 49—घ एवं 68 में वर्णित व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य किसी को मतगणना केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाये। माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायक आदि के मतगणना केन्द्र में प्रवेश निषेध संबंधी आयोग के आदेश क्रमांक 6708 दिनांक 23.12.2009 की पालना सुनिश्चित की जाये।

2. मतगणना कक्षों के भीतर भी बैरिकेडिंग इस रूप में की जावे कि अभ्यर्थी या उनके गणन अभिकर्ता/निर्वाचन अभिकर्ता किसी मतपत्र को नहीं छू पाये लेकिन वे मतपत्रों की गिनती के समय उनको आसानी से देख सके।

3. मतदान केन्द्र के बाहर भी बैरिकेडिंग एवं सुरक्षात्मक उपाय किये जावे। मतदान केन्द्र में बिजली/पानी/टॉयलेट आदि की पर्याप्त व्यवस्थायें की जाये।

4. मतगणना कक्षों के भीतर एवं उसके आसपास भीड—भाड से बचने के लिए केवल उन अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं को मतदान कक्ष के भीतर उपस्थित रहने की अनुमति दी जाये जिनके मतदान क्षेत्र की मतगणना का कार्य चल रहा है।

5. मीडिया से संबंधित व्यवस्थायें भी समुचित रूप से की जाये। मीडिया कर्मियों के प्रवेश के संबंध में आयोग के पत्रांक 7325 दिनांक 7.1.2010 के अनुसार कार्यवाही की जाये।

6. मतगणना केन्द्रों पर मोबाईल फोनों के उपयोग के संबंध में आयोग के पत्र दिनांक 6726 दिनांक 24.12.2009 में दिये गये दिशा—निर्देशों की भी पालना की जाये।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014—15/6050—51 दिनांक : 16.12.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैंः—
1. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
2. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई—मेल करने हेतु।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(E-mail- secrajasthan@gmail.com & secraj@rajasthan.gov.in website - secraj.nic.in, Fax 0141-2227072, 2227280)

क्रमांकःएफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/ईवीएम/09/ 1873 जयपुर, दिनांकः– 21/07/10

आदेश

सांविधिक आदेश संख्या 68/10 – राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 47–क के उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार मतदान की समाप्ति के पश्चात पीठासीन अधिकारी नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को ऐसी विधि से मुद्रा बंद करेगा और पृथकतः सुरक्षित करेगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे। अतः उक्त नियम के उपबंधों के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग पंचों एवं सरपंचों के निर्वाचन हेतु उपयोग में ली गई नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट (यूनिटों) को मतदान की समाप्ति के पश्चात मुद्रा बंद करने और उन्हे पृथकतः सुरक्षित करने के लिए निम्नांकित निर्देश जारी करता है–

1. पंचों तथा सरपंच के निर्वाचन में अलग–अलग उपयोग में ली गई मतदान यूनिट (यूनिटों) और नियंत्रण यूनिट को वियोजित (Disconnect) किया जावे और नियंत्रण यूनिट का पॉवर स्विच बंद (Off) कर दिया जावे।
2. मतदान यूनिट (यूनिटों) तथा नियंत्रण यूनिट को पुनः उन्हे अपने वहन बक्से (Carring Boxes) में रख दिया जावे।
3. वहन बक्सों की दोनों ओर इस प्रयोजन के लिए बने छिद्रों में धागा डालकर उन वहन बक्सों को मुद्रा बंद कर दिया जावे और इस प्रकार मुद्रा बंद करते समय निर्वाचन तथा मतदान केन्द्र की विशिष्टियां दर्शाने वाले एड्रेस टैग पर पीठासीन अधिकारी अपनी मुद्रा लगाकर इन्हे चपडी से मुद्रा बंद कर देवे।
4. नियंत्रण यूनिट पर एड्रेस टैग की विशिष्टियां निम्न प्रकार होंगीः– जिले व पंचायत समिति का नाम, पंचायत सर्किल का नाम तथा वार्ड संख्या, नियंत्रण यूनिट का पहचान नंबर, मतदान बूथ का नाम व उसका संख्यांक और मतदान की तारीख।
5. मतदान यूनिट (यूनिटों) पर लगाये जाने वाले एड्रेस टैग की विशिष्टियों में जिले व पंचायत समिति का नाम, पंचायत सर्किल का नाम व वार्ड संख्या, मतदान यूनिट (यूनिटों) का पहचान नंबर, मतदान केन्द्र का नाम व संख्यांक तथा मतदान की तारीख अंकित की जायेगी।
6. वार्ड पंच, या यथास्थिति, सरपंच चुनाव के अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता, जो उपस्थित हों तथा अपनी मुद्रा लगाने के इच्छुक हो, उन्हे भी एड्रेस टैगों पर मुद्रा लगाने की अनुमति दी जावे।

आज्ञा से,

(आर.के.पारीक)
उपसचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/ईवीएम/09/ 1874-75 जयपुर, दिनांकः– 21/07/10

प्रतिलिपिः –

1. जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत (कलेक्टर) जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को भी कृपया उपलब्ध करावे।
2. समस्त शाखायें, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

उपसचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/ईवीएम/09/6306 जयपुर, दिनांक : 18-12-09

आदेश

सां.आ. संख्या–56/09 राजस्थान पंचायती राज. (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 47–क के उप नियम (2) के उपबन्धों के अनुसार मतदान की समाप्ति के पश्चात् पीठासीन अधिकारी नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को ऐसी विधि से मुद्रा बन्द करेगा और पृथकतः सुरक्षित करेगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे। अतः उक्त नियम के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यो के निर्वाचन हेतु उपयोग में ली गई नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट (यूनिटों) को मतदान की समाप्ति के पश्चात् मुद्रा बंद करने और उन्हें पृथकतः सुरक्षित करने के लिये निम्नांकित निर्देश जारी करता है :–

1. पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन में अलग–अलग उपयोग में ली गई मतदान यूनिट (यूनिटों) और नियंत्रण यूनिट को वियोजित (Disconnect) किया जावे और नियंत्रण यूनिट का पॉवर स्विच बंद (Off) कर दिया जावे।
2. मतदान यूनिट (यूनिटों) तथा नियंत्रण यूनिट को पुनः उन्हें अपने वहन बक्से (Carrying Boxes) में रख दिया जावे।
3. वहन बक्सों की दोनों ओर इस प्रयोजन के लिये बने छिद्रों में धागा डालकर उन वहन बक्सों को मुद्रा बन्द कर दिया जावे और इस प्रकार मुद्रा बन्द करते समय निर्वाचन तथा मतदान केन्द्र की विशिष्टयां दर्शाने वाले एड्रेस टैग पर पीठासीन अधिकारी अपनी मुद्रा लगाकार इन्हें चपड़ी से मुद्रा बंद कर देवें।
4. नियंत्रण यूनिट पर एड्रेस टैग की विशिष्टयां निम्न प्रकार होंगी :–
   पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम, पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या नियंत्रण यूनिट का पहचान नम्बर, मतदान बूथ का नाम व उसका संख्यांक और मतदान की तारीख।
5. मतदान यूनिट (यूनिटों) पर लगाये जाने वाले एड्रेस टैग की विशिष्टयों में पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम, पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या का नाम, मतदान यूनिट (यूनिटों) का पहचान नम्बर, मतदान केन्द्र का नाम व संख्यांक तथा मतदान की तारीख अंकित की जायेगी।
6. पंचायत समिति सदस्य, या यथास्थिति, जिला परिषद सदस्य चुनाव के अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता, जो उपस्थित हों तथा अपनी मुद्रा लगाने के इच्छुक हों, उन्हें भी एड्रेस टैगों पर मुद्रा लगाने की अनुमति दी जावे।

आज्ञा से,
(आर.. के. जैन)
सचिव

क्रमांकः एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/ईवीएम/09/6307-09 जयपुर, दिनांक : 18-12-09

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज. विभाग, राज., जयपुर।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत (कलेक्टर) राजस्थान को भेजकर निवेदन है कि उक्त ओदश की प्रति समस्त रिटर्निंग अधिकारी को भी कृपया उपलब्ध कारावें।
3. समस्त शाखायें, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

(आर.. के. पारीक)
उप सचिव

D:\SEC on hire (NP)\Panchayat\F7(1)(1)panch EVM 09.doc
Created on 16/12/2009 13:23:00
2

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 1613 दिनांकः– 13.05.2019

आदेश

सां. आ. 112 / 2019 – आयोग के आदेश क्रमांक 6310 / 18.12.2009 (सां. आ. 55 / 09) के द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के समस्त निर्वाचनों हेतु भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर द्वारा निर्मित इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के परिकल्प (डिजाईन) को ईवीएम से मत डाले जाने और रिकार्ड किए जाने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया हुआ है।

उक्त सांविधिक आदेश को अधिक्रमित करते हुए राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 33–क के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL) एवं इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंण्डिया लिमिटेड, (ECIL) द्वारा निर्मित इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के परिकल्प (डिजाईन) को इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से मत डालने एवं रिकार्ड किए जाने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित करता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से,

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 1614–17 दिनांकः– 13.05.2019

प्रतिलिपि :–

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
3. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु ई–गजट पर अपलोड करने एवं ई–मेल करने हेतु।
4. समस्त शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।

उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(70)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2014–15/6046 दिनांक : 16.12.2019

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर), (पंचायत) राजस्थान।

विषय :– पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 – इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग के संबंध में।

महोदय,

राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल माह जनवरी–फरवरी 2020 में पूर्ण हो रहा है। कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व इन पंचायतीराज का निर्वाचन कराया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों से कराये जायेंगे। राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 33क के अनुसार इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की वह डिजाईन होगी, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित की जाये। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश क्रमांक एफ 1(2)(1)/नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/1613 दिनांक 13.05.2019 के द्वारा भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL) एवं इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित की गयी इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का डिजाईन मत डाले जाने और रिकार्ड किये जाने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया हुआ है। पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग संबंधी विभिन्न गतिविधियों, व्यवस्थाओं, मशीनों की जांच, मतदान हेतु तैयारी, उनके रख रखाव आदि के संबंध में की जाने वाली तैयारियों को आगे के पैराओं में वर्णित किया गया है। अतः निम्न बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(1) मशीनों की उपलब्धताः–

पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) एवं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा निर्मित M-2 मॉडल की मशीने, जो भारत निर्वाचन आयोग से लोन पर ली गई है तथा राज्य निर्वाचन आयोग के स्वामित्व ECIL द्वारा निर्मित मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा निर्मित पोस्ट अपग्रेडेड–2006 MK-4 व पोस्ट अपग्रेडेड–2006 MK-5 मॉडल इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनें (EVM) का उपयोग किया जाएगा।

(2) मशीनों की आवश्यकता का ऑकलन एवं आवंटनः–

आयोग द्वारा जिलेवार ईवीएम की आवश्यकता का आंकलन कर पत्रांक एफ. 3(56)स्टोर/ई.वी.एम./रानिआ/2014/5408 दिनांक 26.11.2019 के माध्यम से समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को M-2 मॉडल की ईवीएम का आवंटन किया जा चुका है। अन्य मॉडल (MK-4, MK-5 & MPSV) की ईवीएम के आंवटन आदेश पृथक से जारी किए जाएगें। इसके अतिरिक्त यदि आपके जिले में मतदान केन्द्रों की संख्या के अनुसार आवंटित ईवीएम कम है तो आप आयोग को तुरन्त अवगत कराए ताकि तदनुरूप आपकी आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त ईवीएम का आंवटन किया जा सके।

M-2/MK-4/MK-5 मॉडल की मशीनों का उपयोग करने की स्थिति में चुनाव के लिये अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 16 तक है, तो एक कन्ट्रोल यूनिट तथा एक बैलेट यूनिट काम आयेगी, परन्तु निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या NOTA सहित 16 से अधिक होने पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैलेट यूनिटों की आवश्यकता होगी।

इसी प्रकार मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) मशीनों के उपयोग की स्थिति में चुनाव के लिये नोटा सहित अभ्यर्थियों की संख्या 15 है, तो एक मतदान केन्द्र पर दोनों चुनाव करवाने के लिए एक कन्ट्रोल यूनिट एवं दो बैलेट यूनिट की आवश्यकता होगी, किन्तु यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या NOTA सहित 15 से अधिक होने पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैलेट यूनिटों की आवश्यकता होगी। यह मशीनों की आवश्यकता के आंकलन का एक आधार होगा। इसके अतिरिक्त **15 प्रतिशत मशीनें आरक्षित एवं 5 प्रतिशत मशीनें प्रशिक्षण के**

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

लिये अलग से रखी जावेगी। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण होने एवं जिले में स्थापित किए मतदान बूथों की संख्या के आधार पर मशीनों की आवश्यकता का अंतिम रूप से आंकलन कर ले।

(3) वोटिंग मशीनों का सुरक्षित भण्डारण :– वोटिंग मशीनों के भण्डारण के लिए निम्नांकित निर्देशों की पालना की जावे।

(i) जहां तक संभव हो वोटिंग मशीनें कोषालय में रखी जाये। यदि कोषालय में भण्डारण संभव नहीं हो तो जिला स्तर पर निर्धारित स्ट्रॉग रूम में वोटिंग मशीनों का भण्डारण किया जायें। जहां वोटिंग मशीनें रखी जाये, वहां पर वोटिंग मशीनों के अलावा अन्य कोई सामग्री नहीं रखी जाए।

(ii) आम तौर पर इन वोटिंग मशीनों को जिला मुख्यालय पर ही रखा जावे और किन्ही परिस्थितियों में यदि जिला मुख्यालय पर इनका भण्डारण संभव नहीं हो पाता है तो अन्य स्थान पर भण्डारण के लिये आयोग से पूर्व अनुमति ली जावे।

(iii) इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के भण्डारण कक्ष/हॉल में एक से अधिक प्रवेश बिन्दु नहीं हो। यदि एक से अधिक दरवाजे या खिडकियां है तो उन्हे कंक्रीट/पक्की चुनाई से बन्द कर दिया जावे।

(iv) इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के भण्डारण कक्ष/हॉल के प्रवेश द्वार को डबल लॉक प्रणाली से सुरक्षित किया जावे, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामित दो पृथक अधिकारियों के द्वारा चाबियॉ संधारित की जावे। इन दोनों अधिकारियों में से एक अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट के स्तर से कम नहीं होगा।

(v) जिस कक्ष/हॉल में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों का भण्डारण किया जावे वह बाढ/पानी के रिसाव/दरार/लीकेज/टूटी खिडकियां आदि से पूर्ण रूप से मुक्त हो। भण्डारण कक्ष में किसी प्रकार की नमी/कीट/मूषक आदि नहीं होने चाहिये। अग्नि शमन के समुचित प्रबंध उपलब्ध रहने चाहिये। मशीनें पूर्ण रूप से सुरक्षित तरीके से रखी जावें।

(vi) भण्डारण कक्ष पर पुलिस/सुरक्षा गार्ड को नियुक्त करते हुए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम भी रखें।

(vii) मशीनों के भण्डारण कक्ष (Warehouse) को खोलने/बन्द करने की प्रक्रिया, मशीनों को लाने–ले जाने, भौतिक सत्यापन करने एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को इसकी सूचना और उनकी उपस्थिति के संबंध में विवरण अंकित करने के लिए एक लॉग बुक संधारित की जायें जो प्रतिदिन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए।

(4) चुनाव में उपयोग में आने वाली EVM का रजिस्टर एवं सॉफ्टवेयर में संधारणः–

(i) ईवीएम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर में मशीनों का इन्द्राज करनाः– आम चुनावों में उपयोग में ली जाने वाली ईवीएम मशीनों से संबंधित समस्त सूचना जैसे कन्ट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट एवं SDMM के यूनीक नम्बर जिले में उपलब्ध मशीन, मॉडल, संख्या, अधिकारी आदि की जानकारी जो स्थाई स्टॉक पंजिका में संग्रहित की जाती है उसकी समस्त सूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित ईवीएम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर में इन्द्राज की जावे। इसके लिए वेबसाइट esuchi.rajasthan.gov.in पर जिलों को दिये गये login-id एवं password के द्वारा उक्त सूचना अंकित करनी होगी। इस सॉफ्टवेयर पर कार्य करने का प्रशिक्षण जिले के उपखण्ड अधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनर (MT) को नगरपालिका चुनाव में दिया जा चुका हैं। इसी सॉफ्टवेयर के जरिये प्रशिक्षण में काम आने वाली, चुनाव के उपयोग आने वाली ई.वी.एम. का जिलापरिषद् सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रवार एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रवार रेन्डमाईजेशन का कार्य भी सम्पन्न किया जायेगा।

(ii) सभी वोटिंग मशीनों का इन्द्राज esuchi.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है अतः मशीनों से संबंधित सूचना का प्रिंट लेकर चुनाव से संबंधित संभी गतिविधियों का तिथि वार अंकन किया जायेगा अर्थात पंचायतीराज चुनाव के लिए मशीन प्राप्त होने से लेकर चुनाव बाद निर्वाचन याचिका के निस्तारण/मियाद समाप्त होने के पश्चात् मशीन को क्लीयर कर भण्डारण कक्ष में वापस जमा होने तक प्रत्येक गतिविधि का अंकन किया जायेगा।

(iii) esuchi.rajasthan.gov.in पर बाद की कार्यवाहियों के इन्द्राज यथा FLC चैकिंग तिथि, चैकिंग के बाद सुरक्षित स्टोर में रखने की तिथि, आवंटन का प्रकार यानि प्रशिक्षण हेतु आवंटन अथवा मतदान के उपयोग

हेतु आवंटन, किस अधिकारी को, किस पंचायत के लिए आवंटन किया गया, मशीन खराब है, अथवा चालू स्थिति में है, मतदान की तिथि, मतदान के उपयोग में आई है तो किस निर्वाचन में अथवा आरक्षित रही है आदि का अंकन इस सॉफ्टवेयर में किया जावे। ठीक प्रकार से रिकॉर्ड संधारण करने के लिए जब–जब आवश्यकता हो तो इसका प्रिंट लेकर एवं हस्ताक्षर मय दिनांक रिकॉर्ड में रख लिया जावे।

(5) **मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच** (First Level Checking) :–

(i) F.L.C. का कार्य जिला स्तर पर करवाया जावें।

(ii) मशीनों की चैकिंग आप अपने विज्ञ स्टॉफ जो कि, पिछले लोकसभा / विधानसभा / नगरपालिका चुनावों में इस कार्य में EVM ट्रेनर के रूप में कार्य कर चुका है और जिन्होंने EVM प्रशिक्षण का भी अनुभव है, उनका उपयोग इस प्रथम स्तरीय जांच के कार्य में लेवें। निर्माता फर्म ECIL / BEL के तकनीशियनों या इंजिनियरों की देखरेख में मशीन की प्रथम स्तरीय जॉच (FLC) करवाई जाएगी।

(iii) मशीनों की चैकिंग के कार्य के लिए जिला स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जावे। यह अधिकारी राजस्थान प्रशासनिक / तहसीलदार सेवा के स्तर से कम का नहीं होगा। F.L.C. की पूर्ण प्रक्रिया की विडियोग्राफी की जायेगी। (विडियोग्राफी के संबंध में विस्तृत निर्देश आयोग के आदेश क्रमांक प. 7(1)(3)पंचा / रानिआ / 14–15 / 2750 दिनांक 07.08.2019 के द्वारा जारी किये जा चुके है।) उक्त वीडियो की सीडी जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में रहेगी। इसके अतिरिक्त F.L.C. हॉल में सीसीटीवी कैमरा भी इस प्रकार लगाए जाएगें कि जिला निर्वाचन अधिकारी अपने कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से F.L.C. की प्रक्रिया देख सके। मशीनों की चैकिंग जिला मुख्यालय पर उक्त प्रभारी अधिकारी की निगरानी में ही करवाई जावें। प्रथम स्तरीय जांच हेतु इलेक्ट्रोनिक्स कॉपोरेशन इण्डिया लिमिटेड (ECIL) एवं (BEL) के इंजिनियर जिले में उपलब्ध रहेगें, जिसका कार्यक्रम अलग से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जावेगा। अतः F.L.C. का कार्य दिनांक **05.01.2020** तक जिलास्तर पर सम्पन्न करा लिया जावें।

(iv) मशीनों की F.L.C. जिला मुख्यालय पर ही करवाई जावें। सामान्यतः लगभग 100 मशीनें (बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट) की F.L.C. प्रतिदिन एक इंजिनियर द्वारा की जा सकती हैं। F.L.C के दौरान उपस्थित रहने के लिए राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सभी राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को भी बुलाया जायेगा। अतः ECIL/BEL के इंजिनियर्स का कार्यक्रम निश्चित होने पर F.L.C. के कार्यक्रम व स्थान की सूचना आपके द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को लिखित में दी जानी हैं। यह सूचना F.L.C. प्रारम्भ होने के कम से कम 3 दिन पूर्व देनी चाहिए।

(v) F.L.C. के दौरान सभी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के द्वारा अधिकृत किए हुए प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेगें और इन्हें ही आने की अनुमति दी जा सकेगी। इन अधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर (जो इच्छुक हो) एक पृथक रजिस्टर **(Anx-3)** में लिए जायेगें।

(vi) मशीनों की F.L.C. के लिए जिला मुख्यालय पर एक बडे हॉल का चयन करें। हॉल का आकार इतना बडा हो कि जिन मशीनों की F.L.C. होनी हैं उन्हें उस हॉल में चैकिंग से पूर्व, चैकिंग के दौरान और चैकिंग के बाद आसानी से रखा जा सके, साथ ही F.L.C. के समय ECIL / BEL के इंजिनियर्स, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारीगण तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण भी हॉल में उपस्थित रह सकें।

(vii) F.L.C. के लिए हॉल का उपयोग करने से पूर्व उस हॉल को पूर्ण रूप से स्वच्छ कर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वह हॉल अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रोनिक उपकरण या इलेक्ट्रोनिक उपकरण के किसी कम्पोंनेंट से पूर्णतया मुक्त हैं। हॉल के प्रवेश बिन्दु पर पुलिस बल तैनात कर उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी की जावें। प्रवेश द्वार पर डोर फ्रेम मैटल डिटेक्टर लगाया जावें। हॉल में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की तलाशी प्रवेश बिन्दु पर ली जावे। केवल उसी व्यक्ति को हॉल में प्रवेश दिया जाए जो जिला निर्वाचन अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुमति प्रत्र प्रस्तुत करें।

(viii) **F.L.C. के समय उक्त हॉल में किसी भी व्यक्ति (अधिकारी/कर्मचारी सहित) को किसी इलेक्ट्रोनिक उपकरण जैसे कि सैलफोन, कैमरा, स्पाईपेन इत्यादि को ले जाने की अनुमति नहीं होगी और किसी भी व्यक्ति को F.L.C. हॉल के बाहर कोई वस्तु ले जाने की अनुमति भी नहीं होगी।**

(ix) इंजिनियर्स की दक्षता, उनकी योग्यता और ईमानदारी के लिए निर्माता फर्म ECIL/BEL पूर्णरूप से जिम्मेदार रहेगी। F.L.C. हॉल में केवल अधिकृत इंजिनियर्स/तकनीकी स्टॉफ को प्रवेश दिया जायेगा। **हॉल में प्रवेश के समय वे अपनी पहचान फोटोयुक्त दस्तावेज के आधार पर स्थापित कर सकेगें।** अन्य किसी इंजिनियर या तकनीकी स्टॉफ को हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

(x) F.L.C. के दौरान कंट्रोल यूनिटों/बैलेट यूनिटों पर से एड्रेस टैग, मतपत्र हटाना, उन पर लिखावट आदि साफ करना, डेटा क्लीयर करना, कन्ट्रोल यूनिट/बैलेट यूनिट के कैरिंग बक्सों, कनेक्टिंग केबल आदि को देखना कि कहीं से क्रेक तो नहीं है आदि कार्यों के साथ यह भी देखा जायेगा कि मशीनें पूर्णतः चालू है। सभी बटनों को चैक किया जायेगा। निर्माता कम्पनी के अधिकृत इंजीनियर ई.वी.एम की जांच कर यह प्रमाणित करेंगे कि ई.वी.एम. के सभी कम्पोनेन्ट मौलिक (Original) है यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र (**Anx-4**) में होगा। यदि कोई मशीन खराब है तो उसे अलग रखा जायेगा। फील्ड में मशीन की मरम्मत नहीं होगी। फील्ड में मशीन के प्लास्टिक केबिनेट को खोलने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। मशीनों का कोई भाग फील्ड में नहीं बदला जाये, यह पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। निर्माता कम्पनी (ECIL/BEL) के अधिकृत इंजीनियर कौनसे उपकरण रखेंगे इसकी एक निर्धारित सूची है इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपकरण इनके द्वारा हॉल में नहीं ले जाया जा सकेगा।

(xi) मशीनों की चैकिंग में यह विशेष ध्यान रखा जावे कि, मशीन के सभी प्रकार के बटन चालू हालत में हों। सभी बटनों अर्थात बैलेट यूनिट के सभी अभ्यर्थियों के बटन, ऑन–ऑफ स्विच, कंडीडेट सैट बटन, बैलेट बटन, क्लोज बटन, टोटल बटन, रिजल्ट बटन, क्लीयर बटन, डिस्पले पैनल, प्रत्येक बटन के साथ बीप की आवाज, रियल टाईम क्लॉक एवं बैटरी पैक को चैक किया जावे।

(xii) चैकिंग के दौरान प्रत्येक मशीन से प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए डमी वोट डालकर भी मशीन को चैक किया जावे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मशीन चुनाव के लिए उपयुक्त एवं पूर्णतः चालू हालत में हैं।

(xiii) FLC के दौरान 10 प्रतिशत ई.वी.एम. में प्रत्येक ई.वी.एम. पर कम से कम 25 मत का मॉक पोल किया जावें। किये गये मॉक पोल को **Anx-5** के प्रारूप में रजिस्टर में संधारित किया जायें। साथ ही किये गये मॉक पोल के परिणाम को **Anx-6** के प्रारूप में रजिस्टर में संधारित किया जायें। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी उक्त प्रारूप के रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर (जो इच्छुक हो) करने हेतु कहा जायेगा।

(xiv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि F.L.C. के बाद इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट को खोला नहीं गया है कंट्रोल यूनिट को नासिक सिक्यूरिटी प्रेस द्वारा मुद्रित स्पेशल "Pink Paper Seal" से सील किया जायेगा और यह सीलिंग की कार्यवाही राजनैतिक दलों के F.L.C. के समय उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष की जायेगी। उक्त "Pink Paper Seal" कंट्रोल यूनिट के कंडिडेट सैट सैक्शन तथा रिजल्ट सैक्शन के मध्य वाले हिस्से में लगाई जाएगी। उक्त "Pink Paper Seal" लगाने के बाद ECIL/BEL के इंजिनियर्स द्वारा सील के उपर अपने हस्ताक्षर किए जाएगें। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी उक्त सील पर अपने हस्ताक्षर (जो इच्छुक हो) करने हेतु कहा जायेगा और वे अपने हस्ताक्षर करने के साथ हस्ताक्षरों के नीचे संक्षिप्त में अपने दल का नाम भी सील पर अंकित कर सकेगें।

(xv) कंट्रोल यूनिट पर F.L.C. के समय लगायी जाने वाली "Pink Paper Seal" का क्रमांक नोट करने के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अनुमति दी जायेगी। इसके अतिरिक्त एक रजिस्टर (**Anx-7**) भी संधारित किया जायेगा जिसमें प्रत्येक कंट्रोल यूनिट का यूनिक आई. डी. नम्बर दर्शाते हुए यह स्पष्ट अंकन किया जायेगा कि उस कंट्रोल यूनिट पर कौनसे क्रमांक की "Pink Paper Seal" लगाई गई है। इस रजिस्टर में भी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर (जो इच्छुक हो) लिए जाएगें। इस रजिस्टर की फोटो प्रतियां निशुल्क प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के प्रतिनिधी को F.L.C. समाप्त होते ही दी

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

जाएगी। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि के पश्चात् चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों को भी उक्त रजिस्टर की फोटोप्रति निशुल्क दी जायेगी और इनकी रसीद भी रजिस्टर पर प्राप्त की जायेगी।

(xvi) उपरोक्त वर्णित विशेष "Pink Paper Seal" जो कि नासिक सिक्यूरिटी प्रैस से मुद्रित हैं राज्य निर्वाचन आयोग के भण्डार से आपको उपलब्ध करवाई जायेगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा FLC से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराने से संबंधित आदेश अलग से जारी किया जायेगा।

(xvii) प्रत्येक चैक की हुई नियंत्रण यूनिट एवं बैलेट यूनिट के पीछे एक सफेद रंग का आयताकार स्टीकर चिपकाया जायेगा जिसमें जिले का नाम, FLC की तिथि, कन्ट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट एवं SDMM (यदि MPSV मशीन है) के यूनीक नंबर दर्ज किये जावें और प्रभारी अधिकारी (चैंकिग) ECIL / BEL के तकनीशियनों या इंजिनियरों द्वारा उक्त स्टीकर पर चैकिंग के तुरन्त बाद स्टीकर में निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर मय तिथि के किये जावें।

(xviii) चैकिंग के तुरन्त बाद नियंत्रण यूनिट/बैलेट यूनिट के पीछे लगाये जाने वाले सफेद रंग के आयताकार स्टीकर **(Anx–1)** राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराए गये हैं। ये स्टीकर आपको FLC से संबंधित सामग्री के साथ आवंटित किये जायेगें।

(xix) अपेक्षित मात्रा में मशीनें प्राप्त कर मशीनों की First Level Checking का कार्य दिनांक **05.01.2020** तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जावे।

(xx) मशीनों की F.L.C. करने की अवधि के दौरान प्रत्येक दिवस को FLC हॉल को बन्द करने और अगले दिवस पुनः खोलने की प्रक्रिया एवं जॉच व प्रमाण पत्र प्राप्त मशीनों को तुरन्त ही एक सुरक्षित अभिरक्षा वाले कक्ष में रखने की व्यवस्था की जावे। चैक की हुई ऐसी मशीनों एवं FLC हॉल के लिए डबल लॉक की व्यवस्था की जावे। डबल लॉक की एक चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास तथा दूसरी चाबी किसी अन्य अधिकारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी नामित करे उसके पास रहे। चैक की हुई उक्त मशीनों के कक्ष को सील भी किया जावे और इसको खोलने व वापस बन्द करने तथा प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के नाम, पता व तिथि, समय व प्रयोजन दर्शाते हुए एक लॉगबुक संधारित की जावे। उक्त सीलबन्द सुरक्षित कक्ष में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करें।

(6) प्रशिक्षण हेतु वोटिंग मशीनों की छंटनी एवं मतदान के उपयोग हेतु मशीनों का रिटर्निंग अधिकारियों को आवंटन :–

(i) प्रत्येक चैक की हुई नियंत्रण यूनिट एवं बैलेट यूनिट के यूनिक नंबर का डेटा बेस जिला स्तर पर तैयार किया जावे। चैक की हुई ऐसी सभी नियंत्रण यूनिटों एवं बैलेट यूनिटों के डेटा बेस से **मेन्युअल रेन्डम** आधार पर जिले में सभी पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक मात्रा में नियंत्रण यूनिट एवं बैलेट यूनिट की छंटनी कर उन्हे पृथक कर लिया जावे। मतदान केन्द्रों की संख्या की 5 प्रतिशत मात्रा में मशीनें प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त हैं। मेन्युअल रेन्डम आधार पर छंटनी का कार्य राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्पन्न किया जावे।

(ii) प्रशिक्षण हेतु छंटनी कर अलग की गई मशीनों का उपयोग मतदान में नहीं किया जावे। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण के लिए अलग की हुई मशीनों के ऊपर एक **गुलाबी रंग का गोल स्टीकर** **(Anx–2)** चिपकाया जावे। यह स्टीकर आपको राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा FLC के लिए उपलब्ध कराई जा रही सामग्री में दिया जायेगा।

(iii) प्रशिक्षण के लिए छंटनी कर पृथक की गई मशीनों को प्रशिक्षण के लिये प्रभारी अधिकारियों को आवंटित किया जायेगा और गुलाबी रंग के स्टीकर जो मशीन के अग्र भाग पर लगाया जाना है, उस पर मशीन का यूनिक नंबर अंकित किया जायेगा, तथा प्रमाणन स्वरूप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षरित किया जायेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(iv) प्रशिक्षण हेतु पृथक की गई मशीनों की एक सूची मशीनों के यूनिक नंबर सहित तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय एवं रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित भी की जायेंगी, तथा राजनैतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधियों को वही मौके पर भी उपलब्ध करवा दी जायेगी।

(v) उक्त प्रकार से प्रशिक्षण हेतु पृथक की गई मशीने प्रशिक्षण देने वाले अधिकारियों को उसी दिन सुपुर्द कर उनसे हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए जावें।

(vi) प्रशिक्षण हेतु मशीनों की छंटनी का कार्य **05.01.2020** तक संपन्न कर लिया जाये।

(vii) प्रशिक्षण का कार्य जिला स्तर पर सम्पन्न किया जायेगा।

(7) प्रथम स्तरीय जांच के बाद मशीनों का भण्डारणः–

(i) किसी भी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी को मशीनों की चैकिंग, भण्डारण, आवंटन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहना चाहिए। इसलिए मशीनों की चैकिंग के बाद भण्डारण, आवंटन, वितरण आदि गतिविधियों में भी पारदर्शिता रहनी चाहिये और प्रत्येक गतिविधि की जानकारी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों को होनी चाहिए।

(ii) जॉच व प्रमाण पत्र प्राप्त मशीनों को तुरन्त ही अलग सुरक्षित अभिरक्षा वाले कक्ष में रखने की व्यवस्था की जावे। चैक की हुई ऐसी मशीनों को डबल लॉक में रखा जावे। डबल लॉक की एक चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास तथा दूसरी चाबी किसी अन्य अधिकारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी नामित करे उसके पास रहे। चैक की हुई उक्त मशीनों के कक्ष को सील भी किया जावे और इसको खोलने व वापस बन्द करने तथा प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के नाम, पता व तिथि, समय व प्रयोजन दर्शाते हुए एक लॉगबुक संधारित की जावे और उस कक्ष के दरवाजे पर अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधी भी चाहें तो हस्ताक्षर अथवा सील लगा सकेंगे। यदि कोई राजनैतिक दल इस लॉगबुक की फोटो प्रति चाहे तो प्रदान की जावें।

(iii) इस आदेश के बिन्दु संख्या (3) वोटिंग मशीनों के सुरक्षित भण्डारण के संबंध में दिये गये दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

(iv) जब भी उक्त स्ट्रॉग रूम को खोला जाये तो उसकी पूर्व सूचना राजनैतिक दलों को दी जाये।

(8) मतदान के उपयोग हेतु मशीनों का जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रवार पृथक–पृथक आवंटनः–

(i) प्रशिक्षण हेतु मशीनों को पृथक किये जाने एवं उन्हें प्रशिक्षण के प्रभारी अधिकारियों को दिये जाने के उपरान्त शेष बची मशीनों में से मतदान के उपयोग हेतु ई.वी.एम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा रेण्डम आधार पर जिलापरिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रवार आवंटित कर दिया जावे। जो मशीनें जिला परिषद् सदस्य के चुनाव के लिये निर्धारित की गई है उन पर **पीला स्टीकर** तथा जो मशीनें पंचायत समिति सदस्य के लिये निर्धारित की गई है उन पर **नीला स्टीकर** चिपकाया जायेगा। जिलापरिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रवार आवंटन के पश्चात शेष बची मशीनों को आरक्षित मशीनों के रूप में सुरक्षित रख लिया जावें।

आरक्षित मशीनों को जिला परिषद् सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के मतदान बूथों के अनुपात में तथा जिलें की भौगोलिक स्थितियों एवं दूरी को ध्यान में रखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) पंचायत समितियों को आवंटित करेंगे। उचित होगा कि ऐसी पंचायत समिति जो कि अन्य पंचायत समिति के केन्द्र में है एवं जहां से सुगमता से अन्य पंचायत समितियों पर कम समय में पहुॅचा जा सकता है वहां पर अपेक्षाकृत अधिक आरक्षित मशीनों को रखा जावें ताकि जिला परिषद सदस्य अथवा पंचायत समिति के जिस बूथ की मशीन खराब हो तो आरक्षित मशीन को उसके अनुरूप तैयार कराकर तत्काल पहुँचाया जा सकें।

आवंटित एवं आरक्षित मशीनें संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को सुपुर्द की जायेगी। यह आवंटन की कार्यवाही मशीनों की तैयारी (Commissioning of EVM) से 3–4 दिवस पूर्व की जावेंगी। मशीनों के

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

आवंटन के समय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी लिखित में आमंत्रित किया जाये ताकि वे भी कार्यवाही देख सकें और इस कार्यवाही का विवरण तैयार कर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर रिकार्ड में रखा जावें। ई.वी.एम ट्रेकिंग सॉफ्टवेयर के जरिये रेण्डम आधार पर जिला परिषद् सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रवार एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रवार आवंटन का कार्य जिला स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर के द्वारा सम्पन्न कराया जावें।

(ii) आवंटित एवं आरक्षित नियंत्रण यूनिटों एवं बैलेट यूनिटों की एक सूची यूनीक नंबर दर्शाते हुए तैयार की जायेगी जो जिला निर्वाचन अधिकारी के मनोनीत अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी। इस सूची को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा, साथ ही मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को इसकी एक प्रति सुपुर्द कर उनके हस्ताक्षर भी प्राप्त किये जायेंगें।

(iii) मशीनों के आवंटन के बाद निर्धारित नियंत्रण यूनिट व बैलेट यूनिट के पीछे के भाग पर सफेद स्टिकर पर जिला परिषद्/पंचायत समिति का नाम तथा क्षेत्र संख्या अंकित किया जावे।

(9) मतदान उपयोग हेतु वोटिंग मशीनों की तैयारी (Commissioning of EVM) :–

(i) मतदान हेतु मशीनों की तैयारी का कार्य BEL/ECIL के अधिकृत इंजीनियरों के द्वारा कराया जायेगा और यह कार्य जिला स्तर पर कराया जायेगा।

(ii) चुनाव चिन्हों के आवंटन के पश्चात् ही मतपत्रों का मुद्रण संभव होगा। चुनाव चिन्ह आवंटन की तिथि एवं मतदान की तिथि के मध्य अन्तराल भी कुछ ही दिनों का होता है ऐसी स्थिति में बैलेट यूनिट पर लगाये जाने वाले मतपत्रों का मुद्रण दो या तीन दिन के भीतर ही करा लेना आवश्यक है। इन मतपत्रों के मुद्रण के बाद ही वोटिंग मशीनों की तैयारी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कराया जाना संभव है, अतः उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मतदान के कम से कम तीन दिन पूर्व की तिथि वोटिंग मशीनों की तैयारी के लिए निश्चित करके रखी जावे।

(iii) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वोटिंग मशीनों की तैयारी करने की तिथि, समय, एवं स्थान के बारे में चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों को आवश्यक रूप से पूर्व में ही लिखित नोटिस के द्वारा अवगत करा दिया जावे और उन्हे स्वयं या अपने प्रतिनिधियों को उक्त समय, स्थान व तिथि पर उपस्थित होने के लिए लिखा जावे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक (यदि उपलब्ध है तो) को भी उक्त कार्यक्रम से अवगत कराया जावे ताकि वे भी मशीनों की तैयारी की प्रक्रिया को देख सकें। उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर एक निर्धारित रजिस्टर (**Anx-8**) में लिए जाये।

(iv) बैलेट यूनिट में लगाये जाने वाले मतपत्र के पीछे रिटर्निंग अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर सील भी लगायेगें। नियंत्रण यूनिट में नई बैटरी लगाने, कण्डीडेट सैट करने, कण्डीडेट सैट खण्ड को सील करने आदि की कार्यवाही स्टेप–बाई–स्टेप रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसी प्रक्रिया से की जाये जैसा कि EVM की अनुदेश निर्देशिका (Instructions Guide) में बताया गया है। तैयार करतें ही बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट के कण्डीडेट सैट खण्ड को रिटर्निंग अधिकारी टैग के साथ सील एवं हस्ताक्षर करेगें और उपस्थित अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों से भी अपने हस्ताक्षर करने हेतु कहेगें।

(v) **MPSV मॉडल की मशीनों में केण्डीडेट सैट करते समय जब 'Enter Ward No.' का संदेश आता है, उस समय वार्ड नम्बर के लिए निर्धारित चार अंको में प्रथम दो अंकों में जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या एवं अगले दो अंकों में पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र संख्या अंकित की जानी है।**
उदाहरण – 1. जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 15 एवं पंचायती समिति निर्वाचन क्षेत्र संख्या 23 है तो वार्ड नम्बर के लिए निर्धारित चार अंको में प्रथम दो अंको में 15 एवं अगले दो अंको में 23 अर्थात 1523 अंकित किया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

उदाहरण – 2. जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 एवं पंचायती समिति निर्वाचन क्षेत्र संख्या 7 है तो वार्ड नम्बर के लिए निर्धारित चार अंको में प्रथम दो अंको में 03 एवं अगले दो अंको में 07 अर्थात 0307 अंकित किया जाएगा।

(vi) यदि MPSV मॉडल की मशीन का उपयोग किया जा रहा है एवं अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 15 तक हैं तो बैलेट यूनिट के स्लाईड स्विच को 1 स्थिति पर सेट करेंगे। नोटा सहित 15 से अधिक अभ्यर्थी होने पर तदानुसार द्वितीय बैलेट यूनिट के स्लाईड स्विच को 2 और इसी प्रकार तीसरी बैलेट यूनिट के स्लाईड स्विच को 3 एवं चतुर्थ बैलेट यूनिट के स्लाईड स्विच को 4 पर सेट करेंगे।

(vii) यदि M-2, MK-4, MK-5 मॉडल की मशीन का उपयोग किया जा रहा है एवं अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 16 तक हैं तो बैलेट यूनिट के स्लाईड स्विच को 1 स्थिति पर सेट करेंगे। नोटा सहित 16 से अधिक अभ्यर्थी होने पर तदानुसार द्वितीय बैलेट यूनिट के स्लाईड स्विच को 2 और इसी प्रकार तीसरी बैलेट यूनिट के स्लाईड स्विच को 3 एवं चतुर्थ बैलेट यूनिट के स्लाईड स्विच को 4 पर सेट करेंगे।

(viii) मतपत्र बैलेट यूनिट में लगाते समय ध्यान रखें कि मतपत्र में अभ्यर्थियों के पैनल की लाईनों का एलाइनमेंट बैलेट यूनिट में अभ्यर्थी के लिए निर्धारित स्थान की सीध में ही हो।

(ix) मतदान के उपयोग हेतु तैयार की गई मशीनों की सूची उनके यूनीक नंबर व आवंटित मतदान केन्द्र दर्शाते हुए अभ्यर्थियों/प्रतिनिधियों को तत्समय ही देकर हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये जाये। एक जिला परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र/ पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपरोक्त कार्यवाही करने के पश्चात अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मशीनों की तैयारी एक–एक करके की जाये।

(x) निर्धारित आरक्षित मशीनों को पंचायत समिति स्तर पर रखा जावें।

(xi) इस आदेश के बिन्दु संख्या (5)–मशीनों की प्रथम स्तरीय जॉच के उपबिन्दु संख्या (v) से (viii) में वर्णित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(xii) मतदान मशीनों की तैयारी के समय दिखावटी मतदान (Mockpoll) में 10 प्रतिशत मशीनों में प्रत्येक मशीन पर 25 मत दिये जायेंगे एवं शेष मशीनों में अभ्यर्थियों की संतुष्टी के लिए एवं समय की उपलब्धता के अनुसार दिखावटी मतदान (Mockpoll) से मत दिये जा सकेंगे। दिखावटी मतदान (Mockpoll) के दौरान् अभ्यर्थी स्वयं भी मत दे सकेंगे।

(xiii) मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष दिखावटी मतदान (Mockpoll) किए जाने के संबंध में अभ्यर्थी/राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर रजिस्टर (**Anx-9**) में प्राप्त किए जावें।

(xiv) दिखावटी मतदान (Mockpoll) के पश्चात् मशीनों पर परिणामों का प्रिन्ट आऊट दिखाए जाने की प्रक्रिया पूर्ण कर निर्धारित रजिस्टर (**Anx-10**) में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर प्राप्त किए जावें।

(xv) यह ध्यान रखा जाए कि कंट्रोल यूनिट पर Pink Paper Seal जो FLC के समय लगायी गयी थी वह सुरक्षित रहें, तैयारी की प्रक्रिया में कहीं क्षतिग्रस्त ना हो जाए।

(xvi) मशीनों की तैयारी जिसमें बैलेट यूनिट में मतपत्र भी लगाया जाता है। बैलेट यूनिट को भी स्पेशल "Pink Paper Seal" से सील किया जायेगा और यह सीलिंग की कार्यवाही अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष की जायेगी। उक्त "Pink Paper Seal" बैलेट यूनिट के सबसे निचले हिस्से पर लगायी जायेगी ताकि किसी अभ्यर्थी का नाम या चिन्ह ढक नहीं जाए। उक्त "Pink Paper Seal" पर ECIL/BEL के इंजिनियर्स द्वारा अपने हस्ताक्षर किए जाएगें। अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों को भी उक्त सील पर अपने हस्ताक्षर (यदि इच्छुक हो तो) करने हेतु कहा जायेगा और वे अपने हस्ताक्षर करने के साथ हस्ताक्षरों के नीचे संक्षिप्त में अपना व अपने दल का नाम भी सील पर अंकित कर सकेंगें।

(xvii) बैलेट यूनिट पर तैयारी के समय लगायी जाने वाली "Pink Paper Seal" का कमांक नोट करने के लिए अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों को अनुमति दी जायेगी। इसे रजिस्टर में अंकित किया जायेगा जिसमें

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

प्रत्येक बैलेट यूनिट का यूनिक आई. डी. नम्बर दर्शाते हुए यह स्पष्ट अंकन किया जायेगा कि उस बैलेट यूनिट पर कौनसे क्रमांक की "Pink Paper Seal" लगाई गई है। इस रजिस्टर में भी अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर (यदि इच्छुक हो तो) लिए जाएगें। तैयारी पूर्ण होने पर इस रजिस्टर **(Anx-11)** की फोटोप्रतियां चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निशुल्क दी जायेगी और इनकी प्राप्ति रसीद भी रजिस्टर पर प्राप्त की जायेगी।

(xviii) मशीनों की तैयारी का पर्यवेक्षण रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जाएगा। EVM की तैयारी की पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।

(xix) जिला परिषद् सदस्य के चुनाव के लिये निर्धारित कन्ट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट पर **पीले रंग** के मतपत्र/स्टीकर/एड्रेस टैंग का प्रयोग होगा तथा पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिये निर्धारित कन्ट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट पर **नीले रंग** के मतपत्र/स्टीकर/एड्रेस टैग का प्रयोग होगा।

(xx) जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रवार मतदान के लिये तैयारशुदा मशीनों को भण्डारण के समय मिश्रण न हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जावें।

(10) तैयार शुदा वोटिंग मशीनों एवं आरक्षित मशीनों की सुरक्षित अभिरक्षाः—

(i) किसी भी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी को मशीनों की चैकिंग, भण्डारण, आवंटन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहना चाहिए। इसलिए मशीनों की चैकिंग के बाद भण्डारण, आवंटन, वितरण आदि गतिविधियों में भी पारदर्शिता रहनी चाहिये और प्रत्येक गतिविधि की जानकारी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों को होनी चाहिए।

(ii) जॉच व प्रमाण पत्र प्राप्त जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रवार आवंटित तैयार शुदा एवं आरक्षित मशीनों को तुरन्त ही जिला स्तर पर अलग—अलग सुरक्षित अभिरक्षा वाले कक्ष में रखने की व्यवस्था की जावे। तैयार की हुई ऐसी मशीनों को डबल लॉक में रखा जावे। डबल लॉक की एक चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास तथा दूसरी चाबी किसी अन्य अधिकारी जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी नामित करे उसके पास रहे। तैयार की हुई उक्त मशीनों के कक्ष को सील भी किया जावे और इसको खोलने व वापस बन्द करने तथा प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के नाम, पता व तिथि, समय व प्रयोजन दर्शाते हुए एक लॉगबुक संधारित की जावे और उस कक्ष के दरवाजे पर अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधी भी चाहें तो हस्ताक्षर अथवा सील लगा सकेंगे। यदि कोई राजनैतिक दल इस लॉगबुक की फोटो प्रति चाहे तो प्रदान की जावें।

(iii) इस आदेश के बिन्दु संख्या (3) वोटिंग मशीनों के सुरक्षित भण्डारण के संबंध में दिये गये दिशा—निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

(iv) जब भी उक्त स्ट्रॉंग रूम को खोला जाये तो उसकी पूर्व सूचना अभ्यर्थियों को दी जाये।

(11) मतदान दलों को तैयार शुदा वोटिंग मशीनों का वितरणः—

(i) जहां पर उक्त तैयार शुदा वोटिंग मशीन रखी गई है वहां से मतदान कार्मिकों को वोटिंग मशीन वितरण करने का स्थल यदि भिन्न है तो वोटिंग मशीनों के परिवहन का कार्यक्रम पर्यवेक्षक तथा अभ्यर्थियों को पूर्व में अवगत कराया जाये। वोटिंग मशीन के परिवहन में मशीनों की समुचित सुरक्षा की जाये। वितरण स्थल पर भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखी जाये। तैयार शुदा वोटिंग मशीनों का वितरण जिला स्तर से ही सम्पन्न किया जायेगा।

(ii) पीठासीन अधिकारियों को जब मशीनें वितरित की जाये तब पीठासीन अधिकारियों के प्राप्ति हस्ताक्षर लिए जाये। कौनसी मशीन किस मतदान बूथ के लिए दी गई है इसका पर्याप्त रिकार्ड रखा जाये। मतदान दलों को मशीनें देते समय सुनिश्चित किया जाए कि मशीनों पर लगी हुयी सभी सीलें सुरक्षित हैं।

(iii) पीठासीन अधिकारियों को यह भी बताया जाये कि उन्हें प्रदान की गई मशीन का नंबर वे चैक कर लें कि मशीन का नंबर मशीन के पीछे लगे स्टीकर, मतपत्र और ऐड्रेस टैग के अंकन के अनुसार ही है।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(iv) जहां किसी मतदान केन्द्र पर मतदान से पूर्व या मतदान के दौरान कोई मशीन बदली जाये तो उसकी लिखित सूचना अभ्यर्थियों को भी उपलब्ध कराई जाये।

(12) वोटिंग मशीन से संबंधित रजिस्टर का संधारणः–

(i) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भी अपने स्तर पर मतदान के उपयोग हेतु प्राप्त सभी मशीनों के विवरण के साथ एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा जिसमें ये समस्त जानकारी होगी कि कौनसी नियंत्रण यूनिट/बैलेंट यूनिट कौनसी पंचायत की किस मतदान केन्द्र पर उपयोग में आयी है, किस चुनाव में काम आयी है या कौनसी नियंत्रण यूनिट/बैलेट यूनिट बदली गई है आदि।

(ii) मतदान के बाद प्राप्त होने वाली मशीनों का विवरण भी उक्त रजिस्टर में अंकित किया जायेगा।

(13) मतदान पश्चात वोटिंग मशीन की सुरक्षित अभिरक्षाः–

(i) जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतगणना कार्य चूंकि जिला स्तर मुख्यालय पर ही होना है, अतः मतदान के पश्चात वोटिंग मशीन निर्वाचन क्षेत्रवार जिला स्तर मुख्यालय पर ही मतगणना स्थल पर सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जायेगी। वोटिंग मशीन के स्ट्रॉग रूम को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सीलबन्द रखा जायेगा। अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी स्ट्रॉग रूम के दरवाजे/खिडकियों पर अपनी सील लगाने की अनुमति दी जायेगी तथा उन्हे यह अनुमति भी दी जायेगी कि वे एक पर्याप्त दूरी से स्ट्रॉग रूम की निगरानी रख सकते है।

(ii) स्ट्रॉग रूम की सुरक्षा के लिए उपयुक्त स्थानों पर CCTV कैमरे भी स्थापित किये जायेगें।

(iii) स्ट्रॉग रूम में अग्नि सुरक्षा के उपाय भी रखे जायेंगे।

(iv) स्ट्रॉग रूम व मतगणना परिसर में दोहरे स्तर की सुरक्षा व्यवस्था रखी जायेगी।

(v) मतगणना कक्ष में जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन क्षेत्रवार आवंटित नियंत्रण यूनिट एवं निर्वाचन क्षेत्र में खराब हुई मशीन के स्थान पर काम में आई आरक्षित मशीन की सूची मतगणना के दौरान नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी।

(vi) जहां पर पुनर्मतदान होगा उस मतदान केन्द्र पर मूल रूप से मतदान में उपयोग में लाई गई मशीन भी स्ट्रॉग रूम में ही रखी जायेगी जिस पर साफ–साफ एक टैग "**गणना नहीं करनी है**" अंकित करते हुए उस नियंत्रण यूनिट पर लगाया जायेगा और उसे सील बन्द ही रखा जायेगा। पुनर्मतदान होने पर नई मशीन पर साफ–साफ टैग "**पुर्नमतदान की वोटिंग मशीन–गणना की जानी है**" अंकित करते हुए लगाया जायेगा। उपरोक्त दोनों प्रकार के टैग रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेगें।

(14) ई.वी.एम. संबंधी तैयारी आदि घटनाओं की विडियोग्राफीः–

पारदर्शिता के लिए यह भी निर्देश दिए जाते है कि वोटिंग मशीन की विभिन्न स्तरों पर की गई गतिविधियों यथा वोटिंग मशीन की तैयारी, वोटिंग मशीन की सीलिंग, स्ट्रॉग रूम की सीलिंग, स्ट्रॉग रूम को खोलने आदि प्रक्रियाओं की विडियोग्राफी भी की जाये। उक्त विडियोग्राफी का रिकार्ड समुचित रूप से संधारित रखा जावे, जो निर्वाचन रिकार्ड के रूप में संधारित होगा और अन्य रिकार्ड की भांति इसकी प्रमाणित नकल जारी की जा सकेगी।

(15) मतगणना के पश्चात मशीनों की सुरक्षित अभिरक्षाः–

मतगणना व परिणाम की घोषणा के पश्चात् यदि M2/MK-4/MK-5 मॉडल की मशीनें उपयोग में ली गई है तो मशीनों से बैटरी निकाल ली जावें और मशीन को सील कर दिया जावे।

यदि MPSV मॉडल की मशीनें काम ली गई है, तो मशीनों से बैटरी निकाल ली जावें और SDMM को भी कन्ट्रोल यूनिट से हटा कर आयोग के पत्रांक 2537 दिनांक 23.07.2019 के द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना करते हुये SDMM को सील कर लिया जावें तथा कन्ट्रोल यूनिटों एवं बैलेट यूनिटों को आगामी चुनावों में उपयोग के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को वापस कर दिया जावें।

समस्त आरक्षित मशीनें जिलों के भण्डारण कक्ष (Werehouse) में बिना किसी विलंब के जमा करा दी जावें। जो M-2, MK-4, MK-5 मशीनें मतदान में उपयोग में आयी हैं वें जिला मुख्यालय पर कोषागार या जिला निर्वाचन

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर रिटर्निंग अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जायेगी। निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के बाद निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने की मियाद 30 दिवस निर्धारित है। निर्वाचन याचिका प्रस्तुत होने की स्थिति में निर्वाचन याचिका के निस्तारण के तीन माह की अवधि समाप्त होने तक और अपील होने की स्थिति में अपील के निस्तारण तक मशीनें सीलबन्द सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जायेंगी। जिन वार्डों में कोई निर्वाचन याचिका प्रस्तुत नहीं होती है अथवा निर्वाचन संबंधी कोई मामला न्यायालय में नहीं हो वहां परिणामों की घोषणा के 30 दिवस बाद मशीनों को क्लीयर किया जायेगा, अर्थात मशीनों की सील हटायी जायेगी, नियंत्रण यूनिट की सूचना हटायी जायेगी, और बैलेट यूनिट में प्रदर्शित मतपत्र को भी हटाया जायेगा। इस विषय में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रसारित स्थाई आदेश सं. प. 4(2)(1)वो/ नपा/रानिआ/94/3150 दिनांक 6.11.99 का अनुसरण किया जाये।

(16) निर्वाचन विभाग की मशीनों को लौटाना :– उक्त कार्यवाही के बाद जो मशीनें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट स्थानों से प्राप्त की गई है उन ई.वी.एम. मशीनों को सुरक्षित रूप से यथा स्थान वापस लौटा दिया जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करें। इससे सभी रिटर्निंग अधिकारियों व अन्य संबंधित अधिकारियों को अवगत करायें। उक्त व्यवस्था से चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों को भी रिटर्निंग अधिकारियों के माध्यम से अवगत कराया जाये। उपरोक्त व्यवस्था समस्त आगामी चुनाव जो वोटिंग मशीनों से कराये जायेगें, वहां भी लागू होगी।

(17) ई.वी.एम. मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था :– ई.वी.एम. को निर्धारित स्थानों एवं अलग–अलग स्तर पर सुरक्षित रखने का पूर्ण दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी का है अतः जिला निर्वाचन अधिकारी संबंधित पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।

(18) ईवीएम उपयोग के संबंध में उक्त निर्देश जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचनों को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए है। यदि सरपंच एवं पंच का चुनाव ई.वी.एम. मशीनों से कराया जाता है तो यथाशक्य परिवर्तनों के साथ उक्त निर्देशों को लागू माना जाए। सरपंच पद के चुनाव के लिये निर्धारित कन्ट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट पर **सफेद रंग** के मतपत्र/स्टीकर/एड्रेस टैग का प्रयोग होगा, तथा पंच पद के चुनाव के लिये निर्धारित कन्ट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट पर **गुलाबी रंग** के मतपत्र/स्टीकर/एड्रेस टैग का प्रयोग होगा।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एंव सचिव

क्रमांकः एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2014/6047–48 दिनांकः 16.12.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
2. स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

Annexure –1

(सफेद रंग में)

Name of Election – ZP/PS Member
Name of District
Ballot Unit No.
First Level Check. Date
Date & Sign of checking official
Name Panchayat Samiti/Zila Parishad
Date & Sign. of DEO's representative
Deployment Status:- ZP/PS Const.No.
Polling booth No.
Date & Sign. of RO/ARO.

Name of Election – ZP/PS Member
Name of District
Control Unit No.
First Level Check. Date
Date & Sign of checking official
Name Panchayat Samiti/Zila Parishad
Date & Sign. of DEO's representative
Deployment Status:- ZP/PS Const.No.
Polling booth No.
Date & Sign. of RO/ARO.

र्वाचन आयोग, राजस्थान

परिशिष्ट –2

Panchayat Elections
2020

Training

Ballot Unit No……………..

Sign. of DEO' s Representative.

Panchayat Elections
2020

Training

Control Unit No……………

Sign. of DEO' s Representative.

Annexure-3
(Register for First Level Checking of EVMs)

Name of State:
Name of District:
Address of hall:
Date:

S.No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Photo Identity document No. with date (provided by Person)	Signature of representative	Remarks, if any.

Note: If the representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the register.

(Name and signature of engineers of BEL/ECIL with ID No.)
(Name, designation, signature of officers nominated by District Election Officer)

Annexure -4
(Certification of EVMs by BEL/ECIL)

Name of State:
Name of District:
Address of hall:
Date:

It is certified that tests prescribed by BEL/ECIL to ascertain that all components are original were carried out on the EVMs listed below on…….. (date). On the basis of these tests it is certified that all components of the EVMs listed below are original.

Sr. No.	CU Identification No.	SDMM No. (In case of MPSV)	BU Identification No.

(Name & signature of BEL/ECIL engineers with ID No.)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

Annexure-5

(Mock Poll certification during First Level Checking of EVMs)

Date:……………..

Name of State:
Name of District:
Address of hall:

It is certified that I have done mock poll on………….. EVMs and I am fully satisfied with the functioning of EVMs.

S.No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Photo Identity document No. with date (provided by Person)	Signature of representative	Remarks, if

---

Annexure-6

(Mock Poll certification during First Level Checking of EVMs)

Date:……………..

Name of State:
Name of District:
Address of hall:

It is certified that a printout of the result of mock poll has been taken out from ……… EVMs picked up by me. There are no discrepancies between the votes polled during the mock poll and result in the print out.

S.No.	Name of National/State Party	Nameof representative of political party with party affiliation	Photo Identity document No. with date (provided by Person)	Signature of representative	Remarks, if any.

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

Annexure-7

(Register for Sealing of Control Unit of EVMs using Pink Paper Seal)

Name of State:
Name of District:
Address of hall:
Date:

It is certified that the sealing of the Control Units using Pink Paper Seals has been done in my presence. I have put my signature on the Pink Paper Seals after sealing of the Control Units and I am satisfied with the sealing of the Control Units.

Sl.No.	Unique ID No. of Control Unit	SDMM No. (In case of MPSV)	Pink Paper Seal Number

S.No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Photo Identity document No. with date (provided by Person)	Signature of representative

(Name, designation, signature of officers nominated by District Election Officer)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

Annexure-8
(Register during Commissioning of EVMs)

Name of State:
Name of District:
Address of hall:
Date:

S.No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Photo Identity document No. with date (provided by Person)	Signature of representative	Remarks, if any.

Note: If the representative of a party is absent the proof of due service of notice to the party should be pasted in the register.

(Name and signature of engineers of BEL/ECIL with ID No.)
(Name, designation, signature of officers nominated by District Election Officer)

Annexure-9
(Mock Poll certification during Commissioning of EVMs)

Date:……………..

Name of State:
Name of District:
Address of hall:

It is certified that I have done mock poll on…………. EVMs and I am fully satisfied with the functioning of EVMs.

S.No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Photo Identity document No. with date (provided by Person)	Signature of representative	Remarks, if

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

Annexure-10

(Mock Poll certification during Commissioning of EVMs)

Date:……………..

Name of State:
Name of District:
Address of hall:

It is certified that a printout of the result of mock poll has been taken out from ……… EVMs picked up by me. There are no discrepancies between the votes polled during the mock poll and result in the print out.

S.No.	Name of National/State Party	Nameof representative of political party with party affiliation	Photo Identity document No. with date (provided by Person)	Signature of representative	Remarks, if any.

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

Annexure-11

(Register for Sealing of Ballot Unit using Pink Paper Seal during Commissioning of EVMs)

Name of State:
Name of District:
Address of hall:
Date:

It is certified that the sealing of the Ballot Units using Pink Paper Seals has been done in my presence. I have put my signature on the Pink Paper Seals after sealing of the Ballot Units and I am satisfied with the sealing of the Ballot Units.

Sl.No.	Unique ID No. of Ballot Unit	Pink Paper Seal Number

S.No.	Name of National/State Party	Name of representative of political party with party affiliation	Photo Identity document No. with date (provided by Person)	Signature of representative

(Name, designation, signature of officers nominated by District Election Officer)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014–15/6130 दिनांक : 18.12.2019

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
   (कलक्टर)(पंचायत) राजस्थान।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत निर्वाचन)
   मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी

विषयः–पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर प्रदर्शन हेतु मतपत्रों एवं निविदत्त (Tender) मतपत्रों के मुद्रण हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में मतदान इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों (EVM) से कराये जायेंगे। वोटिंग मशीन की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का प्ररूप (डिजाईन) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 39क के अन्तर्गत आदेश क्रमांक प. 1(2)(1)नपा–पंचा/सां.आ./रानिआ/14/5736 दिनांक 5.12.2019 (सांविधिक आदेश संख्या 130/2019) से विहित किया हुआ है एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 44–क के अन्तर्गत निविदत्त मतपत्र का प्ररूप (डिजाईन) आदेश क्रमांक प. 7(1)(1)पंचा/रानिआ/ईवीएम/09/6318 दिनांक 18.12.09 (सांविधिक आदेश संख्या 58/09) के अनुसार निर्धारित किया हुआ है। जिसके अनुसार निविदत्त मतपत्र भी उसी डिजाईन में होगा जिसमें मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का डिजाईन है सिवाय इसके कि, इसको पीठ पर ''निविदत्त मतपत्र'' स्टांपित किया जावेगा।

वोटिंग मशीन की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्रों एवं निविदत्त मतपत्रों का मुद्रण करवाते समय निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाएः–

1. उक्त सां. आ. सं. 130/2019 दिनांक 5.12.2019 के मद सं. 7 में वर्णित उर्ध्वाकार कॉलम (Vertical Column) में मतपत्र की क्रम संख्यांक एवं निर्वाचन की विशिष्टियां सांकेतिक शब्दों में मुद्रित होंगी। उदाहरणार्थ – (i) निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21 जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन हेतु **''नि.क्षे.सं.–21/जि.प.स./जयपुर/सा.नि./2020''** एवं (ii) निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21 पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन हेतु **''नि.क्षे.सं.–21/पं.स.स./जयपुर/सा.नि./2020''** एवं (iii) सरपंच के निर्वाचन हेतु **''सरपंच/पंचायत सर्किल ..../सा.नि./2020''** एवं (iv) वार्ड सं. 21 पंच के निर्वाचन हेतु **''वार्ड–21/पंचायत सर्किल ..../सा.नि./2020''** अंकित होगा।

2. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL)/इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की एम–2, एमके–4, एमके–5 ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का नमूना नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प सहित अभ्यर्थियों की संख्या 16 तक होने पर और 16 से अधिक होने पर जिला परिषद सदस्य पद के चुनाव हेतु क्रमशः **परिशिष्ट–1 एवं 1ए,** पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव हेतु क्रमशः **परिशिष्ट–2 एवं 2ए,** सरपंच पद के चुनाव हेतु क्रमशः **परिशिष्ट–3 एवं 3ए,** पंच पद के चुनाव हेतु क्रमशः **परिशिष्ट–4 एवं 4ए** पर संलग्न है। इसी प्रकार इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र का नमूना नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प सहित अभ्यर्थियों की संख्या

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

15 तक होने पर और 15 से अधिक होने परजिला परिषद सदस्य पद के चुनाव हेतु क्रमशः **परिशिष्ट–5 एवं 5ए**,पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव हेतु क्रमशः **परिशिष्ट–6 एवं 6ए**, सरपंच पद के चुनाव हेतु क्रमशः **परिशिष्ट–7 एवं 7ए**एवं पंच पद के चुनाव हेतु क्रमशः **परिशिष्ट–8 एवं8ए** पर संलग्न हैं।

3. जहाँ मतपत्र की एक से अधिक शीट प्रयुक्त की जायेंगी, वहाँ आड़े कॉलम, जिसमें कि मतपत्र का क्रम संख्यांक और निर्वाचन की विशिष्टियां अंकित करने के लिये स्थान छोड़ा गया है, में ही शीट की क्रम संख्यांक दर्शित करते हुए शब्द व अंक मोटे अक्षरों में यथा शीट नंबर–1, शीट नंबर–2 आदि मुद्रित किया जायेगा।

4. मतपत्रों के मुद्रण के समय अभ्यर्थियों के नाम एवं उन्हें आवंटित प्रतीक चिन्ह के मध्य का अन्तर तथा मतपत्र के ऊपर एवं नीचे स्थान छोड़े जाने के लिए ईवीएम में प्रदर्शित किये जाने हेतु मतपत्र का प्ररूप हेतु आयोग के आदेश क्रमांक 5736 दिनांक 5.12.2019 (सां. आ. सं. 130/2019) में अंकित निर्देश को ध्यान में रखा जाए।

5. इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि, मतपत्रों पर अभ्यर्थियों के मध्य एवं अंतिम अभ्यर्थी और नोटा हेतु विकल्प के मध्य की जो विभाजित रेखा है, उसका अलाईनमेंट मतदान यूनिट की लाईन के एकदम उपर है, यानि मतदान यूनिट की लाईन की सीध में ही मतपत्र में दो अभ्यर्थियों के मध्य एवं अंतिम अभ्यर्थी और नोटा हेतु विकल्प के मध्य दर्शायी गयी विभाजन रेखा होनी चाहिए। सही एलाईनमेंट के लिये एक मतदान यूनिट मुद्रणालय में भी रखी जावेगी और मतपत्रों का प्ररूप अनुमोदन (Proof Reading) करने से पहले मतदान यूनिट से मतपत्रों में दर्शाये गये उक्त विभाजन रेखाओं का एलाईनमेंट चैक किया जावेगा।

6. मतपत्रों पर हैण्ड नंबरिंग मशीन से पांच अंकों में या टाईप हाई नंबरिग मशीन से छः अंकों में जैसा भी सुविधा जनक हो नम्बर लगाये जावेंगे तथा क्रम संख्या 00001 या 000001 जैसी भी स्थिति हो, से प्रारम्भ की जावेगी लेकिन एक मुद्रणालय में मुद्रित होने वाले सभी मतपत्रों पर नंबरिंग एक ही प्रकार से लगायी जायेगी। **नंबरिंग में पूरी सावधानी बरती जाए।**

7. इन मतपत्रों के बंडलो को स्टिच करने की आवश्यकता नहीं हैं। मतपत्रों के 20–20 के बण्डल बनाये जावेंगे, ताकि निविदत्त मतों के लिये मतदान केन्द्र पर 20–20 का बण्डल पूरा ही आवंटित किया जा सके।इन बण्डलों पर मुद्रित पट्टी लगाई जावेगी जिस पर ''1. जिला परिषद/पंचायत समिति/पंचायत सर्किल का नाम, जैसी भी स्थिति हो, 2. निर्वाचन क्षेत्र संख्या (जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचनों में), सरपंच पद के लिए शब्द 'सरपंच' एवं पंच पद के लिए वार्ड की संख्या अंकित की जायेगी। 3. मतपत्रों की क्रम संख्या .... से ....'' तक विशिष्टियां अंकित की जावेंगी। 20–20 मतपत्रों के बण्डलों का निर्वाचन क्षेत्र संख्यावार एक पैकिट बनाया जावेगा। पैकिट के ऊपर भी उपर्युक्त विवरण दर्शाने वाली मुद्रित पट्टी चिपकायी जावेगी।

8. मतपत्रों की साईज वोटिंग मशीनों के अनुरूप सही–सही काटने के लिए वोटिंग मशीनें मुद्रणालयों में सही स्थिति में रहनी चाहिये। कटिंग के समय आकार का विशेष ध्यान रखा जावे।

9. मुद्रित किये जाने वाले मतपत्रों की संख्या की कुल आवश्यकता और इस प्रकार मुद्रण निम्नलिखित आधार पर होगाः–
   (i) प्रत्येक मतदान यूनिट पर प्रदर्शन के लिए एक मतपत्र की आवश्यकता होगी। इसलिए इस प्रयोजन के लिए आवश्यक मतपत्रों की संख्या प्रयुक्त की जाने वाली मतदान मशीनों जिनमें रिजर्व मशीनें सम्मिलित हैं, की संख्या के बराबर होगी।
   (ii) प्रत्येक मतदान केन्द्र को निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयुक्त किये जाने के लिए 20–20 मतपत्र प्रदत्त किये जावें। निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयोग करने के लिए

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

मतदान केन्द्रों को प्रदाय किये जाने वाले मतपत्रों की कुल आवश्यकता तद्नुसार निश्चित की जावेगी। यह संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्रों की संख्या पर निर्भर करेगी।

(iii) उपर्युक्त पैरा (i) और (ii) के अनुसार निश्चित की गयी मतपत्रों की कुल आवश्यकता के अतिरिक्त उपर्युक्त संख्या के लगभग 10 प्रतिशत मतपत्र आकस्मिकताओं जैसे–मतदान यूनिट में मतपत्रों को लगाते समय फट जाना, त्रुटिपूर्ण मतपत्र आदि के लिये अतिरिक्त मतपत्र के रूप में मुद्रित किये जावें। इस प्रकार प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए सामान्यतः 25 मतपत्रों की आवश्यकता होगी।

10. **मतपत्र जब मुद्रणालय में मुद्रणाधीन हों तबयह सुनिश्चित किया जावे कि, निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों के नाम व उनका क्रम और उनमें से प्रत्येक को आवंटित प्रतीक तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के अन्त में नोटा का विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक सही रूप में मुद्रित किये गये हैं। मतपत्रों की जांच करते समय इसका विशेष ध्यान रखा जावे। मतपत्रों में अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में अंकित किये जायेंगे, जैसा कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्ररूप–5) में दर्शाये गये हैं, अंतिम अभ्यर्थी के नीचे नोटा का विकल्प उपलब्ध होगा।**

11. मुद्रणालय से मुद्रित मतपत्रों के प्राप्त होने पर मतपत्रों की जांच की जानी चाहिए। मुद्रणालय द्वारा प्रदाय किये गये मतपत्रों की संख्या और आपके पास वास्तविक गणना करने पर पायी गयी संख्या में कोई मतपत्र किसी भी रीति से त्रुटिपूर्ण या गलत नंबरिंग का पाया जाता है या किसी मतपत्र की क्रम संख्या गायब है तो, इस आशय के लिए संधारित रजिस्टर में स्पष्ट रूप से नोट किया जाना चाहिए और आपके कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए।

12. मुद्रित मतपत्रों को मुद्रणालय से ले जाने के दौरान मुद्रणालयों से कोषागार तक पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जावे। मतदान के प्रयोजन में काम आने तक इन्हें कोषागार में सुरक्षित रखा जावे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि किसी अनाधिकृत व्यक्ति की इन तक पहुँच नहीं हो।

13. मुद्रणालय में अन्य मुद्रण कार्यो के साथ मतपत्रों का मुद्रण का कार्य नहीं किया जावे। मुद्रणालय में भी उचित सुरक्षा व्यवस्था की जावे।

14. मतपत्रों का मुद्रण निजी मुद्रणालयों में कराया जाएगा। इस हेतु आयोग द्वारा अपने पत्रांक 1687 दिनांक 20.05.2019 से निर्देश जारी किए हुए हैं। मतपत्रों का मुद्रण कार्य चुनाव चिन्हों के आवंटन के दिन से ही प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिए। मतपत्रों के मुद्रण का कार्य चुनाव चिन्ह आवंटन की तिथि से 3 दिवस के भीतर ही पूर्ण करा लिया जावे, ताकि मतदान दलों की रवानगी से कम से कम एक दिन पहले तक अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष मशीनें तैयार की जा सकें। इस प्रकार मतपत्रों के मुद्रण के लिए वस्तुतः 3 या 4 दिन का अधिकतम समय उपलब्ध रहेगा। इसलिए आपको मतपत्रों के मुद्रण हेतु समस्त प्रकार की व्यवस्था, अग्रिम तैयार के रूप में रखनी है। आपके प्रतिनिधि संबंधित मुद्रणालय में प्रतीकों के आवंटन की तारीख को ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यार्थियो की सूची एवं उन्हें आवंटित किये गये प्रतीक तथा नोटा के विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक के साथ पहुंच जाने चाहियें। यह ध्यान रखें कि, सभी जिला परिषद सदस्यों एवं पंचायत समिति सदस्यों के तथा सरपंच/पंच के (जहॉ चुनाव ईवीएम से हो रहे है)**मतपत्र सही रूप से मुद्रित हो गये हैं एवं उन पर क्रम संख्याक भी सही रूप से मुद्रित हो गई हैं, मशीनों में प्रदर्शित करने हेतु उनका आकार सही है।**

15. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए आरक्षित चुनाव प्रतीकों एवं मुक्त चुनाव प्रतीकों की सूची हेतु आयोग द्वारा अधिसूचना अपने पत्रांक 1427 दिनांक 26.04.2019 (जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य पद हेतु) द्वारा जारी कर दी गई है। सरपंच/पंच पद के

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

निर्वाचन, जो दलीय आधार पर नहीं होते हैं, के लिए निर्वाचन प्रतीकों के संबंध में अधिसूचना क्रमांक1434 दिनांक 26.4.2019, 5371 दिनांक 25.11.2019 पत्रांक 5672 दिनांक 4.12.2019 द्वारा जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आपको यह सुनिश्चित करना है कि, **मतपत्र में उन्हीं चुनाव प्रतीकों को मुद्रित किया जाए जो अधिसूचना में वर्णित हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कोई चुनाव प्रतीक मुद्रित नहीं किये जावें।** यदि कोई विशेष परिस्थिति हो तो उसके लिए आपको आयोग की अनुमति लेना अनिवार्य है। आरक्षित चुनाव प्रतीकों एवं मुक्त चुनाव प्रतीकों के नमूनों की सॉफ्टकॉपी आयोग के पत्रांक 5848 दिनांक 10.12.2019 के माध्यम से उपलब्ध करवा दी गई है।

16. मतपत्रों के लिए कागज की व्यवस्था राजकीय मुद्रणालय से ही की जावेगी। जिला परिषद सदस्य पद के निर्वाचन हेतु मतपत्रों का कागज का रंग **पीला** होगा तथापंचायत समिति सदस्य पद के निर्वाचन हेतु मतपत्रों का कागज का रंग **नीला** होगा। सरपंच पद के निर्वाचन हेतु मतपत्रों का कागज का रंग **सफेद** होगा तथा पंच पद के निर्वाचन हेतु मतपत्रों का कागज का रंग **गुलाबी** होगा।

17. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची एवं नोटा (इनमें में से कोई नहीं) **शब्दावली हिन्दी में देवनागरी लिपि में होगी।** मतपत्र पर अभ्यर्थियों के नाम उसी रीति एवं क्रम से दर्शित किये जायेंगे जिस रीति व क्रम में वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में आये हैं। जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के नामों को सूचीबद्ध करने में अभ्यर्थियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जावेगा अर्थात प्रथम श्रेणी में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी और दूसरी श्रेणी में निर्दलीय अभ्यर्थी आयेंगे। प्रत्येक श्रेणी में अभ्यर्थियों के नाम हिन्दी वर्णमाला के क्रमानुसार आयेंगे। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में जो क्रम अभ्यर्थी का होगा वही क्रम मतपत्र में भी रहेगा। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, **उक्त दोनों श्रेणी के हैडिंग (शीर्षक) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में तो अंकित होंगे लेकिन मतपत्र में अंकित नहीं होंगे।** मतपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों में अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प तथा उसके लिए निर्धारित प्रतीक अंकित किया जावेगा। आप द्वारा अधिकृत किये गये प्रतिनिधि इस सूची को अपने साथ रखेंगे। सूची सुस्पष्ट और सुपठनीय होनी चाहिये। जिला परिषद/पंचायत समिति का नाम एवं वार्ड संख्या का विवरण स्पष्ट एवं सही अंकित होना चाहिए।

18. पंच/सरपंच पद के निर्वाचन दलीय आधार पर नहीं होते हैं, अतः निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम प्ररूप–5 में अंकितानुसार ही मतपत्र पर मुद्रित होंगे।प्ररूप–5 को अपने साथ रखेंगे। सूची सुस्पष्ट और सुपठनीय होनी चाहिये। सरपंच के निर्वाचन में पंचायत सर्किल का नाम तथा पंच के निर्वाचन में पंचायत सर्किल को नाम एवं निर्वाचन क्षेत्र संख्या का विवरण स्पष्ट एवं सही अंकित होना चाहिए।

19. मतपत्र के मुद्रण में कहीं अशुद्धि नहीं रहे इसके लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को भी सही तरह से तैयार करना है। **मतपत्रों के मुद्रण से पूर्व उनके प्रूफ को चैक करना है। इस हेतु आपअधिकृत प्रतिनिधि के साथ पर्याप्त मात्रा में जानकार स्टॉफ लगावें।** निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के आधार पर ही उसी क्रम में मतपत्र में अभ्यर्थियो का नाम मुद्रित होगा और उसी अनुरूप होगा। अतः निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम दोनों प्रकार की श्रेणियों में श्रेणीवार हिन्दी वर्णमाला के क्रमानुसार हों तथा यह ध्यान रखा जाए कि, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् नोटा हेतु विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक चिन्ह भी अंकित किया जाए। पंच/सरपंच का निर्वाचन दलीय आधार पर नहीं होते हैं अतः निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम की तैयार सूची प्ररूप–5 के अनुसार इनके मतपत्र मुद्रित होंगे तथा अंतिम अभ्यर्थी के नाम के पश्चात् नोटा हेतु विकल्प एवं इस हेतु निर्धारित प्रतीक चिन्ह

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

भी अंकित होगा।उक्तानुसार प्रूफ की जाँच की जाकर इस हेतु लगाये गये अधिकारी/कर्मचारी तथा रिटर्निंग अधिकारी प्रूफ के सही होने की पुष्टि के लिए प्रूफ पर अपने हस्ताक्षर करेंगे एवं उक्त हस्ताक्षरित प्रूफ की प्रति रिटर्निंग अधिकारी के रिकार्ड में सुरक्षित रखी जायेगी तथा **इस आशय का प्रमाण पत्र रिटर्निंग अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करेंगे कि उन्होंने प्रूफ को देख लिया है तथा यह निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार सही है**।तद्नुसार ही मतपत्रों का मुद्रण कराया जाए।

20. मुद्रित कराए जाने वाले मतपत्रों की संख्या जिला परिषद/पंचायत समितिसदस्यों के चुनावों हेतु निर्वाचन क्षेत्रवार एवंपंच/सरपंच पदों के चुनावों हेतु वार्डवार संख्या/पंचायत सर्किलवार संख्या से आप अविलम्ब संबंधित मुद्रणालय को अवगत करा दें तथा आवश्यकतानुसार कागज आपके जिले से संबंधित राजकीय मुद्रणालय से प्राप्त कर लें।

21. **पंचायत समिति/पंचायत सर्किल में कार्यरत स्टॉफ को मतपत्रों के मुद्रण के कार्य में नहीं लगाया जाए।**

22. मतपत्रों को मतदान मशीनों की मतदान यूनिटों पर लगाए जाने और निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयोग हेतु मतदान केन्द्रों को प्रदाय किए जाने के पश्चात् सुरक्षित रखे हुये कुछ मतपत्र आपके पास अवितरित रह सकते हैं। ऐसे अवितरित शेष रहे मतपत्रों को निर्वाचन पूरा होने के पश्चात् जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे बक्से/सन्दूक में रखते हुए सुरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे जिनका निस्तारण 6 माह पश्चात् किया जाएगा। शेष मतपत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के सांविधिक आदेश 30/99 दिनांक 06.11.1999 में विनिर्दिष्ट की गई है।

उपरोक्तानुसार मतपत्रों के मुद्रण के संबंध में यथा समय वांछित व्यवस्था सम्पन्न कर ली जावें ताकि चुनाव कार्यक्रम में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवंसचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

परिशिष्ट–1

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL)/इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की एम–2, एमके–4, एमके–5 ईवीएमकी मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु **जिला परिषद सदस्य पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 16 तक होने की स्थिति में)

मतपत्र की क्रम नि.क्षे.सं. 21/जि.प.स./जयपुर/सा.नि./2020 नि.क्षे.सं. 21/जि.प.स./जयपुर/सा.नि./2020 संख्या	1. मुकेश कुमार	
	2. मुकेश कुमार	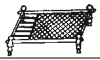
	3. मुकेश कुमार	
	4. मुकेश कुमार	
	5. मुकेश कुमार	
	6. मुकेश कुमार	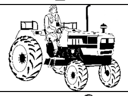
	7. मुकेश कुमार	
	8. मुकेश कुमार	
	9. मुकेश कुमार	
	10. मुकेश कुमार	
	11. मुकेश कुमार	
	12. मुकेश कुमार	
	13. मुकेश कुमार	
	14. मुकेश कुमार	
	15. मुकेश कुमार	
	16. इनमें में से कोई नहीं	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

परिशिष्ट–1ए

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL)/इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की एम–2, एमके–4, एमके–5 ईवीएमकी मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु **जिला परिषद सदस्य पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 16 से अधिक होने की स्थिति में)

शीट नं. 1 नि.क्षे.सं. 21/जि.प.स./जयपुर/सा.नि./2020 नि.क्षे.सं. 21/जि.प.स./जयपुर/सा.नि./2020 मतपत्र की क्रम संख्या ....

1. मुकेश कुमार	
2. मुकेश कुमार	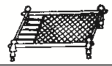
3. मुकेश कुमार	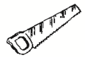
4. मुकेश कुमार	
5. मुकेश कुमार	
6. मुकेश कुमार	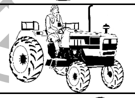
7. मुकेश कुमार	
8. मुकेश कुमार	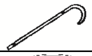
9. मुकेश कुमार	
10. मुकेश कुमार	
11. मुकेश कुमार	
12. मुकेश कुमार	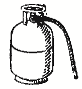
13. मुकेश कुमार	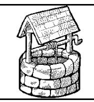
14. मुकेश कुमार	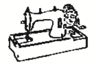
15. मुकेश कुमार	
16. मुकेश कुमार	

राज्य निर्वाचन आयोग, राज

शीट नं. 2 नि.क्षे.सं. 21/जि.प.स./जयपुर/सा.नि./2020 नि.क्षे.सं. 21/जि.प.स./जयपुर/सा.नि./2020 मतपत्र की क्रम संख्या ....

17. मुकेश कुमार	
18. मुकेश कुमार	
19. मुकेश कुमार	
20. इनमें में से कोई नहीं	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

परिशिष्ट–2

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL)/इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की एम–2, एमके–4, एमके–5 ईवीएमकी मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु **पंचायत समिति सदस्य पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 16 तक होने की स्थिति में)

मतपत्र की कम संख्या ...

नि.क्षे.सं. 21/पं.स.स./जयपुर/सा.नि./2020

नि.क्षे.सं. 21/पं.स.स./जयपुर/सा.नि./2020

:

1. मुकेश कुमार	
2. मुकेश कुमार	
3. मुकेश कुमार	
4. मुकेश कुमार	
5. मुकेश कुमार	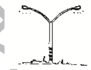
6. मुकेश कुमार	
7. मुकेश कुमार	
8. मुकेश कुमार	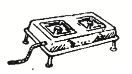
9. मुकेश कुमार	
10. मुकेश कुमार	
11. मुकेश कुमार	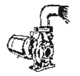
12. मुकेश कुमार	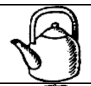
13. मुकेश कुमार	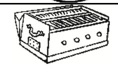
14. मुकेश कुमार	
15. मुकेश कुमार	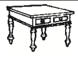
16. इनमें में से कोई नहीं	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

परिशिष्ट–2ए

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL)/इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की एम–2, एमके–4, एमके–5 ईवीएमकी मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु **पंचायत समितिसदस्य पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 16 से अधिक होने की स्थिति में)

शीट नं. 1 ...... नि.क्षे.सं. 21/पं.स.स./जयपुर/सा.नि./2020 नि.क्षे.सं. 21/पं.स.स./जयपुर/सा.नि./2020 मतपत्र की कम संख्या	1. मुकेश कुमार	
	2. मुकेश कुमार	
	3. मुकेश कुमार	
	4. मुकेश कुमार	
	5. मुकेश कुमार	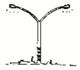
	6. मुकेश कुमार	
	7. मुकेश कुमार	
	8. मुकेश कुमार	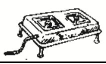
	9. मुकेश कुमार	
	10. मुकेश कुमार	
	11. मुकेश कुमार	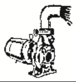
	12. मुकेश कुमार	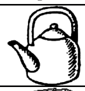
	13. मुकेश कुमार	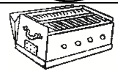
	14. मुकेश कुमार	
	15. मुकेश कुमार	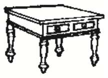
	16. मुकेश कुमार	

राज्य निर्वाचन आयोग, राज.

शीट नं. 2 नि.क्षे.सं. 21/पं.स.स./जयपुर/सा.नि./2020 नि.क्षे.सं. 21/पं.स.स./जयपुर/सा.नि./2020 मतपत्र की क्रम संख्या ....

17. मुकेश कुमार 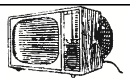

18. मुकेश कुमार

19. मुकेश कुमार

20. मुकेश कुमार

21. इनमें में से कोई नहीं

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

परिशिष्ट–3

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL)/इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की एम–2, एमके–4, एमके–5 ईवीएमकी मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु **सरपंच पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 16 तक होने की स्थिति में)

मतपत्र की क्रम संख्या	1. मुकेश कुमार	
	2. मुकेश कुमार	
	3. मुकेश कुमार	
	4. मुकेश कुमार	
	5. मुकेश कुमार	
सरपंच/पंचायत सर्किल ..../सा.नि./2020	6. मुकेश कुमार	
	7. मुकेश कुमार	
	8. मुकेश कुमार	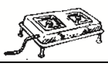
	9. मुकेश कुमार	
	10. मुकेश कुमार	
	11. मुकेश कुमार	
सरपंच/पंचायत सर्किल ..../सा.नि./2020	12. मुकेश कुमार	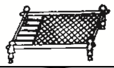
	13. मुकेश कुमार	
	14. मुकेश कुमार	
	15. मुकेश कुमार	
	16. इनमें में से कोई नहीं	

राज्य निर्वाचन आयोग, राज.

परिशिष्ट–3ए

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL)/इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की एम–2, एमके–4, एमके–5 ईवीएमकी मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु **सरपंच पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 16 से अधिक होने की स्थिति में)

शीट नं. 1 .... सरपंच/पंचायत सर्किल ..../सा.नि./2020 सरपंच/पंचायत सर्किल ..../सा.नि./2020 मतपत्र की क्रम सं.	1. मुकेश कुमार	
	2. मुकेश कुमार	
	3. मुकेश कुमार	
	4. मुकेश कुमार	
	5. मुकेश कुमार	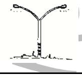
	6. मुकेश कुमार	
	7. मुकेश कुमार	
	8. मुकेश कुमार	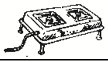
	9. मुकेश कुमार	
	10. मुकेश कुमार	
	11. मुकेश कुमार	
	12. मुकेश कुमार	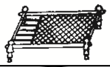
	13. मुकेश कुमार	
	14. मुकेश कुमार	
	15. मुकेश कुमार	
	16. मुकेश कुमार	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

शीट नं. 2 सरपंच/पंचायत सर्किल ..../सा.नि./2020 सरपंच/पंचायत सर्किल ..../सा.नि./2020 मतपत्र की क्रम सं. ....

17. मुकेश कुमार	
18. मुकेश कुमार	
19. मुकेश कुमार	
20. मुकेश कुमार	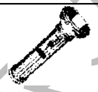
21. मुकेश कुमार	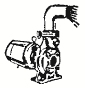
22. मुकेश कुमार	
23. इनमें में से कोई नहीं	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

परिशिष्ट–4

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL)/इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की एम–2, एमके–4, एमके–5 ईवीएमकी मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु **वार्ड पंच पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 16 तक होने की स्थिति में)

वार्ड सं. 21/पंचायत सर्किल ..../सा.नि./2020 मतपत्र की क्रम सं. .... वार्ड सं. 21/पंचायत सर्किल ..../सा.नि./2020	1. मुकेश कुमार	
	2. मुकेश कुमार	
	3. मुकेश कुमार	
	4. मुकेश कुमार	
	5. मुकेश कुमार	
	6. मुकेश कुमार	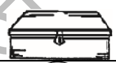
	7. मुकेश कुमार	
	8. मुकेश कुमार	
	9. मुकेश कुमार	
	10. मुकेश कुमार	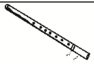
	11. मुकेश कुमार	
	12. मुकेश कुमार	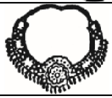
	13. मुकेश कुमार	
	14. मुकेश कुमार	
	15. मुकेश कुमार	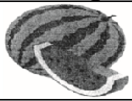
	16. इनमें में से कोई नहीं	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (BEL)/इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की एम–2, एमके–4, एमके–5 ईवीएमकी मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु **वार्ड पंच पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित 16 से अधिक होने की स्थिति में)

शीट नं. 1 वार्ड सं. 21/पंचायत सर्किल ....../सा.नि./2020 वार्ड सं. 21/पंचायत सर्किल ....../सा.नि./2020 मतपत्र की क्रम सं. ...	1. मुकेश कुमार	
	2. मुकेश कुमार	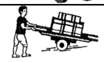
	3. मुकेश कुमार	
	4. मुकेश कुमार	
	5. मुकेश कुमार	
	6. मुकेश कुमार	
	7. मुकेश कुमार	
	8. मुकेश कुमार	
	9. मुकेश कुमार	
	10. मुकेश कुमार	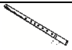
	11. मुकेश कुमार	
	12. मुकेश कुमार	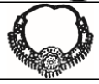
	13. मुकेश कुमार	
	14. मुकेश कुमार	
	15. मुकेश कुमार	
	16. मुकेश कुमार	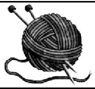

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

शीट नं. 1 वार्ड सं. 21 / पंचायत सर्किल ...... / सा.नि. / 2020 वार्ड सं. 21 / पंचायत सर्किल ...... / सा.नि. / 2020 मतपत्र की कम सं. .. ..

17. मुकेश कुमार	
18. मुकेश कुमार	
19. मुकेश कुमार	
20. मुकेश कुमार	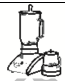
21. मुकेश कुमार	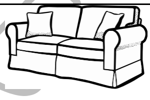
22. मुकेश कुमार	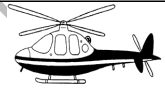
23. इनमें में से कोई नहीं	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु **जिला परिषद सदस्य पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना
(अभ्यर्थियों की सं. नोटा सहित 15 तक होने की स्थिति में)

नि.क्षे.सं. 21/जि.प.स./जयपुर/सा.नि./2020 मतपत्र की क्रम संख्या	1. मुकेश कुमार	
	2. मुकेश कुमार	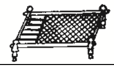
	3. मुकेश कुमार	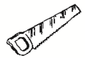
	4. मुकेश कुमार	
	5. मुकेश कुमार	
	6. मुकेश कुमार	
	7. मुकेश कुमार	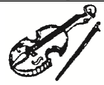
	8. मुकेश कुमार	
	9. मुकेश कुमार	
	10. मुकेश कुमार	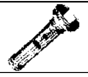
नि.क्षे.सं. 21/जि.प.स./जयपुर/सा.नि./2020	11. मुकेश कुमार	
	12. मुकेश कुमार	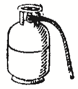
	13. मुकेश कुमार	
	14. मुकेश कुमार	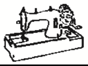
	15. इनमें में से कोई नहीं	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

परिशिष्ट–5ए

इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु **जिला परिषद सदस्य पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना
(अभ्यर्थियों की सं. नोटा सहित 15 से अधिक होने की स्थिति में)

शीट नं. 1 नि.क्षे.सं. 21/जि.प.स./जयपुर/ स्रा.नि./2020नि.क्षे.सं. 21/जि.प.स./जयपुर/स्रा.नि./2020 मतपत्र की क्रम संख्या	1. मुकेश कुमार	
	2. मुकेश कुमार	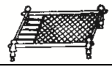
	3. मुकेश कुमार	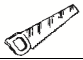
	4. मुकेश कुमार	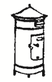
	5. मुकेश कुमार	
	6. मुकेश कुमार	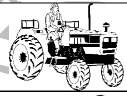
	7. मुकेश कुमार	
	8. मुकेश कुमार	
	9. मुकेश कुमार	
	10. मुकेश कुमार	
	11. मुकेश कुमार	
	12. मुकेश कुमार	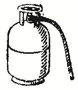
	13. मुकेश कुमार	
	14. मुकेश कुमार	
	15. मुकेश कुमार	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

शीट नं. 2 नि.क्षे.सं. 21/जि.प.स./जयपुर/ सा.नि./2020 नि.क्षे.सं. 21/जि.प.स./जयपुर/सा.नि./2020 मतपत्र की क्रम संख्या ......

16. मुकेश कुमार	
17. मुकेश कुमार	
18. मुकेश कुमार	
19. मुकेश कुमार	
20. इनमें में से कोई नहीं	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

परिशिष्ट–6

इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु **पंचायत समिति सदस्य पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना
(अभ्यर्थियों की सं. नोटा सहित 15 तक होने की स्थिति में)

नि.क्षे.सं. 21/पं.स.स./जयपुर/ स्था.नि./2020 नि.क्षे.सं. 21/पं.स.स./जयपुर/स्था.नि./2020 मतपत्र की क्रम संख्या	1. मुकेश कुमार	
	2. मुकेश कुमार	
	3. मुकेश कुमार	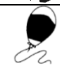
	4. मुकेश कुमार	
	5. मुकेश कुमार	
	6. मुकेश कुमार	
	7. मुकेश कुमार	
	8. मुकेश कुमार	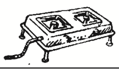
	9. मुकेश कुमार	
	10. मुकेश कुमार	
	11. मुकेश कुमार	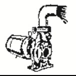
	12. मुकेश कुमार	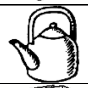
	13. मुकेश कुमार	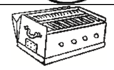
	14. मुकेश कुमार	
	15. इनमें में से कोई नहीं	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

परिशिष्ट–6ए

इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु **पंचायत समिति सदस्य पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना
(अभ्यर्थियों की सं. नोटा सहित 15 से अधिक होने की स्थिति में)

शीट नं. 1 नि.क्षे.सं. 21/पं.स.स./जयपुर/ स्ना.नि./2020 नि.क्षे.सं. 21/पं.स.स./जयपुर/स्ना.नि./2020 मतपत्र की क्रम संख्या .....

1. मुकेश कुमार	
2. मुकेश कुमार	
3. मुकेश कुमार	
4. मुकेश कुमार	
5. मुकेश कुमार	
6. मुकेश कुमार	
7. मुकेश कुमार	
8. मुकेश कुमार	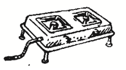
9. मुकेश कुमार	
10. मुकेश कुमार	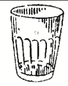
11. मुकेश कुमार	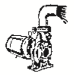
12. मुकेश कुमार	
13. मुकेश कुमार	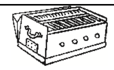
14. मुकेश कुमार	
15. मुकेश कुमार	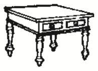

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

शीट नं. 2 नि.क्षे.सं. 21/पं.स.स./जयपुर/ सा.नि./2020 नि.क्षे.सं. 21/पं.स.स./जयपुर/सा.नि./2020 मतपत्र की
क्रम संख्या ......

16. मुकेश कुमार	
17. मुकेश कुमार	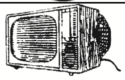
18. मुकेश कुमार	
19. मुकेश कुमार	
20. मुकेश कुमार	
21. इनमें में से कोई नहीं	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

परिशिष्ट–7

इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु **सरपंच पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना (अभ्यर्थियों की सं. नोटा सहित 15 तक होने की स्थिति में)

सरपंच/पंचायत सर्किल......./ सा.नि./2020 सरपंच/पंचायत सर्किल......./सा.नि./2020 मतपत्र की क्रम संख्या	1. मुकेश कुमार	
	2. मुकेश कुमार	
	3. मुकेश कुमार	
	4. मुकेश कुमार	
	5. मुकेश कुमार	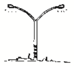
	6. मुकेश कुमार	
	7. मुकेश कुमार	
	8. मुकेश कुमार	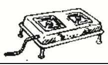
	9. मुकेश कुमार	
	10. मुकेश कुमार	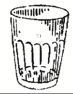
	11. मुकेश कुमार	
	12. मुकेश कुमार	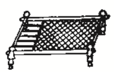
	13. मुकेश कुमार	
	14. मुकेश कुमार	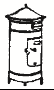
	15. इनमें में से कोई नहीं	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

परिशिष्ट–7ए

इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु **सरपंच पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना
(अभ्यर्थियों की सं. नोटा सहित 15 से अधिक होने की स्थिति में)

शीट नं. 1 सरपंच/पंचायत सर्किल........../ सा.नि./2020 सरपंच/पंचायत सर्किल........../ सा.नि./2020 मतपत्र की क्रम संख्या ....

1. मुकेश कुमार	
2. मुकेश कुमार	
3. मुकेश कुमार	
4. मुकेश कुमार	
5. मुकेश कुमार	
6. मुकेश कुमार	
7. मुकेश कुमार	
8. मुकेश कुमार	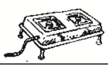
9. मुकेश कुमार	
10. मुकेश कुमार	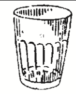
11. मुकेश कुमार	
12. मुकेश कुमार	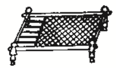
13. मुकेश कुमार	
14. मुकेश कुमार	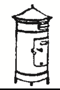
15. मुकेश कुमार	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

शीट नं.2 सरपंच/पंचायत सर्किल........../ सा.नि./2020 सरपंच/पंचायत सर्किल........../ सा.नि./2020 मतपत्र की क्रम संख्या ....

16. मुकेश कुमार	
17. मुकेश कुमार	
18. मुकेश कुमार	
19. मुकेश कुमार	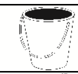
20. मुकेश कुमार	
21. मुकेश कुमार	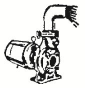
22. मुकेश कुमार	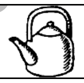
23. इनमें में से कोई नहीं	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

परिशिष्ट–8

इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु **वार्ड पंच पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना
(अभ्यर्थियों की सं. नोटा सहित 15 तक होने की स्थिति में)

वार्ड 21 / पंचायत सर्किल......./ सा.नि. / 2020 वार्ड 21 / पंचायत सर्किल......./सा.नि./2020 मतपत्र की कम संख्या	1. मुकेश कुमार	
	2. मुकेश कुमार	
	3. मुकेश कुमार	
	4. मुकेश कुमार	
	5. मुकेश कुमार	
	6. मुकेश कुमार	
	7. मुकेश कुमार	
	8. मुकेश कुमार	
	9. मुकेश कुमार	
	10. मुकेश कुमार	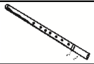
	11. मुकेश कुमार	
	12. मुकेश कुमार	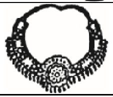
	13. मुकेश कुमार	
	14. मुकेश कुमार	
	15. इनमें में से कोई नहीं	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

परिशिष्ट–8ए

इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम की मतदान यूनिट में प्रदर्शित करने हेतु **वार्ड पंच पद** के चुनाव हेतु मतपत्र का नमूना
(अभ्यर्थियों की सं. नोटा सहित 15 से अधिक होने की स्थिति में)

शीट नं.1 वार्ड 21/पंचायत सर्किल........../ सा.नि./2020 वार्ड 21/पंचायत सर्किल......./सा.नि./2020 मतपत्र की क्रम संख्या	1. मुकेश कुमार	
	2. मुकेश कुमार	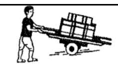
	3. मुकेश कुमार	
	4. मुकेश कुमार	
	5. मुकेश कुमार	
	6. मुकेश कुमार	
	7. मुकेश कुमार	
	8. मुकेश कुमार	
	9. मुकेश कुमार	
	10. मुकेश कुमार	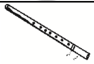
	11. मुकेश कुमार	
	12. मुकेश कुमार	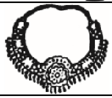
	13. मुकेश कुमार	
	14. मुकेश कुमार	
	15. मुकेश कुमार	

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

शीट नं. 2वार्ड 21/पंचायत सर्किल........../ सा.नि./2020 वार्ड 21/पंचायत सर्किल......./सा.नि./2020 मतपत्र की क्रम संख्या ......

16. मुकेश कुमार

17. मुकेश कुमार

18. मुकेश कुमार

19. मुकेश कुमार

20. मुकेश कुमार

21. मुकेश कुमार 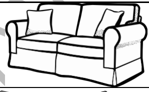

22. मुकेश कुमार 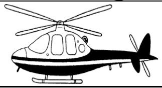

23. इनमें में से कोई नहीं

राज्य निर्वाचन आयोग, राज

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकःप.3(76)स्टोर / रानिआ / एसडीएमएम / 2019 / 2533 दिनांक : 23.07.2019

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(जिला कलक्टर) समस्त, राजस्थान।

विषय :– पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में मल्टीपोस्ट सिंगल वोट ई.वी.एम. के उपयोग पर मतगणना उपरान्त एस.डी.एम.एम. को सीलबंद करने के संबंध में।

महोदय,

आयोग द्वारा वर्तमान में पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों हेतु उपयोग में ली जा रही ईवीएम में सिंगल पोस्ट सिंगल वोट (पोस्ट अपग्रेडेड 2006 MK-IV एवं पोस्ट अपग्रेडेड 2006 MK-V) सिस्टम है। आयोग द्वारा भविष्य में कराए जाने वाले पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में मल्टीपोस्ट सिंगल वोट ई.वी.एम. का भी उपयोग किया जायेगा। मल्टीपोस्ट सिंगल वोट ई.वी.एम. की कन्ट्रोल यूनिट में एक डिवाईस लगाया गया है, जिसे एस.डी.एम.एम. (Secure Detachable Memory Module) कहा जाता है। मतदान के दौरान मतदान का डाटा उक्त एस.डी.एम.एम. में रिकार्ड हो जाता है।एस. डी.एम.एम. को कन्ट्रोल यूनिट से हटाए जाने के पश्चात् कन्ट्रोल यूनिट में नवीन एस.डी.एम.एम. लगाया जाकर ई.वी.एम. का पुनः निर्वाचन कार्य हेतु उपयोग में लिया जा सकता है।

मतदान के पश्चात् मतगणना के लिए उक्त ईवीएम की एस.डी.एम.एम. युक्त कन्ट्रोल यूनिट से परिणामों की घोषणा के बाद एस.डी.एम.एम. को कन्ट्रोल यूनिट से निकाल कर सीलबंद कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना होगा ताकि विधिक प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा चाहे जाने पर मतदान संबंधी रिकार्ड को पुनः देखा जा सके।

मल्टी पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम से जिला परिषद् सदस्य तथा पंचायत समिति सदस्य के चुनाव एक साथ करवायें जा सकते है। इसके लिए एक कन्ट्रोल युनिट एवं चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों (नोटा सहित) की संख्या के अनुसार दोनों पदों के लिए आवश्यकतानुसार अलग–अलग बैलेट युनिट लगाई जाएगीं। कन्ट्रोल युनिट में लगी हुई एस.डी.एम.एम. में जिला परिषद् सदस्य तथा पंचायत समिति सदस्य दोनों के मतदान के डाटा संग्रहित हो जाएगें।

जिला परिषद् सदस्य तथा पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचनों में उपयोग में ली गई एस.डी. एम.एम. को कन्ट्रोल युनिट से हटाकर सील करने एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश प्रदान किए जातें हैं:–

1. मतगणना के पश्चात् चुनाव परिणाम घोषित करने के तुरन्त बाद मतगणना कक्ष में ही रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी की निगरानी में एस.डी.एम.एम. को सील किया जावेगा।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एस.डी.एम.एम. को सील करने संबंधी कार्य को सम्पादित करने के लिए एक 5 सदस्यीय दल (एक सीलिंग प्रभारी व चार सीलिंग सहायक) गठित किया जायेगा।
3. एक निर्वाचन क्षेत्र की एस.डी.एम.एम. को सील करने की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त ही दूसरे निर्वाचन क्षेत्र की एस.डी.एम.एम. को कन्ट्रोल यूनिट से बाहर निकालकर सीलिंग की कार्यवाही प्रारम्भ की जाए, ताकि एक निर्वाचन क्षेत्र के एस.डी.एम.एम. के दूसरे निर्वाचन क्षेत्र के एस.डी.एम.एम. में मिक्स होने की संभावना नहीं रहें।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

4. एस.डी.एम.एम. को सील करने एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया **की वीडियोग्राफी** अनिवार्य रूप से कराई जाये

<u>जिला परिषद्/पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचनों के पश्चात् एस.डी.एम.एम. को सील करने की प्रक्रिया :–</u>

a) सीलिंग प्रभारी मतगणना के उपरान्त एस.डी.एम.एम. को ई.वी.एम. की कन्ट्रोल युनिट से बाहर निकालकर छोटी प्लास्टिक की डिब्बी, जिसका आकार 4.5 से.मी. X 4.0 से.मी. X 2.0 से.मी. होगा, में रखेगें।

b) एस.डी.एम.एम. पेपर सील (नीला रंग) पर निर्वाचन से संबंधित प्रविष्टियां दर्ज कर, मतगणना स्थल पर उपस्थित इच्छुक अभ्यर्थियों अथवा उनके अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर पेपर सील में खाली स्थान पर प्राप्त कर लेवें। पेपर सील (नीला रंग) का प्रारूप **Annexure-1** पर उपलब्ध है।

c) पेपर सील (नीला रंग) के पृष्ठ भाग से ''डी'' स्टीकर को हटाकर उसे एस.डी.एम.एम. रखी हुई प्लास्टिक की छोटी डिब्बी पर चिपकाने के बाद पेपर सील को चारों ओर इस तरह से लपेटा जायेगा कि पेपर सील के अग्र भाग के ''एम'' स्थान पर पृष्ठ भाग के अंतिम सिरे पर अंकित ''एम'' आकार चिपक जाये।

d) छोटी प्लास्टिक डिब्बी को पेपर सील से सील करने के पश्चात् उस पर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए रबर बैण्ड से चारों तरफ से पैक किया जाएगा।

e) इस तरह पेपर सील से सील्ड एवं रबर बैंड से पैक की गई प्लास्टिक की छोटी डिब्बी को एक लिफाफे (नीला रंग) में रखकर, जिसका प्रारूप **Annexure-2** पर उपलब्ध है, में आवश्यक प्रविष्टियां कर लिफाफे को चपड़ी से सील किया जायेगा।

f) इस प्रकार चपडी से सील किये गये लिफाफे को मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बी, जिसका आकार 10 से.मी. X 6.5 से.मी. X 2.5 से.मी होगा, में रखा जायेगा। इस प्लास्टिक की डिब्बी के ऊपर निर्वाचन क्षेत्र एवं मतदान केन्द्र से संबंधित प्रविष्टियों के इन्द्राज के पश्चात् स्टीकर (नीला रंग) को डिब्बी पर चिपकाया जाएगा। स्टीकर (नीला रंग) का प्रारूप **Annexure-3** पर उपलब्ध है।

g) अतिरिक्त सुरक्षा के लिए स्टीकर चिपकाने के पश्चात् इस डिब्बी को चारों ओर से एक इंच की सेलो टेप (पारदर्शी टेप) से पैक किया जाएगा।

h) इस प्रकार सील/पैक की गई मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बीयों को बड़े आकार के प्लास्टिक के डिब्बे, जिसका आकार 30 से.मी. X 12.5 से.मी. X 7.5 से.मी होगा, में रखा जायेगा।

i) मध्यम आकार की डिब्बियों को बडे प्लास्टिक के डिब्बे में रखते समय यह ध्यान रखा जाए कि एक बडे डिब्बे में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की मध्यम आकार की डिब्बियां रखी जा सकेंगीं किन्तु निर्वाचन क्षेत्रों को तोडा नहीं जाएगा।

j) इस तरह मध्यम आकार की डिब्बियों युक्त प्लास्टिक के बडे डिब्बे पर निर्वाचन क्षेत्रों एवं मतदान केन्द्रों के विवरण अंकित करने के पश्चात् स्टीकर (नीला रंग) चिपकाया जाएगा। स्टीकर का प्रारूप **Annexure-4** पर उपलब्ध है।

k) प्लास्टिक के बडे डिब्बे की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए इसे चारों ओर से तीन इंच की सेलो टेप (पारदर्शी) से पैक किया जाएगा।

l) इस प्रकार सेलो टेप से पैक किए गए प्लास्टिक के सभी बडे डिब्बे एक लोहे के बक्से में रखे जाएगें। बडे प्लास्टिक के डिब्बों को लोहे के बक्सों में रखते समय यह ध्यान रखा जाए कि निर्वाचन क्षेत्र टूटे नहीं। बक्से का आकार 25 इंच X 22 इंच X 18 इंच होगा।

m) उक्त लोहे के बक्से को ताला लगाकर चपडी से सील कर कोषालय में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा।

पंच एवं सरपंच के निर्वाचनों हेतु एस.डी.एम.एम. को सीलबंद कर सुरक्षित रखे जाने के संबंध में आयोग निम्नलिखित निर्देश जारी करता है:–

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

पंच/सरपंच के निर्वाचनों के पश्चात् एस.डी.एम.एम. को सील करने की प्रक्रिया :–

1. मल्टीपोस्ट सिंगल वोट ई.वी.एम. से पंच/सरपंच पद के चुनाव में उपयोग लिये जाने की स्थिति में मतगणना के उपरान्त रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा पंचायत मुख्यालय पर स्थिति **मतदान भवन पर ही एस.डी.एम.एम. को सील** करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. रिटर्निंग अधिकारी मतगणना के उपरान्त एस.डी.एम.एम. को ई.वी.एम. की कन्ट्रोल युनिट से बाहर निकालकर छोटी प्लास्टिक की डिब्बी, जिसका आकार 4.5 से.मी. X 4.0 से.मी. X 2.0 से.मी. होगा, में रखेगें।
3. उक्त प्रक्रिया के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई पेपर सील (नीला रंग) पर निर्वाचन संबंधी आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर उपस्थित इच्छुक अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर कराकर एस.डी.एम.एम. रखी हुई उक्त छोटी डिब्बी को उक्त पेपर सील से सील किया जायेगा। पेपर सील (नीला रंग) का प्रारूप **Annexure-1** पर उपलब्ध है।
4. उक्त पेपर सील (नीला रंग) के पृष्ठ भाग से ''डी'' स्टीकर को हटाकर उसे एस.डी.एम. एम. रखी हुई प्लास्टिक की छोटी डिब्बी पर चिपकाने के बाद पेपर सील को चारों ओर इस तरह से लपेटा जायेगा कि पेपर सील के अग्र भाग के ''एम'' स्थान पर पृष्ठ भाग के अंतिम सिरे पर अंकित ''एम'' आकार चिपक जाये।
5. छोटी प्लास्टिक डिब्बी को पेपर सील से सील करने के पश्चात् उस पर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए रबर बैण्ड से चारों तरफ से पैक किया जाएगा।
6. इस तरह पेपर सील से सील्ड एवं रबर बैंड से पैक की गई प्लास्टिक की छोटी डिब्बी को एक लिफाफे (नीला रंग) में रखकर, जिसका प्रारूप **Annexure-2** पर उपलब्ध है, में आवश्यक प्रविष्टियां कर लिफाफे को चपड़ी से सील किया जायेगा।
7. उक्त चपडी से सील किए गए लिफाफे को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जिला मुख्यालय पर कॉउन्टर नम्बर–1 पर अन्य मतदान सामग्री के साथ जमा कराया जायेगा।
8. रिटर्निंग अधिकारी को उक्त सीलिंग की प्रक्रिया में उपयोग में आने वाली कागज की पेपर सील (नीला रंग), छोटी प्लास्टिक की डिब्बी, रबर बैण्ड, चपड़ी तथा लिफाफा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान दल की रवानगी के समय ही उपलब्ध कराया जायेगा।
9. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लिफाफे (नीला रंग) में सील की गई एस.डी.एम.एम. को जिला मुख्यालय पर जमा कराने के पश्चात् आगे की सीलिंग की कार्यवाही जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचनों में उपयोग में लाई गई एस.डी.एम.एम. को सील करने की ऊपरलिखित प्रक्रिया के बिन्दु संख्या (f) से (m) के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित विशेष दल के द्वारा उसी दिन सील करने की प्रक्रिया पूर्ण कर कोषालय के डबल लॉक में रखवाया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

जिला परिषद / पंचायत समिति सदस्यों तथा पंच / सरपंच के निर्वाचनों में उपयोग में लाए गए एस.डी.एम.एम. को उक्तानुसार सील करने की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित सामग्री का आवश्यकता होगीः–

a) सेल्फ एडेसिव एस.डी.एम.एम. पेपर सील (नीला रंग) (30 से.मी. X 3 से.मी.) **Annexure-1**
b) छोटी प्लास्टिक की डिब्बी (साईज 4.5 से.मी. X 4.0 से.मी. X 2.0 से.मी.)
c) एस.डी.एम.एम. रखी हुई छोटी प्लास्टिक की डिब्बी को सीलबंद करने का लिफाफा (नीला रंग) (12 से.मी. X 9 से.मी.) **Annexure-2**
d) मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बी (साईज 10 से.मी. X 6.5 से.मी. X 2.5 से.मी) जिसमें **Annexure - 2** में वर्णित एस.डी.एम.एम युक्त लिफाफा (नीला रंग) रखा जायेगा।
e) मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बी के ढ़क्कन पर चिपकाने हेतु स्टीकर (नीला रंग)। **Annexure-3**
f) बड़े आकार का प्लास्टिक का डिब्बा (साईज 30 से.मी. X 12.5 से.मी. X 7.5 से.मी)
g) बड़े आकार के प्लास्टिक के डिब्बे के ढ़क्कन पर चिपकाने हेतु स्टीकर (नीला रंग)। **Annexure-4**
h) लोहे का बक्सा (साईज 25 इंच X 22 इंच X 18 इंच)
i) रबर बैण्ड।
j) सेलो टेप (पारदर्शी) (साईज– एक एवं तीन इंच)
k) लिफाफे एवं लोहे के बक्से को सीलबंद करने के लिए चपड़ी, मोमबत्ती, माचिस, धागा, कपडा आदि ।

एस.डी.एम.एम. को सील करने के बाद ई.वी.एम. को सील करने की आवश्यकता नहीं है। इन ई.वी.एम. को नवीन एस.डी.एम.एम. लगाने के बाद अगले चुनाव कार्य में उपयोग में लाई जा सकेंगी।

(शुचि त्यागी)
सचिव

क्रमांकःप.3(76)स्टोर / रानिआ / एसडीएमएम / 2019 / दिनांक :

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. लेखा शाखा बजट, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. पंचायत शखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

Annexure-1

एस.डी.एम.एम. पेपर सील का प्ररूप (नीला रंग)
(प्लास्टिक की छोटी डिब्बी को सील करने हेतु)

D

Sr. No.
00001

पृष्ठ भाग

SEC

Rajasthan

M

SEC

Rajasthan

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
एस.डी.एम.एम. पेपर सील क्रमांक

पंचायत निर्वाचन

जिला ....जिप/पस/पंचायत का नाम
....
मतदान बूथ सं. ....

मतदान केन्द्र का नाम ....
SDMM क्र...

मतगणना दिनांक ....

SDMM में उपलब्ध मतगणना परिणाम

सरपंच/पंच वार्ड सं.........................
ग्रामपंचायत ....
पंचायत समिति सदस्य, निर्वाचन क्षेत्र संख्या
....
जिप सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या ....

आर.ओ./ए.आर.ओ.
हस्ताक्षर/सील

राजस्थान

Annexure-2

लिफाफे का प्ररूप (नीला रंग)

(Size - 12cm X 9cm)

(पेपर सील से पैक एस.डी.एम.एम. युक्त प्लास्टिक की छोटी डिब्बी को रखकर चपडी से सील करने हेतु)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

S E C
Rajasthan

पंचायत निर्वाचन

जिला ....

जिला परिषद/पंचायत समिति/पंचायत का नाम................

निर्वाचन का विवरण ....

बूथ संख्या

मतदान बूथ का नाम ....

एस.डी.एम.एम. क्रमांक ....

मतगणना दिनांक ....

एस.डी.एम.एम. में उपलब्ध परिणाम

सरपंच, ग्राम पंचायत/वार्ड पंच–वार्ड सं. ....

पंचायत समिति सदस्य, निर्वाचन क्षेत्र सं. ....

जि.पं. सदस्य निर्वाचन क्षेत्र सं. ....

आर.ओ./ए.आर.ओ.
हस्ताक्षर एवं सील

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

Annexure-3

छोटे स्टीकर का प्ररूप (नीला रंग)

(Size - 8cm X 5cm)

(मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बी पर चिपकाया जाना है)

पंचायत निर्वाचन

S E C
Rajasthan

जिला ....
....

जिला परिषद / पं. समिति / ग्रामपंचायत का नाम ....

निर्वाचन का विवरण ....
....

बूथ संख्या

[ ]

मतदान केन्द्र / बूथ का नाम ....

एस.डी.एम.एम. क्र. ....

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

Annexure-4

बड़े स्टीकर का प्ररूप (नीला रंग)
(Size - 20cm X 6cm)

(प्लास्टिक के बडे डिब्बे पर चिपकाया जाना है)

पंचायत निर्वाचन

S E C
Rajasthan

जिला ....

जिला परिषद/पं. समिति/ग्रामपंचायत का नाम ....

पद (जिसके निर्वाचन से संबंधित है) ....

पंचायत समिति/जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र सं. ....

सरपंच/पंच वार्ड सं. ....

बूथ संख्या

से	तक

* जिस पद से संबंधित है उसे ✓ किया जावें।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

भाग—11
मतगणना

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014–15/10008 जयपुर, दिनांकः–30.12.14

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(पंचायत)(कलक्टर)।

विषयः– जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन मतपत्रों को मिलाया जाकर गणना किये जाने की प्रक्रिया संबंधी निर्देश।

जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन में एक निर्वाचन क्षेत्र के मतपत्रों को मिलाया जाकर गणना किये जाने की प्रक्रिया एवं निर्देश पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे हैं।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार.

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

मतपत्रों को मिलाया जाकर गिनती करने की प्रक्रिया
रिटर्निंग अधिकारियों के लिए निर्देश

(जिला परिषद / पंचायत समिति सदस्य चुनाव)

1. प्रारम्भिकः–

1. पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिषद सदस्यों एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन राज्य में संपन्न होने जा रहे हैं। जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन में मतगणना जिला मुख्यालय पर करायी जावेगी।
2. निर्वाचन की प्रक्रिया में मतगणना एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके लिए कानूनी प्रक्रिया की अच्छी जानकारी के साथ–साथ गणना स्थल पर सुचारू व्यवस्था करना भी जरूरी हैं। जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव में मतगणना निर्वाचन क्षेत्रवार होंगी, जिसमें एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान बूथों पर डाले गये मतपत्रों को मिलाया जाकर गिनती की जावेगी। इन चुनावों में एक निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित सभी मतदान बूथों पर डाले गये मतपत्रों को मिलाया जाकर गिनती की जाने की प्रक्रिया लगभग वैसी ही होंगी, जैसी पूर्व के चुनावों में अपनायी गयी थी। जिला परिषद सदस्यएवं पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन में मतगणना की प्रक्रिया की जानकारी के लिये आपको राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 48, 48 ए, 48 बी, 49, 49 ए, 50, 51, 52, 53, 58, 68, 70, 72, 74, 75, 76 के प्रावधानों की अच्छी जानकारी होना आवश्यक है। पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के मतपत्र नीले रंग के कागज पर एवं जिला परिषद सदस्य चुनाव के मतपत्र पीले कागज पर होंगे तथा मतदान बूथ पर पंचायत समिति एवं जिला परिषद चुनाव के मतपत्र एक ही मतपेटी में डाले जावेंगे।

   एक निर्वाचन क्षेत्रों के मतपत्रों की गणना दो चरणों में सम्पन्न होंगी। प्रथम चरण, यानि प्रारम्भिक गणना में एक मतदान बूथ में उपयोग में लाई गयी मतपेटी या मतपेटियों में से मतपत्रों को निकाला जाकर मतपत्रों के रंग के अनुसार जिला परिषद सदस्य मतपत्रों व पंचायत समिति मतपत्रों को पृथक–पृथक किया जावेगा और यह पता लगाया जावेगा कि, उस मतदान बूथ पर जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन में कुल कितने मत डाले गये हैं तथा इसका मतपत्र लेखा से मिलान भी किया जावेगा। प्रारम्भिक गणना में एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान बूथों के मतपत्रों को लम्बाई (Vertical) में मुड़े हुये रहने दिया जावेगा और लम्बाई में मुड़े हुये मतपत्रों के 50–50 के बण्डल बनाये जाकर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के ड्रम या बड़े बक्से में डालकर उन्हें मिलाया जावेगा।

   दूसरे चरण में निर्वाचन क्षेत्र के 50–50 मतपत्रों के 20–20 बंडलों को लेकर उनकी छंटनी व जांच की जावेगी व अभ्यर्थीवार गिनती की जाकर परिणाम निकाला जावेगा।

   राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 के द्वितीय परन्तुक में यह प्रावधान किया गया है कि निर्वाचन ड्यूटी पर अधिकारी उस रीति से डाक द्वारा मत देने के हकदार होंगे, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। डाक मतपत्र द्वारा मतदान के संबंध में आयोग द्वारा पत्रांक एफ. 4 (1)(5) नपा / रानिआ / 94 / 6165 दिनांक 11.12.2009 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्राप्त डाक मतपत्रों में से रिटर्निंग अधिकारी उन सभी विधिमान्य मतों की, जो हर एक अभ्यर्थी व नोटा के पक्ष में दिए गए हैं, गणना करेगा और इस प्रकार गणना करके अभ्यार्थियों व नोटा को प्राप्त कुल विधिमान्य मतों में जोड़कर परिणाम पत्र में अभिलिखित करेगा व उन्हें सुनाएगा।

2. मतगणना का समय, स्थान और तारीख

1. राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 58 के उप नियम (1) के खण्ड (च) के प्रावधानों के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन की अधिसूचना जारी करते समय मतगणना की तारीख, समय और स्थान की सूचना भी करनी होती है। इसके अतिरिक्त नियम 49 के उप नियम (1) में भी प्रावधान है कि, रिटर्निंग अधिकारी मतगणना का समय, स्थान और

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

तारीख निश्चित करेगा। अतः ऐसी स्थिति में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतगणना के लिए निश्चित किया गया समय, स्थान और तारीख भी वही होंगी, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने नियम 58 के अंतर्गत लोकसूचना में बताया है। नियम 49 (2) के अनुसार उक्त समय, स्थान व तारीख की जानकारी लिखित रूप में रिटर्निंग अधिकारी को चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी देनी चाहिए।

यदि विशेष परिस्थितिवश मतगणना के स्थान, समय या तारीख में कोई परिवर्तन करना आवश्यक हो तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे परिवर्तन की सूचना चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को लिखित रूप में तुरन्त देनी चाहिए।

2. मतगणना में स्थान का चयन करते समय यह ध्यान रखना है कि मतगणना के लिये हाल या कमरों में पर्याप्त स्थान हों, ताकि वहां पर्याप्त टेबिलें लगाई जा सकें, गणन पर्यवेक्षकों, गणन सहायकों और अभ्यर्थियों व उनके अभिकर्ताओं को बैठने की सही व्यवस्था हो, तथा कागजात को मुद्राबन्द करने आदि के लिये पर्याप्त स्थान हो। रिटर्निंग अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारी के बैठने का स्थान हॉल में ऊॅचाई के प्लेटफार्म पर होना चाहिए ताकि वहॉ से हॉल की सम्पूर्ण गतिविधि देखी जा सके। रिटर्निंग अधिकारी/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी के बैठने के प्लेटफार्म पर हो अभ्यर्थी या उसके गणन अभिकर्ता को भी बैठने की सीट दी जानी चाहिये। व्यवस्था ऐसी हो कि, मतगणना हॉल में भीड़–भाड़ न हों।
3. मतगणना के लिये हाल व कमरों का चयन करते समय यह देखें कि प्रत्येक हाल या कमरे में रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी मौजूद रहें।
4. सुरक्षा की दृष्टि से मतगणना का परिसर उपयुक्त होना आवश्यक है। अस्थाई ढांचे व टैन्ट में मतगणना जहां तक संभव हो नहीं की जावे। मतगणना का स्थान जिला मुख्यालय पर उपयुक्त भवन में रखना चाहिए। मतगणना भवन के परिसर में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिये।
5. जहां तक संभव हो जिला परिषद/पंचायत समितियों के सभी निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना एक ही परिसर में की जानी चाहिये। भीड़–भाड़ परिसर में न हों।

3. गणना के लिये टेबिलों की संख्या व व्यवस्था

पंचायत समिति की संख्या, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या और मतगणना कक्षों के आकार को दृष्टिगत रखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी अपने स्तर पर सक्षम है कि, वे मतगणना कक्ष में कितनी–कितनी टेबिल निश्चित करें, लेकिन जहॉ एक पंचायत समिति को दो या अधिक मतगणना कक्षों में विभाजित किया जावे वहॉ प्रत्येक अतिरिक्त मतगणना कक्ष में एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त होना आवश्यक है।

मतगणना का प्लान अग्रिम रूप से ही तैयार कर लिया जावे जिसमें प्रत्येक पंचायत समिति के लिए आवंटित मतगणना कक्ष, प्रत्येक मतगणना कक्ष में टेबिलों की संख्या, टेबिल वार पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र और जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र वर्णित हों। साथ ही मतदान बूथ क्रमांक भी प्रत्येक टेबिल के आवंटित हो। अभ्यर्थियों को यथा संभव सूचित किया जावे ताकि वे तदनुसार अपने अभिकर्ता नियुक्त कर सके।

1. मतगणना के लिये चयन किये गये हाल व कमरों को देखते हुये टेबिलों की संख्या निश्चित की जावेगी। टेबिलों के बीच पर्याप्त स्थान छोड़ना चाहिये ताकि प्रत्येक टेबिल के लिये गणन पर्यवेक्षक व गणन सहायक आसानी से बैठकर गणना कार्य कर सकें, अभ्यर्थियों व अभिकर्ताओं को भी बैठने का पर्याप्त स्थान मिल सके और आने–जाने का पर्याप्त स्थान भी हों। गणना टेबिलों को क्रम–संख्यांकित भी किया जावे।
2. अभ्यर्थियों व उनके अभिकर्ताओं को बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जावे ताकि वह मतपत्र देख सके लेकिन उनके हाथ नहीं लगा सकें। टेबिल से अभ्यर्थियों व उनके अभिकर्ताओं को अलग करने के लिये रस्सी बांधकर व्यवस्था की जावे।
3. निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और समय को देखते हुए एक गणना हाल में जिला परिषद अथवा पंचायत

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

समिति के एक साथ एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों के मतपत्रों की गणना की जा सकती है, लेकिन किसी कमरे या हाल में एक से अधिक पंचायत समिति एक साथ न रखी जावे।

4. टेबिलों का बंटवारा व्यवस्थित ढ़ंग से करना होगा और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मतपत्रों को मिलाये जाने के लिए ड्रम या बक्से की व्यवस्था भी सावधानीपूर्वक पृथक–पृथक करनी होंगी अन्यथा एक निर्वाचन क्षेत्र के मतपत्र अन्य निर्वाचन क्षेत्र के मतपत्रों में शामिल हो जाने का डर है। मतपत्रों को सीलबंद करने का काम भी सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि जिला परिषद अथवा किसी पंचायत समिति में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की गणना का कार्य साथ–साथ किया जाता है तो, आप मतगणना हाल को उतने ही खण्डों में रस्सियां आदि बांधकर विभाजित कर लें। निर्वाचन क्षेत्र में मतदान बूथों की संख्या को देखते हुए यह आप पर निर्भर है कि, आप एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कितनी टेबिलो पर मतगणना करायें, लेकिन जिन टेबिलों पर आप किसी निर्वाचन क्षेत्र की प्रारम्भिक गणना करायें उन्हीं टेबिलों पर आप उसी निर्वाचन क्षेत्र की दूसरे चरण की गणना भी कराये तथा ऐसे निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना पूरी कर लेने व मतपत्रों के पैकिट सीलबंद कर देने के पश्चात् ही अगले निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना का कार्य उक्त टेबिलों पर प्रारम्भ करायें, ताकि मतपत्रों के अन्य निर्वाचन क्षेत्र के मतपत्रों में मिलने की संभावना न रहे।

4 गणन पर्यवेक्षक एवं गणन सहायक

1. नियम 49 (4) के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी मतगणना कार्य में अपनी सहायतार्थ व्यक्तियों को मतगणना हाल में आने की अनुमति देगा। जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर रिटर्निंग अधिकारी गणन पर्यवेक्षक व गणन सहायक आवश्यकता को देखते हुए नियुक्त करेगा। गणना स्थल के कमरों व हाल में निश्चित की गई टेबिलों की संख्या को देखते हुए रिटर्निंग अधिकारी को गणन–पर्यवेक्षक व गणन सहायक नियुक्त करने है, तथा 10 प्रतिशत रिजर्व भी रखने हैं।
2. गणन–पर्यवेक्षक आप यथासंभव राजपत्रित अधिकारियों या समकक्ष अधिकारियों को रखें, जो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों या राज्य सरकार के अधीनस्थ निगमों, मण्डलों, संस्थानों के हों। गणन सहायक हालांकि राजपत्रित स्तर के न हों, लेकिन द्वितीय या तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हों। किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी से जुड़े हुये व्यक्ति गणन–पर्यवेक्षक या गणन सहायक नियुक्त न हों। गणन–पर्यवेक्षक व गणन सहायक निष्पक्ष व कर्त्तव्यनिष्ठ कर्मचारी/अधिकारी होने चाहिए। गणन–पर्यवेक्षकों व सहायकों (रिजर्व स्टाफ सहित) को भली–भांति प्रशिक्षण दिया जाना भी आवश्यक हैं। गणना के समय पर्यवेक्षकों व सहायकों को वैद्य–अवैद्य मतपत्रों को दर्शाते हुए उद्धरणों के पम्पलेट भी दिये जाने चाहिए।
3. गणन–पर्यवेक्षकों एवं गणन सहायकों के अतिरिक्त रिटर्निंग अधिकारी मतपत्रों व अन्य कागजात को सील करने, मतपेटियों को लाने ले जाने के लिए भी सहायको की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमोदन से करेगा।

5 गणन अभिकर्ताओं की संख्या व उनकी नियुक्ति

1. नियम 70 के अनुसार कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतपत्रों की गणना के समय अभ्यर्थी की ओर से उपस्थित रहने के लिए गणन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। गणन अभिकर्ताओं की संख्या गणना के लिए लगायी गई मेजों, जिसमें रिटर्निंग अधिकारी की मेज भी शामिल हैं, की संख्या से अधिक नहीं होंगी, साथ ही एक रिलीफ गणन अभिकर्ता भी नियुक्त किया जा सकता हैं। एक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता प्ररूप–10 में दो प्रतियों में किसी गणन अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है जिसकी एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत की जावेगी और दूसरी प्रति मतगणना प्रारम्भ होने से कम से कम आधा घण्टा पहले रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष गणन अभिकर्ता के द्वारा प्रस्तुत की जावेगी। एक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता प्ररूप–10 में एक पत्र पर एक गणन अभिकर्ता को नियुक्त कर सकता है। अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता जिन व्यक्तियों को गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करें, उनके हस्ताक्षर ऐसी नियुक्ति की सहमति के रूप में होने आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर गणन अभिकर्ता की सहमति के रूप में नहीं हों तो उसकी नियुक्ति मान्य नहीं होंगी।
2. मतगणना के प्रारम्भ होने के कम से कम आधा घन्टा पूर्व गणन अभिकर्ता को प्ररूप–10 में उसकी नियुक्ति का फार्म रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक है साथ ही, प्ररूप–10 की दूसरी प्रति में बतायी गयी घोषणा को पूरा करना भी उसके लिये आवश्यक है। गणन अभिकर्ता प्ररूप–10 की घोषणा पढ़कर उस पर हस्ताक्षर करेगा अन्यथा मतगणना केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण भी कर सकता है। गणन अभिकर्ता की नियुक्ति के प्रतिसंहरण के लिये कोई प्ररूप निर्धारित नहीं है। अतः ऐसे प्रतिसंहरण के लिये साधारण आवेदन पत्र में रिटर्निंग अधिकारी को पेश किया जा सकता है और किसी गणन अभिकर्ता को प्रतिसंहरण किये जाने के पश्चात् अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता उसकी एवज में अन्य गणन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है।

3. यह भी ध्यान रखने योग्य है कि, मतगणना हाल में अधिक भीड़–भाड़ नहीं हों। गणन अभिकर्ताओं एवं संबंधित अभ्यर्थियों व निर्वाचन अभिकर्ताओं को यह स्पष्ट रूप से बता दिया जावे कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की गणना कार्य के बीच में गणना कक्ष से उठकर जाने नहीं दिया जावेगा और एक बार जाने के पश्चात् पुनः नहीं आने दिया जावेगा।
4. राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी निश्चित किया है कि, गणन–अभिकर्ताओं को फोटो–परिचय पत्र के द्वारा ही प्रवेश दिया जावे। अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता जिन व्यक्तियों को गणन–अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त करें तो, प्ररूप–10 में गणन–अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष मतगणना के दिन से कम से कम दो दिन पूर्व प्रस्तुत होना चाहिए तथा ऐसे नियुक्ति पत्रों के साथ में प्रत्येक गणन–अभिकर्ता की दो फोटो पासपोर्ट साईज की रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी। उक्त दो फोटो में से एक–एक फोटो प्ररूप–10 में नियुक्ति पत्र की एक प्रति, जो कि रिटर्निंग अधिकारी को तत्समय प्रस्तुत की जावेगी पर चिपकाकर प्रस्तुत की जावेगी और ऐसी फोटो पर गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किये गये व्यक्ति के हस्ताक्षर भी होंगे तथा अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा ऐसे फोटो को प्रमाणित भी किया जावेगा। दूसरी फोटो पर भी गणन–अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे तथा उसे भी अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा प्रमाणित किया जावेगा। दूसरी फोटो गणन–अभिकर्ता को दिये जाने वाले बैज पर चिपकायी जावेगी। बैज पर जिला परिषद/पंचायत समिति का नाम, निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या, गणन–अभिकर्ता का नाम, अभ्यर्थी का नाम, आवंटित की गई टेबिल संख्या अंकित की जावेगी और रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे या हस्ताक्षरों की मोहर लगायी जावेगी। गणन–अभिकर्ताओं को दिये जाने वाले समस्त बैजों का इन्द्राज एक रजिस्टर में भी किया जावेगा। बैजों को क्रम संख्यांक भी दिये जावेंगे। बैजों पर रिटर्निंग अधिकारी की स्टाम्प सील भी लगायी जावेगी। मतगणना के दिन, मतगणना कक्ष में बिना बैज के गणन–अभिकर्ताओं को प्रवेश नहीं दिया जावेगा। अभ्यर्थी को भी बैज दिया जावेगा, लेकिन उस पर फोटो लगाया जाना आवश्यक नहीं है। गणन–अभिकर्ताओं के लिए की गई उपरोक्त व्यवस्था के बारे में संबंधित राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय पूर्व, रिटर्निंग अधिकरी द्वारा सूचित किया जावेगा। जिला स्तर पर राजनीतिक दलों को उपरोक्त व्यवस्था के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी भी सूचित करेंगे। जिस गणना अभिकर्ता को जो टेबिल गणना कक्ष में आवंटित की गई है, ऐसा गणन–अभिकर्ता आवंटित टेबिल पर बैठ सकेगा अन्य कहीं नहीं। अभ्यर्थी को किसी भी टेबिल पर जाने का अधिकार है।

जिन निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना हो रही है, उन निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों व अभिकर्तातओं को ही गणना हाल में तत्समय रहने दें, शेष को किसी अन्य कक्ष में इन्तजार करने दिया जावे।

6. गणना की टेबिलों पर वांछित स्टेशनरी

मतगणना के लिए एक टेबिल पर निम्न सामग्री आवश्यक है :–

1. एक चाकू या ब्लेड
2. पेन्सिल/डॉटपेन
3. कागज की दो सीट
4. एक मजबूत नुकीली सलाई/पोकर
5. गीला स्पंज या छोटे कप में पानी
6. धागा या रबड़ बैंड
7. दो पेपर वेट या पत्थर के टुकड़े
8. काऊंटिंग चैक स्लिप
9. परिशिष्ट एक में बताया गया फार्म (प्रति मतदान केन्द्र एक)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

7. गणना कक्ष में अनुशासन

किसी भी व्यक्ति को गणना कक्ष में बीड़ी–सिगरेट नहीं पीने दी जावेगी। रिटर्निंग अधिकारी को यह आश्वस्त होना है कि, मतगणना के दौरान सुव्यवस्थित और अनुशासनात्मक तरीके से मतगणना का कार्य सम्पन्न हों। मतगणना कक्ष के बाहर दरवाजे पर पुलिस के कर्मचारियों की ड्यूटी तैनात रखी जावे।

8. मतों की गोपनीयता बनाये रखना

धारा 128 लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 के अनुसार लागू माने गये हैं। जिसके अनुसार मतदान की गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। इन प्रावधानों के अनुसार मतगणना के दौरान प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या ऐसा अन्य व्यक्ति जो मतपत्रों की गणना या उनके अभिलेखन से संबंधित कोई कार्य करता है उसे मतों की गोपनीयता बनाये रखनी होंगी और ऐसी गोपनीयता बनाये रखने में सहायता भी करनी होंगी। मतों की गोपनीयता भंग करने से संबंधित कोई भी कार्य करने की अनुमति नहीं है और न ही ऐसी सूचना अन्य किसी व्यक्ति को बताने की अनुमति है। धारा 128 लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के बारे में मतगणना प्रारम्भ करने से पूर्व मतगणना कक्ष में सभी उपस्थित व्यक्तियों को जोर से बोलकर समझा दिया जाना चाहिए।

9. मतगणना स्थल में प्रवेश

1. नियम 49 के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी केवल मात्र निम्न प्रकार से व्यक्तियों को ही मतगणना स्थल में आने की अनुमति देगा अन्य किसी को नहीं (क) मतगणना के संबंध में उसकी सहायतार्थ तैनात लोक–सेवक जिनमें गणन पर्यवेक्षक व गणन सहायक भी शामिल हैं, (ख) अभ्यर्थी।
2. उपरोक्त के अलावा नियम 70 के प्रावधानों में प्रत्येक गणन मेज पर एक से अनधिक गणन अभिकर्ता को भी प्रवेश दिया जावेगा। मतगणना प्रारम्भ करने से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को देख लेना चाहिये कि कोई व्यक्ति उपरोक्त व्यक्तियों के अलावा तो मौजूद नहीं है, यदि कोई हों तो उसे बाहर कर दिया जावे।
3. मतगणना कार्य में सहयोग के लिए तैनात स्टाफ में सामान्यतया पुलिस कर्मचारी/अधिकारी शामिल नहीं माने जाते, चाहे वे अपनी वर्दी में हों या सादा कपड़ों में, लेकिन कानून व्यवस्था से संबंधित या अन्य ऐसे ही किसी उद्‌देश्य के लिए रिटर्निंग अधिकारी किसी पुलिस कर्मचारी/अधिकारी को गणना कक्ष में बुला सकता है। सामान्य स्थिति में पुलिस कर्मचारी व अधिकारियों को गणना कक्ष में नहीं आने देना चाहिये, क्योंकि किसी अभ्यर्थी अथवा राजनीतिक दल द्वारा ऐसी शिकायत की जा सकती है कि, गणना कक्ष में अनावश्यक रूप से पुलिस का दिखावा किया गया है।
4. निर्वाचन ड्यूटी पर लोक–सेवकों में राज्य या केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्री भी शामिल नहीं है। राज्य या केन्द्र सरकार का कोई भी मंत्री संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थी या गणन अभिकर्ता की हैसियत में ही गणना कक्ष में प्रवेश कर सकता है। अन्यथा नहीं।
5. गणना कक्ष में व्यक्तियों की आवाजाही सुचारू रूप से रखी जावे ताकि भीड़–भाड़ नहीं हों और किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हों।
6. यदि किसी व्यक्ति पर आपको संदेह हों तो आप उसे गणना कक्ष में प्रवेश करने की अनुज्ञा के बारे में जानकारी उस व्यक्ति से ले सकते हैं और उसका अनुज्ञा–पत्र भी देख सकते हैं।

10. मतपेटियों का खोले जाना

1. मतगणना प्रारम्भ करने के ठीक समय पर आप गणना मेजों पर मतदान बूथों पर उपयोग में लायी जाने वाली मतपेटियों को स्ट्रांग–रूम से मतदान बूथवार प्रारम्भिक मतगणना के लिये पहुंचाने का कार्य प्रारम्भ करा दें। एक मतदान बूथ में लायी गयी समस्त मतपेटियां एक साथ एक टेबिल पर पहुंचायी जावेंगी लेकिन एक मतदान बूथ की सभी मतपेटियां एक साथ नहीं खोली जाकर एक–एक करके खोली जावेंगी। मतपेटियों के साथ गणना मेज पर मतपत्र लेखा एवं पिंक पेपर सील का अभिलेख भी पहुंचाया जावेगा। प्रत्येक गणना टेबिल पर मतपेटियों के पहुंचाये जाने का हिसाब भी आपको रखना है।

2. जैसे ही एक मतदान बूथ की मतपेटियां गणना टेबिल पर पहुंचे तो गणनादल को मतपेटियों की सील को चैक करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि कहीं कोई सील टूटी हुयी या तोड़ी हुई तो नहीं है। अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता को भी अवसर देना चाहिए कि, वह देख सके कि, मतपेटियों पर लगी हुई सीलें सही हैं और तोड़ी हुई तो नहीं हैं। यह भी संभव है कि, लाने–ले जाने में

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

मतपेटियों के बाहर की सील टूट जावे या हट जावे लेकिन मतपेटी पर पिंक पेपर सील का लगे होना आवश्यक है और यदि पिंक पेपर सील सही लगी हुई है तो, सील टूटी हुई नहीं मानी जावेगी, क्योंकि पिंक पेपर सील के सही लगे होने से मतपेटियों में कोई हेर–फेर होने की संभवना नहीं रहती है। यदि पिंक पेपर सील सही पायी जाती है और मतपेटी में बाहर की सील टूटी हुई पायी जाती है तो अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता को समझाकर संतुष्ट कराया जा सकता है फिर भी उन्हें कोई आपत्ति हों तो ऐसी आपत्ति को आप निरस्त कर देंगे।

3. पिंक पेपर सील लेखा से मिलान कर मतदान बूथ पर प्रयुक्त की गई पिंक पेपर सील और मतपेटी में लगी हुई पिंक पेपर सील की पहचान की जा सकती है। मतपेटी में रखे हुये एड्रेस टेग से मतपेटी की पहचान भी निश्चित की जा सकती है। अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं की पिंक पेपर सील और मतपेटी की पहचान करने का अवसर दिया जावे और एड्रेस टेग तथा पिंक पेपर सील के लेखा कोण अवलोकन करने का अवसर भी दिया जावे।

4. अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को पिंक पेपर सील के नंबर नोट करने की अनुमति भी दी जावे। यदि मतपेटी में लगी पिंक पेपर सील का नंबर पिंक पेपर सील के लेखा से मेल नहीं खाता है तो, ऐसी स्थिति में आप मतदान अधिकारियों द्वारा उपयोग में नहीं लायी गयी पेपर सीलों का भी निरीक्षण करें और देखें कि, क्या मतदान अधिकारी द्वारा पेपर सीलों का नंबर अंकित करने में कोई भूल तो नहीं हुई है। अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को भी वस्तुस्थिति से अवगत करावें और यदि आपको यह संतुष्टि हो जाती है कि, मतपेटियों की सील तोड़ी गयी है और कोई हेर–फेर हुआ है तो ऐसे तथ्य की रिपोर्ट आप राज्य निर्वाचन आयोग के अग्रिम आदेश तक रोक देंगे तथा उन्हें पृथक रख देंगे। राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में आप ऐसी मतपेटियों को पुनः सीलबंद कर पृथक से रखने की रिपोर्ट भी भेजेंगे।

5. जिन मतदान बूथों पर मतपेटियों की सीलें सुरक्षित पायी जाती है, उनकी प्रारम्भिक गणना तुरन्त शुरू करवा दी जावेगी। एक मतदान बूथ पर लायी गयी मतपेटियों को एक–एक कर खोले जाने के दौरान, अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ताओं को यह संतुष्ट होने का अवसर दिया जावेगा कि, प्रत्येक मतपेटी में से समस्त मतपत्र निकाल लिये गये हैं और मतपेटी खाली कर दी गई है। गणना दलों के द्वारा यह सावधानी बरती जावे कि, कोई भी अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता किसी भी मतपेटी को हाथ नहीं लगा सके, हालांकि वह मतपत्रों को देख सकता है।

11. प्रारम्भिक मतगणना

जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य दोनों निर्वाचनों के लिए बूथवार एक ही मतपेटी होने के कारण मतों की गणना साथ–साथ होगी। पंचायत समिति निर्वाचन के मामले में मतपत्रों को निर्वाचन क्षेत्रवार मिलाकर गणना की जावेगी। जहॉ तक संभव हो जिला परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान बूथ एक ही मतगणना कक्ष में मतगणना में लिये जायेंगे लेकिन यदि किसी पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के जिला परिषद के दो निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित होने के कारण या अन्य कारण से यह संभव नहीं हो तो, जिला परिषद के एक निर्वाचन क्षेत्र को एक से अधिक मतगणना कक्षों में लिया जा सकता है। लेकिन जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के ऐसे आंशिक भाग में शामिल मतदान बूथों के मतपत्रों की गणना एक ही मतगणना कक्ष में की जावेगी उन्हें दूसरे मतगणना कक्ष में नहीं ले जाया जायेगा। जहॉ जिला परिषद के एक निर्वाचन क्षेत्र की मतपेटियॉ एक से अधिक कक्षों में गणना में ली गई है, वहॉ उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना कक्षवार मतपत्रों को मिलाया जायेगा। पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले सभी मतदान बूथों को एक ही मतगणना कक्ष में गणना के लिए लिया जावेगा।

मतगणना दलों के द्वारा मतपत्रों को एक एक बूथवार लिया जावेगा। प्रारम्भिक चरण में मतपत्रों के बण्डलों को मिलाये जाने के लिए जिला परिषद सदस्य निर्वाचन के लिए पृथक ड्रम/बक्सा होगा और पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन के लिए पृथक ड्रम/बक्सा होगा। जिस मतगणना कक्ष में एक से अधिक जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र मतगणना में आयेंगे उस मतगणना कक्ष में उतनी संख्या में ड्रम/बक्से जिला परिषद सदस्य मतगणना हेतु रखें जावें।

प्रत्येक मतगणना कक्ष में प्रारम्भिक चरण की मतगणना अर्थात मतपत्रों को मिलाया जाकर की गई मतगणना पूरी होने के पश्चात ही द्वितीय चरण की वास्तविक मतगणना प्रारम्भ की जावे।

डाक मतपत्रों की गिनती रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जानी

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

है। डाक मतपत्रों की गणना मतगणना प्रारम्भ होने के समय ही प्रारम्भ कर दी जावे। ताकि मतदान बूथों पर डाले गये मतपत्रों को मिलाये जाने के प्रारम्भिक मतगणना वाले चरण के दौरान ही डाक मतपत्रों की गिनती का कार्य पूर्ण हो सके। जिला निर्वाचन अधिकारी डाक मतपत्रों की संख्या एवं अन्य व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए डाक मतपत्र की गिनती के लिए पृथक से सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी लगाये जाने की व्यवस्था कर सकते है। इसमें में भी कोई आपत्ति नहीं है कि जिला परिषद सदस्य चुनाव एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए एक ही सहायक रिटर्निंग अधिकारी डाक मतपत्रों की गिनती करे। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे कि वह अधिकारी दोनों निर्वाचनों के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त है।

<u>मतगणना की विस्तृत प्रक्रिया निम्नप्रकार वर्णित है :—</u>

1. प्रारम्भिक मतगणना में मत की गोपनीयता बनायी रखी जावेगी जब मतपेटी में से मतपत्र निकाला जावेगा तो वे दो प्रकार से मुड़े हुये होवें। एक तो लम्बाई में (Vertical) दूसरा चौड़ाई में (Horizontal) गणना दल मतपत्रों को चौड़ाई में पाये जाने वाले मोडों को ही सीधा कर देंगे, लेकिन मतपत्रों के लम्बाई (Vertical) मोड़ों को नहीं खोलेंगे। प्रारम्भिक मतगणना में केवल मात्र यह देखना है कि उक्त मतदान बूथ पर कुल कितने मत डाले गये हैं और मतपेटियों में कुल कितने मतपत्र पाये गये हैं। मतदान बूथ पर प्रयोग में लायी गयी मतपेटी या मतपेटियों में से निकाले गये कुल मतपत्रों की संख्या मतपत्र लेखा के मद 5 से मेल करनी चाहिए। यदि मतपत्र लेखा के मद संख्या 5 तथा प्रारम्भिक मतगणना में निकाले गये कुल मतपत्रों की संख्या में कोई अन्तर पाया जाता है तो ऐसे अन्तर का इन्द्राज संलग्न परिशिष्ट—1 में गणना पर्यवेक्षक द्वारा किया जावेगा और हस्ताक्षरित किया जावेगा तथा रिटर्निंग अधिकारी अपनी संतुष्टि के पश्चात् उस पर हस्ताक्षर करेगा।

2. जिन मतदान बूथें पर प्रारम्भिक मतगणना में मतपेटियों में से निकाले गये मतपत्रों और मतपत्र लेखा के मद संख्या 5 में कहीं अन्तर नहीं हों अथवा अन्तर तो है, लेकिन आपको यह संतुष्टि हों कि, मतदान बूथ पर मतदान को दूषित करने वाली कोई अनियमितता नहीं हुई है तो, आप गणना दलों से मतगणना का कार्य चालू रखवायेंगे। मतपेटियों में से निकाले गये मतपत्र 50—50 के बण्डलों में रबड़ बेंड या धागे से बांधे जावेंगे और इस प्रकार से बांधे जावेंगे, ताकि कोई मतपत्र उस बण्डल में से नहीं निकल सके।

3. जब किसी मतदान बूथ की मतपेटी या मतपेटियों के समस्त मतपत्रों की प्रारम्भिक गणना कर ली जावे तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियुक्त एक संग्रहण अधिकारी (Collection Officer) प्रत्येक गणन टेबिल से निम्न 3 प्रकार की सामग्री प्राप्त करेगाः—
   (1) मतपत्र लेखा एवं परिशिष्ट—1 परस्पर नत्थी किये हुए तथा पेपर सील एकाउण्ट।
   (2) मतपत्रों के बण्डल जिसमें 50—50 के बण्डल होंगे और कोई एक बण्डल 50 से कम भी हो सकता है।
   (3) खाली मतपेटी / मतपेटियॉं

4. यहॉं यह ध्यान रखना है कि गणना दलों को उक्त सामग्री संग्रहण अधिकारी तक पहुंचाने के लिए उठकर जाना नहीं पड़े बल्कि संग्रहण अधिकारी की सहायतार्थ लगे कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें कि किसी गणन टेबिल पर जैसे ही प्रारम्भिक मतगणना का कार्य पूरा होता है वह उक्त सामग्री गणन टेबिल से प्राप्त कर लें और अगले दौर (Round) के लिये आवंटित मतदान बूथ की मतपेटियों को तत्काल पहॅुचा दें, ताकि समय खराब नहीं हों।

5. मतपत्र लेखा परिशिष्ट—1 एवं पेपर सील एकाउण्ट पर गणन पर्यवेक्षक द्वारा अपना टेबिल नं. नोट कर दिया जावे, ताकि आगे मिलान आदि में सुविधा रहे।

6. गणन टेबिल से संग्रहण अधिकारी उक्त सामग्री प्राप्त कर लेने के पश्चात 50—50 मतपत्रों के बंधे हुये बण्डल संबंधित वार्ड के लिये रखे गये ड्रम या बड़े बक्से में डालेगा और जो 50 से कम मतपत्र के बण्डल हों उन्हें वह पृथक से एक ट्रे में रख लेगा। प्रारम्भिक मतगणना में भिन्न—भिन्न टेबिलों से उक्त निर्वाचन क्षेत्र के ऐसे समस्त 50—50 मतपत्रों के बण्डलों को संग्रहण अधिकारी उसी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के ड्रम में या बड़े बक्से में डालता जावेगा और 50 से कम मतपत्रों के ऐसे बण्डलों को पृथक ट्रे में रखकर उनके भी 50—50 के बण्डल बनायेगा तथा अंत में सभी बण्डलों को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के ड्रम या बड़े बक्से में डाल देगा। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान बूथों की

प्रारम्भिक गणना हो जाने के पश्चात् ड्रम या बड़े बक्से में रखे गए मतपत्रों के बण्डलों को आपसे में मिलाया जावेगा लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि, कोई मतपत्र मिलाये जाने की प्रक्रिया में खराब नहीं हों जावें और बण्डल बिखरे नहीं।

7. संग्रहण अधिकारी गणन टेबिलों से प्राप्त किये गये मतपत्र लेखा एवं परिशिष्ट–1 के अधार पर परिशिष्ट–4 (अंतिम परिणाम के लिए चैक मीमो) के भाग–1 में मतदान बूथवार मतपेटियों में पाये गये कुल मतपत्रों की संख्या का अंकन करेगा।

   संग्रहण अधिकारी के द्वारा एक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित परिशिष्ट–4 के भाग एक की पूर्ति करने के पश्चात् संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान बूथों के मतपत्र लेखा, परिशिष्ट–1 पेपर सील एकाउण्ट एवं परिशिष्ट–4 को रिटर्निंग अधिकारी को सुपुर्द कर देगा।

8. गणना दलों द्वारा जब 50 से कम के बण्डल बनाये जावें तो उनके द्वारा बण्डल के ऊपर स्लिप लगाकर उनकी संख्या एक गोल में अंकित कर देनी चाहिये। यदि कागज की स्लिप नहीं लगायी जाती है तो बण्डल के पीछे वाले मतपत्र के पीछे की साईड में पेन्सिल से बण्डल के मतपत्रों की संख्या गोले में अंकित कर देनी चाहिये। संग्रहण अधिकारी भी जब ऐसे बण्डलों से 50–50 के बण्डल बनाये और अंत में 50 से कम का मतपत्रों का बण्डल बचे तो उस पर भी ऐसी ही कार्यवाही करें।

9. यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि, प्रारम्भिक मतगणना की उपरोक्त प्रक्रिया में मतपत्र को नहीं खोला जावेगा और मतपत्र की गोपनीयता रखी जावेगी।

12. मतगणना का दूसरा चरण

1. मतगणना के दूसरे चरण में मतपत्रों की छंटनी की जावेगी और उनकी अभ्यर्थीवार गिनती की जावेगी। अभ्यर्थीवार गिनती के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी व नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) के लिए अलग–अलग लोहे की ट्रे रखनी चाहिये, लेकिन जहॉ अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हैं, वहां सभी अभ्यर्थियेां के लिय पृथक–पृथक लोहे की ट्रे रखा जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में आप यह व्यवस्था कर लें कि, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों के लिये तो आप पृथक–पृथक ट्रे निर्धारित करलें और गणना के दौरान जब यह लगे कि कोई निर्दलीय अभ्यर्थी या नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) को भी प्राप्त होने वाले मतपत्रों की संख्या ट्रे के लिए पर्याप्त है तो, आप उसकी ट्रे भी पृथक से और रख लें। शेष अभ्यर्थियों के लिये आप एक कॉमन ट्रे रख लें तथा संदेहपूर्ण मतपत्रों के लिये मतपत्रों के लिये पृथक ट्रे रखवायें। लोहे की ट्रे जो अभ्यर्थियों के लिए पृथक–पृथक रखी जावे उनके दोनो साईडों में कागज चिपकाकर अभ्यर्थियों के नाम एवं नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) अंकित कर दिया जावे तथा संदेहपूर्ण मतपत्रों की ट्रे के लिए भी दोनों साईड में अंकन कराया जाय ताकि गणना में कोई भ्रांति नहीं हों।
2. निर्वाचन मतपत्रों के बंडलों के लिये रखे गये ड्रम या बड़े बक्से के लिए मतगणना के प्रारम्भिक चरण (First Phase) में जो संग्रहण अधिकारी था वह अब द्वितीय चरण में वितरण अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। वितरण अधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए आवंटित टेबिलों पर 50–50 मतपत्रों के 20 बण्डल अर्थात कुल 1000 मतपत्र एक खाली मतपेटी में रखकर पहुॅचायेगा। निर्वाचन क्षेत्र का वितरण अधिकारी किसी टेबिल पर मतपत्रों के बण्डलों के साथ परिशिष्ट–2 (मतगणना के लिए चैक मीमो) का भाग–1 भी भरकर पहुंचायेगा जिसमें अंकन किया जावेगा कि, 50–50 मतपत्रों के कितने बण्डल हैं और 50 से कम के बण्डल में कितने मतपत्र हैं। परिशिष्ट–2 के भाग–1 में वितरण अधिकारी मतपत्रों की कुल संख्या भी अंकित करेगा और अपने हस्ताक्षर करेगा। परिशिष्ट–2 को भरने का तरीका परिशिष्ट–3 में उदाहरण के रूप में समझाया गया है। गणना दलों द्वारा उसे प्रथम दौर (Round) में प्राप्त हुये बण्डलों को टेबिल पर रखकर छंटनी प्रारम्भ कर ली जावेगी और मतपेटी जो बंडलों के साथ प्राप्त हुई थी वह खाली कर ली जावेगी। जैसे ही मतपेटी खाली हों, वितरण अधिकारी गणन मेज से उस मतपेटी को उठवा लें। गणना दलों द्वारा जैसे ही किसी दौर की गणना का कार्य पूरा कर लिया जावे तो विवरण अधिकारी यह ध्यान रखें कि अगले दौर (Round) के लिए मतपत्रों के बण्डल पहुॅचायें। वितरण अधिकारी को यह ध्यान स्वतः ही रखना है, क्योंकि रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी संदेहपूर्ण मतपत्रों के निस्तारण में व्यस्त रहेंगे। परिशिष्ट–2 में बताये गये मतगणना के लिये चैक मीमो प्रत्येक टेबिल के प्रत्येक दौर (Round) के लिए भिन्न–भिन्न

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

होगा। गणन दलों द्वार मतगणना के दूसरे चरण के प्रत्येक दौर में मतपत्रों की संवीक्षा की जावेगी और अभ्यर्थीवार गिनती की जावेगी तथा नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) को प्राप्त मतों की भी अलग से गिनती की जाएगी। तद्नुरूप मतपत्रों के बंडल बनाये जावेंगे। बनाये गये बंडल भी 50–50 की संख्या में होंगे और कोई बंडल ऐसा हो सकता है जिसमें 50 से कम मतपत्र हों। अभ्यर्थी के सभी मतपत्रों के बंडलों को एक साथ रबड़ बेंड अथवा धागे में बांधकर एक अभ्यर्थी के लिये बड़ा बंडल बनाया जावेगा तथा उस बड़े बंडल पर एक चैक स्लिप भी लगायी जावेगी। इसी प्रकार नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) को प्राप्त सभी मतपत्रों का बंडल बनाकर उस पर चैक स्लिप लगाई जाएगी। चैक स्लिप में उस दौर (Round) में अभ्यर्थी का और उसे प्राप्त मतों की संख्या अंकित की जावेगी। यह चैक स्लिपें मुद्रित भी हो सकती हैं, फोटोप्रतियॉ भी हों सकती हैं अथवा कम मात्रा में अपेक्षित हों तो हस्तलिखित भी हों सकती है। चैक स्लिप का नमूना निम्न प्रकार से हैं :–

गणना की तारीख : ....

(1) जिला परिषद / पंचायत समिति का नाम ....

(2) निर्वाचन क्षेत्र संख्या ....

(3) दौरों (Rounds) की संख्या ....

(4) टेबिल संख्या ....

(5) अभ्यर्थी का नाम व उसे प्राप्त विधिमान्य मत ....

(6) नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) को प्राप्त विधिमान्य मत ....

हस्ताक्षर रिटर्निंग अधिकारी   हस्ताक्षर पर्यवेक्षक

3. उक्त चैक स्लिपें गणन पर्यवेक्षक के द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिये। अभ्यर्थियों के लिए मान्य मतपत्रों के अभ्यर्थीवार व नोटा के लिए बनाये गये बंडलों के अतिरिक्त एक पृथक बंडल संदेहपूर्ण (Doubtful) मतपत्रों का गणनदल द्वारा बनाया जावेगा तथा सभी संदेहपूर्ण मतपत्र एक ही बंडल में रबड़ बैंड या धागे से बांध दिये जावेंगे तथा संदेहपूर्ण मतपत्रों वाली चैक स्लिप बंडल में ही ऊपर बांध दी जावेगी, यह चैक स्लिपें लाल रंग की है, ऐसी स्लिप पर ''संदेहपूर्ण मतपत्र'' तथा ऐसे मतपत्रों की संख्या अंकित की जावेगी जिस पर गणन पर्यवेक्षक अपने हस्ताक्षर करेगा। अभ्यर्थीवार गणना करने के पश्चात गणना दल द्वारा परिशिष्ट–2 के चैक मीमो के भाग–2 में गणना का परिणाम अंकित किया जावेगा, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी व नोटा को प्राप्त हुये वैध मतपत्रों की संख्या अभ्यर्थी का नाम व नोटा अंकित करते हुये लिखी जावेगी और संदेहपूर्ण मतपत्रों की संख्या भी अंकित की जावेगी। परिशिष्ट–2 के भाग–2 में गणन पर्यवेक्षक अपना हस्ताक्षर भी अंकित करेगा। एक दौर (Round) की गणना करने के पश्चात गणन पर्यवेक्षक अभ्यर्थीवार बंडलों व नोटा के लिए बंडल, संदेहपूर्ण मतपत्रों के बंडल और परिशिष्ट–2 के चैक मीमों में एक साथ बांधकर रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी या तो उसी समय संदेहपूर्ण मतपत्रों का निस्तारण प्रारम्भ कर देगा और यदि अन्य कार्य में व्यस्त है तो उसे पीजन हॉल (Pigeon Hole) जो कि उसकी टेबिल के निकट ही होंगा, में रखवा देगा और जैसे ही रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी को समय मिलेगा वह पीजन हॉल से उक्त अभ्यर्थीवार बंडल व नोटा के लिए बंडल, संदेहपूर्ण मतपत्रों के बंडल एवं चैक मीमो को लेकर टेबिल पर आगे की कार्यवाही प्रारम्भ कर देगा और संदेहपूर्ण मतपत्रों के निस्तारण कर परिशिष्ट–2 के भाग–2 में अभ्यर्थियों के नामों के सामने संदेहपूर्ण मतपत्रों के निस्तारण के अनुसार मतपत्रों की संख्या जोड़ देगा तथा खारिज मतपत्रों की संख्या भी यथा स्थान अंकित कर देगा और अपने हस्ताक्षर करेगा। तत्पश्चात् संबंधित टेबिल के संबंधित दौर में गणना किये गये मतपत्रों के बण्डल (वैध मतपत्रों का पृथक बंडल और खारिज किये गये मतपत्रों का पृथक बंडल) सील करने की कार्यवाही संबंधित स्टाफ से तुरन्त करवा लेगा।

4. इस प्रकार एक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना का कार्य सम्पन्न करा लिया जावेगा। ध्यान रहे, किसी एक निर्वाचन क्षेत्र के मतपत्र किसी अन्य वार्ड के मतपत्रों में शामिल नहीं हों जावें।

5. गणना दलों को और अभ्यर्थी व उनके अभिकर्ताओं को तथा गणना कार्य में लगे अन्य स्टाफ को यह अच्छी तरह से समझा दिया जावे कि कोई भी अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ताओं द्वारा किसी भी मतपत्र के हाथ नहीं लगाया जावे। लेकिन, अभ्यर्थियों को या उनके अभिकर्ताओं को मतपत्रों के अवलोकन करने की अनुमति अवश्य दी जानी चाहिये। यह ध्यान रहे कि कोई भी निविदत्त मतपत्र का लिफाफा नहीं खोला जावे।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

6. सहायक निर्वाचन अधिकारी भी रिटर्निंग अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये अधिकृत हैं। सहायक रिटर्निंग अधिकारी संदिग्ध मतों में निर्णय देने में सक्षम है। अतः जहॉ आवश्यक हों आप सहायक रिटर्निंग अधिकारी को भी स्वतन्त्र रूप से अलग हॉल में संदेहपूर्ण मतपत्रों के निस्तारण का कार्य सौंप सकते हैं, लेकिन फिर भी नियंत्रण रिटर्निंग अधिकारी का ही होंगा।

7. गणना दलों के सदस्यों को आप यह भली–भांति समझा देवें कि, जो वास्तव में संदेहपूर्ण मतपत्र हैं या जिनके लिये अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ताओं को संदेहपूर्ण मतपत्रों के बंडल में रखें, अन्यथा नहीं ताकि रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निस्तारित किये जाने वाले संदेहपूर्ण मतपत्रों की संख्या अनावश्यक रूप से नहीं बढ़े।

8. रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी की टेबिलों के उतने ही पीजन हॉल (Pigeon Hole) बनाए जावें, जितनी गणना टेबिलें हैं। पीजन हॉल्स के कॉलमों को क्रम–संख्यांकित भी किया जावे और उन पर संबंधित टेबिलों को आवंटित किए गए वार्डों के अनुरूप हों उन पर वार्ड क्रम संख्या भी अंकित की जावे। जब गणन पर्यवेक्षक मतपत्रों की संवीक्षा के पश्चात् आपके पास मतपत्रों के बंडलों को लावे तो आप उसे संबंधित पीजन हॉल में रखने के लिए कह दें।

9. जब आपके द्वारा गणना मेज से आये हुये मतपत्रों के बंडल संदेहपूर्ण मतपत्रों के निस्तारण के लिये दिया जावे तो आप अभ्यर्थियों को प्राप्त मतपत्रों के अनुसार गणनादलों द्वारा बनाये गये बंडलों की भी टेस्ट चैंकिंग करेंगे। प्रत्येक टेबिल के प्रत्येक दौर (Round) की टेस्ट चैकिंग किया जाना आवश्यक है, ताकि किसी गणना दल द्वारा यदि कोई गलती की जा रही है तो यह भी पकड़ में आ सकती है। साथ ही, ऐसा करने से पुनः गणना के आवेदन पत्रों पर आपको निर्णय लेने में भी आसानी रहेगी।

10. आपको संदेहपूर्ण मतपत्रों का निस्तारण करना है तब निम्न प्रकार के मतपत्रों को अस्वीकार करना हैः–

(क) यदि मतपत्र पर अग्रभाग पर कोई निशान नहीं है, या
(ख) यदि मतपत्र पर ऐसे उपकरण से चिन्ह अभिलिखित नहीं किये गये हैं, जो कि इस प्रयोजनार्थ दिया गया था, या
(ग) यदि मतपत्र के रिक्त स्थान पर चिन्ह अभिलिखित किया गया है, अर्थात या तो मतपत्र के पीछे अथवा पूरा चिन्ह मतपत्र के छायांकित भाग पर है, या
(घ) यदि मतपत्र में दो या अधिक अभ्यर्थियों या अभ्यर्थी व नोटा के सामने चिन्ह अभिलिखित है, या
(ण) यदि मतपत्र पर कोई ऐसा चिन्ह या लेख है जिससे कि निर्वाचक की पहचान हों सकती हों, या
(च) यदि मतपत्र इस प्रकार बिगाड़ दिया गया हों कि जिसकी पहचान नहीं हों सकती हों, या
(छ) यदि मतपत्र अनिश्चितता के कारण शून्य हों, या
(ज) यदि मतपत्र पर चिन्ह ऐसी रीति से लगाया गया हों जिससे यह सन्देह होता है कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है, या
(झ) यदि मतपत्र जाली हों, या
(ड) मतपत्र नियम 39 के प्रावधानों के अधीन अधिप्रमाणित नहीं हों अर्थात सुभेदक चिन्ह और मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर दोनों ही नहीं हों।

आपके द्वारा अस्वीकृत किये गये मतपत्रों के पीछे ''अस्वीकृत'' शब्द अंकित करना है। साथ ही जिस कारण से अस्वीकार किये गये हों, वह भी आपको सांकेतिक तरीके से अंकित करना है जिसके लिए एक रबड़ स्टाम्प भी आप तैयार करवालें, चाहे तो आप हाथ से भी लिख सकते हैं। इस कार्य में आप अपने सहायकों की मदद भी ले सकते हैं लेकिन निर्णय स्वयं आपको ही करना है और उस पर हस्ताक्षर भी करना है, तारीख लगाने की आवश्यकता नहीं है। रबड़ स्टाम्प निम्न प्रारूप में आप तैयार कर सकते हैं :

''अस्वीकृत''

(1) कोई निशान नहीं
(2) रिक्त स्थान पर चिन्ह
(3) एक से अधिक मत
(4) मतपत्र विकृत
(5) नकली मतपत्र
(6) निर्वाचक पहचान

रिटर्निंग अधिकारी

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

किसी मतपत्र को अस्वीकृत करने से पहले अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता को देखने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए । यदि कोई अभिकर्ता या अभ्यर्थी मतपत्र का क्रम संख्या इस आधार पर नोट करना चाहे कि मतपत्र तो सही है लेकिन आपके द्वारा उसे गलत रूप से अस्वीकार कर दिया गया है या मतपत्र नामंजूर होने योग्य है लेकिन उसे किसी अभ्यर्थी के पक्ष में स्वीकार कर लिया गया है तो आप उसे ऐसे मतपत्र की क्रम–संख्याक नोट करने की अनुमति दे दें। किसी भी अभ्यर्थी या अभिकर्ता की अनावश्यक मांग को आप अस्वीकार कर देवे। यह आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अभ्यर्थी या अभिकर्ता किसी भी मतपत्र के हाथ नहीं लगाये।

11. संदेहपूर्ण मतपत्रों के निस्तारण के समय निम्नांकित आधारो पर मतपत्र को नामंजूर नहीं किया जावे, यदि–

(क) किसी अभ्यर्थी के कॉलम में एक से अधिक चिन्ह हों,

(ख) किसी एक ही अभ्यर्थी के कॉलम में स्पष्ट चिन्ह अभिलिखित हों, लेकिन मतपत्र के पीछे या छायांकित क्षेत्र के भीतर चिन्ह लगा हुआ हों।

(ग) किसी अभ्यर्थी के कॉलम में कोई चिन्ह आंशिक रूप से अंकित हों और आंशिक रिक्त स्थान में आया हुआ हों,

(घ) किसी एक अभ्यर्थी के कॉलम में चिन्ह मूलतः लगाया गया था लेकिन गलत तरीके से मोडे जाने पर ऐसे चिन्ह का इम्प्रेशन किसी अन्य अभ्यर्थी के कॉलम में भी आ गया हों। ऐसे इम्प्रेशन को देखना चाहिए कि वह घडी की उल्टी दिशा में है या सीधी दिशा में है। जो मूल चिन्ह होगा, घडी की उल्टी दिशा में होगा क्योंकि ऐरोक्रॉस मार्कसील के तीरों के निशान घडी की उल्टी दिशा (Anti clock-wise) में ही होते है। अतः गलत तरीके से मोडे जाने पर उसका इम्प्रेशन घडी की सीधी दिशा (Clock-wise) में आयेगा।

(ण) किसी एक अभ्यर्थी के कॉलम में चिन्ह अंकित हों लेकिन स्याही का धब्बा किसी अन्य अभ्यर्थी के कॉलम में भी लग सकता है।

(च) यह संतुष्टि हों जावे कि मतपत्र के पीछे सुभेदक चिन्ह की मोहर और मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर मतदान अधिकारी की गलती या असफलता से नहीं हुये है।

(छ) चिन्ह अस्पष्ट हों या एक से अधिक बार लग गये हों और यदि यह आशय कि मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए होगा मतपत्र पर चिन्ह लगाने की रीति से स्पष्ट रूप से प्रकट होता हों,

(ज) निर्वाचन के अंगूठे या अंगुली पर ऐसे क्रास सील या स्टाम्प पैड आदि से लगी स्याही की वजह से मतपत्र को पकडते समय हल्का इम्प्रेशन या धब्बे मतपत्र पर लग गये हों।

12. संदेहपूर्ण मतपत्रों के निस्तारण में अस्वीकार किये गये मतपत्रो का एक पृथक बंडल बनाया जावेगा। प्रत्येक राउण्ड की प्रत्येक टेबिल के संदेहपूर्ण मतपत्रों के निस्तारण में अस्वीकार किये गये मतपत्रों को एक पृथक बंडल में बांधे।

13. जो मतपत्र नांमजूर नहीं किये जाते है, वे विधिमान्य मत के रूप में गिने जावेगें। जो मतपत्र आप संदेहपूर्ण मतपत्र के बंडल में से स्वीकार करेगें उनकी संख्या को संबंधित अभ्यर्थियो के कॉलम में परिशिष्ट–2 के भाग–2 मे जोड देंगे तथा खारिज मतपत्रो की संख्या भी अंकित कर देंगे, तत्पश्चात रिटर्निंग अधिकारी अपने हस्ताक्षर चैक मीमो (परिशिष्ट–2) में करेगा। गणना मेजों से आये हुए बंडलो की टैस्ट चैंकिग के समय यह भी देखें कि, अभ्यर्थीवार बनाये गये बंडलो में किसी अन्य अभ्यर्थी या नोटा को दिये गये मत किसी अन्य अभ्यर्थी या नोटा के बंडल में तो नहीं बांधा हुआ है और नामंजूर किये जाने योग्य मतपत्र तो इसमें नहीं है। यदि यह पाया जावे कि गणनादल द्वारा किसी अभ्यर्थी के बंडल में अन्य अभ्यर्थी या नोटा को मिले मतपत्र भी बांधे हुये है या नामंजूर किये जाने योग्य मतपत्रो को भी ऐसे अभ्यर्थी के बंडल में बांधा हुआ है तो आपको इस पूरे बंडल को चैक करना चाहिए और यदि आपको यह लगे कि सबंधित गणनादल द्वारा ऐसी गलती और भी की गई है तो ऐसे गणनादल के द्वारा गणना किये गये समस्त मतपत्रों को किसी अन्य गणना दल द्वारा पुनः गणना करवानी चाहिए।

14. टैस्ट चैंकिग और संदेहपूर्ण मतपत्रो के निस्तारण के पश्चात आपको चैक मीमो (परिशिष्ट–2) के भाग 2 में अभ्यर्थियों के सामने अंकित उनके वैध मतपत्रो की संख्या, जो कि गणन पर्यवेक्षक द्वारा अंकित

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

की गई है, में आवश्यक संशोधन जोडकर या घटाकर कर देना चाहिए । गणन पर्यवेक्षक के द्वारा किये गये अंकनो को ओवर–राईटिंग नहीं करना चाहिए।

15. जैसे–जैसे टेबिलवार आप मतपत्रो का निस्तारण करते आवे तब परिशिष्ट–2 के चैक मीमो पर आप हस्ताक्षर कर गणना के परिणाम की तैयार करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रवार सारणीकरण हेतु भी कार्य करवाते जावें जिसके आप अपनी टेबिल के पास ही किसी समझदार अधिकारी/कर्मचारी को बिठाकर रखें। निर्वाचन क्षेत्र में टेबिलवार सारणीकरण करने का कार्य परिशिष्ट 4 के चैक मीमो में किया जावेगा जिसमें प्रत्येक दौर का योग लगाया जावेगा तथा अभ्यर्थीवार व नोटा को प्राप्त विधिमान्य मतों का योग, कुल विधिमान्य मतों का योग, खारिज मतपत्रों की संख्या एवं विधिमान्य व खारिज मतपत्रों की संख्या एवं विधिमान्य व खारिज मतपत्र का योग अन्त में लगाया जावेगा। परिशिष्ट 4 के चैक मीमो के आधार पर प्ररूप–7 में अंकित परिणाम पत्र की पूर्ति की जावेगी।

16. परिशिष्ट–1, परिशिष्ट–2, परिशिष्ट–4, के फार्म आप यथानुकुल या तो फोटोकॉपी करवा लें या मुद्रित करवालें।

17. प्रत्येक राउण्ड में प्रत्येक टेबिल के अभ्यर्थीवार व नोटा को प्राप्त विधिमान्य मतपत्रों के सभी बंडलो को एक बडे बंडल में बांध दिया जावे। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन में विधिमान्य मतपत्रो के ऐसे बंडल को एक निर्वाचक क्षेत्रवार एक लिफाफे (लिफाफा नं–पी. 34) में सील किये जावें, इसी प्रकार जिला परिषद के विधिमान्य मतपत्र भी पृथक लिफाफे (पी. 35) में निर्वाचन क्षेत्रवार सील किये जावें। नामंजूर किये गये मतपत्रो को भी पृथक बंडल में बांध दिया जावे तथा जिला परिषद सदस्य निर्वाचन में खारिज मतपत्र निर्वाचन क्षेत्रवार एक लिफाफे (पी. 37) में सील में किये जावें तथा पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन में खारिज मतपत्र पृथक लिफाफे (पी. 36) में सीलबंद किये जावें। इन लिफाफों को चपड़ी से सील किया जावे। लिफाफा नं–पी 34, 35, 36, 37 निर्वाचन क्षेत्रवार सील होंगें जिनको मोहरबंद करते समय यह अवश्य ध्यान रखें कि, आप निर्वाचन क्षेत्रों या अन्य टेबिलों के आपस में मिल नहीं जावे। लिफाफों को सील करते समय लिफाफों पर निर्वाचन क्षेत्र संख्या, राउण्ड संख्या और टेबिल संख्या सही सही पृष्ठांकित की जावे। चपडी से मोहर लगाते समय रिटर्निंग अधिकारी पीतल की मोहर से सील करेगा और कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता अपनी सील लगाना चाहे तो उसको भी लगाने की अनुमति देगा । लिफाफों पर गणना की तिथी और गणना का स्थान भी पृष्ठाकिंत किया जावे तथ रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी उन पर अपना हस्ताक्षर भी करेगा।

13. गणना के समय मतपत्र का खो जाना या नष्ट जो जाना

यदि गणना के दौरान रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में से मतदान बूथों पर प्रयुक्त मतपत्र विधिविरूद्व बाहर ले जावे या दुर्घटनावश या जानबूझकर नष्ट कर दिये जावे या खो जावे या क्षतिग्रस्त हों जावे या उस सीमा तक बिगाड दिया जावे कि जिसमें मतदान बूथ के मतदान का प्रारंभिक परिणाम सुनिश्चित नहीं किया जा सकता हों तो रिटर्निंग अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग को तत्काल रिपोर्ट भेजेगा और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की आगे की मतगणना का कार्य रोक देगा तथा आयोग के अग्रिम आदेश की प्रतीक्षा करेगा।

14. मतगणना को निरन्तर रखना

1. मतगणना का कार्य आपको निरंतर रखना है। ऐसी परिस्थिति में जैसे की किसी मतदान बूथ की मतपेटिया की पिंक पेपर सीलें टूटी हुई पायी जावे और मतदान दूषित होने का संदेह हों और ऐसे प्रकरणों में रिपोर्ट रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन आयोग को भेजी गयी है तो उस संबंधित मतदान बूथ के मतो की गिनती का कार्य रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नहीं किया जावेगा। साथ ही उस सबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अन्य शेष रहे मतदान बूथों की प्रारंभिक गणना का कार्य भी रोक दिया जावेगा। ऐसे प्रकरणो में संबधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदान का शेष कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही कर पूरा किया जावेगा।
2. रिटर्निंग अधिकारी यथासंभव मतगणना निरंतर जारी रखेगें। मतगणना दलों को चाय, नाश्ता, आदि मतगणना हाल में ही देने की व्यवस्था करली जावें ताकि गणना का कार्य अवरूद्व नहीं हों और समय पर ही मतगणना का कार्य सम्पन्न हों जावे। यदि किसी विशेष परिस्थिति से कुछ समय के

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

लिए मतगणना का कार्य रोकना भी पड़े तो ऐसी स्थिति में मतपत्रों एवं निर्वाचन संबंधी कागजात को अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं के समक्ष सील किया जावे। रिटर्निंग अधिकारी अपनी सील लगाए और अभ्यर्थी या अभिकर्ता अपनी सील लगाना चाहे तो उन्हें अपनी सील लगाने की अनुमति दी जावे। मतपत्रों व कागजातों को स्टील आलमारी में भी रखकर सील किया जा सकता है जिस पर अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता चाहे तो अपनी सील लगा सकते है।

15. पुनः मतदान के बाद गणना

1. चूंकि निर्वाचन क्षेत्र के किसी एक मतदान केन्द्र पर भी पुनः मतदान के परिणाम से निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव पड़ने की अधिक संभावना रहती है, क्योंकि जिला परिषद या पंचायत समिति का निर्वाचन क्षेत्र एक छोटा निर्वाचन क्षेत्र होता है और उसमें मतदान बूथों की संख्या बहुत अधिक नहीं रहती है। अतः ऐसी स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्णय किया गया है कि नियम 48–ए एवं 48–बी के अनुसार रिपोर्ट भेजे जाने के बाद रिटर्निंग अधिकारी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की आगे की मतगणना का कार्य रोक देगा और राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश की प्रतीक्षा की जावेगी। इसी प्रकार मतगणना के दौरान मतपेटियों की सील टूटी पायी जाने से मतदान दूषित होने का संदेह हों तब भी रिटर्निंग अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजेगा और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की आगे की मतगणना का कार्य रोक देगा व आयोग के आदेश की प्रतीक्षा करेगा। आयोग के पुनः मतदान के आदेश होने पर नये मतदान के पश्चात् अथवा अन्य कोई आदेश होने के पश्चात् ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना का शेष कार्य मतपत्रों को आपसे में मिलाया जाकर किया जावेगा।
2. नियम 48 के अंतर्गत यदि किसी मतदान केन्द्र पर मतदान का स्थगन या मतदान को स्थगित किया गया है तो भी रिटर्निंग अधिकारी उस वार्ड की मतगणना का कार्य रोक देगा और मतों की गणना जब तक नहीं करेगा तब तक कि ऐसा स्थगित मतदान पूरा नहीं हों जाता है।
3. उपरोक्त स्थितियों में रोकी गयी मतगणना तब तक शुरू नहीं की जावे जब तक कि पुनर्मतदान वाले मतदान केन्द्रों से समस्त मतपेटियॉ गणना हॉल में नहीं पहुॅच जावें। ऐसी मतपेटियों के प्राप्त हो जाने के बाद ही मतगणना की शेष कार्यवाही सम्पन्न की जावे। मतगणना के शेष कार्य के पुनः शुरू किये जाने तक मतपेटियों एवं प्रारम्भिक गणना में निकाले गये मतपत्रों के बंडलों, यदि कोई हों, को सीलकर रखा जावेगा।

16. गणना शीट की तैयारी एवं पुनर्मतगणना

1. निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना का कार्य पूरा होने पर रिटर्निंग अधिकारी प्ररूप–7 में पूर्ति करेगा। प्ररूप–7 में परिणाम पत्र तैयार करने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी को एवं नोटा को प्राप्त हुये विधिमान्य मतों की कुल संख्या को गणन हॉल में ब्लेक बोर्ड पर अंकित करेगा और उद्घोषित करेगा और ऐसी उद्घोषणा के पश्चात् कोई अभ्यर्थी लिखित में रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष मतपत्रों को, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, पुनः गणना के लिये किन्हीं आधारों पर मांग कर सकते हैं। किसी अभ्यर्थी द्वारा ऐसा आवेदन किये जाने पर रिटर्निंग अधिकारी प्रकरण में अपना निश्चय करेगा और आवेदन पत्र को या तो पूर्णतः या अंशतः स्वीकार कर सकेगा और यदि रिटर्निंग अधिकारी आवेदन को निराधार या तुच्छ मानता है तो पूरे आवेदन को वह नामंजूर भी कर सकता है। रिटर्निंग अधिकारी को अपना ऐसा निर्णय लिखित में करना होगा और उसके कारण भी अंकित करने होंगे।
2. रिटर्निंग अधिकारी को अंतिम परिणाम पत्र (प्ररूप–7) में तैयार करने के पश्चात् और अभ्यर्थीवार व नोटा को प्राप्त मतपत्रों की संख्या को उद्घोषित करने के पश्चात् कुछ देर यानि 1–2 मिनट इंतजार करना चाहिये कि कोई अभ्यर्थी पुनर्मतगणना के लिए आवेदन करना तो नहीं चाहता है। यदि कोई ऐसा अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता पुनर्मतगणना (पूर्णतः या अंशतः) के लिए आवेदन प्रस्तुत

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

करना चाहे तो उसे लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए यथोचित समय दिया जाना चाहिये। रिटर्निंग अधिकारी का पुनः मतगणना के ऐसे किसी भी प्रार्थना पत्र पर लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

3. यदि रिटर्निंग अधिकारी पुनर्मतगणना के आवेदन पत्र पर पूर्ण या अंशतः पुनर्मतगणना करने का निर्णय लेता है तो ऐसी पुनर्मतगणना के पश्चात् अंतिम परिणाम पत्र एवं तत्संबंधित परिशिष्ट–2 एवं 4 के अंकनों को भी संशोधित करेगा। ऐसे संशोधनों के पश्चात् अभ्यर्थीवार व नोटा को प्राप्त मतों को रिटर्निंग अधिकारी पुनः उद्घोषित करेगा और परिणाम पत्र (प्ररूप–7) को पूर्ण कर उस पर हस्ताक्षर करेगा। अंतिम परिणाम पत्र तैयार कर उस पर हस्ताक्षर कर देने के पश्चात् पुनर्मतगणना के किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा, किन्तु इस प्रकार का कदम तब तक नहीं उठाया जावेगा जब तक कि गणना पूरी होने के समय उपस्थित अभ्यर्थियों और अभिकर्ताओं को युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हों।
4. रिटर्निंग अधिकारी के रूप में यह आपका कर्तव्य है कि, मतगणना त्रुटिहीन हों और इसमें अभ्यर्थियों का उचित एतराज मानना चाहिए लेकिन नियम 49 के उप नियम (6) के प्रावधानों का यह आशय नहीं है कि किसी भी अभ्यर्थी के मात्र कहने से ही पुनर्मतगणना की मांग मान ली जावे। कोई भी अभ्यर्थी यह आक्षेप करता है कि मतगणना सही नहीं है और सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार के बाद आपको यह प्रतीत होता है कि पुनर्मतगणना न्याय हित में जरूरी है तो नियमानुसार पुनर्मतगणना करवाई जा सकती है।
5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनर्मतगणना में मतपत्रों की भौतिक पुनर्मतगणना ही शामिल नहीं है बल्कि मतपत्रों की पुनः संवीक्षा भी सम्मिलित है, जिसमें मतपत्रों की यह जांच की जा सकती है कि क्या मतपत्र विधिमान्य है या प्रतिपेक्षित है ?

17. परिणामों की घोषणा

जब मतों की गणना पूरी हों गई हों तब रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन क्षेत्रवार परिणामों का प्ररूप–7 में विवरण तैयार करेगा और यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अन्यथा निर्देशित नहीं किया गया है तो परिणाम घोषित किये जावेंगे। उस अभ्यर्थी को जिसे अधिकतम संख्या में विधिमान्य मत प्राप्त हुये हैं, उसे निर्वाचित घोषित किया जावेगा। यहाँ इस बात का ध्यान रखा जावे कि, नोटा को प्राप्त मतों का प्रभाव परिणाम पर नहीं पड़ेगा अर्थात नोटा को सबसे अधिक मत मिलने की दशा में भी अभ्यर्थियों में से सबसे अधिक मत पाने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित माना जावेगा। यदि मतों की गणना के पश्चात् किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच में मतों की समानता पायी जावे और केवल एक मत को जोड़ने से ही अभ्यर्थियों में से किसी को भी निर्वाचित घोषित किये जाने का हक मिलता है तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में तत्काल लाटरी निकालेगा और एक अभ्यर्थी को जिस पर लॉट निकलता है उस पर एक अतिरिक्त मत प्राप्त किया हुआ माना जावेगा। लाटरी निकाले जाने की कार्यवाही का विवरण बनाया जावेगा, जिस पर उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन गणन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी यदि वे करें तो कराये जावेंगे। कार्यवाही विवरण को अन्य कागजात के साथ पृथक लिफाफे में रखकर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जावेगा। परिणाम पत्र (प्ररूप–7) में ऐसे अभ्यर्थियों जिनके पक्ष में लॉट निकला है, के सामने डाले गये मतों के आगे यथानुकूल प्रविष्टि अंकित कर दी जावेगी। प्ररूप–7 में परिणाम पत्र में प्रथम भाग में तथा द्वितीय भाग में अभ्यर्थियों के कोष्ठक में संबद्ध दल का नाम या निर्दलीय जो भी समुचित हों, अंकित किया जावेगा।

18. निर्वाचन के परिणामों का प्रेषण

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन के परिणामों को प्ररूप–7 में नियम 52 के उप नियम (2) में घोषित किया जावे तो उसे बताये अनुसार प्रषित किया जावेगा। साथ ही प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

उपरोक्त कागजात पर रिटर्निंग अधिकारी के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए, तारीख एवं स्थान अंकित होना चाहिए एवं रिटर्निंग अधिकारी की मोहर भी लगी हुई होनी चाहिए।

19. निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना

निर्वाचित सदस्यों को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 24 के अधीन एवं पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 75 के अधीन शपथ दिलायी जावेगी। निर्वाचित सदस्यों को रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष भी शपथ दिलायी जा सकती है (नियम 76(2)) यह उल्लेखनीय है कि जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य के रूप में निर्वाचित घोषित व्यक्ति उपरोक्त नियम 75 के अंतर्गत शपथ लेने के बाद ही प्रधान/उपप्रधान/ प्रमुख/उपप्रमुख के निर्वाचन से संबंधित बैठक में भाग ले सकेगा। अतः प्ररूप–7 में परिणाम पत्र पूर्ण करने व परिणाम घोषित करते ही रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्ररूप–11 में निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने की कार्यवाही भी करनी अपेक्षित है।

20. मतपत्रों एवं निर्वाचन कागजात की अभिरक्षा

1. रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन का परिणाम घोषित करने के पश्चात् पृथक–पृथक लिफाफे पी. 34, 35, 36 व 37 में मुहरबंद करेंगे एवं निर्वाचन संबंधी अन्य कागज पत्रों को पृथक लिफाफे में मुहरबंद करेंगे। ऐसे मतपत्रों एवं कागज पत्रों को मुहरबंद करते समय यदि कोई अभ्यर्थी अथवा गणन अभिकर्ता चाहे तो उन पर अपनी मोहर भी लगा सकते हैं।
2. मतगणना पूर्ण कर मतपत्रों एवं निर्वाचन संबंधी कागजात को सीलबंद करने के पश्चात् उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में सुरक्षित रूप से कोषागार में रखा जावेगा।

21. गणना पर्यवेक्षकों एवं गणन सहायकों के लिए निर्देश

संलग्न परिशिष्ट–5 पर गणन पर्यवेक्षकों एवं सहायकों के लिये निर्देश बताये गये हैं, इन्हे आप गणन पर्यवेक्षकों व सहायकों को प्रशिक्षण के दौरान भली–भांति समझा दें और उन्हें इन निर्देशों को फोटोकॉपी करवाकर अथवा मुद्रित करवाकर आप चाहे तो वितरित भी कर दें।

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

जिला परिषद / पंचायत समिति का नाम ....
निर्वाचन क्षेत्र का संख्यांक : ....
मतदान केन्द्र का नाम : ....
बूथ संख्यांक : ....

टेबिल नं.

1.	मतदान बूथ पर उपयोग में लाई गयी मतपेटी / मतपेटियों में पाये जाने योग्य मतपत्र लेखा के मद 5 के अनुसार होने चाहिए –	....
2.	मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाई गयी मतपेटी / मतपेटियों में प्रारम्भिक गणना में पाये गये मतपत्रों की वास्तविक संख्या	....
3.	अन्तर जो पाया गया	....

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

तारीख ....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

परिशिष्ट–2

मतगणना के लिए चैक मीमो

जिला परिषद/पंचायत समिति .... के निर्वचन क्षेत्र संख्यांक .... के लिये निर्वाचन –

भाग–I

टेबिल नंबर .... राउण्ड नंबर ....
गणन पर्यवेक्षक का नाम व पद ....

	बंडलों की संख्या	प्रति बंडल मतपत्रों की संख्या	मतपत्रों की कुल संख्या
मतपत्रों की संख्या	....	....	....
मतपत्रों की कुल संख्या			....

दिनांक : वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

भाग–II गणना का परिणाम

अभ्यर्थी का नाम	डाले गये वैध मतपत्रों की संख्या
1.	
2.	
3.	
आदि	
नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं)	
संदेह पूर्ण/ खारिज मतपत्र	
	योग

दिनांक :

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
टेबिल नम्बर ....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

नोटः– प्रत्येक टेबिल के भिन्न–भिन्न राउण्ड के लिये भिन्न–भिन्न चैक मीमो काम में लिया जावेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

परिशिष्ट–3
(उदाहरण)

मतगणना के लिए चैक मीमो

जिला परिषद/पंचायत समिति ....जोधपुर............. के निर्वचन क्षेत्र संख्यांक .....11..... के लिये निर्वाचन –

भाग–I

टेबिल नंबर .... 2 .... राउण्ड नंबर .... 1 ....
गणन पर्यवेक्षक का नाम व पद ....मुकेश, सहायक लेखाधिकारी, कृषि विपणन बोर्ड, जोधपुर..........

	बंडलों की संख्या	प्रति बंडल मतपत्रों की संख्या	मतपत्रों की कुल संख्या
मतपत्रों की संख्या	19	50	950
	1	26	26
मतपत्रों की कुल संख्या			976

दिनांक : वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

भाग–II गणना का परिणाम

अभ्यर्थी का नाम	डाले गये वैध मतपत्रों की संख्या
1. क	330
2. ख	308
3. ग	320
आदि	
नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं)	54
संदेह पूर्ण/ खारिज मतपत्र	18
योग	1030

दिनांक :

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
टेबिल नम्बर .... 2 ....

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

नोटः– प्रत्येक टेबिल के भिन्न–भिन्न राउण्ड के लिये भिन्न–भिन्न चैक मीमो काम में लिया जावेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

अंतिम परिणाम के लिए चैक मीमो

जिला परिषद / पंचायत समिति .... के निर्वाचन क्षेत्र संख्यांक .... के लिये निर्वाचन –

भाग–I

मतदान केन्द्र सं.	मतपेटी / मतपेटियों में पाये गये कुल मतपत्र
1.	
2.	
3.	
4. आदि	
योग	

भाग–II

1. अभ्यर्थियों के पक्ष में विधिमान्य मतों व खारिज मतपत्रों की कुल संख्या	अभ्यर्थियों के विधिमान्य				नोटा (उपर्युक्त में से कोई नहीं) के विधिमान्य मत	कुल विधिमान्य मत	खारिज मतपत्रों की संख्या	विधिमान्य और खारिज मतपत्रों का योग
	क	ख	ग	घ				
प्रथम दौर – टेबिल सं.								
टेबिल सं.								
प्रथम दौर का योग								
द्वितीय दौर – टेबिल सं.								
टेबिल सं.								
द्वितीय दौर का योग								
तृतीय दौर – टेबिल सं.								
टेबिल सं.								
तृतीय दौर का योग								
कुल योग								

स्थान : ....
दिनांक : ....

रिटर्निंग अधिकारी /
सहायक रिटर्निंग अधिकारी
के हस्ताक्षर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

गणन पर्यवेक्षकों और सहायकों के लिए अनुदेश

(1) मतपेटी मिलते ही यह देखले कि पत्र मुद्रा टूटी हुई तो नहीं है और मतपेटी के लेबल पर अंकित जिला परिषद या पंचायत समिति का नाम, निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या, मतदान बूथ की संख्या, मतदान केन्द्र का नाम आपको आवंटित निर्वाचन क्षेत्र संख्या, व मतदान बूथों की संख्या के अनुरूप है। यह भी देख लें कि मतदान बूथों पर प्रयोग की गई सभी मतपेटियां आपकी दे दी गई है। मतपेटी पर अंकित क्रम संख्या से ही निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त की गई मतपेटियों की कुल संख्या भी विदित हों जावेगी।

(2) मतपेटी पर लगी मुहर और उस पर लगी मतदान बूथ की संख्या व अन्य विवरण अपने ग्रुप के गणन अभिकर्त्ताओं को दिखा दें।

(3) यदि आपको पहले से ही ऐसी ट्रे न दी गई हों जिसमें अपेक्षित संख्या में खाने बने हों, तो आप मेज पर ही उतने स्थान बनालें जितने की निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार हों तथा एक स्थान नोटा व अतिरिक्त स्थान ''संदेहपूर्ण'' मतपत्रों के लिये ''स'' रखे। इस प्रकार यदि 5 उम्मीदवार हों तो सात स्थान बनाये जाने चाहिये।

(4) यदि मतदान बूथ पर एक से अधिक मतपेटियों का प्रयोग हुआ हों तो, पहले एक मतपेटी खोलें और दूसरी मतपेटी उसके बाद।

(5) मतपेटी के मतपत्रों को निकाल लें और चैक कर लें कि मतपेटी में कोई मतपत्र रह तो नहीं गया है। अभ्यर्थियों व उनके अभिकर्ताओं को मतपेटी को खाली कर उसे दिखा भी दें।

(6) किसी भी दशा में मतपत्रों को गणना कक्ष के बाहर नहीं ले जाना चाहिये।

(7) प्रारम्भिक गणना में उक्त मतदान केन्द्र पर कितने मतपत्र मतपेटी/पेटियों में पाये गये, उनका इन्द्राज परिशिष्ट–1 में कर दें। मतपत्र लेखा से यदि कोई अन्तर हों तो उसे परिशिष्ट–1 के आइटम–3 में इन्द्राज कर दें। इसके पश्चात् यह प्रपत्र गणन पर्यवेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जावेगा और मतपत्र लेखा के साथ नत्थी कर दिया जावेगा।

(8) मतपत्रों की गणना दो चरणों में की जावेगी। प्रथम अवस्था को प्रारम्भिक गणना कहा जावेगा। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर कितने मतपत्र डाले गये है उसका अवधारण किया जावेगा। प्रारम्भिक गणना के लिये मतपत्र के क्षितिज मोड़ (Horizontal Fold) को सीधा किया जावेगा और उसके लम्बावत मोड़ (Vertical Fold) को वैसा ही रखा जावेगा।

(9) प्रारम्भिक गणना के समय मतपत्रों के 50–50 बंडल बनाये जावेंगे, जिन्हे रबर बैंड या धागे के टुकड़े से दोनों किनारों पर बांध दिया जावेगा। यदि आखिरी बंडल में 50 से कम मतपत्र हों तो बंडल के पीछे उनकी वास्तविक संख्या अंकित की जावेगी, लेकिन मतदान केन्द्र का नाम व संख्या बंडल पर अंकित नहीं की जावेगी।

(10) जब प्रारम्भिक मतगणना समाप्त होंगी तब आपकी टेबिल पर संग्रहण अधिकारी आयेगा और आपसे मतपत्र लेखा (परिशिष्ट–1), पेपर सील का लेखा व मतपत्रों के बंडल एवं खाली मतपत्र पेटियॉ ले जावेगा। आप उस अधिकारी को 50 से कम के मतपत्रों के बंडल को अलग से संभलोयेंगे।

(11) निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों के मतपत्रों को मिलाने के बाद, वितरण अधिकारी आपकी टेबिल पर मतपेटी में 50–50 मतपत्रों के 20 बंडल उम्मीदवार अनुसार छांटने एवं गणना के लिये लावेगा। वह आपको चैक मोमो (परिशिष्ट–2) भी देगा जिसका प्रथम भाग भरा हुआ होंगा जिसमें बंडलों की संख्या एवं गणना के लिये आपको दिये गये मतपत्रों की संख्या अंकित की हुई होंगी। मतपेटी में से मतपत्रों को निकालने के पश्चात् मतपेटी वितरण अधिकारी को वापस कर दें।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(12) मतपत्रों को खोल दें और ऐसे प्रत्येक मतपत्र को जिस पर किसी उम्मीदवार के पक्ष में वैध रूप से चिन्ह लगा हों, उस उम्मीदवार के लिये निर्धारित खाने में/स्थान पर व जिस में नोटा के पक्ष में वैध रूप से चिन्ह लगा हों उसे 'नोटा' के निर्धारित खाने/स्थान रख दें और संदिग्ध मतपत्र को ''स'' से चिन्हित खाने/स्थान पर रखें।

(13) किसी मतपत्र को ''स'' से चिन्हित स्थान में केवल तभी रखें, जबः–

1. यदि मतपत्र पर अग्रभाग पर कोई निशान नहीं है, या
2. यदि मतपत्र पर ऐसे उपकरण से चिन्ह अभिलिखित नहीं किये गये हैं जो कि इस प्रयोजनार्थ दिया गया था, या
3. यदि मतपत्र के रिक्त स्थान पर चिन्ह अभिलिखित किया गया है, अर्थात या तो मतपत्र के पीछे अथवा पूरा चिन्ह मतपत्र के छायांकित भाग पर है, या
4. यदि मतपत्र में दो या अधिक अभ्यर्थियों या किन्हीं अभ्यर्थियों व नोटा के सामने चिन्ह अभिलिखित है, या
5. यदि मतपत्र पर कोई ऐसा चिन्ह या लेख है जिससे कि निर्वाचक की पहचान हों सकती है, या
6. यदि मतपत्र इस प्रकार बिगाड़ दिया गया हों कि, जिसकी पहचान नहीं हों सकती हों, या
7. यदि मतपत्र अनिश्चितता के कारण शून्य हों, या
8. यदि मतपत्र पर चिन्ह ऐसी रीति से लगाया गया हों जिससे यह संदेह होता है कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है, या
9. यदि मतपत्र जाली हों, या
10. यदि मतपत्र पर ऐसी क्रम–संख्या हों या वह किसी ऐसी डिजाईन का हों जो किसी विशिष्ट मतदान केन्द्र पर उपयोग किये जाने वाले प्राधिकृत मतपत्र की क्रम संख्या या डिजाईन से भिन्न हों, या
11. मतपत्र पर नियम 39 के प्रावधानों के अधीन सुभिन्नकारी चिन्ह और हस्ताक्षर दोनों ही नहीं हों।
12. विभिन्न उम्मीदवारों के अभिकर्ताओं के बीच इस बात पर कि मतपत्र वैध हैं या नहीं हैं या उस उम्मीदवार के बारें में जिसे मत दिया गया है विवाद हों।

(14) किसी मतपत्र को ''संदिग्ध'' खाने में केवल इस कारण न रखें किः–

1. किसी अभ्यर्थी के कॉलम में एक से अधिक चिन्ह हों,
2. किसी एस ही अभ्यर्थी के कॉलम में स्पष्ट चिन्ह अभिलिखित हों लेकिन मतपत्र के पीछे या छायांकित क्षेत्र के भीतर चिन्ह लगा हुआ हों,
3. किसी एक अभ्यर्थी के कॉलम में कोई चिन्ह आंशिकरूप से अंकित हों और आंशिक रिक्त स्थान में आया हुआ हों,
4. किसी एक अभ्यर्थी के कॉलम में चिन्ह मूलतः लगाया गया था लेकिन गलत तरीके से मोड़े जाने पर ऐसे चिन्ह का इम्प्रेशन किसी अन्य अभ्यर्थी के कॉलम में भी आ गया हों ऐसे इम्प्रेशन को देखना चाहिये कि वह घड़ी की उल्टी दिशा में है या सीधी दिशा में है। जो मूल चिन्ह होगा वह घड़ी की उल्टी दिशा में होगा क्योंकि ऐरोक्रास मार्कसील के तीरों के निशान घड़ी की उल्टी दिशा में (Anticlock wise) ही होते है। अतः गलत तरीके से मोड़े जाने पर उसका इम्प्रेशन घड़ी की सीधी दिशा में (Clock wise) आयेगा।
5. किसी एक अभ्यर्थी के कॉलम में चिन्ह अंकित हों लेकिन स्याही का कोई धब्बा किसी अन्य अभ्यर्थी के कॉलम में भी लग गया है,
6. चिन्ह अस्पष्ट हों या एक से अधिक बार लग गये हों और यदि यह आशय की मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिये होगा मतपत्र पर चिन्ह लगाने की रीति से स्पष्ट रूप से प्रकट होता हों,
7. निर्वाचक के अंगूठे पर उसकी अंगूठा निशानी लेने के प्रयोजनार्थ लगायी गयी स्याही की वजह से मतपत्र को पकड़ते समय अंगूठा निशानी का हल्क इम्प्रेशन या धब्बे मतपत्र लग गये हों।

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(15) एक मतदान केन्द्र के सभी मतपत्रों को इस प्रकार छांट लिये जाने के पश्चात् प्रत्येक ढेर के मतपत्रों की गणना करेंसी नोटों के समान कीजिये और उनके बंडल बना लीजिये और प्रत्येक बंडल में किसी भी बंडल में 50 से अधिक मतपत्र न रहें और शेष मतपत्र एक अलग बंडल में रहें और उन्हें पृथक–पृथक बंडलों में बाध दें। तब गणना पर्यवेक्षक को चाहिये कि वह अपनी गणना के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार व नोटा के पक्ष में डाले गये वैध मतपत्रों की संख्याओं के बारे में परिशिष्ट–2 के भाग–II के स्तम्भों में प्रविष्ट कर दे और संदिग्ध मतपत्रों, यदि कोई हों, की संख्या को उक्त परिशिष्ट–2 के भाग–II के अंत में भर दें। उसे यह सुनिश्चित कर लेख चाहिये कि परिशिष्ट–2 के भाग–II में यथा प्रविष्ट उम्मीदवारों के नाम उसी क्रम से हों जैसा कि वे मतपत्र में दियें हुये हों और कोई नाम छूट न जावे। वैध मतों और संदिग्ध मतों की संख्या का योग उसके बाद भरा जावेगा।

(16) मतपत्रों का बंडल बनाते समय मतपत्रों को उस ढंग से व्यवस्थित करें कि मतपत्रों पर बने हुये सभी प्रतीक एक ही ओर रहें। प्रत्येक उम्मीदवार व नोटा के ढेर में मतपत्रों की गणना करते समय यह पुनः जांच लें कि प्रत्येक मतपत्र पर लगा हुआ चिन्ह स्पष्ट रूप से उसी उम्मीदवार या नोटा के पक्ष में है।

(17) प्रत्येक उम्मीदवार के वैध मतपत्रों को सिवाय एक बंडल के जिसमें 50 से कम मतपत्र हो सकते हैं, 50–50 के बंडलों में बांधा जावेगा। 50 या कम मतपत्रों का प्रत्येक बंडल रबड़ बैंड या पतली डोरी से बांध दिया जावेगा। प्रत्येक उम्मीदवार के लिये मतपत्रों के सभी बंडलों को फिर रबड़ बैंड या डोर से एक साथ बांध दिया जावेगा। प्रत्येक उम्मीदवार के मतपत्रों के बंडल के सबसे ऊपर एक जांच पर्ची (Check Slip) लगाई जावेगी जिसमें पंचायत समिति या जिला परिषद, जो भी हों, का नाम निर्वाचन क्षेत्र की संख्यांक, टेबिल नं, राऊंड नं., उम्मीदवार का नाम और बंडल के मतपत्रों की संख्या दिखाई गई हों। इस जांच पर्ची पर गणना पर्यवेक्षक द्वारा हस्ताक्षर किये जावेंगे। इसी भांति नोटा व संदिग्ध मतपत्रों वाले बंडल के मतपत्रों की संख्या दिखाई गयी हों। तत्पश्चात् संदिग्ध मतपत्रों वालें बंडलों को सभी उम्मीदवारों के वैध मतपत्रों के बंडलों के ऊपर रखा दिया जावेगा और एक साथ एक बंडल के रूप में बांध दिया जावेगा। तब यह बंडल संबंधित मतपत्र लेखा परिशिष्ट–1, पेपर सील लेखा के सहित रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर की मेज के निकट उपयुक्त खाने (पीजन हॉल) में रख दिया जावेगा।

(18) जैसे ही आप एक मतदान केन्द्र के मतपत्रों की गणना पूरी करलें रिटर्निंग आफिसर से गणना के लिये आपको आवंटित दूसरे मतदान केन्द्र की मतपेटी/पेटियां दिये जाने का अनुरोध करें। दूसरे मतदान केन्द्र के मतपत्रों की छटाई और गणना कार्य को इसी ढंग से करते जावें।

(19) उम्मीदवार के अभिकर्ताओं को (जो आप के सामने ही बैठाये जावेंगे) मतपत्रों की छंटाई और गणना को देखने दें और किसी आपत्ति पर जो उनमें से किसी अभिकर्ता द्वारा उठाई जावे, समुचित ध्यान दें। तथापि उन्हें कोई मतपत्र हाथ में लेने की अनुमति न दें।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 1301 जयपुर, दिनांकः 30.01.2015

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर पंचायत) राजस्थान।

विषयः–जिला परिषद / पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन मतपत्रों को मिलाया जाकर गणना किये जाने की प्रक्रिया संबंधी निर्देश।
संदर्भः– आयोग का पत्रांक 10008 दिनांक 30.12.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिला परिषद / पंचायत समिति सदस्य के मतपत्रों को मिलाया जाकर गणना करने हेतु जारी आयोग के पत्रांक 10008 दिनांक 30.12.2014 के बिन्दु सख्या 12(3) के अंत में अंकित है कि –

''तत्पश्चात् संबंधित टेबिल के संबंधित दौर में गणना किये गये मतपत्रों के बण्डल (वैध मतपत्रों का पृथक बंडल और खारजि किये गये मतपत्रों का पृथक बंडल) सील करने की कार्यवाही संबंधित स्टाफ से तुरन्त करवा लेगा।''

इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि,प्रत्येक दौर की गणना के पश्चात् मतपत्रों के बंडलों को तब तक सील नहीं किया जायेगा जब तक की उस निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना पूर्ण होकर परिणाम घोषित नहीं किया जावे।

(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

भाग–12
लेखा

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(75)

राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांक : एफ. 2 (8) रानिआ/लेखा/94/1109 जयपुर, दिनांक : 28.12.94

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

प्रेषिति,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
....

विषय:- नगरपालिका/परिषद/निगम/पंचायत चुनावों में फार्मों की बिक्री/अन्य आय एवं जमानत जब्त राशि के जमा कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगरपालिका/परिषद/निगम/पंचायत चुनावों के लिये उम्मीदवारों फार्म्स की बिक्री समस्त अन्य बिक्री से आय एवं उम्मीदवारों की जमानत जब्त राशि को निम्न बजट मदों में जमा कराये जाने के निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

नगरपालिका/परिषद/निगम के चुनावों से समस्त आय

बजट मद

0217 शहरी विकास
60 अन्य शहरी विकास योजनायें
800 अन्य प्राप्तियां
(111) विविध प्राप्तियां

पंचायत चुनावों से समस्त आय

0515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
101 पंचायती राज अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्तियां
(1) पंचायत चुनाव की प्राप्तियां

उक्त मदों में जमा राशि के लेखे अलग से रखे जायेंगे।

यह स्वीकृति/निर्देश वित्त (आय व्ययक) विभाग के अन्तर्विभागीय संख्या 1194 दिनांक 22.12.94 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में प्रसारित की गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
जयपुर, दिनांक : 28.12.94

क्रमांक : एफ. 2 (8) रानिआ/लेखा/94/1109

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग/उपसचिव, रानिआ, जयपुर
2. महालेखाकार (राजस्व प्राप्तियां), राज. जयपुर।
3. उपशासन सचिव, वित्त व्यय (आय व्ययक) विभाग, राज. जयपुर।
4. आरक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प.1(32)रानिआ / लेखा / बजट / 2019–20 / 2930 दिनांक : 19.08.2019

कार्यालय आदेश

नगर निकाय आम चुनाव 2019 एवं पंचायत आम चुनाव 2020 में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (म्टड) की प्रथम स्तरीय जाँच (थ्स्ब्) एवं तैयारी हेतु राशि रू. 10/– प्रति बैलेट यूनिट एवं राशि रू. 10/– प्रति कन्ट्रोल यूनिट की दर से पारिश्रमिक के रूप में भुगतान करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकाय/पंचायत चुनाव कार्य हेतु जिला निर्वाचन कार्यालयों को आवंटित इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के लिए ही लागू होगी।

उपरोक्त राशि का व्यय पंचायत चुनाव की संबंधित बजट मद 2515–00–800–(01)–{02}–57– विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय (पंचायत) तथा 2217–80–191–09–00–57– विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय (नगर निगम) एवं 2217–80–192–09–57– विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय (नगर पालिका/परिषद) में उपलब्ध बजट से किया जा सकेगा। व्यय की गई राशि के लिए पृथक से रिकार्ड संधारित किया जावे। **जिला निर्वाचन अधिकारी प्रस्तावित व्यय करने से पूर्व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में निर्धारित प्रक्रिया की पालना अपने स्तर पर सुनिश्चित करावें।**

उक्त स्वीकृत वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी. संख्या 331900582 दिनांक 19.07.2019 के अनुसरण में जारी की गई है।

(शुचि त्यागी)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःप.1(32)रानिआ / लेखा / बजट / 2019–20 / 2931–36 दिनांक : 19.08.2019

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. महालेखाकार लेखा परीक्षा–प् (आई.सी. ए) राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), राजस्थान।
4. पंचायत चुनाव शाखा/भण्डार शाखा एवं लेखा (आन्तरिक जाँच) शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
5. कम्प्यूटर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर को आयोग की ॅमइेपजम पर अपलोड़ करने हेतु।
6. गार्ड फाईल।

(विमल कुमार पाटनी)
वरिष्ठ लेखाधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(77)

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

(2nd Floor, Vikas khand, Secreatiat, Jaipur - 302005)
(Email - secraj@rajasthan.gov.in, Website -rajsec.rajasthan.gov.in)

No. F.1 (21)SEC/Acctt/2019-20/2939 Date : 19-08-2019

OFFICE ORDER

Subject:- Honorarium / Remuneration to officers / officials for preparation and revision of Municipal / Panchayat Electoral Rolls 2019-20.

The State Election Commission has senctioned the rates of Honorarium / Remuneration to be paid to the following categories of officers / officials connected with the preparation and revision (Intensive Nature) of Municipal / Panchayat Electoral Rolls 2019-20 as per details shown against each.

S. No.	Categoy of Officer/Officials	Rates (for General Election)
1	(a) Enumerators ¼izx.kd½ (b) Information Assistant ¼lwpuk lgk;d½	Rs. 750 (lumpsum) Rs. 500 (lumpsum)
2	Designated Officers	Rs. 100/- Per Working day (Max. 2 days)
3	Electoral Registration Officers	Rs. 600 (lumpsum)
4	Assistant Electoral Registration Officers (each ERO will be allotted more than one constituency)	Rs. 500 (lumpsum)
5	Staff (Election staff only)	Rs. 300 each (lumpsum)
6	Class IV (Election staff only)	Rs. 200 each (lumpsum)
7	District Election Officers	Rs. 1000 (lumpsum)
8	Dy. District Election Officers	Rs. 800 (lumpsum)

Note:- **Expenditure on Ball Pen, Refills & Carbons by enumerators will be borne by themselves.**

The expenditure on this account will be debited to the concerned Municipal/ Panchayat Election budget head.

The sanction bears the concurrence of Finance (Exp.-V) Department wide their I.D. No. 331900604 dated 29-07-2019

Chief Electoral Officer &
Secretary,
State Election Commission, Rajasthan

No. F.1 (21)SEC/Acctt/2019-20/2940-49 Date : 19-08-2019

Copy to following for information & necessary action -

1. Accountand General (Audit) Rajasthan, Jaipur.
2. Joint secretary to Govt., Finance (Exp. V) Department, Rajasthan, Jaipur.
3. All District Election Officers (Collectors).
4. PS to Commissioner, State Election Commission, Rajasthan, Jaipur.
5. PA to Secretary / D.S., State Election Commission, Rajasthan, Jaipur.
6. All Electoral Registration Officers (Municipal/Panchayat), Rajasthan.
7. Sr. AO/AS, State Election Commission, Rajasthan, Jaipur.
8. Municipal / Panchayat Election Section, State Election Commission, Rajasthan, Jaipur.
9. Accounts / Estt. / Acctt(Audit) / Store/Computer, State Election Commission, Rajasthan, Jaipur.
10. Guard File.

Chief Electoral Officer &
Secretary,
State Election Commission, Rajasthan

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(78)

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

(2nd Floor, Vikas khand, Secreatiat, Jaipur - 302005)
(Email - secraj@rajasthan.gov.in, Website -rajsec.rajasthan.gov.in)

No. F.1 (23)(2)SEC/Acctts/2019-20/ 2797 Date : 09.08.2019

ORDER

Sub. :- Procedure for settlement of hire and detention charges of the motor vechicles requisitioned for Municipal/Panchayat Election and Supply arrangements of P.O.L. for vehicles.

In order to ensure prompt settlement of the hire and detention charges of motor vehicles requisitioned for the conduct of local bodies / PRI's elections and to simplify the procedure for arrangements of P.O.L. for the motor vehicles in each district, the State Election Commission is issuing the following instructions in super session of all previous instructions issued in this regard :-

PART - I

RATES OF HIRE AND DETENTION CHARGES OF PRIVATE VEHICLES / RSRTC BUSES

1. Hire and detention charges in respect of vehicles belonging to private owners / RSRTC buses will be paid at the following rates :

S. No.	Type of Vehicle	For Panchayat/Municipal Election		Deduction Rates in Rs. (Per hour)
		Petrol/Diesal	Rate per day (Amount in Rs.)	
1	2	3	4	5
1	Contract Carriage Buses I. 14 to 25 Seater II. 26 to 35 Seater III. 36 & Above Seater	 5 Km per liter 4 Km per liter 3 Km per liter	 1450/- 2000/- 2500/-	 60/- 80/- 105/-
2	Stage Carriage Buses (including RSRTC Buses) I. 14 to 25 Seater II. 26 to 35 Seater III. 36 & Above Seater	 5 Km per liter 4Km per liter 3 Km per liter	 1200/- 1500/- 1850/-	 50/- 60/- 75/-
3	Taxi (Indica, Jeep, Ambassador, etc.)	14 Km per liter	900/-	40/-
4	Auto Ricshaw	25 Km per liter	275/-	15/-
5	Taxi (Dezire, ETIOS, Indigo etc.)	10 Km per liter	1100/-	45/-
6	Taxi Innova	10 Km per liter	1350/-	55/-
7	Maxi cab (Bolero, Commandor, Jeep & others)	10 Km per liter	1100/-	45/-
8	Tata Magic / Mahindra Maximo	15 Km per liter	550/-	25/-
9	Tractor with Trolly	3 Km per liter	400/-	25/-
10	Truck I. Up to RLW 7500 kg. (7M.T.) II. RLW More than 7500 kg. (7 M.T.) Up to 12000 kg (12M.T.) III. More than RLW 12000 Kg. (12 M.T.)	 9Km per liter 5Km per liter 3Km per liter	 800/- 1000/- 1200/-	 35/- 40/- 50/-

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

11	Crane/JCB	Actual Dip measurement	3500/-	150/-
12	Mini Crene	Actual Dip measurement	2500/-	105/-
13	In case of sending requisite vehicles to other District Rs. 250/- will be paid as night haultage charges to vehicle Driver/Khalasi.			
14	Mobil Oil at the rate of one liter be allowed for every 250 kilometer or part thereof for the Vehicle in category 1, 2, 9, 10 & 11. Similarly one liter mobile oil be allowed every 800 kilometer for car/taxi at catetgory 3, 5, 6, 7, 8 & 12.			

Note:-

(i) Deductions should not exceed per day rate of Hire & Detention Charges.
(ii) Hire Charges will not be payable to that vehicles which are acquired after 4.00 PM.
(iii)Crane/JCB/Mini crane may be acquired as and when required only.

PART - II

PAYMENT OF HIRE AND DETENTION CHARGES OF PRIVATE VEHICLES

1. District Election Officers will make payment of hire and detention charges of the private vehicles in cash on the day the vehicles are released from election duty. Sufficient amount required for making payment of such hire charges will be drawn in advance through the A.C. Bills.

2. Record of each vehicle requisitioned for election duty shall be maintained in the vehicle register in form 'A'.

3. A separate **log-sheet-cum-hire bill** will given to the officer-in-charges of the vehicles after completion of Part-I by the District Election Officer (in form 'B' of vehicle Log-sheet-cum-hire charges) while allotting the vehicle for polling duty.

4. The Officer-in-charge of the vehicle (Presiding Officer or any other officer) will make respective entries in Part-II of the log sheet during the period the vehicle remains under his charge. At the time of handing over of the vehicle to the District Election Officer at the close of the Election Duty the officer-in-charge will hand over the log-sheet completing all the respective entries and duly attesting the same.

5. The District Election Officer will complete Part-III of the log-sheet in respect of the amount of hire charges payable to the vehicle and the deductions in respect of the P.O.L. balance calculated in the manner as mentioned in para 10 of Part-II.

6. The vehicles requisitioned, not used but kept in reserve will be paid hiring charges at the rates mentioned in para 1 of Part-I.

7. The Hire and Detention charges of vehicles used by the polling parties should not ordinarily be paid by for more than Three days for Municipal Election and 6 days for Panchayat Election. Requisition order to the Vehicle Owners may be served well in advance asking them to report for duty on a particular date as per requirement for the

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

movement of Polling Parties and should be released soon after the arrival of the Parties from Polling Duty. In such cases, where the District Election Officer considers necessary, may, however, allow to use the Vehicle for Four Days for Municipal Election and seven days for Panchayat Election. No Vehicle for more than Four/Seven Days should be used by the District Election Officer without prior approval of the **Secretary, State Election Commission, Rajasthan Jaipur.**

8. As far as possible Govt. vehicles should be provided to Zonal Magistrate/Sector Magistrate/Area Magistrate. In case Govt. vehicles are not available private vehicles may be provided for maximum limit of as per State Election Commission guideline.

9. The vehicles requisitioned for transportation of ballot boxes, Electronic Voting Machines, polling articles, furniture and other articles in connection with election should be paid for actual days these remain on election duty irrespective of dates.

10. Calculation of P.O.L. remaining in balance at the close of the elections will not be required. P.O.L. balance at the end will be calculated on the bases of total P.O.L. supplied to the vehicles and total consumption calculated as para 1 of Part-I

11. All payments to be made within a month. No claim will be entertain after a month.

12. Cost of excess supply will be recovered from the hiring charges bill. In case of the vehicle whose milometer is in order total run will be determined on the bases of the first and last milometer reading. In case of vehicles whose milometers are not in working order, run will be calculated on the basis of the distance of destination covered by them. At the time of surrender of vehicles by the Officer-in-charges, the District Election Officer (Collector) will ensure that the log-sheet are complete in all respect. Net amount payable to the vehicle owner after deductions, will be checked and pass order will be recorded by the Officer authorized by the District Election Officer (Collector). The log-sheet so passed will then become bill of the vehicle. Payment will be made in cash/e-payment on the basis of this bill from the cash counter/e-mathed to the owner of vehicle. In case owner is not present, payment will be made to the driver or any other person on the basis of authority of the owner of vehicle. If authority is not given then payment will be made in case/e-payment to driver after obtaining following undertaking.

"Received payment Rs. ………………………….. of the hire charges of the vehicle No ……………… on behalf of the owner, I declare that I am authorized to receive hire charges of the vehicle on behalf of the owner. In case of any dispute regarding payment of the hire charges, I shall indemnify the State Government to that extent.

Signature ………………….

Name ………………………

Address ……………………

……………………………..

License No. ………………..

……………………………..

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

PART - III

GENERAL - IMPORTANT DIRECTION

1. The Hire charges in respect of the vehicles of the central and its Autonomous statutory bodies and public sector undertaking under the control of the Central Government will not be paid by the State Election Commission as per direction of Government of India vide their No. G27031(6)87-B&A dated 17.12.87 (Ministry of Law & Justice). However, Petrol, Diesel and Mobil-Oil will be supplied to such vehicles at the cost of the State Government and expenditure of minor repair will also be borne by the State Government of such vehicles during the period of requisitioning T.A. & D.A. of Drivers will be paid out of election budget. These directions will also be applicable for vehicles of State Government & its Autonomous Corporations (except RSRTC buses), Local Bodies etc.

2. These rates of hire charges shown from Part-I to Part-II are exclusive of P.O.L. but inclusive of pay and allowances of drivers etc. T.A. & D.A. of the drivers accompanying these vehicle will be paid by the respective vehicle owners.

3. No hiring charges in respect of vehicles of District pool and other Government vehicles used in connection with Panchayat & Municipal Election will be paid. However, their P.O.L. expenses for the election period and also the expenditure on account of minor repairs of the extent of Rs. 2500/- (Rupees Two Thousand Five Hundred Only) per vehicle of District pool and Rs. 1000/- (Rupees One Thousand Only) per vehicles for other Government vehicle shall be debitable to concerning election head of account.

4. The District Election Officers (Collectors) shall draw sufficient funds on A.C. Bills for making payment of the hiring charges.

5. The expenditure on this account will be debitable concerning head of panchayat / municipal election.

6. D.C. Bills will be rendered by the District Election Officers to the Accountant General, Rajasthan, Jaipur within one month after making complete entries in the vehicle register so that the complete record is available of hire charges paid by the district offices.

7. For the vehicles of RSRTC requisitioned for poll Duty, hire charges will be paid at the rates mentioned in Part-I as applicable.

8. Payment of Hire Charges and POL of the Vehicles requisitioned for the Police Department.

   (i) For Panchayat Election:- The Payment of the hire charges and POL of the vehicles requisitioned for the Police Department for maintenance of law and order duty will be made by respective District Election (Collectors) at the rates mentioned above.

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(ii) For Municipal Election:- The Payment of the hire charges and POL of the vehicles requisitioned for the Police Department for maintenance of law and order duty will be made by respective District Election (Collectors) at the rates mentioned above.

The rates of hire charges are as per concurrence the Administrative Department Panchayati Raj I.D. No. 1962 dated 03-07-2019.

Chief Electoral Officer &
Secretary,
State Election Commission, Rajasthan

No. F.1 (23)(2)SEC/Accts/2019-20/ Date :

Copy to following for information & necessary action -

1. P.S. to Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur.
2. Accountand General (Audit), Rajasthan, Jaipur.
3. Director General, Police Rajasthan, Jaipur.
4. Joint Secretary, Finance (Exp. V) Department, Rajasthan, Jaipur.
5. Deputy Secretary, Home (Group-II) Department, Rajasthan, Jaipur.
6. All District Election Officers (Collectors) for necessary action.
7. All S.Ps, Police Rajasthan.
8. P.S. to Commissioner, P.A. to CEO, State Election Commission, Rajasthan, Jaipur.
9. D.S./CAO/AS, State Election Commission, Rajasthan, Jaipur.
10. All Section, State Election Commission, Rajasthan, Jaipur.
11. Guard File.

Chief Electoral Officer &
Secretary,
State Election Commission, Rajasthan

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

(2nd Floor, Vikas khand, Secreatiat, Jaipur - 302005)
(Email - secraj@rajasthan.gov.in, Website -rajsec.rajasthan.gov.in)

No. F.1 (20)(2)SEC/Acctt/O.R./2019-20/2599 Date : 29-07-2019

OFFICE ORDER

The State Election Commission has sanctioned the rates for making outright payments and incurring expenditure up the extent noted against each item subject to the Budget Provision in each case as under :-

S. No.	Nature of Sanction	Extent of power	For Panchayat & Municipal Election (Rs.)
1	Sanction for making outright payment of **Rs. 105/- (Rupees One Hundred Five Only)** for per polling station to Presiding Officer/Patwari or any other officer to whom D.E.O. (Collector) may think fit for hiring or otherwise charges for the election articles for which no account will be required to be rendered. The simple utilization certificate of the concerned Presiding Officer/Patwari or any other officer will be sufficient.	For Arrangement of Lighting at Polling Booth	83.00
		Buckets & Lotas	15.00
		Locks	7.00
		Total Rs.	**105.00**
Note:- Since some of the items could be available with the District Election Stores, it is necessary to break-up the amount for issuing the articles or the amount in full or part, as the case may be.			
2	Sanction for making outright payment of- 1) Rs. 10/- (Rupees Ten Only) to each polling officer (excluding class IV servant). (10x3) 2) Rs. 17/- (Rupees Seventeen Only) on account for the cost of Refill, match box, Blade and Ball Pen, one for Presiding officer and other for the use of Voters for signatures etc. 3) Rs. 17/- (Rupees Seventeen Only) for R.O. (Panchayat) on account for checking of nomination of Panch & Sarpanch, to make the list of candidates.	Each Polling Officer (excluding class IV servant)	30.00
		Each Presiding Officer	17.00
		Each R.O. (Panchayat)	17.00
		Total	**64.00**
3	Sanction for making outright payment @ 22/- (Rupees Twenty Two Only) per polling Station to, Presiding Officer/Patwari or any other officer to whom DEO (Collector) may think fit for hiring or otherwise, charges of Bamboos for which no account will be required to be rendered. The simple utilization certificate of the concerned Presiding officer/Patwari will be sufficient.	Each Polling Station	22.00
4	Sanction for incurring expenditure for 1) Providing water to the Polling Parties and 2) Providing essential first aid medicines.	Providing water the Polling Parties.	45.00
		Providing essential First Aid Medicines	33.00
		Total Rs.	**78.00**
5	Sanction for making outright payment Rs. 45/- (Rupees Fourty Five Only) to be given to each Prisiding Officer per Polling Station to meet unforeseen expenses for which no account will be	Presiding Officer per Polling Station	45.00

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

	rendered.		
6	Sanction for incurring expenses @ Rs. 600/- (Rupees Six Hundred Only) for erecting each temporary Polling Structure, if necessary.	For erecting each temporary Polling structure.	600.00
7	Sanction for incurring exp. @ Rs. 300/- (Rupees Three Hundred Only) for set up of voter assistance booth in building having more than 2 Polling Booths.	For Voter assistance booth at Polling Station	300.00
8	Providing drinkingwater to voters During poll, sanction for making outright payment per polling station building (i.e. where one or more polling booth situated) to any officer whom DEO may think fit for arrangements. The simple utilization certificate of the concerned officer will be sufficient.	Providing water to electors at polling stations (per polling building)	500.00
9	Sanction for incurring expenses for providing temporary ramps where polling booths are notified & permanent ramps could not be provided. The simple utilization certificate of the concerned officer will be sufficient.	For Temporary ramps per building (Under condition)	1000.00 maximum
10	Sanction for incurring expenses for providing temporary arrangements for shade in the polling station where there is no arrangement of shade.	For polling station where there in no arrangement of shade.	1000.00 per polling station
11	Refreshment for the officials (Employed & deployed) who are detained in odd hours. In State Election Commission (Head Quarter) Raj. Jaipur	For Lunch/refreshment	upto Rs. 40.00 per officer/official.
12	Refreshment to trainers appointed to impart training to Polling Personnels, Counting Personnels, Sector Officers, Magistrates.	For refreshment	upto Rs. 40.00 per trainer
13	Refreshment/lunch/dinner for the officers/ officials appointed by District Election Officer for postal ballot paper facility centre at polling party training centres at district level in IInd training.	For lunch/ refreshment	upto Rs. 150.00 per officer/officials
14	Refreshment/lunch/dinner for the officials who are detained in oddhours at polling material distribution and collection centers on the day of departure & arrival of polling parties.	For lunch/ refreshment	upto Rs. 150.00 per officer/officials
15	Sanction for incurring expenditure on account of hire charges of tents, furniture, electricity articles etc. required for election purposes on hire.	Office of the Chief Electoral Officer & Secretary, State Election Commission, Rajasthan, Jaipur and concerning District Election Officers (Collectors) should take necessary action as per Rajasthan Transparency in Pubilc Procurement Rule, 2013 subject to the condition that the hire charges should not exceed the actual cost of the goods and ceiling directed by the State Election Commissioner.	
16	Refreshment for the officer/officials who are engaged in First Level Checking (FLC) EVMs & preparation of EVMs.	upto Rs. 40.00 per officer/officials	

17. Purchase Committees at State Level and District Level are hereby constituted subject to the following condition:-

Purchase will be made as per the procedure laid down in Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, if time is short by issuing short term tender notice. (Rule 43 (10). If short term tender could not be invited by lack of time, purchare may be made under rule 17 (the reasons of which shall be recorded in the writing) through the committee constituted rule 3 as under :-

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

HEAD OFFICE PURCHASECOMMITTEE

Dy. Secretary, State Election Commission
Senior Accounts Officer, State Election Commission
Asstt. Secretary, State Election Commission

DISTRICT LEVEL PURCHASE COMMITTEE

Dy. District Election Officer
Treasury Officer of the District
An Officer nominated by the District Election Officer (Collector)

The Committees constituted as above (Item No. 17) shall functioning from the date of Public Notice of General Election and shall cease to function after declaration of Result of Election.

The expenditure is debitable to concerning Municipal Board/Council/Corporation/ Panchayat Election Head.

This bears concurrence of the Finance (Exp.-V) Department vide their I.D. No. 331900434 dated 31-05-2019.

Chief Electoral Officer &
Secretary,
State Election Commission, Rajasthan

No. F.1 (20)(2)SEC/Acctt/O.R./2019-20/2600-07 Date : 29-07-2019

Copy to following for information & necessary action -

1. Accountand General (Audit) Rajasthan, Jaipur.
2. Joint secretary to Govt., Finance (Exp. V) Department, Rajasthan, Jaipur.
3. All District Election Officers (Collectors).
4. PS to Commissioner, State Election Commission, Rajasthan, Jaipur.
5. PA to Secretary / D.S., State Election Commission, Rajasthan, Jaipur.
6. CMO/AS, State Election Commission, Rajasthan, Jaipur.
7. Municipal / Panchayat Election Section, ACP (DD) State Election Commission, Rajasthan, Jaipur.
8. Accounts / Estt. / Acctt(Audit) / Store, State Election Commission, Rajasthan, Jaipur.

Chief Electoral Officer &
Secretary,
State Election Commission, Rajasthan

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(80)

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

(2nd Floor, Vikas khand, Secreatiat, Jaipur - 302005)
(Email - secraj@rajasthan.gov.in, Website -rajsec.rajasthan.gov.in)

No. F.1 (27)SEC/Acctt/2019-20/2895 Date : 19-08-2019

From:

Chief Electoral Officer & Secretary,
State Election Commission, Rajasthan.

To:

All District Election Officers,
(Collectors) (Municipal/Panchayat)

Subject:- Regarding payment of Honorarium to officers deputed for imparting training to staff deployed for conducting Municipal / Panchayat General Election, 2019-20.

On the subject cited above **the payment of Honorarium to Officers deputed for imparting training to staff deployed for conducting Municipal / Panchayat General Election, 2019-20 will be made @ Rs. 500/- (Rupees Five Hundred Only) per session per Trainer subject to maximum of Rs. 1500/- (Rupees One Thousand Five Hundred Only) per Trainer during Municipal/Panchayat General Election, 2019-20.**

The expenditure on this account will be debited to the concerned Municipal / Panchayat Budget Head.

This bears Concurrence of the Finance (Exp.-V) Department vide their I.D. No. 331900580 dated 30-07-2019

(Shuchi Tyagi)
Chief Electoral Officer & Secretary,
State Election Commission,
Rajasthan

No. F.1 (27)SEC/Acctt/2019-20/2896-2902 Date : 19-08-2019

Copy to following for information & necessary action -

1. Accountand General (Audit) Rajasthan, Jaipur.
2. Joint secretary to Govt., Finance (Exp. V) Department, Rajasthan, Jaipur.
3. PS to Commissioner, State Election Commission, Rajasthan, Jaipur.
4. PA to Secretary / D.S., State Election Commission, Rajasthan, Jaipur.
5. Sr. AO/AS, State Election Commission, Rajasthan, Jaipur.
6. Municipal / Panchayat Election Section.
7. Accounts/Estt./Acctt(Audit)/Computer/Store, State Election Commission, Rajasthan, Jaipur.

(Vimar kumar Patni)
Sr. Accounts Officer,
State Election Commission,
Rajasthan

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प.1 (20)(2) रानिआ/लेखा/बजट/2019–20/ 3848 दिनांकः–07.10.19

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 4460 दिनांक 02.10.2014 क्रमांक 3853 दिनांक 09.11.2017 के अतिक्रमण में चुनाव कार्य में नियोजित कर्मचारियों के यात्रा भत्ता भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाते हुये नगरनिकायों के चुनाव और पंचायत चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मचारी, होम गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस (कानून व व्यवस्था को छोडकर) को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यात्रा भत्ता की समान दरें निर्धारित की है, जो निम्नानुसार हैः–

1. इन नियमों में जिन शर्तो का कोई विशेष अर्थ नही दिया गया है उनका अर्थ राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 में विहित है, जो समय–समय पर संशोधित किये जाते है।
2. **यात्रा भत्ता दावेः–** चुनाव ड्युटी पर कार्यरत सभी कर्मचारियों के यात्रा भत्ता दावें जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आहरित एवं संवितरित किये जायेंगे। यह व्यय सम्बंधित चुनाव बजट मद (नगरनिकाय/पंचायत) से किया जायेगा।
3. **दैनिक भत्ताः–** मतदान/मतगणना ड्युटी में नियोजित समस्त कर्मचारी (आरक्षित दल सहित) को प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने, मतदान सामग्री एकत्रित करने एवं मतदान/मतगणना ड्युटी के लिये की गई यात्रा हेतु निम्न दरों पर दैनिक भत्ते का भुगतान किया जायेगाः–

S.No.	Name of post	Daily Allowance per day or part thereof
1	Sector officer/Area/Zonal Magistrate	Rs. 600 Per Day
2	Returning Officer (Panchayat)	Rs. 500 Per Day
3	Presiding Officer	Rs. 500 Per Day
4	Polling Officer	Rs. 400 Per Day
5	Asstt. Polling Officer (Class-IV)	Rs. 250 Per Day
6	Counting Supervisor	Rs. 500 Per Day
7	Counting Assistant	Rs. 400 Per Day
8	Police Personnel (attach with Polling Party/Zonal Magistrate)	Rs. 350 Per Day
9	Other Staff (As per Class-IV)	Rs. 250 Per Day

नोटः–

(i) उपरोक्त दरें चुनाव कार्य में धारित पदानुसार निर्धारित की गई है। मतदान/मतगणना कार्यो के लिये कर्मियों को होटल चार्जेज देय नही होंगें।

(ii) प्रशिक्षण कार्य में भाग लेने वाले कार्मिको को दैनिक भत्ता देय होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(iii)मतदान/मतगणना कार्मिकों को उपरोक्त दैनिक भत्ते की देयता जिला निर्वाचन अधिकारी या उनके द्वारा अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित रिर्पोटिंग समय से होगी।

(iv)नगरनिकाय/पंचायत चुनाव के दौरान मतदान दिवस को जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र पर मतदान दल की सहायतार्थ तैनात की गई महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्ट श्रेणी में मानते हुये 250/– की दर से दैनिक भत्ता एवं अल्पाहार/लंच पैकेट देय होगा।

4. **राज्य सरकार के कर्मचारी को यात्रा भत्ता की देयता निम्नानुसार होगीः–**

(i) ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनका मुख्यालय रिर्पोटिंग सेन्टर से 15 किमी. की परिधि में है, वे आकस्मिक शुल्क (पदबपकमदजंस बींतहमेद्ध व माइलेज भत्ते हेतु पात्र नही होंगे। कस्बे व शहर की स्थिति में यह सीमा संबंधित नगरपालिका की सीमा तक विस्तृत होगी।

(ii) मतदान/मतगणना ड्युटी में नियुक्त कर्मचारी यदि अपने मुख्यालय से 15 किमी. दूर ड्युटी पर है तो उसे विश्राम भत्ते के अलावा राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के प्रावधानों के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

(iii)राजकीय कर्मचारी का मुख्यालय रेल व बस सेवा से नहीं जुड़ा होने की स्थिति में 15 किमी. से अधिक यात्रा पैदल/साईकिल या अन्य साधनों से पूरी करने पर 2/– प्रति किमी. की दर से यात्रा भत्ता देय होगा।

5. **प्रभारी अधिकारी द्वारा ड्युटी सत्यापन पश्चात भुगतानः–** यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ते का भुगतान दावों की जांच उपरान्त संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव बजट मद से देय होगा। जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव ड्युटी पर प्रतिनियुक्त पुलिस कार्मिको के लिये पृथक रजिस्टर (मतदान कर्मियों के रजिस्टर की तर्ज पर) बनाया जायेगा। प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत यात्रा भत्ता बिल सत्यापन पश्चात् अविलम्ब रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टी की जावेगी। सामान्य कानून एवं व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस कार्मिको को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नही होगा।

6. मतदान/मतगणना दल के सदस्यों के अतिरिक्त चुनाव कार्य में सम्मिलित कार्मिको को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के अनुसार देय होगा।

7. **मतदान दलों को अल्पाहारः–** वास्तविक मतदान दिवस पर चुनाव कार्य में तैनात पुलिस कार्मिकों, होम गार्ड/फॉरेस्ट गार्ड/ग्राम रक्षक दल/छब्ब् (मतअपबमद्ध भूतपूर्व सैनिक/ब्स्व्ध ठस्व्मतदान बूथ सहायक आदि को अल्पाहार हेतु लंच पैकेट अथवा 150/– नकद का भुगतान किया जाये। हालांकि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चुनावी कार्य में तैनात कार्मिकों को वास्तविक मतदान दिवस के लिये ही भुगतान किया जाये। सामान्य कानून एवं व्यवस्था में तैनात पुलिस कार्मिकों को अल्पाहार देय नही होगा। उपरोक्त व्यय संबंधित चुनाव बजट मद से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जायेगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस हेतु किये गये व्यय का लेखा अनिवार्य रूप से रखा जायेगा।

8. **मतगणना कर्मचारियो को अल्पाहारः–** मतगणना केन्द्रों पर नियुक्त कर्मचारियों (पुलिस कार्मिकों सहित) को अल्पाहार हेतु लंच पैकेट अथवा 150/– रू. नकद भुगतान किया जाये। यह भुगतान मतगणना केन्द्रों पर मतगणना दिवस पर वास्तविक मतगणना कार्मिकों को किया जायेगा। सामान्य कानून एवं व्यवस्था में नियोजित पुलिस कार्मिकों को अल्पाहार का भुगतान मान्य नही होगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस हेतु किये गये व्यय का लेखा अनिवार्य रूप से रखा जायेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

9. **मतदान दलों के सदस्यों हेतु यात्रा भत्ता बिल बनाने की प्रक्रिया, जांच और भुगतानः–**

(i) सभी मतदान कार्मिको द्वारा प्रशिक्षण के अन्तिम दिन च्तंज.प् व च्तंज.प्प् की प्रविष्टी पूर्ण करने के उपरान्त संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अपना यात्रा भत्ता दावा (प्रपत्र संलग्न कर) एक प्रति में प्रस्तुत किया जायेगा। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यात्रा भत्ता दावों में वर्णित उपस्थिति को सत्यापित किया जायेगा।

(ii) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव ड्यूटी में नियम–3 के अनुसार भुगतान हेतु मान्य कुल कार्य दिवस की प्रविष्टी च्तंज.प्प् में की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के लिये यात्रा भत्ता दावों की एक प्रति कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी। यात्रा भत्ता दावों का विवरण प्रतिलिपि ;क्नचसपबंजमद्ध में तैयार किया जा सकता है और इस विवरण की एक प्रति क्ण्ब्ण् ठपसस के साथ महालेखाकार कार्यालय राजस्थान जयपुर को भेजी जाये एवं एक अन्य प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में सुरक्षित रखी जायेगी।

(iii) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान समाप्ति पश्चात् मुख्यालय वापसी तक के किराये सहित यात्रा भत्ता एवं अन्य दावे की जाँच की जायेगी।

(iv) जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान दलों को देय यात्रा भत्ता एवं अन्य दावों की उपरोक्त विवरणानुसार गणना करेगा। गणना की गई राशि के समान राशि का भुगतान पीठासीन अधिकारी को मतदान सामग्री प्रदान करते समय या मतदान के अन्तिम दिन से पूर्व किया जायेगा।

(v) जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान दलों के यात्रा भत्ता एवं अन्य दावों हेतु आवश्यक राशि पीठासीन अधिकारी को देने हेतु ।ण्ब्ण् ठपसस के माध्यम से अग्रिम आहरित करेगा। इस राशि के एकजाई बिल क्ण्ब्ण् ठपसस द्वारा महालेखाकार जयपुर राजस्थान में प्रस्तुत किये जायेंगे। पीठासीन अधिकारी मतदान दल के सभी सदस्यों के यात्रा भत्ता एवं अन्य दावे के बिलों को मतदान ड्यूटी से मुक्त होने के समय स्वयं के यात्रा भत्ता एवं अन्य बिलों की उचित रसीद प्रत्येक मतदानकर्मी से प्राप्त करेगा।

(vi) चुनाव ड्यूटी से मुक्त होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा यात्रा भत्ता एवं अन्य दावों का लेखा (प्राप्ति रसीद की प्रतिलिपि संलग्न कर) संबंधित काउन्टर पर जमा कराया जायेगा ।

10.पीठासीन अधिकारी द्वारा नगर निकाय/पंचायत चुनाव हेतु जब्त जमानत राशि को संबंधित काउन्टर पर जमा कराया जायेगा। तत्पश्चात् आयोग के कार्यालय आदेश क्रमांक 2176 दिनांक 20.06.2019 एवं क्रमांक 2283 दिनांक 09.07.2019 के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपरोक्त आशय का लेखा संधारित कर प्राप्त जब्त जमानत राशि को संबंधित मद में जमा कराया जायेगा।

11.पुलिस कार्मिक (सामान्य कानून एवं व्यवस्था के अतिरिक्त), होम गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड ैच् मतदान पार्टी/सेक्टर ऑफिसर/जोनल मजिस्ट्रेट/एरिया मजिस्ट्रेट आदि पर यह नियम लागू होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनावी बजट से इनके यात्रा भत्ता दावों का भुगतान किया जायेगा।

12.**जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यात्रा भत्ता दावों हेतु रजिस्टर का संधारणः–** संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान दलों (पुलिस कार्मिकों सहित) के यात्रा भत्ता दावों

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

हेतु एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा। मतदान दल सदस्यों द्वारा यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत किये जाने पर ड्यूटी सत्यापनकर्ता अधिकारी के नाम सहित अन्य आवश्यक इन्द्राज रजिस्टर में किये जायेंगे।

13. नगर निकाय चुनाव/पंचायत चुनाव में मतदान/मतगणना ड्यूटी में नियुक्त किये गये ऐसे कार्मिक जो किन्हीं अपरिहार्य कारणों से स्वेच्छा से ड्यूटी निरस्त करवा लेते है, उन्हें प्रशिक्षण दिवसों के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

14. उपरोक्त निर्देश समस्त कार्मिक यथा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय स्वायत संस्थानों, निकायों, सरकारी व अर्द्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों, विश्वविद्यालयों आदि पर लागू होगें।

यह आदेश वित्त विभाग (व्यय–ट) की आई.डी. संख्या 101704852 दिनांक 06.10.2017 (यात्रा भत्ता दर) एवं आई.डी. संख्या 331900439 दिनांक 11.06.2019 (अल्पाहार दर) के क्रम में जारी किया गया है।

(अशोक कुमार जैन)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः प.1 (20)(2) रानिआ/लेखा/बजट/2019–20/ 3849–63 दिनांकः –07.10.19

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
3. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
4. महानिदेशक, होम गार्ड, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रधान मुख्य संरक्षक, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय–ट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. उप सचिव, वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. उप सचिव, गृह (ळत.2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)।
10. समस्त पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त जयपुर और जोधपुर।
11. निजी सहायक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
12. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
13. उप सचिव/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
14. पंचायत/नगरपालिका चुनाव अनुभाग, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
15. वेबसाइट/ईमेल के लिए कम्प्यूटर सेल।
16. गार्ड फाइल।

वरिष्ठ लेखाधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

भाग–13
विविध

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ. 4(2)(1)/पंचा/रानिआ/09/502 जयपुर, दिनांकः– 29.03.11

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर) समस्त।

विषयः– नगर पालिका एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में अभ्यर्थियों द्वारा गलत घोषणा पत्र/मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना – भारतीय दण्ड संहिता की धारा 191 एवं 193 के अन्तर्गत कार्यवाही।

महोदय,

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के सभी प्रत्यक्ष चुनावों में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्रों एवं प्ररूप 4घ में उनकी संतानों, उनके विरूद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों, किन्ही अपराधों के लिए उनकी दोष सिद्धि के मामलों, उनके एवं उनके आश्रितों की अचल संपत्ति आदि की सूचना घोषणा के रूप में रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती हैं। इसी प्रकार नगर पालिका चुनावों में भी नाम निर्देशन पत्र में की जाने वाली घोषणाओं के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को उनकी संतानों के संबंध में, उनके विरूद्व लंबित आपराधिक प्रकरणों, किन्ही अपराधों के लिए उनकी दोषसिद्धि के मामलों आदि की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धा रित प्ररूपों में देना अनिवार्य है। इसके अलावा भी राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं व नगरपालिकाओं के प्रत्यक्ष चुनावों में अभ्यर्थियों के लिए संपत्ति का ब्यौरा, उनके विरूद्ध देयताओं, शैक्षणिक योग्यता, लंबित आपराधिक प्रकरणों की सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप पृथक से भी निर्धारित किये है जिनमें भी अभ्यर्थियों द्वारा घोषणायें/कथन किये जाते हैं।

उक्त निर्वाचनों में अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव लडने के आशय से रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष यदि असत्य घोषणा की गई है या तथ्यों को जानबूझ कर छिपाया गया है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 191 के अन्तर्गत उसे मिथ्या साक्ष्य मानते हुए उक्त संहिता की धारा 191 व 193 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने परिपत्र क्रमांकः एफ. 7(2)(4)/पंचा/रानिआ/99/7358 दिनांक 26.04.2000 के द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किये थे।

अभी हाल ही में संपन्न चुनावों में कई शिकायतें इस आश्य की प्राप्त हुई है कि किन्हीं अभ्यर्थियों ने सही तथ्यों को छुपाते हुए या गलत तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए चुनाव में भाग लिया व निर्वाचित भी हो गये। ऐसी शिकायतों के प्रकरणों में कुछ जिला निर्वाचन अधिकारियों ने पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एफ 3 ( ) जांच/ग्राविप/परिपत्र/स.आ./07/2916 दिनांक 23.08.2007 एवं पत्र सं. एफ 3 ( ) जांच/ग्राविप/परिपत्र/स.आ./07/3708 दिनांक 18.10.2007, जो कि माननीय उच्च न्यायालय की वृहदपीठ के निर्णय दिनांक 02.04.07 के अनुसरण में सभी संभागीय आयुक्तों एवं जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को भेजा गया है, का संदर्भ देते हुए यह अवगत कराया है कि चुनाव पूर्व की अयोग्यताओं के मामलों में जांच कार्यवाही नही की जा सकती और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के ऐसे मामलों में जांच भी नही की गई है।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 02.04.07 द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार चुनाव पूर्व की अयोग्यता की जांच राज्य सरकार द्वारा नहीं की जा सकती। चुनाव पूर्व की अयोग्यता संबंधी प्रकरण पंचायती राज अधिनियम की धारा 43 एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 80 के तहत चुनाव याचिका के जरिये ही जिला अदालत के माध्यम से निर्णित हो सकते है। ऐसे प्रकरण राज्य सरकार तय नहीं कर सकती।

माननीय उच्च न्यायालय की वृहद पीठ द्वारा दिनांक 02.04.07 को पारित निर्णय पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 39 एवं इसके साथ पठित राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 23 के अन्तर्गत राज्य सरकार व इसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा निर्वाचित अभ्यर्थियों के विरूद्व चुनाव पूर्व

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

की अयोग्यताओं की जांच कर उसके आधार पर धारा 39 के तहत उन्हें हटाये जाने से संबंधित विषय पर हैं जबकि राज्य निर्वाचन आयोग के उक्त परिपत्र दिनांक 26.04.2000 का विषय इससे भिन्न हैं। उक्त परिपत्र दिनांक 26.04.2000 रिटनिंग अधिकारी के समक्ष दिए गए मिथ्या साक्ष्य के आपराधिक कृत्य और उसके लिए परिवाद दर्ज कराने संबंधी विषय पर हैं। इस संबंध में विधि विभाग की राय भी प्राप्त की गयी है। विधि विभाग द्वारा दी गई राय निम्न प्रकार है –

> ''माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात चुनाव पूर्व निर्योग्यता के आधार पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है, किन्तु किसी व्यक्ति द्वारा धारा 191 का अपराध किया है, तो उसके संदर्भ में सक्षम अधिकारी द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है। किन्तु ऐसी कार्यवाही में उसकी निर्योग्यता के संदर्भ में जांच नहीं की जा सकती, किन्तु यदि कोई उम्मीदवार द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया है तो तथ्यों की जांच कर फौजदारी न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है।''

अतः रिटर्निग अधिकारियों के समक्ष असत्य तथ्यों को प्रस्तुत कर चुनाव लडने की शिकायतों के मामलों में कार्यवाही हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैं कि :–

(i) अभ्यर्थी की चुनाव पूर्व की अयोग्यता की जांच नहीं की जाए अर्थात् यह जांच नहीं की जाए कि अभ्यर्थी चुनाव पूर्व किसी निर्योग्यता को धारित करता था अथवा नहीं क्योंकि यह बिन्दु चुनाव याचिका में ही शामिल हो सकता हैं।

(ii) रिटर्निग अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के लिए जांच का बिन्दु केवल यह हो सकता हैं कि अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्रों एवं उसके संलग्न प्रस्तुत किये गए अन्य प्ररूपों/शपथपत्रों/घोषणा पत्रों में चुनाव लडने की मंशा से क्या कोई असत्य कथन किया है या तथ्यों को जान बूझ कर छुपाया है और क्या उसने रिटर्निंग अधिकारी को मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अपराध किया है। इन्ही बिन्दुओं पर जांच की जा सकती है किन्तु ऐसी कार्यवाही में उस अभ्यर्थी की चुनाव पूर्व की अपात्रता की जांच नही की जा सकेगी।

(iii) यदि अभ्यर्थी द्वारा मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करने का आपराधिक कृत्य कारित करना पाया जाता है तो फौजदारी न्यायालय में कार्यवाही की जावें। रिटर्निंग अधिकारी जिनके समक्ष अभ्यर्थी ने मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत किया है उनके द्वारा अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी द्वारा ऐसी शिकायत के संबंध में तथ्यों की जांच से प्रथम दृष्टया मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत होना पाए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 191 व 193 के तहत सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जावे।

(iv) यहां यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि असत्य तथ्य वर्णित करते हुए चुनाव लडने की शिकायतों की जांच पंचायती राज संस्थाओं के किसी अधिकारी से नहीं करवाई जावे बल्कि रिटर्निंग अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा ही तथ्यों की जांच कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावे। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करने के प्रकरणों में जांच पश्चात कुछ जिला निर्वाचन अधिकारियों ने प्रकरण पंचायती राज विभाग या स्वायत्त शासन विभाग को संदर्भित किए है जबकि ऐसे मामलों कों राज्य सरकार को संदर्भित करने की कोई आवश्यकता नही है। रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष यदि कोई मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत हुआ तो उनमें उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही की जा सकती है राज्य सरकार को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है।

–sd–
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांक : प.4(2)(1)पं./नपा/रानिआ/94/61 जयपुर, दिनांक : 9.4.10

आदेश

सां.आ. 66/10 :-राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 53-क में यह प्रावधान है कि जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की अभिरक्षा में रहते हुए अप्रयुक्त डाक मतपत्रों के पैकेटों; वैद्य, अवैद्य या निरस्त हुये प्रयुक्त डाकमतपत्रों के पैकेटों; प्रयुक्त या अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों के पैकेटों; मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के पैकिटों; प्ररूप-XII में मतदाताओं के रजिस्टर के पैकेट; निर्वाचकों द्वारा की गयी घोषणाओं एवं उनके हस्ताक्षरों के अनुप्रमाणन के पैकिटों तथा नियम 52क के अधीन मुद्राबन्द कंट्रोल यूनिटों को सक्षम न्यायालय के आदेश के सिवाय ना तो खोला जायेगा और ना ही निरीक्षण किया जायेगा। उक्त नियम के उपनियम (4) में यह भी प्रावधान है कि निर्वाचन से संबंधित समस्त अन्य दस्तावेज जो उपनियम (2) एवं (3) में वर्णित नहीं है ऐसी शर्तों के और ऐसी फीस के संदाय के, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिश्चित की जाये, अध्यधीन आम जनता के निरीक्षण के लिये खुले रहेंगे और कोई भी व्यक्ति ऐसी शर्तों की अनुपालना करने पर और ऐसी फीस का संदाय करने पर उसकी या उसके किसी भाग की प्रति या प्रतियां प्राप्त करने का हकदार होगा।

अतः उक्त नियम 53 क (4) के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग निम्न प्रकार आदेश करता है:-

(1) निरीक्षण :-

(क) उक्त दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र लिखित रूप में दिये जायेंगे और उसमें उस अभिलेख का जिसका निरीक्षण अपेक्षित है, संबंधित विवरण दिया जाना चाहिये।

(ख) दस्तावेजों को निरीक्षण करने की किसी भी व्यक्ति को इसके लिये उसी दर पर शुल्क का भुगतान करने पर अनुमति दी जायेगी जो दर दस्तावेजों के निरीक्षण के लिये राजस्व न्यायालय नियमावली के प्रावधानों के तहत राजस्व अधिकारी द्वारा वसूल की जाती है।

(2) प्रमाणित प्रतिलिपि :-

उक्त दस्तावेजों में से किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि उसके लिये आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को उसी दर पर शुल्क का भुगतान करने पर दी जायेगी जो दर राज्य में राजस्व न्यायालय नियमावली के प्रावधानों के तहत किसी आदेश की प्रतिलिपि के लिये राजस्व अधिकारी द्वारा वसूल की जाती है।

(3) आवेदन पत्र में निरीक्षण के लिये या दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां दिये जाने के लिये आवेदक का अधिकार सिद्ध किया जाना चाहिये और इस प्रयोजन के लिये यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिये कि आवेदक का ऐसे दस्तावेज या दस्तावेजों में प्रत्यक्ष और सुनिश्चित हित है और ऐसा हित किस प्रकार का है।

(4) जब दस्तावेज का निरीक्षण करना या प्रमाणित प्रतियां लेना सरकारी प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो कोई फीस नहीं ली जायेगी।

(5) जब निर्वाचन अभिलेखों का निरीक्षण हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन समाप्त होने के तुरन्त बाद किया जा रहा हो तब कर्मचारियों द्वारा प्रभावकारी पर्यवेक्षण रखना आवश्यक है। अभिलेखों में किसी

D:\DS\Panchyat Election 2010\PANCHAYAT ORDER 66_31.3.10.doc

कागज के हटाये जाने से बचने के लिये बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

(6) प्ररूप–VII या यथा स्थिति प्ररूप–VII क अंतिम परिणाम पत्र की प्रतिलिपियां यदि मांगी जाये तो उसी दर पर शुल्क का भुगतान करने पर दी जायेगी, जो उपरोक्त अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियों की आपूर्ति के लिये लिया जाता है।

आज्ञा से,

(आर.के. जैन)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.4(2)(1)पं./नपा/रानिआ/94/62-63 जयपुर, दिनांक : 9.4.10

प्रतिलिपि :–

1. जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), कोटा, भरतपुर, सीकर व दौसा।
2. समस्त शाखायें, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वा

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः प.4(2)(1)पं./नपा/रानिआ/94/ 64 जयपुर दिंनाक : 9.5.10

आदेश

सां0आ0 67/2010 :– राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 53–ख के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों के व्ययन के संबंध में यह निद्रेश जारी करता है कि आयोग द्वारा या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए किसी प्रतिकूल निर्देश के अधीन रहते हुए और अधोलिखित पैरा–4 में समाविष्ट अनुदेशों के अधीन रहते हुए निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों को निम्नलिखित रीति से निपटाया जा सकेगा :–

(1) नियम 53–ख(क) के अधीन निर्देश :–

(क) मतदान की समाप्ति के पश्चात् पीठासीन अधिकारियों द्वारा लौटाये गये और नियम 53–ख के खण्ड (क) में निर्दिष्ट अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों के पैकिटों को जो दो तालों (Double Lock) वाले स्टील ट्रंकों में 6 मास की कालावधि के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के पास प्रतिघृत (Retain) रखे हुए हैं, निर्वाचन की समाप्ति की 6 माह की कालावधि के पश्चात् नष्ट कर दिया जावेगा।

(ख) डाक मतपत्रों को जारी करने के पश्चात् बचे हुए अवितरित डाक मतपत्रों का स्टॉक तथा मतदान केन्द्रों पर उपयोग करने के लिए पीठासीन अधिकारियों को जारी करने के बाद बचे हुए अवितरित निविदत्त मतपत्रों का स्टॉक, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) 6 मास तक रखेगा तत्पश्चात् उसके पर्यवेक्षण के अधीन उन्हें नष्ट किया जा सकेगा।

(2) नियम 53–ख(ख) के अधीन निर्देश

(क) मतों की गणना के पश्चात् नियम 53–क के उप नियम (3) के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की अभिरक्षा में रखी गई मतदान मशीन की यूनिटें ऐसी कालावधि के लिए जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 43 में किसी निर्वाचन याचिका को प्रस्तुत करने के लिए बतायी गयी है, के अवसान तक अर्थात निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख से 30 दिन तक अभिकल्पित रूप से प्रतिघृत (Retain) रखी जावेगी, तत्पश्चात् मतदान मशीनों की मुद्रा हटाकर और इन्हें खोलकर नियंत्रण यूनिट में अंतर्विष्ट सूचना हटा दी जावेगीं तथा मतदान यूनिट में प्रदर्शित मतपत्र को हटा दिया जावेगा।

(ख) इस प्रकार मतदान मशीन की दोनों ही प्रकार की यूनिटें (नियंत्रण यूनिट व मतदान यूनिट) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की सुरक्षित अभिरक्षा में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 43 में किसी निर्वाचन याचिका को प्रस्तुत करने के लिये बतायी गयी कालावधि के अवसान तक अभिकल्पित रूप से सुरक्षित रखी जावेगी।

(3) नियम 53–ख (घ) के अधीन निर्देशः–

(क) अनुलंग्नक में निर्दिष्ट कागज पत्रों को परिणाम की घोषणा होने की तारीख से 6 मह व्यतीत हो जाने पर नष्ट कर दिया जायेगा।

(ख) मतदाताओं को डाक मतपत्रों के प्रेषण रजिस्टर और नाम निर्देशन पत्रों की प्ररूपों को परिणाम का घोषणा होने की दिनांक से पांच वर्ष व्यतीत होने से पूर्व नष्ट नहीं किया जाना चाहिये।

(ग) किसी व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रत्येक आदेश उस निर्वाचन की समाप्ति से जिससे नियुक्ति संबंधित हो, तीन वर्ष बीतने के पहले नष्ट नहीं किया जाना चाहिए।

(घ) अंतिम प्रमाण–पत्र प्ररूप 7 या यथास्थिति प्ररूप 7–क को निर्वाचन के स्थायी अभिलेख के रूप में रखा जाना चाहिए।

(ड) निक्षेपों से संबंधित रजिस्टरों को राजस्व रजिस्टरों को नष्ट किए जाने की रीति के अनुसार ही नष्ट किया जाये, किन्तु किसी भी दशा में इन रजिस्टरों को 10 वर्ष से पहले नष्ट नहीं किया जायेगा।

(4) याचिका के अनिर्णित रहने तक कागज--पत्रों को रोके रखना:--

(क) जहां कही कोई निर्वाचन याचिका सक्षम न्यायालय द्वारा विचारण के लिए लम्बित पडी है, या निर्वाचन संबंधी कोई अन्य मामला न्यायालय द्वारा न्याय निर्णयन के लिए लम्बित पडा हो, तो उनसे संबंधित कागजात जैसा कि उपरोक्त पैरा (1) तथा (3) में बताये गये हैं, ऐसी याचिका या मामलों के अंतिम निपटान की तारीख से 3 महीनों तक नष्ट नहीं किये जायेगें।

(ख) जहां कहीं कोई निर्वाचन याचिका सक्षम न्यायालय द्वारा विचारण के लिए लम्बित पडी है तो ऐसी याचिका के अंतिम निपटान की तारीख 3 महीनों तक उनसे संबंधित नियंत्रण यूनिटें (यनिटों) को न तो खोला जायेगा और न ही उनमें अन्तर्विष्ट सूचना को हटाया जायेगा।

5. निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों के निस्तारण की रीति:--

मतदान मशीनों की नियंत्रण यूनिटों व मतदान यूनिटों के सिवाय सभी निर्बन्धित या गोपनीय निर्वाचन कागजातों जैसे प्रयुक्त मतपत्र प्रयुक्त डाक मतपत्र निर्वाचको द्वारा की गई घोषणायें व उनके अनुप्रमाणन और निर्वाचक नामावलियों की चिन्हित प्रतियों के छोटे--छोटे टुकडे कर दिये जाएं और उसके पश्चात उसकी लुग्दी बना दी जाए जिसे कागज आदि दुबारा बनने के प्रयोग किए जा सकें। निर्बन्धित श्रेणी के कागजातों के मामलों में इस तरह के टुकडे राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में किये जावें तथा संबंधित अधिकारी द्वारा एक प्रमाण--पत्र भी रिकार्ड किया जावे।

संलग्न:--एक

आज्ञा से
(हस्ताक्षर)
(आर.के.जैन)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.4(2)(1)पं./नपा/रानिआ/94/65-66 जयपुर दिनांक : 9.4.10

प्रतिलिपी:--

1. जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर)कोटा/भरतपुर/सीकर/दौसा
2. समस्त शाखाऐं राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर

(हस्ताक्षर)
उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

(85)

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांक : प. 6 (4) (1) पंचा/रानिआ/94/1127 जयपुर, दिनांक : 23.2.95

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

प्रेषिति,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
(कलेक्टर), ...

विषय:- पंचायती राज संस्थाओं का आम निर्वाचन, 1995 निर्वाचन संबंधी कागजातों की प्रतिलिपि देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आयोग के आदेश क्रमांक : एफ. 4 (2) (1) पंचा एवं नपा/रानिआ/94/955, दिनांक : 7.2.95 का अवलोकन करें, जिसमें निर्देश दिये गये हैं कि राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 53 (2), 47 के उपनियम (1) के खण्ड (III) और 43 के उपबंधों में वर्णित मुहरबंद पैकिटों में रखे हुये मतपत्रों एवं चिन्हित निर्वाचक नामावली व अन्य कागजात तथा अन्य किसी आदेश से प्रतिबन्धित दस्तावेजों के अळावा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कराया जा सकता है और उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि जारी की जा सकती हैं। साथ ही उक्त नियमों के नियम 63 का भी अवलोकन करे जिसके उपनियम (I) में वर्णित कागजात के पैकिट उक्त नियम के उप नियम (III) में बताई गयी परिस्थिति के सिवाय खोले नहीं जायेंगे। इनका निरीक्षण नहीं कराया जायेगा और इनकी प्रतिलिपि भी जारी नहीं की जायेगी।

इस प्रकार उपरोक्त उपबंधों में उल्लिखित कागजात तथा अन्य किसी आदेश से प्रतिबन्धित कागजात को छोड़कर अन्य कागजात का निरीक्षण कराया जा सकता है और प्रमाणित प्रतिलिपि भी दी जा सकती हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पंच/सरपंच चुनाव तथा जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य चुनाव से संबंधित नामनिर्देशन पत्र, मतगणना एजेण्ट/मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति के फार्म परिणाम पत्र का निरीक्षण या प्रतिलिपि देना प्रतिबन्धित नहीं है।

भवदीय,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर

क्रमांक : प. 6 (4) (1) पंचा/रानिआ/94/1127 जयपुर, दिनांक : 23.2.95

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. समस्त संभागीय आयुक्त।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
4. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद)
5. समस्त उपखण्ड अधिकारी
6. निजी सचिव, आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग,
7. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,
8. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,
9. सहायक सचिव, प्रथम/द्वितीय, राज्य निर्वाचन आयोग,
10. रक्षित पत्रावली।

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

(86)

राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांक : एफ. 4 (2) (1) पंचा एवं न.पा./रानिआ/94/955 दिनांक : 2.2.95

आदेश

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 53 के उपनियम (2) में प्रावधान है कि उपयोग में लाये गये मतपत्रों, चाहे वे वैध हों, या निविदत्त हों या प्रतिपेक्षित हों तथा चिन्हित मतदाता सूचियों के पैकिट सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना नहीं खोले जायेंगे और न ही उनमें रखे हुये कागजात का निरीक्षण किया जायेगा। उक्त नियमों के नियम 47 के उपनियम के खण्ड (III) व (IV) में प्रावधानों के अन्तर्गत निविदत्त मतपत्रों, उपयुक्त मतपत्रों खराब हुए मतपत्रों, नियम 43 के अधीन लौटाये गये और रद्द किये गये मतपत्रों और चिन्हित मतदाता सूचियों के पृथक-पृथक पैकिट सीलबन्द किये जायेंगे। अत: ऐसे सीलबंद पैकिटों के कागजात भी निरीक्षण के लिये उपलब्ध नहीं रहेंगे।

उपरोक्त प्रावधानों में वर्णित एवं अन्य किसी आदेश यदि कोई हो, से निरीक्षण के लिए प्रतिबन्धित दस्तावेजों के अलावा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कराया जा सकता है तथा उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि भी जारी की जा सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे दस्तावेजों के लिये, जो निरीक्षण कराये जाने योग्य हैं, उनके निरीक्षण के लिये और उनको प्रमाणित प्रतिलिपि जारी करने के लिए निम्न प्रकार से फीस व प्रक्रिया निर्धारित करता है :-

(1) निरीक्षण:- (क) उक्त दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र लिखित रूप में दिये जायेंगे और इसमें उस अभिलेख का जिसका निरीक्षण अपेक्षित है, सम्बन्धित विवरण दिया जाना चाहिये,

(ख) दस्तावेजों का निरीक्षण करने की किसी भी व्यक्ति को इसके लिये आवेदन करने पर और निरीक्षण के लिए उसी दर पर शुल्क का भुगतान करने पर अनुमति दी जायेगी, जो दर दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए राजस्व न्यायालय नियमावली के प्रावधानों के तहत राजस्व अधिकारी द्वारा वसूल की जाती है।

(2) प्रमाणित प्रतिलिपि:- उक्त दस्तावेजों में से किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि, उसके लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को उसी दर पर शुल्क का भुगतान करने पर दी जायेगी जो दर राज्य में राजस्व न्यायालय नियमावली के प्रावधानों के तहत किसी आदेश की प्रतिलिपि के लिये राजस्व अधिकारी द्वारा वसूल की जाती है।

(3) आवेदन पत्र में निरीक्षण के लिए या दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां दिए जाने के लिए आवेदक का अधिकार सिद्ध किया जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिये यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि आवेदक का ऐसे दस्तावेज या दस्तावेजों में प्रत्यक्ष और सुनिश्चित हित हैं और ऐसा हित किस प्रकार का है।

(4) जब दस्तावेज का निरीक्षण करना या प्रमाणित प्रतियां लेना सरकारी प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो कोई फीस नहीं ली जायेगी।

(5) जब निर्वाचन अभिलेखों का निरीक्षण हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन समाप्त होने के तुरन्त बाद किया जा रहा हो तब कर्मचारियों द्वारा प्रभावकारी पर्यवेक्षण रखना आवश्यक है। अभिलेखों में किसी कागज के हटाए जाने से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को एक ही साथ निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ. 4 (2) (1) पंचा/एवं न.पा./रानिआ/94/955 दिनांक : 7.2.95

प्रतिलिपि:-

1. समस्त संभागीय आयुक्त।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर्स)
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य चुनाव जरिये जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर्स)
4. समस्त उप खण्ड अधिकारी, राजस्थान।
5. निजि सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, आयुक्त महोदय, जयपुर।
6. निजी सहायक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग
7. उप सचिव, प्रथम/द्वितीय रानिआ
8. सहायक सचिव, प्रथम/द्वितीय रानिआ
9. जन सम्पर्क अधिकारी/प्रभारी अधिकारी नियंत्रण कक्ष रानिआ।

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन

(87)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांक : एफ. 7 (7) (13) पंचा./रानिआ/99/7112 जयपुर, दिनांक : 8.1.2000

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

प्रेषिति,

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर)
उदयपुर (राजस्थान)

विषय :-पंचायत चुनाव-2000 नाम निर्देशन पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि देने के संबंध में।
प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक-3820, दिनांक 22.02.2000 एवं 3837, दिनांक 25.02.2000

आप द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया है कि क्या नाम निर्देशन पत्रों की प्रति जारी की जा सकती है? इस संबंध में लेख है कि पंच, सरपंच, पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्य चुनाव के नाम निर्देशन पत्र निरीक्षण एवं प्रतिलिप जारी करने के प्रयोजनार्थ प्रतिबंधित रिकार्ड नहीं है। अत: इनकी प्रतिलिपि नियमानुसार जारी की जावे जैसा कि आयोग के परिपत्र-प. 6 (4) (1) पंचा./रानिआ/94/1127, दिनांक 23.02.1995 (आयोग के महत्वपूर्ण निर्देशों के संकलन पुस्तिका का पृष्ठ 221) में बताया गया है।

मार्गदर्शिका के पृष्ठ 157 में बताये चार्ट में पंच/सरपंच के नाम निर्देशन पत्रों आदि के लिफाफा नम्बर-पी 1 को यद्यपि सील करने योग्य बताया गया है, लेकिन लिफाफा नम्बर-पी.-1 में रखा रिकार्ड प्रतिबंधित रिकार्ड नहीं है, अत: उक्त लिफाफे को खोला जा सकता है और पंच-सरपंच के नाम निर्देशन पत्रों की नकलें भी जारी की जा सकती है।

नियम 63 के प्रावधान प्रधान/प्रमुख/उप प्रधान/उप प्रमुख चुनाव से संबंधित थे, जो दिनांक 5.2.2000 की अधिसूचना जारी होने के बाद नियम 60 के अन्तर्गत हो गये हैं। अत: प्रधान/उप प्रधान/प्रमुख/उप प्रमुख के निर्वाचन से संबंधित कागजात जो सील कर दिये गये हैं, उन्हें सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना नहीं खोला जा सकता है और न ही उनकी प्रतिलिपि जारी की जा सकती है।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : एफ. 7 (1) (13) पंचा./रानिआ/99/7112 जयपुर, दिनांक: 10.3.2000

प्रतिलिपि :-

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायतें) (उदयपुर को छोड़कर) को सूचनार्थ प्रेषित हैं।

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

(88)

राज्य निर्वाचन आयोग

जयपुर, दिनांक : 13 अक्टूबर, 1995

आदेश

सां.आ. 22/95 राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 53 सपठित नियम 56 (3) तथा 58 (5) के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों के निपटारे के संबंध में निर्देश देता है कि आयोग या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिये गये किसी प्रतिकूल निर्देश और नीचे अनुच्छेद 4 में समाविष्ट अनुदेशों के अधीन रहते हुये जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों तथा पंचों के निर्वाचन से संबंधित कागज पत्रों को नीचे बताये हुये ढंग से निपटाया जा सकेगा:-

1. नियम 53 (3) (क) के अधीन निर्देश:-

नियम 53 (2) में निर्दिष्ट प्रयुक्त मतपत्रों चाहे वे विधिमान्य हों, निविदत्त हों या नामंजूर किये हुए हों के मोहरबंद पैकिटों को जिन्हें निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात् मोहरबंद स्टील ट्रंकों में रखकर दो तालों में बन्द करके कोषागार में रखा गया है, छः मास की कालावधि तक रखा जावे और फिर नष्ट कर दिया जावेगा।

2. नियम 53 (3) (ख) के अधीन निर्देश:-

नियम 53 (2) में निर्दिष्ट मतदाता सूची की चिन्हित प्रतियों के मोहरबंद पैकिटों को, जिन्हें निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात् मोहरबंद स्टील ट्रंकों में रखकर दो तालों में बंद करके कोषागार में रखा गया है, एक वर्ष की कालावधि तक रखा जावे, फिर नष्ट कर दिया जावेगा।

3. नियम 53 (3) (ग) के अधीन निर्देश:-

(क) जिला परिषद सदस्यों तथा पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन में मतदान की समाप्ति के पश्चात् मतदान अधिकारियों द्वारा लौटाये गये अप्रयुक्त मतपत्रों के पैकिटों को छः मास की कालावधि तक रखा जावे और तदुपरान्त नष्ट कर दिया जावेगा।

(ख) सरपंचों तथा पंचों के निर्वाचन में रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा लौटाये गये अप्रयुक्त मतपत्रों के पैकिटों को छः मास की कालावधि तक रखा जावे, तदुपरान्त नष्ट कर दिया जायेगा।

(ग) पंचायत समिति के सदस्यों तथा जिला परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में मतदान केन्द्रों पर उपयोग करने के लिए मतदान अधिकारियों को जारी करने के बाद बचे हुये अवितरित मतपत्रों का स्टॉक, स्टील ट्रंकों में रखकर दो तालों में मोहरबंद करके कोषागार में छः माह की कालावधि तक रखा जावेगा और तदुपरान्त नष्ट कर दिया जावेगा।

(घ) अनुलग्नक में विनिर्दिष्ट कागज पत्रों को परिणाम की घोषणा होने की दिनांक से 6 माह बीत जाने पर नष्ट कर दिया जावेगा।

(ङ) किसी भी व्यक्ति को रिटर्निंग अधिकारी या मतदान अधिकारी या सहायक मतदान अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रत्येक आदेश उसे निर्वाचन की समाप्ति से जिससे नियुक्ति संबंधित है, तीन वर्ष बीतने के पहले नष्ट नहीं किया जाना चाहिये।

(च) निर्वाचन के परिणामों को दर्शित करने वाली विवरणी (प्ररूप–7) को स्थाई अभिलेख के रूप में रखा जाना चाहिये।

(छ) जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों तथा सरपंचों के निर्वाचन में प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों के प्ररूपों तथा प्रतिभूति निक्षेप से संबंधित रसीदों को परिणाम की घोषणा होने की दिनांक से 5 वर्ष व्यतीत होने से पूर्व या उनकी लेखा परीक्षा की आपत्तियों यदि कोई हो, का निराकरण हो जाने तक, जो भी पहले हो नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। (स्पष्टीकरण: – यदि नाम निर्देशन पत्र और निक्षेप से संबंधित रसीदें किसी अन्य अभिलेख के साथ रखे हुए हैं तो इन्हें निकाल कर अलग कर लिया जावे।)

(ज) निक्षेपों से संबंधित रजिस्टरों को, राजस्व रजिस्टरों को नष्ट किये जाने की रीति के अनुसार ही नष्ट किया जाये, किन्तु किसी भी दशा में इन रजिस्टरों को दस (10) वर्ष से पहले नष्ट नहीं किया जायेगा।

4. याचिका (निर्वाचन अर्जी) के अनिर्णित रहने तक कागज पत्रों को रोके रखना:–

जहां कहीं कोई याचिका (निर्वाचन अर्जी) सक्षम न्यायालय द्वारा विचारण के लिए लम्बित पड़ी है या निर्वाचन संबंधी कोई अन्य मामला न्यायालय द्वारा न्याय निर्णयन के लिए लम्बित पड़ा हो, तो उनसे संबंधित कागजात, जैसा कि उपरोक्त अनुच्छेद (1), (2) तथा (3) में बताया गया है, ऐसी याचिका या मामलों के अन्तिम निपटान की तारीख से 3 महीनों तक नष्ट नहीं किया जावे।

5. निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों के निस्तारण की रीति:–

निर्बन्धित या गोपनीय कागज पत्रों सहित सभी निर्वाचन कागजातों जैसे प्रयुक्त मतपत्र, निर्वाचक नामावलियों की प्रतियों, आदि के छोटे–छोटे टुकड़े कर दिये जावें और उसके पश्चात् उसी लुग्दी बना दी जावें जिसे कागज आदि दुबारा बनाने के प्रयोग में लिया जा सके। निर्बन्धित श्रेणी के कागजातों के मामले में इस तरह के टुकडे राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में किये जावे तथा संबंधित अधिकारी द्वारा एक प्रमाण–पत्र भी रिकार्ड किया जावे।

संलग्न : एक

आज्ञा से,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : प. 7 (1 (26) पं.चु./रानिआ/95/2610 — जयपुर, दिनांक : 13 अक्टूबर, 95

प्रतिलिपि निम्नांकित को:–

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर), राजस्थान।
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, जिला परिषद/पंचायत समिति, राजस्थान।
4. समस्त उप खण्ड अधिकारी, राजस्थान।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

परिणाम की घोषणा के 6 माह पश्चात् नष्ट कर दिये जाने वाले कागज-पत्रों की सूची

क्र.सं.	कागज-पत्रों का विवरण
1.	निर्वाचन की अधिसूचना/सार्वजनिक नोटिस
2.	विधिमान्यत: नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची (प्ररूप-5)
3.	अभ्यर्थिता वापस लेने की सूची व नोटिस
4.	निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति (प्ररूप-8) तथा प्रतिसंहरण की सूचना
5.	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति (प्ररूप-9) तथा प्रतिसंहरण की सूचना
6.	निविदत्त मतों की सूची (प्ररूप-6)
7.	किसी मतदान केन्द्र/बूथ पर प्रयुक्त मतदाता सूची की चिन्हित प्रति से भिन्न प्रतियां।
8.	लौटाये गये व निरस्त किये गये मतपत्र (नियम 43) तथा खराब व रद्द किये गये मतपत्र (नियम-42)।
9.	रिटर्निंग अधिकारी/मतदान अधिकारी द्वारा रखी गयी टिप्पणियां।
10.	गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति एवं कार्यालय प्रतियां (प्ररूप-10) तथा प्रतिसंहरण की सूचना।
11.	मतों की पुनर्गणना के लिये आवेदन-पत्र।
12.	रिटर्निंग/मतदान अधिकारी और उम्मीदवार व निर्वाचन या गणन अभिकर्ताओं के बीच पत्र-व्यवहार।
13.	चुनाव चिन्हों के आवंटन हेतु आवेदन-पत्र।
14.	क्षतिग्रस्त पत्र मुद्रायें और अप्रयुक्त पत्र मुद्रायें और अप्रयुक्त पत्र मुद्रायें जो मतदान अधिकारियों/रिटर्निंग अधिकारियों से वापिस प्राप्त हुई हैं।
15.	रिटर्निंग अधिकारियों/मतदान अधिकारियों से प्राप्त सामान्य रिपोर्ट, डायरियां, ज्ञापन, नोट बुक, आदि।
16.	नियम 30 (3) के अधीन नोटिस।
17.	ऐसे पैकिट जिनमें मतदान और मतों की गणना के दौरान उम्मीदवारों या अभिकर्ताओं द्वारा आक्षेप रखे हैं।
18.	मतों की गणना के बाद रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा तैयार की गई कार्यवाहियों के विवरण।
19.	मतों की गणना के लिये चैक मीमो।
20.	मतपत्र लेखा।
21.	प्रयुक्त पेपर सीलों का अभिलेख।
22.	पंच चुनाव हेतु प्रस्तुत हुए नाम-निर्देशन-पत्र और संशक्त कागजात।
23.	प्रचार सामग्री जैसे दीवार पर लगाने के पोस्टर, हैण्ड-बिल और निर्वाचन के समय उम्मीदवारों द्वारा जारी किये गये खुले बयान आदि।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ.4(2)(1)नपा/रानिआ/03/6491 जयपुर, दिनांक : 20 दिसम्बर 09

आदेश

सां. आ. संख्या 59/09 :– ऐसे निर्वाचनों, जहॉ इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का उपयोग होता है, में राजस्थान पंचायती राज. (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 47–ख के उपनियम (1) के उपबन्धों के अनुसार पीठासीन अधिकारी मतदान के बंद होने के पश्चात यथा– साध्य शीघ्रता से ऐसे अभ्यर्थियों की उपस्थिति में जो वहां उपस्थित हो, उक्त उपनियम (1) के खण्ड (क),(ख),(ग),(घ),(ड.) तथा (च) में वर्णित दस्तावेजों तथा कोई अन्य ऐसे कागज–पत्रों जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मुद्रा बंद पैकेट में रखे जाने के लिए निर्दिष्ट किया गया है को पृथक–पृथक पैकट में रखेगा और इन्हें अपनी मुद्रा से और ऐसे अभ्यर्थियों की मुद्रा से जो अपनी मुद्रा लगाने के इच्छुक हो, मुद्रा बन्द करेगा।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग उक्त नियम 47 ख के उपनियम (1) के खण्ड (छ) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह निर्दिष्ट करता है कि निम्नांकित कागज–पत्रों को भी मुद्रा बन्द पैकेट में रखा जायेगाः–

(1) प्रयुक्त मतदाता पर्चियॉ, और
(2) अप्रयुक्त निविदित मत–पत्र!

आज्ञा से,

(आर.के. जैन)
सचिव

क्रमांकः एफ.4(2)(1)नपा/रानिआ/03/6492–94 जयपुर, दिनांक : 20 दिसम्बर 09

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राज., जयपुर।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत (कलेक्टर) राजस्थान।
3. समस्त शाखायें, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

(आर.के. पारीक)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 4805 जयपुर, दिनांक : 25.06.2015

अधिसूचना

सां.आ. 109 / 2015– राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 53 सपठित नियम 56(3) तथा 58 (5) के अनुसरण में मतपेटी द्वारा चुनाव की दशा में निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों के निपटारे हेतु सांविधिक आदेश 22 / 95 दिनांक 13.10.1995 जारी किया हुआ है। उक्त सांविधिक आदेश में पंचायत चुनाव ईवीएम से कराये जाने की दशा में ईवीएम की सुरक्षा एवं निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों के निपटारे के संबंध में निर्देश नहीं दिये गये है।

यतः EVM से निर्वाचन होने की दशा में राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 53ख के उपबन्धों के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों को व्ययन (disposal) करने तथा निर्वाचन में प्रयुक्त ईवीएम में अंतर्विष्ट सूचना हटाने (erase करने) के संबंध में यह निर्देश जारी करता है कि, आयोग द्वारा या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिये गये किसी प्रतिकूल निर्देश के अधीन रहते हुए और अधोलिखित अनुदेशों के अधीन रहते हुये निर्वाचन में प्रयुक्त कागज पत्रों का व्ययन (disposal) किया जा सकेगा एवं ईवीएम में अंतर्विष्ट सूचना को निम्नलिखित अनुदेशों के अधीन रहते हुये हटाया (erase किया) जा सकेगा :–

(1) **नियम 53ख के उपखण्ड (क) के अधीन निर्देश :–**

उपयोग में लाये गये एवं उपयोग में नहीं लाये गये मतपत्रों के पैकिट तथा निविदत्त मतपत्र (tenderd ballot papers) छः मास की कालावधि तक प्रतिधारित (retain) किये जायेंगे और उसके पश्चात् पैरा 5 में निर्दिष्ट रीति से विनिष्ट (destroy) कर दिये जायेंगे।

(2) **नियम 53ख के उपखण्ड (ख) के अधीन निर्देश :–**

(i) मतों की गणना के पश्चात् नियम 53क के उप नियम (3) के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की अभिरक्षा में रखी गई मतदान मशीन की दोनों ही प्रकार की यूनिटें (नियंत्रण यूनिट व मतदान यूनिट) राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 80 में निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने के लिए विहित अवधि के अवसान (समाप्ति) तक अर्थात निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख से 30 दिन तक अक्षुण्ण रखी जायेगी (Retain intact)।

(ii) उक्त 30 दिवस की अवधि में निर्वाचन याचिका प्रस्तुत नहीं होने का समाधान (satisfaction) होने पर मतदान मशीनों की मुद्रा हटाकर और इन्हें खोलकर नियंत्रण यूनिट में अंतर्विष्ट सूचना हटायी जा सकेगी तथा मतदान यूनिट में प्रदर्शित मतपत्र को हटाया जा सकेगा।

(iii) जहाँ कहीं कोई निर्वाचन याचिका सक्षम न्यायालय में लम्बित (pending) है तो ऐसी निर्वाचन याचिका के निस्तारण (निर्णय) की तारीख से 3 महीने या निर्णय के विरूद्ध अपील के लिए विहित अवधि जो भी अधिक हो, तक उससे संबंधित नियत्रंण यूनिटें एवं मतदान यूनिटें (यूनिटों) को न तो खोला जायेगा और न ही उनमें अंतर्विष्ट सूचना को हटाया जायेगा अर्थात यूनिटें अक्षुण्ण रखी जायेगी (Retain intact)।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(3) <u>नियम 53ख के उपखण्ड (ग) के अधीन निर्देश :–</u>

नियम 53क के उपनियम (2) में निर्दिष्ट कागज पत्र एक वर्ष की कालावधि तक प्रतिधारित (retain) किये जायेंगे और इसके पश्चात् पैरा 5 में निर्दिष्ट रीति से विनिष्ट (destroy) कर दिये जायेंगे।

परन्तु उपयोग में लाये गये डाक मतपत्रों (postal ballot papers) के पैकिट निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति से ही विनिष्ट (destroy) किये जायेंगे।

(4) <u>नियम 53ख के उपखण्ड (घ) के अधीन निर्देश :–</u>

निर्वाचन से संबंधी अन्य सभी कागज पत्र छः माह की कालावधि तक प्रतिधारित (retain) किये जायेंगे और इसके पश्चात् पैरा 5 में निर्दिष्ट रीति से विनिष्ट (destroy) कर दिये जायेंगे।

(5) <u>निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों के निस्तारण की रीति :–</u>

पैरा 1, 3 एवं 4 में निर्दिष्ट निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों के छोटे–छोटे टुकड़े कर दिये जावें और उसके पश्चात् उसकी लुग्दी बना दी जावे ताकि उसे दुबारा कागज आदि बनने के लिए प्रयोग में लाया जा सके।

परन्तु निर्बन्धित श्रेणी के कागजातों के मामलों में इस तरह के टुकड़े राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में किये जावे तथा ऐसे उपस्थित अधिकारी से इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्राप्त किया जावे।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार जैन)
सचिव

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/**4806–4808** दिनांक : **25.06.2015**

प्रतिलिपि निम्नानुसार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान।
2. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ भेजकर निवेदन है कि इस अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक के भाग 6 (ग) में तत्काल प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें और अधिसूचना की 50 प्रतियां आयोग को उपलब्ध करावें।
3. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को राजपत्र के विशेषांक के भाग 6 (ग) में तत्काल प्रकाशित करें।

(अशोक कुमार जैन)
सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

राज्य निर्वाचन आयोग

क्रमांक : एफ. 1 (1) (1) नपा/रानिआ/94/134 जयपुर, दिनांक : 18.2.99

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

प्रेषिति,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर) राजस्थान।

विषय:- स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षित अध्यक्षीय पद के लिए चुनाव लड़ने हेतु सदस्यों की पात्रता।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग ने, इस प्रश्न पर कि नगरपालिकाओं में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित अध्यक्ष/मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने हेतु क्या वही सदस्य पात्र है, जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड से निर्वाचित हुआ है, या वह सदस्य भी पात्र है जो पिछड़े वर्ग का तो है, लेकिन अनारक्षित (सामान्य) वार्ड से निर्वाचित हुआ हो, राज्य के महाधिवक्ता से राय चाही थी। महाधिवक्ता ने इस प्रश्न पर अपनी राय देते हुए बताया है कि ऐसे मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय में कासम भाई बनाम चन्दू भाई के प्रकरण, (ए.आई.आर., 1998, एस.सी., पृष्ठ 815) में यह निर्णय दिया है कि किसी नगरपालिका में निर्वाचित सदस्य जो अन्य पिछड़े वर्ग का है लेकिन अनारक्षित वार्ड से निर्वाचित हुआ है वह भी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए पात्र है। महाधिवक्ता द्वारा दी गई राय के उद्धृत अंश निम्न प्रकार है:-

"................... The question whether a candidate though belonging to other Backward Class but elected from general community can be elected as Chairman/Mayor of the Municipal Council. The decision rendered by the Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal No. 14608/96 reported in AIR 1997 SC page 347 has since been over-ruled/reversed by the Hon'ble Supreme Court in its later decision in the case of Kasambhai V/s Chandubhai, reported in AIR 1998 SC page 815, wherein their Lordships of the Hon'ble Supreme Court have categorically held that Councillor of a Municipal Council who belonged to other Backward Class but had been elected to the Municipality from an un-reserved seat could stand for election for the post of President of the Municipality which was reserved for a Backward Class.

In view of changed approach of the Hon'ble Supreme Court, there is now no impediment in an OBC Councillor elected from general seat in being elected as Mayor/Chairman of the Municipal Council."

अत: आपको एवं निर्वाचन अधिकारियों की जानकारी के लिए प्रेषित है।

भवदीय,
उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

(92)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांक–एफ4(2)(1)/नपा/रानिआ/03/7127 दिनांकः–04.01.2010

आदेश

विषयः– मुद्रित फार्मों के विक्रय की दरों के संबंध में।
सन्दर्भः–आयोग का आदेश क्रमांक एफ 4(1)(1)नपा/रानिआ/94/513 दिनांक 7.11.94

आयोग के सन्दर्भित आदेश के द्वारा राजस्थान नगर पालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के संलग्न प्ररूपों के मुद्रित प्रपत्रों की विक्रय **दरें एक रूपया प्रति प्रपत्र वसूल करने के आदेश जारी किये गये थे।**

निर्वाचनों के सुचारू संचालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग उचित मानता है कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रपत्र निःशुल्क उपलब्ध होने चाहिये।

अतः राजस्थान नगर पालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में विहीत किये गये ऐसे सभी प्रपत्र जो कि अभ्यर्थियों के उपयोग के है, उन्हे इच्छुक व्यक्तियों कों निःशुल्क वितरित किये जाने के आदेश जारी किये जाते है और इस स्थिति में संदर्भित आदेश एफ 4(1)(1)नपा/रानिआ/94/513 दिनांक 7.11.94 के खण्ड (iii) व (iv) को तत्काल प्रभाव से विलोपित समझा जावे। इन प्रपत्रों की छायाप्रति भी स्वीकार्य होंगी।

कृपया मतदान दलों को प्रशिक्षण के दौरान यह जानकारी अवश्य दी जाये। साथ ही मार्गदर्शिका, अन्य निर्देशों, पुस्तकों तथा लिफाफों/प्रपत्रों में इस आशय का संशोधन माना जाये जिसके लिए भी रिटर्निंग अधिकारियों सहित सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करावे।

(आर.के. जैन)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(93)

STATE ELECTION COMMISSION

NO. F 4(1) (6) M/SEC/94/513 JAIPUR DATED: 07.11.94

ORDER

Subject :- **The Rate of sale price of list of polling stations & <u>printed</u> <u>forms</u>.**

Sale prices of the following for the purpose of Municipal or Panchayat Election, as the case may be is hereby prescribed as under :-

(i)	Rate of list of polling station of Municipality per page irrespective of any number of entries.	Rs 2.00
(ii)	Rate of list of polling stations per both pages (Printed on both sides irrespective of any number of entries.	Rs 4.00
(iii)	Rate of printed forms for Municipal Election appended to the Raj. Municipal (Election) Rules 1994.	Rs 1.00
(iv)	Rate of printed forms for Panchayat Election appended to the Raj. Panchayat Raj. (Election)Rules, 1994.	Rs 1.00 per form

The above rates are inclusive of paper cost.

The receipt of sale proceeds may please be credited to the concerned Municipal/Panchayat head.

This issues with the concurrance of the Finance Department(Exp.-I) vide their I.D. No. 2857/94 Dated 28.10.94.

By Order
sd/-
(R.K.Pareek)
Deputy Secretary,
State Election Commission
Rajasthan Jaipur.

NO.F 4(1) (6) M/Sec/94/513 Jaipur, Dated: 07.11.94

Copy forwarded to :-

1. All District Election Officer (Collector)
2. All Dy.DEOs
3. All S.D.Ms
4. Rolls section
5. All Officers of SEC
6. All section of SEC

sd/-
(Himmat Singh)
Assistant Secretary
State Election Commission
Rajasthan, Jaipur.

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(94)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांक : 6150 जयपुर, दिनांक : 29.1.2000

आदेश

सां. आ. संख्या-40/2000 राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अध्याय-5 में सरपंच के निर्वाचन से संबंधित नियम-5 के उप-नियम (3) तथा पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्यों से संबंधित नियम-58 के उप-नियम (5) में उपबन्धित है कि सरपंच तथा पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्य के लिए नाम निर्देशन पत्र तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक उसके साथ साधारण अभ्यर्थियों के मामले में 500/- रुपए और महिला या अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के अभ्यर्थियों के मामले में 250/- रुपए का प्रतिभूति निक्षेप न हो, जो ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में समपहृत हो जायेगा जो निर्वाचन क्षेत्र में डाले गये कुल मतों का कम से कम षष्ठांश प्राप्त करने में विफल रहते हैं।

2. इस प्रकार जिन अभ्यर्थियों ने निर्वाचन क्षेत्र में डाले गये कुल मतों का षष्ठांश नहीं प्राप्त किया हो उनके द्वारा किया गया प्रतिभूति निक्षेप समपहृत हो जावेगा, भले ही उनमें से कोई अभ्यर्थी निर्वाचित हो गया हो।

3. उपरोक्त निर्वाचनों के समान ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन सम्पन्न होने वाले निर्वाचनों के लिए इस अधिनियम की धारा-158 की उप-धारा (4) में उपबन्धित है कि यदि ऐसे निर्वाचन में, जिसमें मतदान हुआ है, अभ्यर्थी निर्वाचित नहीं होता है और उसे प्राप्त विधिमान्य मतो की संख्या समस्त अभ्यर्थियों को प्राप्त विधिमान्य मतों की कुल संख्या के छठे भाग से, या निर्वाचन में एक से अधिक सदस्यों के निर्वाचन की दशा में उस संख्या के छठे भाग से, जो ऐसे पड़े हुए विधिमान्य मतों की कुल संख्या को, निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या से, भाग देने पर आए, अधिक नहीं है, तो निक्षेप समपहृत हो जाएगा।

4. निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा किये गये प्रतिभूति निक्षेप का पूर्वोक्त पैरा 2 में वर्णित परिस्थितियों में समपहृत हो जाना व्यवहारिक दृष्टि से तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उपरोक्त उपबन्धों के परिपेक्ष में उचित प्रतीत नहीं होता है।

5. अत: उपरोक्त कठिनाई के निराकरण हेतु पूर्वोक्त नियमों के नियम-91-क के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संविधान के अनुच्छेद 243-ट के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग पूर्वोक्त नियम 56 एवं 58 के उपरोक्त उपबन्धों के रहते हुए इस संबंध में आयोग द्वारा जारी पूर्व सा. आदेश संख्या-13/94, पृष्ठांकन क्रमांक-42 (2) (1) पंचा./रानिआ/94/1146, दिनांक 29.12.94 का अधिक्रमण करते हुए एतद्द्वारा निर्दिष्ट करता है कि कोई अभ्यर्थी यदि निर्वाचित हो जाए और भले ही उसे पंचायत या निर्वाचन क्षेत्र में डाले गये कुल मतों का षष्ठांश प्राप्त न हुआ हो, तो भी उसको उसके द्वारा किया गया प्रतिभूति निक्षेप लौटा दिया जावेगा।

भवदीय,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

(95)

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा / रानिआ / 2014–15 / 6211 दिनांक : 24.12.2019

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
कलक्टर, राजस्थान।

विषयः– पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में Person with Disabilities (PwDs) को मतदान में सहायता उपलब्ध करवाने के संबंध में।

महोदय,

निर्वाचनों में मतदान के दौरान प्रायः यह देखा गया है कि दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर अपने मताधिकार का उपयोग करने में कतिपय कठिनाईयों का सामना करना पडता है। ऐसे मतदाताओं के लिए आवश्यक हैं कि उन्हें मतदान केन्द्र पर वे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, जिससे उन्हें मतदान करने में आसानी हो।

इस संबंध में आयोग द्वारा निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं में ऐसे मतदाताओं को चिह्नित कर उनकी मैपिंग (Mapping) की जाए और उनकी सूची प्रत्येक मतदान बूथ पर पदस्थापित सहायक को उपलब्ध करवाई जाये।

Person with Disabilities (PwDs) को मतदान में सहायता उपलब्ध करवाने के संबंध आयोग यह निर्देश देता है कि :–

1. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति के लिए Person with Disabilities (PwDs) को मतदान में सहायता के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए। नोडल अधिकारी का टेलीफोन नम्बर / मोबाइल नम्बर ऐसे मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रचारित किया जावे।
2. Person with Disabilities (PwDs) को उनके निवास से मतदान बूथ तक लाने एवं मतदान करने के पश्चात उन्हें निवास तक छोडने की समुचित व्यवस्था की जाए, इस हेतु आवश्यक हो तो स्वयं सेवी संस्थाओं एवं NSS की सहायता ली जाए।
3. मतदान केन्द्र पर मतदान के लिए Person with Disabilities (PwDs) को प्राथमिकता प्रदान की जाए।
4. Person with Disabilities (PwDs) को ऐसी पूर्ण सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे वे अपनी व्हील–चेयर मतदान केन्द्र तक ले जा सके। यदि Person with Disabilities (PwDs) के पास व्हील–चेयर नहीं है तो इस हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से मतदान बूथ पर व्हील–चेयर की व्यवस्था की जाए। यदि मतदान केन्द्र पर स्थाई रैम्प नहीं हैं तो अस्थाई रैम्प बनाया जाए। दिव्यांग मतदाताओं की बूथ पर सहायता के लिए NSS के सदस्य, NCC cadet, Scout Guide की सेवाएं ली जा सकती हैं।
5. मतदान दल को Person with Disabilities (PwDs) की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखने, उनके प्रति विशेष विनम्र व्यवहार रखने एवं अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने के लिए संवेदनशील होना चाहिए।
6. Person with Disabilities (PwDs) जो बोलने व सुनने की दुर्बलता वाले है का भी विशेष ध्यान रखते हुए मतदान में उनको उचित सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
7. ऐसे मतदाताओं की सहायता एवं सहयोग के लिए राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 41 में दिये गये प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जाए।

उक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण के दौरान मतदान दल के सभी कर्मियों को विशेष रूप से बताया जाए।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान